चतुर्दश माला, खंड 30, अंक 8

मंगलवार, 27 नवम्बर, 2007
6 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 8, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2007/6 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 166	1–36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 167 से 180	36–70
अतारांकित प्रश्न संख्या 1390 से 1574 और 1576 से 1615	70–518
सभा पटल पर रखे गए पत्र	519–530
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन	530–531
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
अठावनवां प्रतिवेदन	531
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सतहत्तरवां से एक सौ तिरासीवां प्रतिवेदन	531–532
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य	532–533
'मिड डे मिल' योजना के बारे में दिनांक 8.5.2007 के तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	534–538
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) 24 नवम्बर, 2007 को ऑल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ असम (एएएसएए) द्वारा हिंसा	
श्री शिवराज वि. पाटील	537–542
(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	543–551

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	551–556
(चार) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–2008) (मांग सं. 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के इक्यासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	557
(पांच) रत्नों और आभूषणों के निर्यात के बारे में पचपनवें प्रतिवेदन में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के तिहतरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	557–558
(छह) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सड़सठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	558
(सात) ''इंडिया एंड द सिक्सथ मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस'' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के पचहतरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	558–559
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) देश में मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	562–585
योगी आदित्यनाथ	562–563
डा. अंबुमणि रामदास	563–574
(दो) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता	585–593
श्री बसुदेव आचार्य	585–586
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	586–593
नियम 377 के अधीन मामले	593–605
(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नियमित कॉलेज लेक्चररों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनोरंजन भक्त	594
(दो) तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक हवाई-अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	594–595
(तीन) बिहार में औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंतर्गत अंडरपास और पैदल यात्री ऊपरिपुल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	595–596

विषय		कॉलम
(चार)	देश में दूसरी हरित क्रांति लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एस.वी. चित्तन	596–597
(पांच)	भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूमि उर्वरता के रखरखाव हेतु मृदा ट्रीटमेंट परियोजना को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	597
(छह)	झांसी डिवीजन में ग्वालियर-शिवपुर रेल लाईन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक अर्गल	597–598
(सात)	कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रहलाद जोशी	598
(आठ)	भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जुएल ओराम	598–599
(नौ)	राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ''सैनिक स्कूल'' खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सिंह कस्वां	599
(दस)	केरल में थालासेरी-माहे बाईपास के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती पी. सतीदेवी	599–600
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के ''कोल'' समुदाय के लोगों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रेवती रमन सिंह	600
(बारह)	बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्नीक खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री आलोक कुमार मेहता	600–601
(तेरह)	कोंकण क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	601
(चौदह)	उड़ीसा में समुद्र तटों के कटाव को रोकने के लिए एक योजना बनाने और उसे लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	601–602
(पन्द्रह)	झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	602
(सोलह)	बिहार के छपरा और सिवान जिलों में जलजमाव और वहां से बहने वाली नदियों में गाद भरने को रोकने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	603

विषय	कॉलम
(सत्रह) घरेलू उड़ानों में शराब परोसे जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. आर. सेनथिल	603–604
(अठारह) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनता को प्रभावित करने वाली बीमारी के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री किन्जरपु येरननायडु	604
(उन्नीस) अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन द्वारा भारतीय सीमा का कथित उल्लंघन रोके जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	605
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007	608–662
विचार करने के लिए प्रस्ताव	608
श्री वरकला राधाकृष्णन	608–611
श्री एस. जयपाल रेड्डी	611–612, 653–661
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	612–615
श्री सज्जन कुमार	615–619
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	619–621
श्री मोहन सिंह	621–624
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	624–630
श्री राम कृपाल यादव	630–631
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	631–640
श्री जगदीश टाइटलर	640–645
श्री बिक्रम केशरी देव	645–647
श्रीमती कृष्णा तीरथ	647–650
श्री अनंत गंगाराम गीते	650–653
संकल्प वापस लिया गया	661
खंड 2 से 6 और 1	662
पारित करने के लिए प्रस्ताव	662
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007	662–696
विचार करने के लिए प्रस्ताव	663
प्रो. रासा सिंह रावत	663, 665–668

विषय		कॉलम
	श्री ऑस्कर फर्नांडीस	663–664, 693–695
	श्री एस.के. खारवेनथन	668–670
	श्री सांताश्री चटर्जी	670–675
	श्री शैलेन्द्र कुमार	675–679
	श्री गणेश प्रसाद सिंह	679–680
	श्री सी. कुप्पुसामी	680–681
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	681–682
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	682–684
	श्री के. सुब्बारायण	684
	श्री हरिभाऊ राठौड़	685
	श्री फ्रांसिस फैन्थम	685–686
	प्रो. एम. रामदास	686–688
	डा. बाबू राव मिडियम	689–690
	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	690–691
	श्री पी. राजेन्द्रन	691–692
	डा. के.एस. मनोज	692–693
संकल्प वापस लिया गया		696
खंड 2 से 5 और 1		696
पारित करने के लिए प्रस्ताव		696
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-2008 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-2006		697–715
	श्री पवन कुमार बंसल	697–698
	श्री खारबेल स्वाईं	706–714
	श्री के.एस. राव	715
अनुबंध-I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		735
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		736–742
अनुबंध-II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		743–744
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		743–744

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 27 नवम्बर, 2007/6 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एम. अप्पादुरई, प्र.सं. 161.

फिल्म प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश

***161. श्री एम. अप्पादुरई:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्मों में अभिनय करते समय सिनेमा कलाकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अश्लील वस्त्रों के संबंध में सेंसर बोर्ड द्वारा सभी राज्य सिनेमा सेंसर बोर्डों को जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिन्दी फिल्मों तथा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्रमाणपत्र देने के लिए निर्धारित मानदण्ड अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रदर्शन हेतु फिल्मों को संस्वीकृति देना संघ सूची के अंतर्गत आता है और इन्हें चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा दिशा-निर्देशों के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा संस्वीकृति दी जाती है। फिल्मों के प्रमाणन हेतु मानदंड सारे देश के लिए एकसमान हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री एम. अप्पादुरई: महोदय, यदि पूरे देश के लिए फिल्मों के प्रमाणन के मानदंड एक ही हैं, तो डब की गई फिल्मों में अश्लील दृश्य कैसे ज्यादा होते हैं और अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय फिल्मों में भी कैसे अंतर होता है? इस मामले में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सेंसर बोर्ड उन फिल्मों के लिए पृथक रूप से प्रमाण देगा जिसे परिवार के सदस्यों के साथ देखा जा सके क्योंकि अब फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता ज्यादा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, प्रमाणन केन्द्रीय सूची में है और इसे सीनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में यथा निबद्ध उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अथवा क्षेत्रीय सेंसर सलाहकार समितियों द्वारा किया जाता है जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, यह पूर्णरूपेण राज्य सूची में है। यदि कोई विशेष राज्य यह चाहता है कि अमुक फिल्म राज्य में नहीं दिखाई जाए, तो उस पर सीनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में यथा निबद्ध केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मार्गनिर्देशों के मापदंडों द्वारा ध्यान रखा जाता है।

तथापि, फिल्मों की तीन श्रेणियां हैं। श्रेणी एक व्यापक है, जिसे सभी देख सकते हैं। श्रेणी दो 'यू.ए.' है जहां माता-पिता के निर्देशों की आवश्यकता होती है कि क्या वे अपने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वह फिल्म दिखाना चाहते हैं या नहीं, श्रेणी तीन 'वयस्क' के रूप में चिह्नित है जो पूरी तरह से वयस्कों के लिए है जहां स्वाभाविक रूप से बच्चों को नहीं देखना चाहिए। ये तीन श्रेणी की फिल्में हैं।

श्री एम. अप्पादुरई: मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन सेंसर बोर्डों में और अधिक महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि महिलाओं को अश्लील रूप में दिखाने की प्रवृत्ति अब बढ़ती जा रही है। क्या सेंसर बोर्डों में महिला सदस्यों का अनुपात, यदि 50 प्रतिशत नहीं तो, 33 प्रतिशत के अनुपात में शामिल किया जाएगा?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं, वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन मामलों में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसलिए छानबीन समिति की जांच और पुनरीक्षा प्रक्रिया में शर्त यह है कि 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। जब यह केंद्रीय सेंसर बोर्ड के समक्ष आता है, तो वह यह भी ध्यान देता है कि महिलाओं

का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक महिला, शर्मिला टैगोर को नियुक्त किया है। इसी तरह से, अपीलीय परिषद के न्यायाधीश, जहां फिल्में अपील के लिए भेजी जाती हैं, वह भी महिला है। वह दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऊषा मेहरा है।

एक माननीय सदस्यः प्रतिशत क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः मैंने पहले ही कहा कि यह 50 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदयः यहां तो 30 प्रतिशत भी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गवः माननीय मंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि रात्रि 11 बजे के बाद जो पिक्चरें दिखाई जाती है, उन्हें आदमी परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार की जो अश्लील फिल्में आती है उन पर रोक लगाई जाए। रोक लगाने के लिए आपने पहले भी कहा था। आपकी उस बात की प्रशंसा करते हुए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस प्रकार की जो फिल्में, जिनमें नग्न प्रदर्शन होता है, जिन्हें आदमी परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकता है और जिनका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, ऐसी फिल्मों पर क्या आप रोक लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः अध्यक्ष जी, माननीय गिरधारी लाल जी के सुझाव के साथ मैं सहमत हूं। इस बारे में मैने तीन कदम उठाए हैं। पहला, अगर केबलनैट रेगूलेशन एक्ट के दायरे में कोई केवल ऑपरेटर गलत ढंग से इसे चालू करे, तो हम उस पर पाबंदी लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा कदम है-अगर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, चाहे किसी केटेगिरी में हो, हम केबल ओपरेटर्स को कभी इजाजत नहीं देते हैं कि एडल्ट्स फिल्म का प्रदर्शन करे। फिर भी कभी वे चुपचाप दिखा देते हैं और जब हमारी नजर में आता है, मैं तुरंत उस पर कार्यवाही करता हूं। मेरी तो बदनामी हो गई है। मैंने दो-तीन चैनल्स को सबक सिखाया है। लोगों से मुझे काफी ताकत मिली है।

तीसरे कदम के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। टीवी में जो इन-हाउस प्रोग्राम प्रस्तुत होता है, उसमें भी अगर कोई ऐसी चीज हो, जो रात को 11 बजे के बाद दिखाते हैं, मैं समझता हूं कि ज्यादातर बच्चे रात को 11 बजे के बाद सो जाते हैं, आप ही में से कुछ सज्जन इस बारे में शिकायत करते हैं, बाकी लोग तो शिकायत भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि चलने दो। फिर भी हम चाहते हैं कि टीवी प्रोग्राम्स हेतु मोनिटरिंग टीम बने।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानीः अध्यक्ष महोदय, भार्गव साहब की आपके प्रति इतनी श्रद्धा है कि ये रात को 11 बजे के बाद पिक्चरें देखते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गवः महोदय, मैं फिल्में नहीं देखता हूं। 11 बजे के बाद परिवार फिल्में देखता है।

अध्यक्ष महोदयः आप उनके साथ नहीं देखते हैं, शायद छुप कर देखते होंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री वरकला राधाकृष्णन—अनुपस्थित।

श्री भर्तृहरि महताब—अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवलेः अध्यक्ष महोदय, सैंसर बोर्ड का जो कारोबार है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बुधिया नाम के चित्रपट में बुद्धा के स्टैचू पर डांस करते हुए दिखाया गया था। इस कारण महाराष्ट्र में आंदोलन भी हुआ था। रमेश सिप्पी जी ने भी हमसे सम्पर्क किया था।

हमारा इतना ही कहना है कि किसी को अपमानित करने वाले जो सीन हैं, उनके बारे में सैंसर बोर्ड के कार्य में सुधार लाने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, अगर सेंसर बोर्ड में कहीं कोई गलती हो, तो कानून है कि आप सेंसर बोर्ड के ऊपर अपीलेट बोर्ड में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके आधार पर अपीलेट बोर्ड जो निर्णय करता है, वही बहाल होता है। ऐसे कई सीन हुए, जिनको अपीलेट बोर्ड के निर्णय के आधार पर काट दिया गया। जहां तक नृत्य या डांस का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि नृत्य एक कला है, शैली है, जिसे कहीं भी प्रदर्शन करने के लिए सैंसर बोर्ड के निर्णय को मानना पड़ता है, जैसे जब कोई नृत्य शंकर भगवान के सामने होता है, और लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के सामने नृत्य नहीं होगा तो कहां

होगा। बुद्धा के सामने भी मैं दिखा सकता हूं कि देवदासियों को डांस करते हुए दिखाया गया है और कोई ओब्जेक्शन नहीं है। कोई ओब्जेक्शनबल या ऑबसीन सीन है, तो उसके ऊपर आप जरूर रोक लगा सकते हैं, और उसके लिए अपीलेट बोर्ड को सुझाव दे सकते हैं कि इसके सर्टिफिकेट को रद्द करो। ऐसा हुआ भी है और हमारे कानून में ऐसा प्रावधान भी है।

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 का निरसन

*162. **श्री के.एस. राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के निरसन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शासकीय गुप्त बात अधिनियम के निरसन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग (ए आर सी) ने अपनी रिपोर्ट ''सूचना का अधिकार-सुशासन की चाबी'' में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है शासकीय गुप्त बात अधिनियम (ओ एस ए), 1923 को निरसित कर दिया जाए और उसके स्थान पर शासकीय गुप्त बात से संबंधित प्रावधान युक्त एक अध्याय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम की मौजूदा धारा 5 को शौरी समिति की सिफारिशों के अनुरुप फिर से बनाया जाए। सरकार का विचार है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम ही केवल एक ऐसा कानून है जो जासूसी करने और अनुचित कब्जा करने एवं गुप्त सूचना देने से निपटता है और अत: यह संविधिक पुस्तिका में बने रहना चाहिए। तथापि, गृह मंत्रालय शासकीय गुप्त बात अधिनियम की मौजूदा धारा 5 को पुन: अधिनियमित करने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है।

श्री के.एस. राव: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की यह राय है कि सरकारी गोपनीय अधिनियम ही एकमात्र कानून है जिसमें जासूसी और गुप्त सूचना के गलत स्वामित्व तथा सम्प्रेषण के बारे में प्रावधान है और इसलिए, इसे हमेशा सांविधिक पुस्तक में होना चाहिए जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने वास्तव में अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है। स्पष्टतया, इसका तात्पर्य है कि मंत्री जी अधिनियम का निरसन नहीं चाहते हैं।

ब्रिटिश काल के 1923 का यह अधिनियम पुराना हो गया है। यह भी साबित हो गया है कि यह उल्टा और अन्यायपूर्ण है। यह भी साबित हो गया है कि कई अवसरों पर इसका घोर दुरूपयोग हुआ है, इसी बीच, हम आगे-पीछे यह कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रमुख कारक है। हमने गौरवपूर्ण सूचना का अधिकार अधिनियम भी अधिनियमित किया जो तब तक ज्यादा मजबूती नहीं प्रदान करेगा जब तक कि इसे शीघ्र संशोधित न कर दिया जाए।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम को ध्यान में रखते हुए वह खंड 5 में संशोधन अथवा परिवर्द्धन में कम से कम कितना समय लेंगे जो अवैध लेन-देन को प्रभावित कर रहे हैं अथवा कुछ भ्रष्ट लोगों को आश्रय दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप कितना समय लेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि, इसके होते हुए भी यह कानूनी सूचना दी जा सकती है। केवल स्वायत्तता, सुरक्षा और विदेशी संबंधों को प्रभावित करने वाली सूचना नहीं दी जाएगी। इसलिए, इस अधिनियम से नए अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सूचना प्रदान करने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है। श्री शौरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसने अधिनियम में संशोधन करने हेतु कुछ संशोधन सुझाए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि 'गुप्त सूचना' की परिभाषा को संशोधित किया जाए। भारत सरकार इस मामले को देख रही है और वह यथाशीघ्र निर्णय लेगी।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं खंड 5 से कुछ लाइनों को पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है:

> ''यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारित करता है अथवा उसका किसी ऐसे गुप्त सरकारी कोड, पासवर्ड आदि पर नियंत्रण है जो कि किसी ऐसी चीज से संबंधित है जिससे किसी शत्रु को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलने की संभावना है ....''

यदि यह खंड रक्षा संबंधी गोपनीय बातों और इससे जुड़ी अन्य बातों से संबंधित है तो मैं इस बात को समझ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा नहीं है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के. एस. राव: परन्तु यह आंतरिक मामलों के लिए नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम का सहारा लेकर बहुत सारे गलत कार्य किये जा रहे हैं। इसका ज्यादा कुछ अध्ययन किये जाने की आवश्यकता नहीं है; इस खंड को समझने और इसमें संशोधन करने में वर्षों नहीं लगेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस देश में होने वाले क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाले खंड 4 में संशोधन करने के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट करेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: यह कहना मुश्किल है कि कोई समय सीमा दी जा सकती है और बहुत सारी बाते हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं। मान लीजिए कि न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के तहत कोई सूचना दी जाती है और यदि उस सूचना का अन्य देशों अथवा शत्रुओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो हमें यह देखना होगा कि यह सूचना किस प्रकार प्रदान की जाये। और बहुत सारी बातें हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और इन सभी विवरणों की जांच करने के पश्चात हम निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमें सदस्यों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में सूचना का अधिकार के तहत नियमित रूप से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं और मुझे इनके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। अत: कारण स्पष्ट है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हमने सूचना के अधिकार को इसके लिए समस्त आवश्यक सामग्री सहित पारित किया है और कमिश्नर भी नियुक्त किये गये हैं तथा उन्होंने निर्णय भी लिये हैं। उस संदर्भ में क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम को कायम रखना उचित होगा। जो कि अंग्रेजी शासन के दौरान वर्ष 1923 में अस्तित्व में आया था? क्या किसी संसदीय लोकतंत्र वाले देश के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने के पश्चात उस अधिनियम को सांविधिक पुस्तक में रखना उचित है? इसका क्या महत्व है?

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में यह उपबंधित है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी व्यक्तियों द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान की जाएगी बशर्ते वह सूचना संप्रभुता, अखंडता अथवा विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यह भी उपबंध कर दिया गया है कि वह अधिनियम इस अधिनियम से अधिक महत्व का है। इसलिए यह अधिनियम उस अधिनियम के लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा है।

आपके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इसे सांविधिक पुस्तक में क्यों होना चाहिए? बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार विशेषरूप से रक्षा मंत्रालय तथा कुछ अन्य मंत्रालयों को करना पड़ता है, इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों को इन्हें जारी रखना पड़ता है जिनकी जानकारी सरकार को अपने पास रखनी पड़ती है और एक समय विशेष से पहले ऐसी जानकारी किसी को प्रदान नहीं की जाती है।

ऐसी बातों को गोपनीय रखना पड़ता है। यह अधिनियम सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जिन व्यक्तियों के पास यह सूचना है वे सूचना किसी को प्रदान न करें। यदि वे यह सूचना किसी को प्रकट करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो व्यक्ति इस सूचना को पाने के लिए अधिकृत नहीं है, उन्हें यह सूचना न मिले और वे इसे दूसरों को न बताएं।

सूचना व्यक्तियों तथा देश के नागरिकों को दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ समस्त समाज, देश तथा देश के बेहतर शासन के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समय से पहले प्रकट नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता है और उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता भी नहीं है। उन्हें बचाकर रखना चाहिए। हमें संतुलन स्थापित करना होगा। यदि पेंडूलम एक छोर से दूसरे छोर तक जायेगा तो यह समस्याएं पैदा करेगा।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, हमें बहुत सी बातों के बारे में सोचना होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय मंत्री जी से जो मैं जानना चाहता हूं वही लगभग अन्य माननीय सदस्यों ने भी पूछा है, लेकिन मैं एक बिंदु के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रशासनिक सुधार आयोग में शासकीय गुप्त बात अधिनियम में कुछ बिंदुओं को छोड़कर कहा गया है कि सूचना का अधिकार सुशासन इत्यादि के नाम पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें जो सूचना प्राप्त है और अगर हमारी जानकारी सही है, तो न्यायपालिका में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, अगर सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो इस अधिनियम के तहत उसे सूचना नहीं दी जाती है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत जब आप

न्यायिक कार्यों के बारे में जानकारी दे देते हैं, सर्टीफाइड कॉपी दे देते हैं लेकिन प्रशासनिक कार्यों, जैसे जांच, रिपोर्ट आदि की सूचना कोई लेना चाहे, तो नहीं ले पाता है।

अध्यक्ष महोदय: यह क्वैश्चन में नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह उसी के अंदर है, चूंकि इसी नियम का उपयोग करते हैं- या तो इस नियम को शिथिल कर दिया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि यदि कोई प्रशासकीय सूचना लेना चाहे, तो उसे मिल सके। हम इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहते हैं और आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक किसी कानून के अर्थ लगाने का मामला है, वह हम पार्लियामेंट में नहीं लगा सकते। अगर मैं यहां खड़ा हो कर कह दूं कि इस कानून की इस क्लॉज या सैक्शन का यह अर्थ है, तो उसके कोई मायने नहीं हैं, वह अंतिम नहीं माना जाता है। उसका अर्थ लगाने का अधिकार ज्युडिशियरी को दिया गया है, उसका सही अर्थ क्या है यह आपको ज्युडिशियरी से मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा। हम कानून बना सकते हैं लेकिन बनाए हुए कानून के अर्थ लगाने की जिम्मेदारी ज्यूडिशयरी को दी गई है, इसे मैं नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि हम जज के जैसे बैठें और बताएं कि यह कानून यहां लागू होता है कि नहीं, यह मैं नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं करता हूं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है।

प्याज का निर्यात

***163. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश-वार प्याज की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) प्रत्येक बार निर्यात की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में भावी नीति क्या है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूचना अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमतों की स्थिति पर कारगर निगरानी रखने के लिए निर्यात का सरणीयन राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए किया जाता है। यह नीति जारी रखी जा रही है। उपभोक्ताओं तथा उपजकर्ताओं, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्यातों की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुबंध

पिछले दो वर्षों के दौरान प्याज की देशवार निर्यातित कुल मात्रा

(मात्रा मी.टन में)

क्र.सं.	देश	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	18.40	
2.	बहरीन द्वीप	14,989.22	26,154.43
3.	बांग्लादेश जन. गण.	331,533.63	403,143.66
4.	बेलीज	14.00	
5.	बेनिन		19.00
6.	ब्राजील	220.00	25.00
7.	ब्रुनेई	1,063.40	2,135.74
8.	बुल्गारिया		100.00
9.	कनाडा	19.05	32.00
10.	कैनरी द्वीप	234.00	
11.	चिली		614.40
12.	ताइवान	130.00	128.00
13.	चीन पी जन. गण.		2,525.00
14.	कामोरोंस	218.00	209.00

1	2	3	4
15.	कांगो जन. गण.		90.00
16.	डेनमार्क	100.00	
17.	फ्रांस	81.47	193.69
18.	जर्मनी	0.82	325.96
19.	ग्रीस	7,180.20	1,345.60
20.	होण्डूरास		72.27
21.	हांगकांग		125.20
22.	आइसलैण्ड	140.00	72.15
23.	इंडोनेशिया	326.02	1,203.00
24.	ईरान	190.00	200.00
25.	ईराक		1,520.01
26.	इटली	194.00	308.00
27.	जापान	2.00	154.00
28.	कुवैत	6,792.21	9,719.56
29.	मलेशिया	226,002.09	319,857.47
30.	मालदीव	1,574.78	1661.72
31.	माल्टा	13.00	
32.	मारीशस	10,519.00	9,544.00
33.	नेपाल	31,408.32	39,058.35
34.	नीदरलैण्ड	200.02	666.00
35.	न्यूजीलैण्ड	15.00	
36.	नॉर्वे		110.00
37.	ओमान	1,377.23	5,333.37
38.	पाकिस्तान इ. गण.	45,130.23	98,942.29
39.	फिलिपींस	4,098.05	32,894.30
40.	पोलैंड		230.00
41.	कतर	6,327.26	8,111.01
42.	रियूनियन	3,666.25	4,779.55
43.	रूस		34.76
44.	सऊदी अरब	5,545.52	7,690.00
45.	सेशेल्स	429.00	977.00
46.	सिंगापुर	16,792.21	22,960.92
47.	सोमालिया	850.00	
48.	दक्षिण अफ्रीका	49.00	46.00
49.	स्पेन	125.00	1,071.00
50.	श्रीलंका डीएसआर	126,730.98	135,589.22
51.	सेंट पियरे		48.00
52.	स्वीडन	134.00	
53.	स्विट्जरलैण्ड		11.98
54.	त्रिनिदाद	37.00	
55.	तुर्की		39.00
56.	सऊदी अरब अमीरात	112,174.32	235,912.70
57.	यूके	2,006.93	598.19
58.	यूएसए	55.70	119.93
59.	वियतनाम समा. गण.		189.29
60.	यमन गणराज्य	400.00	60.00
61.	अविनिर्दिष्ट	1,400.00	1,421.49
	कुल	9,60,507.31	13,78,373.21

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस. कोलकाता

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अजीब स्थिति है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों में बताया गया है कि 13,78,373 मीट्रिक टन प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। इस साल 92 लाख मीट्रिक टन फसल पैदा हुई और इतना होने के बाद किसान को कुल मिलाकर चार या पांच रुपए किलो कीमत मिल रही है जबकि बाजार में प्याज तीस रुपये किलो तक बिकी है। सारे देश को प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने रुलाया है। किसान को कीमत नहीं मिली है और जो सटोरिये बीच में हैं, उनके कारण और एक्सपोर्ट के नाम पर या जखीराखोरी के कारण आम आदमी को तीस रुपए किलो तक प्याज मिला, इससे भयंकर स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण आम आदमी की कमर टूट गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार ने सही सयय पर कदम क्यों नहीं उठाया?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है कि 92 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, सही नहीं है। नैफेड के अनुसार, विगत वर्ष अर्थात 2006-07 में प्याज का उत्पादन लगभग 62 से 63 लाख टन हुआ था। वर्ष 2006-07 में यह उत्पादन 65 और 66 लाख टन के बीच रहा था। अत: किसी भी समय प्याज का उत्पादन 92 लाख टन नहीं था। मैं पहली बात यह स्पष्ट कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह कि इस 65 लाख टन में से लगभग 13 लाख टन का निर्यात किया गया है अर्थात लगभग 20 प्रतिशत प्याज का निर्यात किया गया है। जब नासिक स्थित थोक बजारों और अजादपुर मंडी में थोक मूल्य 16 रुपये प्रति किलो से बढ़ कर अधिक हो गया तो इस वर्ष अक्तूबर को सरकार ने निर्यात संबंधी नीति में परिवर्तन किये। आज 13 सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्याज का निर्यात किया जाता है। 4 अक्तूबर को इस निर्यात को सरणी बद्ध श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत कर दिया गया। दूसरे शब्दों में प्याज के निर्यात के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया। 4 अक्तूबर के बाद प्याज के थोक मूल्य तथा खुदरा मूल्य में काफी गिरावट आई। अत: 14 नवम्बर को पुन: हमने सरणीबद्ध श्रेणी को अपना लिया। आज एक किलो प्याज का थोक मूल्य सात रुपये पचास पैसे से आठ रुपये पचास पैसे के बीच है। एक किलो प्याज का खुदरा मूल्य 12 रुपये से 16 रुपये के बीच है। थोक बाजार और खुदरा बाजार दोनों में इस क्षेत्र में प्याज की कीमत इतनी कहीं नहीं है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं कि कुल मिलाकर 92 लाख मीट्रिक टन फसल हुई है और जो प्याज एक्सपोर्ट हुआ है, वह इतना है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि कहीं भी प्याज बाजार में 30 या 28 रुपए किलो नहीं मिला, जबकि दीवाली के आसपास और उससे पहले लगातार महीनों तक सारे देश में प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा थी कि उसके कारण आम आदमी को बहुत कष्ट हुआ। उस समय सरकार सोती रही। इसमें लिखा भी है कि प्याज हो या न हो लेकिन सरकार के पास आंकड़ें तो हैं। प्याज एक साल में चार गुना महंगा हो गया लेकिन चार गुना कीमत किसान को नहीं मिली। किसान को फसल की कीमत मिले हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन किसान को भी कीमत न मिले और होर्डर्स सरकार के साथ मिलकर, केवल उनका ध्यान रखकर, एक्सपोर्ट करने वाले हाउसिस मिलकर सारा मुनाफा, जो सैंकड़ों करोड़ रुपए में आता है, ले जाएं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने सही समय पर कदम क्यों नहीं उठाए?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि प्याज का थोक मूल्य इस समय 7-1/2 और 8-1/2 प्रति कि .ग्रा. के बीच है और खुदरा मूल्य कहीं-कहीं 12 रुपए और 16 रुपए प्रति कि .ग्रा. है। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि कुछ खास अवधि थी जब थोक मूल्य और खुदरा मूल्य दोनों लगभग 25 रुपए से 30 रुपए प्रति कि.ग्रा. तक पहुंच गए थे। ऐसा तब हुआ जब सरकार ने निर्यात नीति में परिवर्तन करके निर्यात को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। हम वापस नियंत्रित श्रेणी में चले गए हैं क्योंकि कीमतें घटी हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक कीमतों का प्रश्न है, तो यदि कोई एक वस्तु है जिस पर लगातार बजट रखी जा रही है तो वह प्याज है क्योंकि हम प्याज की कीमतों का राजनीतिक प्रभाव जानते हैं जो वर्ष 1998 में हुआ। उनके अपने राजनीतिक दल को प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ा था।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय मल्होत्रा जी ने एक बात मंत्री जी को बताई कि कृषि मंत्रालय रिपोर्ट देकर बताता है कि 92 लाख टन प्याज की उपज हुई और आपने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 2006-07 में 66 लाख

मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ है और उसमें 13.75 लाख मीट्रिक टन, यानी करीब 20 परसेंट का निर्यात किया गया। आज आप चाहे कोई भी बात कहें लेकिन स्थिति यह है कि आप मेरे साथ किसी मार्किट में, आस-पास की किसी मार्किट में चलें, तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी 15 या 20 रुपए किलो से कम प्याज मिलेगा। इसके साथ एक तथ्य यह भी है कि कर्नाटक का किसान, जो प्याज पैदा कर रहा है उसे केवल दो रुपए किलो का भाव मिल रहा है। आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, वे केवल किसान के लिए हैं, आने जो 13 निर्यात की एजेंसियां बताई है, उनके लिए नहीं हैं। अगर बंगला देश, म्यांमार और नेपाल को प्याज की जरूरत है तो उसका लाभ देश के किसान को क्यों नहीं मिल सकता है? आप 13 एजेंसियां बना दें, चाहे नेफेड हो या कोई हो, उसे लाभ मिले और वह लाभ सरकार के खाते में जाए, लेकिन वह किसान जो मर रहा है, उसे देश में प्याज का मूल्य ऊंचा होने के बाद भी प्याज का मूल्य नहीं मिल रहा है—क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि किसान को भी दस रुपए किलो का भाव मिले? क्या आप इस दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं? वास्तव में हमारा यह मानना है कि जितना प्याज देश में किसान पैदा करता है, जैसे आपने बताया कि 90 लाख टन से ज्यादा पैदा नहीं हो सकता और उसमें से 20 परसेंट खराब हो जाता है, यह जानकारी में दिया है, मेरा आग्रह है कि अगर आपको किसान की कमर सीधी करनी है तो किसान को क्या भाव देने की आप गारंटी दे सकते हैं? हम चाहते हैं कि निर्यात भी हो और किसान को भी इसका लाभ मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे नहीं दोहराएं। एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराया जाना चाहिए।

श्री जयराम रमेश: मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि नेफेड और कृषि मंत्रालय के बीच उत्पादन अनुमानों में अंतर है। यह कुछ समय से जांचाधीन है। अनुमानों में अंतर काफी अधिक है। यह 67 लाख टन से 92 लाख के बीच है जैसाकि प्रोफेसर मल्होत्रा और माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यह एक चिंता का विषय है। कृषि मंत्रालय इन उत्पादन अनुमानों का आकलन कर रही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्याज का निर्यात निर्बाध नहीं है। *...(व्यवधान)* प्याज का निर्यात 13 सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुमान लगाती है आज न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रति टन 425 डालर है जो लगभग 17 रुपए प्रति कि.ग्रा. के बराबर बैठता है। 17 रुपए प्रति कि.ग्रा. से कम की किसी खेप का निर्यात नहीं किया जाता है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि निर्यात मुक्त रूप से हो रहा है जिसका घरेलू बाजार पर प्रभाव पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि निर्यात का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि किसानों को निर्यात मूल्य का पूर्ण लाभ मिलना चाहिए इसका लाभ बिचौलियों या व्यापारियों को नहीं मिलना चाहिए यही कारण है कि भारी संख्या में संपर्क एजेंसियां सहकारी समितियां हैं। यह धारणा है कि यदि कोई सहकारी समिति, सरकारी स्वामित्व वाली सहकारी समिति है, तो ऐसा समझा जाता है कि निर्यात मूल्यों से होने वाले लाभ किसानों तक पहुंच जायेंगे।

लेकिन माननीय सदस्य की चिंताओं से मैं सहमत हूं कि निर्यात का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इसका लाभ बिचौलियों को नहीं मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना, आपने जो ड्रेस पहन रखी है उसके हिसाब से अंग्रेजी बोलिये।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, माननीय मंत्री श्री जयराम रमेश जी कर्नाटक से हैं। मैं काफी प्रसन्न हूंगा। यदि वे कन्नड़ में उत्तर दें। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आज यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरे देश विशेषकर कर्नाटक में जहां स्थिति काफी दयनीय है, प्याज उत्पादकों की स्थिति से अवगत है। प्याज 2 रुपए अथवा 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. बेची जा रही है। प्याज उत्पादक प्याज के थोक मूल्य में भारी गिरावट के कारण आंसू बहा रहे हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय का विचार तत्काल प्रभाव से प्याज के उत्पादकों की रक्षा के लिए निर्यात नीति में संशोधन करने का है।

श्री जयराम रमेश: मैं कर्नाटक में आंध्र प्रदेश से आकर बसा हूं। क्या मैं उनका उत्तर अंग्रेजी में दे सकता हूं? *...(व्यवधान)*

मैं उन्हें अंग्रेजी में उत्तर दूंगा।

प्रश्न यह है कि उन्होंने जो पूछा है, यह पहले भी पूछा गया था। निर्यात का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। मैं इस बात से

---

* मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पूरी तरह सहमत हूं कि जो कुछ भी हुआ है वह यह है कि किसान न सिर्फ प्याज का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि अनेक कृषि वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहे हैं और वे निर्यात कीमतों का लाभ नहीं देख रहे हैं। यह बहुत चिन्ता की बात है। जहां तक कृषि मंत्रालय तथा सहकारिता का संबंध है, यह एक बिल्कुल सीधा प्रासंगिक मामला है। विशेषकर प्याज के मामले में जैसाकि मैंने उल्लेख किया है सरणीबद्ध एजेंसियां सहकारी समितियां हैं यह एक तर्कसंगत धारणा है कि सहकारी समितियां मोटे तौर पर अपने सदस्यों की लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती हैं। जो किसान होते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि हमें नियमत: कृषि उत्पादों और वस्तुओं के क्षेत्र में नीतियों का अनुपालन करना चाहिए और ऐसे संस्थान होने चाहिए जहां निर्यात मूल्य का लाभ प्राथमिक किसानों को मिले। यह दुग्ध के मामले में हो रहा है क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) जैसे संगठन हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्य कृषि-निर्यात के संबंध में हमारे पास ऐसे निकाय होंगे जिससे किसान लाभान्वित होंगे।

श्री एच. राजगोपाल: हमारे देश में प्याज का उपयोग इस देश के सभी क्षेत्रों और राज्यों में होता है। यह इस देश में एक सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है। कुछ राज्य की सरकारें विशेषकर प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के कारण गिर गई। आंध्र प्रदेश में आज प्याज की कीमत खुदरा बाजार में लगभग 18 रुपए है। राज्य सरकार प्याज पर राजसहायता प्रदान कर रही है और 7 रुपए प्रति किलोग्राम पर इसकी आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। वास्तव में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कभी भी प्याज का निर्यात करने की अनुमति प्रदान नहीं की है चाहे वह 17 रुपए प्रति किलोग्राम से कम क्यों न हो।

वास्तव में प्याज का संपूर्ण निर्यात सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। क्या निजी व्यापारियों को भी कोई लाभ दिया जा रहा है क्योंकि अधिक मूल्य का बीजक दिखाकर 17 रुपए प्रति कि.ग्रा. प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। हम माननीय मंत्री जी से यह समझना चाहते हैं कि क्या निजी व्यापारियों को कोई निर्यात लाभ दिया जा रहा है या नहीं? इस संबंध में वास्तविक नीति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय, प्याज के निर्यात का आकलन वर्ष 2003 से ही किया जा रहा है। यह कार्य ऐसा नहीं है जो आज ही किया जा रहा है। उपभोक्ता और किसानों के बीच संतुलन है। जब कीमत अधिक होती है तो हमारा इरादा आयात को नियंत्रित करने का होता है। यह नियंत्रित आयात नीति की शुरूआत वर्ष 2003 में हुई और इसकी निगरानी उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा यह देखने के लिए की जाती है जब बाजार में कीमत अधिक हो तो निर्यात में कटौती की जाए और कीमत में गिरावट हो तो निर्यात की अनुमति प्रदान की जाए। इस समय गत 2 महीनों में यह हुआ कि जब कीमतें अधिक हुई तो यह निर्णय लिया गया कि हमें निर्यात में कुछ कटौती करनी चाहिए। यह कर लिया गया और हमने 30 दिनों के भीतर मूल्यों में भारी गिरावट देखी। अब यह प्रश्न कि क्या इसका लाभ किसानों को जाएगा या नहीं निर्यात से संबंधित नहीं है। यह एक बड़े मुद्दे से संबंधित है जिसे कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय देख रहा है। यह देखना है कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का अथवा थोक मूल्य का अधिकतम लाभ अंतत: किसानों को मिले ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माफ करें। श्री आलोक मेहता।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आप किसान नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, बाजार में प्याज 3 रुपये प्रति किलो बिके या 30 रुपये प्रति किलो बिके, लेकिन किसान को मिनिमम प्राइस जो कंसिडर किया जाता है, वही मिल पाता है। एक्सपोर्ट की बातें होती हैं। प्याज के एक्सपोर्ट से ही, सिर्फ प्राइस प्रभावित हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस क्षेत्र में अध्ययन कराया है कि बिचौलियों के कारनामों की वजह से और जमाखोरी की वजह से प्याज के प्राइसेज में फ्लक्चुएशन होता रहता है और इसे बैलैन्स करने के लिए, ताकि प्रोड्यूसर को भी अच्छा प्राइस मिले और कंज्यूमर को भी ठीक प्राइस पर प्याज मिले, कोई समग्र योजना सरकार तैयार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कुछ दोहराए नहीं।

श्री जयराम रमेश: पिछले कुछ वर्षों में, प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है जो अच्छा ही है क्योंकि इसकी खपत भी बढ़ी है। इसका उपजाने वाले महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र पदेश जैसे

परंपरागत राज्यों के अलावा अन्य कई राज्यों जैसे कि कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार में भी उत्पादन आरंभ हुआ है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि, निर्यात के कारण अचानक दामों में बढ़ोत्तरी हुई है। बल्कि तथ्य यह है कि बार-बार इस बात की चिंता जताई गई है कि किसानों को पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है जो उपभोक्ता दे रहे हैं वह सही नहीं है। यदि हम 20 रुपये दे रहे हैं तो मूल्य का एक बड़ा भाग किसानों के पास जाना चाहिए। यह कृषि का एक बड़ा मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि निजी व्यापारी बहुत मुनाफा कमा रहे हैं।

श्री जयराम रमेश: वाणिज्य मंत्रालय में, प्रश्न निर्यात से जुड़ा हुआ है। प्याज के निर्यात के विषय में मैं यही कह सकता हूं कि जब कभी निर्यात के कारण प्याज के मूल्य में वृद्धि हुई है, वाणिज्य मंत्रालय नियंत्रण लागू कर देता है, लाइसेंस को आवश्यक कर देता है और हमने इसका प्रभाव देखा है। कल, आजादपुर मंडी में प्याज का थोक मूल्य घटकर 8 रुपए प्रति किलो हो गया, जिसके बारे में प्रो. मल्होत्रा भली-भांति जानते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास दर्ज मामले

***164. श्री के. सुब्बारायण:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कारागारों में पुलिस अत्याचारों तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) में राज्य-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के अत्याचारों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) "पुलिस" और "कारागार" सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों का संरक्षण करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों और अन्यों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य पुलिस बलों को सुग्राही बनाता रहा है।

कारागारों के अधीक्षण और प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश वाला एक मॉडल कारागार मैन्युअल भी राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी (1) 24 घंटों के अंदर हिरासती मौतों/हिरासती बलात्कारों की सूचना आयोग को देने; (2) विचारणाधीन कैदियों के स्वास्थ्य की आवधिक देखभाल और चिकित्सा जांच करने; (3) न्यायिक अधिकारियों द्वारा कैदियों की दशा देखने और सुधार के लिए सुझावों की सिफारिशें करने हेतु नियमित अंतरालों पर जेलों/कारागारों का दौरा किए जाने; (4) हिरासती अपराधों और पुलिस मुठभेड़ों आदि से निपटने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया अपनाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को निदेश/सिफारिशें जारी करता रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कारागारों में पुलिस अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज मामलों (राज्य-वार) की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		पुलिस	कारागार	पुलिस	कारागार	पुलिस	कारागार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	324	124	212	141	160	123
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	2	6	0	3	1
3.	असम	33	14	36	31	36	17

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	1325	203	1395	324	976	267
5.	गोवा	12	4	14	6	11	1
6.	गुजरात	300	59	178	54	285	62
7.	हरियाणा	1168	94	1218	93	1456	103
8.	हिमाचल प्रदेश	40	10	29	9	24	11
9.	जम्मू और कश्मीर	35	2	34	3	47	1
10.	कर्नाटक	150	65	140	85	141	62
11.	केरल	39	55	33	51	30	40
12.	मध्य प्रदेश	534	81	578	63	541	88
13.	महाराष्ट्र	334	162	273	131	500	157
14.	मणिपुर	9	0	5	0	7	0
15.	मेघालय	3	6	5	4	4	1
16.	मिजोरम	0	0	1	1	1	0
17.	नागालैंड	4	0	0	0	2	0
18.	उड़ीसा	190	56	155	55	113	63
19.	पंजाब	368	84	328	134	245	104
20.	राजस्थान	705	104	806	99	631	114
21.	सिक्किम	0	0	1	0	1	0
22.	तमिलनाडु	424	108	283	113	326	116
23.	त्रिपुरा	5	4	8	4	7	5
24.	उत्तर प्रदेश	20396	461	19315	487	21899	540
25.	पश्चिम बंगाल	238	90	171	79	199	80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6	1	2	2	4	0
27.	चंडीगढ़	48	4	40	5	34	2
28.	दादरा और नगर हवेली	3	0	1	0	1	0
29.	दमण व दीव	0	0	5	0	8	0
30.	दिल्ली	2151	91	1927	78	2192	76

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	13	1	9	1	11	2
33.	छत्तीसगढ़	110	30	126	55	166	60
34.	झारखंड	347	95	395	88	354	104
35	उत्तरांचल	653	20	648	28	681	33
	कुल	29970	2030	28377	2230	31096	2233

श्री के. सुब्बारायण: महोदय, अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने जेल प्रबंधन की नियम पुस्तिका का वर्णन किया है। लेकिन इसके बावजूद अत्याचार जारी है। पुलिस का बढ़ता अत्याचार पुलिस की औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।

क्या पुलिस कर्मियों के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि व्यवस्था की इस बुराई को समाप्त किया जा सके?

श्री शिवराज वि. पाटील: हां महोदय, यह किया जा रहा है। हम पुलिस को नागरिकों के साथ सही ढंग से पेश आने का प्रशिक्षण देना चाहते हैं।

श्री के. सुब्बारायण: क्या सरकार उन पुलिस कर्मियों को कड़ी सजा देने के लिए कोई कानून बनाएगी जो शक्ति का दुरूपयोग करते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, कानून में संशोधन किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। पहले, यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में मर जाता था तो जांच पड़ताल स्वयं पुलिस द्वारा की जाती थी। अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि जांच-पड़ताल का कार्य न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट) द्वारा किया जाएगा जिससे काफी मदद मिलती है। हमने यह भी प्रावधान किया है कि ओटोप्सी अर्थात पोस्ट-मार्टम जांच इस तरह से की जाए कि वास्तव में जो हुआ था, वे साक्ष्य सुनिश्चित रहें। पोस्ट-मार्टम जांच कैमरे के सामने की जाएगी जिसकी विडियों टेप बनाई जाएगी और दी जाएगी। इन सबसे मदद मिल रही है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा उत्तर में पुलिस और कारागार से संबंधित 2005, 2006 और 2007 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी रिपोर्टें आई हैं, उनके आधार पर उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने कितने कारागार या पुलिस से संबंधित लोगों पर कार्रवाई की है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में यह संख्या बहुत बढ़ी है। पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेन्ट्स आई हैं, उसकी संख्या 2004-05 में 20000 थी, 2005-06 में 19000 थी और 2006-07 में यह संख्या 21000 थी। प्रिजन्स की संख्या भी उसी अनुपात में उत्तर प्रदेश में बढ़ी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं जानना चाहता हूं कि आपने कार्रवाई क्या की है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माफ करें, आप कुछ जानकारी चाहते थे, उन्होंने वह दे दी है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, कार्रवाई का काम स्टेट गवर्नमैंट को करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमैंट की पुलिस करती है। हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइटस कमीशन है, उसके पास कंप्लेंट आने के बाद वह जांच पड़ताल करके स्टेट गवर्नमैंट को बताती है कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। एक कार्रवाई तो यह होती है कि अगर वह कंप्लेन्ट सही निकली, तो उसको कंपनसेशन देते हैं और दूसरे, जिसने यह काम किया है, उसके खिलाफ केस चलाए जाते हैं, उसे पनिश किया जाता है।

श्री राम कृपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इसमें जहां उत्तर प्रदेश की संख्या अधिक है, वहीं बिहार में भी इसकी संख्या बहुत अधिक है। चिन्ता का विषय यह है कि आप कानून बना रहे हैं, बावजूद उसके संख्या में कमी नहीं आ रही है और अत्याचार बढ़ रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके इतने प्रयासों के बाद भी जब यह नियंत्रित नहीं हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और तीन-चार प्रदेशों में जहां स्थिति बिल्कुल भयानक है, वहां आप कौन से कारगर कदम उठाएंगे? एक तरफ जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि तीन चार प्रदेशों में इसकी संख्या बढ़ रही है, वहां इनकी संख्या नगण्य हो जाए, इसके लिए क्या आपने कोई विचार और कार्रवाई करने का काम किया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि यह राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने प्रश्न पूछ लिया है। आप बैठिये।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, मैंने अभी बताया है कि एक तो हमने कानून में ही बदल कर दिया है। पहले कानून था कि अगर किसी आदमी की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती तो उसका इन्वेस्टीगेशन वहीं की पुलिस करती थी, मगर यह देखा गया कि उसमें बचाने की कोशिश रहती थी। इसलिए अब का जो कानून है, वह यह कहता है कि ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे केसेस में इन्वेस्टीगेशन करेगा। यह बहुत बड़ा बदल किया गया है। दूसरी बात यह कही गई है कि जब कभी ऐसे केसेस आते हैं, तो जिसका नुकसान होता है या जिसे हानि होती है, उसे कम्पेंसेशन देना चाहिए। उसमें भी बदल किया गया है। तीसरी जो बात मैंने अभी बताई, वह यह है कि मौत होने के बाद उसके शरीर का एग्जामिनेशन किया जाता है, उसकी तपासनी होती है, वह काम जो करना है, वह कैमरे के सामने करना है ताकि पूरी की पूरी मालुमात उसके सामने मिले। इस प्रकार के कदम एनएचआरसी द्वारा भी उठाए गए हैं और गर्वनमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अमेंड किया है तथा स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि अपनी पुलिस को इसकी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, यदि हम रिपोर्ट देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों के दौरान मानवाधिकार आयोग के पास दर्ज किए गए पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध और जेलों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, चूंकि यह उम्मीद की जा सकती है कि समय के साथ और सरकार द्वारा अपनाई जा रही नई कार्य-विधियों के साथ यह कम होना चाहिए। लेकिन मामला उलटा है। ऐसा क्यों है?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आदि के आकड़ों को देखें तो मामलों की संख्या ऐसे अन्य राज्यों विशेषकर इस जनसंख्या को देखें जहां इन क्षेत्रों के मामलों में जनसंख्या अधिक है, की औसत से बहुत अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में क्यों हैं, जहां मामलों की संख्या सामान्यत: अधिक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

आप राज्यों का नाम नहीं लें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, एक तो हमारी लोक संख्या बढ़ रही है और उसकी वजह से गुनाह भी बढ़ रहे हैं। कानून बनने की वजह से इन लोगों को पकड़ कर जेल में रखा जा रहा है। हमारे जेल बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं, उसमें रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को एक ही रूम में रखा जाता है, उससे भी तकलीफ होती है। असल में जेल का मामला पूरी तरह से स्टेट का है।

[अनुवाद]

यह विशेषकर राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं।

[हिन्दी]

जेल का मामला पूरी तरह से स्टेट का होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने उन्हें करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपया जेल की दुरूस्ती के लिए दिया है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और पैसे न खर्च

होने की वजह से जो दो साल में काम करना था, वह दो साल में न होने की वजह से, उसे और बढ़ा कर हमें टाइम देना पड़ रहा है। यही वजह है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप जो दिल्ली और आजू-बाजू का मामला बता रहे हैं, ये लोग बाहर से गुनाह करके यहां आ जाते हैं, यहां की पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, इसलिए आपको यहां इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं उन्होंने इसे शामिल किया है, श्री खन्ना, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है। डाटा हमें बताते हैं कि जब से पंजाब में नयी गवर्नमेंट आई है, उसके बाद ह्यूमन राइट वायोलेशन बॉय पुलिस कम हुई है। जैसा आपने बताया कि यह रिकमेंडेटरी आथोरिटी है, जो मेटर सामने आता है वह उसी स्टेट में, उसी पुलिस थाने में जाकर इन्वेस्टीगेट होता है। क्या आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोई नया मेकेनिज्म बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि ह्यूमन राइटस कमीशन के पास कुछ ताकत हो, जिसके जरिए वह इन्वेस्टीगेशन करवा सके और केस रजिस्टर करवा सके।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, यह कानून हमने कुछ दिन पहले ही बदला है। अब हमने ह्यूमन राइट्स एक्ट को बदल दिया है। पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहले जो कंपलेंटस आया करती थीं, उसे उन्हीं को देखना पड़ता था। अब हमने कानून बनाकर कहा है कि वे कंपलेंट्स यहां से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजी जा सकती है और वह उन कंपलेंट्स को देख सकता है, क्योंकि देश इतना बड़ा है कि सारे देश से आने वाली कंपलेंट्स की जांच, दिल्ली में स्थित नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत थोड़े लोग हैं। इसलिए हमने हर स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंपलेंट्स देखने का अधिकार दिया है। इस प्रकार का काम हमने किया है। हमारा नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पूरी तरह से बना हुआ है, मगर स्टेट्स के ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी तक पूरी तरह से नहीं बने हैं। उनके पास मैनपावर की भी कमी है और उनके पास जो दूसरे साधन होने चाहिए, उनकी भी कमी है। इस वजह से यह काम नहीं हो रहा है।

जहां तक प्रॉसीक्यूशन का मामला है, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉसीक्यूशन ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं करता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रॉसीक्यूशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सजैस्ट करता है और स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉसीक्यूशन करना पड़ता है। यदि डायरैक्ट ह्यूमन राइट्स की तरफ से प्रॉसीक्यूशन हो जाए, तो कुछ अड़चनें आने का सवाल था। इस पर हमने चर्चा की थी, मगर इसके ऊपर हम अमल नहीं कर सके हैं। अब जो स्थिति है, वह यह है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को बता दे और स्टेट गवर्नमेंट उसे प्रॉसीक्यूट करती है।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाओं में एक समान पाठ्यक्रम

***165. डा. आर. सेनथिल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं यथा एम्स, आई.आई.एम., आई.आई.टी के लिए प्रवेश परीक्षाएं सिर्फ सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जबकि कई राज्य बोर्ड ऐसे हैं जिनके पाठ्यक्रम सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में एकसमान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो समावेशी (इन्क्लुसिव) शैक्षिक नीति नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। चिकित्सा और इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का पाठ्यक्रम देश के विभिन्न विद्यालय शिक्षा बोर्डों की पाठ्यचर्याओं के एक समान घटकों पर सामान्यत: आधारित होते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अखिल भारतीय प्री मेडीकल/प्री डेन्टल प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं स्वयं आयोजित करते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की पात्रता स्नातक डिग्री है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा-संशोधित) के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को उस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के आधार पर निर्धारित किया जाना है जिसमें अन्य लचीले घटकों के साथ-साथ एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक और बहु-भाषाई देश में समग्र रूप से एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करना वांछनीय नहीं है क्योंकि शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने के लिए स्थानीय वातावरण और संस्कृति में इसे संदर्भ आधारित बनाए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, पूरे देश में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना एक समान है और विभिन्न राज्यों तथा परीक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्याओं के अनुरूप इसमें समानता और प्रासंगिकता की व्यवस्था की गई है।

डा. आर. सेनथिल: मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे प्रश्नों के दोनों उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं। प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न संस्थानों हेतु प्रवेश परीक्षा केवल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के पाठ्यक्रम पर आधारित है। उत्तर नकारात्मक है। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जानता हूं। मेरी पुत्री के पिछले वर्ष परीक्षा में बैठने और मेरी दूसरी बेटी के जो अगले वर्ष परीक्षा में भाग लेने जा रही है और जब मैंने वर्ष 1979 में जिस समय प्रवेश परीक्षा में बैठा था तब तक यह सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम पर ही आधारित हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाडु जहां 5,14,331 छात्र राज्य सरकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और 7,090 छात्र मैट्रीक के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, मात्र 7,090 छात्र सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जब छह लाख छात्र राज्य सरकार के पाठ्यक्रम और दूसरे पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं तो सी बी एस ई के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का क्या औचित्य है? सी बी एस ई पाठ्यक्रम के छात्र भा.प्र.से. और मा.पु.से. के अधिकारियों, ऊंची जाति के अभिजात्य वर्ग के लोग और शहर के लोग हैं। आपने वास्तव में ग्रामीण छात्रों का अवसर समाप्त कर दिया है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि एक समान पाठ्यक्रम अपनाएं जिसके बारे में आपने कहा है ऐसा सांस्कृतिक भिन्नता के कारण संभव नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम को और कम से कम उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम हो। यदि यह संभव नहीं है, तो कम से कम 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर पाठयक्रम एक समान हो लेकिन पूरे देश में आप एक समान पाठ्यक्रम क्यों नहीं अपना सकते। आप ऐसे क्या करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, नैशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के तहत हमारी जो नीति है, उसके अनुसार देश भर में हमारे कंट्री में जो 41 एजूकेशन बोड्र्स है, वे अपने सिलैबस तैयार करते हैं और हमारी सी.बी.एस.ई. जो भी एग्जाम लेती है, उसका बेस कभी भी केवल सी.बी.एस.ई. का सिलेबस नहीं होता, बल्कि 41 बोर्डो के जो भी सिलेबस होते हैं, उनके हिसाब से ही क्वैश्चन तैयार किये जाते हैं। अलबत्ता, यह बात सही है कि दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन-एक प्री-मैडीकल टैस्ट और दूसरा प्री-इंजीनियरिंग टैस्ट, सी.बी.एस.ई. कराती है, लेकिन उनका बेस कभी भी सी.बी.एस.ई. का सिलेबस नहीं होता है, बल्कि सभी 41 बोड्र्स, जिनमें तीन नैशनल बोड्र्स और 38 स्टेट बोड्र्स हैं उनके सिलेबस को सामने रखकर ही क्वैश्चन्स तैयार किए जाते हैं। इसलिए किसी स्टेट या बोर्ड के साथ किसी भी प्रकार के डिसक्रिमिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल: उत्तर स्वीकार्य नहीं है। तथापि मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। जब भारत में 80 से 90 प्रतिशत छात्र अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें मात्र 10 प्रतिशत छात्र किसी विदेशी भाषा नामत: अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हों तो मात्र अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित करने का क्या कारण है। यह ग्रामीण छात्रों को उच्चत्तर शिक्षा में प्रवेश से रोकने का दूसरा तरीका है। आप किसी विदेशी भाषा के बजाए सभी 18 भाषाओं में परीक्षा कब आयोजित करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन्स है, उनके जो भी रूल्स हैं, वे पहले से एनाउंस होते हैं। उसी के हिसाब से-पहले ही सिलेबस भी बता दिए जाते हैं-और उसी के हिसाब से एंट्रेंस एग्जामिनेशन्स लिए जाते हैं। मुल्क के अंदर दो लैंग्वेजेज हैं-एक इंग्लिश और दूसरी हिन्दी, जो हमारी नैशनल लेंग्वेज है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्य भाषाओं में क्यों नहीं?

इनका यही कहना है?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, चूंकि ये नैशनल लैवल के एग्जाम्स हैं, इसलिए मुल्क के अंदर जो दो लैंग्वेजेज हैं, एक नैशनल लैंग्वेज और दूसरी इंग्लिश, उन्हीं को कंसीडर करते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: सर, यह फैसला सही नहीं है।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल: सर, मैं आपके जरिए से, सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। आपकी वजह से और पंजाब का स्पीकर रहने की वजह से, मुझे बहुत बार विदेश जाने का मौका मिला है। आपने भी मुझे बाहर के मुल्कों में जाने का बहुत बार मौका दिया है। मुझे किसी भी मुल्क में यह देखने को नहीं मिला कि जहां गरीब के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ें और अमीर के बच्चे किसी दूसरे स्कूल में जाएं। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है और यहां के बच्चों की बदकिस्मती है कि यहां अमीर के बच्चे किसी स्कूल में और गरीब के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक कि हमारे देश के गांव तरक्की नहीं करते। हमारे गांवों के जो बच्चे हैं, वे मोस्टली उन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका इंतजाम स्टेट एजूकेशन बोर्ड करता है। स्टेट्स के एजुकेशन बोर्ड जिन स्कूलों का इंतजाम करते हैं या एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वे उन गांव के स्कूलों के एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिन गांवों में ऐसे स्कूल होते हैं, जहां टीचर नहीं होते, बिल्डिंगें नहीं होती और बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टियां तक नहीं होती। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसे दूसरे मुल्कों में एक ही सिलेबस होता है, उसी प्रकार क्या स्टेट्स के एजूकेशन बोर्ड्स के सिलेबस और सी.बी.एस.ई. का सिलेबस एक समान नहीं हो सकते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि गरीब का बच्चा, जो स्टेट एजूकेशन बोर्ड के सिलेबस के अनुसार पढ़ता है, वहां छठवीं के बाद से इंग्लिश शुरू होती है, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेता, लेकिन यह सत्य है कि 10वीं क्लास तक जाते-जाते वहां ड्रॉप आउट 89 परसेंट तक हो जाता है और जो 13 परसेंट बच्चे जाते भी है, वे ऐसा नहीं कि स्टेट एजूकेशन बोर्ड वाले होते हैं और फर्स्ट या सैकिंड डिवीजन लेने वाले होते हैं, बल्कि उनकी थर्ड डिवीजन या कंपार्टमेंट होती है। इस प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है कि तमाम हालात को सामने रखते हुए, महात्मा गांधी जी के सपने को सामने रखते हुए और दूसरे मुल्कों से सबक सीखते हुए, क्या सरकार यह सोचने के लिए तैयार है कि गरीब का बच्चा भी कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सके, जो गांव में रहता है, जो गांव से एजूकेशन लेता है और उसे बढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं होता। इसलिए क्या सरकार स्टेट एजूकेशन बोर्ड वाला सिलेबस और सी.बी.एस.ई. बोर्ड का सिलेबस एक करने के लिए तैयार है, ताकि गरीब का बच्चा भी महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए डॉक्टर और इंजीनियर बन सके ?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे कंट्री का नैशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क है, वह एक है। अब यह स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके जो एजूकेशन बोड्र्स है, जो अपना सिलेबस तैयार करते हैं, यदि वे सी.बी.एस.ई. जैसा सिलेबस तैयार करें या उसी रास्ते पर चलें। वे सी.बी.एस.ई. का जो कैरीकुलम है, उसे एडॉप्ट कर सकते हैं, यह उनकी मर्जी है। चूंकि यह मुल्क, कोई एक तरह का मुल्क नहीं है, इसलिए एक तरह के सिलेबस की बात, इस मुल्क में नहीं हो सकती है। किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी स्टेट ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? जब तक मंत्री जी के उत्तर को सुनेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: यहां के सोश्यल वैल्यूज अलग हैं। इसलिए सिलेबस का जो मूल आधार है, वह नैशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क है। उसके अंदर सारी चीजें हैं। जो भी चाहे, उसके अनुसार अपने सिलेबस को बना सकता है। हम किसी स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे बनाए हुए सिलेबस को मानें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आधे घंटे की चर्चा के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। मुझे इस बारे में एक सूचना प्राप्त होने की उम्मीद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस पर एक चर्चा होने दें।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

***166. श्री महावीर भगोरा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के पश्चात कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों में नामांकन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता में कटौती की है;

(ग) यदि हां, तो इसके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की धनराशि जारी करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सहायता की धनराशि में कटौती करने से पूर्व की गई योजना की समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के शुरू होने अर्थात वर्ष 1995-96 में प्राथमिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन 107.1 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 130.08 हो गया। तथापि, 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या में विपरीत डैमोग्राफिक रूझान के कारण हाल के वर्षों में कुछेक राज्यों में नामांकित बच्चों की संख्या में कमी आई है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्नों तथा परिवहन लागत को वहन करने हेतु वर्ष 1995-96 में जारी की गई केन्द्रीय सहायता 441.21 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 5233.47 करोड़ हो गई। प्राथमिक शिक्षा के मौजूदा मानदण्ड जिनमें पके हुए मध्याह्न भोजन का प्रावधान शामिल था, वर्ष 2004-05 तक यथावत थे तथा वर्ष 2006-07 में उनमें संशोधन किया गया। मध्याह्न भोजन योजना के लिए राज्यों/संघ राज्यों द्वारा कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किये गये, मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों के नामांकन संबंधी आंकड़े/संख्या के आधार पर तथा निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार विगत वर्षों में की गई केन्द्रीय रिलीज की खर्च न की गई शेष राशि के समाशोधन के बाद ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिक स्तर के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है:

(क) 100 ग्राम प्रति बच्चा/प्रति स्कूल दिवस की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल)

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 2.00 रुपए प्रति स्कूल बच्चा/प्रति स्कूल दिवस जिसमें 1.80 पैसे केन्द्रीय हिस्सा तथा 0.20 रुपए राज्य का हिस्सा है, की दर से कुकिंग लागत/शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.50 रुपए केन्द्रीय हिस्सा तथा 0.50 रुपए राज्य का हिस्सा होगा।

(ग) 60000 रुपये प्रति यूनिट की दर से किचन-सह-स्टोर का निर्माण।

(घ) 5000 रुपए प्रति स्कूल की दर से किचन उपकरणों की प्राप्ति।

(ङ) 1.10.07 से विशेष वर्ग वाले 11 राज्यों के लिए 125 रुपए प्रति क्विंटल तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से परिवहन लागत।

(च) खाद्यान्नों, परिवहन, कुकिंग लागत की कुल लागत के 2 प्रतिशत की दर से प्रबन्धन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन लागत।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है, उसमें मैंने बच्चों की संख्या घटने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने बच्चों की संख्या बढ़ने की बात कही है। वर्ष 1995-96 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और उस समय बच्चों की संख्या 107.1 मिलियन थी। इसके दस साल बाद बच्चों की संख्या 130.08 मिलियन बताई गई है। साथ ही नीचे उत्तर में बताया गया है कि जनसंख्या में विपरीत डेमोग्राफिक रूझान के कारण कुछ एक राज्यों में बच्चों के नामांकन की संख्या में कमी आई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह डेमोग्राफिक रूझान क्या है? इसके अलावा हमारे देश में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत आबादी की बढ़ोतरी होती है। इसमें आंकड़ों के बारे में नहीं बताया है और न कितनी कमी आई है, इसके बारे में बताया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह डेमोग्राफिक रूझान क्या है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, जहां तक इनरोलमेंट का सवाल है, यह बढ़ता ही गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे पहले लगभग 3.2 करोड़ थे, जो घटकर के करीब 75 लाख रह गए हैं। जहां तक डेमोग्राफिक चेन्ज की बात है, कई राज्यों में बच्चों की तादाद घट रही है, लेकिन जहां तक इनरोलमेंट का प्रश्न है, यह पूरे देश में बढ़ा है, खास तौर से जब से सर्व

शिक्षा अभियान शुरू किया गया है तब से बच्चों के इनरोलमेंट की तादाद बढ़ी है।

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, सरकारी व्यवस्थाओं से मध्याह्न भोजन की जो सामग्री सप्लाई की जाती है, वह घटिया किस्म की है। इस बारे में कल भी हाउस में चर्चा हुई थी कि लाल गेहूं इसके लिए सप्लाई की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम केवल खानापूर्ति कर रहे हैं? इसी तरह से सामग्री के वितरण एवं सप्लाई में समाचार पत्रों के माध्यम से जो गड़बड़ी की जानकारी हम लोगों को मिलती रही है, इस तरह की कितनी शिकायतें विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, जहां तक घटिया ग्रेन का सवाल पैदा है, यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया मुखतलिफ राज्यों को सप्लाई करती है। जब कभी भी कोई शिकायत मिसयूज ऑफ फूड ग्रेन्स की आती है तो उस पर हम फौरन कार्यवाही करते हैं, संबंधित राज्य सरकार से हम बातचीत करते हैं और उस पर कार्यवाही करते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यालयों की भर्ती से संबंधित उत्तर में एक कारण 'संभवत: छह और 10 वर्ष के आयु वर्ग में बाल जनसंख्या में विपरीत जनांकिकीय प्रवृत्ति के कारण' बताया गया है।

चूंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव और खराब मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के कारण प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में छात्र बीच में स्कूल छोड़ रहे हैं क्या सरकार भर्ती में कमी और मध्याह्न भोजन की कम खपत हेतु 'संभवत:' कहने के बजाए वास्तविक कारण का पता लगाने हेतु एक अध्ययन कराएगी?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि डेमोग्राफिक चेन्ज से इनरोलमेंट में कोई फर्क नहीं आया है। जब से यूपीए की सरकार आई है, तब से फूडग्रेन की मिकदार को भी बढ़ाया है। पहले यह 1:5 था, अब एजूकेशनली बेकवर्ड ब्लॉक्स में इसको बढ़ाकर 1:8 तक उपलब्ध करवा रहे हैं और पूरे देश में अगले साल से, हर ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं, उनको मिड डे मील उपलब्ध करवाया जाएगा, बढ़िया खाना उपलब्ध करवाया जाएगा।

जहां तक सवाल पैदा होता है, मैंने पहले भी कहा कि 3.2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, जिनमें से अब सिर्फ 75 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हम लोगों की बराबर कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी स्कूल के अन्दर लाया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल की अवधि समाप्त हो गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन

***167. श्री पी.सी. गद्दीगउडर:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रत्येक राज्य में कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे कृषि आधारित उद्योगों का संवर्धन किया जाता है जिनमें मुख्यत: दाल, अनाज, गुड़ और खांडसारी, पापड़, शहद, ताड़गुड़, फल, सब्जियां, खाद्य तेल आदि उत्पादों का उत्पादन और प्रसंस्करण होता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग सहित उद्योगों के संवर्धन तथा रोजगार सृजन हेतु दो राष्ट्र स्तरीय क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाएं नामत: ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) व प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आरईजीपी का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों के पात्र उद्यमियों को ग्रामोद्योग इकाईयों (कृषि-आधारित उद्योग सहित) की स्थापना के लिए किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरईजीपी के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कृषि आधारित इकाईयों की संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) ऐसे उद्योगों को अवसंरचनात्मक सहायता और सेवाएं प्रदान करने हेतु साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (आरआईएससी) योजना।

(2) उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग सुधारने के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता और पैकेजिंग (प्रोदीप) कार्यक्रम।

(3) उत्पादों का विपणन सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों आदि पर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए ग्रामोद्योग इकाईयों को सहायता।

(4) खादी, ग्रामोद्योग और कयर क्षेत्र के लगभग 100 पारंपरिक क्लस्टरों के विकास हेतु "पारम्परिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 2005-06 में आरंभ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार उत्पादन उपकरणों को बदलना, साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उत्पादों का विकास, नई डिजाइन, बाजार संवर्धन आदि की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग, जो विद्युत के प्रयोग सहित अथवा प्रयोग किये बिना कोई वस्तु का उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करता हो, के लिए प्रति कारीगर अथवा कामगार नियत पूंजी निवेश की सीमा राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये (पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख पचास हजार रुपए) कर दी गई है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन राज्य और संघ शासित प्रदेशों के जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवकों को कृषि आधारित इकाईयों सहित स्व-रोजगार इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। पीएमआरवाई का कार्यान्वयन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। चूंकि, योजना का कार्यान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों तथा निधियों का संवितरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और राज्य/संघ शासित सरकारों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए श्रेणीवार इकाईयों के आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमआरवाई के अन्तर्गत सहायता प्राप्त राज्यवार स्व-रोजगार इकाईयों की संख्या संलग्न विवरण- 2 में दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कृषि आधारित उद्योगों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	6	1	0
2.	दिल्ली	2	7	4
3.	हरियाणा	444	401	253
4.	हिमाचल प्रदेश	111	167	200
5.	जम्मू और कश्मीर	189	560	357
6.	पंजाब	336	175	423
7.	राजस्थान	567	727	571
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	238	50

1	2	3	4	5
9.	बिहार	163	276	512
10.	झारखंड	48	86	41
11.	उड़ीसा	385	260	384
12.	पश्चिम बंगाल	1007	809	1020
13.	अरुणाचल प्रदेश	12	19	39
14.	असम	443	891	718
15.	मणिपुर	30	26	59
16.	मेघालय	36	82	47
17.	मिजोरम	64	145	445
18.	नागालैंड	27	125	40
19.	त्रिपुरा	73	60	50
20.	सिक्किम	45	42	39
21.	आंध्र प्रदेश	789	550	484
22.	कर्नाटक	362	525	759
23.	केरल	356	486	237
24.	लक्षद्वीप	0	9	0
25.	पुडुचेरी	5	22	37
26.	तमिलनाडु	342	234	468
27.	गोवा	25	48	70
28.	गुजरात	84	205	48
29.	महाराष्ट्र	699	1254	1005
30.	छत्तीसगढ़	242	170	180
31.	मध्य प्रदेश	459	293	321
32.	उत्तराखण्ड	154	124	135
33.	उत्तर प्रदेश	860	614	712
	कुल	8366	9631	9708

विवरण II

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान पीएमआरवाई के अन्तर्गत सहायता प्राप्त स्व-रोजगार इकाईयों (संवितरित ऋण) की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	7755	9565	11447
2.	हिमाचल प्रदेश	2853	2929	3480
3.	जम्मू और कश्मीर	639	544	696
4.	पंजाब	8372	8043	8320
5.	राजस्थान	12919	13868	15207
6.	चंडीगढ़	206	72	47
7.	दिल्ली	819	682	526
8.	असम	8256	5671	4531
9.	मणिपुर	387	383	196
10.	मेघालय	568	564	454
11.	नागालैंड	109	2379	978
12.	त्रिपुरा	1747	2032	1904
13.	अरुणाचल प्रदेश	440	447	312
14.	मिजोरम	142	472	538
15.	सिक्किम	32	31	38
16.	बिहार	10396	12072	8016
17.	झारखंड	4804	4566	4858
18.	उड़ीसा	11339	12823	13821
19.	पश्चिम बंगाल	3796	4616	3415
20.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	142	150	118
21.	मध्य प्रदेश	20642	20909	20771
22.	छत्तीसगढ़	3276	3463	4128
23.	उत्तर प्रदेश	42534	40040	43077

1	2	3	4	5
24.	उत्तराखण्ड	6637	7404	7095
25.	गुजरात	6406	6347	6020
26.	महाराष्ट्र	21819	23817	20984
27.	दमन व दीव	4	14	4
28.	गोवा	45	43	21
29.	दादरा व नगर हवेली	22	24	3
30.	आंध्र प्रदेश	22542	21334	15275
31.	कर्नाटक	13931	19246	18512
32.	केरल	16553	21447	21170
33.	तमिलनाडु	16902	19534	21984
34.	लक्षद्वीप	4	5	0
35.	पुडुचेरी	329	348	375
	अन्य	897	1397	886
	अखिल भारतीय	248264	267281	259207

*अनंतिम।

पाम ऑयल का आयात

***168. श्री एस. अजय कुमार:**
श्रीमती सी. एस. सुजाता:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारी मात्रा में पाम ऑयल के आयात की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष पाम ऑयल का कितनी मात्रा में आयात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत पाम ऑयल का आयात मुक्त है। सरकार पाम ऑयल के आयात के लिए कोई विशिष्ट अनुमोदन प्रदान नहीं करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाम ऑयल के आयात की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

लाख मी. टन

वर्ष	पाम ऑयल
2004-05	35.03
2005-06	24.49
2006-07	27.66

खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन उनकी घरेलू मांग को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त है। उपभोक्ताओं को वहनीय कीमतों पर खाद्य तेलों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए आयातों की अनुमति दी जाती है।

बाल विवाह अधिनियम के बारे में जागरुकता

***169. श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल विवाह के संबंध में जनवरी, 2007 में नया कानून अधिसूचित होने के बाद बाल विवाहों और बाल विवाहों की रिपोर्ट देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्येक राज्य में कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 दिनांक 1.11.2007 से प्रभावी हुआ। इसलिए अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह रोकना है। इस अधिनियम का संबंध हमले आदि जैसे अपराधों से निपटना नहीं है। इन्हें आई पी सी के उपबंधों के तहत दर्ज करना होता है। जहां तक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले का संबंध है, इस संबंध में पृथक रूप से आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

शिक्षा संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

***170. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और "सर्व शिक्षा" योजना के बारे में असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अध्यापकों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता अथवा सर्व शिक्षा अभियान का समग्र मूल्यांकन करने हेतु कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित नहीं की है।

लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं हेतु रोजगार

***171. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करके ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं हेतु रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं को सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या प्रोत्साहन दिए गए, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) है। आर.ई.जी.पी. व प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों तक भी विस्तृत किया जा रहा है, के जरिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को शामिल करने के लिए तीव्र प्रयास कर रहा है। आर.ई.जी.पी. व प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अतिरिक्त, सरकार अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती है:-

(अ) व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रेड)

(ब) कोलेटरल सिक्योरिटी देने में असमर्थ महिलाओं द्वारा संचालित/स्वामित्व वाले उद्यमों, को दिए जाने वाले सभी ऋणों के 80 प्रतिशत की सीमा तक क्रेडिट गारंटी कवर।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने हाल में नई लाभदायक योजनाओं की घोषणा की है, जैसे:-

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत महिला उद्यमियों के क्लस्टरों के विकास और उनके प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष सहायता के रूप में 90 प्रतिशत तक अनुदान।

(2) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज में की गई घोषणा के अनुसार महिलाओं और लाभ से वंचित अन्य

वर्गों के लिए नि:शुल्क विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों (कौशल विकास/उद्यमिता विकास/प्रबंधकीय विकास, आदि) का आयोजन और उसके साथ हर प्रशिक्षु के लिए 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का प्रावधान।

(3) 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता के माध्यम से महिला उद्यमियों द्वारा बाजार तक पहुंच में सुधार।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों द्वारा रोजगार सृजन का लक्ष्य 44 लाख रखा गया था, जिसकी अपेक्षा लगभग 60.23 लाख व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों द्वारा रोजगार सृजन हुआ, जिनमें अनुमानत: 8 लाख महिलाएं थी। आरईजीपी और पीएमआरवाई के तहत पिछले तीन वर्षों में की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्रमश: विवरण 1 और 2 में दिया गया है। ट्रैड और क्रेडिट गारंटी के लिए दिए जाने वाले लाभों के अंतर्गत हुई प्रगति क्रमश: विवरण 3 और 4 में संलग्न है। उपरोक्त (1), (2) और (3) में उद्धृत लाभों के अंतर्गत हुई प्रगति वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध होगी, क्योंकि वर्तमान वर्ष के दौरान पहली बार ये नए लाभ कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित अतिरिक्त रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0	188	10	36	0	50
2.	दिल्ली	0	144	32	112	116	267
3.	हरियाणा	8208	35691	7696	26541	3095	28339
4.	हिमाचल प्रदेश	2493	12256	3040	12276	7115	17102
5.	जम्मू और कश्मीर	6629	9406	5302	18284	4952	23274
6.	पंजाब	7359	30665	4829	16654	9360	35604
7.	राजस्थान	9915	38287	18681	59596	14789	44168
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	93	1303	4495	0	323
9.	बिहार	1083	5049	3313	11445	3163	12334
10.	झारखंड	776	6855	1089	3756	747	7289
11.	उड़ीसा	3505	15241	2804	9670	4893	16311
12.	पश्चिम बंगाल	8779	36581	9582	36853	10727	42834
13.	अरुणाचल प्रदेश	251	1219	538	1857	631	2106
14.	असम	12470	25768	14382	49595	9273	30912
15.	मणिपुर	230	1313	120	416	351	1881
16.	मेघालय	920	3789	119	1962	585	2174

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मिजोरम	979	5180	5293	18255	4936	16455
18.	नागालैंड	622	3851	1609	5549	1803	3358
19.	त्रिपुरा	847	3227	1225	5616	1207	5851
20.	सिक्किम	542	3994	531	1750	662	2208
21.	आंध्र प्रदेश	20045	66463	34995	66050	32443	59750
22.	कर्नाटक	5648	19478	7867	27129	12726	42420
23.	केरल	4930	16434	8869	30586	9318	30144
24.	लक्षद्वीप	0	0	84	292	0	0
25.	पांडिचेरी	0	146	54	187	317	854
26.	तमिलनाडु	5749	19159	6059	20055	7684	25216
27.	गोवा	0	1670	232	801	446	1389
28.	गुजरात	2240	8581	5204	17947	4591	13520
29.	महाराष्ट्र	6948	25040	8959	30928	7375	27182
30.	छत्तीसगढ़	3197	18347	5687	17348	3146	17719
31.	मध्य प्रदेश	9341	40539	4455	15365	7460	22332
32.	उत्तराखंड	1583	10471	1734	10948	2348	10962
33.	उत्तर प्रदेश	14867	64900	12648	45322	13388	51123
	कुल	140156	530025	178345	567676	179647	595451

विवरण II

पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05			2005-06			2006-07		
		कुल संवितरण में से महिलाओं को संवितरित ऋण		अनुमानित सृजित रोजगार	कुल संवितरण में से महिलाओं को संवितरित ऋण		अनुमानित सृजित रोजगार	कुल संवितरण में से महिलाओं को संवितरित ऋण		अनुमानित सृजित रोजगार
		संख्या	राशि		संख्या	राशि		संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी क्षेत्र										
1.	हरियाणा	686	372.46	1029	856	467.01	1284	774	428.66	1161
2.	हिमाचल प्रदेश	301	231.46	452	353	284.59	530	403	337.19	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	जम्मू और कश्मीर	46	35.41	69	90	74.83	135	81	86.90	122
4.	पंजाब	934	565.48	1401	1062	657.93	1593	950	629.18	1425
5.	राजस्थान	991	500.19	1487	1032	602.94	1548	1745	967.84	2618
6.	चंडीगढ़	66	44.47	99	40	27.75	60	5	2.85	8
7.	दिल्ली	110	73.13	165	92	60.49	138	58	45.50	87
उत्तर पूर्वी क्षेत्र										
8.	असम	284	201.10	426	448	302.60	672	166	141.67	249
9.	मणिपुर	32	16.75	48	69	52.70	104	12	13.75	18
10.	मेघालय	33	28.20	50	112	87.24	168	17	16.15	26
11.	नागालैंड	14	13.26	21	628	880.05	942	177	191.78	266
12.	त्रिपुरा	324	187.15	486	454	298.55	681	210	201.51	315
13.	अरुणाचल प्रदेश	11	7.60	17	96	83.40	144	25	11.00	38
14.	मिजोरम	2	1.20	3	52	40.95	78	20	15.22	30
पूर्वी क्षेत्र										
15.	बिहार	951	770.47	1427	813	608.20	1220	633	422.66	950
16.	झारखंड	458	361.65	687	366	283.08	549	306	214.41	459
17.	उड़ीसा	885	439.85	1328	1267	879.43	1901	1617	614.60	2426
18.	पश्चिम बंगाल	357	234.77	536	512	339.33	768	593	450.50	890
19.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	25	16.64	38	22	14.32	33	16	13.20	24
20.	सिक्किम	5	3.60	8	8	5.70	12	8	5.40	12
मध्य क्षेत्र										
21.	छत्तीसगढ़	279	180.13	419	385	250.49	578	441	180.50	662
22.	मध्य प्रदेश	2168	1266.41	3252	2041	1208.04	3062	1862	1091.71	2793
23.	उत्तराखण्ड	745	531.32	1118	730	518.17	1095	805	545.15	1208
24.	उत्तर प्रदेश	3159	2304.80	4739	2793	1941.79	4190	3337	2050.73	5006
पश्चिमी क्षेत्र										
25.	गुजरात	1041	404.56	1562	1323	516.45	1985	785	281.17	1178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	महाराष्ट्र	4015	2349.26	6023	5393	2127.83	8090	3220	1721.17	4830
27.	दमन व दीव	1	0.45	2	0	0.00	0	0	0.00	0
28.	गोवा	8	5.83	12	7	5.34	11	5	3.50	8
29.	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0	8	4.00	12	0	0.00	0
दक्षिणी क्षेत्र										
30.	आंध्र प्रदेश	3637	2049.24	5456	3960	2291.80	5940	1955	1285.48	2933
31.	कर्नाटक	2998	1742.58	4497	3415	1956.28	5123	2894	1646.65	4341
32.	केरल	5933	2660.95	8900	5989	2680.72	8984	6128	2195.64	9192
33.	तमिलनाडु	5253	1852.84	7880	6051	2231.05	9077	5718	2233.39	8577
34.	लक्षद्वीप	1	0.50	2	0	0.00	0	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	71	27.91	107	106	39.55	159	91	43.17	137
	उल्लिखित नहीं	58	44.97	87	114	110.55	171	0	0.00	0
	अखिल भारतीय	35882	19526.59	53823	40687	21933.15	61031	35057	18088.23	52586

आर बी आई/क्यू पी आर रिपोर्टों पर आधारित।

1.5 प्रति संवितरित मामले पर सृजित अनुमानित रोजगार।

विवरण III

व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रेड) योजना की उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	जारी किया गया भारत सरकार का अंशदान			महिला लाभार्थियों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	8.67	1.95	2.50	97	178	
2.	उत्तरांचल	7.00	3.00	3.00	69	75	60
3.	कर्नाटक	10.00			19		
4.	दिल्ली		1.00			72	
5.	पश्चिम बंगाल		5.00	5.25		235	60
6.	मध्य प्रदेश		5.00			100	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	तमिलनाडु		14.25	22.05		640	474
8.	उत्तर प्रदेश		10.00	6.00		200	120
9.	गुजरात		1.73	1.25		100	0
10.	मणिपुर			2.00			40
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (ल.उ.से.सं.)			0.60			
12.	ल.उ.से.सं.			3.90			
	कुल	25.67	41.93	46.55	185	1600	754

विवरण IV

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट 30 सितंबर, 2007 को अनुमोदित राज्यवार गारंटियां (समग्र)

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला उद्यमी		कुल प्रस्ताव		प्रतिशत	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रुपये में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4	4.49	28	41.32	14.29%	10.86%
2.	आंध्र प्रदेश	2298	2260.59	6291	7667.18	36.53%	29.48%
3.	अरुणाचल प्रदेश	55	37.50	138	158.29	39.86%	23.69%
4.	असम	497	866.26	2252	4887.21	22.07%	17.72%
5.	बिहार	548	1009.65	3398	4755.45	16.13%	21.23%
6.	चंडीगढ़	34	259.34	166	1198.04	20.48%	21.65%
7.	छत्तीसगढ़	153	1084.44	991	5690.03	15.44%	19.06%
8.	दादरा व नागर हवेली	2	10.00	13	83.28	15.38%	12.01%
9.	दमन व दीव	4	35.00	23	239.75	17.39%	14.60%
10.	दिल्ली	69	474.38	353	3009.52	19.55%	15.76%
11.	गोवा	40	98.38	183	800.82	21.86%	12.29%
12.	गुजरात	379	1524.73	2275	14520.03	16.66%	10.50%
13.	हरियाणा	729	851.20	2417	4849.04	30.16%	17.55%

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	हिमाचल प्रदेश	363	423.23	1321	2398.63	27.48%	17.64%
15.	जम्मू और कश्मीर	366	196.44	866	802.89	42.26%	24.47%
16.	झारखंड	133	430.96	1555	7171.12	8.55%	6.01%
17.	कर्नाटक	1072	4614.99	6118	30435.74	17.52%	15.16%
18.	केरल	4968	4030.90	13235	18534.34	37.54%	21.75%
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	1	0.50	0.00%	0.00%
20.	मध्य प्रदेश	765	1533.02	3454	9296.23	22.15%	16.49%
21.	महाराष्ट्र	276	1737.98	1805	13203.20	15.29%	13.16%
22.	मणिपुर	46	68.39	101	149.65	45.54%	45.70%
23.	मेघालय	91	182.76	254	752.01	35.83%	24.30%
24.	मिजोरम	130	205.39	284	450.05	45.77%	45.64%
25.	नागालैंड	31	104.19	93	259.86	33.33%	40.09%
26.	उड़ीसा	975	1604.80	4998	7557.66	19.51%	21.23%
27.	पुडुचेरी	21	154.50	232	563.72	9.05%	27.41%
28.	पंजाब	332	497.13	1485	4504.14	22.36%	11.04%
29.	राजस्थान	663	798.51	3319	3939.13	19.98%	20.27%
30.	सिक्किम	20	47.99	72	204.18	27.78%	23.50%
31.	तमिलनाडु	1480	5034.19	9160	32930.32	16.16%	15.29%
32.	त्रिपुरा	28	26.74	232	304.80	12.07%	8.77%
33.	उत्तर प्रदेश	1195	2165.59	9453	13388.44	12.64%	16.18%
34.	उत्तरांचल	44	210.72	239	1397.45	18.41%	15.08%
35.	पश्चिम बंगाल	761	2625.79	4540	19076.00	16.76%	13.76%
	कुल	18572	35210.14	81345	215220.01	22.83%	16.36%

महिला उद्यमियों के प्रस्ताव	संख्या	राशि
31 मार्च 2005 की स्थिति	4898	7998
31 मार्च 2006 की स्थिति	7304	15625
31 मार्च 2007 की स्थिति	15430	27817

आपदा जोखिम कम करने संबंधी एशियाई देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन

***172. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा जोखिम कम करने संबंधी एशियाई देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाल ही में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चा के मुद्दों का ब्यौरा क्या है और चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने आपदा कम करने की संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यू एन आई एस डी आर), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी), विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यू एन ई एस सी ए पी), एशियाई विकास बैंक (ए डी बी), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यू एन आई सी ई एफ), एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र (ए डी पी सी), एशियाई आपदा कम करने का केन्द्र (ए डी आर सी), विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी (एस डी सी) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू एस ए आई डी) सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिल कर एशियाई देशों के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

सम्मेलन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की 51 राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठनों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों ने भाग लिया। सम्मेलन में निम्नलिखत मुद्दों पर चर्चा की गई:

* जनवरी, 2005 में कोबे, जापान में हुए आपदा कम करने संबंधी विश्व सम्मेलन में 168 देशों द्वारा अपनाए गए "2005-2015 की कार्रवाई के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क: आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों की समुत्थान शक्ति का निर्माण करना" के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सरकारों और अन्य स्टैक होल्डरों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना;

* सितम्बर, 2005 में बीजिंग, चीन में हुए आपदा जोखिम कम करने संबंधी पहले एशियाई सम्मेलन में अपनाई गई एशिया में आपदा जोखिम कम करने के लिए बीजिंग कार्रवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा;

* राष्ट्रों में सरकारों के अंदर और उनके बाहर सहयोग को बढ़ावा देने और उसे बढ़ाने के लिए एशिया के विभिन्न उप-क्षेत्रों में की गई पहलें;

* विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित आपदा की तैयारी, सार्वजनिक-प्राइवेट साझेदारी आदि का उपयोग करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम करने की बेहतरीन प्रथाओं और सीखी गई सीख को एक दूसरे के साथ बांटना और उसका आदान-प्रदान करना; और

* एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम कम करने के लिए एक दृष्टिकोण और रोडमैप का विकास करना।

अंत में सम्मेलन ने "दिल्ली घोषणा, 2007" अपनाई जिससे आपदा जोखिम कम करने के लिए सुदृढ़ क्षेत्रीय भागीदारी हेतु रास्ता साफ होगा तथा साथ ही राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया और यू एन एजेंसियों की भागीदारी से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कार्रवाई के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क का कारगर कार्यान्वयन भी होगा।

[हिन्दी]

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

***173. श्री सुभाष महरिया:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण विनियमन, 2003 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निजी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) तीन प्राइवेट विश्वविद्यालयों नामत: हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय, देहरादून और आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय देहरादून, दोनों

उत्तराखण्ड विधायिका के अधिनियमों द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश विधायिका के अधिनियम द्वारा स्थापित एमिटी विश्वविद्यालय, नोयडा द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानकों का अनुरक्षण) विनियमन 2003 के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जबकि पहली दो शिकायतों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त विश्वविद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा है और तीसरे मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन

***174. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा देश में कितने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को प्रत्यायित किया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित निकाय द्वारा बड़ी संख्या में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का गुणवत्ता और मानकों के लिए कभी भी मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शिक्षा संबंधी मानकों में सुधार करने के लिए सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन दिलाया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना, 1992 के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (सी.सी.सी.) के तहत उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की थी। इसके बावजूद कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद केवल स्वैच्छिक आधार पर प्रत्यायन कर रही है तथापि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद अब तक 140 विश्वविद्यालयों एवं 3492 कॉलेजों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कर सकी है। संस्थाओं के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन में तीव्रता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने 1 अप्रैल 2007 से एक नयी प्रणाली शुरू की है।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन

***175. श्री मो. ताहिर:**
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दूरसंचार (टेलीकॉम) की एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई पी टी वी) के माध्यम से प्रसारण सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई पी टी वी के माध्यम से टी.वी. चैनलों के साथ-साथ इंटरनेट टी.वी. चैनल भी प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आई पी टी वी प्लेटफार्म के माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रसारण को किस प्रकार नियंत्रित किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई पी टी वी) एक सर्वर से आई पी उपकरणों में विडियो स्ट्रीम भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रयोग करने का एक साधन है। दूरसंचार विभाग द्वारा पहुंच सेवा लाइसेंसधारकों को जारी किए गए सेवा लाइसेंस के अनुसार उन्हें आई पी टी वी सेवाओं की अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) जैसे दूरसंचार लाइसेंसधारक आई पी टी वी सेवाओं के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त , 100 करोड़ रुपये से अधिक या समतुल्य मूल्य वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात आई पी टी वी सेवाओं को उपलब्ध कराने की भी अनुमति दे दी गई है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत पंजीकृत केबल टी वी ऑपरेटर बिना किसी अन्य लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता के आई पी टी वी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रौद्योगिकी में उन्नति और बैंडविड्थ की तीव्रतर गति की उपलब्धता के कारण आई पी टी वी सेवाएं संभव हो पाई है। यह

सेवा विविध स्रोतों से विषय-वस्तु उपलब्ध कराने में सक्षम है जिसमें उपर्युक्त के अलावा प्रसारण चैनल, इंटरनेट आधारित विषय-वस्तु या सर्वरों पर प्रस्तुत विषय-वस्तु शामिल होगी। सरकार नीतिगत दिशा-निर्देशों को तैयार करने की प्रक्रिया में है कि विविध स्रोतों से प्राप्त ऐसी विषय-वस्तु को कैसे विनियमित किया जा सकता है विशेषकर जब इसे दूरसंचार विभाग के पहुंच सेवा लाइसेंस धारकों द्वारा उपलब्ध कराया गया हो। संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए दूरसंचार विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक संयुक्त समूह गठित किया गया था और संयुक्त समूह ने सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी जांच की जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आई पी टी वी सेवाओं का प्रावधान करने और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में एक परामर्श पत्र भी जारी किया है। इस मुद्दे पर ट्राई की सिफारिशों की भी प्रतीक्षा है।

(ङ) भारतीय तार-संचार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारतीय तार-संचार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस के तहत आपत्तिजनक/अश्लील विषय-वस्तु को निषिद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी विषय-वस्तु का प्रसारण उक्त अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध किया जा सकता है। ऐसी विषय-वस्तु पर समय-समय पर यथा-संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान भी लागू होते हैं। जहां तक केबल ऑपरेटरों का संबंध है, ऐसी विषय-वस्तु केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निषिद्ध है।

[हिन्दी]

भारत और अन्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता

***176. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत और अन्य कई देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ अप्रैल, 2007 से मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) उक्त समझौते के अंतर्गत करों में कितनी न्यूनतम और कितनी अधिकतम कटौती की जा सकती है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त समझौते के अंतर्गत वार्षिक निर्यात और आयात का औसत मूल्य कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ निम्नलिखित मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

समझौते का नाम	हस्ताक्षर/नवीकरण की तिथि	टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम
1	2	3
भारत-श्रीलंका एफटीए	28 दिसम्बर, 1998	मार्च, 2003 से श्रीलंका में निर्मित वस्तुओं का शून्य शुल्क पर प्रवेश (नकारात्मक सूची और टीआरक्यू सूची में उल्लिखित मदों को छोड़कर)।
साफ्ट संबंधी करार	4 जनवरी, 2004	टैरिफ रियायतें 1 जुलाई, 2006 से कार्यान्वित। सार्क अल्प विकसित देशों के मूल की वस्तुओं का दिसम्बर, 2007 तक शून्य शुल्क पर और अल्प विकसित देशों से इतर देशों के लिए सात वर्षों में 0-5% शुल्क पर प्रवेश। संवेदनशील सूची में रखी गई मदों पर कोई रियायत नहीं।
भारत-सिंगापुर सीईसीए	29 जून, 2005	टैरिफ रियायतें 1 अगस्त, 2005 से कार्यान्वित। अप्रैल, 2009 में शून्य शुल्क (नकारात्मक सूची में उल्लिखित मदों को छोड़कर)

1	2	3
भारत-नेपाल व्यापार संधि	6 मार्च, 2007 से नवीकृत	यह समझौता 6 मार्च, 2007 से 5 मार्च, 2012 तक वैध है। वस्तुओं के शून्य शुल्क पर प्रवेश की पहले से ही अनुमति है (नकारात्मक सूची और टीआरक्यू सूची में उल्लिखित मदों को छोड़कर)
भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य एवं पारगमन करार	29 जुलाई, 2006 से नीवकृत	यह समझौता 29 जुलाई, 2006 से 10 वर्षों के लिए वैध है। वस्तुओं के शून्य शुल्क पर प्रवेश की पहले से ही अनुमति है।

(घ) वर्ष 2004 से 2007 तक की अवधि के दौरान इन देशों को किए गए निर्यातों और वहां से किए गए आयातों का भारत का औसत मूल्य निम्नानुसार है:-

(मूल्य मिलियन अम. डॉलर में)
(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े)

देश	भारत द्वारा निर्यात	भारत में आयात
बांग्लादेश	1641.11	138.3
भूटान	80.42	100.4
मालदीव	61.3	1.88
नेपाल	843.87	343.88
पाकिस्तान	853.29	199.26
श्रीलंका	1897.81	475.58
सिंगापुर	5148.99	3825.11

[अनुवाद]

स्वास्थ्य के अनुकूल पेंट विनिर्माण हेतु मानदंड

*177. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेंट विनिर्माण हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में उपलब्ध पेंट में अधिक मात्रा में सीसा मिला हुआ होता है जिससे स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो बाजार में स्वास्थ्य के अनुकूल पेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जो कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय के तहत है, ने विभिन्न प्रकार के पेंटों के मानक तय किए हैं। प्रत्येक उत्पादन नमूने की जांच एवं उसके मानकों पर खरा उतरने के बाद ही विनिर्माताओं को लाइसेंस दिए जाते हैं। बीआईएस ने पैंटों, वार्निशों और संबंधित उत्पादों के लिए ''क'', ''ख'' और ''ग'' के रूप में वर्गीकृत 27 मानक तय किए हैं। क के रूप में वर्गीकृत पेंटों के लिए सीसे की मात्रा 0.03 प्रतिशत से कम है जबकि श्रेणी ख के लिए यह 0.03 प्रतिशत से लेकर 0.1 प्रतिशत से कम तक है। श्रेणी ग के लिए सीसे की मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक और 4.18 प्रतिशत से कम है।

बीआईएस ने पेंट्स, वार्निशेज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेक्शनल कमिटी गठित की है ताकि वर्तमान प्रौद्योगिकी, बाजार मांग, व्यावसायिक व्यवहार्यता, पारिस्थितिकीय पहलु, सुरक्षा पहलू एवं स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए इन 27 मानकों की समीक्षा की जा सके, जिनमें सीसे की सीमा भी शामिल है। बीआईएस इन 27 मानकों पर संशोधनों का मसौदा तैयार कर रहा है और उसे अंतिम रूप देने से पहले सभी संबद्ध पक्षों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उनमें इसे परिचालित करेगा।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार

*178. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में माध्यमिक शिक्षा में सुधार संबंधी कार्यक्रम के क्या संघटक हैं;

(ख) सुधारों को नियत और कार्यान्वित करने में कौन-कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं;

(ग) ऐसे कार्यक्रम के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ने की संभावना है और सरकार का विचार इन संसाधनों को किस प्रकार जुटाने का है; और

(घ) इस कार्यक्रम के भागीदारों (स्टेक होल्डरों) का ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इनके कार्य-निष्पादन की निगरानी किस प्रकार करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार ने 11वीं योजनावधि के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की सर्वसुलभता एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयोजनार्थ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तरोन्नयन तथा मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के जरिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना।

(2) बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

(3) पाठ्यचर्या सुधार, परीक्षा सुधार, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षण/अध्ययन परिवेश को सुदृढ़ बनाना और अधिक प्रभावी स्कूल प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के जरिए गुणवत्ता सुधार करना।

इस प्रक्रिया में शामिल विशेषज्ञ एजेंसियों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और राज्य सरकारों से संबंधित एजेंसियां शामिल हैं।

इस कार्यक्रम हेतु अपेक्षित संसाधनों की मात्रा अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संसाधनों में मौजूदा अंतराल पर निर्भर करती है जिसका निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी। इन संसाधनों की आपूर्ति राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बजट से और कुछ हद तक सार्वजनिक-निजी सहभागिता के जरिए की जाएगी। केन्द्र सरकार ने करों पर 1 प्रतिशत का उपकर भी लगाया है जिसका उपयोग माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा हेतु किया जाएगा।

इस कार्यक्रम से जुड़े स्टेकहोल्डरों में सामान्य रूप से केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, माता-पिता और नागरिक समाज शामिल है। स्टेकहोल्डरों को अनुवीक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

कम्प्यूटर साधित शिक्षण योजना

*179. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में कोई विशिष्ट कम्प्यूटर साधित शिक्षण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस वर्ष इस योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) राज्य सरकारों को इस संबंध में क्या निदेश जारी किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) कंप्यूटर साधित अध्ययन केन्द्रीय प्रायोजित योजना "सर्व शिक्षा अभियान" का ही एक घटक है और यह कम्प्यूटर साक्षरता तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित अध्ययन हेतु है। इस कार्यकलाप हेतु "नवाचार" शीर्ष के तहत 15 लाख रुपये प्रति जिला प्रति वर्ष का प्रावधान है। मार्च, 2007 तक यह कार्यक्रम 25928 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलाए जा रहे थे जिससे 48.19 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे थे।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में कंप्यूटर अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को वित्तपोषित करने के निमित्त "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मौजूद है ताकि विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सके और साथ ही कंप्यूटर साधित शिक्षण एवं अध्ययन की व्यवस्था की जा सके। वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के

तहत 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। वर्ष के प्रारंभ में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्कूलों को कवर करने संबंधी प्रस्ताव सहित स्कूलों हेतु अपनी कंप्यूटर शिक्षा योजनाओं को ब्यौरा दें।

व्यापार विकास सूचकांक में भारत का स्थान

*180. **श्री अधीर चौधरी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने व्यापार विकास सूचकांक में भारत को 123 देशों में 86वें स्थान पर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार विकास सूचकांक में भारत के स्थान के काफी पीछे होने के कारणों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2007 में विकासशील देश-व्यापार विकास सूचकांक (टीडीआई)" में भारत को 86वें स्थान पर रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2005 में 90वें स्थान से बढ़कर 2006 में 86वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि इसके समग्र टीडीआई अंक 2005 में 413 से बढ़कर 2006 में 433 हो गए हैं। भारत के टीडीआई अंकों से यह भी पता चलता है कि इसका निविष्टि माप सूचकांक (एमआई) 549 से बढ़कर 576 हो गया है और इसका परिणाम माप सूचकांक 277 से बढ़कर 290 हो गया है।

(ग) और (घ) व्यापार विकास सूचकांक (टीडीआई) में यह दर्शाया गया है कि भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त, वृहद आर्थिक स्थिरता, घरेलू वित्त, वित्तीय मध्यस्थता, संस्थागत गुणवत्ता एवं व्यापार निष्पादन सहित अनेक संघटकों में विशेष रूप से कार्य निष्पादन किया है। दूसरी ओर मानव पूंजी, भौतिक अवसंरचना, आर्थिक संरचना, पर्यावरणीय निरंतरता, व्यापार में खुलेपन, विदेशी बाजार पहुंच तथा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। रिपोर्ट में उभरती हुई सात अर्थव्यवस्थाओं (ई-7) की एक नई अवधारणा निरूपित की गई है, जिसमें भारत को अन्य सदस्यों अर्थात ब्राजील, चीन, कोरिया गणराज्य, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल किया गया है।

(ङ) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत और चीन अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं तथा व्यापार स्तरों में दो दशकों की उल्लेखनीय वृद्धि के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण देश बन गए हैं। यह वर्ष 2003 से 2006 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 8.6% की औसत वृद्धि दर और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका में प्रदर्शित होता है।

[हिन्दी]

संज्ञेय अपराध

1390. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संज्ञेय अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इनके जिम्मेदार अपराधियों की पहचान नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु कोई अनुसंधान नीति तैयार की है अथवा फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह गठित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो अपराधियों को पकड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 के दौरान देश में भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) और विशेष तथा स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध के क्रमश: कुल 6028781, 5026337 और 5102460 मामले सूचित किए गए हैं, जो कि मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

(ग) वर्ष 2004 से 2006 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) को यथासूचित

आई पी सी और एस एल एल के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों और दोष सिद्ध व्यक्तियों के राज्य/संघ शासित वार ब्यौरे संलग्न विवरण 1 से 3 में दर्शाए गए हैं।

(घ) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं, अत: राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के जरिए अपराधियों को अभियोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध की रोकथाम के मामले को उच्चतम महत्व प्रदान करती है तथा अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक ऐसे उपाय करने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को सुधारने के लिए सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर सलाह जारी करती रहती है। सभी प्रकार के संज्ञेय अपराधों से निपटने तथा ऐसे अपराधों के कर्ताओं का पता लगाने के लिए न्यायिक विश्लेषणात्मक हल प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं मे पर्याप्त संख्या में न्यायिक विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

विवरण I

वर्ष 2004 के दौरान आई पी सी और एस एल एल के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सी आर), आरोप पत्रित मामले (सी एस), दोष सिद्ध मामले (सी वी), गिरफ्तार व्यक्ति (पी ए आर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी सी एस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पी सी वी)

		आई पी सी मामले						एस एल एल मामले						कुल मामले					
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	156756	113479	29496	214763	200094	49792	452858	450886	435266	470677	469177	450554	611614	564365	464762	685440	669271	500346
2.	अरुणाचल प्रदेश	2256	1160	269	2788	1628	451	101	47	4	80	43	10	2357	1207	273	2868	1671	461
3.	असम	40675	21503	3518	66762	39354	6120	2987	2453	847	3053	2550	582	43662	23956	4365	69815	41904	6702
4.	बिहार	108060	58994	6541	220666	168865	12595	9213	5946	1309	13993	11628	2022	117273	64940	7850	234659	180493	14617
5.	छत्तीसगढ़	41927	34614	10387	56559	57286	18485	143472	143619	135160	158561	157961	139835	185399	178233	145547	215120	215247	158330
6.	गोवा	2127	1287	319	2376	1959	443	4770	4650	3030	5212	5101	3449	6897	5937	3349	7588	7060	3892
7.	गुजरात	105469	80490	7782	142866	142882	10137	167644	164490	20326	213828	211900	23989	273113	244980	28108	356694	354782	34126
8.	हरियाणा	39096	27794	11787	54546	53756	19599	25167	24516	16281	30345	30225	19897	64263	52310	28068	84891	83981	39496
9.	हिमाचल प्रदेश	12326	9921	1504	18168	18085	1823	4703	4501	721	5551	5536	873	17029	14422	2225	23719	23621	2696
10.	जम्मू और कश्मीर	21191	14757	4126	28288	28118	4726	2638	1982	331	2784	2752	801	23829	16739	4457	31072	30870	5527
11.	झारखंड	31439	19615	3527	37709	32921	7575	1729	1569	487	3739	3331	806	39168	21184	4014	41448	36252	8381
12.	कर्नाटक	114440	77687	19466	139785	133605	21306	15378	12882	7497	35978	34566	19271	129818	90569	26963	175763	168171	40577
13.	केरल	104025	85277	30280	152093	147971	35921	52110	45415	23304	69004	60905	33652	156135	130692	53584	221097	208876	69573
14.	मध्य प्रदेश	196867	165804	55945	322078	322907	91258	201118	201070	187691	243057	243257	214043	397985	366874	243636	565135	566164	305301
15.	महाराष्ट्र	176302	121615	9092	269712	256432	15002	169217	165440	14514	213696	211414	18447	345619	287055	23606	483408	467846	33449
16.	मणिपुर	2535	155	92	3566	164	95	452	145	21	680	158	39	2987	300	113	2246	322	134
17.	मेघालय	1757	560	154	1501	744	186	125	84	59	173	94	67	1882	644	213	1674	838	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.	मिजोरम	1515	1362	2386	1424	1057	205	776	637	290	748	521	268	2291	1999	2676	2172	1578	473
19.	नागालैंड	984	679	1826	816	1411	2933	482	409	958	423	703	1983	1466	1088	2784	1239	2114	4916
20.	उड़ीसा	48739	40087	5892	77058	75152	9690	13775	13441	1665	17794	17668	2771	62514	53528	7557	94852	92820	12461
21.	पंजाब	25630	18192	4724	36974	39942	9772	24294	23263	11791	27492	26906	13978	49924	41455	16515	64466	66848	23750
22.	राजस्थान	154859	100191	40317	194547	194365	92316	31302	30183	25677	43373	43384	37092	186161	130374	65994	237920	237749	129408
23.	सिक्किम	631	238	58	914	361	59	156	141	2	49	15	0	787	379	60	963	376	59
24.	तमिलनाडु	166606	142941	95960	206002	204017	116039	636211	390182	321521	656391	420303	343340	802817	533123	417481	862393	624320	459379
25.	त्रिपुरा	3081	2288	343	4212	2937	512	110	120	13	105	108	12	3191	2408	356	4317	3045	524
26.	उत्तर प्रदेश	130181	89377	46558	219313	204056	106004	857586	855026	754838	892740	890674	749796	987767	944403	801396	1112053	1094730	855800
27.	उत्तरांचल	8634	5354	2506	14618	11896	5291	65390	65163	61771	67392	67128	62323	74024	70517	64277	82010	79024	67614
28.	पश्चिम बंगाल	69350	47116	2548	114528	91238	4032	1278298	1277315	1270175	1439575	1438652	1427618	1347648	1324431	1272723	1554103	1529890	1431650
	कुल राज्य	1769458	1282537	397403	2602632	2433209	642377	4162162	3885575	3295549	4616493	4356660	3567518	5931620	5168112	3692952	7219125	6789863	4209895
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	748	442	151	828	812	273	7028	6089	4029	7398	6323	4216	7776	6531	4180	8226	7135	4489
30.	चंडीगढ़	2889	1591	623	2451	2438	895	1030	1016	875	1334	1301	1111	3919	2607	1498	3785	3739	2006
31.	दादरा और नगर हवेली	409	319	10	657	607	21	25	18	0	39	38	1	434	337	10	696	645	22
32.	दमन व दीव	198	145	12	294	355	13	10	6	0	28	16	0	208	151	12	322	371	13
33.	दिल्ली	53623	28456	5618	47902	42960	5973	25136	22021	4189	29854	27501	5643	78759	50477	9807	77756	70461	11616
34.	लक्षद्वीप	70	28	3	31	3	3	5	1	1	2	1	0	75	29	4	33	4	3
35.	पांडिचेरी	4620	4114	2801	6115	6392	4261	1370	1344	1250	1781	1789	1714	5990	5458	4051	7896	8181	5975
	कुल संघ शासित क्षेत्र	62557	38095	9218	58278	53567	11439	34604	30495	10344	40436	36969	12685	97161	65690	19562	98714	90536	24124
	कुल मिलाकर भारत	1832015	1317632	406621	2660910	2486770	653816	4196766	3916070	3305893	4656929	4393629	3580203	6028781	5233702	3712514	7317839	6880399	4234019

स्रोत-भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों के निपटाए गए मामलों संबंधी सूचना में विगत वर्षों के लंबित मामले संबंधी सूचना भी शामिल है।

विवरण II

वर्ष 2005 के दौरान आई पी सी और एस एल एल के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सी आर), आरोप पत्रित मामले (सी एस), दोष सिद्ध मामले (सी वी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		आई पी सी मामले						एस एल एल मामले						कुल मामले					
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	173909	124089	27712	227935	200905	47675	602146	600950	589159	604042	605621	589043	776055	724439	616871	831977	806526	636718
2.	अरुणाचल प्रदेश	2294	1281	384	2849	1629	503	69	39	6	41	30	9	2363	1320	390	2890	1659	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	असम	43673	23460	4751	58943	35003	6944	3323	1106	258	3805	2037	616	46996	24566	5009	62748	37040	7960
4.	बिहार	100665	67494	8458	180446	159397	19077	9159	6860	2372	14267	12725	3460	109824	74354	10830	194713	172122	22537
5.	छत्तीसगढ़	45177	36508	13276	58502	57020	18645	142073	139228	142657	130102	130075	119039	187250	175736	155933	188604	187095	137684
6.	गोवा	2204	1238	268	3225	2249	334	3958	4188	2648	4237	4581	2905	6162	5426	2916	7462	6830	3239
7.	गुजरात	120972	92019	19883	159810	154703	24920	171085	171886	132878	206524	202527	145278	292057	263905	152761	366334	357230	170198
8.	हरियाणा	50509	34313	9582	66784	65868	15555	22221	21447	13482	27447	27131	16257	72730	55760	23064	94231	92999	31812
9.	हिमाचल प्रदेश	13093	10146	1916	19993	19457	2364	5003	4382	915	5963	5629	1424	18096	14528	2831	25956	25086	3788
10.	जम्मू और कश्मीर	20787	15803	4882	30778	30670	5546	2816	2436	560	4003	3851	1233	23603	18239	5442	34781	34521	6779
11.	झारखंड	36364	22192	5434	45674	54716	8770	2536	2038	553	4446	4004	602	38900	24230	5987	50120	58720	9372
12.	कर्नाटक	117710	82890	23548	142252	134775	26990	15729	14334	7643	40768	39636	22568	133439	97224	31191	183020	174411	49558
13.	केरल	105255	89790	35795	142301	144118	48055	54176	50022	31471	68482	66133	46167	159431	139812	67266	210783	210251	94222
14.	मध्य प्रदेश	194711	164435	61046	310782	310422	102342	183669	175164	164927	230623	230738	202403	378380	339599	225973	541405	541160	304745
15.	महाराष्ट्र	191788	126941	7615	290546	272770	13200	129397	125179	5832	175380	174310	8844	321185	252120	13447	465926	447080	22044
16.	मणिपुर	2884	155	171	934	132	98	483	40	30	580	42	29	3367	195	201	1514	174	127
17.	मेघालय	1935	905	203	1699	1169	271	85	102	47	148	185	83	2020	1007	250	1847	1354	354
18.	मिजोरम	2073	2025	3137	2215	2493	1918	977	1475	2016	1539	1688	1525	3050	3500	5153	3754	4181	3443
19.	नागालैंड	1103	545	574	906	792	630	308	293	230	458	393	479	1411	838	804	1364	1185	1109
20.	उड़ीसा	52792	41243	4672	85592	81747	9338	12760	11790	1196	17886	17912	2310	65552	53033	5868	103478	99659	11648
21.	पंजाब	32068	20931	5377	45391	38597	10186	20730	22095	14987	23931	25212	16069	52798	43026	20364	69322	63809	26255
22.	राजस्थान	141992	91826	46096	185350	185453	86893	35942	33261	27956	47888	47879	39079	177934	125087	74052	233238	233332	125972
23.	सिक्किम	703	384	76	737	468	69	143	138	109	177	170	109	846	522	185	914	638	178
24.	तमिलनाडु	148972	131443	83004	177582	168254	99859	449207	223766	197160	522406	280003	230266	598179	355209	280164	699988	448257	330125
25.	त्रिपुरा	3940	2817	393	5114	3330	596	206	177	47	158	162	22	4146	2994	440	5272	3492	618
26.	उत्तर प्रदेश	127001	91655	48034	217758	212001	112593	1189216	1184506	855904	1241677	1241007	893411	1316217	1276161	903938	1459435	1453008	1006004
27.	उत्तरांचल	8412	5493	2352	13471	11618	4914	120325	120230	87796	121275	121335	79209	128737	125723	90148	134746	132953	84123
28.	पश्चिम बंगाल	68052	49012	5628	110346	83063	8569	7588	7366	3948	11262	10656	4717	75640	56378	9576	121608	93719	13286
	कुल राज्य	7811038	1331033	424267	2587915	2432819	676854	3185330	2923898	2286787	3509515	3255672	2427156	4996368	4254931	2711054	6097430	5688491	3104010
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	676	517	124	797	834	160	6526	6251	4231	7262	6801	4355	7202	6768	4355	8059	7635	4515
30.	चंडीगढ़	3126	1817	866	3381	2995	1226	917	909	691	1198	1202	933	4043	2726	1557	4579	4197	2159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.	दादरा और नगर हवेली	435	310	20	596	599	31	9	18	2	17	39	2	444	328	22	613	638	33
32.	दमन व दीव	288	108	12	372	250	14	3	2	1	6	6	3	291	110	13	378	256	17
33.	दिल्ली	57963	37276	19624	54198	47455	23895	30372	27741	5132	34825	33372	6373	88335	65017	24756	89023	80827	30268
34.	लक्षद्वीप	80	30	1	237	124	0	13	10	3	12	11	5	93	40	4	249	135	5
35.	पांडिचेरी	4687	3191	2602	6187	5092	3900	997	989	1035	1387	1359	1240	5684	4180	3637	7574	6451	5140
	कुल संघ शासित क्षेत्र	67255	43249	23249	65768	57349	29226	38837	35920	11095	44707	42790	12911	106092	79169	34344	110475	100139	42137
	कुल अखिल भारत	1878293	1374282	447516	2653683	2490168	706080	3224167	2959818	2297882	3554222	3298462	2440067	5102460	4334100	2745396	6207905	5788630	3146147

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों के निपटाए गए मामलों संबंधी सूचना में विगत वर्षों के लंबित मामले संबंधी सूचना भी शामिल है।

विवरण III

वर्ष 2006 के दौरान आई पी सी और एस एल एल के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सी आर), आरोप पत्रित मामले (सी एस), दोष सिद्ध मामले (सी वी), गिरफ्तार व्यक्ति (पी ए आर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी सी एस) तथा दोष सिद्ध व्यक्ति (पी सी वी)

		आई पी सी मामले						एस एल एल मामले						कुल मामले					
क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	157123	125092	30614	216277	214244	49709	509090	509922	503977	513671	513824	504808	666213	635014	534591	729948	728068	554517
2.	अरुणाचल प्रदेश	2304	1463	402	2488	1627	505	73	48	5	84	41	6	2377	1511	407	2572	1668	511
3.	असम	42006	22710	3690	68674	41281	6402	2067	1075	301	3957	2823	619	44073	23785	3991	72631	44104	7021
4.	बिहार	97850	68729	7258	186140	154046	12347	9814	7499	1610	14988	13322	2230	107664	76228	8868	201128	167368	14577
5.	छत्तीसगढ़	43633	33170	11085	56000	55521	23144	236802	233922	145898	117331	117549	107861	279435	267092	156983	173331	173070	131005
6.	गोवा	2119	1097	267	2588	1809	369	3995	3577	2654	4464	3951	2880	6114	4674	2921	7052	5760	3249
7.	गुजरात	113414	86877	16678	156597	155170	20726	174336	167687	28048	210140	211626	32970	287750	254564	44726	366737	366796	53696
8.	हरियाणा	42664	28980	10758	58940	58364	16924	22600	21290	15818	27470	26715	19287	65264	50270	26576	86410	85079	36211
9.	हिमाचल प्रदेश	12345	10140	1793	18628	18237	2278	4491	4360	504	5480	5350	638	16836	14500	2297	24108	23587	2916
10.	जम्मू और कश्मीर	20115	14375	4071	27616	26877	4559	2735	1966	330	2820	2772	815	22850	16341	4401	30436	29649	5374
11.	झारखंड	35175	21107	4061	46914	27176	8421	3419	2009	367	4238	3400	734	38594	23116	4428	51152	30576	9155
12.	कर्नाटक	117580	80432	22511	138588	139483	25749	17097	14656	7908	40540	38730	20907	134677	95088	30419	179128	178213	46656
13.	केरल	104350	91625	42525	145609	145835	45857	57821	50342	32282	71785	72287	38304	162171	141967	74807	217394	218122	84161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	189172	159646	53764	314961	314888	100141	227901	227646	212199	266360	266374	240971	417073	387292	265963	581321	581262	341112
15.	महाराष्ट्र	187027	126514	7816	287114	280432	12928	142293	144449	11733	189416	192263	14751	329320	270963	19549	476530	472695	27679
16.	मणिपुर	2913	128	57	1390	133	59	538	93	31	618	113	48	3451	221	88	2008	246	107
17.	मेघालय	1880	662	209	1594	858	249	136	131	50	197	124	52	2016	793	259	1791	982	301
18.	मिजोरम	2156	2044	335	2716	2552	3548	1214	744	690	1707	1620	1310	3370	2788	1025	4423	4172	4858
19.	नागालैंड	1049	1049	1195	1226	1242	1335	414	356	905	583	574	496	1463	1405	2100	1809	1816	1831
20.	उड़ीसा	51685	40644	3998	78300	78257	8121	13344	12193	1193	18633	18359	2715	65029	52837	5191	96933	96616	10836
21.	पंजाब	27136	19237	4338	39537	36377	7732	26592	26882	13776	29904	29830	15391	53728	46119	18114	69441	66207	23123
22.	राजस्थान	140917	91615	37195	178811	178877	71365	31072	30180	23487	43910	43906	34987	171989	121795	60682	222721	222783	106352
23.	सिक्किम	552	278	90	455	292	95	369	226	204	268	229	211	921	504	294	723	521	306
24.	तमिलनाडु	162360	145181	89979	194845	204651	113750	533721	266472	236351	656298	353817	286426	696081	411653	326330	851143	558468	400176
25.	त्रिपुरा	3356	2505	418	4252	3586	669	213	183	2	158	145	3	3569	2688	420	4410	3731	672
26.	उत्तर प्रदेश	122108	86431	49025	211275	199576	106032	1010654	1004231	778804	1079851	1075577	811861	1132762	1090662	827919	1291126	1275153	917893
27.	उत्तरांचल	8033	4934	1937	13424	11091	3816	126953	126622	109057	128303	127917	110060	134986	131556	110994	141727	139008	113876
28.	पश्चिम बंगाल	66406	51266	3691	102161	82282	5705	9235	12922	5410	12756	17217	6260	75641	64188	9101	114917	99499	11965
	कुल राज्य	1757428	1317931	409760	2557120	2434764	652935	3167989	2871683	2133684	3445930	3140455	2257601	4925417	4189614	2543444	6003050	5575219	2910136
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	682	474	53	848	731	138	7114	7052	3208	7334	7652	3738	7796	7526	3261	8182	8383	3876
30.	चंडीगढ़	3133	1625	573	2989	2368	797	803	714	538	1104	1001	777	3936	2339	1111	4093	3369	1574
31.	दादरा और नगर हवेली	434	293	6	714	681	10	25	23	2	60	54	2	459	316	8	774	735	12
32.	दमन व दीव	243	129	13	290	293	16	5	6	0	17	20	0	248	135	13	307	313	16
33.	दिल्ली	56065	42229	17508	53318	44057	18987	26573	23696	4912	31881	29133	6592	82638	65925	22420	85199	73190	25579
34.	लक्षद्वीप	42	22	5	45	18	4	7	2	0	7	1	0	49	24	5	52	19	4
35.	पांडिचेरी	4575	4565	2173	6223	6159	2705	1219	1188	1081	1566	1539	1347	5794	5753	3254	7789	7698	4052
	कुल संघ शासित क्षेत्र	65174	49337	20331	64427	54307	22657	35746	32681	9741	41969	39400	12456	100920	82018	30072	106396	93707	35113
	कुल अखिल भारत	1822602	1367268	430091	2621547	2489071	675192	3203735	2904364	2143425	3487899	3179855	2270057	5026337	4271632	2573516	6109446	5668926	2945249

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों के निपटाए गए मामलों संबंधी सूचना में विगत वर्षों के लंबित मामले संबंधी सूचना भी शामिल है।

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता

1391. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ संसद सदस्यों ने 600 करोड़ रुपये की बकाया परिवहन राजसहायता को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राजसहायता के अंतर्गत सम्मिलित मदों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इससे संबंधित कार्यों और परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह राजसहायता ऐसी औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाती है (बागानों, विद्युत उत्पादन और रिफाइनरियों को छोड़कर), जो किसी भी ऐसी मद/वस्तुओं के विनिर्माण में लगी हों जो 'विनिर्माण' की श्रेणी में आती हों। इस योजना के आरंभ से, पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को संवितरण हेतु लगभग 733 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। लंबित दावों के निपटान के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

कुटीर उद्योगों द्वारा प्रसंस्कृत खाद्यान्न

1392. श्री रनेन बर्मन: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुटीर उद्योगों द्वारा देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों को प्रसंस्कृत किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा कुटीर उद्योग क्षेत्र में लगे उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमों का आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में, खाद्यान्नों के प्रसंस्करण में लगे कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना कार्यान्वित कर रही है। तथापि देश में कुटीर उद्योगों में प्रसंस्कृत खाद्यान्नों की मात्रा संबंधी आंकड़ों को केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) केवीआईसी देशभर में फैले विभागीय तथा गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि प्रबंधकीय पाठ्यक्रम, कारीगर पाठ्यक्रम, कौशल विकास पाठ्यक्रम, संभावी उद्यमियों के लिए विशेषीकृत पाठ्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, आदि आयोजित करता है।

केवीआईसी द्वारा कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन/आधुनिकीकरण के लिए आरईजीपी के अतिरिक्त निम्नोक्त योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(1) ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना।

(2) ग्रामोद्योग उत्पादों के डिजाइन तथा पैकेजिंग में सुधार लाने के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन तथा पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) कार्यक्रम।

(3) खादी, ग्रामोद्योगों एवं कॅयर क्षेत्रों के लगभग 100 पारंपरिक क्लस्टरों के विकास के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) जिसमें उत्पादन उपकरण की प्रतिस्थापन के लिए आवश्यकता आधारित सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता में सुधार, सुधरा हुआ विपणन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, आदि की परिकल्पना की गई है।

(4) बैंक योग्य परियोजनाएं तैयार करने में उद्यमियों को दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए ग्रामीण उद्योग परामर्शी सेवा प्रकोष्ठ (आरआईसीएस)।

(5) उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों की प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए ग्रामोद्योग इकाइयों को सहायता।

सेवरी हरी मस्जिद में फायरिंग

1393. श्री मिलिन्द देवरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान सेवरी की हरी मस्जिद में पुलिस फायरिंग जिसमें सात मुस्लिम मारे गए थे, की जांच करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय एजेंसी पर पहले से ही अनेक मामलों का काफी अधिक भार होने के मद्देनजर सी.बी.आई. से इस जांच को प्राथमिकता देने का अनुरोध करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 17.10.2007 के अपने पत्र में सी बी आई से जांच कराने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एन.सी.टी.ई. के अंतर्गत मान्यता

1394. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक वर्ष 2007-08 हेतु एन.सी.टी.ई. के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु मान्यता के लिए कर्नाटक की शैक्षिक संस्थाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इन संस्थाओं को मान्यता कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) कर्नाटक राज्य में विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 2007-08 के सत्र हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, की दक्षिण क्षेत्रीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

पाठ्यक्रम	प्राप्त आवेदनों की संख्या
डी.एड.	71
बी.एड.	60
एम.एड.	25
डी.पी.एड.	01
बी.पी.एड.	08
कुल	165

(ख) वर्ष 2007-08 के शैक्षिक सत्र के लिए प्राप्त कुल आवेदनों में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के राज्य संसाधन केन्द्र ने निम्न पाठ्यक्रमों को मान्यता/प्रतिबंधित मान्यता प्रदान की है:

पाठयक्रम	जिन्हें मान्यता प्रदान की गई	जिन्हें प्रतिबंधित मान्यता प्रदान की गई
डी.एड.	07	01
बी.एड.	03	03
एम.एड.	03	08
बी.पी.एड.	-	02
कुल	13	14

शेष आवेदनों के संबंध में मान्यता प्रदान करना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों तथा मानदंडों के अनुसरण में आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकताओं के यथासमय पूरा होने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

अंतर-राज्य परिषद

1395. श्री बालेश्वर यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर-राज्य परिषद ने विचार व्यक्त किया है कि यदि प्राकृतिक संसाधन संपन्न राज्यों को समुचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो स्थानीय स्तर पर हिंसा भड़क सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

आत्मरक्षा समितियां

1396. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उग्रवाद/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी/नक्सली हमलों को रोकने के लिए आत्मरक्षा समितियां गठित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन समितियों को गठित करने हेतु कोई सहायता और दिशा-निर्देश देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) कानून और व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण राज्य में नक्सल/आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों को ही निपटाना होता है। कुछ क्षेत्रों/गांवों, क्षेत्र/गांव में रक्षा समितियां बनाई गई हैं, साथ ही सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के विभिन्न उपाय भी किए गए हैं। इस तरह के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान शिक्षा में सुधार

1397. श्री सुव्रत बोस: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रायोजित योजना "विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार" के 'विज्ञान शिक्षा में सुधार' संघटक को राज्य क्षेत्र योजना के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) "विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार" स्कीम के अंतर्गत 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' घटक को दिनांक 1.4.2006 से राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

टी.वी. चैनलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1398. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमति दिए जाने वाले विदेशी टी.वी. चैनलों का चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदन के समय इन टी.वी. चैनलों के शेयरधारिता पैटर्न का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी टी.वी. चैनल ने आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपने शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) विदेश से अपलिंक किए जाने वाले टी वी चैनलों को विदेशी टी वी चैनल माना जाता है। सरकार ने ऐसे विदेशी टी वी चैनलों को विनियमित करने के लिए दिनांक 11.11.2005 को डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे विदेशी टी वी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु विदेशी इक्विटी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1399. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सिफारिश/सुझाव प्राप्त किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने समय-समय पर अपनी अनेक सिफारिशों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अलग-अलग सीमाओं के मुद्दों को उठाया है और मौजूदा समय में ये सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

एफ एम रेडियो	:	20%
डी टी एच	:	20%
टी वी समाचार प्रसारक	:	26%
केबल सेवाएं	:	49%
दूरसंचार	:	74%
आई एस पी	:	100%
गैर-समाचार टी वी प्रसारक	:	100%

ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न घटकों के लिए बनाए गए नियमों में और अधिक सुसंगति लाने तथा भविष्य में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के बीच संभाव्य अभिसारिता के दृष्टिगत भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति की समग्र रूप में समीक्षा करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मौजूदा मानदंडों की समीक्षा करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान हेतु दिशा-निर्देश

1400. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने हेतु कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायरे में देश में राज्य-वार कितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विकासात्मक अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं;

(घ) देश में कितने महाविद्यालय न्यूनतम शैक्षिक मानकों की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं;

(ङ) जहां तक प्रवेश नीति के प्रश्न का संबंध है तो क्या अकादमियों के पुनरुद्धार के संबंध में हाल ही में कोई संशोधन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे पात्र विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) में शामिल हों और धारा 12 (बी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने को फिट घोषित किया गया हो। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को पंचवर्षीय योजना के तहत अनुदानों को आबंटन विधिवत रूप से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सम्पूर्ण निधियों के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को योजनागत के तहत विकास अनुदान प्रदान करता है जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/पात्र समविश्वविद्यालयों और कॉलेजों को योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्थाओं को उनसे उन्हें प्रदान किए गए पिछले अनुदानों का 70 प्रतिशत उपयोग का प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर किस्तों में अनुदान जारी करता है। सामान्य विकास योजनागत अनुदानों हेतु सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए समान सहायता पैटर्न होता है जो समय-समय पर निर्धारित पैरामीटरों पर आधारित होता है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों और युवा विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार देश में 20,676 कॉलेज हैं जिसमें से 6352 कॉलेज विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के तहत वित्तीय सहायता के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये कॉलेज संबंधित विश्वविद्यालयों से स्थायी रूप से सम्बद्ध हैं, जबकि शेष कॉलेज नहीं हैं और इसलिए वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। 6352 कॉलेजों में से केवल 5661 कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए फिट घोषित किया गया है। विवरण संलग्न है।

देश में 371 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 284 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत केन्द्र/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं (संलग्नक के अनुसार)।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय अपनी दाखिल नीतियां, जो कि एक शैक्षिक प्रक्रिया है, स्वयं तैयार करते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	12बी के तहत कॉलेजों की संख्या	12बी के तहत विश्वविद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	405	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	06	2
3.	असम	184	5
4.	बिहार	295	12
5.	छत्तीसगढ़	140	5
6.	गोवा	22	1
7.	गुजरात	350	11
8.	हरियाणा	145	7
9.	हिमाचल प्रदेश	48	3
10.	जम्मू और कश्मीर	42	3
11.	झारखंड	83	6
12.	कर्नाटक	497	19
13.	केरल	213	8
14.	मध्य प्रदेश	380	13
15.	महाराष्ट्र	757	36
16.	मणिपुर	46	2
17.	मेघालय	24	1
18.	मिजोरम	14	1
19.	नागालैंड	10	1
20.	उड़ीसा	288	10
21.	पंजाब	210	6
22.	राजस्थान	207	13
23.	सिक्किम	03	2
24.	तमिलनाडु	281	32
25.	त्रिपुरा	16	1
26.	उत्तर प्रदेश	473	25
27.	उत्तराखण्ड	40	6
28.	पश्चिम बंगाल	374	14
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	02	–
30.	चंडीगढ़	18	2
31.	दादर एवं नागर हवेली	–	–
32.	दमन व दीव	01	–
33.	दिल्ली	76	16
34.	लक्षद्वीप	–	–
35.	पुड्डुचेरी	11	1
	कुल	5661	284

प्रतिभा पलायन

1401. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश से बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी एजेंसी के लिए सेवा करके छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 3 सितंबर, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अध्ययन या रोजगार हेतु भारतीयों के विदेश जाने पर कोई रोक नहीं है। भारतीय बैंक संघ की शैक्षणिक ऋण योजना के अंतर्गत छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज पर आर्थिक सहायता की स्कीम तैयार की गई है बशर्ते कि ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप दे दिया जाए।

आपदा राहत कोष के अंतर्गत अनुदान

1402. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने योजना आयोग को 2005 के मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त कार्यों के स्थायी पुनरुद्धार के लिए आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के अंतर्गत अनुदानों को जारी करने संबंधी कोई संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान जारी करने सहित इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने वर्ष 2005 के दौरान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त आधार ढांचे के दीर्घकालीन पुन:निर्माण के लिए 2936.26 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपित वित्तीय आवश्यकता (रुपए करोड़ में)
स्वास्थ्य	147.51
शहरी ढांचा	960.69
जल संसाधन/आपूर्ति/सिंचाई	43.75
शक्ति/ऊर्जा	1126.63
सड़कें और इमारतें	557.68
घर	100.00

उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव को जांचा गया है जिन्होंने इसके अनुमोदन के लिए इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की है।

[हिन्दी]

सशस्त्र सीमा बल का गैर-लड़ाकू स्कंध

1403. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) से सिविलियनों के गैर-लड़ाकू स्कंध को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सशस्त्र सीमा बल की सिविलियन शाखा को इसके प्रभावी कार्यकरण हेतु बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सशस्त्र सीमा बल को सीमा रक्षा का कार्य वर्ष 2001 में सौंपा गया है और सशस्त्र सीमा बल की संरचना को युक्तियुक्त बना दिया गया है। इसकी कार्यात्मक कोर सक्षमता को बनाए रखते हुए बल की सिविलियन विंग को चरणबद्ध तरीके से लड़ाकू बनाने के बारे में एक निर्णय लिया गया है।

चूना पत्थर

1404. श्री गणेश सिंह: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में चूना पत्थर तथा अन्य खनिजों की खनिज-वार, श्रेणी-वार और राज्य-वार मिलियन टन मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चूना पत्थर तथा अन्य खनिजों की उपलब्धता इनकी घरेलू खपत की तुलना में पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चूना पत्थर तथा अन्य खनिजों का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में चूना पत्थर तथा अन्य खनिजों का आयात किया जा रहा है और इनका मूल्य कितना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) चूना पत्थर और अन्य खनिजों के भण्डारों की राज्य-वार सूचना, प्रमुख खनिजों और धातुओं में आत्म-निर्भरता की मात्रा का ब्यौरा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रति संसदीय पुस्तकालय को भेज दी गई है।

(घ) जी, हां!

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों के लिए जांच एजेंसी

1405. श्री मोहन रावले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले अपराधों की जांच के लिए एक पृथक जांच एजेंसी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसका क्षेत्राधिकार क्या है; और

(ग) उक्त जांच एजेंसी की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) कई समितियों में अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले अपराधों की जांच-पड़ताल और उनका अभियोजन, केन्द्रीय एजेंसी से करवाये जाने की जरूरत पर जोर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले से संबंधित रिट याचिका (सिविल) में सितम्बर, 2006 को दिए गए निर्णय में इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) और गृह मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी थी।

गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस मुद्दे पर विचार करता रहा है। पुलिस और लोक व्यवस्था, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय होने के कारण जिन राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकांश राज्यों ने इस मुद्दे पर आपत्ति/आशंका प्रकट की है। मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एन.डी.एम.सी. बाजारों का कायाकल्प

1406. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एन.डी.एम.सी. क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुछ बाजारों का कायाकल्प करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन बाजारों का कब तक पुनरुद्धार कर इन्हें आम जनता के लिए खोले जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां,

(ख) और (ग) वर्तमान स्थिति सहित विवरण निम्नलिखित है:-

बजार	वर्तमान स्थिति	पुनर्नवीकरण किए जाने एवं आम जनता हेतु खोले जाने का समय
1	2	3
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) के गोल मार्केट क्षेत्र में हैरिटेज बिल्डिंग की मरम्मत/पुनर्नवीकरण	पूर्व में आमंत्रित निविदाओं को परिषद ने नामंजूर कर दिया क्योंकि उनकी संकल्पना योजना में परिवर्तन हो गया था इसलिए निविदाएं पुन: आमंत्रित की जा रही हैं।	एक वर्ष और तीन माह

1	2	3
बेयर्ड लेन मार्केट का उन्नयन	परिषद में व्यय के प्रारम्भिक आकलन को मंजूरी एवं प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है और विस्तृत आकलन और निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस तैयार करने का कार्य शुरु करा दिया है।	एक वर्ष
भगत सिंह मार्केट	मुख्य सड़क के सामने के बाजार के अग्रभाग के पुनर्नवीकरण का कार्य गोल मार्केट की हैरीटेज परियोजना के एक भाग के रूप में उन्नयन कार्य किया जाएगा।	एक वर्ष तीन माह
बाबा खड़क सिंह मार्ग मार्केट	कार्य शीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है।	तीन माह
तिब्बियन मार्केट	कार्य पूरा हो चुका।	----
जनपथ बाजार	कार्य प्रगति पर है।	31.12.2007 तक
मिनी मार्केट	परिषद ने योजना को संकल्पनात्मक रूप में मंजूरी दे दी है और आगे का विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है।	सभी बाजारों का कार्य दिसम्बर, 2008 तक पूरा किए जाने की योजना है
पालिका बाजार	विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	
यूसुफ मार्केट	विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	

सभी बाजारें फेस लिफ्टिंग/अग्रभाग सुधार कार्य के दौरान आम जनता के लिए खोल दी जाएंगी।

रूस के सहयोग से विशेष आर्थिक क्षेत्र

1407. श्री अनन्त गायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रूस के सहायोग से उड़ीसा में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ रूस से प्राप्त होने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विशेष आर्थिक जोन मुख्यत: राज्य सरकारों के उपक्रमों, निजी कंपनियों के साथ उनके संयुक्त उद्यमों अथवा एकल आधार पर निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार का किसी नए विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक अवसंरचना के लिए विशेष प्रोत्साहन

1408. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के संबंध में राज्य-वार कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जी, हां। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए घोषित किये गये आर्थिक प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों की जांच की गई है और इन्हें वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों से विद्यार्थियों का नामांकन

1409. श्री राजेश पाठक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे जिलों में उच्च शिक्षा में नामांकन की प्रतिशतता के संबंध में राज्य-वार कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या इसे प्राप्त किया गया था?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सकल दाखिला अनुपात के राष्ट्रीय औसत से कम औसत वाले और प्रति एक लाख जनसंख्या पर कॉलेजों का निम्न घनत्व वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया है। विभिन्न राज्यों में ऐसे जिलों की संख्या संबंधी विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) छात्रवृत्तियों हेतु संसाधनों के आवंटन में वृद्धि किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि ग्यारहवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाए।

(छ) दसवीं योजना में वर्ष 2004-05 तक माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और छात्रवृत्ति योजना नाम से दो स्कीमें थी और वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान दोनों स्कीमों को राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम नामक केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम में विलय एवं संशोधित कर दिया गया। पहले की दोनों स्कीमों में प्रति वर्ष 81,000 छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य था, जबकि बाद वाली स्कीम में प्रति वर्ष देश के 28,000 छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य था। विभिन्न कारणों से दसवीं योजना के दौरान पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो वर्ष की अवधि हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है:-

1. एम. टेक/एम. ई से गेट उत्तीर्ण छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (लगभग 1200 स्लाट प्रति वर्ष)
2. एकल बालिका संतान हेतु इन्दिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (1200 स्लाट प्रति वर्ष)
3. विश्वविद्यालय रैंक होल्डरों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति (2375 स्लाट प्रतिवर्ष)
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (1000 स्लाट प्रति वर्ष)

विवरण

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की राज्यवार सूची

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	02
2.	आंध्र प्रदेश	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	11
4.	असम	12
5.	बिहार	26
6.	छत्तीसगढ़	15
7.	दादर और नगर हवेली	01
8.	दमन और दीव	02
9.	गुजरात	20
10.	हरियाणा	07
11.	हिमाचल प्रदेश	04
12.	जम्मू और कश्मीर	11
13.	झारखंड	12
14.	कर्नाटक	21
15.	केरल	04
16.	लक्षद्वीप	01
17.	मध्य प्रदेश	39
18.	महाराष्ट्र	07
19.	मेघालय	05
20.	मिजोरम	07
21.	नागालैंड	01
22.	उड़ीसा	18
23.	पांडिचेरी	01
24.	पंजाब	13
25.	राजस्थान	30
26.	सिक्किम	04
27.	तमिलनाडु	27
28.	त्रिपुरा	01
29.	उत्तर प्रदेश	41
30.	उत्तरांचल	02
31.	पश्चिम बंगाल	17
	योग	373

[अनुवाद]

इंजीनियरों की प्रतिभा में सुधार

1410. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को अच्छे इंजीनियरों की कमी के कारण नुकसान हो रहा है क्योंकि देश के अधिकांश इंजीनियरिंग संस्थानों द्वारा तैयार की जाने वाली प्रतिभाएं मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इंजीनियरों की प्रतिभा में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय साफ्टवेयर और सेवा कम्पनी संघ ने देश के इंजीनियरी स्नातकों की रोजगार क्षमता के मुद्दे को उठाया है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय साफ्टवेयर और सेवा कम्पनी संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया था। इस कार्य समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ इंजीनियरी स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए फिनिशिंग विद्यालयों, विभिन्न इंजीनियरी कालेजों की पाठ्यचर्याओं में परिवर्तनों की सिफारिश की है ताकि उन्हें उद्योग इत्यादि की आवश्यकताओं

के अनुरूप सक्षम बनाया जा सके। वर्तमान फिनिशिंग विद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ही स्थापित किए जा रहे हैं।

डायरेक्ट-टु-होम सेवा

1411. श्री सनत कुमार मंडल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के डीटीएच प्रदाता दर्शकों को अपनी चुके के अनुसार चैनलों के सेट की पेशकश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हित में डीटीएच सेवा को नियंत्रित/विनियमित करने के लिए डीटीएच प्रदाताओं/आपरेटरों हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दो परिचालनात्मक डायरेक्ट-टु-होम (डी टी एच) सेवा प्रदाता, दर्शकों को चैनलों के अपने समूह के अनुसार चैनलों का सेट निम्नानुसार पेश कर रहे हैं:-

(1) मै. डिश टी वी इंडिया लि. के पैकेज/समूह निम्नानुसार हैं:

(क) सन चैनलों सहित मैक्सी-350/-रुपये प्रति माह।

(ख) मैक्सी-300/-रुपये प्रति माह।

(ग) सन चैनलों सहित वेलकम-300/-रुपये प्रति माह।

(घ) वेलकम-262/-रुपये प्रति माह।

(ङ) सन चैनलों सहित फ्रीडम प्लस-105 और 92 चैनलों के लिए क्रमश: 200/-रुपये और 160/-रुपये प्रति माह।

(च) सन चैनलों सहित फ्रीडम-150/-रुपये प्रति माह।

(छ) फ्रीडम-100/-रुपये प्रति माह।

(2) मै. टाटा स्काई लि. के पैकेज/समूह निम्नानुसार हैं:-

(क) स्टार्टर पैक-160/-रुपये प्रति माह।

(ख) फैमिली पैक - 250/-रुपये प्रति माह।

(ग) वेस्टर्न पैक - 250/-रुपये प्रति माह।

(घ) जम्बो सुपर सेवर पैक - 300/-रुपये माह।

(ङ) साउथ स्टार्टर पैक - 200/-रुपये प्रति माह।

(च) साउथ वेल्यू पैक - 300/-रुपये प्रति माह।

(छ) साउथ जम्बो पैक - 350/- रुपये प्रति माह।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 31 अगस्त, 2007 को डी टी एच सेवा के लिए 'डायरेक्ट टु होम प्रसारण सेवा (सेवा के गुणवत्ता मानक और शिकायतों का निदान) विनियम, 2007' जारी किया है। ट्राई ने प्रसारकों से व्यष्टि आधार पर अपने उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार विषय-वस्तु प्राप्त करने में डी टी एच ऑपरेटरों की मदद करने के लिए 3 सितंबर, 2007 को मौजूदा अन्तर-संयोजन में भी संशोधन किया है। सेवा गुणवत्ता विनियम और अंतर-संयोजन विनियम में संशोधन की प्रमुख विशेषताएं विवरण में दी गई हैं। विनियमों का संपूर्ण पाठ ट्राई की वेबसाइट *डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. टी आर ए आई. जी ओ वी.आइ एन* पर उपलब्ध है।

विवरण

डी टी एच सेवा हेतु मानक गुणवत्ता विनियम (31 अगस्त, 2007) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(1) आदेश दिनांक 1/12/2007 से लागू होगा।

(2) डी टी एच ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को पूर्णतया खरीद आधार, भाड़ा-क्रय आधार और किराया आधार पर उपभोक्ता परिक्षेत्र उपस्कर पेश करने की स्कीमें तैयार करेंगे। इस संबंध में यदि भविष्य में आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण उपयुक्त स्कीमें भी निर्धारित कर सकते हैं।

(3) डी टी एच आपरेटर भाड़ा-क्रय हेतु अपनी स्कीम तैयार करते समय उपभोक्ताओं को प्रतिदाय हेतु प्रावधान करेगा यदि वे उपभोक्ता परिक्षेत्र उपस्कर को लौटाने का विकल्प चुनते हैं। इस सुविधा से किराया स्कीम के साथ तकनीकी अंतर-परिचालनीयता के अतिरिक्त डी टी एच उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक अंतर-परिचालनीयता उपलब्ध कराए जाने की आशा की जाती है जो कि डी टी एच लाइसेंसिंग शर्तों में पहले से ही मौजूद है।

(4) डी टी एच ऑपरेटर आवेदन प्रपत्र हेतु फार्मेट तैयार करेंगे तथा प्राप्त किए गए ऐसे प्रत्येक आवेदनपत्र को एक उपभोक्ता पहचान संख्या देंगे।

(5) अंतरण, वियोजन तथा पुन: संयोजन से संबंधित अनुरोध का अनुपालन करने हेतु 5 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(6) डी टी एच ऑपरेटर एक चैनल के वियोजन हेतु या एक उपभोक्ता के वियोजन हेतु नोटिस देंगे।

(7) यदि उपभोक्ता किसी डी टी एच आपरेटर की सेवा लेना समाप्त कर देते हैं तो ऑपरेटर सेट टॉप बॉक्स (एस टी बी) को अनुपयोग्य नहीं बनाएंगे। इससे डी टी एच उपभोक्ता अन्य डी टी एच सेवाएं प्राप्त करने हेतु एस टी बी के प्रयोग में सक्षम होगा।

(8) किसी उपभोक्ता को पेश किया गया अंशदान पैकेज 6 महीनों के लिए परिवर्तित नहीं होगा। तथापि, उपभोक्ता किसी भी समय किसी अन्य पैकेज के लिए किसी पैकेज विशेष को समाप्त कर सकता है।

(9) यदि कोई पोस्ट पेड उपभोक्ता हैं तो उन्हें ब्यौरे वाले बिल जारी किए जाएंगे जिनमें अंशदान पैकेज, मूल्य आवर्धित सेवाएं, उपभोक्ता परिक्षेत्र उपस्कर, कर आदि का ब्यौरा शामिल होगा।

(10) डी टी एच ऑपरेटर "टॉल फ्री" नम्बरों वाली काफी अधिक टेलीफोन लाइनों के कॉल सेंटर स्थापित करेगा जिससे कि प्रत्युत्तर समय से संबंधित बेंचमार्क पूरे किए जा सके (उदाहरणतया वॉइस ऑपरेटरों के मामले में 60 सेकेंडों में तथा यदि इलेक्ट्रानिक रूप से उत्तर दिया जाता है तो 20 सेकेंड में 80% कॉलों का उत्तर दिया जाना होगा आदि)।

(11) कॉल सेन्टर से संबंधित सभी अनुरोध अथवा शिकायतों को एक डॉकिट संख्या दी जानी चाहिए।

(12) सिग्नल प्राप्त न होने से संबंधित 90% शिकायतों का निदान 24 घंटे के अंदर किया जाना चाहिए और अन्य प्रकार की 90% शिकायतों का निदान 48 घंटे के अन्दर किया जाना चाहिए। 5 दिनों से ज्यादा कोई शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। बिलों से संबंधित सभी शिकायतों को 7 दिनों के अन्दर निपटाया जाना चाहिए।

(13) डी टी एच प्रचालक उन उपभोक्ताओं जो कॉल सेन्टर स्तर पर शिकायतों के निदान से सन्तुष्ट नहीं है, की शिकायतों का निदान करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे।

(14) नोडल अधिकारी शिकायत दर्ज होने के 10 दिनों के अन्दर शिकायत का निदान करेगा।

(15) ट्राई द्वारा प्राप्त की गई और डी टी एच ऑपरेटर को अग्रेषित शिकायतों का निदान अग्रेषण करने के 15 दिनों के अंदर किया जाएगा और उपभोक्ता के साथ-साथ ट्राई को भी परिणाम से अवगत कराया जाएगा।

(16) डी टी एच ऑपरेटर एक नियमावली तैयार करेगा जिसमें शिकायतों निदान, कॉल सेन्टर, नोडल अधिकारी, सेट टॉप बाक्स के परिचालन संबंधी अनुदेश आदि के लिए बैंचमार्क जैसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे। इसकी एक प्रति प्रत्येक उपभोक्ता को प्रेषित की जाएगी।

अंतर संयोजन संशोधन विनियमन (3 सितम्बर, 2007) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) संशोधन 1-12-2007 से लागू होगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक इन संशाधनों के लागू होने के 90 दिनों के भीतर डी टी एच ऑपरेटरों के लिए अपनी संदर्भ अंतर-संयोजन पेशकश प्रकाशित करेगा जिसमें अंतर-संयोजन हेतु तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें अंतर्विष्ट होंगी।

(3) ऐसे आर आई ओ में अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित ब्यौरे अर्न्तविष्ट होंगे।

* चैनल और बुके की दरें
* छूट का ब्यौरा
* भुगतान शर्तें
* सुरक्षा और पाइरेसी रोधी आवश्यकताएं
* उपभोक्ता आधारित रिपोर्ट और लेखा परीक्षा
* करार की अवधि
* करार की समाप्ति

(4) आर आई ओ को प्रसारक की वेबसाइट पर डाला जाएगा और इसे प्रत्येक डी टी एच ऑपरेटर को भी संप्रेषित किया जाएगा। इन विनियमों से पहले यदि कोई आर आई ओ मौजूद है तो इन विनियमों के तहत इस समय प्रकाशित आर आई ओ के समरूप बनाने के लिए इनमें आशोधन किया जाएगा।

(5) यदि कोई डी टी एच ऑपरेटर प्रकाशित आर आई ओ के आधार पर अंतर संयोजन करार पर हस्ताक्षर करने हेतु किसी प्रसारक से अनुरोध करता है तो प्रसारक इस अनुरोध के 45 दिनों के भीतर ऐसा करने के लिए बाध्य होगा।

(6) प्रसारक और डी टी एच ऑपरेटर, आर आई ओ से विचलन करके गैर-विभेदकारी आधार पर पारस्परिक करारों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

(7) यदि परस्पर बातचीत के बाद प्रसारक और डी टी एच ऑपरेटर अंतर संयोजन करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो ये दोनों एक करार पर हस्ताक्षर करने में मदद करने के लिए ट्राई से संयुक्त रूप से अनुरोध कर सकते हैं। यह उन्हें उपलब्ध विधिक आश्रय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।

(8) सभी प्रसारक डी टी एच ऑपरेटरों को व्यष्टि आधार पर अपने सभी चैनल अनिवार्य रूप से पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे चैनलों का समूह भी पेश कर सकते हैं लेकिन वे किसी डी टी एच ऑपरेटर को उनके द्वारा अपने उपभोक्ताओं को पेश किए जा रहे किसी पैकेज में संपूर्ण समूह को शामिल करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

(9) यदि कोई डी टी एच ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं हेतु विभिन्न डी टी एच पैकजों में किसी प्रसारक के समूह के विभिन्न सशुल्क चैनल शामिल करता है तो इस समूह के लिए डी टी एच ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को किया गया भुगतान उस समूह से किसी सशुल्क चैनल के लिए उच्चतम उपभोक्ता आधार पर आधारित होगा।

(10) सशुल्क चैनलों की व्यष्टि दरें और प्रसारकों द्वारा डी टी एच ऑपरेटरों को पेश किए गए समूहों की दरें इस प्रकार अंतर संबंधित होंगी कि

1. किसी समूह में सशुल्क चैनलों की व्यष्टि दरों का कुल योग समूह की दर के 1.5 गुणा से अधिक नहीं होगा।

2. किसी समूह में सशुल्क चैनल की कोई भी व्यष्टि दर उस समूह के सशुल्क चैनल की औसत दर के 3 गुणा से अधिक नहीं होगी।

(11) ट्राई के पास उपभोक्ताओं या सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने, क्षेत्र के सुनियोजित विकास के आधार पर अथवा इन विनियमों के समरूप न होने पर हस्तक्षेप करने और किसी भी प्रसारक को अपने द्वारा प्रकाशित आर आई ओ में आशोधन करने के लिए कहने का अधिकार होगा।

अर्द्ध-सैनिक बल (पी.एम.एफ.) के अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाना

1412. **श्री अशोक अर्गल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अर्द्ध-सैनिक बलों से समुदाय-वार तथा बल-वार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों में कुल कितने कार्मिकों की सेवाओं को समाप्त किया गया और इनके क्या कारण थे;

(ख) क्या उनकी सेवाओं को समाप्त किए जाने से पहले उन्हें कोई अग्रिम लिखित चेतावनी जारी की गई थी अथवा उनकी वेतन-वृद्धि को रोका गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन दिशानिर्देशों का सख्तीपूर्वक पालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभागीय/दण्ड न्यायालयों की कार्रवाई के कारण सेवा से बर्खास्त/हटाए गए अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) समुदाय के अर्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कारण बताओ नोटिस के अलावा सेना से बर्खास्तगी/सेवा समाप्ति का दण्ड पूरी जांच प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात ही होता है जहां बल कार्मिकों को अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाता है।

(घ) से (च) ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों और संबंधित बल के नियमों/विनियमों के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्रम सं.	बल का नाम	अनुसूचित जाति श्रेणी के बर्खास्त/हटाए गए कार्मिकों की संख्या			अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बर्खास्त/ हटाए गए कार्मिकों की संख्या		
		2004 के दौरान	2005 के दौरान	2006 के दौरान	2004 के दौरान	2005 के दौरान	2006 के दौरान
1.	सी आर पी एफ	82	82	155	67	67	199
2.	सी आई एस एफ	23	32	29	25	13	24
3,	बी एस एफ	45	40	52	40	29	61
4.	आई टी बी पी	14	12	08	05	05	01
5.	एस एस बी	04	04	01	11	25	11
6.	ए आर	06	05	03	08	08	07
	कुल	174	175	248	156	147	303

भू-स्खलनों तथा हिमधावों संबंधी अध्ययन

1413. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जी.एस.आई.) ने देश में भू-स्खलनों, हिमधावों आदि के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रियाविधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जी.एस.आई. ने देश के सर्वाधिक भू-स्खलन, हिमधाव-प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा जान और माल की क्षति को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) भू-स्खलनों के अध्ययन में कार्यरत है और यह तीन प्रकार के भू-स्खलन संबंधी अन्वेषण कर रहा है नामत: विभिन्न पैमानों पर लैण्डस्लाइड हजार्ड जोनेशन (एल एच जैड), भू-स्खलन सूची और भू-स्खलन का स्थल-विशिष्ट अध्ययन। लैण्डस्लाइड हजार्ड जोनेशन का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) तथा बी आई एस के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। जी एस आई द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के अन्वेषणों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

मैक्रो पैमाने (1:50,000/25,000) पर एल एच जैड: तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय।

मैसो पैमाने (1:10,000/5,000) पर एल एच जैड: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम।

भू-स्खलन सूची: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और त्रिपुरा।

भू-स्खलन पर स्थल-विशिष्ट अध्ययन: सभी राज्यों में राज्य सरकारों तथा सड़क अनुरक्षण प्राधिकरणों के अनुरोध पर किए जाते हैं।

जी एस आई द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के अनुरोध पर कुछ स्थल-विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बर्फ हिमधावों संबंधी अध्ययन किए

गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, स्नो एवलांच स्टडी इस्टैबलिशमैंट (एस ए एस ई) हिमधाव-सम्भावित क्षेत्रों की पहचान करता है और ऐसे स्थलों को दर्ज करता है।

(घ) और (ङ) सम्पूर्ण हिमालयाई पहाड़ी क्षेत्र, भारत का उत्तर-पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियां देश के सर्वाधिक भू-स्खलन सम्भावित क्षेत्र हैं। भू-स्खलन से प्रभावित राज्य हैं-उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, असम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय और पांडिचेरी।

(च) सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के उपशमन के मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) का गठन किया गया। जी एस आई, जिसे देश के किसी भी प्रकार के भू-स्खलन संबंधी अध्ययन के लिए सरकार द्वारा नॉडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है, द्वारा न केवल भू-स्खलन आपदा उपशमन के कार्यों में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों अपितु भू-स्खलन संभावित पहाड़ी भूभागों में रहने वाले प्रभावित समुदायों के लिए भी जागरूकता जागरण कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।

भारतीय मौसम विभाग की सहायता से एस ए एस ई/रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा पूरी शीत ऋतु के दौरान दायित्व के क्षेत्र (ए ओ आर) के लिए 36 घंटे पूर्व हिमधाव पूर्वानुमान बुलेटिन जारी किए जाते हैं। ए ओ आर के तहत कवर किए जाने वाले बृहद क्षेत्रों को देखते हुए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मार्बल ब्लॉकों के आयात हेतु कोटा

1414. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मार्बल ब्लॉकों के आयात हेतु कोटे में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मार्बल ब्लॉक की मांग कितनी थी तथा कितनी मात्रा में मार्बल ब्लॉक का आयात किया गया;

(घ) इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यापारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड अपनाया गया;

(ङ) आयात कोटा में वृद्धि के कारण राजस्थान मार्बल उद्योग को होने वाले संभावित घाटे की केन्द्र सरकार किस तरीके से भरपाई करेगी;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक नीति तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय नागरिकों का विदेशियों के रूप में पंजीकरण

1415. श्री अबु अशीश मंडल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम के होटलों तथा पर्यटन स्थलों में भारतीय नागरिकों का पंजीकरण विदेशियों के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1416. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को प्रोत्साहित करने हेतु किसी प्रोत्साहन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई) द्वारा किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने अप्रवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) द्वारा निवेश सहित एफ.डी.आई. हेतु एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरूआत की है। मौजूदा नीति में अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। एन.आर.आई. को घरेलू एयरलाइन्स क्षेत्र में विशेष छूट की अनुमति दी गई है जहां 100 प्रतिशत तक एन.आर.आई. निवेश की अनुमति है। निर्माण विकास क्षेत्र में एन.आर.आई. निवेश पर न्यूनतम पंजीकरण विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्र तथा मूल निवेश के लॉक-इन की शर्तें लागू नहीं होती हैं।

(ग) एन.आर.आई. से निवेश संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। फिर भी पिछले 3 वर्ष के दौरान एन.आर.आई. से निवेश सहित एफ.डी.आई. का राज्यवार अन्तर्वाह दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल, 2004 से अगस्त, 2007 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रवार (राज्य सम्मिलित) एफ डी आई अन्तर्वाह

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	आर बी आई का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2004-2005 अप्रैल-मार्च	2005-2006 अप्रैल-मार्च	2006-2007 अप्रैल-मार्च	2007-2008 अप्रैल-अगस्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	162.71	238.20	594.24	253.77	1,248.92
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91
3.	पटना	बिहार, झारखंड	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	अहमदाबाद	गुजरात	133.39	150.83	368.92	125.21	778.35
5.	बंगलौर	कर्नाटक	249.53	412.37	714.34	649.95	2,026.19
6.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	7.37	13.09	13.56	5.62	39.63
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	15.24	9.67	29.09	35.25	89.26
8.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन व दीव	698.32	969.25	3,599.13	1,740.14	7,006.83
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	70.59	10.62	7.47	88.68
10.	जयपुर	राजस्थान	1.00	0.76	50.20	10.75	62.71
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	79.52	268.15	1,311.94	279.42	1,939.04
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.01	0.00	12.83	0.00	12.83
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	101.93	91.81	57.89	20.39	272.03
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	2.97	85.51	21.82	41.36	151.66
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग	816.74	1,040.77	2,446.12	1,778.14	6,081.77
16.	पणजी	गोवा	22.50	7.62	74.78	0.78	105.67
17.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये #	क्षेत्र दर्शाये नहीं गये	924.54	2,181.10	3,186.16	1,496.13	7,787.94
	योग		3,218.69	5,539.72	12,491.77	6,444.38	27,694.56
18.	अंतर्वाह का अग्रिम*		540.25	0.00	0.00	0.00	540.25
19.	स्टॉक स्वेपड*		0.00	6.23	3,234.42	0.17	3,240.82
	कुल योग		3,758.94	5,545.95	15,726.19	6,444.55	31,475.63

नोट: (1) केवल 'इक्विटी पूंजी संघटक' शामिल है।

(2) क्षेत्रवार एफ डी आई अन्तर्वाह, आर बी आई, मुंबई द्वारा प्रस्तुत आर बी आई के क्षेत्रवार अंतर्वाह के अनुसार वर्गीकृत हैं।

(3) इसमें मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण सम्मिलित है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रवार अंतर्वाह नहीं उपलब्ध कराया है।

* रिजर्व बैंक ने क्षेत्रवार अन्तर्वाह उपलब्ध नहीं कराया है।

[अनुवाद]

देश में भूस्खलन/हिमधाव

1417. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में भूस्खलन/हिमधाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, क्योंकि इन भूस्खलनों/हिमधावों के कारण सर्दियों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र मौसमी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की जांच करता है। भूस्खलन की फेहरिस्त और डाटाबेस तैयार करने के लिए उत्तराखंड में भूस्खलन के 404, हिमाचल प्रदेश में 351 और जम्मू और कश्मीर में 86 मामलों का प्रारम्भिक आकलन किया है।

उपर्युक्त तीनों राज्यों में प्रतिवर्ष मानसून अवधि के दौरान महत्वपूर्ण मार्ग गलियारों और घनी आबादी वाले भूस्खलन संभावित स्थानों का स्थल विशिष्ट अध्ययन भी किया जाता है। ये अध्ययन राज्य सरकार अथवा सड़क अनुरक्षण प्राधिकारियों के अनुरोध पर किया जाता है। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य ढाल अस्थिरता लाने वाले कारक तत्वों, स्खलनों के प्रमुख ढंग, हुई अथवा होने वाली सम्भावित क्षति बताना और भूस्खलनों को रोकने के लिए समुचित सुधारात्मक उपाय सुझाना है।

जी एस आई ने स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त अनुरोध पर कुछ स्थल विशिष्ट क्षेत्रों पर हिमधाव पर का अध्ययन भी किया है।

इन हिमधाव का अध्ययन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में खारदुंग ला एरिया और सिंध बेसिन में तथा उत्तराखंड राज्य में धौलीगंगा, मंदाकिनी बेसिन और गंगोत्री, यमनोत्री क्षेत्र में किया गया।

रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी अर्थात हिमधाव अध्ययन प्रतिष्ठान (एम ए एस ई) लेह, मनाली और श्रीनगर को जोड़ने वाले दो रणनीतिक राजमार्गों पर हिमपात और हिमधाव की समस्याओं का अध्ययन करती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी एवं मौसम पूर्व चेतावनी केन्द्र तथा सेना, एस ए एस ई के समन्वय से मौसम/हिमधाव भविष्यवाणी भी करता है।

साक्ष्य अधिनियम

1418. श्री पी.सी. थामस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साक्ष्य संग्रहण हेतु जटिल प्रक्रियों के कारण न्याय प्राप्त न होने के अनेक मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) दण्ड न्याय को अधिकांशत: राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। हालांकि आपराधिक मामलों में जांच एवं साक्ष्य संग्रहण दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आते हैं परन्तु इन साक्ष्यों की स्वीकार्यता या अन्यथा का निर्धारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में पेटेंट फाइल करना

1419. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व औसत की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर कुल कितने पेटेंट फाइल किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2004 के दौरान चीन एवं विश्व औसत की तुलना में भारत में कितने पेटेंट लागू हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में विश्व के 800 पेटेंटों में से मात्र एक पेटेंट हो पाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) के सृजन में सहायता हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) *स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन 2004: यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन फंड रिपोर्ट* में दिए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व जनसंख्या (6377.6 मिलियन) के आधार पर तथा *वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) पेटेंट रिपोर्ट: स्टेटिस्टिक्स ऑन वर्ल्डवाइड पेटेंट एक्टिविटी, 2006 एडिशन* में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2004 में विश्व भर में दायर किए गए पेटेंटों (15,99,000) के आधार पर, 250.72 के विश्व औसत की तुलना में वर्ष 2004-05 में भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर दायर किए गए कुल पेटेंटों की संख्या 16.40 थी।

(ख) भारत में प्रभावी पेटेंटों की संख्या वर्ष 2004 में 6,406 थी जबकि चीन में यह 1,82,385 थी। *स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन 2004: यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन फंड रिपोर्ट* में दिए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व जनसंख्या (6377.6 मिलियन) के आधार पर और *वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) पेटेंट रिपोर्ट: स्टेटिस्टिक्स ऑन वर्ल्डवाइड पेटेंट एक्टिविटी, 2006 एडिशन* में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2004 में विश्व भर में प्रभावी पेटेंटों की संख्या (5.4 मिलियन) के आधार पर 2004 में प्रभावी पेटेंटों का विश्व औसत 846.71 प्रति मिलियन था।

(ग) *वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) पेटेंट रिपोर्ट: स्टेटिस्टिक्स ऑन वर्ल्डवाइड पेटेंट एक्टिविटी, 2007 एडिशन* के अनुसार 2005 में विश्व भर में 5.6 मिलियन पेटेंट प्रभावी थे। लेकिन इस संख्या में एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न देशों में प्राप्त किए गए पेटेंट भी शामिल हैं। अत: विश्व भर में प्रभावी पेटेंटों की तुलना में भारत में प्रभावी पेटेंटों के अनुपात के बारे में निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा। अलबत्ता, 2005 में भारत में प्रभावी पेटेंटों की संख्या 6857 थी।

(घ) सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन में सहायता हेतु किए गए प्रयास निम्न प्रकार हैं:-

(1) अवसंरचना विकास, कंप्यूटरीकरण, मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 153.00 करोड़ रुपये की लागत से बौद्धिक संपदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण की एक योजना कार्यान्वित की गई थी।

(2) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में चार नए एकीकृत बौद्धिक संपदा कार्यालय स्थापित किए गए थे।

(3) नागपुर में 18 अगस्त, 2007 को एक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी गई है।

(4) 20 जुलाई, 2007 से पेटेंट आवेदनों की ई-फाइलिंग शुरू की गई है।

(5) बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता और इनके संवर्धन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(6) बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, जापान, स्विटजरलैंड और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच अंतर

1420. श्री हितेन बर्मन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी विभेद को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां; राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है जिसका आशय यह है कि एक विशेष स्तर तक सभी विद्यार्थियों को उनकी जाति, पंथ, स्थान अथवा बालक-बालिका जैसी बातों पर ध्यान दिए बिना ही अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु भी प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को स्वीकार किया गया है कि निम्नकोटि की बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र प्रशिक्षित तथा शिक्षित युवाओं का लाभ तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक

ग्रामीण-शहरी विषमताओं को कम नहीं किया जाता और रोजगार के विविध अवसरों तथा इसके संवितरण को बढ़ावा देने के निमित्त दृढ़ उपाय नहीं किए जाते। इसके अनुसरण में बड़ी संख्या में योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जो मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा सहित ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, महिला समाख्या और विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 546 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे। गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद जैसी अन्य संस्थाएं भी मौजूद हैं जो शिक्षा में विषमताओं को दूर करने जैसे मुद्दों को निपटाती हैं।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित अंतर का वर्षवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। हालांकि, साक्षरता प्रतिशत का उपयोग मापदण्ड के रूप में किया जा सकता है। पिछले दशक में ग्रामीण-शहरी साक्षरता अन्तराल में 7.21% बिन्दु की कमी आई है जैसाकि निम्नलिखित सारणी से विदित है:-

ग्रामीण-शहरी साक्षरता दर 1991-2001

वर्ष	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1991 (7 वर्ष तथा उससे ऊपर)			
ग्रामीण	57.87	30.62	44.69
शहरी	81.09	64.05	73.08
कुल	64.13	39.29	52.21
2001 (7 वर्ष तथा उससे ऊपर)			
ग्रामीण	70.70	46.13	58.74
शहरी	86.27	72.86	79.92
कुल	75.26	53.67	64.84

स्रोत: भारत की जनगणना।

(ग) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियों का आवंटन ग्रामीण-शहरी आधार पर नहीं किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को खतरा

1421. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़-तोड़ से खतरे की आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निवेशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ग) क्या प्रस्तावित नया कानून अमरीका के एक्सोन-फ्लोरी एक्ट की तर्ज पर बनाए जाने की संभावना है जिसमें विदेशी निवेशकों द्वारा स्थानीय कंपनियों के अधिग्रहण करने पर रोक लगाने का अधिकार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रसार भारती की सेवा शर्तें

1422. श्री जे.एम. आरून रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी तक प्रसार भारती के कर्मचारियों को नियमित करने, स्थानांतरित करने और अन्य सेवा शर्तों संबंधी नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के पेशेवर अधिकारियों को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती के कर्मचारियों

की 122 श्रेणियों के संबंध में भर्ती, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के संबंध में विनियम अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा कर्मचारियों की शेष श्रेणियों के संबंध में विनियम मसौदा प्रारूप में तैयार हैं। तथापि, इन विनियमों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि ये विभिन्न कर्मचारी संगठनों को स्वीकार्य नहीं थे। इस मामले को निर्णय लिए जाने के लिए मंत्री-समूह के विचारार्थ भेज दिया गया है। मंत्री-समूह द्वारा मामले पर विचार अंतिम चरण में हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी में व्यावसायिक अधिकारियों की नियमित पदोन्नति तभी की जाती है जबकि वह देय होती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना और वास्तुकला विद्यालय की स्थापना

1423. श्री डी. विट्टल राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश सरकार से योजना और वास्तुकला विद्यालय की स्थापना के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा, कृष्णा जिले में उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु लगभग 100 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) योजना आयोग ने 11वीं योजना के दौरान दो नए योजना और वास्तुकला विद्यालय स्थापित करने को 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदित कर दिया है। ये विद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने अब इन विद्यालयों को स्थापित करने के लिए भोपाल तथा विजयवाड़ा में क्रमश: 100-100 एकड़ भूमि निर्धारित कर ली है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी चेन्नई और कोयम्बटूर में इस प्रकार के दो विद्यालय खोलने का अनुरोध किया है। तथापि, इस समय 11वीं योजना के दौरान इस प्रकार के और विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण पब्लिक स्कूल

1424. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण छात्रों को पब्लिक स्कूलों के छात्रों के समकक्ष लाने के लिए उन्हें अंग्रेजी विषय का उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने की अवधारणा को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने 15.08.2007 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से 6000 उच्च गुणवत्तायुक्त मॉडल स्कूलों को सहायता देने के सरकार के निर्णय की घोषणा की ताकि उस क्षेत्र में अन्य स्कूलों के लिए उत्कृष्टता के मानदण्ड निर्धारित किए जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एक स्कीम तैयार की जा रही है जिसके पश्चात राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

हुजी की गतिविधियां

1425. योगी आदित्यनाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन, हुजी देश में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सक्रिय बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों के क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन आतंकवादी संगठनों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार हरकत-उल-जेहाद-

अल-इस्लामी-बांग्लादेश (एच यू जे ए आई - बी डी) के भारत-विरोधी कार्यकलापों में उनकी संलिप्तता की जानकारी 2005 से मिली है। अक्टूबर, 2005 में हैदराबाद स्थित विशेष कार्य बल (एस टी एफ) के कार्यालय पर हुए आत्मघाती आतंकवादी हमले, मार्च, 2006 में वाराणसी में हुए दोहरे बम विस्फोटों आदि में इस संगठन और इसके कार्यकर्ताओं की संलिप्तता की सूचना मिली है।

(ग) सरकार, आतंकवादी संगठनों द्वारा दी गई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग करके एक बहु-आयामी रणनीति बनाई गई है जिसमें सीमा-पार से घुसपैठ रोकने के उपाय करना, आतंकवादी हिंसा संभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना, संवेदनशील क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास निरंतर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, आसूचना एकत्र करना और उसका आदान-प्रदान करना, पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाना तथा उनके कौशल और उनकी तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन करना और इंडिया रिजर्व बटालियनों आदि का गठन करना शामिल है। परस्पर कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण संधियों, सूचना और आसूचना आदि के आदान-प्रदान की व्यवस्था करके आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजनार्थ गठित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से बांग्लादेश के साथ सुरक्षा संबंधित समस्यायें उठाई जाती हैं।

[अनुवाद]

एनडीएमसी में एस सी/एस टी के कर्मचारियों की शिकायतें

1426. श्री परसुराम माझी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आज की तिथि तक विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों का समाधान करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को आज की तिथि तक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ और नि:शक्त व्यक्तियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में परिषद की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सभी मुद्दों का समाधान कब तक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.) के कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान मौजूदा सामान्य अनुदेशों के अनुरूप किया जाता है।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ और नि:शक्त व्यक्तियों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) को प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा व्यापक जांच-पड़ताल किए जाने के पश्चात किया जाता है।

खनन उद्योग की वृद्धि

1427. श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन उद्योग में तीव्र वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की 9 से 10 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए खनन क्षेत्र में 13 से 14 प्रतिशत की वृद्धि हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत, इस्पात और एल्युमिनियम संयंत्रों के लिए मूल्यवर्द्धित परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा खनन उद्योग में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (च) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा बनाए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार खनन क्षेत्र ने वर्ष 2006-07 में 5.4% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2005-

06 में 1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति के घोषित होने से खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश की अनुमति दी गई है और अतिरिक्त निवेश, गवेषण तथा खनन में अधिक वृद्धि करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा। विद्युत (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), इस्पात तथा एल्युमिना संयंत्रों के लिए आटोमेटिक रूट के अंतर्गत शत-प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला

1428. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला कब हुआ था;

(ख) इस मेले से हमारे देश को समुचित मार्गदर्शन/विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों और कैरियर विकल्पों संबंधी सटीक और अधुनातन जानकारी मिलने में कितनी मदद प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इस मेले में भाग लेने से भारत को प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला आयोजित नहीं किया है। तथापि, निजी क्षेत्र के प्रयासों से आयोजित शिक्षा मेलों के बारे में मीडिया रिपोर्टें समय-समय पर सामने आई हैं।

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से सरकारी निजी भागीदारी

1429. श्री मनोरंजन भक्त: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी उत्पादों के विपणन और खुदरा बिक्री हेतु द्वीपीय क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को पाटने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से सरकारी-निजी भागीदारी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सरकारी-निजी भागीदारी उद्यमियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक द्वीपीय क्षेत्रों में रुचि दिखाई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में द्वीपीय क्षेत्रों हेतु ऐसे प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में पहले से ही बिक्री केन्द्रों का संवर्धन कर रही है और बहुत से बिक्री केन्द्र केवीआईसी द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे हैं, उन्हें भी पीपीपी मोड के तहत लाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। केवीआईसी को पायलट आधार पर विपणन एजेन्टों के रूप में शिक्षित युवाओं को सहयोग देकर खादी उत्पादों के विपणन के लिए उचित रूप से डिजाइन किए गए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर विचार करने की भी सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन भवन

1430. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री मोहन सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंडी हाउस, नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या संसद मार्ग पर आकाशवाणी भवन हेतु भी नया निर्माण कार्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य बल कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या खेलगांव स्थित दूरदर्शन कार्यालय किराए के भवन में चल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके प्रतिमाह किराए का ब्यौरा क्या है और इसके रख-रखाव पर प्रतिमाह कितनी धनराशि खर्च की जा रही है एवं इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार की मंशा अपव्यय को रोकने के लिए दूरदर्शन के सभी कार्यालयों को मंडी हाउस स्थित नए भवन में स्थानांतरित करने की है; और

(ज) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) मंडी हाउस, नई दिल्ली में नए दूरदर्शन भवन का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है और इस भवन में स्थापित स्टूडियो केंद्र कार्यशील है।

(ग) और (घ) संसद मार्ग स्थित नए प्रसारण भवन को दिनांक 23.08.2005 को चालू कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) मंडी हाउस स्थित नए भवन में स्थानाभाव के कारण दूरदर्शन के सभी कार्यालयों को समायोजित कर पाना संभव नहीं है। तथापि, इस समय सी पी सी, खेल गांव से कार्यशील समाचार स्टूडियो को नए भवन में स्थानांतरित करना परिकल्पित है।

हथियारों की तस्करी

1431. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में हथियारों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक जब्त किए गए हथियारों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादियों/आतंकवादियों/राष्ट्रविरोधी तत्वों सहित इनके द्वारा सीमा पार से तथा देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में हथियारों की तस्करी की जा रही है।

(ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005 से 2007 (सितम्बर तक) के दौरान राज्य और संघ शासित वार जब्त किए गए अवैध हथियारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। तस्करी किए गए हथियारों के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सरकार ने अवैध/गैर कानूनी हथियारों की तस्करी/प्रचुरोभ्दावन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) राज्य और संघ शासित प्रदेश सरकारों को अवैध हथियारों/शस्त्रों का पता लगाने के लिए सतत और निरंतर प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

(2) स्थिति का प्रबोधन करने और ध्यान रखने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(3) भारत-पाक तथा बांग्लादेश सीमाओं पर सीमावर्ती बाड़ लगाकर, सीमा पर सुरक्षा बल तैनात करके, इन्फ्रा रैड-सेंसर, थर्मल ईमेजिंग डिवाइस (नाइट विजन डिवाइस सहित), भूमिगत डिवाइस लगाकर, बाड लाइटों को सक्रिय करने के लिए ट्रिप वायर तंत्र, युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार आदि लगाकर सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों मे जब्त/बरामद किए गए अवैध हथियारों की वर्ष वार कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य	2005	2006	2007 (सितम्बर तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	218	711	84
2.	बिहार	553	527	219

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	91	209	307
4.	गुजरात	56	98	41
5.	गोवा	0	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0
7.	हरियाणा	397	224	173
8.	जम्मू और कश्मीर	2626	1580	892
9.	कर्नाटक	51	44	20
10.	केरल	18	32	15
11.	मध्य प्रदेश	611	1422	372
12.	महाराष्ट्र	818	506	462
13.	उड़ीसा	24	29	69
14.	पंजाब	291	266	106
15.	राजस्थान	417	805	356
16.	सिक्किम	0	3	1
17.	तमिलनाडु	95	121	29
18.	उत्तर प्रदेश	7766	8446	5913
19.	पश्चिम बंगाल	302	657	1001
20.	उत्तरांचल	128	558	300
21.	झारखंड	172	93	125
22.	छत्तीसगढ़	165	193	110
	पूर्वोत्तर			
23.	असम	207	179	35
24.	अरुणाचल प्रदेश	15	6	13
25.	मणिपुर	216	162	156
26.	मेघालय	59	45	41
27.	मिजोरम	102	11	12
28.	नागालैंड	16	41	20
29.	त्रिपुरा	39	49	22
	कुल	15458	17017	10894

टिप्पणी: हथियारों में सभी प्रकार के शस्त्र जैसे ए के 47/56, पिस्तौल, कारबाइन, रिवाल्वर, बंदूक, राइफल, देशी हथियार आदि शामिल हैं।

औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं

1432. श्री लक्ष्मण सिंह:
श्री के. सी. पल्लानी शामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जापानी सरकार के वित्तीय सहयोग से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत किन-किन राज्यों को कवर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों की तर्ज पर चेन्नई-बंगलौर औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार ने अगस्त, 2007 में ''दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना की रूप-रेखा को सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया है। अवधारणा पत्र में विभिन्न वित्तीय विकल्पों की परिकल्पना है जिसमें जापान सरकार से विकल्प भी शामिल है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली औद्योगिक अवसंरचना प्रदान करना है, ताकि बढ़ते हुए घरेलू और विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र के निवेश वातावरण में सुधार किया जा सके। पहले चरण में 12 औद्योगिक नोड विकसित करने का प्रस्ताव है, जिनमें औद्योगिक संपदा, नॉलेज हब, कृषि प्रसंस्करण हब, आई टी/आई टी ई एस हब, लॉजिस्टिक हब तथा भौतिक अवसंरचना (फीडर रोड/रेल लाईन, पत्तन, हवाई अड्डे, विद्युत आदि) जैसी अपेक्षित औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएं होंगी।

(ग) इस परियोजना में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र को शामिल किया जाना परिकल्पित है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर की तरह उत्कृष्ट औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में चैन्नई-बेंगलूरु औद्योगिक कॉरीडोर को विकसित करने की घोषणा करने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया है।

[अनुवाद]

विशेष खनन क्षेत्र

1433. डा. राजेश मिश्रा:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में खनिज-बहुल क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें विशेष खनन क्षेत्र (एसएमजेड) के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस्पात और विद्युत क्षेत्र जैसे संभावित रक्षित उद्योगों में एसएमजेड आवंटन के फलस्वरूप घरेलू सकल उत्पाद में अधिक वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और खनिज रियायतें करती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है और मामला दर मामला के आधार पर खनिज रियायत के प्रस्ताव के गुण दोषों का मूल्यांकन करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा इसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाती है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) के दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षा समितियां

1434. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में अभी तक शिक्षा समितियां गठित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा समितियों के कार्यकरण की समुचित लेखा-परीक्षा, समीक्षा और निगरानी के अभाव में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समितियों के कार्य की समीक्षा और निगरानी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) इस विषय पर केन्द्र द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

मानित विश्वविद्यालय

1435. श्री राम कृपाल यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कार्यरत मानित विश्वविद्यालयों के नाम और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की निकट भविष्य में और मानित विश्वविद्यालयों को अनुमति देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार नए मानित विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और अभी कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सम-विश्वविद्यालय संस्थान के नाम तथा संख्या को दर्शाने वाला विवरण 1 संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत संस्थान को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केन्द्र सरकार को उनकी सिफारिश भेजने हेतु भेजी जाती है। केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को मैरिट के आधार पर जांच करती है तथा उसके बाद संस्थान को सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से उसे सम-विश्वविद्यालय घोषित करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और आवेदनों की प्राप्ति तथा उसका मैरिट के ऊपर निर्भर करता है।

(घ) से (च) इस संबंध में विवरण 2 संलग्न है। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्थानों की जांच करना, राज्य सरकारों का विचार प्राप्त करना, संबंधन विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सांविधिक व्यावसायिक परिषदों/विनियामक निकायों की सहमति प्राप्त करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्ण बैठक में विचार करना आदि शामिल है। यह प्रक्रिया श्रमसाध्य तथा समय लेने वाली है। इसलिए प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण I

मानित विश्वविद्यालयों की सूची
(15.11.2007 की स्थितिनुसार)

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	को अधिसूचित
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	16.11.1987
2.	श्री सत्य साई उच्चतर अध्ययन संस्थान, प्रसंथी निलायम	10.11.1981
3.	सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद	21.08.2001
4.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (जीआईटीएएम), विशाखापट्टनम	13.08.2007
	अरूणाचल प्रदेश	
5.	पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, एटानगर	31.5.2005
	बिहार	
6.	बिहार योग भारती, मुंगेर	7.6.2000
7.	नवा नालंदा महावीरा, नालंदा	13.11.2006
	गुजरात	
8.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	16.7.1963
9.	सुमनदीप विद्यापीठ, गांव पिपारिया, तालुका वघोडिआ, जिला वदोदरा (गुजरात)	17.01.2007
	हरियाणा	
10.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	28.3.1989
11.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव	20.5.2002
12.	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना-अम्बाला	12.06.2007
	झारखंड	
13.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची	28.8.1986
14.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	18.9.1967
	कर्नाटक	
15.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	12.5.1958
16.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा एकादमी, मणिपाल	1.6.1993

1	2	3
17.	मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान, बंगलौर	14.11.1994
18.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	8.5.2002
19.	जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर	13.8.2002
20.	सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बंगलौर	28.2.2005
21.	के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान एकादमी, बेलगाम (कर्नाटक)	13.4.2006
22.	श्री देवाराज उर्श उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान एकादमी, तमका, कोलार, कर्नाटक	25.5.2007
	केरल	
23.	केरल कलामंडलम, वल्लाथोल नगर, चेरूथुरूथी, त्रिचूर	14.3.2006
	मध्य प्रदेश	
24.	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान, ग्वालियर	21.9.1995
25.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन भारतीय संस्थान, ग्वालियर	26.3.2001
	महाराष्ट्र	
26.	भारती विद्यापीठ, पुणे	26.4.1996
27.	मत्स्य पालन शिक्षा केन्द्रीय संस्थान, मुम्बई	27.3.1989
28.	डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे	5.3.1990
29.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	7.5.1993
30.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	5.12.1995
31.	शस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	10.9.1999
32.	जनसंख्या विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	31.7.1985
33.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	29.4.1964
34.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	28.4.1987
35.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	7.5.2002
36.	सिम्बोसिस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक केन्द्र, पुणे पदमश्री डा. डी.वाई. पाटील विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुम्बई	6.5.2002
37.	विश्वेसवरैय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	20.6.2002
38.	नरसी मनजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान, मुम्बई	13.1.2003
39.	डा. डी.वाई. पाटील विद्यापीठ, पिमपरी, पुणे	11.1.2003

1	2	3
40.	प्रावरा मेडिकल साईंस संस्थान, लोनी, जिला अहमदनगर	29.9.2003
41.	दत्ता मेघी मेडिकल साईंस संस्थान, नागपुर	24.5.2005
42.	कृष्णा मेडिकल साईंस संस्थान, कारद, सतारा	24.5.2005
43.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	3.6.2005
44.	डी.वाई. पाटील मेडिकल कॉलेज, कोल्हापुर	1.9.2005
45.	एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुम्बई	30.8.2006
	उड़ीसा	
46.	कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	16.2.2004
47.	शिक्षा ''ओ'' अनुसंधान, खानदागिरी, भुवनेश्वर	17.07.2007
	पंजाब	
48.	थापर इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, पटियाला	30.12.1985
49.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़	16.10.2003
50.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लोंगोवाल, जिला संगरूर	10.04.2007
	राजस्थान	
51.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	25.10.1983
52.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	27.06.1964
53.	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	12.01.1987
54.	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनू	20.03.1991
55.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एज्युकेशन ऑफ गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर	25.06.2002
56.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान	20.02.2004
57.	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी, जयपुर	03.02.2006
	तमिलनाडु	
58.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एज्युकेशन फॉर वूमेन, कोयम्बटूर	08.06.1988

1	2	3
59.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	03.08.1976
60.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	26.05.1993
61.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैन्नई	29.09.1994
62.	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, सलेम	1.03.2001
63.	शनमुघा आर्टस, साइंस, टेक्नालॉजी एण्ड रिसर्च एकेडमी, तंजावूर	26.04.2001
64.	वैल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, वैल्लोर	19.06.2001
65.	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, चैन्नई	16.07.2001
66.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, चैन्नई	04.07.2002
67.	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, चैन्नई	02.08.2002
68.	अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर	13.01.2003
69.	डा. एम.जी.आर. एज्युकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैन्नई	21.01.2003
70.	मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, चैन्नई	31.03.2004
71.	करूण्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर	23.06.2004
72.	सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्नीकल साइंस, चैन्नई	18.03.2005
73.	कलशलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एण्ड एज्युकेशन, आनंद नगर, कृष्णाकोयल, विरूद्ध नगर (आजकल आरूलमिगु कलशलिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आनंद नगर, कृष्णाकोयल, विरूद्ध नगर के रूप में कार्यशील)	20.10.2006
74.	चैन्नई मैथमेटीकल इंस्टीट्यूट, चैन्नई	15.12.2006
75.	पेरियार मनियामाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, पेरियार नगर, तंजावूर	17.08.2007

1	2	3
76.	एकेडमी ऑफ मेरीटाईम एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, चैन्नई	21.08.2007
	उत्तराखंड	
77.	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	28.11.1991
78.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	19.06.1962
79.	स्वामी राम विद्यापीठ, स्वामी राम नगर, पी.ओ. दोईवाल, देहरादून	06.06.2007
	उत्तर प्रदेश	
80.	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ	05.04.1988
81.	दयालबाग एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा	16.05.1981
82.	इंडियन वेटेरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	16.11.1983
83.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	15.03.2000
84.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद	04.08.2000
85.	भातखंडे म्युजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ	24.10.2000
86.	जे.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी, नोएडा	01.11.2004
87.	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	08.11.2006
88.	संतोष यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद	13.06.2007
	पश्चिम बंगाल	
89.	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एज्युकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेल्लूर मठ, हावड़ा	05.01.2005
	नई दिल्ली	
90.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	1958
91.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	10.05.1989
92.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	1979
93.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	16.11.1987
94.	नेशनल म्युजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ दि हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जरवेशन एण्ड म्युजियोलॉजी, नई दिल्ली	28.04.1989

1	2	3
95.	टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांसड स्टडी, नई दिल्ली	05.10.1999
96.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	07.05.2002
97.	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली	20.05.2002
98.	इण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	29.10.2004
99.	नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली	11.03.2005
100.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली	11.08.2006

टिप्पणी: यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के उद्देश्यार्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जो पहले सम विश्वविद्यालय थे, उन्हें अब राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. 20-22/2004-टी.एस.3 दिनांक 09 अगस्त, 2007 के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हो गई हैं। अत: अब सम विश्वविद्यालय नहीं हैं।

विवरण III

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या (वर्ष 2005, 2006 एवं 2007) 15.11.2007 तक)	कालम 3 के स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या	2005 से पूर्व प्रस्तावों की संख्या और जो पिछले तीन वर्ष में स्वीकृत किया गया	स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की कुल संख्या	वे प्राप्त प्रस्ताव जो 1.1.2005 से लम्बित पड़े हैं उनकी कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11	01	01	02	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	01	01	–
3.	असम	01	–	–	–	01
4.	बिहार	–	–	01	01	–
5.	छत्तीसगढ़	01	–	–	–	01
6.	गुजरात	06	–	01	01	06
7.	हरियाणा	05	01	01	02	04
8.	जम्मू और कश्मीर	02	–	–	–	02
9.	झारखंड	03	–	–	–	03
10.	कर्नाटक	20	01	03	04	19
11.	केरल	09	–	01	01	09

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	10	–	–	–	10
13.	महाराष्ट्र	22	01	05	06	21
14.	उड़ीसा	03	–	01	01	03
15.	पंजाब	02	–	01	01	02
16.	पांडिचेरी	02	–	–	–	02
17.	राजस्थान	04	–	01	01	04
18.	तमिलनाडु	21	02	05	07	19
19.	त्रिपुरा	01	–	–	–	01
20.	उत्तराखंड	03	01	01	02	02
21.	उत्तर प्रदेश	18	–	02	02	18
22.	पश्चिम बंगाल	03	–	01	01	03
23.	नई दिल्ली	08	01	02	03	07
	कुल	155	08	28	36	147

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

1436. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राज्य में योजना की प्रगति की अंतिम बार समीक्षा कब की गई थी;

(ग) समीक्षा के दौरान योजना में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना 2001-02 में समाप्त हो गयी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

1437. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) इन विद्यालयों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन विद्यालयों के परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजा गया केजीबीवी को वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ज) भारत सरकार ने मार्च, 2007 तक 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए हैं। संस्वीकृत तथा कार्यरत कस्तूरबा गांधी विद्यालय और उनमें नामांकित बालिकाओं की संख्या संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में बालिका शिक्षा पर फरवरी, 2007 में 12 राज्यों में स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया जिन्होंने इस योजना के कार्यकरण को संतोषजनक पाया। राष्ट्रीय मूल्यांकन की रिपोर्ट वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. एसएसए.एनआईसी.आईएन पर उपलब्ध है।

भारत सरकार के पास महाराष्ट्र से वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। क्योंकि राज्य में शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी पात्र ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

विवरण

31 अक्टूबर, 2007 तक संस्वीकृत, कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा उनमें नामांकित बालिकाओं की राज्य तथा संघ राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या	कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	नामांकित बालिकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	342	134	17960
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	25	1250
3.	असम	15	15	733
4.	बिहार	350	173	9435
5.	छत्तीसगढ़	84	84	5422
6.	दादर और नगर हवेली	1	0	0
7.	गुजरात	52	51	2669
8.	हरियाणा	9	6	324
9.	हिमाचल प्रदेश	10	9	346
10.	जम्मू और कश्मीर	51	13	781
11.	झारखंड	187	187	16885

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	61	61	5446
13.	मध्य प्रदेश	185	185	9245
14.	महाराष्ट्र	36	16	1414
15.	मणिपुर	1	1	30
16.	मेघालय	1	1	60
17.	मिजोरम	1	1	80
18.	उड़ीसा	114	114	9542
19.	पंजाब	2	2	50
20.	राजस्थान	186	186	11337
21.	तमिलनाडु	53	53	2220
22.	त्रिपुरा	7	7	140
23.	उत्तर प्रदेश	323	172	11730
24.	उत्तराखंड	25	22	1079
25.	पश्चिम बंगाल	59	46	1608
	कुल योग	2180	1564	109786

दलितों पर अत्याचार

1438. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में दलितों और उनके परिवारों के प्रति अत्याचार के मद्देनजर एक दलित हेल्पलाइन शुरू की है या अन्य वैकल्पिक प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है और कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा सभी लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में दलितों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक नया विधान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में एक हेल्पलाइन (सं. 1800118888) शुरू की गई है। अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम और लोक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा आयोजित योजना के अन्तर्गत संघ सरकार, प्रवर्तन और न्यायिक मशीनरी को सुदृढ़ करने, जागरूकता सृजन, पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास, अन्तरजातीय विवाह आदि के लिए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को उचित केन्द्रीय सहायता देती है।

(ख) और (ग) लोक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम तथा अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2004 से 2006 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार दर्ज मामलों, चार्जशीट दायर मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्र दायर किए गए व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः विवरण 1 और 2 पर दिया है। अ.ज.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम में त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान है और अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

लोक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 2004-2006 के दौरान दर्ज मामलों (सी आर), आरोप पत्र दायर किए गए मामलों (सी एस), दोष सिद्ध मामालों (सी वी), गिरफ्तार व्यक्तियों (पी ए आर), आरोप पत्र दासर किए गए व्यक्तियों (पी सी एस) और दोष सिद्ध व्यक्तियों का विवरण

		2004						2005						2006					
क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	72	80	28	68	110	27	61	39	11	78	72	23	105	44	7	78	90	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	98	82	8	178	171	9	95	64	2	144	160	2	2	29	0	2	30	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	5	5	1	11	11	1	6	5	2	11	10	2	4	5	1	9	10	1
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	7	3	0	5	5	0	12	16	0	2	2	0	8	8	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3	3	1	12	12	1	1	1	0	1	1	0	2	2	1	6	5	9
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	168	20	3	64	1	0	45	19	0	14	47	5
12.	कर्नाटक	39	43	1	108	108	2	28	21	0	110	106	0	26	21	0	147	131	0
13.	केरल	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	1	2	- 1	1	15	1	1	21	2	2	21	1	1	3	1	1	1
15.	महाराष्ट्र	26	25	2	61	67	3	32	24	0	146	138	0	36	34	0	70	76	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	11	0	0	43
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	71	26	5	38	35	6	12	4	1	10	12	0	84	79	6	95	77	2
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	35	31	23	58	48	63	28	25	59	45	51	172	133	106	59	326	290	110
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	355	297	71	542	566	128	440	212	100	628	574	222	440	342	88	756	765	182
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	3	0	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	20	15	1	16	28	1	12	5	1	6	5	1	14	4	1	12	6	2
	कुल संघ शासित क्षेत्र	20	15	4	16	28	4	13	6	1	7	6	1	14	4	1	12	6	2
	कुल अखिल भारत	375	312	75	558	594	132	453	216	101	635	580	223	454	346	89	768	771	184

स्रोत: भारत में अपराध

*अनंतिम आंकड़े

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों के निपटान के संबंध में जानकारी में विगत वर्षों के लंबित मामलों से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

विवरण II

अ.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2004 से 2006 के दौरान दर्ज मामलों (सीआर), आरोप पत्र दायर किए गए मामलो (सीएस), दोष सिद्ध मामलों (सी वी), गिरफ्तार व्यक्तियों (पी ए आर), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्तियों (पी सी एस) और दोष सिद्ध व्यक्तियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004						2005						2006					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1466	865	92	1781	1333	165	1440	1056	155	1581	1396	231	1812	954	66	1917	1835	152
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1838	767	64	1962	1578	83	1200	823	104	1994	1673	154	1470	877	85	2478	1953	208
5.	छत्तीसगढ़	339	314	45	420	401	323	208	213	67	314	299	94	281	249	108	438	451	123
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0
7.	गुजरात	470	435	16	1019	1009	34	507	473	8	1009	1001	21	412	382	5	790	791	8
8.	हरियाणा	31	18	2	35	35	9	73	39	6	82	72	7	86	51	4	91	93	7
9.	हिमाचल प्रदेश	42	14	1	30	39	4	20	15	0	34	27	0	43	25	2	45	54	5
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	93	61	12	191	180	19	216	112	8	152	107	16	226	117	14	269	187	24
12.	कर्नाटक	1179	875	25	3251	3340	68	1193	839	37	2771	2631	72	1168	891	24	3093	3002	50
13.	केरल	173	70	2	216	224	9	49	80	57	81	122	31	72	34	22	47	73	54
14.	मध्य प्रदेश	569	561	125	1178	1186	263	596	556	212	1042	1042	429	556	542	183	1060	1133	494
15.	महाराष्ट्र	259	192	8	551	510	14	310	246	8	661	652	11	408	293	12	635	574	17
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	733	589	67	1044	986	113	843	532	36	1131	1112	145	783	499	52	1083	1047	141
21.	पंजाब	61	29	0	106	50	0	72	29	5	79	81	9	99	51	2	174	101	4
22.	राजस्थान	726	381	315	933	939	838	506	242	275	621	621	601	145	51	220	89	89	650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
24.	तमिलनाडु	698	432	49	1233	1079	129	839	536	102	1531	1393	203	469	379	78	960	930	202
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1264	1056	1012	3010	2928	2825	1623	1337	903	3878	3350	2312	1707	1389	895	3892	3674	2422
27.	उत्तरांचल	115	50	32	237	130	60	50	39	26	84	99	52	48	28	19	73	73	65
28.	पश्चिम बंगाल	6	3	1	9	8	1	8	4	1	9	8	1	1	3	0	1	3	0
	कुल राज्य	10062	6712	1868	17206	15955	4957	9757	7171	2010	17054	15886	4389	9791	6817	1791	17137	16065	4626
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	4	3	1	2	3	2	21	5	2	15	4	5	21	8	2	11	20	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	14	2	1	0	5	1	0	0	1	0	0	4	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	4	3	1	2	3	16	23	6	2	20	5	5	22	9	2	11	24	3
	कुल अखिल भारत	10066	6715	1869	17208	15958	4973	9780	7177	2012	17074	15891	4394	9813	6826	1793	17148	16089	4629

स्रोत: भारत में अपराध

* अनंतिम आंकड़े

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों के निपटान के संबंध में जानकारी में विगत वर्षों के लंबित मामलों से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

[अनुवाद]

खनन नीति

1439. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई नई खनन नीति शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु एक मंत्री समूह गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्री समूह ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई खनन नीति के क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) नई खनन नीति को कब तक शुरू और लागू किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2007 सरकार के विचाराधीन है। मंत्रियों के समूह ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2007 पर विचार किया है और इस पर सरकार के विचार के लिए सिफारिश की है।

अन्तर्राष्ट्रीय संघवाद सम्मेलन

1440. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय संघवाद सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा बैठक के निष्कर्षों पर क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां,।

(ख) और (ग) सम्मेलन की चर्चा मुख्यत: चार विषयों के आस-पास केन्द्रित रही अर्थात विविधता उत्पन्न करना और उसे अनुग्राही बनाना, राजकोषीय संघवाद, संघीय प्रणाली में परस्पर वार्ता और संघीय प्रणालियों में स्थानीय सरकार।

इन विषयों को फिर तीन-तीन उप-विषयों में विभाजित किया गया और प्रत्येक उप-विषय को दो जातिगत मुद्दों पर केन्द्रित किया गया था। प्रति उप-विषय के प्रत्येक दो मुद्दों को समानांतर कार्य सत्रों में परस्पर चर्चा करने के लिए लिया गया था। कार्य सत्रों की जानकारी चार समानांतर विषय सत्रों में दी गई। इन सत्रों की अंतर्दृष्टि और जानकारी की सूचना अंतिम पूर्णाधिवेशन में प्रस्तुत की गई।

प्रत्येक सत्र के पृष्ठभूमि कागज पत्रों, भाषणों, विश्लेषणात्मक सारांशों और रिपोर्टों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की संघवाद अकादमियों के व्यावसायियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए एक संग्रह के रूप में संकलित किया गया ताकि प्रक्रिया में सुधार हो और अंततोगत्वा शासन पर इसका प्रभाव पड़े। सम्मेलन की सफलता से भारत सरकार को संघवाद और प्रजातंत्र की अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची तैयार करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने में सहायता भी मिली।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालय संगठन में अनियमितताएं

1441. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न जोनों में कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण और कम्प्यूटर संबंधी फर्नीचर की खरीद में अनियमितताएं और कदाचार बरता गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन जोनों में ऐसी अनियमितताओं और कदाचार का पता चला है और इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लखनऊ क्षेत्र से केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य में अनियमितताओं का पता चला है। एक अधिकारी को निलंबित किया गया है और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

जल बोर्ड घोटाला

1442. श्री रशीद मसूद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में जल बोर्ड घोटाले के संबंध में अभी तक सीबीआई द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) पाइपलाइन घोटाले में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सीबीआई द्वारा इस मामले में कितनी राशि जब्त की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली जल बोर्ड के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैसर्स कावेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. के एक पदाधिकारी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 23.4.2007 को आई पी सी की धारा 420 के साथ पठित धारा 120-ख आई पी सी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (घ) के साथ पठित धारा 11, 13 (2) के तहत आपराधिक मामला सं. आर सी 1 (क)/2007/ए सी यू-9 दर्ज किया है। दिल्ली जल बोर्ड के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैसर्स कावेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. के पदाधिकारियों और अन्यों के 13 परिसरों में तलाशी ली गई है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निवास स्थान से 98,500/- रुपए की नकद राशि, 225 यू के पाउंड और 110 अमरीकी डालर जब्त किए गए।

[हिन्दी]

विद्यालयों में शैक्षिक तकनीक योजना

1443. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक तकनीक योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार और विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्य उर्दू मीडियम विद्यालयों को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई/प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को वित्त वर्ष 2002-03 से समाप्त कर दिया गया था और दिसम्बर, 2004 में "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" नामक एक सुव्यवस्थित स्कीम शुरू की गई थी। इसीलिए पिछले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को "शैक्षिक प्रौद्योगिकी" स्कीम के तहत कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर के उर्दू माध्यम वाले विद्यालयों सहित सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" स्कीम के तहत शामिल किए जाने के पात्र है। राज्यों को उनकी कम्प्यूटर शिक्षा आयोजना के आधार पर निधियां संस्वीकृत की जाती हैं।

भारत में माओवादी घुसपैठ

1444. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर माओवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में माओवादी उग्रवादियों की घुसपैठ में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर नेपाल सरकार के साथ चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) सरकार अपने शासकीय कार्यों का निष्पादन सीमा पार समस्याओं के संबंध में यथाआवश्यक उपाय करके करती है।

सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग हेतु यथा उपयुक्त कदम निरंतर उठाए जाते हैं।

संस्थागत तंत्रों जैसे कि सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह और भारत तथा नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं में दोनों की सुरक्षा चिन्ताओं पर चर्चा की जाती है।

भारत-नेपाल सीमा की रक्षा सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) और संबंधित राज्य पुलिस बलों द्वारा की जाती है। राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने हेतु, सहायता, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता तथा आसूचना का आदान-प्रदान किया जाना शामिल है।

मिटको के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा

1445. श्री टेकलाल महतो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिटको के बंद होने के कारण लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अभ्रक का उत्पादन बढ़ाने के निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय विकास हेतु इस शीर्ष में जमा राशि से पुन: कोई सामुदायिक योजना शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अक्तूबर, 1990 में प्रसंस्कृत अभ्रक के व्यापार के सरणीकरण की समाप्ति के बाद मिटको, जो एमएमटीसी लि. की 100% सहायक कंपनी है, के वार्षिक कारोबार में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गिरावट आई थी। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का मामला औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भेज दिया गया था। बीआईएफआर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपने बलबूते पर मिटको का पुनरुद्धार संभव नहीं है। तदुनसार, 1.4.1994 से अभ्रक प्रभाग के तौर पर स्वतंत्र लाभ केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए मिटको का एमएमटीसी में विलय कर दिया गया था। तथापि, अभ्रक प्रभाग स्वयं को संभालने में असमर्थ रहा है और उसे घाटा हो रहा है। निरंतर घाटे के कारण संयंत्र प्रचालन बंद कर दिया गया है और एमएमटीसी द्वारा अभ्रक प्रभाग के मौजूदा 329 कर्मचारियों को निरर्थक वेतन दिया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना

1446. श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति के प्रवक्ताओं की नियुक्ति

1447. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित हिंदी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) पास की है;

(ख) क्या सरकार ने एक समय-सीमा के भीतर हिंदी नेट पास करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु कोई नियम तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों को अभी तक प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है; और

(घ) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित प्रवक्ता के पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान (दिसम्बर, 2004 से जून, 2007 तक) हिन्दी में 1205 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने 'नेट' उत्तीर्ण किया।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए

आरक्षित लेक्चररों के पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में अजा/अजजा प्रकोष्ठ की स्थापना

1448. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के छात्रों के साथ-साथ शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टॉफ को भी समान अवसर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों ने अजा/अजजा प्रकोष्ठ की स्थापना कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में अजा/अजजा प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों तथा इसके साथ-साथ अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ को समान अवसर प्रदान करने की निम्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अलपसंख्यकों हेतु सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग स्कीम।

(2) विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को नेट परीक्षा के लिए कोचिंग।

(4) सामाजिक समावेश हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग।

ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप दे दिए जाने के उपरान्त इन योजनाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 122 विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ अनुमोदित/स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर रहा है और ये निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल की स्थापना, यदि ऐसा सेल स्थापित नहीं हुआ है, के लिए भी लागू होते हैं।

[हिन्दी]

अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताएं

1449. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताएं/शैक्षिक कार्यकुशलता विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मानदंड को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को संदर्भ तारीख मानकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित किए गए सातवें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कुल 34,91,459 पूर्ण-कालिक शिक्षकों में से 6,39,905 शिक्षक अप्रशिक्षित थे।

(ख) चूंकि अधिकांश विद्यालय राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं इसीलिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के उपयुक्त प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का ही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

शिक्षकों को नियुक्त करने की न्यूनतम अर्हता के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करती है और पूरे देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति के मानदण्डों और मानकों को भी विनियमित करती है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों के सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित करती है। प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, विद्यालय के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और अनुवीक्षण इत्यादि जैसे उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन परियोजनाएं

1450. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुमोदन बोर्ड को विभिन्न एजेंसियों से विशेष आर्थिक जोन (सेज) परियोजनाओं की स्थापना हेतु कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुमोदन बोर्ड को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बोर्ड द्वारा विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त टिप्पणियों और शिकायतों की जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) परियोजनाओं हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अनुशंसित ऐसे सभी आवेदनों को एसईजेड हेतु अनुमोदन बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया जाता है और उक्त कार्यसूची को बोर्ड के सभी सदस्यों में काफी पहले परिचालित किया जाता है। बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों की टिप्पणियों और अभिमतों पर विचार किया जाता है और निर्णय सभी उपस्थित सदस्यों के मतैक्य से लिए जाते हैं।

(ग) से (च) भूमि/भूमि का उपयोग राज्य का विषय है और केवल उन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अनुशंसित होते हैं। कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के मामले में पहली प्राथमिकता बेकार और बंजर भूमि के अधिग्रहण के लिए होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एसईजेडों के लिए एकल फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि विशेष रूप से बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोनों हेतु न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूरीवश द्विफसली कृषि भूमि के एक भाग का अधिग्रहण करना ही पड़े तो यह एसईजेड हेतु अपेक्षित कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मुद्दे पर जन सामान्य की चिंताओं पर विचार करते हुए सरकार ने यह निर्देश दिया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एसईजेड को अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे एसईजेडों के लिए भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया है अथवा करने का प्रस्ताव किया है।

दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा

1451. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मुआवजा पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक संवितरित मुआवजे की राशि कितनी है और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु 16.1.2006 को एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी थी। मंजूर किए गए पुनर्वास पैकेज की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने 8369 लाभार्थियों को 128,03,24,667/-रुपये की राशि संवितरित की है।

विवरण

अति तत्काल
स्पीड पोस्ट/फैक्स द्वारा

सं.यू. 13018/46/2005-दिल्ली-1 (एन सी)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2006

सेवा में
मुख्य सचिव,
(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पंजाब एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

विषय: 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए ''पुनर्वास पैकेज'' की स्वीकृति।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 1984 के दंगो की जांच करने संबंधी न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की रिपोर्ट पर लोक सभा एवं राज्य सभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा 1984 के दंगा पीड़ितों को निम्नानुसार अनुग्रह राशि तथा अन्य सहायता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है:

(1) दंगों के दौरान हुई मौत के प्रत्येक मामले में 3.5 लाख रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होगी;

(2) चोट के प्रत्येक मामले में अनुग्रह राशि का भुगतान 1.25 लाख रु. में से राज्य सरकारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर किया जाएगा;

(3) 1984 के दंगों के दौरान रेलगाड़ियों में हुई मौत के सभी मामलों पर भी उचित सत्यापन के बाद अनुग्रह राशि के भुगतान पर विचार किया जाएगा। पंजाब सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय दावों के सत्यापन तथा इस प्रकार के मामलों की शिनाख्त करने में मदद करेंगे;

(4) मृत्यु तथा चोट के लिए अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने संबंधी किसी भी नए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। पहले अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके व्यक्ति ही बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के पात्र होने चाहिए। तथापि, यदि कोई लंबित अथवा ऐसे विवादित मामले हों, जिन पर आवश्यक सबूत/साक्ष्य के अभाव में निर्णय नहीं हुआ हो तो मामलों पर तभी विचार किया जा सकता है यदि उन्हें वाजिब दावों के रूप में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया हो;

(5) क्षतिग्रस्त रिहायशी सम्पत्तियों के लिए वास्तव में दी गई राशि की 10 गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसमें पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जाएगी;

(6) क्षतिग्रस्त, बीमा रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्ति के लिए राशि की दस गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जाएगी;

(7) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को आयु सीमा में आवश्यक छूट देकर अर्ध-सैनिक बलों, आई आर बटालियनों, राज्य पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी;

(8) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा दंगा प्रभावित परिवारों के पात्र सदस्यों को नौकरी दिए जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू कर सकती है;

(9) अन्य राज्यों में अपनी नौकरी गंवा चुके व्यक्तियों को पुन: कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी और उनकी अनुपस्थिति की अवधि को 'अकार्य दिवस' के रूप में माना जाएगा;

(10) जिन व्यक्तियों ने दंगों के कारण अपनी नौकरियां गंवा दी थी और जो अधिवर्षिता की आयु पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें जहां तक संभव हो सामान्य नियमों में छूट देकर पेंशन संबंधी आवश्यक लाभ दिए जाएंगे;

(11) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की सभी विधवाओं और वृद्ध माता-पिता को राज्य सरकारों द्वारा एक भविष्यलक्षी तारीख से जीवन भर के लिए 2500/-रु. प्रतिमाह की समान दर से पेंशन दी जाएगी। जो व्यक्ति 70% से अधिक विकलांग हो चुके हैं या जो 1984

से अब तक लापता हैं, उनकी पत्नियों को भी इसी दर से पेंशन प्रदान की जाएगी;

(12) दंगों से प्रभावित लगभग 22,000 परिवारों को, जो दंगा प्रभावित अन्य राज्यों से पंजाब में पलायन कर गए थे और अभी तक वहीं पर रह रहे हैं, 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह अन्य राज्यों में रह रहे, दंगा पीड़ित परिवारों को भी 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि मृत्यु और घायल होने के मामले में अनुग्रह राशि, क्षतिग्रस्त रिहायशी संपत्तियों और क्षतिग्रस्त बीमा रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्तियों के लिए अनुग्रह राशि और उक्त पैरा 1 (12) में यथाउल्लिखित पुनर्वास अनुदान पर होने वाले पूरे व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं और वृद्ध माता-पिता तथा 70% विकलांग हो चुके व्यक्तियों और 1984 से अब तक लापता व्यक्तियों की पत्नियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

3. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से अनुरोध है कि वे 1984 के दंगा पीड़ितों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुग्रह अनुदान एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए:

(1) राज्य सरकारें इस पत्र के प्राप्त होने पर, तत्काल, मृत्यु/घायल होने के मामले में अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए तथा आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्तियों को क्षति पहुंचने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए दंगा-पीड़ितों से दावे आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करेंगी;

(2) प्रत्येक राज्य सरकार दंगा पीड़ितों से दावे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के ब्यौरे प्रकाशित करेंगी। वे इस प्रयोजन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को "संपर्क अधिकारी" के रूप में भी नामित करेंगी। उस अधिकारी के ब्यौरे गृह मंत्रालय को सूचित किए जाएंगे;

(3) सभी दावे राज्य सरकारों के स्थानीय प्रशासन/एजेंसी द्वारा भलीभांति सत्यापित/संवीक्षित किए जाएंगे;

(4) प्रत्येक राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी जो सत्यापित/संवीक्षित दावों पर विचार करेगी और सिफारिश देगी कि दावा भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाए अथवा अस्वीकृत किया जाए;

(5) समिति की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकारें पहले स्वयं के बजट में से राशि संवितरित करेंगी;

(6) संवितरण के बाद, राज्य सरकारें अनुग्रह अनुदान/क्षतिपूर्ति के भुगतान पर किए गए कुल व्यय की गणना करेंगी और गृह मंत्रालय से प्रतिपूर्ति मांगेगी;

(7) दंगा पीड़ितों को सभी भुगतान केवल 'एकाउंट पेई चैक' द्वारा किए जाएंगे। यदि किसी पीड़ित का बैंक खाता नहीं है तो राज्य सरकारें भुगतान करने से पहले उनके नाम से एक बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगी;

(8) राज्य सरकारें दावों के सत्यापन/संवीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेंगी ताकि इसे सरल एवं अड़चनरहित बनाया जा सके जिससे कि दंगा पीड़ित विलंब और उत्पीड़न से बच सके;

(9) उन मामलों में जहां दावों के साथ राज्य सरकार द्वारा पहले प्रदान की गई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रमाण हो उसे पर्याप्त समझा जाएगा और किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दावों को तकनीकी/मामूली आधार पर अस्वीकृत न किया जाए।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंगा पीड़ितों को समयबद्ध तारीख से दावों का निपटान किया जाए तथा सहायता मुहैया कराई जाए, राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित समय-सूची के अनुसार कार्रवाई करे:-

(1)	दंगा पीड़ितों से दावे आमंत्रित करने के लिए सरकारों द्वारा नोटिस जारी करना तथा दावे प्राप्त करना;	-	31.1.2006 तक
(2)	सत्यापित दावों की संवीक्षा तथा भुगतान अथवा अन्यथा की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाना;	-	31.1.2006 तक
(3)	स्थानीय प्रशासन/राज्य सरकारों की एजेंसी द्वारा दावों का सत्यापन, समिति द्वारा सत्यापित दावों की संवीक्षा तथा समिति द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश की प्रस्तुति;	-	15.2.2006 तक

(4) राज्य सरकार द्वारा दंगा पीड़ितों को राशि का संवितरण; - 31.3.2006 तक

(5) राज्य सरकारों द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार को मांग की प्रस्तुति; - 15.4.2006 तक

(6) गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राशि की प्रतिपूर्ति। - 31.5.2006 तक

5. इसे गृह मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 10 जनवरी, 2006 की डायरी सं. 3569/एएसएंडएफए (एच) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(इन्दु भूषण कर्ण)
निदेशक (दिल्ली)
टेलीफैक्स : 23092670
ई मेल: डीआईआरडीईएलएचआई.@एनआईसी.आईएन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं कार्रवाई के लिए प्रेषित:

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग;
(2) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र;
(3) गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि;
(4) पुलिस आयुक्त, दिल्ली;
(5) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को रोगार संबंधी निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जब और जैसे सम्पर्क किए जाने पर आयु में आवश्यक छूट देने के अनुरोध के साथ प्रेषित;
(6) वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग);
(7) संयुक्त सचिव, पुलिस प्रभाग, गृह मंत्रालय को पैराग्राफ (1) (7) से (1) (10) तक आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु;
(8) एकीकृत वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय।

(इन्दु भूषण कर्ण)
निदेशक (दिल्ली)

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

1452. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली के अधिकांश विद्यालयों में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के बारे में सरकार द्वारा कोई शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो विद्यालय के प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और विद्यार्थियों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अधिकांश विद्यालयों के पास अग्निशमन विभाग द्वारा दिया जाने वाला अनिवार्य एनओसी नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) दिल्ली में विद्यालयों को शुद्ध पेयजल, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय, बिजली, सुसज्जित कमरे, प्रयोगशाला तथा अग्निशमन सुरक्षा उपकरण आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) उक्त (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली अग्निशमन सेवा ने अग्निशमन सेवा सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतर स्कूलों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी कर दिए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। विद्यालयों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों में शामिल हैं; भूमिगत और ओवरहैड पानी के टैंकों को प्रावधान, कक्षाओं में दो दरवाजे, अग्निशमन उपकरण, दरवाजों और लकड़ी की सामग्री को अग्निरोधक रंगों से रंगना, मौजूदा गेटों को चौड़ा करना तथा विद्यालयों में द्वितीय निकास का प्रावधान तथा अग्निशमन टेंडरों की पहुंच आसान बनाना आदि।

आदर्श विद्यालय

1453. श्री एल. राजगोपाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 6000 नये आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य में कितने विद्यालयों की स्थापना की जाएगी;

(ग) ये आदर्श विद्यालय मौजूदा विद्यालयों से किस प्रकार भिन्न होंगे; और

(घ) वर्ष 2011 तक प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर को 51 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक लाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ने अपने दिनांक 15.8.2007 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रत्येक ब्लॉक में एक विद्यालय की दर से पूरे देश में 6000 उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूलों को सहायता देने के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी जो कि उस क्षेत्र के अन्य स्कूलों हेतु उत्कृष्टता के मानदंड निर्धारित करेंगे।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2010 तक सभी को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलने, स्कूली अवसंरचना को सुदृढ़ करने, अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त करने, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करने, स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन हेतु उपाय करने आदि का प्रावधान है। इन उपायों से आशा की जाती है कि प्रारम्भिक शिक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी आएगी।

सीमा संबंधी विवाद

1454. श्री एम. शिवन्ना:
डा. अरूण कुमार शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के बीच सीमा संबंधी विवादों के समाधान के लिए महाजन आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य-वार सीमा संबंधी विवादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे सीमा संबंधी विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवाद को निपटाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था।

(ख) महाजन आयोग ने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट संघ सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य द्वारा दावा किए जा रहे कुल 814 गांवों में से महाजन आयोग ने निपानी, खानपुर, नन्दगढ़ शहरों के साथ-साथ कुल 264 गांवों के बारे में दावे की संस्तुति की है और बेलगांव शहर के दावे को नामंजूर कर दिया है। कर्नाटक सरकार द्वारा दावा किए जा रहे 260 गांवों में से आयोग ने 227 गांव कर्नाटक राज्य को अन्तरित करने की सिफारिश की है। कर्नाटक ने केरल के कसरगोड तालुका पर अपना दावा किया है। महाजन आयोग ने उसे प्रस्तुत एक पक्षीय सामग्री के आधार पर संस्तुति की है कि चन्द्रगिरि एवं पयस्विनी नदी के उत्तर में स्थित यह तालुका केरल राज्य से मैसूर राज्य को अन्तरित कर दिया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए समय-समय पर प्रयास करती है, यद्यपि यह मूलत: राज्य सरकारों का विषय है कि वे अपने मतभेद आपसी बातचीत एवं सूझबूझ से निपटाएं केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद निपटाने के लिए महाजन आयोग का गठन किया है। चंडीगढ़ के बदले हरियाणा सरकार को पंजाब के क्षेत्र अन्तरित करने का निर्धारण करने के लिए अब तक तीन आयोग गठित किए जा चुके हैं। भारत सरकार ने असम और नागालैण्ड के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए विगत में प्रयास किए हैं परन्तु यह सभी व्यर्थ रहे।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास

1455. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई समन्वय किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार सृजन एवं उत्पादन के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(छ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(ज) पिछड़ रहे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) से (ज) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 10वीं योजना तक कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसका नाम को-ओपरेटिवाईजेशन है, 2006-07 की वार्षिक योजना के लिए जीरो बेस बजट प्रयास में समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों के द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया न आने के कारण इसे 11वीं वार्षिक योजना के तहत हटा दिया गया है। इस योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान कोई भी निधि जारी नहीं की गई।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि

1456. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज की गई वृद्धि दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक एवं अवसंरचना क्षेत्र में गुजरात सहित राज्य-वार किन्हीं समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार औद्योगिक घरानों को प्रदान की गई कर राहत और रियायतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यवार) के संदर्भ में आंकी गई औद्योगिक वृद्धि नीचे दी गई है:-

(प्रतिशत में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
अखिल भारत	9.8	9.6	10.9
आंध्र प्रदेश	6.1	8.8	12.2
अरुणाचल प्रदेश	35.0	4.6	उ.न.
असम	11.2	6.3	5.9
बिहार	12.1	18.0	22.0
छत्तीसगढ़	17.2	10.1	उ.न.
गोवा	9.6	6.9	उ.न.

1	2	3	4
गुजरात	13.6	10.1	उ.न.
हरियाणा	8.8	12.0	उ.न.
हिमाचल प्रदेश	6.0	13.9	11.7
जम्मू और कश्मीर	15.1	उ.न.	उ.न.
झारखंड	39.5	7.2	7.3
कर्नाटक	14.4	6.9	उ.न.
केरल	6.5	8.9	8.2
मध्य प्रदेश	4.7	7.7	उ.न.
महाराष्ट्र	5.5	9.5	उ.न.
मणिपुर	70.4	18.7	19.3
मेघालय	5.6	8.1	6.8
मिजोरम	-3.6	उ.न.	उ.न.
नागालैंड	8.7	उ.न.	उ.न.
उड़ीसा	28.3	उ.न.	उ.न.
पंजाब	7.9	5.6	5.5
राजस्थान	1.0	17.0	5.5
सिक्किम	10.9	11.9	12.3
तमिलनाडु	8.3	5.9	6.8
उत्तर प्रदेश	6.9	9.2	उ.न.
उत्तरांचल	13.8	16.6	उ.न.
पश्चिम बंगाल	9.4	14.1	उ.न.
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.0	32.9	उ.न.
चंडीगढ़	16.7	12.0	उ.न.
दिल्ली	13.0	12.2	उ.न.
पांडिचेरी	-21.3	8.3	11.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

उ.न.: उपलब्ध नहीं

(ख) और (ग) गुजरात सहित अन्य राज्यों में उद्यमियों द्वारा दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (आईआईएम) की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004	2005	2006
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1
आंध्र प्रदेश	370	412	601
अरुणाचल प्रदेश	3	10	6
असम	58	79	50
बिहार	13	12	79
चंडीगढ़	2	0	5
छत्तीसगढ़	404	284	217
दादर और नगर हवेली	139	77	110
दमन व दीव	58	77	51
दिल्ली	9	5	8
गोवा	26	46	24
गुजरात	547	750	568
हरियाणा	221	209	237
हिमाचल प्रदेश	95	119	106
जम्मू और कश्मीर	90	150	93
झारखंड	88	179	98
कर्नाटक	200	244	312
केरल	22	31	43
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	109	171	186
महाराष्ट्र	687	724	861
मणिपुर	1	1	0
मेघालय	23	37	17
नागालैंड	4	0	0

1	2	3	4
उड़ीसा	220	208	107
पांडिचेरी	43	41	53
पंजाब	132	177	189
राजस्थान	174	171	181
सिक्किम	3	7	11
तमिलनाडु	341	534	724
त्रिपुरा	4	3	0
उत्तर प्रदेश	425	690	560
उत्तरांचल	166	343	467
पश्चिम बंगाल	441	412	295
कुल	5118	6203	6260

(घ) सरकार की एक सामान्य कर नीति है और औद्योगिक घरानों को विशिष्ट रूप से कोई राहत/छूट नहीं दी जाती है।

पारम्परिक उद्योगों का आधुनिकीकरण

1457. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री काशीराम राणा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) में वर्ष 2005-2006 से शुरू करके 5 वर्षों की अवधि के लिए खादी, ग्राम एवं कॅयर उद्योगों के लगभग 100 क्लस्टरों के विकास के लिए "पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना" (स्फूर्ति) की शुरूआत की है। योजना में उत्पादन उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु आवश्यकता आधारित सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, सुधरा हुआ विपणन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, इत्यादि की परिकल्पना की गई है। स्फूर्ति संबंधी दिशानिर्देश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाईट http://www.msme.nic.in/msme_sfurti..पर उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजनैतिक घटनाओं का प्रसारण

1458. श्री मोहन सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के राजनैतिक घटनाक्रमों के दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) पर प्रसारण के लिए समय-सीमा आबंटन की कोई आचार संहिता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके घटनाक्रमों से संबंधित समाचारों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी-वार और दल-वार कितनी समय-सीमा रही और इन राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या क्षेत्रीय राजनैतिक दलों से संबंधित समाचारों के प्रसारण के लिए समय-सीमा आबंटन में भेदभाव संबंधी मामलों के

निपटान के लिए प्रसार भारती ने किसी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ङ) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या संसद और राज्य विधान सभाओं में मान्यताप्राप्त सक्रिय राजनैतिक दलों हेतु उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में ऐसे प्रसारणों के लिए समय-सीमा के आबंटन हेतु कोई प्रावधान किये गए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क), (ख) और (छ) से (ञ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि केवल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता/दिशानिर्देशों के तहत लोक सभा/विधान सभा चुनावों के दौरान ही आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा राजनीतिक प्रसारणों की अनुमति है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंधित समाचारों के प्रसारण के लिए कोई विशेष समय स्लॉट के आदेश नहीं दिए गए हैं क्योंकि समाचारों का प्रसारण घटनाओं की समाचार संबंधी उपयोगिता के आधार पर होता है। तथापि, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता/दिशा निर्देशों के अनुसार लोक सभा और विधान सभा चुनावों के दौरान सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रसारण के लिए समय स्लॉट आंबटित किए गए थे।

(घ) से (च) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों की भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

शैक्षिक योजनाओं हेतु आबंटन

1459. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के लिए आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई और प्रयुक्त राशि कितनी है; और

(ग) वर्ष 2007-08 की शेष अवधि के दौरान कितनी राशि जारी की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं। हालांकि, प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी की गई निधियों की उपयोग संबंधी प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अनुदान जारी किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2007 के दौरान (नवम्बर, 2007 तक) दी गई राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम/संघशासित प्रदेश	एस एस ए	टी.ई.	डीपीईपी	महिला समाख्या	मध्याह्न भोजन	आईईडीसी	स्कूलों में आईसीटी	समानता सहित सुलभता	एआईएम एमपी	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	18100.00	2996.40	0.00	300.00	22130.21	100.00	3750.00	0.00	0.00	175.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2845.10	104.69	0.00	0.00	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	2838.90	2086.38	0.00	250.00	5214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	81200.96	0.00	0.00	200.00	28463.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	26462.58	602.22	0.00	15.00	7289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
6.	गोवा	421.54	222.93	0.00	0.00	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	12422.16	722.51	0.00	150.00	11986.77	1427.58	247.15	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	11150.00	988.35	0.00	0.00	2850.25	627.49	1250.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3715.00	350.75	0.00	0.00	2566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
10.	जम्मू और कश्मीर	3000.00	579.49	0.00	0.00	3056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	38309.99	0.00	0.00	0.00	7646.87	0.00	1074.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	22161.34	1438.26	0.00	400.00	19031.67	44.74	3142.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	5137.60	491.26	0.00	50.00	3357.61	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	31688.87	0.00	0.00	0.00	20522.37	000	7.50	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	16832.18	721.73	0.00	0.00	31039.95	122.08	0.00	0.00	000	0.00
16.	मणिपुर	100.00	271.31	0.00	0.00	410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	2359.63	141.23	0.00	0.00	1567.03	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	1210.00	276.39	0.00	0.00	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	885.00	196.50	0.00	0.00	620.28	0.00	443.20	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	27457.43	748.76	1058.78	0.00	22369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	3500.00	0.00	0.00	0.00	6307.25	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	50633.00	937.34	5822.03	0.00	32672.69	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	99.72	250.76	0.00	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	22808.15	1173.52	0.00	0.00	14223.00	340.42	1312.50	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	1188.63	0.00	0.00	0.00	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	85885.00	1903.20	0.00	660.00	62133.14	0.00	3115.47	0.00	1018.91	0.00
27.	उत्तरांचल	4943.69	440.28	0.00	155.00	2470.47	0.00	377.25	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	44162.24	155.78	0.00	0.00	35428.52	0.00	964.33	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.00	18.13	0.00	0.00	92.39	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	चंडीगढ़	634.95	0.00	0.00	0.00	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर और नगर हवेली	25.00	0.00	0.00	0.00	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	1499.98	249.42	0.00	0.00	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	286.68	65.85	0.00	0.00	196.04	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

संकेताक्षर:

एसएसए: सर्व शिक्षा अभियान

टी.ई.: शिक्षक-शिक्षा

डी पी ई पी: जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

ए आई एम एम पी: क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

आई ई डी सी: विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

ए एल टी: भाषा शिक्षकों की नियुक्ति

आई.सी.टी.: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

[हिन्दी]

पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा संबंधी सुझाव

1460. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, विधि आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कतिपय सुझाव/सिफारिशें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) हिरासती हिंसा/मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग, विधि आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे कई आयोगों ने समय-समय पर कई सिफारिशें की हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय के दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे हिरासत में होने वाली मौतों और हिरासत में होने वाली बलात्कार की घटनाओं की सूचना, इनके घटित होने के 24 घंटे की अंदर आयोग को दें। आयोग ने उन मामलों में, जहां प्रथम दृष्टया हिरासती हिंसा सिद्ध होती है, दोषी पुलिस/जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अभियोजन चलाने की भी सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आयोग ने मृतक के निकट संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में मौद्रिक मुआवजा प्रदान किए जाने की भी सिफारिश की है।

नक्सलवाद विरोधी क्रियाकलाप

1461. श्री अजीत जोगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मानसून मौसम के बाद नक्सलवादियों के विरुद्ध एक अभियान आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में नक्सलवाद से कितने राज्य प्रभावित हैं;

(घ) क्या नक्सलवादी राजनैतिक समर्थन की तलाश में हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नक्सलवाद पर समग्र रूप से अंकुश लगाने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण किसी राज्य में नक्सली क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटना, मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। स्थिति के संबंध में उपयुक्त और आवश्यक कदम उठाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

2007 में 31.10.2007 तक 11 राज्यों में 1285 घटनाओं की सूचना मिली है। 2006 में 11 राज्यों के कुल 8488 पुलिस स्टेशनों में से 395 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में 1509 घटनाओं की सूचना मिली थी।

संबंधित राज्य सरकारों, नक्सली क्रियाकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करती हैं। केन्द्र सरकार, विभिन्न उपयों से उनके प्रयासों और संसाधनों में उनकी सहायता करती है जिसमें राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर करना, राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, विकास कार्यों में अंतर-राज्य समन्वय और सहायता प्रदान करना शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय समुद्री पुलिस अकादमी की स्थापना

1462. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में राष्ट्रीय समुद्री पुलिस अकादमी की स्थापना की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, समुद्री पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु अवधारणा कागजात तैयार करने और पैरामीटर निर्धारित करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) में एक समिति का गठन किया गया है। अभी इसके लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। केरल सरकार को सूचित किया गया है कि समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्ताव अभी भी वैचारिक चरण में है इसलिए केरल में समुद्री पुलिस के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उपयुक्त अवस्था में विचार किया जाएगा।

विदेशों में स्थित सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालय

1463. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी में चल रहे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से सम्बद्ध विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन विद्यालायों के छात्रों के कल्याण में कम रुचि लेती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में इन विद्यालयों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार का विचार अपने विश्व सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विस्तार के लिए नये पाठ्यक्रम को आरम्भ करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 21 देशों में चल रहे 141 विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन स्कूलों के नाम और पते विवरण में संलग्न हैं।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विदेशों में स्थित अपने से सम्बद्ध स्कूलों तक आवश्यक सहायता सेवाओं का विस्तार कर इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखता है। विदेशों में परीक्षा केन्द्र की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सम्मेलनों, प्रबोधन पाठ्यक्रमों और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी संवर्धन क्रियाकलापों का आयोजन करके इन सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के शैक्षिक और पाठ्यचर्या संबंधी सुधार के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने से सम्बद्ध विदेशी स्कूलों में चरणबद्ध ढंग से कक्षा- 6 से लेकर आगे तक विश्व सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को आरम्भ करने के लिए कदम उठाए हैं।

विवरण

विदेशों में स्थित सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विद्यालय का नाम और पता
1	2
1.	आबू धाबी भारतीय स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
2.	अजमन इण्टरमीडिएट इंग्लिश स्कूल, अजमन, संयुक्त अरब अमीरात
3.	अल अल्वा इण्टरनेशनल इंडियन स्कूल, रियाद के एस ए - 11392
4.	अल मीर इंग्लिश स्कूल, अजमन, संयुक्त अरब अमीरात
5.	अल फलाह आई एन टी टी दिल्ली पब्लिक स्कूल, जेद्दाह - 21023 सउदी अरबिया
6.	अल खोर इंटरनेशनल स्कूल, दोहा, कतर
7.	अल खेजमा आई एन टी टी स्कूल, खोबार के एस ए - 31952
8.	अलमवारिद इंटरनेशनल स्कूल, जेद्दाह के एस ए
9.	अल राशिद इंडियन स्कूल, जलीब अल शुयोक कुवैत - 85854
10.	अल तावान निजी स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
11.	अल यासमीन इंटरनेशनल स्कूल, रियाद-11391 के एस ए
12.	अल-ऐन जूनियर स्कूल, अल येन, संयुक्त अरब अमीरात
13.	अल-अमल इंडियन स्कूल, सलमिया-22062 कुवैत
14.	अल-नूर इंडियन इस्लामिक स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
15.	अल-नूर इंटरनेशनल स्कूल, मनामा बहरीन
16.	अलोक विद्याश्रम, नक्शाल नारायण चाउ काठमांडू, नेपाल
17.	अलवुरूद इंटरनेशनल स्कूल, जेद्दाह-21446 सउदी अरबिया
18.	एशियन इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
19.	एशियन इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
20.	बिड़ला पब्लिक स्कूल, दोहा, कतर
21.	बह्स पब्लिक स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
22.	कार्मेल स्कूल, सफथ कुवैत (अरबिया)
23.	डी ए वी रूकमणि बनारसी केडिया स्कूल, श्रीपुर बीरगंज, नेपाल
24.	डी ए वी सुशील केडिया विश्व भारती, काठमांडू, नेपाल
25.	दारूल हुडा इस्लामिक स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
26.	दारूलस्सालम इंटरनेशनल डी पी एस रियाद-11322 सउदी अरबिया
27.	देदराज सेवालीदेवी तोडी, बीरथनगर-17 नेपाल
28.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
29.	दिल्ली प्राइवेट स्कूल, जाबेल अली दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
30.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, लिमनीमल बारा बीरगंज, नेपाल
31.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, धारन, नेपाल
32.	दोहा माडर्न इंडियन स्कूल, दोहाकतर, आबू हामू रोड
33.	पूर्व तट इंग्लिश स्कूल, खोरफक्कन, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
34.	भारतीय राजदूतावास स्कूल, रंगून, म्यांमार
35.	एमीरेट्स इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

1	2
36.	फाहाहील अल-वातानीही इंडियन प्राइवेट स्कूल, अहमदी, कुवैत
37.	ग्लोबल इंग्लिश स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
38.	ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, तोकिया, जापान
39.	ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, सिंगापुर-149253
40.	ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, सिंगापुर-459663
41.	ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, क्वालालंपुर, मलेशिया
42.	गल्फ एशियन इंग्लिश स्कूल, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
43.	गल्फ इंडियन हाई स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरत
44.	गल्फ इंडियन स्कूल, फाहाहील-64009, कुवैत
45.	गल्फ मॉडल स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
46.	आई बी एन अल हीथम इस्लामिक स्कूल, मनामा, बहरीन
47.	आईडियल इंडियन स्कूल, दोहा कतर
48.	इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, ढाका-5 (बांगलादेश)
49.	इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, कुवैत-64013
50.	इंडियन सैन्ट्रल स्कूल, जलीब अल शियोख, कुवैत
51.	इंडियन कम्यूनिटी स्कूल, त्रिपोली बीबीया
52.	इंडियन कम्यूनिटी स्कूल, अल-खोंम्स लीबिया
53.	इंडियन कम्यूनिटी स्कूल, लिबेरिया
54.	इंडियन एजूकेशन्स स्कूल, कुवैत
55.	इंडियन एम्बेसी स्कूल, साना' ए रिपब्लिक ऑफ येमेन
56.	इंडियन इंग्लिश ऐकेडेमरी स्कूल, कुवैत-22022
57.	इंडियन एक्सपेट्रिएट स्कूल, केमामन तेरम्गानू, मलेशिया
58.	इंडियन इण्टरनेशनल स्कूल, टोकिया, जापान-1350004
59.	इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, बुरैदाह अल-कासिम किंगडम ऑफ सउदी अरेबिया
60.	इंडियन इस्लाही इस्लामिक स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
61.	इंडियन लैंग्वेज स्कूल, लागोस, नाईजीरिया
62.	इंडियन मॉडर्न साईंस स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
63.	इंडियन नेशनल स्कूल, आद्दीस अबाबा इथियोपिया
64.	इंडियन पब्लिक स्कूल, हवाल्ली-32016 कुवैत
65.	इंडियन पब्लिक स्कूल, रस-अल-खेमाह, संयुक्त अरब अमीरात
66.	इंडियन स्कूल, रस-अल-खेमाह, संयुक्त अरब अमीरात
67.	इंडियन स्कूल, अजमन, संयुक्त अरब अमीरात
68.	इंडियन स्कूल, अल-ऐन आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
69.	इंडियन स्कूल, दार-एस-सलाम, तंजानिया
70.	इंडियन स्कूल, सल्तनत ऑफ ओमान
71.	इंडियन स्कूल, सल्तनत ऑफ ओमान
72.	इंडियन स्कूल, अल घुब्रा, सल्तनत ऑफ ओमान
73.	इंडियन स्कूल, अल वाडी अल कबीर, सल्तनत ऑफ ओमान
74.	इंडियन स्कूल, सल्तनत ऑफ ओमान
75.	इंडियन स्कूल, सल्तनत ऑफ ओमान
76.	इंडियन स्कूल, सल्तनत ऑफ ओमान
77.	इंडियन स्कूल, सल्तनत ऑफ ओमान
78.	इंडियन स्कूल, एसयूआर, सल्तनत ऑफ ओमान
79.	इंडियन स्कूल, आईबीआरए सल्तनत ऑफ ओमान
80.	इंडियन स्कूल, एसईईबी सल्तनत ऑफ ओमान

1	2
81.	इंडियन स्कूल, मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान
82.	इंटेग्रेटिड इंडियन स्कूल, जलीबअल शुयूख, कुवैत
83.	इंटरनेशनल इंडिया स्कूल, जेद्दाह, सउदी अरबिया
84.	इंटरनेशनल इंडिया पब्लिक स्कूल, रियाद, केएसए-11414
85.	इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, तबूक किंगडम ऑफ सउदी अरबिया
86.	इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, अल-खोबर-31952 सउदी अरबिया
87.	इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, रियाद-11692 सउदी अरबिया
88.	इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, एआईएफ किंगडम ऑफ सउदी अरबिया
89.	इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, अल-जुबैल-31951 किंगडम ऑफ सउदी अरबिया
90.	इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, अजमन, संयुक्त अरब अमीरात
91.	जबरिया इंडियन स्कूल, बयान जबरिया, कुवैत
92.	केन्द्रीय विद्यालय, तेहरान, ईरान
93.	केन्द्रीय विद्यालय, काठमांडू, नेपाल
94.	केन्द्रीय विद्यालय, मास्को
95.	लीउरस प्राइवेट स्कूल, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
96.	एम ई एस इंडियन स्कूल, दोहा कतर
97.	मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल, रियाद, किंगडम ऑफ सउदी अरबिया
98.	मॉडर्न इंडियन स्कूल, काठमांडू, नेपाल
99.	मॉडर्न इंडियन स्कूल, दोहा कतर
100.	मॉडर्न इंडियन स्कूल, डिब्बा फुजैराह
101.	मॉडर्न इंडियन स्कूल, हफूफ अल अहसा के एस ए -31982
102.	नेपाल भारत मैत्री विद्यालय, पी पी ओ पोखारा, नेपाल
103.	न्यू इंडियन मॉडल स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
104.	न्यू इंडियन मॉडल स्कूल, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
105.	न्यू मिलेनियम स्कूल, मनामा, किंगडम ऑफ बेहरीन
106.	ओएसिस स्कूल, अल-ऐन संयुक्त अरब अमीरात
107.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, अल ऐन आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
108.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
109.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, फूजैराह, संयुक्त अरब अमीरात
110.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
111.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
112.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, अलवर्का, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
113.	हमारा अपना इंग्लिस उच्च विद्यालय, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
114.	प्रोग्रेसिव इंग्लिस स्कूल, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
115.	रेडियेंट स्कूल, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
116.	राय स्कूल, काठमांडू, नेपाल
117.	स्कोलर इंडियन स्कूल, अल खेमाह, संयुक्त अरब अमीरात
118.	शांतिनिकेतन इंडियन स्कूल, दोहा कतर
119.	शारजाह इंडियन स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
120.	शाठी अल नूर इंटरनेशनल स्कूल, जेद्दाह-21372 किंगडम ऑफ सउदी अरबिया

1	2
121.	सेंट जोसेफ स्कूल, आबु धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
122.	सेंट मेरी, कैथोलिक हाई स्कूल, फुजैराह, संयुक्त अरब अमीरात
123.	सनराईज इंग्लिश प्राइवेट स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
124.	टेक्समाको डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल, तिमूर-41300 इंडोनेशिया
125.	द एशियन स्कूल, मनामा, बेहरीन
126.	द सैन्ट्रल स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
127.	द चान्दबाग स्कूल, काठमांडू, नेपाल
128.	द एलाईट इंग्लिश स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
129.	द एमिरेटस नेशनल स्कूल, मैसालून, शारजाह संयुक्त अरब अमीरात
130.	द आईडियल इंग्लिश स्कूल, रासअल खैमाह, संयुक्त अरब अमीरात
131.	द इंडियन कम्यूनिटी स्कूल, अद्दीस, अबाबा इथियोपिया
132.	द इंडियन कम्यूनिटी स्कूल, कुवैत (अरबिया)
133.	द इंडियन हाई स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
134.	द इंडियन स्कूल, स्टेट ऑफ बेहरीन, अरबियन गल्फ
135.	द मिलेनियम स्कूल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
136.	द न्यू इंडियन स्कूल, आईएसए टाउन, बेहरीन
137.	द न्यू इंडियन स्कूल, हवल्ली-32053, कुवैत (अरबिया)
138.	यूनाइटेड इंडियन स्कूल, अब्बासिया हवल्ली-32016, कुवैत
139.	वेरटर्न प्राइवेट मॉडल स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
140.	विस्डम हाई स्कूल, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
141.	यारा इंटरनेशनल स्कूल, रियाद के एस ए -11371

कृषि निर्यात जोन की स्थापना

1464. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्यात जोनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पूर्णत: विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में और अधिक संख्या में एईजेड की स्थापना के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है;

(घ) यदि हां, तो समन्वय में अभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में एईजेड कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) कृषि निर्यात जोनों (एईजेडों) के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नोडल एजेन्सी नहीं है। कृषि उत्पाद विशेष की मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों पर अपेक्षित वित्तीय हस्तक्षेपों पर ध्यान देने के लिए एपीडा, एनएचबी तथा इस क्षेत्र की अन्य विकास एजेंसियों सहित केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही सभी स्कीमों में समभिरूपता लाने अथवा उन्हें एक स्थान पर लाने के लिए एईजेड परिकल्पन करता है। 20 राज्यों में संस्वीकृत 60 एईजेडों से परिकल्पित 1717.95 करोड़ रुपये का निवेश तथा 11821.47 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में पिछले पांच वर्षों में क्रमश: 1040.86 करोड़ रु. का निवेश तथा 8824.80 करोड़ रु. का निर्यात किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालय एईजेडों से संबंधित मुद्दों पर परस्पर समन्वय से कार्य कर रहे हैं। लक्ष्यों को हासिल करने में आई कमी के कारणों को अभिनिश्चित करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के उद्देश्य से मौजूदा कृषि निर्यात जोनों (एईजेडों) के कार्य निष्पादन का सम्पूर्ण मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राज्य सरकारों सहित पणधारियों के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में संस्वीकृत एईजेडों के कार्यचालन में स्थिरता आने तक नए एईजेड संस्वीकृत न किए जाएं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सम्पूर्ण अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा निगरानी समिति के गठन का विधान निर्धारित किया गया है। चालू प्रक्रिया के भाग के रूप में 4 एईजेडों को वाणिज्य विभाग की निर्यात अवसंरचना तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम की धनराशि से उनके अवसंरचना विकास हेतु चुना गया है। इन एईजेडों में 49 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली 16 परियोजनाओं को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय मानक ब्यूरो के पास सीमेंट का पंजीकरण

1465. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमेंट से संबंधित मदों को विदेश-व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के पास पंजीकरण हेतु हटाने के लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजीएफटी ने इस्पात संबंधी मदों को अपेक्षित बीआईएस पंजीकरण की अधिसूचना जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकर ने सीमेंट के संबंध में भी डीजीएफटी को ऐसी ही अधिसूचना जारी करने का निदेश दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभ्यावेदन दिया है कि सीमेंट से संबंधित समस्त मदों को डीजीएफटी की उस अधिसूचना से हटा दिया जाना चाहिए जिसके अनुसार विदेशी विनिर्माताओं को बीआईएस में अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है, जिससे कि सीमेंट के आयात को आसान बनाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। डीजीएफटी ने दिनांक 28.10.2003 को अधिसूचना सं. 21/2003 जारी की थी, जिसमें स्टील से संबंधित सभी 33 मदों को बीआईएस पंजीकरण की अनिवार्यता से हटा दिया गया था। इन मदों में शामिल है- गैल्वनाइज्ड स्टील शीटें, हॉट रॉल्ड स्टील स्ट्रिप, इमारती स्टील, कोल्ड रॉल्ड कार्बन स्टील शीटें, आदि।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। जब स्टील के उत्पाद तैयार हो जाते हैं, तो उनमें मिलावट करना आसान नहीं है। जबकि सीमेंट में मिलावट की संभावना रहती है। आयातित सीमेंट के मामले में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन में कोई भी ढ़ील देने से सीमेंट की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है और इस तरह इमारतों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अत: सीमेंट के आयात पर अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन की शर्त लागू है।

उत्तरी महाराष्ट्र के लिए पृथक सांविधिक विकास बोर्ड

1466. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उत्तरी महाराष्ट्र के लिए पृथक सांविधिक विकास बोर्ड हेतु केन्द्र सरकार को फरवरी, 2007 में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस बारे में निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने 13.7.2006 को राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प के आधार पर, भारत सरकार से धुले, नन्दुरबर, जलगांव, नासिक और अहमदनगर के पांच जिलों को कवर करते हुए उत्तरी महाराष्ट्र के लिए पृथक संवैधानिक विकास बोर्ड के गठन हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

(ग) प्रस्ताव जांचाधीन है।

(घ) इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

जाली मुद्रा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

1467. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जाली मुद्रा की समस्या के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जाली मुद्रा की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा है;

(घ) यदि हां, तो क्या आतंकवाद वित्तपोषण के उद्देश्य और बहुराष्ट्रीय संगठित अपराध को बढ़ावा देने के साथ ही प्रायोजित जारी मुद्रा के साक्ष्य बढ़ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) संघ सरकार भारतीय जाली मुद्रा की रोकथाम करने को सर्वाधिक महत्व देती है। सरकार ने जाली मुद्रा सहित विभिन्न अपराधों का मुकाबला करने में सहयोग देने के लिए अन्य देशों के साथ आपराधिक मामलों पर पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी) की है। भारत ने अब तक स्विटजरलैंड, यूनाइटेड, किंगडम, कनाडा, कजाखिस्तान, मंगोलिया, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, उजबेकिस्तान, उक्रेन, टर्की, फ्रांस, ताजिकिस्तान, बहरीन, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, बेलारुस और स्पेन नामक 21 देशों के साथ एम एल ए टी की है। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय का आतंकवादरोधी सैल, भागीदार देशों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी) की बैठकों में एफ ए टी एफ (वित्तीय कृतिक कार्य बल) पर भारत की अभ्यर्थिता का जबरदस्त समर्थन किया जाता है। एफ आई यू- इंडिया (वित्तीय आसूचना यूनिट), वित्तीय मंत्रालय जे डब्ल्यू जी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। एफ आई यू-इंडिया और इसके प्रतिपक्ष राष्ट्रों के बीच सहयोग को इसकी बैठकों में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) तथा पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफ आई ए) की तकनीकी स्तर की बैठक मार्च 2007 में आयोजित की गई थी जहां दोनों एजेंसियों के बीच जाली मुद्रा सहित अन्य क्षेत्रों में भावी सहयोग की रूपात्मकताओं का निर्धारण करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल (जे एस जी) गठित करने पर सहमति हुई थी। इन क्षेत्रों में सी बी आई और एफ आई ए के बीच सहयोग के लिए नोडल बिन्दु के रूप में अधिकारी नामित करने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई। इस मुद्दे का बंगलादेश सरकार के साथ गृह सचिव स्तर की वाताओं और सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) एवं बंगालादेश राइफल्स (बी डी आर) के बीच महानिदेशक स्तर के सम्मेलन जैसे विभिन्न मंचों पर नियमित चर्चा भी की गई है। दोनों पक्ष सूचना के आदान-प्रदान के जरिए परस्पर सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमत हुए।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें, जाली मुद्रा का पता लगाने और उनके कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के तंत्र से अपराधियों पर मुकदमा चलाने सहित अपराध निवारण, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच पड़ताल करने के लिए मुख्यत: जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत हथियार, संचार उपकरण, आवा-जाही, प्रशिक्षण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के संदर्भ में राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अपराध और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से राज्य कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के साथ आसूचना जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। समय-समय पर राज्य सरकारों से यह भी कहा जाता है कि वे जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए यथा आवश्यक उपाय करें।

जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(1) सीमाओं पर गश्त लगाकर (पैदल, नावों और मोबाइल वाहन पर) चौबीसों घंटे निगरानी रखना, नाकाबंदी करना (सीमा पर घात लगाना) और सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ निगरानी चौकी स्थापित करना।

(2) अनुषंगी आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना नेटवर्क और समन्वय को उन्नयन करना।

(3) सीमाओं के साथ-साथ विशेष अभियान चलाना।

(4) रात्रि में देखने वाले यंत्रों सहित आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना।

(5) अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई बी) के साथ बाड़ का निर्माण करना।

(6) बी ओ पी की संख्या बढ़ा करके और आई बी पर तैनाती करके।

(7) सीमा सड़कों का निर्माण करना।

(8) आई बी के नदी तटवर्ती क्षेत्रों में बी एस एफ की जल विंग के पोतों/वाटर क्राफ्टों की तैनाती करके उन पर निगरानी रखी जा रही है।

(9) सभी राज्यों और विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों को इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि वे इस बारे में और अधिक चौकस रहें।

(10) भारतीय मुद्रा के जाली नोटों (एफआईसीएन) के अपराध की जांच-पड़ताल करने तथा उनसे निपटने के लिए सीबीआई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सीबीआई, आवधिक रूप से मंत्रालयों/विभागों, पुलिस प्राधिकारियों, कानून प्रवर्तन करने वाली तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। सीबीआई, सूचना एकत्र करने के साथ-साथ एक आईसीएन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय भी करता है।

वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा से संबंधित सूचना का प्रसारण करना और सभी बैंकों के प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करना।

(2) जाली नोट मुद्रण को कठिन बनाने के लिए भारतीय बैंक नोटों में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय शामिल करना।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिये हैं कि वे जाली नोटों का पता लगाने के लिए अपनी शाखाओं में अल्ट्रा वायलेट लैंप लगाएं और यदि उनकी शाखाओं में जाली नोटों का पता चलता है तो ऐसे मामलों की सूचना पुलिस प्राधिकारियों को दें। करेंसी चेस्ट वाले बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे समयबद्ध ढंग से सभी चेस्टों में नोट सार्टिंग मशीनें लगाएं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति घंटा 50000 से 60000 नोट संसाधित करने की क्षमता वाले अपने विभिन्न कार्यालयों में करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (सीवीपीएस) स्थापित किये हैं। इन मशीनों की जाली नोटों का पता लगाने की क्षमता तथा ऊपर दर्शाई क्षमताओं में जारी न करने लायक और जारी करने लायक नोटों को छांटने की भी क्षमता है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे जाली नोटों से संबंधित आरबीआई के अनुदेशों आदि की मानीटरिंग करने, उनका कार्यान्वयन करने के लिए अपने प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करें।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली नोटों का पता लगाने में लोगों की सहायता करने हेतु मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया में बैंक नोटों की सिक्युरिटी से संबंधित विशेषताओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए जनता में जागरूकता अभियान शुरू किया है।

(7) जनता की सुविधा के लिए एक बुकलेट (धन संबंधी मामलों में आपका मार्गदर्शक) प्रकाशित की गई है जिसमें वास्तविक नोटों की विशेषतायें बताई गई हैं। यह बुकलेट आरबीआई के निर्गम कार्यालयों में जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध होने के साथ-साथ आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध हैं।

(8) आरबीआई ने बैंक-पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सरकारी विभागों, सीमा सुरक्षा बल और आईटीवीपी के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं ताकि उन्हें भारतीय बैंक नोटों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सुग्राही बनाया जा सके। आरबीआई द्वारा भी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

1468. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की वित्तपोषण प्रक्रिया क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा गुणवत्ता सुधार संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य 15-16 वर्ष के आयु वर्ग में सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा सस्ती दर पर सुलभ कराना है। स्कीम के निधियन पैटर्न को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

1469. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन निजी विश्वविद्यालयों की फीस संरचना, प्रवेश नीति, वार्षिक मूल्यांकन आदि पर गौर करने के लिए कोई निरीक्षण निकाय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) देश में 19 निजी विश्वविद्यालय हैं जिसमें से 11 विश्वविद्यालय पिछले तीन वर्षों अर्थात 2005, 2006 एवं 2007 के दौरान स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानीटरन निकाय, ने अगस्त 2007 में एक समिति गठित की है जिसका उद्देश्य निम्न तैयार करना है:

(1) समविश्वविद्यालयों सहित स्व वित्तपोषित, निजी व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शुल्क का विनियमन।

(2) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क संबंधी विनियमन।

(3) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों में सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क संबंधी विनियमन।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उनके मानकों का अनुरक्षण) विनियमन, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

1470. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को समाचार और सम-सामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने की अनुमति नहीं है जबकि निजी टीवी चैनलों को इसकी अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विद्यमान नीति में परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को कब तक समाचार व सम-सामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) सामुदायिक रेडियो संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सामुदायिक रेडियो पर समाचार और समसामयिक विषयक कार्यक्रमों का प्रसारण करने की अनुमति नहीं है।

(ख) सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानिक होता है और यह एक लघु क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। विषय-वस्तु का अनुवीक्षण और विनियमन करने संबंधी कोई तंत्र न होने के कारण समाचार एवं समसामयिक विषयक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

नवोदय विद्यालय संगठन के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं

1471. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालयों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णतया आवासीय है। प्रत्येक विद्यालय के लिए निर्माण कार्य जिसमें छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं शामिल हैं, को दो चरणों में किया जाता है।

[हिन्दी]

पुष्प निर्यात

1472. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोचैम ने एक आकलन किया है कि वर्ष 2010 की समाप्ति तक देश से मात्र 100 करोड़ रुपये मूल्य का पुष्प निर्यात किये जाने की संभावना है तथा 300 करोड़ रुपये की लक्ष्य प्राप्ति में हम पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो यह आकलन किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पुष्प निर्यात हेतु कोई तौर तरीका निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्ष्य-प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार को एसोचैम द्वारा किये गये मूल्यांकन या उस मूल्यांकन के आधारों की जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने फूलों के निर्यात के लिए कोई कार्य-प्रणाली निर्धारित नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) फूलों के निर्यात के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई तथा त्रिवेन्द्रम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र स्थापित करना, बंगलौर, मुंबई, नोएडा (उ.प्र.) तथा कोलकाता में थोक बाजार-सह-पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना करना, असलसमेर, नीदरलैंड में बाजार सुविधा केन्द्र तथा छह कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना शामिल है। पुष्पोत्पादों सहित कृषि उपज के निर्यात के संवर्धन हेतु एपीडा की स्कीमों के तहत बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और परिवहन सहायता के लिए एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी दी गई है।

[अनुवाद]

शैक्षणिक संस्थानों को आवंटन

1473. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश में कार्यरत उन शैक्षणिक संस्थानों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने आवासीय व खानपान सुविधाओं हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 2007-08 के लिए अब तक अनुदान प्राप्त किया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त योजना के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी अनुदान का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाएं शुरू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को सीधे कोई अनुदान जारी नहीं किये जाते हैं। तथापि, बालिका आवासीय स्कूलों की स्थापना करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को भी अनुदान जारी किये जाते हैं।

इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जारी अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या और भारत सरकार द्वारा जारी निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में जारी निधियां	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में जारी निधियां	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में जारी निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	342	1823.77	2679.73	2535.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	210.74	258.29	73.13
3.	असम	15	0.00	350.10	0.00
4.	बिहार	350	4.00	2794.69	2330.44
5.	छत्तीसगढ़	84	810.33	766.77	473.44
6.	दादर और नागर हवेली	1	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	52	497.03	326.76	127.50
8.	हरियाणा	9	0.00	182.18	36.56
9.	हिमाचल प्रदेश	10	192.47	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	51	4.33	186.25	0.00
11.	झारखंड	187	4.00	4083.03	390.00
12.	कर्नाटक	61	845.47	1584.17	0.00
13.	मध्य प्रदेश	185	700.81	1769.32	975.00
14.	महाराष्ट्र	36	527.61	0.00	109.69
15.	मणिपुर	1	0.00	0.00	33.98
16.	मिजोरम	1	0.00	33.98	0.00
17.	मेघालय	1	13.32	12.47	5.94
18.	उड़ीसा	114	884.02	2114.09	0.00
19.	पंजाब	2	32.55	14.70	0.00
20.	राजस्थान	186	350.65	1272.29	1689.38

1	2	3	4	5	6
21.	तमिलनाडु	53	644.39	0.00	706.30
22.	त्रिपुरा	7	32.54	131.40	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	322	676.03	3768.59	1608.75
24.	उत्तरांचल	25	291.11	0.00	180.00
25.	पश्चिम बंगाल	60	711.43	34.08	657.94
	योग	2180	9256.60	22362.89	11933.05

टिप्पणी: 1 अप्रैल, 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय कर दिया गया है।

विवरण II

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी अनुदान

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को जारी की गयी राशि

वर्ष	राशि
2004-05	3.72 करोड़ रुपए
2005-06	3.90 करोड़ रुपए
2006-07	2.99 करोड़ रुपए

टिप्पणी: उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुदान अनुमोदित नहीं किये जाते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादियों का पुनर्वास

1474. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न समूहों के साथ उग्रवादियों के रूप में काम कर रहे बड़ी संख्या में रास्ता भटक गए युवकों को हथियार डालने के लिए राजी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में हथियार डालने वाले उग्रवादियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अब तक इन उग्रवादियों के पुन:स्थापना व पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी प्रगति हुई है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर कितना व्यय किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों के लिए समर्पण और पुनर्वास की एक योजना तैयार की है जो उन उग्रवादियों पर लागू होती है जिन्होंने 1.4.1998 के बाद समर्पण किया है/समर्पण करते हैं। इस योजना में 1.4.2005 को संशोधन किया गया है। संशोधित योजना के अनुसार समर्पण के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए समर्पणकर्त्ताओं को 2000 रुपए मासिक की दर से मासिक वृत्तिका दी जाती है और समर्पणकर्त्ताओं के नाम पर बैंक में सावधि जमा रसीद के रूप में रखी जाने वाली 1.50 लाख रुपये की तत्काल मंजूरी दी जाती है जिसे अच्छे व्यवहार के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद निकाला जा सकता है। समर्पित हथियारों के लिए भी निर्धारित दरों के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति स्व-रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐसा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में समर्पणकर्त्ताओं के पुनर्वास का व्यय, पहले राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और बाद में सुरक्षा से संबंधित व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति की योजना के तहत केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में उसका दावा किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान समर्पणकर्त्ता उग्रवादियों और केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	पूर्वोत्तर राज्य	
	समर्पणकर्त्ता उग्रवादियों की संख्या	प्रतिपूर्ति की गई राशि
2005	555	3.85 करोड़ रुपए
2006	1430	6.54 करोड़ रुपए
2007 (31.10.2007 तक)	379	4.31 करोड़ रुपए

पुनर्वास के लिए उठाए गए कुछ कदमों में मौद्रिक लाभ देने के अतिरिक्त जहां कहीं संभव हो और आवश्यक समझा जाए वहां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, केन्द्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती करना, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति करना, भूमि आदि आवंटित करना शामिल है।

काली मिर्च, इलायची और रबड़ का आयात

1475. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काली मिर्च, इलायची और रबर की कीमतें घटी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं के रियायती शुल्क माध्यम से आयात की कीमतों पर बुरा असर पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति का उचित मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में काली मिर्च, इलायची और रबड़ की कीमतों में वास्तव में वृद्धि का रुख देखा गया है।

(ग) से (छ) यद्यपि डब्ल्यूटीओ प्रणाली में मात्रात्मक प्रतिबंध संभव नहीं हैं, तथापि घरेलू बाजार के हित के संरक्षण हेतु काली मिर्च, इलायची और रबड़ के आयात पर शुल्क लगाया जाता है। भारत में काली मिर्च और इलायची सहित मसालों का शुल्क मुक्त आयात मुख्यत: मूल्यवर्धन एवं पुन: निर्यात हेतु विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार स्कीम और एसईजेड/ईओयू स्कीमों के अंतर्गत किया जा रहा है। यद्यपि श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है, तथापि इसके आयात की मात्रा 2500 टन प्रति वर्ष तक सीमित रखी गयी है। इन उत्पादों के आयात से घरेलू बाजार में उनकी कीमत पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इसके अलावा आयातकों द्वारा बीजकों में उत्पाद की कीमत कम दर्शाने की संभावना को समाप्त करने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा सीमाशुल्क विभाग को इलायची (छोटी) की साप्ताहिक स्थानीय नीलामी कीमतें भेजी जा रही हैं।

नीदरलैंड के साथ समझौता

1476. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नीदरलैंड के बीच निकट भविष्य में आर्थिक सहयोग अत्यधिक बढ़ने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दोनों देशों के बीच वर्तमान व्यापार की मात्रा कितनी है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3825 मिलि. अम. डालर का हुआ जिसमें भारत का 2669 मिलि. अम. डा. का निर्यात और भारत का 1156 मिलि. अम. डा. का आयात शामिल था। आगामी वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

नीदरलैंड की ओर से भारत के कई उच्च मंत्रिस्तरीय दौरे किये गये हैं। उनके विदेश व्यापार मंत्री ने व्यापारियों के एक शिष्टमंडल के साथ सितम्बर, 2006 में भारत का दौरा किया, आर्थिक कार्य मंत्री ने व्यापारियों के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ अक्तूबर 2007 में भारत की यात्रा की। लगभग 75

सदस्यों वाले व्यापारियों के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए डच विदेश व्यापार मंत्री 24 से 30 नवम्बर, 2007 तक भारत का दौरा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच व्यापार में दर्शाई गई इस गहरी रुचि से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के प्रवाह में वृद्धि होने की आशा है।

विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे

1477. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल गणना 2007 से प्राप्त अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक राज्य में 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में से 80,863 विद्यालय नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी संगठनों ने उल्लेख किया है कि यह आंकड़ा दस गुणा अधिक हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है तथा कर्नाटक सरकार से स्थिति में सुधार लाने के लिए योजनाएं क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में स्थिति सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। कर्नाटक में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की है।

(ख) मंत्रालय को इस संबंध में किसी भी क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक को दिनांक 31.10.2007 तक 22161.34 लाख रुपये जारी किये हैं। वर्ष 2007-08 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर्नाटक में स्कूल-बाह्य बच्चों के लिए कार्यों का कार्यान्वयन करने हेतु 48.53 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में बम विस्फोट पीड़ितों को मुआवजा

1478. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्ष पूर्व दिवाली के समय हुए दिल्ली बम विस्फोट के पीड़ितों के लिए कोई मुआवजा योजना की घोषणा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बम विस्फोट में मारे गए/घायल व्यक्तियों के परिवार वालों को अब तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन परिवारों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक मुआवजा राशि प्राप्त की है; और

(च) शेष परिवारों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दिनांक 29.10.2005 को हुए बम विस्फोटों में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी/जो घायल हो गए थे उन शिकार हुए लोगों/शिकार हुए लोगों के परिवारों को भारत सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुग्रह राहत मंजूर की गई है:

	भारत सरकार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	
मृत्यु के मामले	2.00 लाख रुपए	वयस्क की मृत्यु अवयस्क की मृत्यु	2.00 लाख रुपए 1.00 लाख
गंभीर रूप से घायल होने पर			50,000.00 रुपए
कम घायल होने पर	-		5,000.00 रुपए

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मृत्यु के आठ मामलों और घायलों के कुछ मामलों को छोड़कर सभी मामलों में उक्त राहत का भुगतान कर दिया गया है। मृत्यु के आठ मामलों में से तीन मामलों में मृतक के निकट संबंधी का पता नहीं चल सका है; दो मामलों में पति और पत्नी दोनों ही मारे गए और उनके एकमात्र पुत्र (अवयस्क) का अभी पता नहीं चल सका है तथा तीन मृतक व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी है। घायलों के कुछ मामलों में मुआवजे का

भुगतान इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि भुगतान किये जाने के लिए वे उपलब्ध नहीं थे या पीड़ितों के पते सही नहीं थे। उनके साथ मिलान करने के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष कक्ष से प्राप्त सूचियों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सूची में कुछ नए नाम जोड़े गए हैं। उनका भुगतान, उनके सत्यापन/एमएलसी आदि की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है:

मृत्यु	58 मामले
गंभीर रूप से घायल	108 मामले
कम घायल	71 मामले

बाकी मामलों के संबंध में दावेदारों के विवाद हल करने, पुलिस आदि की सहायता से शिकार हुए लोगों के पतों को ढूंढ़ने के बाद शिकार हुए लोगों/शिकार हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जा सकता है।

[अनुवाद]

पीएमआरवाई और आरईजीपी का विलय

1479. श्री एस.के. खारवेनवन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरईजीपी) के अंतर्गत की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की अन्तर्व्याप्ति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमआरवाई तथा आरईजीपी के विलय हेतु योजना आयोग को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त परियोजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा देश में और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) द्वारा दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात् खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों का संवर्धन तथा विकास करना है। यद्यपि आरईजीपी का कार्यान्वयन 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, पीएमआरवाई का कार्यान्वयन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है।

आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की लागत सीमा 25 लाख रुपए तक की है जबकि पीएमआरवाई के तहत स्वरोजगार उद्यमों की अधिकतम लागत सीमा एकल उद्यमी हेतु 5 लाख रुपये है। इन दो योजनाओं के तहत स्वीकार्य मार्जिन मनी/सब्सिडी की मात्रा पर्याप्त रूप से भिन्न-भिन्न है।

(ग) और (घ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को विलयित करके 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना तैयार करने संबंधी एक प्रस्ताव 'सिद्धांत रूप से' अनुमोदन हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्ताव केवल अभी अवधारणा के स्तर पर है।

(ङ) केवीआईसी को सलाह दी गई है कि वे रोजगार सृजन के लक्ष्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के वी आई बोर्डों के साथ आरईजीपी योजना के कार्यान्वयन का बारीकी से अनुवीक्षण करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकरों से भी अलग से अनुरोध किया गया है कि वे 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए कोलेट्रल पर जोर न दें। यह सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी द्वारा बैंकरों के साथ राज्य स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) मंत्रालय में आरईजीपी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का भी अनुवीक्षण कर रही है। इसी प्रकार, पीएमआरवाई के मामले में भी मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुवीक्षण के अलावा, केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर नियमित रूप से प्रगति का अनुवीक्षण किया जाता है।

सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्यात

1480. श्री नवीन जिन्दल: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा किए गए निर्यात की अनुमानित मात्रा और मूल्य कितना है;

(ख) क्या ये उद्यम वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी स्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से निर्यातों की मात्रा पर विशिष्ट सूचना केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और अन्य संबंधित लोगों से संकलित सूचना के अनुसार 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा निर्यातों का अनुमानित मूल्य (नवीनतम उपलब्ध) क्रमश: 97,644 करोड़ रुपये, 1,24,417 करोड़ रुपये और 1,50,242 करोड़ रुपये था। उक्त अवधि के लिए मध्यम उद्यमों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) 30 अगस्त, 2000 को एमएसई के संवर्धन और विकास तथा घरेलू और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक नीतिगत पैकेज घोषित किया गया। इस नीतिगत पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक ऋण सहयोग, बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमएसई निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत, एमएसई को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

(1) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वैयक्तिक निर्यातकों को आने-जाने के हवाई किराये का 90 प्रतिशत और स्थान किराया शुल्क के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति;

(2) विदेशी प्रचार सामग्री के उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता जो एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रुपये तक सीमित हो;

(3) एंटी-डंपिंग मामलों को शुरू करने/लड़ने के लिए लघु उद्योग संघों को विशिष्ट बाजार अध्ययन और सहायता के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, जो कुल लागत के 50 प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित हो; और

(4) बार कोडिंग पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एमएसई द्वारा भुगतान किए गए एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना

1481. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कीम ऑफ फंड फार रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के लिए कुल कितना आबंटन किया गया है तथा इस कोष के उपयोग की प्रणाली क्या है;

(ग) इस योजना के क्षेत्राधिकार में आ रहे प्रमुख परम्परागत उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषत: केरल में परम्परागत उद्योगों को कितना लाभ हुआ है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) "पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना" (स्फूर्ति) के तहत 122 क्लस्टरों (34 खादी, 62 ग्राम उद्योग और 26 कॅयर) को उनके विकास के लिए योजना की योजना संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्लस्टर विकास पद्धतियों में विशेषज्ञता सहित राष्ट्रीय स्तर के 19 प्रतिष्ठित संस्थानों को, नोडल एजेन्सियों अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॅयर बोर्ड और योजना की कार्यान्वयन एजेन्सियों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए तकनीकी एजेन्सियों के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा इन क्लस्टरों के विकास के लिए औपचारिकताएं/कार्यकलाप जैसे कि राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना, नोडल एजेन्सियों और कार्यान्वयन एजेन्सियों के स्टॉफ को प्रशिक्षण, क्लस्टर विकास कार्यकारियों (सीडीई) की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, वार्षिक कार्य योजना की तैयारी, निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट, आदि अधिकतर क्लस्टरों में पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) स्फूर्ति का आरंभ खादी, ग्रामोद्योग तथा कॅयर क्षेत्रों में 97.25 करोड़ रु. के कुल योजना आबंटन सहित लगभग 100 क्लस्टरों का विकास करने के लिए किया गया है। योजना के तहत निधियों का जारी किया जाना क्लस्टर विशिष्ट है। भारत सरकार नोडल एजेन्सियों जैसे कि केवीआईसी और कॅयर बोर्ड को निधियां जारी करती है जो फंड रखने और अनुमोदित कार्यान्वयन एजेन्सियों को वितरण तथा योजना के अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा ये फंड कार्यान्वयन एजेन्सियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(ग) चर्म एवं कुम्हारगिरी सहित खादी, ग्राम एवं कॅयर उद्योगों को स्फूर्ति के तहत कवर किया जाता है।

(घ) केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए खादी, ग्राम एवं कॅयर क्षेत्रों से 122 पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों को स्फूर्ति के तहत उनके विकास के लिए अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित क्लस्टरों की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

स्फूर्ति के तहत अनुमोदित क्लस्टरों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	खादी	ग्रामोद्योग	कॅयर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	1	3		4
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1		2
3.	जम्मू और कश्मीर	2	2		4
4.	पंजाब	2	3		5
5.	राजस्थान	3	2		5
6.	चंडीगढ़				0
7.	दिल्ली				0
8.	असम	1	3	1	5
9.	मणिपुर		2		2
10.	मेघालय		1		1
11.	नागालैंड	1	1		2
12.	त्रिपुरा		2	1	3
13.	अरुणाचल प्रदेश		1		1
14.	मिजोरम		1		1
15.	सिक्किम		1		1
16.	बिहार	1	2		3
17.	झारखंड	1	1		2
18.	उड़ीसा		2	2	4
19.	पश्चिम बंगाल	2	3	1	6
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			1	1
21.	मध्य प्रदेश	1	2		3

1	2	3	4	5	6
22.	छत्तीसगढ़		1		1
23.	उत्तर प्रदेश	4	9		13
24.	उत्तरांचल	1	1		2
25.	गुजरात	2	1	1	4
26.	महाराष्ट्र	1	3		4
27.	दमन व दीव				0
28.	गोवा		1	1	2
29.	दादर और नगर हवेली				0
30.	आंध्र प्रदेश	2	4	2	8
31,	कर्नाटक	2	2	4	8
32.	केरल	2	2	4	8
33.	तमिलनाडु	3	5	6	14
34.	लक्षद्वीप			1	1
35.	पांडिचेरी	1		1	2
	योग	34	62	26	122

एम.सी.डी. और एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में डेंगू के मामले

1482. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के एम.सी.डी. तथा एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में डेंगू व चिकनगुनिया के मामले प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं; और

(ख) डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं। विगत वर्ष के 38 मामलों की तुलना में वर्ष 2007 अर्थात 21 नवम्बर, 2007 तक नई दिली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में डेंगू के केवल 7 मामले सूचित किए गए हैं। वर्ष 2006-07 (21 नवम्बर, 2007 तक) के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में चिकनगुनिया का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

दिल्ली नगर निगम में सूचित डेंगू मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	मामला
2004	321
2005	601
2006	1932
2007 (21 नवम्बर, 2007 तक)	475

(ख) उठाए गए कदमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(क) निगरानी

1. रोग निगरानी
2. रोग वाहक निगरानी

(ख) शीघ्र रोग निदान और उपचार

(ग) समेकित रोग वाहक नियंत्रण

1. डिम्भक विरोधी उपाय

(1) रासायनिक विधि

(2) जैविक विधि

(3) पर्यावणिक विधि

2. व्यस्क विरोधी उपाय

इनका चयनित आधार पर उपयोग किया जाता है अर्थात जब कभी मलेरिया/डेंगू/चिकनगुनिया के मामले सूचित किए जाते हैं तथा इनको बीमारी/महामारी फैलाने की स्थिति के लिए आरक्षित रखा जाता है। विहकल माउन्टेड थर्मल फॅगिंग भी की जाती है। दिल्ली नगर निगम के 12 अंचलों के प्रत्येक अंचल में एक माउटेंड फॉगिंग मशीन है।

(घ) स्वास्थ्य शिक्षा

(ङ) कानून प्रवर्तन

(च) अंतर क्षेत्रीय सहयोग

(छ) गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) तथा सामुदायिक भागीदारी

(ज) क्षमता निर्माण और मानव शक्ति विकास।

[हिन्दी]

सीमेंट का आयात

1483. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान सरकार ने सीमेंट आयात को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो देशवार कुल कितनी मात्रा में सीमेंट का आयात किया गया है तथा इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या आयातित सीमेंट की गुणवत्ता की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में घटिया सीमेंट के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ग) से (च) सरकार ने आयात को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं जैसे सीमेंट पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य करना, समतुल्य शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क को हटाना आदि। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के एक उद्यम एमएमटीसी लिमिटेड और टेनसेम नामक तमिलनाडु राज्य सरकार के एक उद्यम को बाजार में आयातित सीमेंट की अच्छी मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 के प्रावधानों के तहत सीमेंट आयात करने हेतु विशेष छूट दी गई है। सीमेंट के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण करने तथा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सीमेंट का आयात केवल उन्हीं विदेशी सीमेंट विनिर्माताओं से किया जा सकता है जिन्हें विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस तरह आयातित सीमेंट विनिर्दिष्ट बीआईएस मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा उसके ऊपर बी आई एस का मानक चिन्ह भी होना चाहिए। देश में मानीकीकृत सीमेंट के आयात को रोकने के लिए अनिवार्य बी आई एस प्रमाणन के तंत्र की शुरुआत की गई है।

(ख) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 (अप्रैल-मई, 2007) के दौरान आयातित सीमेंट की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

देश	2006-07		2007-08 (अप्रैल-मई, 2007)	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	4	2.10	0	0
बंगलादेश	20215	616.22	3956	134.74

1	2	3	4	5
बेल्जियम	1	0.70	0	0
भूटान	715	19.93	0	0
चीन	64929	2305.04	30764	767.50
क्रोएशिया	13	1.76	0	0
फ्रांस	909	222.10	126	21.85
जर्मनी	322	49.02	39	12.75
इण्डोनेशिया	85338	1982.44	16497	376.07
इटली	15	7.23	21	4.47
जापान	30100	641.24	0	0
कोरिया	98	29.50	0	0
मलेशिया	2620	80.93	810	23.51
नेपाल	150	4.10	0	0
नीदरलैण्ड	601	254.31	62	23.69
ओमान	702	37.93	0	0
पाकिस्तान	127	67.61	550	23.52
सिंगापुर	85	37.63	16	3.83
स्पेन	0	0	25	1.39
स्विटजरलैण्ड	0	0	4	1.73
स्वीडन	100	27.09	0	0
संयुक्त अरब अमीरात	3135	116.86	504	22.09
यू.के.	45	9.28	1	0.04
यू.एस.ए.	45	26.14	3	3.59
योग	210269	6539.16	53378	1420.77

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर वीसा जारी होना

1484. श्री एम. अप्पादुरई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में विमानपत्तनों पर आगमन पर वीसा संकल्पना को शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन से सुरक्षा मानदण्ड अपनाए जाऐंगे; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों पर प्रयोगात्मक आधार पर "आगमन पर वीजा" शुरू करने हेतु पर्यटन मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। एक सुविचारित निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में "आगमन पर वीजा" को कार्यान्वित करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में महिला कोटा

1485. श्री सुभाष महरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला कोटा को भरने के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा दी गयी सहायता/किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिले अथवा भर्ती के कोई आरक्षण/कोटा नहीं है। तथापि, महिलाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की हैं:

1. महिला छात्रावासों का निर्माण
2. महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना
3. महिला दिवा देखभाल केन्द्र
4. छात्राओं/अध्यापिकाओं हेतु बुनियादी सुविधाएं
5. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं
6. एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।

ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों पर राजसहायता

1486. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजनाएं हैं;

(ख) क्या इसके लिए सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजसहायता दिए जाने के परिणामत: राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा उत्पाद-वार कितनी प्रतिशत बिक्री प्राप्त की गयी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार के प्रति जवाबदेह, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अपने विभागों द्वारा संचालित 12 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से और प्रदर्शनियां/मेले आयोजित करके ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए अपने बिक्री संवर्धन प्रयास करना जारी रखता है। यह विभिन्न विशेष अवसरों पर आयोजित की जा रही विशेष प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए अलावा जिला/राज्य/आंचलिक तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश के विभिन्न भागों में वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसी 106 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी संरचना निम्न प्रकार है:

(रुपये लाख में)

प्रदर्शनियों का प्रकार	प्रति प्रदर्शनी प्रदत्त अधिकतम वित्तीय सहायता
राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां	40.00
आंचलिक स्तर की प्रदर्शनियां	25.00
राज्य स्तर की प्रदर्शनियां	10.00
जिला स्तर की प्रदर्शनियां	2.50

वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों और की गई बिक्री का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये में)

प्रदर्शनियों का स्वरूप	प्रदर्शनियों की संख्या	बिक्री
राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां	3	1,274.93
राज्य स्तर की प्रदर्शनियां	18	1,770.68
जिला स्तर की प्रदर्शनियां	80	1,521.10
विशेष प्रदर्शनियां/कार्यक्रम	5	48.31
कुल	106	4,615.02

(ख) जी, नहीं। के वी आई सी द्वारा संवर्धित ग्रामोद्योग उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों में सजा

1487. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों में मृत्युदंड निर्धारित नहीं करने की सरकार से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विधि आयोग ने विचार व्यक्त किया है कि दहेज हत्या के अपराध के लिए अपराध के अनुमान मूलक स्वरूप, मृत्यु एवं अपराधी के बीच सीधे संबंध के अभाव, अपराध-आचरण की गंभीरता और उससे प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख में यथापरिभाषित मृत्यु दण्ड निर्धारित करने की कोई न्यायसंगति नहीं है।

(ग) विधि आयोग की सिफारिशें केवल परामर्शी/सिफारिशी प्रवृत्ति की हैं।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु खाद्यान्न

1488. श्री के. एस. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल बच्चों के कल्याणार्थ पर्याप्त खाद्यान्न को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु एक विस्तृत नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्याह्न भोजन योजना को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाने की मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रही है। खाद्यान्नों की लागत की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्यान्न निगम को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर की जाती है। योजना के अंतर्गत प्राथमिक (कक्षा 1-5) के लिए 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 6-8) के लिए 150 ग्राम प्रति छात्र/स्कूल दिवस की दर से खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2007-08 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए 2155807.11 मीट्रिक टन खाद्यान्न के अतिरिक्त देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के लिए 1/10/07 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 322785.31 मीट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

1489. श्री महावीर भगोरा:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत ऋण जारी करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी तथा उपयोग की गयी ऋण राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य राज्य क्षेत्र-वार उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदनों तथा लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों हेतु एक पृथक प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) पीएमआरवाई के तहत, उद्योग क्षेत्र के लिए परियोजना लागत की ऊपरी सीमा 5 लाख रुपये और सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपये तक है। सरकार प्रति उद्यमी परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक, 12,500 रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन, सब्सिडी प्रदान करती है (पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू व कश्मीर के लिए सब्सिडी हेतु उच्चतम सीमा 15,000 रुपये है)। बैंकों को उद्यमी से परियोजना लागत के 5% से 16.25% तक मार्जिन मनी लेने की अनुमति दी जाती है ताकि कुल सब्सिडी और मार्जिन मनी को परियोजना लागत के 20% के बराबर किया जा सके और शेष बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) यह योजना देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। पीएमआरवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति को सहायता इस रूप में दी जानी चाहिए कि उन्हें संबंधित जिला/राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ प्राप्त हो सके। तथापित, अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 22.5% से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान देने को कहा गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 और 2006-07) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत निर्धारित लक्ष्यों, प्राप्त आवेदनों, संस्वीकृत ऋणों और संवितरित (जारी) ऋणों/उपलब्धि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (योजना) (संख्या)	2004-05					लक्ष्य (योजना) (संख्या)	2005-06					लक्ष्य (योजना) (संख्या)	2006-07*				
			प्राप्त आवेदन	संस्वीकृत आवेदन/ऋण		संवितरित आवेदन/मामले			प्राप्त आवेदन	संस्वीकृत आवेदन/ऋण		संवितरित आवेदन/मामले			प्राप्त आवेदन	संस्वीकृत आवेदन/ऋण		संवितरित आवेदन/मामले	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	हरियाणा	5100	14786	9176	5346.91	7755	4294.93	5303	16656	10558	6162.77	9565	5272.34	5480	19911	12615	7346.51	11447	6196.83
2.	हिमाचल प्रदेश	3000	3975	2977	2422.37	2853	2285.89	3557	4086	3038	2634.17	2929	2438.78	3744	4688	3731	3348.24	3480	3237.56
3.	जम्मू और कश्मीर	2000	1732	747	748.31	639	667.47	1588	1190	590	629.49	544	583.89	1461	1395	830	851.20	696	724.31
4.	पंजाब	4600	13619	9178	5848.72	8372	5141.36	4083	13252	8942	5716.72	8043	4966.79	4236	13357	9108	6036.14	8320	5147.47
5.	राजस्थान	9100	29533	16429	9411.55	12919	7087.30	9328	28842	16982	9957.04	13868	7820.82	9579	31948	19238	11341.39	15207	8371.16
6.	चंडीगढ़	300	474	288	186.27	206	123.16	351	390	251	152.30	72	45.99	491	130	60	44.42	47	31.90
7.	दिल्ली	4500	2785	937	665.39	819	557.12	5179	2345	799	572.29	682	480.89	5457	1777	637	466.12	526	352.71
8.	असम	7500	15137	10262	8809.95	8256	5724.27	7387	13631	7262	5259.31	5671	3635.93	7643	10803	5985	5199.58	4531	3687.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	मणिपुर	1500	907	440	400.15	387	304.23	1418	612	420	379.70	383	348.96	1475	861	255	174.15	196	149.91
10.	मेघालय	400	762	598	556.38	568	529.40	361	919	609	562.81	564	515.14	370	734	486	451.04	454	363.84
11.	नागालैण्ड	400	1054	897	909.45	109	102.45	363	2431	2437	3241.20	2379	3124.97	373	1041	979	1267.92	978	1264.65
12.	त्रिपुरा	1000	3149	2126	1649.13	1747	1379.65	1193	3901	2340	2010.51	2032	1642.31	1238	3934	2797	2481.50	1904	1639.22
13.	अरुणाचल प्रदेश	200	527	443	438.05	440	434.80	173	1013	465	415.55	447	397.55	178	392	328	291.41	312	265.41
14.	मिजोरम	200	269	144	134.50	142	133.20	188	818	485	447.00	472	439.52	195	1146	910	799.39	538	355.64
15.	सिक्किम	100	75	37	27.95	32	22.80	66	70	31	20.34	31	19.02	67	54	39	27.02	38	25.40
16.	बिहार	16000	16034	11634	10495.88	10396	8887.83	16003	20256	14049	12516.20	12072	9359.65	16477	12802	8791	8088.77	8016	6723.02
17.	झारखंड	6500	8955	5492	4566.76	4804	3783.49	6978	9065	5451	4780.04	4566	3560.68	7213	8531	5583	4682.36	4858	3895.59
18.	उड़ीसा	7100	28000	16132	10417.20	11339	6819.02	6923	26409	16348	11549.31	12823	7991.59	7125	28354	15440	11329.97	13821	10347.75
19.	पश्चिम बंगाल	24000	9073	4607	3221.46	3796	2534.39	24574	9282	5112	3412.37	4616	3245.55	25449	6237	3700	2990.44	3415	2714.50
20.	अंडमान व निकोबार	150	305	150	116.13	142	109.21	123	317	188	135.56	150	109.26	128	189	119	92.23	118	92.18
21.	मध्य प्रदेश	14000	50655	27538	18099.64	20642	12738.88	13507	50965	28942	19263.20	20909	12599.51	13937	51186	29945	20689.42	20771	12673.89
22.	छत्तीसगढ़	6000	8198	4322	2746.24	3276	1987.65	5429	7801	4384	2920.55	3463	2130.18	5612	11232	6856	4991.99	4128	2566.60
23.	उत्तर प्रदेश	26000	72335	45867	31955.99	42534	29211.20	26248	66359	43505	31517.72	40040	29746.62	26929	78304	49445	36145.62	43077	31454.31
24.	उत्तरांचल	2500	10463	7200	4878.35	6637	4468.32	2119	11416	7756	5534.88	7404	5206.67	2189	11526	7668	5642.32	7095	5142.58
25.	गुजरात	10000	11037	6981	3309.55	6406	3058.89	9579	11818	6826	3464.86	6347	3196.81	9859	10782	6861	3085.10	6020	2614.76
26.	महाराष्ट्र	26000	47166	26796	15596.22	21819	11953.16	24614	44291	28128	15713.51	23817	13036.36	25439	42147	26220	15157.38	20984	11614.04
27.	दमन व दीव	50	7	4	3.51	4	3.51	19	25	14	10.66	14	10.66	20	9	4	3.00	4	3.00
28.	गोवा	500	77	53	45.26	45	35.20	486	78	52	46.39	43	36.64	504	56	30	24.81	21	15.89
29.	दादरा व नगर हवेली	50	27	23	16.00	22	15.00	27	53	30	24.00	24	16.00	27	20	8	4.00	3	1.95
30.	आंध्र प्रदेश	21500	41717	25002	17789.36	22542	14718.59	20767	41054	27343	17194.87	21334	12604.92	20261	30893	20076	12006.45	15275	9280.99
31.	कर्नाटक	12000	30136	16806	10447.25	13931	8866.82	11046	34819	21380	13261.43	19246	11756.60	11387	31919	21583	13319.43	18512	10986.46
32.	केरल	17000	30794	22517	11673.02	16553	8487.30	18685	33752	25758	13150.16	21447	10249.66	18180	35581	26177	13615.09	21170	10261.06
33.	तमिलनाडु	20000	33536	20579	7917.99	16902	6752.80	21565	34460	22203	8659.07	19534	7531.31	21475	38250	24873	10122.96	21984	8797.84
34.	लक्षद्वीप	50	17	12	9.99	4	2.72	48	6	5	4.15	5	3.90	50	7	5	4.55	0	0.00
35.	पांडिचेरी	700	631	363	174.77	329	138.31	722	750	394	173.03	348	154.07	752	764	416	172.27	375	165.34
	अन्य		3377	1246	1289.74	897	918.19		3412	1799	1527.31	1397	1094.47		2520	1251	1547.85	886	1009.31
	अखिल भारतीय	250000	491324	298003	192325.39	248264	154278.51	250000	496044	314876	203020.47	267281	165374.01	255000	493480	312749	203232.04	259207	162074.73

स्रोत: आरबीआई आंकड़े

*अनंतिम

[अनुवाद]

नये आर्थिक जोन तथा निर्यात प्रसंस्करण जोन

1490. श्री के. सुब्बारायण: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित नये आर्थिक जोन (एन ई जेड) तथा विद्यमान निर्यात प्रसंस्करण जोन (ई पी जेड) भारतीय श्रम कानून के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में इन जोनों में कार्यरत कुल श्रम बल लिंग-वार कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे जोन में कार्यरत कार्यबल के हितों के संरक्षण के लिए विशेष श्रम कानून अधिनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) श्रम कानूनों सहित सभी कानून विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड्स) में लागू होते हैं। इस समय देश में कोई निर्यात संसाधन जोन नहीं है।

(ग) इस समय विशेष आर्थिक जोनों में नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या ढाई लाख से अधिक है जिसमें सरकारी एस ई जेडों में नियोजित 1.7 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। सरकारी एस ई जेडों में नियोजित कर्मचारियों में से लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक्सपो-उड़ीसा 2007 मेला

1491. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित एक्सपो-उड़ीसा 2007 में कितने उद्यमों ने भाग लिया था;

(ख) क्या देश में लघु और मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) क्षेत्र की काफी संख्या में इकाइयां या तो रुग्ण हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लघु और मध्यम उद्यम देश में अपने अस्तित्व के लिए जुझ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु और मध्यम उद्योग के पुनरुद्धार और विकास हेतु तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) एक्सपो-उड़ीसा, 2007 मेले में 260 इकाइयों ने भाग लिया।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में मार्च, 2007 के अंत में रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और मध्यम उद्यमों की संख्या क्रमश: 1,14,132 और 17,949 थी। मार्च, 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार रुग्ण एमएसई और मध्यम उद्यमों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

भारत सरकार ने संभावित जीवनक्षम रुग्ण एमएसई की समय पर पहचान और पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य के अलावा, आरबीआई के संयोजन में प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय अंतर संस्थानिक समिति की स्थापना, आरंभिक चरण में रुग्णता की पहचान पर बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करना और संभावित जीवनक्षम के रूप में पहचानी गई रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाना, आदि शामिल है। 'लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज' के अनुरूप, आरबीआई ने सभी पात्र एसएमई के ऋण के पुनर्गठन को सुगम बनाने के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र के संबंध में बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के विकास के लिए ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना उन्नयन, उद्यमियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सुविधाओं के क्षेत्रों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' की घोषणा की गई है।

एमएसएमई के संवर्धन व विकास और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करने के अतिरिक्त, सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 गठित किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संवर्धन और विकास के लिए उपाय, ऋण सुविधाओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अधिप्राप्ति नीति, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतानों पर नियंत्रण करने के लिए

उपाय और सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना, आदि शामिल हैं।

विवरण

मार्च, 2007 के अंत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रुग्ण इकाइयां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यम	रुग्ण मध्यम उद्यम
1	2	3	4
	पूर्वी क्षेत्र		
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	0
3.	असम	5459	7
4.	बिहार	5964	24
5.	झारखंड	2041	34
6.	मणिपुर	362	1
7.	मेघालय	44	0
8.	मिजोरम	16	0
9.	नागालैंड	41	0
10.	उड़ीसा	3602	7
11.	सिक्किम	14	0
12.	त्रिपुरा	3169	0
13.	पश्चिम बंगाल	28592	9591
	उप योग	49324	9664
	उत्तरी क्षेत्र		
14.	चंडीगढ़	21	12
15.	दिल्ली	1252	155
16.	हरियाणा	650	8
17.	हिमाचल प्रदेश	160	0
18.	जम्मू और कश्मीर	588	0
19.	पंजाब	1146	23
20.	राजस्थान	4881	22
21.	उत्तर प्रदेश	13309	233
22.	उत्तरांचल	784	38
	उप योग	22791	491
	पश्चिमी क्षेत्र		
23.	छत्तीसगढ़	1301	1
24.	दादर व नागर हवेली	50	45
25.	दमन व दीव	31	38
26.	गोवा	84	3
27.	गुजरात	3350	7082
28.	मध्य प्रदेश	8311	138
29.	महाराष्ट्र	7401	144
	उप योग	20528	7451
	दक्षिणी क्षेत्र		
30.	आंध्र प्रदेश	3520	47
31.	कर्नाटक	3611	126
32.	केरल	4426	91
33.	पांडिचेरी	37	0
34.	तमिलनाडु	9895	79
	उप योग	21489	343
	कुल योग	114132	17949

स्रोत: आरबीआई, मार्च, 2007

महाविद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा

1492. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गणेश सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने देश में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता पर निराशा जाहिर की है जैसा कि 22 अक्टूबर, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा के निजी वाणिज्यीकरण, रैकेट चलाने और शोषण के संबंध में एक विनियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए एक विनियामक ढांचा (फ्रेम वर्क) स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस विनियामक ढांचे को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता रखने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन पहले से विद्यमान हैं। राष्ट्रीय नीति और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के समनुरूप शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु एक वैधानिक प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर

1493. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर (एन.सी.ई.यू.एस.) ने यह बताया है कि सौ ऐसे उद्योगों में से केवल चार गैर-कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को ही बैंक ऋण दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.सी.ई.यू.एस. ने लघु उद्योगों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में संशोधनों की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार लघु उद्यमों और असंगठित क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने 'असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के वित्तयन' संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह सूचित किया है कि अनौपचारिक क्षेत्र में गैर-कृषि उद्यमों पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55वें दौर, 1999-2000 के अनुसार मात्र 4.13 प्रतिशत उद्यमों के संस्थानिक स्रोतों पर ऋण बकाया हैं। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की प्राथमिक क्षेत्र लेडिंग दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कृषि असंगठित उद्यम क्षेत्र के ऋणों में अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यमों, कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों, लघु सड़क एवं जल परिवहन संचालक, लघु व्यवसाय, विशेषज्ञ एवं स्व-नियोजित, खुदरा व्यापारी एवं स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को अग्रिम, आदि को प्रदान किए गए ऋण शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। एनसीईयूएस ने अपनी रिपोर्ट में सूक्ष्म उद्यमों तथा गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र के अन्य घटकों के लिए समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 12 प्रतिशत उद्दिष्ट करने की सिफारिश की गई है।

(च) और (छ) सरकार ने समपार्श्विकता प्रतिभूति के बिना ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थानों और बैंकों की जोखिम अवधारणा को कम करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों को क्रेडिट का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की है। सीजीटीएमएसई के कॉरपस फंड में सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से 4:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनसीईयूएस ने गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र हेतु निधि (एनएएफयूएस) नामक राष्ट्रीय फंड के सृजन का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योगदान

1494. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितने गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किये गए हैं;

(ख) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावोत्पादकता में कितनी वृद्धि और योगदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार अब केवल कतिपय नवीन क्रियाकलापों में ही गैर-सरकारी संगठनों का वित्त पोषण कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन क्रियाकलापों के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और शैक्षणिक कार्यक्रमों को किस प्रकार लाभ पहुंचा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान जारी करता है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत जिन गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किया गया उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान (कुल संख्या)	वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान (कुल संख्या)
1.	प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता की योजना	46 (इनमें राज्य संसाधन केन्द्र शामिल हैं)	41 (इनमें राज्य संसाधन केन्द्र शामिल हैं)
2.	शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए, अध्ययन, सेमीनार, मूल्यांकन आदि की योजना	24	34
3.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	62	58
4.	माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना	67	45
5.	नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा परियोजना	30	16
6.	पुस्तक प्रोन्नयन संबंधी कार्यकलाप	33	21
7.	संस्कृत शिक्षा का विकास	23	22
8.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद	544	502
9.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	248	130
10.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	10	–
11.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	147	175
12.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	727	757

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में यथा संशोधित) के अनुसार गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयास जिनमें सामाजिक कार्यकर्त्ता समूह शामिल है, को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तदनुसार गेर-सरकारी संगठनों को सरकार के प्रयासों को संपूरित करने तथा तृणमूल स्तर के लक्षित वर्गों तक पहुंचने में सामान्यत: सहयोग करने की दृष्टि से साक्षरता और शिक्षा संबंधी कार्यकलापों के संवर्द्धन हेतु विभिन्न योजनाओं में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास में गिरावट

1495. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री रेवती रमन सिंह:
डा. टोकचोम मैन्या:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औद्योगिक विकास दर में गिरावट दर्ज की गयी है जैसा कि 14 नवम्बर, 2007 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है जो विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट दर्शाता है जैसाकि 12 नवम्बर, 2007 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विनिर्माण क्षेत्र में इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) ऋण की बढ़ती लागत और डालर की अपेक्षा रुपये के मूल्य में वृद्धि इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है; और

(च) सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में उच्च औद्योगिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) दिनांक 14 नवम्बर, 2007 के दि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट अवसंरचना उद्योगों के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में हैं, और सी.आई.आई. सर्वेक्षण विनिर्माणकारी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के बारे में सूचना देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में आंकी गई औद्योगिक वृद्धि दर, जिसमें अवसंरचना संबंधी उद्योग और विनिर्माणकारी क्षेत्र शामिल हैं, नीचे दी गई है:

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)
समग्र उद्योग	8.4	8.1	11.6	9.2
खनन	4.4	1.0	5.4	5.3
विनिर्माण	9.2	9.1	12.5	9.7
विद्युत	5.2	5.2	7.2	7.7
अवसंरचनात्मक उद्योग	5.8	6.1	8.8	6.6

सीआईआई-एस्कॉन सर्वेक्षण के अनुसार 91 विनिर्माणकारी क्षेत्रों में से 74 क्षेत्रों ने औसत से लेकर अत्यधिक तक वृद्धि दर्ज की और 17 क्षेत्रों ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था में अलग-अलग उद्योगों का कार्यनिष्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-मांग और पूर्ति की स्थितियां, अन्तर्वेशी सामग्री की सापेक्ष, कीमतें, प्रतिस्पर्धा, विनियम दरों में उतार-चढ़ाव और मैक्रोइकोनॉमिक कारक। इसके अतिरिक्त आयात करने वाले मुख्य देशों में मांग की स्थितियां और व्यापार संबंधी वातावरण भी उन उद्योगों के कार्यनिष्पादन पर असर डालते हैं जिनमें कुल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात के लिए होता है।

(च) सरकार ने विस्तृत आधार पर औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनायी हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-औद्योगिक क्षमता को लाइसेंस-मुक्त करना, अन्तर्वेशी सामग्री तक प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विदेशी व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाना और उन्हें कम करना, बेहतर अवसंरचनात्मक सहायता और उदार एफडीआई व्यवस्था, आदि।

फिल्मों की शूटिंग हेतु प्रक्रिया

1496. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में फिल्मों की शूटिंग हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) भारत सरकार ने विदेशी फिल्म निर्माताओं द्वारा भारत ने फिल्मों की शूटिंग करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। गृह मंत्रालय के परामर्श से अनुमति प्रदान करने हेतु उनके आवेदन पर कार्रवाई करने में सामान्यत: तीन सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगेगा। यदि फिल्म की शूटिंग जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में की जानी है तो आवेदन पर गृह मंत्रालय के परामर्श से विशिष्ट अनुमोदन दिए जाने पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदनों को अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई में अधिक समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, यदि फीचर फिल्म में सामुदायिक विषयों, मानवाधिकारों, जनजातीय, परमाणु और रक्षा संबंधी मुद्दे शामिल हों अथवा पटकथा में सम्मिलित किसी अन्य मुद्दे को आर्थिक/सामाजिक/राजनीतिक दृष्टि से भड़काऊ या संवेदनशील समझा जाता है तो अनुमति देने से पूर्व गृह मंत्रालय के साथ परामर्श किया जाना अपेक्षित होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु खनन ब्लॉकों का आवंटन

1497. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु खनन ब्लॉकों के आवंटन से उत्पादन के पैमाने पर अर्थव्यवस्था प्रतिकूलत: प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे हतोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह पद्धति उत्पादक नहीं है क्योंकि खनिजों के उत्खनन हेतु कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अपेक्षाकृत कम खनिज-उत्खनन हो पाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लघु खनन ब्लॉकों के आवंटन पर रोक लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (घ) खनन प्रचालन की आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार में किसी विशेष खनिज के लिए मांग, डिपाजिट की सुगम्यता, डिपाजिट की गहराई तथा मोटाई, खनन की विधि, खनन के लिए प्रयुक्त उपकरण तथा मशीनरी पर निर्भर करती है न कि खनन पट्टे के आकार पर। फिर भी, खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रमुख खनिजों का सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने तटीय बालू खनिजों (बीच सैण्ड मिनरल्स) जिसके लिए न्यूनतम क्षेत्र सीमा दो हेक्टेयर है, को छोड़कर सभी प्रमुख खनिजों के संबंध में खनन पट्टे का न्यूनतम आकार चार हेक्टेयर निर्धारित किया है और छोटे डिपाजिटों के लिए, जो स्वरूप में उथले, अलग-थलग है और 200 मीटर की स्ट्राइक लम्बाई से अधिक नहीं है, न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर निर्धारित किया है।

(ङ) से (छ) ऊपर (क) से (घ) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय चाय के निर्यात में गिरावट

1498. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री रामदास आठवले:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चाय के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चाय के निर्यात में आयी गिरावट के कारणों का पता लगाने हेतु एक समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित चाय की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। तथापि, इराक, पाकिस्तान आदि जैसे देशों को निर्यात में गिरावट और डॉलर की तुलना में रुपये की मजबूती के कारण वर्ष 2006-07 की समनुरूपी अवधि की तुलना में 2007-08 के दौरान भारत से चाय के निर्यातों की मात्रा में कमी आई है। चालू वर्ष तथा पिछले वर्षों के दौरान चाय के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष/अवधि	मात्रा (मिलि. किग्रा.)	मूल्य
2004	197.67	1841.14
2005	199.05	1830.98
2006	218.73	2006.53
2007 (जनवरी-सितम्बर)*	118.74	1170.78
2006 (जनवरी-सितम्बर)*	155.90	1427.42

*अनुमानित एवं संशोधन के अध्यधीन

स्रोत: चाय बोर्ड

(ग) जी, नहीं।

(घ) चाय बोर्ड तथा सरकार द्वारा चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं जिसमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करना और भारतीय चाय निर्यातकों के विपणन संबंधी प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना शामिल हैं। इन कार्यकलापों में शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय और/या विशिष्टीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशिष्टता वाले स्टोरो और/या प्रमुख बाजारों में मौके पर नमूने का वितरण; मीडिया प्रचार; क्रेता-विक्रेता बैठकें; आयातकों एवं निर्यातकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जनसंपर्क कार्यकलाप; और भारत एवं चाय आयातक देशों के बीच चाय संबंधी शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान। इन संभावित बाजारों में भारतीय चाय के संवर्धन के लिए चाय बोर्ड ने विदेशों में लंदन, मॉस्को तथा दुबई में तीन कार्यालयों की स्थापना की है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियां

1499. योगी आदित्यनाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर पाकिस्तानी इंटेलिजेन्स, आई.एस.आई. की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आई.एस.आई. की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, भारत-विरोधी कार्यकलापों के लिए भारत-नेपाल सीमा का इस्तेमाल विदेशों से प्रायोजित आतंकवादियों और गुप्तचरों द्वारा किए जाने के दृष्टांत नोटिस में आए हैं।

(ग) सरकार सीमापार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करके, आसूचना तंत्र को दुरस्त करके उग्रवादियों और आई एस आई और राष्ट्र विरोधी तत्वों के इरादों को विफल करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच निकट सम्पर्क और समन्वय स्थापित करके, उन्नत और आधुनिक हथियारों और संचार पद्धति से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करके आई एस आई की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाती रही है।

आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

1500. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत सरकार-यू. एन. डी. पी. आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम 2002-07 को क्रियान्वित करने की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) सरकार ने 34 मिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित परिव्यय से भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (डी आर एम पी) (2002-07) के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 17 राज्यों के 169 जोखिम बहुल जिलों में कार्यान्वयन के अधीन है। इस कार्यक्रम के उप संघटक शहरी भूकम्प संवेदनशीलता न्यूनीकरण परियोजना (यू ई वी आर पी को III, IV और V भूकंपीय जोनों में आने वाले 5 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 38 नगरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य "भारत के सर्वाधिक जोखिम बहुल कुछ चुनिंदा जिलों में आपदा जोखिम में स्थायी कमी" करना है।

आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को निम्नलिखित के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:

(क) राज्य, जिला, तालुका, ब्लाक और समुदाय स्तर पर आपदा तैयारी एवं प्रशमन के लिए जागरूकता सृजन करना।

(ख) आपदा, निवारण, तैयारी और प्रशमन के लिए जागरूकता सृजन करना।

(ग) राज्य, जिला ब्लाक, ग्राम पंचायत, ग्राम्य/शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड स्तरों पर आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बहु आयामी जोखिम तैयारी, अनुक्रिया और प्रशमन योजनाएं विकसित करना।

(घ) सभी स्तरों पर सरकारी कार्यकारियों/आपदा प्रबंधन दलों/अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना।

(ङ) आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों सहित बहुत जोखिम अवरोधक तकनीक प्रदर्शन इकाईयों का निर्माण।

(च) राज्य एवं जिला स्तरों पर आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों को सुदृढ़ करना और संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए जिला प्रशासन को आपातकालीन किटे उपलब्ध कराकर उनकी क्षमता में वृद्धि करना।

(छ) संगत शहरों में भूकंप संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना, जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन सूचना केन्द्र को सुदृढ़ करना और इंजीनियरों तथा भवन निर्माण के पेशेवरों को प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1501. श्री मनोरंजन भक्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका से विस्थापित व्यक्तियों/देश प्रत्यावर्तियों, जो अब अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बस गए हैं, के पुनर्वास को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों का अभी भी पुनर्वास किया जाना है;

(ग) क्या अविशिष्ट मामलों को निपटाने वाले 'व्यवस्थापन स्कंध' इन विस्थापित व्यक्तियों की दशा की गहन निगरानी कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय

1502. डा. एम. जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि वर्तमान में देश में सिर्फ 32 विश्वविद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा 9 विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए थे और किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् ने देश में 140 विश्वविद्यालयों को प्रत्यायित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अलग से पैरामीटर में 'उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय' को चिन्हित करने हेतु एक स्कीम है और इसने दसवीं योजना के अंत तक इस तरह के 9 विश्वविद्यालयों को अभिनिर्धारित किया है।

(ख) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उत्कृष्टता के संभावना वाले विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेज, विशेष सहायता कार्यक्रम, वृहद एवं अल्प अनुसंधान परियोजना, एम.फिल. एवं पी.एच.डी. करने हेतु फेलोशिप, इमिरेटस फेलोशिप, इन्स्ट्रूमेंटल अनुरक्षण केन्द्र और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम जैसी अधिकांश योजनाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ताओं के निर्धारण के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में शिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है शैक्षिक स्टाफ कॉलेज के माध्यम से शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अध्ययन संबंधित क्षेत्रों में एम. फिल और पी.एच.डी. करने के लिए स्थाई शिक्षकों संकाय सुधार कार्यक्रम के तहत सहायता भी की जाती है।

पुलिस का आधुनिकीकरण

1503. श्री सुग्रीव सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु उन्हें मुहैया करायी गयी धनराशि का उपयोग करने में विफल रहे है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान आज की तिथि तक अपने आधुनिकीकरण अनुदान का उपयोग नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में आतंकवाद को रोकने हेतु आसूचना प्राप्त करने, विश्लेषण करने और उसका उपयोग करने में राज्य की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ योजना) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 2005-06 के दौरान जारी की गई निधियों का उपयोग, अव्ययित निधियों के केवल कुछ दृष्टांतों को छोड़कर जिन्हें बाद के वर्ष (वर्षों) में आगे ले जाया जा रहा है। राज्यों द्वारा कुल मिला कर पूरा कर लिया गया है। राज्यों से प्राप्त उपयोग रिपोर्टों के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकारों को इस आशय के अनुदेश जारी किए जाते हैं कि वे विगत वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों ओर बाद के वर्षों में जारी की गई निधियों और समय पर उपयोग करना सुनिश्चित करें चूंकि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का अभी समय नहीं हुआ है इसलिए इन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई पुलिस आधुनिकीकरण निधियों के उपयोग किए जाने संबंधी स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्यों की आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे आसूचना एकत्र करने वाले आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के संदर्भ में विशेष शाखाओं के लिए राज्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत कुल आवंटन का 5% निर्धारित करें। इसके बाद राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे विशेष शाखाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यथा आवश्यक पर्याप्त मानव शक्ति प्रदान करेंगे।

प्रसारण सेवा विनिमयन विधेयक

1504. श्री सनत कुमार मंडल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हित के मद्देनजर प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एडिट्र्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य पणधारियों ने प्रस्तावित विधेयक और प्रारूप विषय वस्तु संहिता के वर्तमान रूप को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा पणधारियों ओर अन्यों से उक्त विधेयक हेतु प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विभिन्न चैनलों में कार्यक्रमों और विज्ञापनों का अनुपात निर्धारित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) प्रस्तावित विधेयक को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) सरकार उपभोकता मंचों सहित स्टेकहोल्डरों के साथ प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के प्रस्तावित मसौदे पर उनके विचार जानने के लिए विचार-विमर्श करती रही है। मसौदा विषय-वस्तु संहिता और प्रसारण विधेयक विशेषकर प्रस्तावित मसौदा विधेयक के अंतर्गत प्रसार भारत की भूमिका, क्रॉस-मीडिया, स्वामित्व के मुद्दों, विषय-वस्तु संहिता तथा प्रसारण विनियामक प्राधिकरण की स्वायतत्ता के बारे में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित स्टेकहोल्डरों द्वारा कतिपय आपत्तियां व्यक्त की गई हैं। स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के मद्देनजर इस मामले में और अधिक विचार प्राप्त करने हेतु संशोधित विधेयक को वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर डाल दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां भी मांगी गई हैं।

(च) और (छ) विभिन्न चैनलों में कार्यक्रमों और विज्ञापनों के अनुपात को तय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क निगम, 1994 के नियम 7(11) में एक प्रसारण टी वी चैनल पर 12 मिनट प्रति घंटे की समय-सीमा (अर्थात् वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए 10 मिनट/घंटा और चैनल के स्व-प्रोत्साहन विज्ञापन के लिए 2 मिनट/घंटा) का प्रावधान किया गया है।

(ज) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

आर्थिक विकास की वृद्धि

1505. डा. राजेश मिश्रा:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए है जिनमें खनन ब्लॉक आवंटित करते हुए मूल्यवर्धित उद्योगों पर पर्याप्त जोर देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर रक्षित उद्योगों को खनन ब्लॉक आवंटित करने का है क्योंकि इससे देश में आर्थिक विकास में बढ़ोत्तरी होगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नई राष्ट्रीय खनिज नीति में लघु खनन ब्लॉकों के आवंटन को रोकने के इस मुद्दे पर ध्यान देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (घ) खनिज समृद्ध राज्यों ने उनके राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के हित में खनिज रियायत मंजूर करने में ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की है जो खनिजों पर आधारित मूल्य वर्द्धक उद्योग लगाने के इच्छुक है। मौजूदा खनन कानून राज्य सरकार को, किसी आवेदक को इस मानदण्ड पर प्राथमिकता देने की अनुमति देता है कि वित्तीय तथा तकनीकी सक्षमता आदि जैसे दूसरे पैरामीटरों के अतिरिक्त वह मूल्यवर्द्धक उद्योग लगा रहा है।

(ङ) से (छ) लघु खनन के मुद्दे पर राष्ट्रीय खनिज नीति, 2007 में, जो सरकार के विचाराधीन है, पर्याप्त रूप से चर्चा की गई है।

[हिन्दी]

एस्बेस्टस पर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स का अध्ययन

1506. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्बेस्टस के खनन कार्य में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों के बारे में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आई.बी.एम.) द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आई.बी.एम. से अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो आई.बी.एम. रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अभी तक इन सिफारिशों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अध्ययन ने कार्य परिसर में प्रदूषण स्तर पर रक्षोपाय लागू करने तथा दूसरे सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश की है।

(घ) से (च) अध्ययन की सिफारिशों की सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके जांच की गई है। कुछ स्टेक होल्डरों ने सुझाव दिया है कि उपयुक्त रक्षापायों के साथ एस्बेस्टास के खनन की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में एस्बेस्टास के खनन पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।

[अनुवाद]

खादी बिक्री केन्द्र

1507. श्री मदन लाल शर्मा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कई खादी बिक्री केन्द्र बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेहतर स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता के लिए खादी उत्पादों में सुधार तथा इनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए, ताकि उनकी स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता को बेहतर बनाया जा सके, सरकार और केवीआईसी द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

(1) केवीआईसी ने टेक्सटाइल कमिटी एक्ट, 1963 के तहत वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय टेक्सटाइल कमिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके तहत कमिटी ने खादी कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए अपने प्रयोगशाला के आधारभूत ढांचे को उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की है। प्रतिष्ठित अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित किए गए ताकि वे केवीआई इकाइयों को अपने आर एण्ड डी प्रयासों के परिणाम प्रदान कर सकें।

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली की मदद से खादी के परीक्षण गुणवत्ता मानदंडों के तकनीकी मैनुअल, विनिर्देशों और मानकों को तैयार कर लिया गया है और एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। तकनीकी मैनुअल खादी के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, स्लिवर, यार्न, फेब्रिक, आदि के नमूनों की जांच के दौरान अपनाई जाने वाली क्रियाविधि को विनिर्दिष्ट करता है, जिससे खादी उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है।

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के तकनीकी सहयोग से, केवीआईसी ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता और दर्शनीयता सुधारने के लिए खादी क्षेत्र में विशेष फिनिशिंग तकनीक आरंभ की है और प्रायोगिक आधार पर क्षेत्रीय श्री खादी आश्रम, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में एक संसाधन सुविधा स्थापित की गई है।

(4) खादी संस्थानों को गुणवत्ता स्लिवर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में केवीआईसी द्वारा 6 स्लिवर प्लांटों की स्थापना।

(5) सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए केवीआईसी द्वारा ग्रामीण उद्योगों सेवा केन्द्रों (आरआईएससी) की स्थापना।

(6) खादी उत्पादों के सुधरे डिजाइनों ओर पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(7) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी) योजना के तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों में पंजीकृत संस्थानों की आकलित आवश्यकता के अनुसार बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के रियायती ब्याज दर पर ऋण।

(8) 2005-06 से शुरू होकर लगभग पांच वर्षों तक देश भर में लगभग 34 खादी क्लस्टर विकसित करने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ करना।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत घटिया भोजन दिया जाना

1508. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत परोसे जाने वाले भोजन को खाने के पश्चात स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत परोसे गए भोजन को खाने के पश्चात् बच्चों के बीमार पड़ने के बारे में कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। ऐसे मामलों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु तंत्र स्थापित करने तथा भोजन की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति के मुद्दों पर पूरा ध्यान देने और संसाधनों का दुरूपयोग रोकने के लिए तंत्र स्थापित करने की लगातार सलाह दी जाती है। तथा प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने का पर्यवेक्षण करने के लिए वे अभिभावकों, समुदाय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करें।

विवरण

बच्चों के बीमार पड़ने के मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों तथा की गई कार्रवाई का विवरण
1	2	3
	2004-05	
1.	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि 28.2.05 को नाडिया जिले के रामचन्द्रपुर प्राथमिक स्कूल में 60 बच्चे विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़े थे, क्योंकि स्कूल के नजदीक स्थित केले की खेती वाली एक फर्म के मालिक द्वारा छिड़के गए कीटनाशक द्वारा भोजन प्रदूषित हो गया था। खेती के मालिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई है।
2.	अण्डमान और निकोबार	अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा विषाक्त भोजन के एक मामले की सूचना दी गई है। ठेकेदार के विरुद्ध एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए पांच भिन्न समितियां गठित की गयी है।

1	2	3
	2005-06	
1.	बिहार	राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि एक बच्चा बीमार पड़ा था। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचना दी गयी है कि बांका जिले के जिला न्यायधीश को स्कूल प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।
2.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने सूचित किया कि पांच जिलों में 208 बच्चे बीमार पड़े (अस्थायी बेचैनी और उल्टियां होना) जिनमें से 131, वर्ष 2004-05 तथा 77, वर्ष 2005-06 में थे जांच के पश्चात् जलगांव जिले में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
3.	उड़ीसा	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बालासोर जिले के लक्ष्मण नाथ प्राथमिक स्कूल के 39 बच्चे बीमार पड़े थे, क्योंकि रसोइए ने नमक समझते हुए गलती से अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया था रसोइए को हटा दिया गया और स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया। एक अन्य घटना में कटक जिले के मधुपुर प्राथमिक स्कूल के 15 बच्चे बीमार पड़े। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया।
4.	राजस्थान	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राजसमंद जिले में 10 बच्चे बीमार पड़े। राज्य सरकार ने रसोइए की सेवाएं समाप्त करने हेतु और प्रधानाचार्य तथा संबद्ध शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु उचित कदम उठाए। एक अन्य घटना में करौली जिले में 61 बच्चों पर असर हुआ। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ब्लाक विकास अधिकारी, जिला परिषद् के अपर मुख्य कार्यपालक तथा स्कूल प्रधानाचार्या और शिक्षक के खिलाफ उचित अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।
5.	तमिलनाडु	राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि कांचीपुरम जिले के मुट्टावक्कम पंचायत यूनियन प्राथमिक स्कूल में 77 बच्चे बीमार पड़े थे। फोरेंसिक जांच से पता चला कि भोजन के लिए प्रयुक्त अरहर की दाल में फफूंदी लगी हुई थी, जिसके कारण भोजन मानव प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया था। पोषक भोजन संयोजक, रसोइए और सहायक को लापरवाही के लिए निलम्बित कर दिया गया।
6.	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चार जिलों में 282 बच्चे बीमार पड़े। राज्य सरकार द्वारा शिकायतों की जांच की गई और यह सूचित किया गया है कि दो मामलों में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई गई है और उचित कार्रवाई की गयी है।
7.	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि पश्चिम मिदनापुर जिले के मेत्याधार प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 85 बच्चे बीमार पड़ गए। राज्य सरकार ने सूचित किया कि घटना की जांच की गई थी और कोई आपराधिक इरादा अथवा जानबूझ कर की गई गलती नहीं पाई गई।
	2006-07	
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 132 बच्चे बीमार पड़े थे। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि जांच के पश्चात् जिन मामलों में यह सिद्ध हुआ कि बच्चे कार्यान्वयन एजेन्सियों की लापरवाही के कारण बीमार पड़े, वहां ऐसी एजेंसियों को हटा दिया गया। स्कूल प्राधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिए उचित चेतावनी दी गई है।

1	2	3
2.	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी है कि 34 स्कूलों में 1242 बच्चे बीमार पड़े थे। लापरवाह पाए गए रसोइयों को हटा दिया गया और नए रसोइयों की नियुक्ति की गई।
3.	उत्तराखंड	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बासी भोजन के उपयोग के कारण नैनीताल जिले के गांधी नगर प्राथमिक स्कूल के 2 बच्चे बीमार पड़े। स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलम्बित कर दिया गया।
	2007-08	
1.	हरियाणा	राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 38 बच्चे बीमार पड़े और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि अपर निदेशक द्वारा जांच की गयी थी जिससे यह पता चला कि छात्र मध्याह्न भोजन खाकर बीमार नहीं पड़े थे। अपितु वे स्कूल परिसर में जटरोफा पौधा खाने के कारण बीमार पड़े थे। ऐसे मामलों को भविष्य में रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सभी सरकारी स्कूल परिसरों से ऐसे सभी पौधों को उखाड़ने और नष्ट करने के निदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

रबड़ बोर्ड

1509. श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेटेक्स और प्राकृतिक रबड़ के शीट्स के मूल्य में अंतर होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रत्येक श्रेणी हेतु किसानों द्वारा कितनी मात्रा में रबड़ उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) क्या रबड़ बोर्ड मूल्य के इस अंतर को बढ़ावा दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में बोर्ड की वर्तमान नीति क्या है;

(ङ) क्या किसान अपनी रुचि के अनुसार प्राकृतिक रबड़ को बनाने व बेचने के लिए स्वतंत्र है;

(च) यदि नहीं, तो बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाए अथवा सुझाए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स तथा शीट रबड़ की कीमत में अंतर होता है। भारत में ताजे लेटेक्स को रिब्ड स्मोक्ड शीट (आर एस एस) तथा सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स में प्रसंस्कृत किया जाता है। आर एस एस 4 घरेलू तथा विश्व बाजारों में सर्वाधिक सामान्यत: स्वीकृत ग्रेड है। प्रसंस्करण की लागत, प्रौद्योगिकी, निवेश आदि में अंतर के कारण और एसएस तथा सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स की कीमत में अंतर होता है। सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स की कीमत भी उसके शुष्क रबड़ तत्व (डी आर सी) पर निर्भर करती है जो 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकता है। वर्ष 2006-07 के दौरान आर एस एस 4 की औसत कीमत 92.04 रुपए प्रति किग्रा. तथा लेटेक्स (60 प्रतिशत डी आर सी) की औसत कीमत 111.90 रुपए प्रति किग्रा थी। वर्ष 2006-07 के दौरान शीट रबड़ तथा सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स का उत्पादन क्रमश: 612735 टन तथा 86780 टन हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी सुरक्षा एजेन्सियां

1510. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी सुरक्षा एजेन्सियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी एजेन्सियों को शासित करने वाले क्या नियम निर्धारित किए गए है;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा इन नियमों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) निजी सुरक्षा सेक्टर की वृद्धि दर के किसी व्यवस्थित आकलन के अभाव में यह जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) तथापि सरकार ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए निजी सुरक्षा एजेन्सियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है और उसके अधीन निजी सुरक्षा एजेन्सियां केन्द्रीय प्रतिदर्श नियम, 2006 बनाए हैं जिससे कि वे इस अधिनियम के उपबंधों को या तो अंगीकार कर ले अथवा इन उपबंधों का पालन कराने के लिए अपने नियम बनाए।

(च) सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन कराने और नियम बनाने के लिए नियंत्रण प्राधिकारियों की नियुक्ति करें।

ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा

1511. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) का विचार 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु उद्योग योजनाओं का दुरूपयोग

1512. श्री अनन्त नायक: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग (एस एस आई) योजनाओं के दुरूपयोग की कुछ घटनाएं सरकार के सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दुरूपयोग के लिए कौन से घटक जिम्मेदार है; और

(घ) ऐसी योजनाओं में खामियों को दूर करने तथा नए सिरे से इनके क्रियान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के दुरूपयोग की कोई विशिष्ट घटना हमारे सामने नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल पाठ्यचर्या में अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल किया जाना

1513. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की युवा पीढ़ी को एक स्वस्थ और वैज्ञानिक ढंग से शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूल पाठ्यचर्या में अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की सटीक जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वेस्ट मैनेजमेंट की संकल्पनाओं को पहले ही स्कूल पाठ्यचर्या में शामिल कर लिया गया है। कक्षा 6, 8, 10 और 11 के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों में 'गारबेज इन गारबेज आउट', 'मेनेजिंग द गारबेज वी प्रोड्यूज' आदि जैसे विषयों पर अध्याय होते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए भरपूर प्रयास करती है और इन पाठ्य पुस्तकों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादी विरोधी तंत्र पर बैठक

1514. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद विरोधी तंत्र पर दूसरी बैठक हाल ही में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बैठक के परिणामों के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद विरोधी संयुक्त तंत्र की दूसरी बैठक दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने दिनांक 7 मार्च, 2007 को इस्लामाबाद में हुई आतंकवाद-विरोधी संयुक्त तंत्र की पहली बैठक के दौरान और बीच की अवधि में सूचना के आदान-प्रदान के आधार पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने मार्च, 2007 की पहली बैठक के बाद हुई आतंकवादी घटनाओं सहित अन्य घटनाओं के बारे में नई सूचनाओं का भी आदान-प्रदान किया। दोनों पक्ष जांच-पड़ताल के लिए उपायों का पता लगाने, विशिष्ट सूचना का आदान-प्रदान करने और सहायता के लिए कार्य जारी रखने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रगति

1515. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान पर बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद देश में प्राथमिक शिक्षा की दशा अभी भी दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सर्व शिक्षा अभियान से आरंभिक शिक्षा को कितना बढ़ावा मिला है;

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में आज की तारीख तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सृजित, संस्वीकृत तथा वास्तव में नियुक्त अध्यापकों के पदों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सृजित अध्यापकों के पदों को संस्वीकृत न करने के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, नहीं। प्रारंभिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से लेकर वर्ष 2001-02

और 2004-05 के बीच तक सकल नामांकन अनुपात 82.35 से बढ़कर 93.54 हो गया है। 6-14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चों को संख्या वर्ष 2001 के 3.20 करोड़ से घटकर वर्ष 2007 में 76 लाख हो गई है।

(ङ) और (च) 15.10.07 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत और भर्ती किए गए शिक्षकों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

15 अक्टूबर, 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक नियुक्ति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.2007 तक कुल संस्वीकृत शिक्षक	15.10.2007 तक भर्ती
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	67	46
2.	आंध्र प्रदेश	37933	36300
3.	अरुणाचल प्रदेश	3054	3464
4.	असम	5410	3871
5.	बिहार	220046	154863
6.	चंडीगढ़	785	240
7.	छत्तीसगढ़	53391	36242
8.	दादर और नगर हवेली	750	665
9.	दमन व दीव	66	63
10.	दिल्ली	28	0
11.	गोवा	195	186
12.	गुजरात	1848	1662
13.	हरियाणा	8090	6074
14.	हिमाचल प्रदेश	3414	3333
15.	जम्मू-कश्मीर	27559	15660
16.	झारखंड	88157	69385
17.	कर्नाटक	22404	15873
18.	केरल	504	0
19.	लक्षद्वीप	21	0
20.	मध्य प्रदेश	92715	80316
21.	महाराष्ट्र	1236	1236
22.	मणिपुर	488	0
23.	मेघालय	7077	2500
24.	मिजोरम	961	578
25.	नागालैंड	168	0
26.	उड़ीसा	68724	49875
27.	पांडिचेरी	42	0
28.	पंजाब	3091	1868
29.	राजस्थान	111132	31433
30.	सिक्किम	468	377
31.	तमिलनाडु	20542	8686
32.	त्रिपुरा	3425	2796
33.	उत्तर प्रदेश	251745	224761
34.	उत्तरांचल	5851	4241
35.	पश्चिम बंगाल	92681	53962
	योग	1134068	810556

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा सहायता

1516. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किन-किन संस्थानों को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) इन संस्थानों को मान्यता देने के लिए अपनाए जा रहे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ग) आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नामों और गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं में से प्रत्येक संस्थान को प्रदान की गई सहायता राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के रूप में किसी संस्था की मान्यता इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, एक सम विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही "आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता" योजना द्वारा अभिशासित है। कोई स्वैच्छिक संगठन जो सोसयटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत या तो सोसाइटी है। कोई स्वैच्छिक संगठन जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत या तो सोसाइटी के रूप में पंजीकृत या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है, जो संस्कृत महाविद्यालय या शोध संस्थान का संचालन कर रहा हो, मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। मान्यता के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी:

(1) महाविद्यालय में प्राक-शास्त्री, शास्त्री, आचार्य या समकक्ष पाठ्यक्रमों का पारम्परिक तर्ज पर शिक्षण होना चाहिए। शोध संस्थान को विभिन्न परम्परागत संस्कृत विषयों में सक्रिय रूप से अनुसंधान करने में संलग्न होना चाहिए।

(2) महाविद्यालय/शोध संस्थान को उपर्युक्त (1) में उल्लिखित स्तर पर कम से कम सात वर्षों से विद्यमान होना चाहिए।

(3) संस्थाएं स्वामित्व वाली होनी चाहिए और इनके पास पर्याप्त भवन तथा परिसर होने चाहिए। संस्थान के पक्ष में 99 वर्षों का पट्टा भी मान्य होगा।

(4) इस स्कीम के अंतर्गत मान्यता और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले पंजीकृत मूल निकाय को भविष्य में कम से कम 2.00 लाख रुपयों की राशि सावधि जमा खाता में जमा करानी होगी।

(5) महाविद्यालय/शोध संस्थान या तो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिनियम के द्वारा विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय से या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सम्बन्ध होना चाहिए।

(6) महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए; शोध संस्थान में सक्रिय अनुसंधानकर्ता 12 से कम नहीं होने चाहिए।

संस्था का स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् सरकार द्वारा उस संस्था को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

मान्यता प्राप्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं बशर्ते कि वे उक्त स्कीम के अंतर्गत दी गई शर्तों का पालन करते हों।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जारी की गई राशि		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश			
1.	रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आर्दश संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	35.27	39.60	45.66
2.	एकर्शानंद संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	16.26	19.54	18.40
3.	श्री रंगालक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा (उत्तर प्रदेश)	16.12	16.11	15.81

1	2	3	4	5
	उत्तरांचल			
4.	भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार	25.66	27.55	25.59
	हरियाणा			
5.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, भगोला, पलवल, फरीदाबाद	25.45	23.73	21.51
6.	दीवान कृष्ण किशोर आदर्श संस्कृत कॉलेज, अम्बाला कैंट	22.55	23.06	22.00
	हिमाचल प्रदेश			
7.	हिमाचल प्रदेश आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जंगला (हि.प्र.)	27.72	34.35	36.33
8.	एस.डी. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, दोघी, ऊना (हि.प्र.)	35.86	41.01	38.60
	बिहार			
9.	राज कुमारी गणेश शर्मा आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, कोलहंता पतोरी, दरभंगा (बिहार)	16.90	20.57	18.28
10.	जे.एन.बी. आदर्श संस्कृत महावविद्यालय, पी.ओ. लगमा, दरभंगा (बिहार)	28.25	24.52	26.37
11.	डा. रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मालीघाट, मुजफ्फरपुर (बिहार)	20.50	23.69	24.06
12.	स्वामी परमकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हुलासगंज, गया (बिहार)-804407	31.55	35.47	37.72
	झारखंड			
13.	लक्ष्मी देवी शारॉफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, देओधर	25.29	30.06	27.29
	केरल			
14.	कालीकट आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, बालूस्सेरी, कालीकट, केरल	38.10	34.54	33.95
	आंध्र प्रदेश			
15.	संस्कृत अकादमी, (शोध संस्थान), हैदराबाद	10.32	10.67	9.20
	तमिलनाडु			
16.	मद्रास संस्कृत कॉलेज एवं एस.एस.वी. पाठशाला, चेन्नई	28.41	32.18	31.92
17.	अहोबिला मत्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मदुरनत्तकम (तमिलनाडु)	8.55	8.55	–
	पश्चिम बंगाल			
18.	कालीचक बिक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मिदनापुर (प.बं.)	29.93	24.54	26.40

1	2	3	4	5
19.	सीता राम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कोलकाता	32.79	31.35	36.49
	महाराष्ट्र			
20.	वैदिक सामसोधाना मंडला, पुणे	17.14	16.62	17.83
21.	मुम्बा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मुंशी मार्ग, मुम्बई	22.25	27.95	26.54
	कर्नाटक			
22.	पूर्नाप्राजाना सामसोधाना मंदिरम, बंगलौर	15.72	15.11	14.37

सोने और हीरे का उत्पादन

1517. श्री टेक लाल महतो: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक देश में राज्य-वार सोने तथा हीरे का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार सोने और हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रयास कर रही है तथा देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध सोने और हीरे के विशाल भण्डारों का पता लगाकर उनका उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सोने तथा हीरे के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) सोने का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मी. टन में)

राज्य	उत्पादन			
	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (सितम्बर तक) (अनंतिम)
कर्नाटक	3.501	2.846	2.336	0.014
झारखंड	0.025	0.201	0.154	1.495
गुजरात (उपोत्पाद के रूप में)	5.154	6.710	10.335	5.312
कुल	8.680	9.757	12.825	6.821

हीरे का उत्पादन एक राज्य तक ही सीमत रहा और इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(कैरट में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (सितम्बर तक) (अनंतिम)
मध्य प्रदेश	78316	44170	2179	300

(ख) से (घ) खनिजों का आयात, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आयात-निर्यात नीति द्वारा नियंत्रित होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सोने और हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नि:शुल्क दाखिला तथा छात्रवृत्ति देना

1518. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार के अर्द्ध-सरकारी/निजी शैक्षिक संस्थानों में विशेष रूप से मेडिकल तथा इंजीनियरी और व्यावसायिक कालेजों में नि:शुल्क दाखिला तथा छात्रवृत्ति देने और शुल्क माफ करने की पेशकश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु धनराशि

1519. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित कपिल सिब्बल समिति ने 6-14 वर्ष के आयु वर्ग को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-2012 के दौरान 3,21,196 करोड़ रुपये की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समिति की अन्य सिफारिशें क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त धनराशि को किस स्त्रोत से जुटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) 6-14 वर्ष के आयु वर्ग को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) कपिल सिब्बल समिति छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग में सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वद्यालय (नूपा) द्वारा तैयार किए गए वित्तीय अनुमान पर निर्भर रही है। यह वित्तीय अनुमान चार वैकल्पिक परिदृश्यों पर आधारित था जिसमें से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 तक की छह वर्ष की अवधि में नयूनतम अनुमान 3,21,196 करोड़ रु. और उच्चतम अनुमान 4,36,459 करोड़ रुपए था। अब नूपा द्वारा वित्तीय अनुमान में (क) महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा अनुमानित बाल जनसंख्या में कमी, और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले से किए गए निवेश को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं। अब यह वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए 2,28,674 करोड़ रुपए के अपेक्षाकृत कम आंकड़ों को दर्शाता है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अंग के रूप में पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों को दिए जाने वाले बजटीय आवंटनों में काफी वृद्धि की है।

[हिन्दी]

क्रान्तिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों का विश्वकोष

1520. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वतंत्रता आन्दोलन तथा संबंधित घटनाओं से जुड़े क्रान्तिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों का एक विश्वकोष संकलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विश्वकोष के संकलन के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता सहित किस प्रकार की सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसे विश्वकोष को कब तक संकलित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

तमिल तथा कन्नड़ भाषाओं के विकास हेतु अनुदान

1521. श्री एम. शिवन्ना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रख्यात कन्नड़ लेखकों, दार्शनिकों तथा राजनैतिक नेताओं द्वारा कन्नड़ और तमिल भाषाओं के विकास हेतु हजार करोड़ रुपये जारी करने की निरंतर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई.आई.टी. कानपुर द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना

1522. श्री अबु अयीश मंडल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर ने हाल ही में शैक्षिक तथा अनुसंधान सहयोग हेतु लैटिन अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एडीओएलएफओ, जेबीएएनईजेड (यूएई), सेनटिएगो, चिली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू कामगारों के लिए कल्याण योजना

1523. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू तथा अन्य संबद्ध उद्योगों में कार्यरत किसानों तथा कामगारों के लाभ हेतु किसी कल्याण योजना को कार्यान्वित किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार तम्बाकू बोर्ड के जरिए तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को उनकी आय में वृद्धि करने में समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2007-08 में 8.52 करोड़ रुपए के परिव्यय से निम्नलिखित विस्तार और विकासपरक स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है-

(क) फार्म यंत्रीकरण

(ख) तम्बाकू की उपज और गुणवत्ता में सुधार

(ग) क्योरिंग की पद्धतियों में सुधार,

(घ) अन्य विस्तार कार्यक्रम

(ङ) खेत में परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण,

(च) आदर्श परियोजना क्षेत्र; और

(छ) तम्बाकू के वैकल्पिक उपयोग

अन्य उपायों में शामिल हैं: 5.80 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर निविष्टि ऋणों की व्यवस्था करना; उपजकर्त्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निविष्टियों अर्थात उर्वरकों, कीटनाशकों, कोको-पीट मीडियम आदि की आपूर्ति करना, अजा/अजजा और महिला उपजकर्ताओं को मुफ्त क्यूरोमीटर प्रदान करना और किसानों को उनके खेतों में वेंचुरी भट्ठियां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान करना।

बोर्ड सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी और खत्ता तथा स्टॉक बीमा पॉलिसियों जैसी सामाजिक कल्याण स्कीमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में इच्छुक पंजीकृत तम्बाकू किसानों के लिए कवरेज को सुकर बना रहा है और इसने 38366 पंजीकृत उपजकर्त्ताओं के लिए सामूहिक सावधि जीवन बीमा स्कीम का कार्यान्वयन किया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उपजकर्त्ताओं को मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े का निर्यात

1524. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश को देश में 'इंटेग्रेटेड लेदर पार्क' की स्थापना करने के लिए एक राज्य के रूप में चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका विश्व में चमड़े के एक अच्छे बाजार के रूप में तेजी से उभर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अमरीका को चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा अमरीकी चमड़ा बाजार में भारत का हिस्सा कितना है; और

(च) अमरीका में चमड़े के निर्यात में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने नेल्लूर में एक चमड़ा कॉम्पलेक्स स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है। परियोजना की कुल लागत 144 करोड़ रुपए है। भारत सरकार की सहायता 29 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सामान्य अवसंरचना की लागत के 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व भर में चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है, और वैश्विक स्तर पर चमड़ा और चमड़ा उत्पाद के कुल आयात व्यापार के 23.12 प्रतिशत हिस्से पर इसका कब्जा है। वर्ष 2001 से 2005 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका का चमड़े और चमड़ा उत्पादों का आयात 3.5 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ा है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा किया गया चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात और इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी की तुलना में यू.एस.ए. का आयात निम्नानुसार है:

(मिलियन अमेरिकी डॉलकर में मूल्य)

ब्यौरे	2003	2004	2005
यू.एस.ए. का आयात	21155.55	22386.45	24067.92
भारत का निर्यात	251.58	290.42	318.36
भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी	1.19 प्रतिशत	1.30 प्रतिशत	1.32 प्रतिशत

स्रोत: आई.टी.सी., जेनेवा
डीसीजीआई एण्ड एस, भारत

(च) संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले चमड़े के निर्यात में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चमड़ा क्षेत्र को मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, इकानोमी ऑफ स्केल्स, प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजाइन विकास हासिल करने की जरूरत होगी। भारतीय चमड़ा उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 11वीं योजनावधि के दौरान उद्योग के लिए सापेक्ष महत्व वाली एक योजना तैयार की है जिसमें अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, निवेश संवर्धन और पर्यावरणीय मुद्दों पर जोर दिया गया है।

भारतीय प्रबंधन संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा

1525. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री उदय सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई आई एम) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक

समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 8 नवम्बर, 2007 के दैनिक 'स्टेट्समेन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समिति की स्थापना का उद्देश्य यह आकलन करना है कि आई आई एम बदलते समय के साथ चले तथा इन संस्थानों को दाखिले के दौरान कोटा प्रणाली लागू करने के लिए प्रेरित करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) (एक) पुनरीक्षा समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:

1.	श्री आर.सी. भार्गव पूर्व प्रबंध निदेशक मारुति उद्योग लिमिटेड	–	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत बालाकृष्णन अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता और अध्यक्ष तथा सी.ई.ओ. rediff.com	–	सदस्य
3.	श्रीमती अनुसूया बासु डिप्टी. सी.ए.जी. (सेवानिवृत्त)	–	सदस्य
4.	श्री रवि माथुर संयुक्त सचिव (त.), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	–	सदस्य सचिव

(दो) इस समिति को गठित करने का उद्देश्य भारतीय प्रबंधन संस्थानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करना है।

(तीन) पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) प्रबंध शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्ट केन्द्रों के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भारतीय प्रबंध संस्थान के वर्तमान स्तर की समीक्षा

(2) उनकी प्रासंगिकता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आलोक में भारतीय प्रबंध संस्थान में चलाए जा रहे वर्तमान पाठ्यक्रमों की समीक्षा।

(3) उनकी संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना की समीक्षा और देश की आर्थिक और सामाजिक विकास जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए उसमें समुचित परिवर्तन सुझाना।

(4) अगले दशक के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थान की विस्तार योजनाओं की समीक्षा और विशेषकर 11वीं योजना के दौरान, ताकि वर्तमान क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

(5) प्रत्येक संस्थान में अक्षय निधि की स्थिति की समीक्षा और निधि के बेहतर उपयोग के लिए व्यापक दिशा-निर्देश सुझाना।

(6) संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रति छात्र लागत की समीक्षा और की छात्र शुल्क, सरकारी अनुदानों, ब्याज से आय और अक्षय निधि आदि से इस लागत की आनुपातिक वसूली हेतु दिशा निर्देश सुझाना।

(7) छात्रों को शैक्षिक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने हेतु उपाय सुझाना और उनकी समीक्षा।

(8) छात्रों को छात्रवृत्तियां, फेलोशिप, फ्रीशिप, और अन्य वित्तीय सहायताओं की उपलब्धता की समीक्षा।

(9) विभिन्न भारतीय प्रबंध संस्थानों में संकाय और गैर-संकाय कर्मचारियों हेतु लागू प्रोत्साहिन स्कीमों की समीक्षा और उनमें समुचित संशोधन सुझाना।

(10) भारतीय प्रबंध संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के मुद्दे पर सिफारिशें देना।

(11) इन संस्थानों के समग्र, प्रभावी और समुचित कार्यकरण के प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना।

[हिन्दी]

तीस हजारी में सुरक्षा व्यवस्था

1526. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीस हजारी न्यायालय में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस न्यायालय में किसी अतिविशिष्ट व्यक्ति के आने पर पुलिस द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाता है जबकि अन्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा दिल्ली के निचले न्यायालयों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) तीस हजारी न्यायालय में दिल्ली पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इस क्षेत्र में सुरक्षा एवं कानून और व्यवस्था प्रबंधों की देखरेख के लिए तीस हजारी न्यायालय में 1960 से एक अलग पुलिस चौकी कार्य कर रही है। जब कभी कोई अति विशिष्ट व्यक्ति न्यायालय में आते हैं तो उनकी सुरक्षा और बचाव के लिए अलग से प्रबंध किए जाते हैं। तथापि, सेवा करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन सुरक्षा प्रबंधों से आम जनता को कोई परेशानी न हो।

नेत्रहीनों के लिए इंजीनियरिंग कालेज

1527. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेत्रहीनों के लिए इंजीनियरिंग कालेज खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे किस स्थान पर खोले जाने का प्रस्ताव है तथा इसे किस संगठन द्वारा खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त कालेजों को खोलने के इच्छुक संगठनों को प्रोत्साहन तथा सहायता देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार दृष्टिहीनों के लिए इंजीनियरी कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा का असंतोषजनक स्तर

1528. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद (एनएएसी) के अनुसार यूजीसी के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित पूर्वी तथा पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों का स्तर राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों से काफी बदतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व तथा पूर्वोत्तर में उच्चतर शिक्षा का स्तर देश में सबसे असंतोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने पूर्वी क्षेत्र के 16 विश्वविद्यालयों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन किया है जिनमें से केवल छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यायित करते समय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अपने सात अभिनिर्धारित मानदंडों के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करती है और न तो उनकी आपसी रैंक निर्धारित करती है तथा न ही एक संस्था की दूसरी संस्था से तुलना करती है।

(घ) उच्चतर शिक्षा को क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार उपायों को प्रोत्साहित करने तथा बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के माध्यम से प्रत्याशित विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय को 1.00 लाख रुपए और प्रत्याशित कॉलेजों में से प्रत्येक कॉलेज को 50,000 रुपए प्रदान किए हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1529. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई आपत्ति उठाई है और विशेष आर्थिक क्षेत्र में दुश्मन देशों द्वारा निवेश न किया जाना सुनिश्चित करने हेतु ''नेशनल सिक्युरिटी एक्सेप्शन'' ने कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि तटीय और संवदेनशील क्षेत्रों में एफ डी आई भागीदारी को स्वीकृति देने से पूर्व सशस्त्र सेनाओं की सहमति प्राप्त की जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र में एफ डी आई की मात्रा, देश सहित एफ डी आई के स्रोत और कंपनी के ब्यौरे दर्शाने के लिए दिनांक 16 मार्च, 2007 को एस ई जेड नियम, 2006 में एक संशोधन किया गया है। विशेष आर्थिक जोनों के लिए अनुमोदन बोर्ड में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों समेत 19 सदस्य हैं। अनुमोदन बोर्ड के सभी अनुमोदन आम सहमति के आधार पर दिए जाते हैं।

उच्च शिक्षा की फीस का ढांचा

1530. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री राकेश सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों से संग्रहीत की जाने वाली फीस से अपने 20 प्रतिशत खर्च को पूरा करने संबंधी अनुदेश दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुदेशों के कारण विश्वविद्यालय छात्रों की फीस में वृद्धि करने के लिए बाध्य होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणाम स्वरूप सरकार को कितनी वार्षिक बचत होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विदेशी छात्र

1531. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारी संख्या में विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ छात्र गायब हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनमें से कुछ अपराधिक/आतंकवादी गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) दिनांक, 31.12.2006 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 23,940 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे थे।

(ख) से (ङ) कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां, विदेशियों के अनुमत अवधि से अधिक समय तक ठहरने/उनके गुम होने पर रोक लगाने के लिए सतर्कता बरतती हैं। विदेशी विद्यार्थियों सहित, जो विदेशी अनुमत अवधि से अधिक समय तक ठहरते हैं उनका पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे विदेशी राष्टिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समय-समय पर यह भी कहा जाता है कि जो विदेशी अनधिकृत रूप से देश में ठहरे हुए हैं उनका पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाये। अनुमत अवधि से अधिक समय तक ठहरने सहित विभिन्न आधारों पर वर्ष 2006 के दौरान भारत से कुल 14,933 विदेशियों को वापस भेजा गया है। जो विदेशी आपराधिक/आतंकवादी क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं उनके विरुद्ध उस देश के कानून के अनुसार कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां कार्रवाई करती हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम

1532. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय-वार पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने की विद्यमान प्रणाली क्या है तथा चालू अकादमिक तंत्र तथा गत तीन सत्रों के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम का वर्ष-वार/विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुक्त विश्वविद्यालयों में गांधी जी के बारे में प्रमाणपत्र, स्नातक, डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहे है तथा क्या इन मुक्त विश्वविद्यालयों में इस विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंधन प्रस्तुत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गांधीवाद के बारे में कोई आधिकारिक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा उनके अध्ययन बोर्ड, स्वैच्छिक परिसर जेसे शैक्षिक निकाय हैं जो विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या अनुमोदित करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संपूर्ण देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों को वृहद् समान कार्यढांचा प्रदान करने के लिए विज्ञान, मानविकी ओर सामाजिक विज्ञान के 32 विषयों में मॉडल पाठ्यचर्या तैयार की थी। विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या यथावत् अपनाने या उसमें अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है।

(ख) से (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने गांधी जी पर एक ''नॉन क्रेडिट'' पाठ्यक्रम तैयार किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान 'गांधीजी नॉन वॉयलेंस कन्फलिक्ट रेज्यूल्युशन' में प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम और नए दाखिल छात्रों के लिए गांधी पद्धति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित कर रहा है। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद गांधीवादी विचारों पर एम.फिल तथा पी.एच.डी. कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 10वीं योजना के दौरान संपूर्ण देश के 24 विश्वविद्यालयों और 26 कालेजों में गांधीवादी अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम

1533. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003 से ''लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम'' नाम योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार अब तक कितने क्लस्टर विकसित किए गए?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अगस्त 2003 में लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसआईसीडीपी) आरंभ किया। अक्टूबर, 2007 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु संवर्धनात्मक पैकेज की घोषणा के बाद, इस योजना का सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के रूप में पुनर्नामकरण किया गया।

(ख) यह योजना अधिकतम 10 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के 30% से 80% तक (महिला उद्यमियों के स्वामित्व/प्रबंधन वाले क्लस्टरों के मामले में 90% तक) भारत सरकार सहायता प्रदान करते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टरों के समग्र विकास पर जोर देती है जिसमें नैदानिक अध्ययन, विपणन विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना, औद्योगिक आधारभूत संरचना का उन्नयन, आदि जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है।

(ग) उक्त योजना के तहत विकास के लिए शामिल किए गए क्लस्टरों की राज्यवार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्लस्टर संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30
2.	असम	3
3.	बिहार	7
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दिल्ली	5
6.	गोवा	3
7.	गुजरात	7

1	2	3
8.	हरियाणा	3
9.	हिमाचल प्रदेश	2
10.	जम्मू-कश्मीर	2
11.	झारखंड	3
12.	कर्नाटक	11
13.	केरल	36
14.	मध्य प्रदेश	5
15.	महाराष्ट्र	5
16.	मेघालय	1
17.	मणिपुर	1
18.	नागालैंड	2
19.	उड़ीसा	18
20.	पंजाब	14
21.	राजस्थान	21
22.	तमिलनाडु	23
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	91
25.	उत्तराखंड	3
26.	पश्चिम बंगाल	28
	योग	328

गृह सचिव स्तरीय वार्ता

1534. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 2007 माह में भारत तथा बांग्लादेश के बीच दो दिवसीय गृह सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) बैठक के परिणामों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) भारत-बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता 2-3 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) इस बैठक में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सहयोग संवर्धन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों सरकारों के बीच जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति हुई उनमें शामिल हैं सुरक्षा एजेन्सियों के बीच कार्रवाई योग्य सूचना की वास्तविक समय से आदान-प्रदान की जरूरत और इस उद्देश्य के लिए नोडल केन्द्रों को नामोद्दिष्ट करना, किसी देश के गुटों-तत्वों, और कानून के अन्य भगोड़ों द्वारा दूसरे देश में आश्रय लेने के बारे में प्राप्त सूचना पर कार्रवाई और संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय स्तर पर संयुक्त कार्य समूह तंत्र की पुनर्बहाली करना। इस बैठक के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मसालों का निर्यात

1535. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत मसालों जैसे पुदीना, धनिया, सौंफ आदि का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इन मसालों के उत्पादन तथा निर्यात के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कुछेक गैर-परम्परागत मसालों अर्थात पुदीना, धनिया, सौंफ आदि की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा: मी. टन)

मसाले का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)
पुदीना व पुदीना उत्पाद	11143	14544	16250	9000
धनिया	33582	23756	20500	12900
सौंफ	7590	5725	3575	2975

(ख) से (घ) मसालों के उत्पादन और उनके निर्यात के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी जाती है तथापि, निर्यात संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्र राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) हेतु केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत निर्यात संबंधी अवंसरचना के विकास के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। अलग-अलग उपजकर्त्ताओं/निर्यातकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन और सब्सिडियां प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

1536. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए निर्धारित खाद्यान्न के बहुत बड़े हिस्से की कुछ राज्यों से बांग्लोदश और नेपाल जैसे देशों में तस्करी की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) ऐसे राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के निर्धारित खाद्यान्न की पड़ोसी देशों को तस्करी किए जाने से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, सीमा रक्षक बल खाद्यान्न की तस्करी सहित सभी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर सतत् रूप से सतर्कता बरतता रहता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

फर्जी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय

1537. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री पंकज चौधरी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में फर्जी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में किसी व्यक्ति/संगठनों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पहचाने गए ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबंधों को और अधिक ठोस बनाने का है ताकि ऐसे फर्जी शैक्षणिक संस्थानों पर रोक लगाई जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक 21 फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पहचान की है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का उल्लंघन करते हुए देश में विद्यमान हैं। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) फर्जी शैक्षिक संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में यूनिवर्सिटी/ विश्वविद्यालय/विद्यापीठ आदि शब्दों की अभिव्यक्ति शामिल है और अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती बनाने के अतिरिक्त हतोत्साहित करने वाले दंड का भी प्रावधान करना जिसमें तीन वर्ष की अवधि तक कारावास और 10.00 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण

दिनांक 16.2007 तक फर्जी विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं की राज्यवार सूची

बिहार

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

2. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), जगतपुरी, दिल्ली
3. कमर्शियल विश्वविद्यालय लि., दरियागंज, दिल्ली
4. यूनाइटेड नेशनल विश्वविद्यालय, दिल्ली
5. वोकेशनल विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. ए डी आर-सैन्ट्रिक जूरिडिकल विश्वविद्यालय, ए डी आर हाउस, 8 जे गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

कर्नाटक

7. बडागानवी सरकार, विश्व मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा सोसाईटी, गोकक, बेलगांव (कर्नाटक)

केरल

8. सेंट जोंस विश्वविद्यालय, किशनट्टम, केरल।

मध्य प्रदेश

9. केशरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

महाराष्ट्र

10. राज अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर

तमिलनाडु

11. डी डी बी संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तूर, त्रिची, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

12. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद
13. भारतीय उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
14. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयोग इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
15. राष्ट्रीय इलेक्ट्रो काम्पलेक्स होम्योपैथी विश्वविद्यालय, कानपुर
16. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचल ताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोशीकलां, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
19. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन, उत्तर प्रदेश
20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इन्स्टीयूशनल एरिया, खोडा, माकनपुर, नोएडा, फेस-2, उत्तर प्रदेश
21. भारतीय विज्ञान और इंजीनियरी संस्थान, नई दिल्ली

नोट: भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ की मान्यता और इसके द्वारा प्रदान की गई बी.एड./एम.एड. आदि जैसी डिग्रियों की मान्यता का मामला अभी न्यायाधीन है।

आई.सी.एस.एस.आर. के संबंध में सिफारिशों का क्रियान्वयन

1538. श्री के. एस. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा कि:

(क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एस.एस.आर.) के संबंध में समीक्षा समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) आई.सी.एस.एस.आर. के वर्तमान वित्त पोषण का स्तर क्या है तथा संस्थान की संरचना के संबंध में किन-किन कठिनाइयां तथा विरोधाभासों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न मुद्दों जैसा आई.सी.एस.एस.आर. की विश्वसनीयता को पुनः बहाल करने के लिए इसकी संरचना में प्रशासन तथा प्रबंधन में आमूल-चूल परिवर्तन करने, निजी वित्त-पोषण सहित वित्त-पोषण के माध्यमों में परिवर्तन करने के संबंध में समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने का है जैसा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2007 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन पर चौथी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ देश में समकालीन सामाजिक तथा विकासात्मक मामलों पर शोध हेतु निधियन में सारगर्भित वृद्धि; कार्यक्रम प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण पुनः प्रबोधन तथा विभिन्न कार्यकलापों के बीच बेहतर संतुलन सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय कार्यनीतियां; परियोजनाओं तथा उनके उत्पाद की बेहतर व्यावसायिक गुणवत्ता हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ठोस तंत्र और प्रक्रिया; तथा परिषद को एक स्वायत्त एवं व्यावसायिक रूप से प्रबंधित सांविधिक निकाय बनाने हेतु इसे पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् हेतु वर्तमान निधियन स्थिति निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपए में)

	योजनागत	योजनेत्तर
2003-04	17.30	24.00
2004-05	15.75	23.70
2005-06	17.80	24.00
2006-07	18.55	24.00
2007-08	19.98	24.00

इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यापक-छात्र अनुपात

1539. श्री के. सुब्बारायणः
श्री महावीर भगोराः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक-छात्र अनुपात अलग-अलग कितना निर्धारित किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में उक्त कक्षाओं में अलग-अलग अध्यापक-छात्र अनुपात वस्तुतः कितना है;

(ग) क्या विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है जिससे विद्यालय के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है और सत्र के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है तथा विद्यालय बंद करने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और अपर प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात के लिए निर्धारित मानदंड 1:40 है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए 1:30 का शिक्षक-छात्र अनुपात पर्याप्त माना जाता है।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए नवीनतम चयनित शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्कूल-वार शिक्षक-छात्र अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कक्षा I से V के लिए पढ़ाई बीच में छोडने वालों की दर जो वर्ष 2001-02 में 39% थी, वर्ष 2004-05 में घटकर 29% रह गई है। प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII) पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अधिक अर्थात 50.8% तक ही है जो वर्ष 2001-02 के मुकाबले केवल 4.26% कम हुई है। तथापि माध्यमिक स्तर (कक्षा I से X) पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर 61.9% तक है जो वर्ष 2001-02 के मुकाबले केवल 4.1% कम हुई है। वर्ष 2001-02 और 2004-05 के बीच प्राथमिक स्कूलों की संख्या 6.64 लाख से बढ़कर 7.68 लाख, उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2.20 लाख से बढ़कर 2.75 लाख और उच्च/उच्चतर स्कूलों की संख्या 1.33 लाख से बढ़कर 1.52 लाख हो गई है। स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन आती है और राज्यों में छात्र-शिक्षक अनुपात में अंतर मुख्यतया स्थानीय कारणों से होता है। 15.10.07 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने हेतु 8.10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2004-05 के दौरान अध्यापक छात्र अनुपात			
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33	31	33	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	34	30	28	31
3.	असम	42	16	20	24
4.	बिहार	104	75	55	28
5.	छत्तीसगढ़	48	46	38	25
6.	गोवा	21	17	24	21
7.	गुजरात	35	39	34	35
8.	हरियाणा	44	30	27	27
9.	हिमाचल प्रदेश	24	30	26	20
10.	जम्मू-कश्मीर	34	16	14	17
11.	झारखंड	81	61	54	20
12.	कर्नाटक	26	37	18	47
13.	केरल	28	27	27	15
14.	मध्य प्रदेश	43	30	32	16
15.	महाराष्ट्र	37	37	35	42
16.	मणिपुर	30	20	24	23
17.	मेघालय	44	16	24	16
18.	मिजोरम	17	8	12	12
19.	नागालैंड	19	16	23	35
20.	उड़ीसा	53	44	22	31
21.	पंजाब	43	19	28	29
22.	राजस्थान	49	34	27	24
23.	सिक्किम	22	25	11	18

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	33	41	29	33
25.	त्रिपुरा	54	15	25	25
26.	उत्तर प्रदेश	58	35	61	45
27.	उत्तरांचल	25	18	18	29
28.	पश्चिम बंगाल	54	44	63	50
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20	18	19	21
30.	चंडीगढ़	41	29	30	26
31.	दादरा और नागर हवेली	62	43	24	28
32.	दमन व दीव	43	29	17	35
33.	दिल्ली	40	26	30	30
34.	लक्षद्वीप	21	16	17	22
35.	पांडिचेरी	24	21	26	29
	भारत	46	35	32	33

स्रोत: चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी-2004-2003

अनुसूचित जाति/जनजाति की साक्षरता दर

1540. श्री रनेन बर्मन:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कम साक्षरता दर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों की साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 54.69% और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 47.10% थी जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर इसके मुकाबले 64.84% थी। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की राज्यवार-साक्षरता दर को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों में निरक्षरता के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कारक हैं जैसे गरीबी, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, लिंगभेद आदि।

(ग) और (घ) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन दोहरी रणनीति को अपनाकर भारत की साक्षरता दर के साथ-साथ देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में बढ़ोतरी सहित सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके तहत 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को

नि:शुल्क पुस्तकें बांटी गई हैं। इसके अलावा उन जिलों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनकों विशेष महत्व के जिलों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत उच्च प्राथमिक आवासीय बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। ग्यारहवीं योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदायों तथा ग्रामीण महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कम साक्षरता दर वाले राज्यों, सजनजातीय क्षेत्रों, सुविधाविहीन वर्गों तथा किशोरों पर भी अधिक ध्यान दिया जायेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षुओं की नामांकन दर क्रमश: 23% तथा 12% हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर (जनसंख्या 2001)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर 7+ व्यक्ति		
		कुल जनसंख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	60.47	53.52	37.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.34	67.64	49.62
3.	असम	63.25	66.78	62.52
4.	बिहार	47.00	28.47	28.17
5.	छत्तीसगढ़	64.66	63.96	52.09
6.	गोवा	82.01	71.92	55.88
7.	गुजरात	69.14	70.50	47.74
8.	हरियाणा	67.91	55.45	–
9.	हिमाचल प्रदेश	76.48	70.31	65.50
10.	जम्मू-कश्मीर	55.52	59.03	37.46
11.	झारखंड	53.56	37.56	40.67
12.	कर्नाटक	66.64	52.87	48.27
13.	केरल	90.86	82.66	64.35
14.	मध्य प्रदेश	63.74	58.57	41.16
15.	महाराष्ट्र	76.88	71.90	55.21
16.	मणिपुर	70.53	72.32	65.85

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	62.56	56.27	61.34
18.	मिजोरम	88.80	89.20	89.34
19.	नागालैंड	66.59	–	65.95
20.	उड़ीसा	63.08	55.53	37.37
21.	पंजाब	69.65	56.22	–
22.	राजस्थान	60.41	52.24	44.66
23.	सिक्किम	68.81	63.04	67.14
24.	तमिलनाडु	73.45	63.19	41.53
25.	त्रिपुरा	73.19	74.68	56.48
26.	उत्तरांचल	71.62	46.27	35.13
27.	उत्तर प्रदेश	56.27	63.40	63.23
28.	पश्चिम बंगाल	68.64	59.04	43.40
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	81.30	–	66.79
30.	चंडीगढ़	81.94	67.66	–
31.	दादरा और नागर हवेली	57.63	78.25	41.24
32.	दमन व दीव	78.18	85.13	63.42
33.	दिल्ली	81.67	70.85	–
34.	लक्षद्वीप	86.66	–	86.14
35.	पांडिचेरी	81.24	69.12	–
	अखिल भारत	64.84	54.69	47.10

क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्रों में विज्ञापन

1541. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सग्रीव सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) ने क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्रों में अपने विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भाषा-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न विभागों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे छोटे समाचार पत्रों को कितना लाभ होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। दिनांक 2 अक्टूबर, 2007

से लागू नई डी ए वी पी विज्ञापन नीति में क्षेत्रीय और अन्य भाषा के समाचारपत्रों को 5% अधिक विज्ञापन उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिससे उनकी हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 35% हो जाती है।

(ख) नई डीएवीपी विज्ञापन नीति, 2007 में भाषा-वार और राज्य-वार आबंटन का प्रावधान नहीं है।

(ग) नई डीएवीपी विज्ञापन नीति वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) नई डी ए वी पी विज्ञापन नीति, 2007 में भी लघु समाचारपत्रों को 5% अधिक विज्ञापन उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिससे उनकी हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 15% हो जाती है।

नाल्को द्वारा विकास योजना का प्रस्ताव

1542. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाल्को का अपने द्वितीय चरण विस्तार परियोजना के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी विकास योजना लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उक्त योजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ताकि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसी विस्तार योजना से बॉक्साइट खनन, एलुमिना तथा एल्यूमिनियम उत्पादन की क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (घ) जी, हां। दिनांक 26.10.2004 को सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने 5003 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत (मार्च, 2007 के मूल्य स्तर) पर अपनी एकीकृत एल्युमिनियम काम्प्लेक्स के द्वितीय चरण की विस्तार परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है जो दिसम्बर 2008 तक पूरा होगा। विभिन्न परियोजना खण्डों की वर्तमान क्षमता और द्वितीय चरण विस्तार के बाद पूर्वानुमानित क्षमता निम्नानुसार है:

परियोजना खण्ड	इकाई	वर्तमान क्षमता	द्वितीय चरण के विस्तार के बाद पूर्वानुमानित क्षमता
बाक्साइट खान	लाख एमटी#	48	63
एल्युमिना शोधनशाला	लाख एमटी	15.75	21
एल्युमिनियम प्रगालक	लाख एमटी	3.45	4.6
गृहीत विद्युत संयंत्र	मेगावाट	960	1200

#एमटी-मीट्रिक टन

अक्टूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न परियोजना खण्डों की समग्र वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:

परियोजना खण्ड	वास्तविक प्रगति
खान और एल्युमिना	48.1%
प्रगालक	46.5%
गृहीत विद्युत संयंत्र	66.7%

[हिन्दी]

लौह अयस्क की गुणवत्ता के लिए लाइसेंस

1543. श्री सुभाष महरिया: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क भंडारों की मात्रा तथा गुणवत्ता की जांच के लिए हाल ही में लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक जारी किए गए लाइसेंसों का कंपनी-वार, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस तथा विकास की दर में कोई अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता क्षेत्र, जिसके लिए राज्य सरकारें पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) मंजूर करती हैं, के पूर्वेक्षण द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। केन्द्र सरकार, लौह अयस्क तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध दूसरे खनिजों के लिए पी एल मंजूर करने हेतु राज्य सरकारों को पूर्व अनुमोदन प्रदान करती है। 1.4.2004 से 31.10.2007 के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों से लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्राप्त 73 प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन दिया गया है। कंपनीवार, राज्यवार ब्यौरे खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) एम एम डी आर अधिनियम, 1957 में दी गई परिभाशा के अनुसार "पूर्वेक्षण लाइसेंस" का तात्पर्य ऐसे लाइसेंस से हैं जिसे पूर्वेक्षण संकार्य करने के प्रयोजन से मंजूर किया जाता है। खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988 में दी गई परिभाषा के अनुसार "विकास" का तात्पर्य अयस्क पिण्ड अथवा सीम के द्वार पर अथवा उसमें प्रचालन करना अथवा खनन अथवा स्टापिंग की तैयारी के तौर पर उपरिमलवा अथवा अनउत्पादक अथवा अपशिष्ट पदार्थों को हटाने से है।

आयात-निर्यात

1544. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:
प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक देश से किए जा रहे निर्यात की मात्रा में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग कुल कितने मूल्य का वस्तु-वार तथा देश-वार निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन परिषदों से कोई सुझाव प्राप्त हुए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत से निर्यात वर्ष 2004-05 में 84 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 103 बिलियन अम. डालर और 2006-07 में 126 बिलियन अम. डा. के हो गए हैं जिनमें लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज हुई है। चालू वर्ष की पहली छमाही में निर्यात वृद्धि दर अमरीकी डालर के रूप में घट कर 18.5 प्रतिशत रह गई है। ऐसा मुख्यत: अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए की मजबूती के कारण हुआ है।

(ग) वर्ष 2004-05 से वर्ष 2007-08 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान निर्यात और आयात का कुल मूल्य अमरीकी डालर में निम्नानुसार रहा है:

भारत का विदेशी व्यापार

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2004-05	83536	111517
2005-06	103091	149166
2006-07	126362	185749
2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)-(अ)	72281	109204

(अ) अनंतिम

निर्यात एवं आयात के मदवार और देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) कोलकाता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी-खंड-1 (पुनर्निर्यातों को छोड़कर निर्यात) और खंड-2 (आयात) में दिए गए हैं। यह सूचना वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.gov.in./ पर भी उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों के सामने आ रही समस्याओं का पता लगाने के लिए सरकार नियमित आधार पर इन परिषदों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है। निर्यात संवर्धन कार्यनीति को सुसंगत बनाने और निर्यातकों को होने वाली समस्या को कम करने के लिए उनके सुझावों के आधार पर समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(च) रुपए की मजबूती के कारण निर्यातकों के सामने आ रही समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने हाल में निर्यातकों हेतु एक राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) दरों में बढ़ोतरी करना, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई सी जी सी) के प्रीमियम में कमी करना, अंतिम उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति की सभी बकाया राशियों का निपटान करने के लिए 600 करोड़ रूपए की धनराशि जारी करना, शुल्क वापसी दरों में बढ़ोतरी करना और लदान-पूर्व एवं लदान-पश्चात ऋण पर ब्याज दरों में कमी करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

टाटा स्काई का कार्यकरण

1545. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाटा स्काई पर दिल्ली आज तक, आई.बी.एन. चैनल तथा राज्य सभा की कार्यवाही नहीं दिखाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या टाटा स्काई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच दिखाने के लिए प्रभार ले रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा आज की तिथि तक टाटा स्काई के विरुद्ध सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या केबल ऑपरेटर केबल कार्यक्रम प्रसारणों हेतु टेलीफोन तथा विद्युत के खम्बों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि हां, तो केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। सीमित ट्रांसपोंडर स्थान के कारण कू बैंड पर डायरेक्ट टु होम (डी टी एच) की सीमित क्षमता है और इसलिए डी टी एच लाइसेंसधारक द्वारा प्रत्येक चैनल का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। मै. टाटा स्काई लि. ने सूचित किया है कि इस समय वे टी वी टुडे ग्रुप के दो चैनलों नामत: आज तक और हेडलाइंस टुडे तथा नेटवर्क 18 ग्रुप के तीन चैनलों नामत: सी एन एन-आई बी एन, सी एन बी सी-टी वी 18 एवं सी एन बी सी-आवाज का प्रसारण कर रहे हैं। डी डी राज्य सभा चैनल के संबंध में टाटा स्काई ने सूचित किया है कि उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि लाइसेंस करार के खंड 7.8 के अनुसार वे चैनल कौन से हैं जिनका डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारण किया जाना है।

(ग) अनिवार्य रूप से प्रसारित किए जाने वाले चैनलों के संबंध में टाटा स्काई को दिनांक 23.11.2007 को एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। यह निदेश दिया गया है कि डी डी राज्य सभा चैनल को डी टी एच सेवा में तत्काल शामिल किया जाए।

(घ) और (ङ) टाटा स्काई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टाटा स्काई के सभी उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के डी डी नेशनल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देख सकते हैं। केवल उन्हीं दर्शकों के पास लगभग 17 रुपए के मासिक औसत खर्च पर नाममात्र राशि का भुगतान करके स्पोर्ट्स गोल्ड पैक का ग्राहक बनने का विकल्प है जो मांग पर मैच के मुख्य अंश, मांग पर क्रिकेट द्रिविया आदि जैसी अतिरिक्त विशेषताओं के साथ क्रिकेट देखना चाहते हैं।

(च) मै. शंकर सिंघल एसोसिएट्स ने मै. टाटा स्काई लि. द्वारा स्वामित्व स्वरूप के सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराके लाइसेंस करार के अनुच्छेद 7 का उल्लंघन करने के खिलाफ शिकायत की

की है। मै. टाटा स्काई लि. ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सेट टॉप बॉक्स, ई एन 50221 के अनुसार सशर्त पहुंच मॉड्यूल (सी ए एम) का प्रयोग करते हुए समान इंटरफेस स्लॉट के जरिए अंतर-प्रचालनीय हैं। ग्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) से लाइसेंसधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए सेट टॉप बॉक्सों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(छ) से (झ) सरकार, केबल कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए टेलीफोन और बिजली के खंबों का प्रयोग करने हेतु केबल ऑपरेटरों को प्राधिकृत नहीं करती है। ऐसी अनुमति देना और नियमों/विनियमों के अनुसार जहां आवश्यक हो कार्रवाई करना संबंधित नागरिक प्राधिकरणों, विद्युत वितरण एजेंसियों और टेलीफोन ऑपरेटरों का कार्य है।

[अनुवाद]

प्रारंभिक शिक्षा के लिए लक्ष्य

1546. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथा वर्ष-वार राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ख) इसके लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रारंभिक शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि का आई आई एम, आई आई टी तथा चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकीय संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे को भरने के लिए बुनियादी संरचना के सृजन के लिए उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने राष्ट्रीय स्तर पर 10,66,857 शिक्षण-कक्षों तथा 10.66 लाख अतिरिक्त अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता बताई। इसकी तुलना में 2006-07 तक सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 11,72,883 अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष तथा 10.12 लाख शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार के बजटीय आबंटन 28,295.91 करोड़ रु. की तुलना में 27,896.25 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

कचरे का आयात

1547. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातकों को विभिन्न प्रकार के कचरे का आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के कचरे के आयात के संबंध में सरकार से व्यापक नीति बनाने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में भारी मात्रा में प्लास्टिक, कांच, जंक फूड, कचरे आदि जैसे करे का आयात किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के कचरे का आयात किया गया; और

(छ) देश में ऐसे कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (छ) भारत में खतरनाक अपशिष्ट का आयात वर्ष 2000 और 2003 में यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) संशोधन नियमावली, 1989 के उपबंधों के अधीन है। पाटन या निपटान के लिए देश में किसी खतरनाक अपशिष्ट का आयात करने की अनुमति नहीं है। तथापि, पुन: चक्रण योग्य अपशिष्टकों के आयात के लिए मामला दर मामला आधार पर पंजीकृत पुन: चक्रण इकाइयों को अनुमति दी जाती है। इसके अलावा वर्ष 2003 में यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली 1989 की अनुसूची 8

में यथा विनिर्दिष्ट खतरनाक अपशिष्ट अथवा ऐसे खतरनाक अपशिष्ट वाल था उनसे संदूषित पदार्थों का आयात वर्जित है।

श्रेणी-वार और देश-वार आयातों के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित ''भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खण्ड-2 (आयात) वार्षिक अंक'' नामक प्रकाशन में दिए गए है; जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने कोचीन में प्लास्टिक अपशिष्ट, बोतल अपशिष्ट, सफाई अपशिष्ट आदि के साथ मिश्रित अपशिष्ट कागज के एक परेषण के आयात का प्रयास करने के एक मामले की सूचना दी है। इस परेषण को जब्त कर लिया गया था और अर्थदण्ड एवं जुर्माने के भुगतान पर उसका पुनः निर्यात किए जाने का आदेश दिया गया था। आयातक ने अर्थदण्ड और जुर्माना अदा कर दिया है और दिनांक 29.10.2007 को आपूर्तिकर्ता को परेषण का पुनः निर्यात कर दिया गया है। राजस्व विभाग ऐसे परेषणों से निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों के साथ कड़ी नजर रख रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 को एक आदेश दिया है, जिसमें अपशिष्ट तेल/प्रयुक्त तेल संबंधित रूपरेखाएं तैयार करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उच्च शिक्षा के लिए धनराशि

1548. श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग से उच्च शिक्षा के वित्त-पोषण हेतु और अधिक संसाधन प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि की मांग की गई तथा इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी हां। उच्चतर शिक्षा के लिए बढ़े हुए आबंटन की आशा की गई है बशर्ते कि ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप दे दिया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अभी तक ग्यारहवीं योजना को अनुमोदित नहीं किया है।

तहलका के स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में सी.बी.आई. जांच

1549. श्री असादूद्दीन ओवेसीः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में लगाए गए आरोपों की सी.बी.आई. से जांच कराने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने सी.बी.आई. जांच हेतु अपनी सहमति प्रकट करने के लिए भी गुजरात राज्य सरकार को निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को गुजरात सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी, हां श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने ''आज तक'' टी.वी. चैनल द्वारा 25 अक्टूबर, 2007 को प्रसारित एक कार्यक्रम ''आपरेशन कलंक'' में लगाए गए आरोपों तथा टेपों की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए सी बी आई जांच हेतु केन्द्र सरकार और एन एच आर सी को अपनी सहमति भेजने के लिए गुजरात सरकार से अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार ने उल्लेख किया है कि नानावती जांच आयोग, 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ''आपरेशन कलंक'' में लगाए गए आरोपों तथा वीडियो टेपों में निहित साक्षात्कार में वर्णित घटनाओं के बारे में पहले ही दंडनीय अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। राज्य सरकार ने 29.10.2007 को नानावती आयोग के सम्मुख उपर्युक्त वी सी डी प्रस्तुत कर दी है। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों के अभियोजन को स्थगित कर दिया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ सी बी आई को इन मामलों की जांच सौंपने के अनुरोध संबंधी याचिका भी 2003 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है। गुजरात सरकार ने आगे उल्लेख किया है कि यदि आगे कोई जांच होनी है तो इसे अपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार और/अथवा अभियोजन हेतु लंबित संबंधित मामलों की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य पुलिस द्वारा निपटाया जा सकता है।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर से हिन्दुओं की मौतें

1550. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में बड़ी संख्या में हिन्दू मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू एवं कश्मीर में हिन्दुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है तथा इस संबंध में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2005, 2006 और 2007 (अक्टूबर तक) के आतंकवादी हिंसा में क्रमश: 557, 389 और 139 सिविलियन मारे गए थे। इनमें हिन्दू समुदाय के कुछ सदस्य भी शामिल हैं।

राज्य में आतंकवादी हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं और नियंत्रण रेखा पर चौकसी एवं गश्त करना, अंत:क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती करना और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी तत्वों एवं समूहों के खिलाफ सतत अभियान चलाना शामिल है। किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप राज्य में हिंसा की समग्र स्थिति में कमी आई है जैसा कि उल्लिखित सिविलियन हताहतों के आंकड़ों से स्पष्ट है। इसके साथ ही राज्य में सुरक्षा के लिए अन्य कई व्यवस्थाएं की गई हैं, उन गांवों/क्लस्टरों में सुरक्षा बलों की पिकटें स्थापित/तैनात की गई हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, दूर-दराज के रिहायशी इलाकों में ग्राम रक्षा समितियां बनाई गई हैं और उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण देने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों द्वारा इन क्षेत्रों में यदा-कदा गश्त की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनियमितताएं

1551. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कुप्रभावित किया है, जैसाकि दिनांक 13 अगस्त, 2007 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अध्यापकों की अनुपस्थिति सहित कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने यूनेस्को/अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना संस्थान द्वारा वर्ष 2007 में "भ्रष्ट विद्यालय, भ्रष्ट विश्वविद्यालय; क्या किया जा सकता है" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट को देखा है। यह रिपोर्ट भारत विशिष्ट नहीं है और इसमें शिक्षा में भ्रष्टाचार तथा इसके कारण पूरे विश्व के विकसित और विकासशील देशों में सुलभता, समानता और गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से शिक्षा प्रणाली को होने वाले नुकसान से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में शिक्षक अनुपस्थिति तथा शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन किए जाने जैसे मुद्दों का भी उल्लेख है। पिछले लगभग पांच वर्ष के दौरान विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कई अध्ययनों और साथ ही समय-समय पर समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर ये उल्लेख किए गए हैं। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को कम करने और शैक्षिक अभिशासन को सुधारने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और सर्वोच्च निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य के साथ परामर्श करके शिक्षा प्रणाली में कदाचारों को दूर करने में निरंतर लगी हुई है। भारत सरकार ने चुनिंदा प्रमुख राज्यों में छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति का जायजा लेने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन भी प्रारंभ किया है। इस अध्ययन के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की औसत उपस्थिति लगभग 80 प्रतिशत है। सरकार इस बात को भी मानती है कि यूनेस्को/अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना संस्थान में उल्लिखित कदाचारों को दूर करने के प्रयोजनार्थ न केवल राज्य सरकारों की निरंतर एवं प्रतिबद्ध सहभागिता की आवश्यकता होगी अपितु और अधिक जन जागरूकता, पारदर्शिता एवं सार्वजनिक निकायों में और अधिक जिम्मेदारी की भावना भी अपेक्षित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट

1552. श्री सनत कुमार मंडल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) ने भारत की आतंकवाद रोधी तैयारी के संबंध में अपनी रिपोर्टों में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद-रोधी कार्यपालक निदेशालय के दल ने नवम्बर, 2006 में अपने दौरे के अनुक्रम में अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी है। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भारत की आतंकवाद-रोधी संरचना और संस्थागत/अन्वेषणगत तंत्र को नोट किया और इस संबंध में कुछ सिफारिशें की तथा सरकार ने उनके संबंध में अपनी टिप्पणियां भेज दी है।

[हिन्दी]

खनन हेतु राज्यों को अधिकार

1553. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) तथा खनिज रियायत नियम 1960 (एमसीआर) में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को एमएमडीआर की पहली अनुसूची के 'क' और 'ग' भाग में अंतर्विष्ट खनिजों के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिए है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ आम सहमति बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (च) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2007 सरकार के विचाराधीन है। अधिनियम और नियमावलियों में कोई संशोधन सरकार के अंतिम अनुमोदन के अधीन ही होंगे।

मानव अधिकार आयोग का न्यायालयों और केन्द्र सरकार को सुझाव

1554. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने जेल सुधार, कुपोषण, भिक्षावृत्ति, दहेज का निषेध आदि के संबंध में कानून को अधिक प्रभावी बनाने के बारे में न्यायालयों और केन्द्र सरकार को हाल ही में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के हनन के संबंध में देश की विभिन्न राज्य सरकारों के शीर्षस्थ अधिकारियों को हाल ही में नोटिस जारी किया है, जैसा कि दिनांक 7 नवंबर, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) गरीबी के कारण बिहार के मधुबनी जिले में ग्रामीणों (आदिवासियों) द्वारा भीख मांगे जाने के बारे में दिनांक 1.11.2007 के दैनिक जागरण में छपे समाचार पर अपनी ओर से संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार और जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी, बिहार को निदेश दिया है कि वे आयोग को तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट भेजें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को विभिन्न राज्य प्राधिकारियों को निदेश/सिफारिशें जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

ब्लू लाइन बसों द्वारा व्यक्तियों की मौतें

1555. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री रघुनाथ झा:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पृथक-पृथक रूप से ब्लू लाइन बसों द्वारा बच्चों सहित कुल कितनी संख्या में पुरुष और महिलाएं मारे गए/घायल हुए;

(ख) आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को ब्लू लाइन बस आपरेटरों से दिल्ली पुलिस कार्मिकों द्वारा रिश्वत लेने की शिकायतें मिली है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे पकड़े गए अधिकारियों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार/दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लू लाइन बसों को किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत चलाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) वर्ष 2005, 2006 और 2007 (15 नवम्बर, 2007 तक) के दौरान ब्लू लाइन बसों द्वारा मारे गए/घायल किए गए बच्चों सहित पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2005, 2006 और 15 नवम्बर, 2007 तक क्रमशः 641, 555 और 546 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। इसके अतिरिक्त ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में की गई कार्रवाई में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/ड्राईवरों के विरुद्ध अभियोजन चलाना, ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करना/रद्द करना और दुर्घटनाओं में संलिप्त वाहनों के परमिट निलंबित/रद्द करना शामिल है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	सिद्ध हुई शिकायतों की संख्या
2005	31	शून्य
2006	30	शून्य
2007 (20 नवम्बर तक)	46	1

वर्ष 2007 के दौरान (20 नवम्बर तक) एक शिकायत सिद्ध हुई थी और इसके आधार पर दो कांस्टेबलों को निलंबित किया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण की कमी के कारण एक यातायात निरीक्षण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने वर्ष 2005, 2006 और 15 नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक वर्ष यातायात पुलिस के तीन कार्मिकों को ब्लू लाइन बस ड्राइवरों/आपरेटरों से रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ा था/गिरफ्तार किया था।

(ङ) यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी नहीं, श्रीमान। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय स्वयं अपने प्रस्ताव के मामले में 2007 की आपराधिक रिट याचिका सं. 878 में दिनांक 10 जुलाई, 2007 से ब्लू लाइन बसों के खतरों की मानीटरिंग कर रहा है और उसने इस आशय के कई निदेश जारी किए हैं। ब्लू लाइन बसों के खतरे का माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनी ओर से संज्ञान लिए जाने से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्तमान ब्लू लाइन बसों को इस ढंग से हटाने का पहले ही निर्णय ले लिया है जिससे निगमित निकायों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा परिचालित की जाने वाली बसों को समकालिक रूप से शामिल किया जा सके। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, समयबद्ध ढंग से वर्तमान ब्लू लाइन बसों को हटाने की मानीटरिंग कर रहा है।

विवरण I

वर्ष	मारे गए					घायल हुए				
	पुरुष	महिला	लड़का	लड़की	कुल	पुरुष	महिला	लड़का	लड़की	कुल
2005	138	14	5	0	157	256	19	5	4	284
2006	97	11	1	0	109	273	38	11	8	330
2007 (15 नवम्बर तक)	93	15	9	0	117	250	18	17	1	286

विवरण II

यातायात पुलिस, दिल्ली, पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पुलिस कार्मिकों में भ्रष्टाचार रोकने/उसका पता लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखी जाती है/नजर रखी जाती है।
2. यातायात पुलिस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु आम जनता के लिए यातायात नियंत्रण कक्ष में हेल्प लाइन सं. 2337888 स्थापित करना।
3. दोषी पाए गए पथभ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना।
4. लोक सेवकों तक वरिष्ठ अधिकारियों की पहुंच पर जोर देना।
5. जुलाई, 1999 से पी.ओ. बाक्स सं. 171 की सुविधा शुरु करना जिसके माध्यम से जनता, भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें भेज सकती है।
6. वरिष्ठ अधिकारियों की फैक्स संख्या के साथ उनके टेलीफोन संख्या का प्रचार करना। सभी अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे फैक्स पर प्राप्त ऐसे सभी संदेशों का एक सार रजिस्टर रखें और जहां कहीं आवश्यक हो उन पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
7. यतायात पुलिस के भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध ई-मेल से अपनी शिकायतें भेजने के लिए जनता को सुविधा प्रदान करना।
8. जिन पुलिस कार्मिकों पर कदाचारों में संलिप्त होने का संदेह हो उन पर नजदीकी नजर रखना ओर जिस पुलिस कार्मिक को इसमें संलिप्त पाया गया हो उसे असंवेदनशील पदों पर स्थानांतरित किया जाता है तथा ऐसे व्यक्तियों के आचरण नजदीकी नजर रखी जाती है।
9. विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटरीकृत नेटवर्क युक्त शिकायत मानीटरिंग और ट्रैकिंग प्रणाली (सी एम टी एस) स्थापित करना और पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनकी प्रगति की मानीटरिंग करना।
10. दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की अवैध/अनाधिकृत जांच पर नजर रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए रात के दौरान राजपत्रित अधिकारी तैनात करना।

[अनुवाद]

मुक्त शिक्षा विद्यालय

1556. श्री अनन्त नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा विद्यालय के माध्यम से शिक्षा का प्रचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि निर्धारित और आवंटित की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान स्कूल स्तर पर उन विद्यार्थियों को मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराता है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से उच्च विद्यालय और/अथवा वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोत भी हैं, के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान इस मंत्रालय के योजनागत बजट में 6 करोड़ रु. का समुचित प्रावधान है। राशि को राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार निर्धारित अथवा आवंटित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

निजी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

1557. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी निजी सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों को सीधे तौर पर राज्यवार कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदानों के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त संस्थानों में अनुदानों के उपयोग की निगरानी के लिए कोई एजेंसी तैनात की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त किसी संस्थान के खिलाफ कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानवीय मूल्यों में शिक्षा, बालिका छात्रावासों के निर्माण, गोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन करने इत्यादि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों सहित शैक्षिक और सामाजिक संस्थानों को अनुदान-सहायता प्रदान करता है। इन संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदानों के ब्यौरे, इनके नाम तथा पते सहित, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा मंत्रालय की वेबसाईट www.education.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (च) निजी संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही सभी स्कीमों में पश्च संस्वीकृति मानीटरिंग समीक्षा हेतु तंत्र मौजूद है। जब भी किसी निजी संस्थान/गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उसकी जांच की जाती है। जहां ऐसे संगठनों द्वारा निधियों का दुरूपयोग सिद्ध हो जाता है वहां राज्य सरकारों के परामर्श से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। योजना में खामियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए सरकार समय-समय पर मौजूदा योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करती है।

[अनुवाद]

सुनामी पुनर्वास परियोजना

1558. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और पांडिचेरी सरकारों ने सुनामी पुनर्वास परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) शक्तिप्राप्त मंत्रियों के ग्रुप (ईजीओएम) ने 9822.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 10.1.2007 को संशोधित सुनामी पुनर्वास (टी आर पी) का अनुमोदन किया था जिसे 2005-06 से 2008-09 की चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। तमिलनाडु राज्य के लिए कुल 4165.33 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है जिसमें बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ई ए पी) संघटक के रूप में 2678.27 करोड़ रुपए और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) संघटक के रूप में 1486.96 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के लिए (इससे पहले पांडिचेरी) कुल 663.73 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है जिसमें ई ए पी संघटक के रूप में 185.10 करोड़ रुपए और ए सी ए संघटक के रूप में 478.63 करोड़ रुपए शामिल है। ई जी ओ एम ने यह भी निर्णय लिया है कि अब अनुमोदित कार्यक्रम में कोई बड़ी घट-बढ़ नहीं की जानी चाहिए और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की दृष्टि से वैज्ञानिक ढंग से कार्य पूरा करना चाहिए। तमिलनाडु या पांडिचेरी सरकारों से टी आर पी के तहत अनुमोदित परिव्यय से अधिक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

बालिकाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा

1559. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग कितने बालकों और बालिकाओं को प्रवेश दिया गया;

(ख) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में छात्राओं को क्या सहायता/प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े वर्ष 2004-05 के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर

पर वर्ष 2004-05 के दौरान बालकों और बालिकाओं का नामांकन दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) भारत सरकार द्वारा दो मुख्य कार्य शुरू किए गए हैं ऐसी बालिकाएं जिनका कभी भी नामांकन नहीं हुआ/स्कूल-बाह्य बालिकाओं, कामकाजी बालिकाओं, बड़ी लड़कियों जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तक पहुंच के लिए प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाज के लाभवंचित समूहों की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों के पास बालिकाओं को जहां आवश्यक हो वहां वर्दी प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचारी निधियां हैं। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान राज्यों को प्रदान की गयी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2004-05 के दौरान कुल नामांकन					
		प्राथमिक (कक्षा I-V)		उच्च प्राथमिक/मिडिल (कक्षा VI-VIII)		उच्च/माध्यमिक (कक्षा IX-X)	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3894649	3797762	1918363	1724667	956965	811362
2.	अरुणाचल प्रदेश	100064	84609	32698	26972	15692	11651
3.	असम	1794039	1716626	737094	652661	349501	275000
4.	बिहार	5938345	4103774	1430687	778302	643374	285457
5.	छत्तीसगढ़	1776950	1628552	687761	522233	255247	165608
6.	गोवा	55713	51115	38830	34616	19457	18589
7.	गुजरात	3702105	2850917	1431810	1041725	734240	492261
8.	हरियाणा	1097631	976308	656396	528418	313626	225795
9.	हिमाचल प्रदेश	350760	320047	219699	199103	190007	160710
10.	जम्मू-कश्मीर	504792	464687	253629	203268	123451	92710
11.	झारखंड	1911035	1535949	544507	379752	218039	132096
12.	कर्नाटक	3040721	2843186	1549520	1396782	720266	636309
13.	केरल	1298261	1245161	850689	777341	532417	525247

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	5491292	4859801	2156596	1670352	849295	471653
15.	महाराष्ट्र	5918639	5466844	3277661	2910891	1571569	1320464
16.	मणिपुर	180660	168237	72315	64985	37465	36100
17.	मेघालय	232537	235418	65594	71246	23284	24753
18.	मिजोरम	64803	58902	26301	25213	13295	13500
19.	नागालैंड	117054	107192	44547	41073	15508	14413
20.	उड़ीसा	2718222	2500346	997910	843023	478876	365142
21.	पंजाब	1010079	891329	555492	486602	292738	258474
22.	राजस्थान	5063707	4266085	2003374	1153437	858722	364666
23.	सिक्किम	43337	42812	13529	15154	5260	5506
24.	तमिलनाडु	3321365	3082051	1934301	1763557	998016	900633
25.	त्रिपुरा	240599	220610	99196	88394	46793	41019
26.	उत्तर प्रदेश	13241089	11338549	4168396	2929626	2683797	1430012
27.	उत्तरांचल	616672	574833	287620	264632	182391	133650
28.	पश्चिम बंगाल	5065416	4815936	1945462	1676564	834198	637675
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20852	19422	12442	10987	6391	5923
30.	चंडीगढ़	34233	28675	20257	17459	11927	10500
31.	दादरा और नगर हवेली	18085	15539	7192	4665	3332	2062
32.	दमन व दीव	8696	7625	4345	3815	2417	2076
33.	दिल्ली	744712	716002	422128	400364	213499	196772
34.	लक्षद्वीप	3736	3317	2298	1812	1573	1376
35.	पांडिचेरी	53693	50306	35018	32078	19632	19237
	भारत	69674543	61088524	28503657	22741769	14222260	10108401

स्रोत: चयनित शैक्षिक आंकड़े 2004-05

विवरण II

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में जारी की गई निधियां	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में जारी की गई निधियां	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	2000.00	4383.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.50	4.50	67.64
3.	असम	0.00	0.00	92.74
4.	बिहार	1770.00	1770.56	5544.39
5.	छत्तीसगढ़	1189.74	1189.76	521.71
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2827.00	2454.14	302.25
8.	हरियाणा	196.55	196.55	314.95
9.	हिमाचल प्रदेश	58.00	28.66	55.25
10.	जम्मू-कश्मीर	54.94	568.60	34.80
11.	झारखंड	1068.50	1068.50	3783.00
12.	कर्नाटक	824.48	336.95	868.93
13.	मध्य प्रदेश	4636.40	4636.00	6599.46
14.	महाराष्ट्र	489.79	605.79	853.70
15.	मणिपुर	0.00	0.00	9.24
16.	मेघालय	9.62	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	7.47	31.47
18.	उड़ीसा	2000.00	1592.63	3442.48
19.	पंजाब	40.00	90.08	0.00
20.	राजस्थान	549.39	1484.06	671.76
21.	तमिलनाडु	489.54	370.45	852.12

1	2	3	4	5
22.	त्रिपुरा	2.40	6.58	24.05
23.	उत्तर प्रदेश	3000.00	13824.06	11682.00
24.	उत्तराखंड	470.71	241.00	263.00
25.	पश्चिम बंगाल	538.36	718.25	670.00
	योग	23219.92	33194.59	41068.93

संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या और भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी की गयी निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में जारी की गई निधियां	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में जारी की गई निधियां	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	342	1823.77	2679.73	2535.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	210.74	258.29	73.13
3.	असम	15	0.00	350.10	0.00
4.	बिहार	350	4.00	2794.69	2330.44
5.	छत्तीसगढ़	84	810.33	766.77	473.44
6.	दादरा और नगर हवेली	1	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	52	497.03	326.76	127.50
8.	हरियाणा	9	0.00	182.18	36.56
9.	हिमाचल प्रदेश	10	192.47	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	51	4.33	186.25	0.00
11.	झारखंड	187	4.00	4083.03	390.00
12.	कर्नाटक	61	845.47	1584.17	0.00
13.	मध्य प्रदेश	185	700.81	1769.32	975.00

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	36	527.61	0.00	109.69
15.	मणिपुर	1	0.00	0.00	33.98
16.	मिजोरम	1	0.00	33.98	0.00
17.	मेघालय	1	13.32	12.47	5.94
18.	उड़ीसा	114	884.02	2114.09	0.00
19.	पंजाब	2	32.55	14.70	0.00
20.	राजस्थान	186	350.65	1272.29	1689.38
21.	तमिलनाडु	53	644.39	0.00	706.30
22.	त्रिपुरा	7	32.54	131.40	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	322	676.03	3768.59	1608.75
24.	उत्तराखंड	25	291.11	0.00	180.00
25.	पश्चिम बंगाल	60	711.43	34.08	657.94
	कुल	2180	9256.60	22362.89	11933.05

[हिन्दी]

उच्चतर और अनिवार्य शिक्षा में प्रगति

1560. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रबंधन और संदर्शी वित्त पोषण तथा उच्चतर और अनिवार्य शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में इसके व्यावसायिक प्रत्यायन और विभिन्न समुदायों की व्यापक गतिविधियों के बारे में आकलन के द्वारा सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक रूप से हासिल प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में की गई प्रगति के फलस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कितने पुरुष और महिलाएं लाभान्वित हुए; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ मदवार कितना बजट आवंटित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के लाभवंचित वर्गों के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू/लागू की हैं:

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु अवर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण।
2. नौकरी में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु कोचिंग स्कीम।
3. विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी कराने के लिए कोचिंग।
5. सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्र की स्थापना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के तहत विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई अनुदान 4709.54 लाख रुपए है। "चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों" में निहित आंकड़ों के अनुसार

उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नामांकन निम्नानुसार था:

वर्ग	लड़के/लड़कियां	2002-03	2003-04	2004-05
अनुसूचित जाति	लड़के	752838	807607	791806
	लड़कियां	324158	385423	469190
	योग	1076996	1193030	1260996
अनुसूचित जनजाति	लड़के	234349	269034	276731
	लड़कियां	106981	139932	157484
	योग	341330	408966	434215

पुलिस प्रमुखों और अर्द्ध सैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों का सम्मेलन

1561. श्री नवीन जिन्दल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्टूबर, 2007 में पुलिस प्रमुखों और अर्द्ध सैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर, 2007 तक आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई थी। नई चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने, श्रेष्ठ प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन के विभिन्न पहुलओं को सुदृढ़ करने हेतु रणनीति और उपाय तैयार करने के लिए यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

सी.आई.पी.ए. योजना का कार्यान्वयन

1562. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में "साझा एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (सीआईपीए) योजना" नामक एक योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पुलिस स्टेशनों में इंटरनेट के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार, सभी राज्यों में "साझा एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग" (सी आई पी ए) योजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित कर रही है। योजना का लक्ष्य पुलिस स्टेशन के कार्यों को आधुनिकीकृत करने का है। जैसे कि पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्टों का कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण और मुद्रण, महत्वपूर्ण प्रपत्रों, अभिलेखों और अपराध संबंधी आंकड़ों का अनुरक्षण।

(ग) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, सरकार की परिकल्पना अनुप्रयोगों के संदर्भ में सी आई पी ए परियोजना की परिधि को व्यापक बनाने और इसे पुलिस स्टेशनों से पुलिस तंत्र में अन्य उच्च पदों तक विस्तृत करने तथा नेटवर्क सम्बद्धता उपलब्ध करवाने की है।

खनिजों का अन्वेषण

1563. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास हिन्द महासागर में खनिज संसाधनों के अन्वेषण हेतु 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का खान स्थल मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या गहरे महासागर में पाए जाने वाले संसाधन भारी मात्रा में और बहुत जयादा महत्वपूर्ण खनिज संसाधन को दर्शाते हैं;

(ग) इन संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, खनन और प्रसंस्करण के लिए एक एकीकृत प्रणाली विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक भारतीय महासागरों से खनिज संसाधनों के अन्वेषण के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य/हासिल की गई उपलब्धि का राज्यवार और खनिजवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, बहुधात्विक नोड्यूल्स कार्यक्रमों के लिए गवेषण और विकासात्मक कार्यकलाप करने हेतु भारत को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यू एन सी एल ओ एस) के तहत मध्य हिन्द महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आबंटित किया गया था जिसमें से 50% क्षेत्र के अनिवार्य अधित्याग के पश्चात भारत द्वारा 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रखा गया है। रखे गए क्षेत्र में लगभग 380 मिलियन टन बहुधात्विक नोड्यूल्स की संसाधन क्षमता है जिनमें तांबा, निकिल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे खनिज शामिल हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन हेतु प्रावधान करने तथा इनसे सम्बद्ध अथवा इनके प्रासंगिक मुद्दों हेतु प्रावधान करने के लिए अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 बनाया है और अपतटीय क्षेत्र खनिज रियायत नियमावली, 2006 तैयार की है।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार बहुधात्विक नोड्यूल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, स्थालाकृति का अध्ययन करने के लिए हिन्द महासागर में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मल्टीबीम बाथीमीट्री सर्वेक्षण किया गया है और चयनित ब्लाकों में अलग-अलग ग्रिड अंतरालों पर प्रतिचयन किया गया है।

विनिर्माण निवेश क्षेत्र नीति

1564. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोई विनिर्माण निवेश क्षेत्र नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति से विशेष आर्थिक (एसईजेड) और औद्योगिक पार्कों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) देश में विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एमआईआर) की स्थापना करना गुणवत्ता अवसंरचना तथा दक्ष और पारदर्शी विनियामक प्रणालियां प्रदान करने की दिशा में एक पहल है ताकि विनिर्माण विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र तथा स्थापना के बारे में नीति की रूपा रेखा तथा कानूनी ढांचे के बारे में राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दया याचिका

1565. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार न्यायालयों द्वारा दी गई मौत की सजा को क्षमा करने के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक निपटाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मौत की सजा माफ करने और ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए समय सीमा नीति हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) 21 नवम्बर, 2007 को दया याचिकाओं के ब्यौरे दर्शाता एक विवरण संलग्न है।

(ख) केवल राजस्थान के एक मुजरिम कैदी खेरज राम के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को वर्ष 2006 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने आजीवन कारावास में परिणत किया है।

(ग) से (ङ) दया याचिकाओं की जांच करने के लिए कोई विशिष्ट दिशा निर्देश एवं समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रदत्त शक्तियों का आयाम बहुत व्यापक है जिसके अधीन मामला दर मामला भिन्न-भिन्न तथ्यों और स्थितियों युक्त असंख्य प्रकार एवं श्रेणियों के मामलों पर विचार किया जा सकता है। तथापि, दया याचिकाओं की जांच करते समय सामान्यत: जिन व्यापक दिशा निर्देश पर विचार किया जाता है वे अभियुक्त के व्यक्तित्व जैसे कि उम्र, लिंग या मानसिक स्थिति या मामले की परिस्थितियां, अभियुक्त का आचरण, चिकित्सीय अपसामान्यता जिससे एक तरह का विधिक पागलपन होता है और ऐसी ही अन्य परिस्थितियों से संबंधित हैं।

विवरण

21.11.2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	दोषी कैदियों की संख्या	राज्य सरकार से प्राप्ति/ निपटान के लिए लंबित होने की तारीख
1	2	3
1.	पियारा सिंह, सरबजीत सिंह, गुरदेव सिंह और सतनाम सिंह-पंजाब	2003
2.	श्याम मनोहर, सियो राम, प्रकाश, सुरेश, रविन्दर और हरीश-उत्तर प्रदेश	1998
3.	आर. गोवनिदसामी-तमिलनाडु	1998
4.	मोहन और गोपी-तमिलनाडु	1999
5.	मुरगन, संथन और अरीवी-तमिलनाडु	2000
6.	जय कुमार-मध्य प्रदेश	1999
7.	महेन्द्र नाथ दास—असम	2000
8.	शेख मीरन, सेलवम और राधाकृष्णन-तमिलनाडु	2000
9.	सोबीत चमर-बिहार	1999
10.	एस.बी. पिंगले-महाराष्ट्र	2001
11.	धमेन्द्र कुमार और नरेन्द्र यादव-उत्तर प्रदेश	1999
12.	धर्मपाल-हरियाणा	1999

1	2	3
13.	मोली राम और संतोष-मध्य प्रदेश	2000
14.	सुरेश और रामजी-उत्तर प्रदेश	2002
15.	देवेन्द्र पाल सिंह-दिल्ली	2003
16.	ओम प्रकाश-उत्तरांचल	2003
17.	प्रवीण कुमार-कर्नाटक	2004
18.	सिमोन, गनाप्रकाश, मदैया, बिलावेन्द्र-कर्नाटक	2004
19.	कुमार बहादुर सिंह और कर्ण बहादुर सिंह-उत्तर प्रदेश	2005
20.	सुशील मुर्मू-झारखंड	2004
21.	लाल चंद, शिवालाल-राजस्थान	2004
22.	जाफर अली-उत्तर प्रदेश	2006
23.	मोहम्मद अफजल-दिल्ली	2006
24.	गुरमीत सिंह-उत्तर प्रदेश	2006
25.	सतीश-उत्तर प्रदेश	2007
26.	सबीना-कर्नाटक	2007
27.	सोनिया और संजीव-हरियाणा	2007
28.	बंडू बाबूराव तिडखे-कर्नाटक	2007

[अनुवाद]

भाषाओं का संरक्षण

1566. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में सम्मिलित भाषाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने कम प्रचलित भाषाओं को विलुप्त होने से बचाए जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषायें शामिल है अर्थात् (1) असमी, (2) बंगाली, (3) बोडो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिन्दी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगु, (22) उर्दू।

(ख) से (घ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी ने, उन भाषाओं के साहित्यिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, जिन भाषाओं को उसने मान्यता नहीं दी है, अकादमी को सलाह देने हेतु एक भाषा विकास बोर्ड की स्थापना की है (अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दी है-भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में यथा सूचीबद्ध 22 भाषायें, भारतीयों द्वारा यथा लिखित राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाएं)। कार्यक्रमों में सेमिनार, कार्यशालायें और इन्हीं भाषाओं में पुस्तकें आदि प्रकाशित करना

शामिल है। इन भाषाओं की साहित्यिक सामग्रियां, अकादमी की दो तिमाही पत्रिकाओं, एक अंग्रेजी में "भारतीय साहित्य" और दूसरी हिन्दी में "समकालीन भारतीय साहित्य" में प्रकाशित होती है। साहित्य अकादमी ने मौखिक और आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना कार्यालय स्थापित किया है। अकादमी ने गैर-मान्यता प्राप्त भाषाओं में 16 पुस्तकें प्रकाशित की है। अकादमी उन भाषाओं के लेखकों/विद्वानों को ऐसी भाषाओं में उनके सहयोग को मान्यता देने के लिए वार्षिक भाषा सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है जिन भाषाओं को अकादमी ने मान्यता प्रदान नहीं की है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच आर डी) के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी आई आई एल), मैसूर ऐसी भाषाओं के विकास के लिए कई परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

हस्तनिर्मित कागज विनिर्माण इकाई

1567. श्री के.एस. राव: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1940 में शुरू हुई सबसे पुरानी हस्तनिर्मित कागज विनिर्माण इकाई की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संस्थान को बचाने के लिए अतितत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 1940 में स्थापित हस्तनिर्मित कागज संस्थान, पुणे महाराष्ट्र सरकार के सांविधिक निकाय महाराष्ट्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का विभागीय केन्द्र है और इसलिए यह संस्थान महाराष्ट्र सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है।

जैसा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पता लगाया गया है, हस्तनिर्मित कागज के विकास को प्रोत्साहित करने तथा महाराष्ट्र में इस पारंपरिक ग्रामोद्योग के संरक्षण की दृष्टि से हस्तनिर्मित कागज संस्थान पुणे ने महाराष्ट्र में हस्तनिर्मित कागज के विकास का कार्य आरंभ किया है। संस्थान अपने तीन प्रभागों अर्थात उत्पादन प्रभाग, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग और प्रशिक्षण प्रभाग के माध्यम से हस्तनिर्मित कागज उद्योग के विकास संबंधी कार्य करता है। उत्पादन प्रभाग उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन का ध्यान रखता है, अनुसंधान प्रभाग विभिन्न प्रकार की पर्यावरण मित्र कच्ची सामग्री से हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए अनुसंधान कार्य करता है, प्रशिक्षण प्रभाग हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जेल सुधार

1568. श्री के. सुब्बारायण:
श्री पी.सी. गद्दीगउडर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री किरेन रिजीजू:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की राज्यवार, जेल और लिंगवार कुल वर्तमान संख्या कितनी है और वे कब से जेलों में बंद हैं;

(ख) इन कैदियों को प्रशिक्षण, सुरक्षा, पुनर्वास, कार्यक्रम, कम्प्यूटर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं आदि सहित उपलब्ध कराई गई मूल सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में जेलों को आधुनिक बनाने और उनका सुधार करने तथा जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य को राज्यवार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आधुनिकीकरण और जेल सुधार के मामले की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अनुसार जेल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश की विभिन्न जेलों में 31.12.2005 तक 345648 कैदी थे। कैदियों के जेलवार एवं अवधिवार विवरण के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रख जाते है। तथापि, वर्ष 2005 के अंत तक कैद की अवधि सहित दोषसिद्ध एवं विचारणाधीन राज्यवार और लिंगवार कैदियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जेलों में कैदियों को प्राप्त सुविधाओं में कृषि, बढ़ईगीरी, सिलाई, बुनाई, डिब्बाबंदी आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। वर्ष 2005 के दौरान कुल 59361 कैदियों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए गए। इसके अतिरिक्त 1262 कैदियों को रिहाई पर वित्तीय सहायता दी गई थी। 1538 दोषसिद्ध कैदियों का वर्ष 2005 के दौरान पुनर्वास किया गया। जेलों में वर्ष 2005 के दौरान 30090 कैदियों को प्रारंभिक शिक्षा, 38979 कैदियों को प्रौढ़ शिक्षा, 1650 कैदियों को उच्च शिक्षा और 1658 कैदियों को कम्प्यूटर शिक्षा दी गई कैदियों को जेल चिकित्सक द्वारा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गंभीर बीमारी होने पर कैदियों को उपचार हेतु जेल से बाहर के अस्पतालों में ले जाया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान कैदियों की चिकित्सा सहायता पर 33.21 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ग) और (घ) यद्यपि "जेल" राज्य का विषय है फिर भी केन्द्रीय सरकार ने जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों का निर्माण कराने, मौजूदा जेलों की मरम्मत एवं उनका पुनर्नवीकरण करने और जेल कर्मचारियों के लिए स्वच्छता एवं जल आपूर्ति और उनकी जीवन दशाओं में सुधार करने के लिए वर्ष 2002-03 में जेलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक योजना शुरू की है। यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारी आधार 1800 करोड़ रुपए के परिव्यय से पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को 1.4.2007 से और दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

निधियों की रिलीज राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाणपत्रों पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज की गई राशियों और राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा विवरण III के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) जी हां।

(छ) समिति ने एक मसौदा नीति दस्तावेज तैयार किया है और मौजूदा जेल संबंधी कानूनों में परिवर्तन करने, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और मानसिक रूप से रुग्ण कैदियों सहित कैदियों की स्थिति और जेल में रहने की स्थिति में सुधार करने, जेलों में सुधारात्मक कार्यक्रम करने, जेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, कारावास का विकल्प सुझाने जेलों के लिए पृथक निदेशालय स्थापित करने से संबंधित व्यापक सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिए भेज दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2005 के अंत तक कारावास की अवधि से अभियोजनाधीन कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	3 माह तक			3-6 माह तक			6-12 माह तक			1-2 वर्ष तक		
		पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	5716	562	6278	2361	84	2445	633	29	662	167	6	173
2.	अरुणाचल प्रदेश*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	3165	76	3241	600	19	619	540	12	552	424	16	440
4.	बिहार	8000	300	8300	9500	304	9804	10510	312	10822	5545	158	5703
5.	छत्तीसगढ़	2411	101	2512	1497	67	1564	903	36	941	406	24	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	94	2	96	47	13	60	43	1	44	31	1	32
7.	गुजरात	2106	120	2226	1252	62	1314	1335	37	1372	930	19	949
8.	हरियाणा	2137	85	2222	1643	77	1720	1853	73	1926	1183	58	1241
9.	हिमाचल प्रदेश	145	6	151	110	4	114	170	4	174	84	1	85
10.	जम्मू-कश्मीर	374	20	394	270	6	276	229	4	233	277	9	286
11.	झारखंड	4648	188	4836	3335	166	3501	2491	93	2584	1672	67	1739
12.	कर्नाटक	2811	92	2903	1503	76	1579	1802	93	1895	971	22	993
13.	केरल	2580	49	2629	1123	56	1179	160	12	172	43	6	49
14.	मध्य प्रदेश	8227	247	8474	3771	101	3872	2510	92	2602	1404	64	1468
15.	महाराष्ट्र	6391	530	6921	2893	123	3016	2445	76	2521	2621	94	2715
16.	मणिपुर	182	16	198	53	1	54	61	0	61	58	0	58
17.	मेघालय	208	0	208	75	0	75	71	4	75	58	4	62
18.	मिजोरम	345	28	373	58	18	76	32	13	45	27	0	27
19.	नागालैंड	187	4	191	154	7	161	98	5	103	23	0	23
20.	उड़ीसा	4412	138	4550	1760	119	1879	1547	40	1587	1073	31	1104
21.	पंजाब	4036	175	4211	1625	156	1781	1220	98	1318	648	63	711
22.	राजस्थान	3070	109	3179	1464	58	1522	1364	49	1413	777	15	792
23.	सिक्किम	54	1	55	20	4	24	22	0	22	19	0	19
24.	तमिलनाडु	1108	11	1119	762	27	789	638	16	654	316	6	322
25.	त्रिपुरा	329	15	344	143	5	148	86	1	87	39	0	39
28.	उत्तर प्रदेश	16832	430	17062	8497	271	8768	7975	223	8198	4807	89	4896
27.	उत्तरांचल	503	13	516	445	8	453	315	5	320	141	7	148
28.	पश्चिम बंगाल	7388	661	8047	1984	190	2174	1808	96	1904	961	52	1013
	योग (राज्य)	87287	3979	91236	46948	2022	48967	40861	1426	42287	24706	812	26617
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	117	2	119	7	0	7	7	0	7	11	1	12
30.	चंडीगढ़	152	8	160	85	3	88	48	4	52	26	3	29
31.	दादरा और नगर हवेली	5	0	5	5	0	5	10	0	10	7	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	दमन व दीव	7	0	7	8	0	8	2	0	2	0	1	1
33.	दिल्ली	6110	116	6226	1188	73	1261	1160	62	1222	404	51	455
34.	लक्षद्वीप	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	143	1	144	8	0	8	0	0	0	4	0	4
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	6540	127	6667	1301	76	1377	1227	66	1293	452	56	508
	योग (अखिल भारत)	93797	4106	97903	48246	2098	50344	42088	1492	43580	25157	868	26025

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2-3 वर्ष			3-5 वर्ष			5 वर्ष से अधिक			कुल		
		पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	29	3	32	0	2	2	0	0	0	8906	686	9592
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	82	10	92	37	0	37	19	0	19	4887	133	5000
4.	बिहार	3019	87	3106	1700	20	1720	547	17	564	36621	1198	40019
5.	छत्तीसगढ़	50	2	52	8	0	8	2	0	2	5277	232	5509
6.	गोवा	14	0	14	0	0	0	0	0	0	229	17	246
7.	गुजरात	320	3	323	204	4	208	58	1	59	6205	246	6451
8.	हरियाणा	292	20	312	154	13	167	129	0	129	7391	326	7717
9.	हिमाचल प्रदेश	11	1	12	0	0	0	0	0	0	520	16	536
10.	जम्मू-कश्मीर	154	9	163	128	7	135	50	2	52	1482	57	1539
11.	झारखंड	802	25	827	402	7	409	43	0	43	13393	546	13939
12.	कर्नाटक	321	13	334	219	0	219	56	0	56	7683	296	7979
13.	केरल	3	0	3	7	0	7	2	1	3	3918	124	4042
14.	मध्य प्रदेश	361	12	373	180	4	184	18	0	18	16471	520	16991
15.	महाराष्ट्र	490	12	502	179	26	205	65	1	66	15084	862	15946

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16.	मणिपुर	9	1	10	9	1	10	4	0	4	376	19	395
17.	मेघालय	28	0	28	24	0	24	14	1	15	478	9	487
18.	मिजोरम	21	0	21	0	*	0	0	0	0	483	59	542
19.	नागालैंड	4	0	4	2	0	2	0	0	0	468	16	484
20.	उड़ीसा	349	6	355	193	8	201	44	0	44	9378	342	9720
21.	पंजाब	632	40	672	523	4	527	345	7	352	9029	543	9572
22.	राजस्थान	361	9	370	71	6	77	9	1	10	7116	247	7363
23.	सिक्किम	2	0	2	0	0	0	0	0	0	117	5	122
24.	तमिलनाडु	82	0	82	42	0	42	0	0	0	2948	60	3008
25.	त्रिपुरा	32	0	32	5	0	5	1	0	1	635	21	656
26.	उत्तर प्रदेश	2690	29	2719	1174	6	1180	254	1	255	42029	1049	43078
27.	उत्तरांचल	109	1	110	26	0	26	5	0	5	1544	34	1578
28.	पश्चिम बंगाल	464	9	473	297	1	298	105	3	108	13005	1012	14017
	योग (राज्य)	10731	292	11023	5584	109	5693	1770	38	1805	217863	8875	226528
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	0	10	3	0	3	0	0	0	155	3	158
30.	चंडीगढ़	21	2	23	9	0	9	10	0	10	351	20	371
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1	1	0	1	0	0	0	29	0	29
32.	दमन व दीव	6	0	6	0	0	0	0	0	0	23	1	24
33.	दिल्ली	250	43	293	243	22	265	68	3	69	9421	370	9791
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
35.	पांडिचेरी	13	0	13	0	0	0	0	0	0	168	1	169
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	301	45	346	256	22	278	76	3	79	10153	395	10548
	योग (अखिल भारत)	11032	337	11369	5840	131	5971	1846	38	1884	228006	9070	237076

*जेले विद्यमान नहीं।

विवरण II

वर्ष 2005 के अंत तक कारावास की अवधि में अपराधियों का लिंगवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मृत्यु दंड			आजीवन कारावास			10-13 वर्ष			7-9 वर्ष		
		पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	2858	86	2944	133	1	134	262	3	265
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	10	0	10	1995	58	2053	352	0	352	347	6	353
4.	बिहार	57	0	57	3464	78	3542	594	20	614	306	11	317
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	2925	147	3072	355	13	368	277	9	286
6.	गोवा	1	0	1	48	2	50	39	0	39	25	0	25
7.	गुजरात	18	0	18	2555	92	2647	463	20	483	367	13	380
8.	हरियाणा	3	0	3	1822	80	1902	1004	43	1047	547	21	568
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	245	5	250	222	10	232	53	2	55
10.	जम्मू-कश्मीर	2	0	2	110	7	117	22	1	23	8	0	8
11.	झारखंड	12	0	12	3518	78	3596	661	37	698	339	23	362
12.	कर्नाटक	14	0	14	2589	98	2687	208	11	219	191	7	198
13.	केरल	0	0	0	1297	18	1315	113	14	127	203	4	207
14.	मध्य प्रदेश	9	0	9	8494	152	8646	1652	61	1713	1204	29	1233
15.	महाराष्ट्र	14	0	14	4730	234	4964	626	15	641	498	12	510
16.	मणिपुर	0	0	0	22	0	22	5	0	5	1	0	1
17.	मेघालय	0	0	0	10	0	10	4	0	4	4	0	4
18.	मिजोरम	0	0	0	17	0	17	10	0	10	4	0	4
19.	नागालैंड	0	0	0	5	0	5	9	0	9	9	0	9
20.	उड़ीसा	0	0	0	1925	44	1969	258	4	262	310	3	313
21.	पंजाब	0	0	0	890	50	940	598	45	643	395	26	421
22.	राजस्थान	8	0	8	3184	120	3304	611	32	643	367	24	391
23.	सिक्किम	0	0	0	26	0	26	7	0	7	6	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	तमिलनाडु	8	0	8	2739	74	2813	371	26	397	365	27	392
25.	त्रिपुरा	0	0	0	431	4	435	76	5	81	56	0	56
26.	उत्तर प्रदेश	79	5	84	6204	154	6358	1024	51	1075	1334	31	1365
27.	उत्तरांचल	2	0	2	483	6	489	74	4	78	25	2	27
28.	पश्चिम बंगाल	21	1	22	1420	94	1514	497	21	518	374	29	403
	योग (राज्य)	258	6	264	54006	1681	55687	9986	434	10422	7877	284	8161
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	23	1	24	6	0	6	3	0	3
30.	चंडीगढ़	0	0	0	28	5	33	13	1	14	13	0	13
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	10	0	10	1	0	1	0	0	0
33.	दिल्ली	9	0	9	870	49	919	304	5	309	413	33	446
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	65	1	66	0	1	1	2	1	3
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	9	0	9	996	56	1052	324	7	331	431	34	465
	योग (अखिल भारत)	267	6	273	56002	1737	56739	10312	441	10753	8308	318	8626

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	5-6 वर्ष			2-4 वर्ष			1 वर्ष-2 वर्ष से कम			6 माह-1 वर्ष से कम		
		पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	289	3	292	296	22	318	259	31	290	261	21	302
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	277	7	284	157	5	162	97	1	98	67	1	68
4.	बिहार	403	6	409	286	6	292	122	3	125	98	0	98
5.	छत्तीसगढ़	171	10	181	129	8	137	81	2	83	86	1	87
6.	गोवा	9	0	9	10	1	11	0	0	0	1	0	1
7.	गुजरात	350	13	383	125	6	131	168	1	169	54	0	54
8.	हरियाणा	295	18	313	313	16	329	245	10	255	150	0	150

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9.	हिमाचल प्रदेश	25	1	26	30	0	30	18	0	18	13	0	13
10.	जम्मू-कश्मीर	18	0	18	17	0	17	18	0	18	11	2	13
11.	झारखंड	187	3	190	166	1	167	135	2	137	64	0	64
12.	कर्नाटक	149	5	154	177	4	181	168	4	172	172	7	179
13.	केरल	118	3	121	212	4	216	148	5	153	203	20	223
14.	मध्य प्रदेश	916	20	936	648	24	672	429	5	434	249	5	254
15.	महाराष्ट्र	580	8	588	495	54	549	377	26	403	361	19	380
16.	मणिपुर	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	9	0	9	5	0	5	3	2	5	0	0	0
18.	मिजोरम	6	0	6	12	0	12	16	0	16	21	2	23
19.	नागालैंड	26	0	26	32	2	34	21	1	22	8	1	9
20.	उड़ीसा	286	3	289	240	2	242	174	2	176	136	0	136
21.	पंजाब	438	26	464	502	20	522	512	25	537	486	24	510
22.	राजस्थान	372	2	374	369	0	369	168	1	169	114	1	115
23.	सिक्किम	6	0	6	19	0	19	5	0	5	2	0	2
24.	तमिलनाडु	761	28	789	602	23	625	574	0	574	1070	35	1105
25.	त्रिपुरा	56	1	57	37	1	38	19	0	19	15	0	15
26.	उत्तर प्रदेश	916	25	941	1320	15	1335	483	6	489	425	1	426
27.	उत्तरांचल	28	2	30	61	0	61	23	0	23	26	0	26
28.	पश्चिम बंगाल	357	8	365	157	8	165	129	7	138	75	6	81
	योग (राज्य)	7048	192	7240	6419	222	6641	4392	134	4526	4106	146	4334
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	1	6	0	6	5	0	5	8	0	8
30.	चंडीगढ़	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	204	16	220	184	7	191	171	0	171	71	1	72
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	11	0	11	12	0	12	4	0	4	6	0	6
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	222	16	238	206	7	213	186	0	186	89	1	90
	योग (अखिल भारत)	7270	208	7478	6625	229	6854	4578	134	4712	4277	147	4424

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	3 माह-6 माह से कम			3 माह से कम			जोड़		
		पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़	पू.	म.	जोड़
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	आंध्र प्रदेश	227	26	253	208	5	213	4813	198	5011
2.	अरुणाचल प्रदेश*	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
3.	असम एन.ए.	55	0	55	40	0	40	3397	78	3475
4.	बिहार	78	0	78	77	0	77	5485	124	5609
5.	छत्तीसगढ़	53	0	53	31	1	32	4108	191	4299
6.	गोवा	1	0	1	1	0	1	135	3	138
7.	गुजरात	85	0	85	113	2	115	4298	147	4445
8.	हरियाणा	116	0	116	110	0	110	4605	188	4793
9.	हिमाचल प्रदेश	6	0	6	2	0	2	614	18	632
10.	जम्मू-कश्मीर	2	0	2	3	0	3	211	10	221
11.	झारखंड	29	0	29	31	8	39	5142	152	5294
12.	कर्नाटक	122	4	126	115	4	119	3905	144	4049
13.	केरल	310	4	314	125	5	130	2729	77	2806
14.	मध्य प्रदेश	215	1	216	278	0	278	14094	297	14391
15.	महाराष्ट्र	333	67	430	722	28	750	8766	463	9229
16.	मणिपुर	0	0	0	1	0	1	31	0	31
17.	मेघालय	0	0	0	7	2	9	42	4	46
18	मिजोरम	47	16	63	18	2	20	151	20	171
19.	नागालैंड	3	0	3	0	0	0	113	4	117
20.	उड़ीसा	95	2	97	684	28	712	4108	88	4196
21.	पंजाब	360	10	370	654	11	665	4835	237	5072
22.	राजस्थान	108	0	108	90	1	91	5391	181	5572
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	71	2	73
24.	तमिलनाडु	727	33	760	0	0	0	7217	246	7463
25.	त्रिपुरा	26	3	29	21	1	22	737	15	752

1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
26.	उत्तर प्रदेश	578	1	579	628	4	632	12991	293	13284
27.	उत्तरांचल	14	0	14	15	0	15	751	14	765
28.	पश्चिम बंगाल	169	19	188	429	27	456	3628	220	3848
	योग (राज्य)	3789	186	3975	4403	129	4532	102368	3414	105782
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	0	5	8	0	8	65	1	66
30.	चंडीगढ़	4	0	4	0	0	0	78	6	84
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	11	0	11
33.	दिल्ली	47	4	51	120	2	122	2393	117	2510
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	9	2	11	5	0	5	114	5	119
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	65	6	71	133	2	135	2661	129	2790
	योग (अखिल भारत)	3854	192	4046	4536	131	4667	105029	3543	108572

*जेले विद्यमान नहीं।

विवरण III

(करोड़ रुपए)

क्र.सं	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश की जारी की गई कुल राशि	संचय व्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	63.780	69.274
2.	असम	28.664	14.708
3.	बिहार	102.302	72.539
4.	छत्तीसगढ़	21.798	18.376
5.	गोवा	10.193	4.180
6.	गुजरात	36.447	37.751
7.	हरियाणा	77.078	78.197
8.	हिमाचल प्रदेश	15.143	11.237
9.	जम्मू-कश्मीर	21.670	16.600
10.	झारखंड	12.675	6.760
11.	कर्नाटक	40.351	46.949
12.	केरल	24.555	12.973
13.	मध्य प्रदेश	87.764	80.332
14.	महाराष्ट्र	96.860	92.902
15.	मणिपुर	10.650	11.350
16.	मेघालय	9.810	13.080
17.	मिजोरम	13.313	14.200
18.	नागालैंड	11.850	13.430

1	2	3	4
19.	उड़ीसा	80.550	90.844
20.	पंजाब	33.503	14.890
21.	राजस्थान	44.750	47.715
22.	सिक्किम	13.635	10.058
23.	तमिलनाडु	69.312	58.748
24.	त्रिपुरा	18.994	15.579
25.	उत्तर प्रदेश	173.438	197.651
26.	उत्तरांचल	22.725	24.240
27.	पश्चिम बंगाल	47.143	46.206
	योग	1188.948	1120.768

मोटे आंकड़े राज्यों के अंश सहित किए गए व्यय को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

1569. श्री महावीर भगोरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कमी से छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा परिणाम विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जवाहर नवोदय विद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषत तथा नवोदय विद्यालय समिति नामक स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित आवासीय स्कूल पद्धति है जिसमें छठी से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का राज्यवार विवरण संलग्न है। यह मंत्रालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों जिनमें छठी से आठवीं तक की कक्षाएं होती हैं, को भी सहायता प्रदान करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) रिक्तियों को भरने के लिए अध्यापकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। नियमित अध्यापकों की भर्ती के लम्बित होने के कारण जवाहर नवोदय विद्यालय में अर्हता प्राप्त अध्यापक संविदा पर नियुक्त किए जाते हैं ताकि अध्ययन बाधित न हो।

विवरण

जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की रिक्तियों से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत पदों की कुल संख्या	30.9.2007 तक रिक्त पदों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	513	39
2.	अरुणाचल प्रदेश	230	30
3.	असम	494	52
4.	बिहार	754	120
5.	छत्तीसगढ़	264	44
6.	दिल्ली	49	1
7.	गोवा	44	5
8.	गुजरात	368	92
9.	हरियाणा	393	35
10.	हिमाचल प्रदेश	245	16
11.	जम्मू-कश्मीर	285	29
12	झारखंड	405	70
13.	कर्नाटक	616	58
14.	केरल	320	16

1	2	3	4
15.	मध्य प्रदेश	1028	150
16.	महाराष्ट्र	684	72
17.	मणिपुर	200	7
18.	मेघालय	122	18
19.	मिजोरम	73	24
20.	नागालैंड	130	17
21.	उड़ीसा	536	101
22.	पंजाब	390	59
23.	राजस्थान	758	89
24.	सिक्किम	64	1
25.	त्रिपुरा	76	9
26.	उत्तर प्रदेश	1371	91
27.	उत्तराखंड	224	34
28.	पश्चिम बंगाल	167	45
29.	चंडीगढ़	25	00
30.	संघ राज्य क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, लक्षद्वीप)	148	20
31.	संघ राज्य क्षेत्र (दमन और दीव, दादर व नगर हवेली)	53	14
	कुल योग	11029	1358

[अनुवाद]

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

1570. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न हिस्सेदारों के साथ परामर्श करके प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधान को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 बहुत ही पुराना अधिनियम है इसलिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को समकालिक बनाने के लिए इनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि इस पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जानी है और इसे संसद द्वारा पारित किया जाना है।

आनलाइन समाचारों का पंजीकरण

1571. श्री किसनभाई वी. पटेल
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी आनलाइन समाचारों तथा सामयिक घटनाओं के राइट्स का पंजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आनलाइन समाचारपत्रों के पंजीकरण की व्यवहार्यता का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल ऐसी ऑनलाइन साइटों का पंजीकरण नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एन आई एक्स आई), सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है जो "इन" के अंतर्गत अधिकार-क्षेत्र (डोमेन) नाम चाहती हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में परामर्श केन्द्र

1572. श्री सुभाष महरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षित युवकों द्वारा अपना कारोबार शुरू करने के लिए उन्हें उचित मार्ग निर्देश/सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में परामर्श केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार क्षेत्र आउटरिच कार्यक्रम के तहत छात्र परामर्श/स्थापना वृत्तिका मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को अनावर्ती अनुदान पहले ही प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों से ब्याज मुक्त ऋण का संग्रहण

1573. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ पब्लिक स्कूल अवैध रूप से विद्यार्थियों से ब्याज मुक्त ऋण का संग्रह कर रहे हैं तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए धनराशियों का विपणन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है तथा उनके नाम क्या है तथा इनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) निरीक्षण किए जाने पर निम्नलिखित विद्यालय, विद्यार्थियों से ब्याज मुक्त ऋण एकत्रित करते हुए पाए गए:

1. दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका, दिल्ली
2. दिल्ली पब्लिक स्कूल, बसंत कुंज, दिल्ली
3. दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, दिल्ली
4. दिल्ली पब्लिक सकूल, मथुरा रोड, दिल्ली

इनमें से दो विद्यालयों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ऋण वापिस करने का आदेश दिया गया है। अन्य दो विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई प्रगति पर है।

निरीक्षण किए जाने पर निम्नलिखित विद्यालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में धनराशि को अपवर्तित करते हुए पाए गए:

1. सैंट कोलम्बस, बंगला साहिब रोड
2. द इंडियन स्कूल, सादिक नगर

इस तरह अपवर्तित धनराशि को वापस प्राप्त करने के लिए शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वयस्क निरक्षरता

1574. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं तथा पुरुषों में कितने व्यक्ति निरक्षर हैं तथा उनकी अलग-अलग वर्तमान साक्षरता दर कितनी है;

(ख) देश में कितने प्रतिशत वयस्क निरक्षर हैं;

(ग) देश में उच्च निरक्षरता के क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक वर्गों में नामांकित हैं; और

(ङ) वर्ष 2015 तक सबों के लिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) देश में साक्षरता संबंधी आंकड़े दशकीय जनगणना के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2001 में आयोजित जनगणना के अनुसार +7 आयु वर्ग की जनसंख्या की साक्षरता दर 35.16% थी। निरक्षरों की राज्यवार संख्या तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) देश में निरक्षता के कई कारण हैं जिनमें निर्धनता, शिक्षा के संबंध में जागरूकता की कमी बालक-बालिका विभेद आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारक शामिल हैं।

(घ) वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक विभिन्न स्तरों पर नामांकित छात्रों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि के लिए प्राथमिक (कक्षा-I-V), उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII), माध्यमिक (कक्षा IX-X) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा XI-XII) स्तरों पर नामांकित छात्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) देश की साक्षरता की दर में सुधार लाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन द्विआयामी कार्यनीति के अंग है। वर्ष 2010 तक गुणवत्तामूलक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना के एप्रोच पेपर में योजना अवधि के अंत तक 85% साक्षरता दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

विवरण I

भारत/राज्य/संघ राज्य		निरक्षर			निरक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1		2	3	4	5	6	7
भारत	योग	304,102,917	110,623,853	193,479,064	35.16	24.74	46.33
भारत	ग्रामीण	254,149,325	92,643,385	161,505,940	41.26	29.30	53.87
भारत	शहरी	49,953,592	17,980,468	31,973,124	20.08	13.73	27.14
जम्मू और कश्मीर	योग	3,850,611	1,534,904	2,315,707	44.48	33.40	57.00
जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण	3,220,019	1,287,225	1,932,794	50.22	38.35	63.26
जम्मू और कश्मीर	शहरी	630,592	247,679	382,913	28.08	20.00	38.02
हिमाचल प्रदेश	योग	1,243,142	391,128	852,014	23.52	14.65	32.58
हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	1,184,235	367,405	816,830	24.92	15.49	34.32
हिमाचल प्रदेश	शहरी	58,907	23,723	35,184	11.05	7.96	14.97
पंजाब	योग	6,430,200	2,778,951	3,651,249	30.35	24.77	36.64
पंजाब	ग्रामीण	4,911,331	2,115,363	2,795,968	35.28	28.95	42.28
पंजाब	शहरी	1,518,869	663,588	855,281	20.90	16.95	25.51
चंडीगढ़	योग	141,777	61,588	80,189	18.06	13.86	23.53
चंडीगढ़	ग्रामीण	18,974	9,324	9,650	24.42	19.02	33.63

1		2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	शहरी	122,803	52,264	70,539	17.36	13.22	22.60
उत्तरांचल	योग	2,023,535	604,100	1,419,435	28.38	16.72	40.37
उत्तरांचल	ग्रामीण	1,672,568	471,022	1,201,546	31.93	18.22	45.30
उत्तरांचल	शहरी	350,967	133,078	217,889	18.56	12.95	25.23
हरियाणा	योग	5,715,350	2,050,089	3,665,261	32.09	21.51	44.27
हरियाणा	ग्रामीण	4,618,659	1,647,906	2,970,753	36.81	24.63	50.73
हरियाणा	शहरी	1,096,691	402,183	694,508	20.84	14.17	28.66
दिल्ली	योग	2,168,894	826,769	1,342,125	18.33	12.67	25.29
दिल्ली	ग्रामीण	172,616	58,497	114,119	21.95	13.40	32.61
दिल्ली	शहरी	1,996,278	768,272	1,228,006	18.07	12.61	24.78
राजस्थान	योग	18,154,176	5,793,238	12,360,938	39.59	24.30	56.15
राजस्थान	ग्रामीण	15,500,000	4,994,037	10,505,963	44.66	27.84	62.67
राजस्थान	शहरी	2,654,176	799,201	1,854,975	23.80	13.55	35.33
उत्तर प्रदेश	योग	58,854,009	22,154,923	36,699,086	43.73	31.18	57.78
उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	50,029,342	18,536,849	31,492,493	47.47	33.41	63.10
उत्तर प्रदेश	शहरी	8,824,667	3,618,074	5,206,593	30.25	23.24	38.27
बिहार	योग	35,082,869	13,946,714	21,136,155	53.00	40.32	66.88
बिहार	ग्रामीण	33,041,301	13,160,897	19,880,404	56.08	42.91	70.39
बिहार	शहरी	2,041,568	785,817	1,255,751	28.07	20.06	37.41
सिक्किम	योग	144,321	59,582	84,739	31.19	23.96	39.60
सिक्किम	ग्रामीण	135,682	55,986	79,696	33.18	25.55	41.99
सिक्किम	शहरी	8,639	3,596	5,043	16.09	12.19	20.84
अरुणाचल प्रदेश	योग	407,312	171,827	235,485	45.66	36.17	56.47
अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	365,774	156,035	209,739	52.17	42.35	63.06
अरुणाचल प्रदेश	शहरी	41,538	15,792	25,746	21.74	14.81	30.51
नागालैंड	योग	568,035	259,416	308,619	33.41	28.84	38.54
नागालैंड	ग्रामीण	523,126	239,016	284,110	37.21	32.42	42.48

1		2	3	4	5	6	7
नागालैंड	शहरी	44,909	20,400	24,509	15.26	12.56	18.58
मणिपुर (3 सब-डिवीजन को छोड़कर)	योग	547,669	184,486	363,183	29.47	19.67	39.47
मणिपुर (3 सब-डिवीजन को छोड़कर)	ग्रामीण	443,863	156,429	287,434	32.71	22.69	43.05
मणिपुर (3 सब-डिवीजन को छोड़कर)	शहरी	103,806	28,057	75,749	20.72	11.29	29.99
मिजोरम	योग	83,394	35,828	47,566	11.20	9.28	13.25
मिजोरम	ग्रामीण	68,762	28,899	39,863	18.73	15.07	22.74
मिजोरम	शहरी	14,632	6,929	7,703	3.87	3.57	4.20
त्रिपुरा	योग	740,658	269,516	471,142	26.81	18.98	35.09
त्रिपुरा	ग्रामीण	687,501	252,464	435,037	30.28	21.60	39.50
त्रिपुरा	शहरी	53,157	17,052	36,105	10.79	6.79	14.97
मेघालय	योग	692,968	324,600	368,368	37.44	34.57	40.39
मेघालय	ग्रामीण	639,975	303,263	336,712	43.71	40.76	46.76
मेघालय	शहरी	52,993	21,337	31,656	13.70	10.95	16.50
असम	योग	8,142,099	3,299,224	4,842,875	36.75	28.72	45.39
असम	ग्रामीण	7,695,588	3,131,490	4,564,098	40.27	31.78	49.30
असम	शहरी	446,511	167,734	278,777	14.66	10.26	19.76
पश्चिम बंगाल	योग	21,565,574	8,189,379	13,376,195	31.36	22.98	40.39
पश्चिम बंगाल	ग्रामीण	17,789,916	6,708,811	11,081,105	36.58	26.87	46.84
पश्चिम बंगाल	शहरी	3,775,658	1,480,568	2,295,090	18.75	13.87	24.26
झारखंड	योग	10,211,801	3,716,144	6,495,657	46.44	32.70	61.13
झारखंड	ग्रामीण	9,138,032	3,357,334	5,780,698	54.26	39.06	70.11
झारखंड	शहरी	1,073,769	358,810	714,959	20.86	12.97	30.04
उड़ीसा	योग	11,608,795	3,923,685	7,685,110	36.92	24.65	49.49
उड़ीसा	ग्रामीण	10,678,460	3,613,506	7,064,954	40.16	27.07	53.34
उड़ीसा	शहरी	930,335	310,179	620,156	19.16	12.07	27.13

1		2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	योग	6,105,738	1,962,410	4,143,328	35.34	22.62	48.15
छत्तीसगढ़	ग्रामीण	5,407,510	1,764,784	3,642,726	39.52	25.91	53.01
छत्तीसगढ़	शहरी	698,228	197,626	500,602	19.42	10.61	28.89
मध्य प्रदेश	योग	17,973,246	6,191,531	11,781,715	36.26	23.94	49.71
मध्य प्रदेश	ग्रामीण	15,164,877	5,285,362	9,879,515	42.20	28.30	57.24
मध्य प्रदेश	शहरी	2,808,369	906,169	1,902,200	20.61	12.61	29.53
गुजरात	योग	13,310,863	4,552,156	8,758,707	30.86	20.34	42.20
गुजरात	ग्रामीण	10,316,829	3,533,703	6,783,126	38.71	25.89	52.16
गुजरात	शहरी	2,994,034	1,018,453	1,975,581	18.16	11.66	25.50
दमन व दीव	योग	30,026	10,835	19,191	21.82	13.24	34.39
दमन व दीव	ग्रामीण	21,179	8,603	12,576	24.17	15.17	40.67
दमन व दीव	शहरी	8,847	2,232	6,615	17.69	8.88	26.59
दादर और नगर हवेली	योग	76,387	29,209	47,178	42.37	28.82	59.77
दादर और नगर हवेली	ग्रामीण	69,710	26,853	42,857	50.66	35.50	69.17
दादर और नगर हवेली	शहरी	6,677	2,356	4,321	15.64	9.16	25.46
महाराष्ट्र	योग	19,241,558	6,069,201	13,172,357	23.12	14.03	32.97
महाराष्ट्र	ग्रामीण	14,035,549	4,347,798	9,687,751	29.64	18.07	41.60
महाराष्ट्र	शहरी	5,206,009	1,721,403	3,484,606	14.52	8.97	20.91
आंध्र प्रदेश	योग	26,103,827	9,895,304	16,208,523	39.53	29.68	49.57
आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	21,737,816	8,333,939	13,403,877	45.50	34.65	56.50
आंध्र प्रदेश	शहरी	4,366,011	1,561,365	2,804,646	23.91	16.81	31.26
कर्नाटक	योग	15,233,500	5,546,749	9,686,751	33.36	23.90	43.13
कर्नाटक	ग्रामीण	12,181,541	4,467,310	7,714,231	40.67	29.55	51.99
कर्नाटक	शहरी	3,051,959	1,079,439	1,972,520	19.42	13.34	25.88
गोवा	योग	216,138	70,878	145,260	17.99	11.58	24.63
गोवा	ग्रामीण	123,138	38,410	84,728	20.33	12.63	28.08
गोवा	शहरी	93,000	32,468	60,532	15.61	10.54	21.02

1		2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	योग	6,876	1,979	4,897	13.34	7.47	19.53
लक्षद्वीप	ग्रामीण	4,212	1,228	2,984	14.96	8.51	21.73
लक्षद्वीप	शहरी	2,664	751	1,913	11.38	6.23	16.87
केरल	योग	2,562,540	779,985	1,782,555	9.14	5.76	12.28
केरल	ग्रामीण	2,063,394	636,409	1,426,985	9.96	6.37	13.31
केरल	शहरी	499,146	143,576	355,570	6.81	4.06	9.38
तमिलनाडु	योग	14,645,974	4,865,631	9,780,343	26.55	17.58	35.57
तमिलनाडु	ग्रामीण	10,369,539	3,505,810	6,863,729	33.79	22.85	41.72
तमिलनाडु	शहरी	4,276,435	1,359,821	2,916,614	17.47	11.03	24.01
पांडिचेरी	योग	160,819	48,638	112,181	18.76	11.38	20.10
पांडिचेरी	ग्रामीण	73,884	23,502	50,382	26.02	16.50	35.67
पांडिचेरी	शहरी	86,935	25,136	61,799	15.16	8.82	21.43
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	योग	58,236	23,256	34,980	18.70	13.67	24.76
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ग्रामीण	44,423	17,916	26,507	21.30	15.86	27.74
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शहरी	13,813	5,340	8,473	13.43	9.35	18.53

विवरण II

2001-02 के दौरान नामांकित छात्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्राथमिक (कक्षा I-V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII)	माध्यमिक (कक्षा IX-X)	उच्चतर माध्यमिक कक्षा (XI-XII)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8626241	3089951	1355406	1089661
2.	अरुणाचल प्रदेश	162495	53917	23391	11143
3.	असम	4080610	1518648	592647	329888
4.	बिहार	7809112	1913707	846095	286865
5.	छत्तीसगढ़	2972595	1061631	343967	226008
6.	गोवा	120066	73653	38724	22868

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	6494625	2380787	1105532	606600
8.	हरियाणा	1969544	988889	527646	349282
9.	हिमाचल प्रदेश	718310	402171	217760	123318
10.	जम्मू-कश्मीर	1059305	476102	230221	114224
11.	झारखंड	2854183	776449	313339	12279
12.	कर्नाटक	6516535	2756206	1263117	608036
13.	केरल	2523879	1765699	1056441	401851
14.	मध्य प्रदेश	8265147	2687300	960318	556095
15.	महाराष्ट्र	11528282	5724999	2727677	1521865
16.	मणिपुर	298371	126905	67244	16982
17.	मेघालय	327132	96110	36151	20420
18.	मिजोरम	134547	49572	27162	8975
19.	नागालैंड	212454	65683	28429	10831
20.	उड़ीसा	4769000	1505000	684000	493000
21.	पंजाब	2073388	992701	553909	302584
22.	राजस्थान	7932456	3306503	993954	440332
23.	सिक्किम	77003	24622	8246	4577
24.	तमिलनाडु	5673757	3524036	1586257	898429
25.	त्रिपुरा	460507	165591	76559	27583
26.	उत्तर प्रदेश	13378223	4671768	2314361	1003861
27.	उत्तरांचल	1047798	489440	268216	112230
28.	पश्चिम बंगाल	10151362	3210627	1376231	588274
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40022	21692	11208	5524
30.	चंडीगढ़	58050	36998	22336	17420
31.	दादरा और नगर हवेली	28604	9844	3373	1696
32.	दमन व दीव	15877	7777	3444	2303
33.	दिल्ली	1394230	783232	354714	220654

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	8002	4768	2336	804
35.	पांडिचेरी	101348	66257	33575	16767
	भारत	113883060	44828235	20053986	10453229

2002-03 के दौरान नामांकित छात्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्राथमिक (कक्षा I-V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII)	माध्यमिक (कक्षा IX-X)	उच्चतर माध्यमिक कक्षा (XI-XII)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8615608	3366950	1463352	1105571
2.	अरुणाचल प्रदेश	171792	58417	24715	13252
3.	असम	3128986	1058295	497500	192586
4.	बिहार	9413646	1756898	777856	453054
5.	छत्तीसगढ़	2751573	1146145	371441	186703
6.	गोवा	111926	74555	38531	21793
7.	गुजरात	6335398	2602609	1093789	623379
8.	हरियाणा	2124184	1099410	553236	376927
9.	हिमाचल प्रदेश	720842	439613	222975	142687
10.	जम्मू-कश्मीर	1090939	502915	215311	119362
11.	झारखंड	2919790	698085	287932	200583
12.	कर्नाटक	6286455	2787659	1265117	485519
13.	केरल	2496100	1704991	1040489	436047
14.	मध्य प्रदेश	7710358	3068217	1121822	493930
15.	महाराष्ट्र	10900033	5957208	2815398	1597493
16.	मणिपुर	356799	124910	62921	37826
17.	मेघालय	391730	104420	44056	29456
18.	मिजोरम	134150	51349	21878	11341
19.	नागालैंड	167972	59244	21579	8239

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	4509693	1473245	679272	272671
21.	पंजाब	1890013	1007386	502393	331868
22.	राजस्थान	7846501	2513345	982525	474380
23.	सिक्किम	79058	28083	11507	6178
24.	तमिलनाडु	6468257	3517039	1680747	984516
25.	त्रिपुरा	449465	180513	82637	29861
26.	उत्तर प्रदेश	22712307	6553162	3801052	1678046
27.	उत्तरांचल	1155717	523383	309842	143914
28.	पश्चिम बंगाल	9774543	3398454	1374153	678797
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39625	21835	11232	6093
30.	चंडीगढ़	65483	40930	24207	21831
31.	दादर और नगर हवेली	32476	11081	3797	1850
32.	दमन व दीव	16258	8374	3507	2065
33.	दिल्ली	1425508	834908	351350	230891
34.	लक्षद्वीप	7353	4867	2555	961
35.	पांडिचेरी	97177	66712	35061	18695
	भारत	122397715	4684520	21795735	11418365

2003-04 के दौरान नामांकित छात्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्राथमिक (कक्षा I-V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII)	माध्यमिक (कक्षा IX-X)	उच्चतर माध्यमिक कक्षा (XI-XII)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7975659	3502469	1596861	1294617
2.	अरुणाचल प्रदेश	180253	57374	25833	13231
3.	असम	3232547	1338210	621025	345806
4.	बिहार	9471186	1815562	845835	373282
5.	छत्तीसगढ़	3397795	1158587	396228	260479

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	107875	73465	37642	23743
7.	गुजरात	6551770	2453001	1167651	570008
8.	हरियाणा	2010659	1089747	540992	366853
9.	हिमाचल प्रदेश	666938	419878	222961	151315
10.	जम्मू-कश्मीर	950296	429229	198913	137007
11.	झारखंड	3140252	847119	329731	44334
12.	कर्नाटक	6267825	2896719	1284137	662914
13.	केरल	2492430	1662436	1065738	85185
14.	मध्य प्रदेश	8830733	3122698	1228265	651870
15.	महाराष्ट्र	11175756	6087790	2876255	1670121
16.	मणिपुर	339110	132910	70910	21238
17.	मेघालय	360907	122027	38396	25834
18.	मिजोरम	127057	51096	25685	10539
19.	नागालैंड	210410	76539	25074	15291
20.	उड़ीसा	4918067	1428256	844795	170599
21.	पंजाब	1979294	1038388	553388	290526
22.	राजस्थान	9479755	2837004	1110161	545466
23.	सिक्किम	76799	24802	9288	5744
24.	तमिलनाडु	6591113	3600870	1760110	1015229
25.	त्रिपुरा	451731	186651	87298	30708
26.	उत्तर प्रदेश	24080867	6948243	4030214	1779404
27.	उत्तरांचल	1164485	542742	311226	148823
28.	पश्चिम बंगाल	10327725	3818261	1498889	735883
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40388	22448	11382	6674
30.	चंडीगढ़	66034	39036	23540	18684
31.	दादर और नगर हवेली	32912	11719	4293	1785
32.	दमन व दीव	16222	8120	3735	1632

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	1442259	831791	389967	237355
34.	लक्षद्वीप	7161	4553	2594	1068
35.	पांडिचेरी	102021	67258	36943	20147
	भारत	128266291	48746998	23275955	11733394

2004-05 के दौरान नामांकित छात्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्राथमिक (कक्षा I-V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII)	माध्यमिक (कक्षा IX-X)	उच्चतर माध्यमिक कक्षा (XI-XII)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7692411	3643030	1768327	1391722
2.	अरुणाचल प्रदेश	184673	59670	27343	14176
3.	असम	3510665	1389755	624501	174891
4.	बिहार	10042119	2208989	928831	374153
5.	छत्तीसगढ़	3405502	1209994	420855	278888
6.	गोवा	106828	73446	38046	23820
7.	गुजरात	6553022	2473535	1226501	477180
8.	हरियाणा	2073939	1184814	539421	344313
9.	हिमाचल प्रदेश	670807	418802	350717	339732
10.	जम्मू-कश्मीर	969479	456897	216161	138720
11.	झारखंड	3446984	924259	350135	30621
12.	कर्नाटक	5883907	2946302	1356575	782665
13.	केरल	2543422	1628030	1057664	323286
14.	मध्य प्रदेश	10351093	3826948	1320948	701066
15.	महाराष्ट्र	11385483	6188552	2892033	1779999
16.	मणिपुर	348897	137300	73565	23178
17.	मेघालय	467955	136840	48037	26162
18.	मिजोरम	123705	51514	26795	10283

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैंड	224246	85620	29921	17750
20.	उड़ीसा	5218568	1840933	864018	518480
21.	पंजाब	1901408	1042094	551212	302086
22.	राजस्थान	9329792	3156811	1223388	569637
23.	सिक्किम	86149	28683	10766	7217
24.	तमिलनाडु	6403416	3697858	1898649	1053705
25.	त्रिपुरा	461209	187590	87812	31097
26.	उत्तर प्रदेश	24579638	7098022	4113809	1812250
27.	उत्तरांचल	1191505	552252	316041	154577
28.	पश्चिम बंगाल	9881352	3622026	1471873	731059
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40274	23429	12314	6323
30.	चंडीगढ़	62908	37716	22427	20764
31.	दादर और नगर हवेली	33624	11857	5394	2006
32.	दमन व दीव	16321	8160	4493	1766
33.	दिल्ली	1460714	822492	410271	258712
34.	लक्षद्वीप	7053	4110	2949	1191
35.	पांडिचेरी	103999	67096	38869	21250
	भारत	130763067	51245426	24330661	12744725

इग्नू द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण

1576. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ज्ञान दर्शन के माध्यम से हिन्दी तथा अंग्रेजी में शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब से यह प्रसारण किया जा रहा है;

(ग) क्या ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों का अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारण करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) जनवरी, 2000 से हिन्दी और अंग्रेजी में, सितंबर, 2003 से संस्कृत में और अक्टूबर, 2005 से उर्दू में ज्ञान दर्शन के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इग्नू अपने तैयार किए गए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, डा. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि जैसे अन्य संगठनों द्वारा तैयार किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था

करता है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने बंगाली, तमिल और कन्नड़ जैसी अन्य भारतीय भाषाओं में कार्यक्रमों के निर्माण को अंतिम रूप दे दिया है।

नए पोलीटेक्नीकों का खोला जाना

1577. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए पोलीटेक्नीक संस्थानों को खोलने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा अलग-अलग कितने ऐसे संस्थान खोले जाने की संभावना है;

(घ) 11वीं योजना के दौरान राज्य-वार ऐसी पोलीटेक्नीक खोले जाने की संभावना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों में विद्यमान पोलीटेक्नीक संस्थानों के उन्नयन हेतु योजना भी तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा नई पोलीटेक्नीक स्थापित करने तथा पुरानी पोलीटेक्नीकों का उन्नयन करने पर कुल संभावित व्यय कितना होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) जी, हां। सरकार ने देश में कतिपय विशेष अभिज्ञात जिलों में जहां इस समय में कोई पालिटेक्निक नहीं है, में नए पालिटेक्निकों की स्थापना के लिए एककालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की है। इस योजना का लक्ष्य विशेष अभिज्ञात जिलों के लिए वर्तमान पालिटेक्निकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एककालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है।

चंदन की लकड़ी का आयात

1578. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चंदन की लकड़ी का आयात मुक्त रूप से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयात लाइसेंस देने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है तथा कितने आवेदन पत्र अब तक निपटाए गए;

(घ) क्या निपटाए गए आवेदन पत्र आयात नीति के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं;

(ङ) क्या उन देशों से चंदन की लकड़ी के आयात पर प्रतिबंध है जहां निर्यात प्रतिबंधित है; और

(च) यदि हां, तो चंदन की लकड़ी के अवैध आयात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है/प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) चंदन की लकड़ी का आयात प्रतिबंधित है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस पर आयात की अनुमति प्रदान की जाती है। आयात लाइसेंस डीजीएफटी द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से जारी किए जाने होते हैं।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 2006-07 के लिए चंदन की लकड़ी के आयात हेतु आयात लाइसेंस जारी करने के लिए डीजीएफटी को 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से एक मामले में आयात लाइसेंस जारी किया गया है।

(ङ) और (च) आयात नीति के अनुसार, निर्यातक देश से उद्गम का प्रमाण पत्र, आयात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है; तदनुसार, सीमाशुल्क निकासी के समय निर्यातकों से भी निर्यातक देश से इस आशय का कि उस देश द्वारा चंदन की लकड़ी का निर्यात विधिक रूप से अनुमत्य है, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाता है।

[हिन्दी]

जम्मू तथा अन्य क्षेत्रों में घुसपैठ

1579. श्री हरिन पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू तथा कठुआ तथा जम्मू और कश्मीर के अन्य संवेदनशील जिलों तथा देश के अन्य भागों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार तथा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खुफिया एजेन्सियों तथा अन्य सुरक्षा एजेन्सियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अब तक पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील जिलों तथा देश के अन्य भागों से स्वापक, सोने के बिस्कुट तथा हथियार एवं गोला बारूद भी बरामद किया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) जम्मू क्षेत्र में भारतीय खुफिया एजेंसियों तथा सुरक्षा बल में घुसपैठ रोकने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान की अब तक की घृणित गतिविधियों के बारे में विश्व संगठनों को जानकारी दी है/देने का विचार हैं; और

(छ) घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुमानित घुसपैठ निम्नानुसार रही हैं:

वर्ष	अनुमानित घुसपैठ
2005	597
2006	573
2007 (अक्टूबर तक)	499

इन आंकड़ों में नियंत्रण रेखा/सीमा को पार करते समय पकड़े गए अथवा मारे गए उग्रवादियों के आंकड़े भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005 से 31.10.2007 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में 54 जासूसी मोड्यूल्स का भंडाफोड़ किया गया है।

(ख) देश में आतंकवादी और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ की रोक थाम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं; भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाना, सीमा क्षेत्रों में व्यापक गश्त और निगरानी, तटीय गश्त के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई करना तथा केन्द्र और राज्य एजेंसियों के बीच आसूचना और सूचना का निरंतर आदान-प्रदान किया जाना जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में कई आतंकवादी तथा जासूसी मोड्यूल्स को निष्क्रिय किया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर से ए के-47 राइफलों, पिस्तौल/रिवाल्वरों, यू एम जी/एल एम जी, राकेट लांचर/बूस्टर तथा भारी मात्रा में गोलाबारूद तथा विस्फोटकों/आई ई डी सहित लगभग 4000 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। देश के अन्य भागों में नियमित आधार पर ऐसी मदों की बरामदगी की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान से भेजी गई लगभग 450 किग्रा स्वापक पदार्थ/हेरोइन, विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब क्षेत्रों से जब्त की गई है।

(ङ) विगत 3 वर्षों के दौरान आतंकवादी घटनाओं तथा हताहतों की संख्या के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर राज्य में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ऐसे में सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों की असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) और (छ) सरकार, सीमा पार से भारत में आतंकवादी गतिविधियों के प्रायोजक के बारे में विभिन्न मंचों और तंत्रों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा संगठनों को नियमित रूप से अवगत करवाती रहती है और इस बुराई को समाप्त करने के लिए पारस्परिक सहयोग तथा अर्थपूर्ण उपायों की आवश्यकता पर बल देती रहती है।

[अनुवाद]

स्कूल रीडर्स तथा पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

1580. श्री रघि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थानों द्वारा अनुरक्षण की जा रही स्कूल रीडर्स तथा पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने तथा जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की सामग्री में किसी अनियमित पहलू की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में चल रही पाठ्यपुस्तकों में किसी गुणात्मक परिवर्तन की सिफारिश की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) ''सरकारी प्रणाली से बाहर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और समानांतर पाठ्यपुस्तकों के लिए नियामक तंत्र'' पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति दिनांक 10.9.2004 को गठित की गई थी जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या न अपनाने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करना और रिपोर्ट देना;

(2) सरकारी प्रणाली से बाहर के स्कूलों, जिनमें कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल भी शामिल है, की पाठ्यपुस्ताकें और पाठ्यचर्या का अध्ययन करना;

(3) पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या सामग्री को तैयार करने के मामले का संस्थाकरण करने के लिए एक उचित नियामक तंत्र सुझाना;

(ग) और (घ) समिति की रिपोर्ट में विशेषकर धार्मिक और सामाजिक संगठनों सहित निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों में शहरी भेदभाव, स्त्री-पुरुष संबंधी भेदभाव, साम्प्रदायिक भेदभाव आदि की घटनाओं पर जोर दिया गया है।

(ङ) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया है कि पाठ्यचर्या सामग्री समानतावाद, लोकतंत्र और समाजवाद के मुख्य सिद्धांतों का समर्थन करने वाली होनी चाहिए, और पाठ्यपुस्तकों का अनुवीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए। समिति की सिफारिशें विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित न होकर सामान्य हैं।

(च) भाग (ङ) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का पुनरूद्धार

1581. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कितने लघु उद्योगों को राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार, उद्योगवार पुनरूद्धार पैकेज प्राप्त हुआ; और

(ग) देश के सकल घरेलू उत्पाद में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार लघु उद्योगों का कुल योगदान कितना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के पुनर्वास के लिए कोई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि वाणिज्यिक बैंकों, जो एमएसई को क्रेडिट प्रदान करते हैं, सहित प्राथमिक लेंडिंग संस्थानों द्वारा रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए फ्रेश लोन सहित ऋण पुनर्गठन के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसई में रुग्णता का आरंभिक चरण पर पता लगाने, सुधारात्मक उपाय करने तथा संभावी रूप से जीवनक्षम के रूप में पहचाने गए रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए जनवरी 2002 में बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने 10 अगस्त, 2005 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ''लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रेडिट बढ़ाने के लिए नीति पैकेज'' के आधार पर 8 सितम्बर, 2005 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश अन्यों के साथ-साथ जीवनक्षमता मानदण्ड, पुनर्गठित लेखों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, अतिरिक्त वित्त का प्रावधान और पुनर्गठन पैकेज तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन की समयसीमा से संबंधित हैं।

आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संग्रहीत आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार 588 जीवनक्षम रुग्ण एसएमई नर्सिंग के तहत रखे गए थे। राज्य/संघ क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। आरबीआई द्वारा नर्सिंग के तहत रखे गए रुग्ण एसएमई पर उद्योग-वार सूचना का संग्रहण नहीं किया जाता है।

(ग) वर्ष 2005-06 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसई क्षेत्र का कुल अंशदान अनुमानत: 5.83 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद में एसएमई क्षेत्र के अंशदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

विवरण

मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार नर्सिंग के तहत रखे गए जीवनक्षम रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च, 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार नर्सिंग के तहत रखे गए जीवनक्षम रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	–
2.	हिमाचल प्रदेश	–
3.	पंजाब	7
4.	चंडीगढ़	–
5.	उत्तरांचल	–
6.	हरियाणा	8
7.	दिल्ली	7
8.	राजस्थान	4
9.	उत्तर प्रदेश	18
10.	बिहार	1
11.	सिक्किम	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	–
13.	नागालैंड	–
14.	मणिपुर	–
15.	मिजोरम	–
16.	त्रिपुरा	–
17	मेघालय	–
18.	असम	–
19.	पश्चिम बंगाल	17
20.	झारखंड	9
21.	उड़ीसा	7
22.	छत्तीसगढ़	2
23.	मध्य प्रदेश	66
24.	गुजरात	11
25.	दमन व दीव	–
26.	कर्नाटक	–
27.	महाराष्ट्र	167
28.	आंध्र प्रदेश	6
29.	कर्नाटक	14
30.	गोवा	–
31.	लक्षद्वीप	–
32.	केरल	107
33.	तमिलनाडु	137
34.	पांडिचेरी	–
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
	अखिल भारत	588

[अनुवाद]

भारत की व्यापार नीति की समीक्षा

1582. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन ने हाल में भारत की व्यापार नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा समीक्षा के क्या परिणाम रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार नीति समीक्षा निकाय (टीपीआरबी) ने 23 से 25 मई, 2007 तक जेनेवा में आयोजित अपनी बैठक में भारत की व्यापार नीति की चौथी समीक्षा की है।

(ख) और (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्यों द्वारा की गई भारत की व्यापार नीति की समीक्षा में यह नोट किया गया कि भारत का आर्थिक निष्पादन प्रभावशाली रहा था। इस समीक्षा में भारत के टैरिफ सुधार और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भारत की सक्रिय भूमिका की सराहना की गई थी।

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

1583. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (आर बी डी एक्ट) के अंतर्गत रखी जाने वाली रजिस्टर की प्रविष्टियां विशेषरूप से जन्म तिथि तथा माता पिता में से किसी के नाम के संबंध में अंतिम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जन्म तिथि तथा पिता/माता के नाम के संबंध में प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए नियमों तथा प्रक्रिया में अंतर्निहित लचीलापन क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) जी हां, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में किसी बच्चे के संबंध में बच्चे की जन्म तिथि और माता या पिता के नाम सहित की गई प्रविष्टियां अंतिम होती हैं तथापि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 और अधिनियम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि रजिस्टर में किसी जन्म/मृत्यु की प्रविष्टि का स्वरूप अथवा इसकी विषय-वस्तु त्रुटिपूर्ण है अथवा प्रविष्टि कपटपूर्वक और अनुसूचित तौर पर की गई है तो जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को ठीक करना अथवा रद्द करना अनुज्ञेय है। ऐसे मामले में मूल प्रविष्टि को बदले बगैर हाशिए में उपयुक्त प्रविष्टि की जाएगी।

विशेष डिजाइन केन्द्र

1584. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में विशेष डिजाइन केन्द्र स्थापित करने के लिए मुफ्त में जमीन की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का एन.आई.डी. अहमदाबाद की तरह चार नए डिजाइन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की एक शाखा भुवनेश्वर में खोलने के लिए मार्च, 2007 में अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि जैसी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा दर्शायी थी।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय डिजाइन नीति में उत्कृष्टता के वैश्विक मानकों तक भारतीय डिजाइन शिक्षा को बढ़ाने की परिकल्पना है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना में नये डिजाइन संस्थानों की स्थापना करना सम्मिलित है। ऐसे संस्थानों की संख्या तथा उनके वास्तविक स्थापना स्थलों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

सीमाओं पर क्लीयरेंस

1585. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चैक पोस्ट विशेषकर अटारी बार्डर पर यात्रियों और माल को क्लीयरेंस देने में काफी देरी लगने के कारण यात्रियों को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अत्याधुनिक सीमा-शुल्क चौकियों स्थापित करने और वहां पर अवसंरचना को उन्नत बनाने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अटारी सीमा की सीमा चौकी सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों पर यात्रियों के लिए आप्रवास और माल

के लिए सीमा-शुल्क की क्लीयरेंस तेजी से की जाती है। ऐसी क्लीयरेंस मंजूर करते समय सुरक्षा व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने अटारी रोड पर सीमा-शुल्क स्टेशन स्थापित करने सहित 13 भू-सीमा शुल्क स्टेशनों (एल सी एस) पर अत्याधुनिक एकीकृत जांच चौकियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। एल सी एस पर सीमा-शुल्क की जांच के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा और उपकरण प्रदान किए जाते हैं और जरूरत के अनुसार समय-समय पर उनका उन्नयन किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा में सुधार

1586. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री की बैठक में उच्चतर शिक्षा में सुधार हेतु निगमित क्षेत्रों को शामिल करके संसाधन जुटाने के संबंध में आम सहमति बनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सितम्बर माह में यूजीसी तथा एआईसीटीई जैसी संस्थाओं में सुधार हेतु 'फुल प्लानिंग कमीशन ऑन एजुकेशन' अभियान ने निर्णायक रूप लिया तथा उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर चीन माडल की स्वीकृति पर भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (जैसा कि 1992 में संशोधित किया गया) शिक्षा में गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ ऐसी संस्थाओं की स्थापना को भी रोकती है जिसका उद्देश्य शिक्षा का वाणिज्यीकरण हो। दिनांक 13.9.2007 को शिक्षा पर आयोजित सम्पूर्ण योजना आयोग की बैठक में उच्चतर शिक्षा हेतु सार्वजनिक निधियन के सम्पूरण के लिए निजी सहभागिता के अवसरों का प्रणालीबद्ध रूप से पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मांगों और पिछले बहुत से वर्षों में उच्चतर, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में काफी संख्या में आए परिवर्तनों के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी सर्वोच्च संस्थाओं की भूमिका एवं कार्यों की समीक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। कथित रूप से चीन में अपनाए गए उपायों सहित नवाचारी उपायों पर विचार करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया गया।

उच्चतर शिक्षा के विस्तार, बिना केन्द्रीय विश्वविद्यालय वाले राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और योजना एवं वास्तुकला विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु ग्यारहवीं योजना के योजना आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता में सुधार हेतु ग्यारहवीं योजना के दौरान मौजूदा संस्थाओं की क्षमता में विस्तार, उच्चतर शिक्षा में राज्य परिव्यय में वृद्धि हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान आधारित विज्ञान को सुदृढ़ करना, पाठ्यचर्या में समय-समय पर अद्यतन, सैमेस्टर प्रणाली की शुरूआत, संकाय सुधार कार्यक्रम और अन्य संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

रबर पौधारोपण

1587. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अत्यधिक वर्षा तथा श्रमशक्ति के अभाव ने देश में प्राकृतिक रबर के उत्पादन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के तुलना में रबर की खपत बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रबर के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) रोग और वर्षा की लम्बी अवधि के कारण टैपरों की असमर्थता की वजह से टैपिंग के दिन गंवाए गए थे। रबड़ बागानों की पैदावार विशेष रूप से केरल के उत्तरी जिलों में पत्तियों के असामान्य रूप से गिरने की बड़ी घटना के कारण प्रभावित हुई थी। अप्रैल-अक्टूबर, 2007 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 465,180 टन की तुलना में 400,070 टन होने और इस प्रकार 14 प्रतिशत तक की गिरावट आने का अनुमान है।

(ग) जी, हां।

(घ) अप्रैल-अक्टूबर, 2007 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की खपत पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 473,285 टन की तुलना में 496,915 टन रहने का अनुमान है जिसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ङ) मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) हटाये जाने और उदारीकरण के अन्य उपाय लागू किए जाने से विश्व बाजार में घरेलू प्राकृतिक रबड़ (एनआर) क्षेत्र का एकीकरण हुआ है। प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतें कमोबेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप रहती हैं। भण्डार की संतोषजनक स्थिति के कारण चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में आई कमी से बाजार में कोई अभाव उत्पन्न नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

एफ एम रेडियो फ्रीक्वेंसी

1588. श्री सुभाष महरिया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार आकाशवाणी तथा निजी प्रसारकों की एफ एम रेडियो फ्रीक्वेंसी की क्या संख्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में और ज्यादा एफ एम रेडियो फ्रीक्वेंसी शुरू करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार सरकार द्वारा विभिन्न प्रसारकों से एक बार प्रवेश शुल्क से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है; और

(च) एफ एम रेडियो के माध्यम से और ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) देश में इस समय कार्यशील आकाशवाणी और निजी प्रसारकों के एफ एम रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने 122 चैनलों को परिचालित करने के लिए निजी प्रसारकों के साथ करारों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इन चैनलों के मार्च, 2008 तक परिचालित हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 97 रिक्त चैनलों के आवंटन हेतु निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। इन चैनलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण-2) की नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, अर्जन और अभिग्रहण की गुणवत्ता में सुधार लाना, स्थानीय विषय-वस्तु और प्रासंगिकता वाले कार्यक्रम उपलब्ध कराने वाले रेडियो स्टेशनों को परिचालित करके आकाशवाणी के प्रयासों में मदद करने हेतु निजी एजेंसियों को आकर्षित करना है। चरण-II में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एफ एम रेडियो उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं जैसे एफ एम उद्योग में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शुरू करना, एक ही क्षेत्र के भीतर 'ग' और 'घ' वर्ग के शहरों में नेटवर्किंग की अनुमति देना, नियत लाइसेंस शुल्क मॉडल से राजस्व हिस्सेदारी मॉडल में अंतरण करना आदि।

विवरण I

मौजूदा आकाशवाणी/निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकाशवाणी के एफ एम स्टेशनों की संख्या	निजी एफ एम स्टेशनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-
3.	असम	5	3
4.	बिहार	4	2
5.	छत्तीसगढ़	4	1

1	2	3	4
6.	गोवा	1	3
7.	गुजरात	5	12
8.	हरियाणा	3	6
9.	हिमाचल प्रदेश	5	–
10.	जम्मू-कश्मीर	7	2
11.	झारखंड	5	1
12.	कर्नाटक	14	8
13.	केरल	7	–
14.	मध्य प्रदेश	13	11
15.	महाराष्ट्र	16	14
16.	मेघालय	2	–
17.	मिजोरम	2	–
18.	मणिपुर	1	–
19.	नागालैंड	2	–
20.	उड़ीसा	7	3
21.	पंजाब	3	10
22.	राजस्थान	12	11
23.	तमिलनाडु	9	17
24.	त्रिपुरा	3	–
25.	उत्तराखंड	1	–
26.	उत्तर प्रदेश	10	15
27.	पश्चिम बंगाल	8	8
28.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1	–
29.	दमन व दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1	–
30.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	2	8
31.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1	–
32.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	1	–
	योग	168	144

विवरण II

उन निजी एफ एम चैनलों का ब्यौरा जिनके लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और रिक्त चैनलों का ब्यौरा जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन एफ एम चैनलों की संख्या जिनके लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए	रिक्त चैनल जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	4
2.	आंध्र प्रदेश	10	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	3
4.	असम	1	–
5.	बिहार	–	6
6.	चंडीगढ़	2	–
7.	छत्तीसगढ़	5	2
8.	दमन व दीव	1	1
9.	दिल्ली	–	1
10.	गुजरात	4	1
11.	हिमाचल प्रदेश	3	1
12.	जम्मू-कश्मीर	–	5
13.	झारखंड	6	1
14.	कर्नाटक	7	5
15.	केरल	17	–
16.	मध्य प्रदेश	5	4
17.	महाराष्ट्र	22	12
18.	मणिपुर	–	4
19.	मेघालय	2	2

1	2	3	4
20.	मिजोरम	1	3
21.	नागालैंड	–	4
22.	उड़ीसा	2	3
23.	पुडुचेरी	3	–
24.	पंजाब	2	–
25.	राजस्थान	8	6
26.	सिक्किम	3	1
27.	तमिलनाडु	3	4
28.	त्रिपुरा	1	3
29.	उत्तर प्रदेश	6	10
30.	उत्तरांचल	–	4
31.	पश्चिम बंगाल	7	–
	योग	122	97

विवरण III

निजी एफ एम प्रसारकों से एकमुश्त प्रवेश शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	814,748,860.00	0.00
2.	असम	0.00	12,291,090.00	0.00
3.	बिहार	0.00	52,810,000.00	0.00
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	261,210,590.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	63,430,006.00	000
6.	दमन व दीव	0.00	1,105,002.00	0.00
7.	दिल्ली	0.00	1,111,261,094.00	000
8.	गोवा	0.00	42,168,990.00	0.00
9.	गुजरात	0.00	660,350,968.00	2,105,002.00
10.	हरियाणा	0.00	32,624,490.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	25,840,090.00	0.00
12.	जम्मू-कश्मीर	0.00	16,227,180.00	0.00
13.	झारखंड	0.00	42,666,979.00	0.00

1	2	3	4	5
14.	कर्नाटक	0.00	998,368,574.00	0.00
15.	केरल	0.00	682,862,734.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	0.00	320,467,870.00	5,100,000.00
17.	महाराष्ट्र	0.00	1,288,656,386.00	1,506,000.00
18.	मणिपुर	0.00	1,303,000.00	0.00
19.	मेघालय	0.00	3,014,000.00	0.00
20.	मिजोरम	0.00	1,207,000.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	22,045,180.00	0.00
22.	पुडुचेरी	0.00	85,910,990.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	206,420,270.00	0.00
24.	राजस्थान	0.00	352,235,405.00	0.00
25.	सिक्किम	0.00	5,307,101.00	0.00
26.	तमिलनाडु	0.00	976,617,950.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0.00	1,620,000.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	0.00	580,781,090.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	283,721,885.00	0.00

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अव्ययित धनराशि

1589. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा कितना आबंटन किया गया;

(ख) अव्ययित पड़ी राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय निधियों और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। किसी वित्तीय वर्ष के अंत में सर्व शिक्षा अभियान के अनुदान में से बकाया अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष में देय अनुदानों में समायोजित किया जाता है।

विवरण

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार आगे लाए गए अव्ययित शेष के साथ वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान नवम्बर, 2007 तक जारी की गई राज्य-वार केन्द्रीय निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (15.11.2007 तक)	31.3.2007 तक अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	28000	37999	46245.56	18100.00	3403.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	3009	4442.51	7143.74	2845.10	1418.67
3.	असम	20654	13850	51464.72	2838.90	16602.33
4.	बिहार	31970.56	32399.56	107744.39	81200.96	12338.15
5.	छत्तीसगढ़	20786.76	30184.39	50182.2	26462.58	4590.54
6.	गोवा	0	728.12	724.12	421.54	0.00
7.	गुजरात	14072	15084.84	14806.97	12422.16	550.54
8.	हरियाणा	12881.55	10196.55	25647.12	11150.00	4349.17
9.	हिमाचल प्रदेश	6144	7614.65	6250.75	3715.00	371.59
10.	जम्मू और कश्मीर	7747.18	18530.65	22083.37	3000.00	1113.84
11.	झारखंड	16568.5	28568.5	51515	38309.99	2948.51
12.	कर्नाटक	26280.7	28303.78	54206.98	22161.34	506.11
13.	केरल	8939	5939	6382	5137.60	0.00
14.	मध्य प्रदेश	44608.919	77173.12	110879.68	31688.87	11607.48
15.	महाराष्ट्र	35489.79	50235.31	52158.56	16832.18	10541.55
16.	मणिपुर	1225	3208.44	9.24	0.00	170.42
17.	मेघालय	2930.81	1921	4294	2359.63	2304.29
18.	मिजोरम	3300.24	2559.15	3441.69	1210.00	0.00
19.	नागालैंड	2088.49	2323.01	2315.2	885.00	2824.31
20.	उड़ीसा	21807.27	32792.5	44010.95	27457.43	10223.33
21.	पंजाब	3040	14683.89	12879.92	3500.00	1047.82
22.	राजस्थान	23549.397	60313.43	75809.82	50633.00	980.49

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	1000.25	1062.5	402.14	99.72	448.03
24.	तमिलनाडु	26517	35329.53	37329.65	22808.15	26.14
25.	त्रिपुरा	4703.96	7070.19	5330.01	1188.63	436.90
26.	उत्तर प्रदेश	87761	182799	206654	85885.00	35027.97
27.	उत्तराखंड	9144.705	10004	16934	4943.69	3728.15
28.	पश्चिम बंगाल	46024.36	34199.79	61736.8	44162.24	3414.74
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	272.58	163	419.62	50.00	204.37
30.	चंडीगढ़	447.95	350	300	634.95	255.54
31.	दादर और नगर हवेली	111.91	0	100	25.00	24.94
32.	दमन व दीव	0	111.91			247.15
33.	दिल्ली	0	1100	4230.24	1499.98	0.00
34.	लक्षद्वीप	12.03	0	87.47		131.95
35.	पांडिचेरी	225.53	529.4		286.68	243.71
	योग	511314.441	751770.73	1083719.9	523915.32	132132.53

[अनुवाद]

नक्सलवाद का अध्ययन करने के लिए समिति

1590. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों तथा विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के कारणों तथा इसके विस्तार का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे प्रत्येक राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य को किया गया आबंटन तथा नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्यों के पास अव्ययित राशि का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण किसी राज्य में नक्सली क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटना, मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार, विभिन्न राज्यों का आवधिक दौरा करने और विभिन्न प्रकार के विकासों तथा नक्सली गतिविधियों को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित कदमों के बारे में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से परामर्श करने सहित नक्सलियों के क्रियाकलापों पर नजदीकी और निरंतर नजर रखे हुए है।

संबंधित राज्य सरकारें, नक्सली क्रियाकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करती हैं। केन्द्र सरकार, विभिन्न उपायों से उनके प्रयासों और संसाधनों में उनकी सहायता करती है जिसमें राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर करना, राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों के अप्रशिक्षण में सहायता करना, आसूचना का

आदान-प्रदान करना, विभिन्न मंत्रालयों का कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में अंतर-राज्य समन्वय और सहायता प्रदान करना शामिल है। विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तहत किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतया अगले वित्त वर्ष में किया जाता है।

शीतागार सुविधा

1591. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से निर्यात योजना के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता के अंतर्गत भुवनेश्वर में एकसमान शीतागार सुविधा स्थापित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के समुद्री उत्पाद निर्यातक एकसमान शीतागार सुविधा की कमी के चलते वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) भुवनेश्वर, उड़ीसा में सामान्य शीतागार सुविधा स्थापित करने के लिए "निर्यातों के विकास एवं वृद्धि हेतु अवसंरचना सृजित करने के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम" के केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत 4.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए "विशेष प्रयोजन वाहन शीतागार परियोजना" के लिए एक परियोजना की रूपरेखा प्राप्त हुई है।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को उड़ीसा के समुद्रीखाद्य निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेडियो स्टेशनों और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1592. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक सरकार द्वारा स्थान-वार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने रेडियो स्टेशनों और दूरदर्शन केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई; और

(ख) सरकार द्वारा इन स्टेशनों की स्थापना हेतु आज तक क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) तीन दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों की शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अधिकतर परियोजनाओं के लिए स्थलों का अभिनिर्धारण/अधिग्रहण कर लिया गया है और मुख्य टी.वी. उपस्करों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर खरीदने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटरों के लिए आदेश दे दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित केन्द्र

(क):

	आकाशवाणी		दूरदर्शन	
क्र.सं.	राज्य	एफ.एम. ट्रांसमीटरों	राज्य	अवस्थिति
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग बोमडिला दापोरिजो खोंसा अनीनी	आंध्र प्रदेश	स्टूडियो, तिरूपति

1	2	3	4	5
2.	असम	लुमडिंग गोलपाड़ा करीमगंज	असम	उ.श.ट्रां., कोकराझार
3.	मणिपुर	तमेंगलांग उखरूल	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ.श.ट्रां., पोर्ट ब्लेयर उ.श.ट्रां., पोर्ट ब्लेयर (डी.डी. न्यूज) अ.श. ट्रां., कार निकोबार (डी.डी. न्यूज) कदमतला, लांग आइलैंड, हरीनगर, नील आइलैंड, रामाकृष्णापुरम, चौरा, टेरेसा, गांधी नगर, दिगलीपुर (डी.डी. न्यूज), माया-बुन्देर (डी.डी. न्यूज) रंगत (डी.डी. न्यूज), हटबे (डी.डी. न्यूज), ननकोरी (डी.डी. न्यूज), कैम्बेल बे (डी.डी. न्यूज) स्थित
4.	मेघालय	दावकी	लक्षद्वीप	मिनीकाय, अगाति, अमीनी, कदमत, अन्दरौत कलपेनी स्थित अ.अ.श.ट्रां., (डी.डी. न्यूज):
5.	मिजोरम	चेम्फई, तुइपंग,	उत्तराखंड	अ.श.ट्रां. हरिद्वार (डी.डी. न्यूज)
6.	नागालैंड	फेक, चोखा, जूनेबोटो		
7.	त्रिपुरा	उदयपुर नूतन बाजार		
8.	उत्तर प्रदेश	बांदा, मऊ नाथ भंजन, लखीमपुर खीरी, रायबरेली		
9.	पंजाब	फाजिल्का, अमृतसर		
10.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर, सूर्यपेट		

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में 100 स्थानों पर 100 वा. एफ.एम. ट्रांसमीटरों को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु विशेष आर्थिक जोन

1593. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक विशेष आर्थिक जोन (सेज) की स्थापना हेतु युनाइटेड स्टेट्स चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर्स फोरम के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फोरम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बाल्को द्वारा अर्जित लाभांश

1594. श्री चंद्र शेखर दुबे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 से 2007 में आज की तिथि तक भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के शेयर धारक के रूप में सरकार द्वारा अर्जित लाभांश और लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कंपनी की विभिन्न विस्तार योजनाओं के संबंध में बाल्को के शेयर धारक के रूप में सरकार द्वारा किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुब्बारामी रेड्डी): (क) वर्ष 2001 से वर्ष 2007 के दौरान भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) की सरकार की 49% शेयर होल्डिंग के संबंध में इसके द्वारा प्राप्त लाभांश निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपए में
2001-2002	शून्य
2002-2003	शून्य
2003-2004	5.41
2004-2005	शून्य
2005-2006	शून्य
2006-2007	10.81

(ख) सरकार ने दिनांक 2.3.2001 को इसके विनिवेश के बाद बाल्को द्वारा आरंभ किए गए विस्तार के लिए किसी अतिरिक्त राशि का अंशदान नहीं किया है।

एस.आई.एस.आई. के अंतर्गत उद्यम विकास कार्यक्रम

1595. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम सहित देश में उद्यम विकास के लिए लघु उद्योग क्षेत्र संस्थान (एस.आई.एस.आई.) द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यक्रमों का लाभ उठाकर स्वरोजगार पाने वाले उद्यमियों की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में बैंकों की प्रतिक्रिया क्या है तथा वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) ग्यारहवीं योजना के लिए उक्त कार्यक्रम हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, असम सहित देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थानों (एमएसएमई-डीआई) (पूर्व में लघु उद्योग सेवा संस्थान-एसआईएसआई) द्वारा कार्यान्वित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) की विस्तृत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धियां विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) एमएसएमई-डीआई उन व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्रमों का लाभ उठाने के बाद स्वरोजगार मिलता है और उनसे प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में बैंकों की प्रतिक्रिया संबंधी रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं करते हैं। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 1,04,703 करोड़ रु. का ऋण बकाया है।

(घ) चूंकि 11वें योजना परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उक्त कार्यक्रम के लिए इस चरण में लक्ष्य सूचित नहीं किया जा सकता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रशिक्षित व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित व्यक्ति 2004-05	प्रशिक्षित व्यक्ति 2005-06	प्रशिक्षित व्यक्ति 2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	732	734	496
2.	असम	984	944	777
3.	बिहार	695	681	717
4.	छत्तीसगढ़	292	415	523
5.	दिल्ली	422	408	812
6.	गोवा	135	139	130
7.	गुजरात	440	487	1010
8.	हरियाणा	973	815	504
9.	हिमाचल प्रदेश	226	223	226
10.	जम्मू-कश्मीर	88	102	125
11.	झारखंड	464	393	292
12.	कर्नाटक	784	1056	1071
13.	केरल	1554	2155	2339
14.	मध्य प्रदेश	410	697	645
15.	महाराष्ट्र	1541	1429	1336
16.	मणिपुर	319	242	353
17.	उड़ीसा	628	698	975
18.	पंजाब	490	652	810
19.	राजस्थान	553	1144	1939
20.	सिक्किम	153	104	145
21.	तमिलनाडु	1613	1580	1551
22.	त्रिपुरा	262	295	134
23.	उत्तर प्रदेश	1680	4114	7852
24.	उत्तरांचल	462	567	143
25.	पश्चिम बंगाल	546	926	789
	योग	16446	21000	25694

बागान क्षेत्र

1596. श्री एल. राजगोपाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागान क्षेत्र के लाभार्थ कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में बागान क्षेत्र के लिए राज्यों को बागान-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार के पास बागान क्षेत्र के लिए डोनेरिक प्रमोशन कैम्पेन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में उत्पादित उत्पादों की अपनी-अपनी अलग उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वस्तु बोर्डों अर्थात चाय बोर्ड, रबड बोर्ड, कॉफी बोर्ड तथा मसाला बोर्ड के माध्यम से अनेक विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। बागान क्षेत्र के लाभार्थ विभिन्न कार्याकलापों हेतु इन बोर्डों का परिव्यय 10वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 1200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

(ग) भारत सरकार बागान क्षेत्र हेतु राज्यों को कोई धनराशि सीधे आवंटित नहीं करती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना स्कीमों जैसे पुन:रोपण, नवीकरण, बाजार संवर्धन स्कीम, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास आदि के अंतर्गत वस्तु बोर्डों को धनराशि प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) उत्पादकता में वृद्धि तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से किसानों को रोपण, पुन:रोपण एवं नवीनतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके विभिन्न बागान उत्पादों के प्रजातीय संवर्धन हेतु कदम उठाए गए हैं। किए गए विभिन्न अनुसंधान उपायों को प्रजातीय संवर्धन अभियान के माध्यम से लोकप्रिय भी बनाया जाता है। बागान फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

बांग्लादेश घुसपैठियों द्वारा जासूसी

1597. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा भारत में जासूसी की गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला हैं; और

(ग) देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं/किए जाने का विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जासूसी की गतिविधियों में लिप्त होने पर पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन बंगलादेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए थे, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा और दो बंगलादेशी राष्ट्रिक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पकड़े गए।

(ग) सरकार सीमापार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करके, आसूचना तंत्र को चुस्त दुरूस्त करके, उग्रवादियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच सघन पारस्परिक क्रिया एवं समन्वय करके, पुलिस एवं सुरक्षा बलों का अत्याधुनिक हथियारों एवं संचार प्रणाली से युक्त करके, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करके इन गतिविधियों का सामना करने के लिए एक सु-समन्वित एवं बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है।

[हिन्दी]

ऑटो ट्रेसिंग ट्रैक की स्थापना

1598. श्री गणेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धार में ऑटो ट्रेसिंग ट्रैक और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अनुमोदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं का कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) को ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। एसईजेड को अधिसूचित किए जाने के बाद ही उसका प्रचालन संभव है। धार में एक ऑटो टेस्टिंग ट्रैक को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपीएस) है।

[अनुवाद]

आतंकवाद रोधी तंत्र संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग

1599. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवाद रोधी मशनीरी में सम्पूर्ण प्रौद्योगिकीय सुधार करने और आसूचना नेटवर्क को सुचारू बनाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ अभियान में आम नागरिकों को सम्बद्ध करने पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) "लोक व्यवस्था" से संबंधित अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने संगठित अपराध, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के कृत्यों, हथियारों और मानवों के अवैध व्यापार, देशद्रोह, विख्यात लोक हस्तियों की हत्या (उनकी हत्या करने की कोशिश सहित), गंभीर आर्थिक अपराध आदि, जिनमें अंतर-राज्य या राष्ट्रीय प्रभाव होते हों, जैसे कतिपय अपराधों को परिभाषित करने/जांच-पड़ताल करने/विचारण करने के लिए नया कानून बनाने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस मुद्दे पर विचार करता रहा है। जिन राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकांश राज्यों ने संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण उस मुद्दे पर आपत्ति/आशंका प्रकट की है। इस रिपोर्ट में प्रतिकूल स्रोतों से प्राप्त की गई सूचना के साथ मानवीय आसूचना जोड़ करके आसूचना को सुदृढ़ बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करके बहु-आयामी क्षमता विकसित करने, सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो कैमरे/सी सी टी वी लगाने, बीट पुलिस प्रणाली आदि को पुन: शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।

आतंकवाद का मुकाबला करने और आसूचना प्राप्त करने के क्षेत्र में लगी केन्द्र और राज्यों की बहुविध एजेंसियों के बीच आसूचना के प्रवाह और समन्वय का लाभ उठाने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित आसूचना ब्यूरो में आसूचना में संबंधित बहु-एजेंसी केन्द्र (एम ए सी) और संयुक्त कार्य बल का सृजन किया गया है जिनकी सहायता के लिए लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में अनुषंगी बहु-एजेंसी केन्द्र (एस एम ए सी) हैं। आसूचना ब्यूरो में आसूचना का मुकाबला करने संबंधी उपकरणों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त राज्यों से कहा गया है कि वे रिक्त स्थानों को भर करके विशेष शाखाओं को पुनरूज्जीवित करें; विशेष शाखाओं में सक्षम अधिकारियों की तैनाती करें; विशेष शाखाओं में कार्मिकों के लिए अनिवार्य कार्यकाल वरीयत: 5 वर्ष रखें और इस अपेक्षा को पदोन्नति के साथ जोड़ें; पुलिस स्टेशन तक के आसूचना कार्य के लिए समर्पित स्टाफ के वास्ते प्रोत्साहन/निरूत्साहित कार्रवाई की प्रणाली शुरू करें और बीट कांस्टेबल प्रणाली पुन: सक्रिय करें; अवरोधन के लिए आधुनिक उपकरण और गैजेट उपलब्ध करायें; विशेष शाखाओं में तैनात कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और विशेष शाखाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) के तहत वार्षिक आवंटन का 5% इसके लिए निर्धारित करें।

(ख) और (ग) सरकार इस बात को मानती है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए सिविल समाज एक महत्वपूर्ण भाग है। राज्य, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और अपराध निवारण तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु कदम उठाते रहे हैं।

विदेशों की तुलना में टी.वी. चैनल दरें

1600. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन के प्रत्येक पेय चैनल की 5 रु. प्रतिमाह की दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित दर लागत आधारित मूल्य के अनुसार नहीं है;

(ग) क्या सरकार को अन्य देशों में निर्धारित प्रति चैनल दरों की जानकारी है;

(घ) यदि हां तो अन्य देशों में देश-वार प्रति चैनल दरें कितनी हैं;

(ङ) क्या ट्राई ने हमारे पड़ोसी देशों में लागू दरों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है/कराए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो विदेशों के समान पेय चैनलों की दर निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 31.8.2006 के अपने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (तृतीय) (कैस क्षेत्र) प्रशुल्क आदेश, 2006 (2006 का 6) के तहत केवल कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता स्तर पर उच्चतम सीमा के रूप में प्रति माह 5 रुपये प्रति चैनल नियत किये हैं। बहु पद्धति प्रचालक/स्थानीय केबल प्रचालक 5 रु. की उच्चतम कीमत से कम प्रभार लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए प्रति माह 5 रु. प्रति सशुल्क चैनल की उच्चतम सीमा निर्धारित करते समय प्राधिकरण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा है:

(1) परामर्श प्रक्रिया के दौरान स्टेकहोल्डरों द्वारा उपलब्ध कराई गई कीमतें;

(2) प्रसारक और एम.एस.ओ. के बीच हुए करारों से प्राप्त निष्कर्ष;

(3) चेन्नई में कैस क्षेत्रों से प्राप्त उपलब्ध आंकड़े;

(4) डी.टी.एच. प्रचालकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव। ए.एस.सी. इंटरप्राईजेज लि. और स्टार इंडिया प्रा.लि. के मामले में टी.डी.एस.ए.टी. द्वारा अपने निर्णय में अपनाई गई निर्धारण विधि प्रणाली;

(5) वास्तविक ग्राहकों और प्रभार्य ग्राहकों के बीच पाया गया अंतर (प्रचलित पद्धतियों से प्राप्त निष्कर्ष);

(6) विज्ञापन, प्रसारण और उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व के संबंध में राजस्व हिस्सेदारी का समझौता;

(ग) और (घ) ट्राई ने सूचित किया है कि इस संबंध में ट्राई के पास कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह पाया गया है कि अधिकांश देशों ने चैनल वार कीमतें नियत नहीं की है।

(ङ) से (च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्व-रोजगार हेतु ऋण

1601. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा विकलांग व्यक्तियों तथा निम्न आय समूह को स्व-रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के सहयोग से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, अधिकतम 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि से ऋण लेकर और केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) लेकर ग्रामोद्योग स्थापित करने में पात्र उद्यमियों की मदद की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिक, महिलाएं,

आदि श्रेणियों से संबंधित उद्यमी उच्च मार्जिन मनी सहायता के पात्र हैं। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित कुल ग्रामोद्योग इकाइयों और शारीरिक विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) से (छ) केवीआईसी ने सूचना दी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित अनियमितताओं/मार्जिन मनी के दुरुपयोग से संबंधित दो शिकायतें (एक असम से और एक पश्चिम बंगाल से) उनके ध्यान में लाई गई हैं और दोनों पर केवीआईसी से जांच चल रही है।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के अंतर्गत स्थापित कुल ग्रामोद्योग इकाइयां एवं शारीरिक रूप से विकलांग लाभार्थियों के द्वारा स्थापित इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(इकाईयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		कुल	शा.वि. द्वारा	कुल	शा.वि. द्वारा	कुल	शा.वि. द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8
I. उत्तरी क्षेत्र							
1.	चंडीगढ़	8	0	3	0	2	0
2.	दिल्ली	9	0	15	0	13	0
3.	हरियाणा	1140	10	1058	20	869	3
4.	हिमाचल प्रदेश	469	3	650	1	803	4
5.	जम्मू-कश्मीर	922	2	1402	28	1716	5
6.	पंजाब	864	3	440	8	1022	15
7.	राजस्थान	1537	14	2133	3	1340	33
II. पूर्वी क्षेत्र							
8.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6	0	598	11	127	0
9.	बिहार	254	1	692	13	849	2
10.	झारखंड	240	0	217	2	221	0
11.	उड़ीसा	991	9	650	10	857	25
12.	पश्चिम बंगाल	2584	24	2078	41	2290	6
III. पूर्वोत्तर क्षेत्र							
13.	अरुणाचल प्रदेश	43	0	76	0	88	0
14.	असम	1658	1	2229	44	1599	47

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मणिपुर	102	0	65	0	139	0
16.	मेघालय	146	0	206	0	165	0
17.	मिजोरम	162	0	365	0	990	0
18.	नागालैंड	151	0	316	0	156	0
19.	त्रिपुरा	233	1	306	1	212	0
20.	सिक्किम	139	0	106	0	89	0
IV.	दक्षिण क्षेत्र						
21.	आंध्र प्रदेश	1988	18	2278	11	2113	12
22.	कर्नाटक	934	9	1314	26	1689	50
23.	केरल	914	8	1217	21	912	2
24.	लक्षद्वीप	0	0	26	0	0	0
25.	पुडुचेरी	7	0	56	0	164	0
26.	तमिलनाडु	925	8	1036	8	1075	27
V.	पश्चिम क्षेत्र						
27.	गोवा	138	0	136	0	104	0
28.	गुजरात	376	2	516	10	412	2
29.	महाराष्ट्र	1773	17	3120	61	2296	64
VI.	केन्द्रीय क्षेत्र						
30.	छत्तीसगढ़	656	6	551	0	691	2
31	मध्य प्रदेश	1361	5	736	14	934	2
32.	उत्तराखंड	513	0	527	1	641	0
33.	उत्तर प्रदेश	2210	20	1532	25	1509	2
	योग	23453	161	26650	359	26087	303

शिक्षा क्षेत्र को आवंटन

1602. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र हेतु आवंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा बजट को प्राथमिक, वयस्क तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा में वर्गीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्षेत्र-वार ब्रेक-अप का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) हेतु शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटनों को अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यातकों को हुआ घाटा

1603. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री किरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉलर के मुकाबले रुपए की परिवर्तनीयता दर में बढ़ोत्तरी ने निर्यात व्यापार को दुष्प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के निर्यात व्यापार पर इसके प्रभाव का कोई आकलन किया है तथा गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत का निर्यात कितना प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यातकों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्यातकों पर उक्त रूझान के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत से होने वाले निर्यात वर्ष 2005-06 में 103 बिलियन अम.डा. से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 126 बिलियन अम.डा. तक हो गए हैं, जिससे लगभग 23% की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज हुई है। चालू वर्ष के दौरान, इस वर्ष की पहली छमाही में अमरीकी डॉलर के रूप में निर्यात वृद्धि दर 18.5% तक घट गई है। अमरीकी डॉलर के रूप में भारतीय निर्यात और वर्ष 2005-06 से 2007-08 (अप्रैल-सितम्बर) तक के दौरान हुई वृद्धि निम्नानुसार है:

भारत का विदेश व्यापार (मिलि. अम.डा.)

वर्ष	निर्यात	वृद्धि दर प्रतिशत में
2005-06	103091	23.4
2006-07	126362	22.6
2007-08 (अप्रैल-सितम्बर) (अ)	72281	18.5 (पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में)

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान वस्त्र, हस्तशिल्प, चाय, काफी, फल एवं सब्जियां, कालीन, प्लास्टिक एवं लिनोलियम, काजू, कपास, यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स, फर्शाच्छादन सहित जूट विनिर्माणन सहित अनेक मदों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि हुई थी।

(घ) और (ङ) रुपए की मजबूती के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने के लिए निर्यातकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं। निर्यातकों के कतिपय बकायों की शीघ्रता से प्रतिपूर्ति करना, पोत लदान-पूर्व और पोत लदान पश्चात के ऋणों पर ब्याज की दर में कमी करना, प्रतिअदायगी की दरों और शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) की दरों में संशोधन करना, निर्यातों में शामिल कतिपय सेवाओं के संबंध में सेवा कर की वापसी/रियायत प्रदान करना, ईईएफसी शेषों पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करना, निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम (ईसीजीसी) प्रीमियम दरों में कमी करना।

[अनुवाद]

अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा पर्चा लीक मुक्त परीक्षा

1604. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्ना विश्वविद्यालय ए.एन.यू.एस.ए.टी. की सहायता से पर्चा लीक मुक्त परीक्षा कराने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं हेतु इस प्रणाली को क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अन्ना विश्वविद्यालय जो कि तमिलनाडु का राज्य विश्वविद्यालय है, ने सूचित किया है कि वह पर्चा लीक मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से 'अनुसत' नामक सूक्ष्म सेटलाईट विकसित कर रहा है। चूंकि इस परियोजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया, अतः इस प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1605. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं की कितनी घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) इसमें संलिप्त पाए गए व्यक्तियों तथा विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उत्तर पुस्तिकाओं के निष्पक्ष मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रभावित छात्रों की मदद के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं और वे अपने संबंधित अधिनियमों, सांविधियों और नियमों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किसी भी तरह की अनियमितता होने पर उपयुक्त कार्रवाई करती है। इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल नहीं किए गए कार्यक्रमों का प्रसारण

1606. डा. राजेश मिश्रा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई टी.वी. प्रसारणकर्ता विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के पैनल में शामिल नहीं किए गए धारावाहिकों/कार्यक्रमों में विज्ञापनों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक तत्संबंधी टी.वी. प्रसारणकर्ता-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये प्रसारणकर्ता डी.ए.वी.पी. के दिशा-निर्देशों तथा मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्रसारणकर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डी.ए.वी.पी. का विचार इन चैनलों से विज्ञापनों की लागत वसूल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय केवल टी वी चैनलों को अपने पैनल में शामिल करता है न कि धारावाहिकों या कार्यक्रमों को।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विज्ञापन के लिए स्वीकृत निधियां

1607. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार द्वारा समाचार पत्र-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ निधि में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य सहित किसी भी राज्य के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु कोई विशेष बजटीय

प्रावधान उद्दिष्ट नहीं है। तथापि, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापनों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा समाचारपत्र-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 2 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी नई डी.ए.वी.पी. विज्ञापन नीति के खंड 26 में प्रावधान है कि विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, जम्मू एवं कश्मीर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन जारी करने के प्रयास किए जायेंगे।

विवरण

वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के समाचारपत्रों के वास्तविक व्यय की सूची

128074	गोपालकण्ण	जम्मू	दैनिक (सं.)	5000	417.20	3,888.00
160634	बारकी दुनिया	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	46984	17869.27	9,06,959.00
127664	अर्ली टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	5000	1814.43	26,285.00
100070	एक्सेलसियर	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	157107	30614.78	44,83,258.00
100507	ग्लिम्पसेज ऑफ फ्यूचर	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	44448	4670.16	2,20,292.00
100705	हिमालयन मेल	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	66236	3440.89	2,17,779.00
160029	इमारत	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	13480	9580.69	2,00,302.00
100760	जर्नी लाइन	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	25000	2969.94	82,585.00
100069	कश्मीर टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	162015	41633.21	57,00,345.00
122711	कश्मीर टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	65664	22048.85	14,85,648.00
100879	नव जम्मू	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	18000	8054.26	2,16,622.00
127919	नव जम्मू	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	17000	2908.24	81,624.00
160681	राहे मंजिल	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	25000	5055.87	1,28,028.00
160584	संदेश	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	36297	10400.76	4,01,961.00
160037	शारदा	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	20045	11223.89	2,96,492.00
100704	स्टेट टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	166732	37297.38	57,22,189.00
160382	तस्कीन	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	45037	39427.14	19,39,207.00
100922	दि लेटेस्ट	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	5000	1440.76	15,521.00
100610	ग्रेटर कश्मीर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	36680	2669.28	1,28,708.00
100904	कश्मीर इमेजिज	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	25000	1953.55	70,465.00
100938	कश्मीर आब्जर्वर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	3500	2900.90	38,745.00
160033	खिदमत	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	5073	6379.25	1,44,956.00
160028	रोशनी	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	9025	22576.01	4,23,908.00

161128	सदाकत रहबर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	1870	4188.52	52,682.00
161081	श्रीनगर-न्यूज	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	19750	12786.76	3,43,504.00
100768	दि कश्मीर मॉनीटर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	25000	13674.46	3,92,799.00
100919	दि रहमत	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	4000	21.60	338.00
128052	स्टेट समाचार	जम्मू	साप्ताहिक	2200	467.11	6,109.00

वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के समाचारपत्रों के वास्तविक व्यय की सूची

128074	गोपालकष्ण	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	5000	2176.68	29,947.00
160634	बारकी दुनिया	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	46888	21422.66	12,31,079.00
127664	अर्ली टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	19250	4556.49	1,41,265.00
100070	एक्सेलसियर	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	157107	37300.31	51,99,827.00
100507	ग्लिम्पसेज ऑफ फ्यूचर	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	44448	5089.51	3,04,446.00
100705	हिमालय मेल	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	66236	3587.03	2,80,813.00
160029	इमारत	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	18860	14170.37	4,39,310.00
100760	जर्नी लाइन	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	25000	3886.96	1,52,046.00
100069	कश्मीर टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	162215	42242.75	52,92,860.00
122711	कश्मीर टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	85664	29240.02	22,22,632.00
161164	किश्तवार टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	5000	5011.81	87,979.00
160588	मदर-ए-हिन्द	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	5000	2474.89	43,367.00
10080079	नव जम्मू	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	17780	5045.99	1,25,900.00
160681	राहे मंजिल	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	25000	5719.54	1,80,964.00
160584	संदेश	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	36297	15043.40	5,67,530.00
160037	शारदा	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	20045	6621.19	1,89,749.00
100704	स्टेट टाइम्स	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	166732	31680.19	39,45,934.00
160382	तस्कीन	जम्मू	दैनिक (प्रा.)	45037	29711.28	18,58,930.00
100922	दि लेटेस्ट	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	25000	8774.09	2,89,570.00
100610	ग्रेटर कश्मीर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	36680	9324.90	5,27,706.00
100904	कश्मीर इमेजिज	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	25000	3084.11	1,21,897.00
160033	खिदमत	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	8883	8941.07	2,30,599.00

161168	मिशन कश्मीर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	2977	1314.32	25,280.00
160028	रोशनी	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	9025	30806.25	7,51,661.00
161128	सदाकत रहबर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	1870	4381.30	62,643.00
161081	श्रीनगर-न्यूज	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	19816	15900.32	4,52,714.00
100768	दि कश्मीर मॉनीटर	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	25000	8484.38	2,66,268.00
160987	उकाब	श्रीनगर	दैनिक (प्रा.)	5000	1379.97	23,147.00
128052	स्टेट समाचार	जम्मू	साप्ताहिक	2200	598.85	5,619.00

रैगिंग पर कानून

1608. श्री सनत कुमार मंडल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने प्रतिशत छात्र देश के विभिन्न संस्थानों से प्रतिवर्ष रैगिंग के चलते पढ़ाई छोड़ देते है;

(ख) क्या सरकार की योजना रैगिंग को आपराधिक कानून के भीतर लाने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) रैगिंग की वजह से उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में से पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों के संबंध में केन्द्रीयकृत रूप से कोई सूचना नहीं रखी जा रही है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधान रैगिंग की वजह से या अन्यथा रूप से दोषी पाए गए सभी दोषियों पर लागू होते हैं।

[हिन्दी]

नक्सलियों तथा सरकार के बीच प्रस्तावित वार्ता

1609. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलियों तथा आतंकवादी संगठनों ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने तथा देश में नक्सलवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित अनेक राज्यों के गांवों से पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक बलों को हटाने के लिए वार्ता का प्रस्ताव दिया हैं;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक देश के प्रत्येक राज्य में नक्सल तथा आतंकवाद से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) नक्सलवादी तथा आतंकवादियों के कल्याण हेतु तथा इन संगठनों को उक्त अवधि के दौरान समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण किसी राज्य में नक्सली क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटना, मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। स्थिति के संबंध में उपयुक्त और आवश्यक कदम उठाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

संबंधित राज्य सरकारें, नक्सली क्रियाकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करती हैं। केन्द्र सरकार, विभिन्न उपायों से उनके प्रयासों और संसाधनों में उनकी सहायता करती है जिसमें राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर करना, राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता करना, आसचूना का आदान-प्रदान करना, विभिन्न मंत्रालयों की कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में अंतर-राज्य समन्वय और सहायता प्रदान करना शामिल है। कुछ राज्यों की नक्सलियों के लिए अपनी-अपनी राज्य विशिष्ट-समर्पण और पुनर्वास नीतियां है जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

टी.वी./रेडियो प्रसारण केन्द्र

1610. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री रामदास आठवले:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में वर्तमान में स्थापित स्थान-वार, राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार टी.वी./रेडियो प्रसारण केन्द्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त केन्द्रों पर आवंटित/व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आदिवासी क्षेत्रों में कितने टी.वी./रेडियो प्रसारण स्थान-वार, राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार उचित ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(घ) इनके कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के संबंध में ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

व्यय (करोड़ रुपए)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी
2004-05	167.36	6.14
2005-06	192.77	4.64
2006-07	195.11	7.55

दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा राज्य-वार व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी के सभी रिले केन्द्र उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ट्रांसमीटरों सहित दूरदर्शन नेटवर्क में टी.वी. ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। जब भी कोई खराबी होती है इसे तुरंत ठीक किया जाता है। तथापि, पर्याप्त स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण 51 अ.श.ट्रां. (जनजातीय क्षेत्रों में 21 अ.श.ट्रां. सहित) इस समय आंशिक प्रसारण का रिले कर रहे हैं।

विवरण I

देश में टीवी रिले केन्द्र (ट्रांसमीटर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिले केन्द्र (ट्रांसमीटर) का स्थान	
1	2	
आंध्र प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)**	**विजयवाड़ा**
	अनंतपुर	विशाखापट्टनम*
	हैदराबाद	वारंगल*
	कुरनूल	हैदराबाद (डीडी न्यूज)
	कोल्हापुर	पुंगानुर
	नांदयाल	विजयवाड़ा (डीडी न्यूज)
	राजमुंदरी*	विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)*
	तिरुपति	राजमुंदरी (डीडी न्यूज)*

1	2
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (81)
	आचम्पेट
	आदिलाबाद*
	अदोनी
	अलगड्डा
	अमलापुरम*
	बांसवाड़ा
	बेलमपल्ली*
	भद्राचलम*
	भैंसा*
	भीमाडोलु*
	भीमावरम*
	बोबिली*
	चित्तूर
	कुडप्पा
	दारसी
	देवरकोंडा
	इमिगानुर
	गड़वाल
	गिड्डालूर
	गुंटकल
	हिन्दूपुर
	जदचेरला
	जगित्याल
	कादिरी
	काकीनाडा*
	कामरेड्डी
	कंडुकूर
	मरकापुर
	मेडक
	महबूबनगर
	मिरियालगुड़ा
	नगर करनूल
	नालगोंडा
	नारायण पेट
	नेल्लूर
	निर्मल*
	निजामाबाद
	ओंगोल
	पेडापल्ली
	प्रोद्दुतूर
	पुलामनेर
	राजमपेट
	रामगुडंम
	सिद्दीपेट
	सिरीसिल्ला
	सिरपुर*
	श्रीकाकुलम*
	तालकोंडापल्ली
	ताम्बलापल्ली
	तंडूर
	तेक्काली*
	तिरुपति
	तुनी*
	उदयगिरी
	वेलडांडा

1	2	
	करीमनगर	वेमलवाड़ा
	कावली	विनुकोंडा
	खम्मम*	विशाखापट्टनम*
	कोस्गी	वनपार्थी
	काटागुडम*	येल्लांडु*
	कुप्पम	जाहिराबाद
	एल.आर. पल्ली	आत्माकुर (डीडी न्यूज)
	मचेरला	काकीनाडा (डीडी न्यूज)*
	मछलीपट्टनम	नरसारावपेट (डीडी न्यूज)
	मदनापल्ली	नेल्लूर (डीडी न्यूज)
	मडुगूला	पेडनंदीपाडु (डीडी न्यूज)
	मंडास्सा*	विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)*
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएलएस) (10)	मारिपाडु
	चित्तापल्ली*	पडेरू*
	दत्तालूर	पार्वतीपुरम*
	इच्छापुरम*	सीतामपेट्टा*
	काणिगिरी	श्रीसेलम
	माडिपार्डु	
	ट्रांसपोजर (1)	
	विजयवाड़ा	
अरुणाचल प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)**	ईटानगर (डीडी न्यूज)
	ईटानगर	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)	
	मियाओ	तेजु
	पासीघाट	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)	
	अलांग	मरियांग

1	2	
	बडीरीजो	मेचुका
	बसर	मुक्तो
	बोलेंग	नाम्पोंग
	बोमडिला	नामसाई
	चांगलांग	पालीन
	च्यांगताजो	रागा
	दपोरिजो	रोइंग
	दारक	रूपा
	देवमाली	सागली
	दिरांग	संग्राम
	गेकु	सेईजोसा
	गेंसी	सेप्पा
	हवाई	तलिहा
	हायुलियांग	तवांग
	हुंली	तिरबीन
	इंकियांग	टुटिंग
	कलाकतांग	योमचा
	खिमयांग	जीरो
	खोंसा	
	ट्रांसपोजर (1)	
असम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)**	
	डिब्रूगढ़*	सिलचर*
	गुवाहाटी	गुवाहाटी (डी डी न्यूज)*
	खोवराझार (अंतरिम सेटअप)*	सिलचर (डीडी न्यूज)*
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)	
	बोकाखाट*	लमडिंग
	बोंगाईगांव	मारगेरिटा*

1	2	
	धुबरी*	नागांव
	दीफु	नजीरा*
	गोलं	नार्थ लखीमपुर*
	गोहपुर*	सत्रसाल
	गोलाघाट*	सोनारी
	हाफ्लांग	तेजपुर*
	हटसिंहमारी*	तिनसुखिया*
	होजई	डिब्रूगढ़ (डीडी न्यूज)*
	जोरहट*	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	डिग्बोई*	
	ट्रांसपोजर (1)	
	गुवाहाटी*	
बिहार	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)**	
	कटिहार	पटना (डीडी न्यूज)
	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर (डीडी न्यूज)
	पटना	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (35)	
	औरंगाबाद	मोतिहारी
	बांका	मुंगेर
	बेगुसराय	नवादा
	बेतिया	फूलपारम
	भाभुवा	रामनगर
	भागलपुर	रक्सौल
	बक्सर	रोसेरा
	दरभंगा	सहरसा
	दाऊदनगर	सासाराम

1	2	
	फोरबेसगंज	शेखपुरा
	गया	सिकंदरा
	गोपालगंज	सिमरी बख्तियारपुर
	जामुई	सीतामढ़ी
	खगरिया	सिवान
	किशनगंज	सुपोल
	लखीसराय	गया (डीडी न्यूज)
	मधेपुरा	दरभंगा (डीडी न्यूज)
	मधुबनी	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	मसरख	मारहौरा
छत्तीसगढ़	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)**	
	जगदलपुर*	अम्बिकापुर*
	रायपुर*	रायपुर (डीडी न्यूज)*
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (16)	
	बेलडिला*	कुरसिया*
	बिलासपुर*	मनिंदरगढ़*
	चम्पा*	नारायणपुर*
	डूंगरगढ़*	पांडरिया*
	कांकेर*	पेंडरा रोड*
	खारोद*	रायगढ़*
	कोंटा*	राजहारा झारंडिल्ली*
	कोरबा*	सक्ति*
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)	
	बीजापुर*	कोयलीबेडा*
	देव भोग*	पाखंजोर*
	जसपुर नगर*	पाथलगांव*
	कोंडागांव*	सारंगगढ़*

1	2	
गोवा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)**	
	पणजी	पणजी (डीडी न्यूज)
गुजरात	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)**	
	अहमदाबाद	वडोदरा (अंतरिम)*
	भुज	अहमदाबाद (डीडी न्यूज)
	द्वारका	राजकोट (डीडी न्यूज)
	राजकोट	सूरत (डीडी न्यूज) (अंतरिम)*
	राधनपुर	वडोदरा (डीडी न्यूज) (अंतरिम)*
	सूरत*	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (54)	
	आहवा*	लिम्बडी
	अम्बाजी*	लुनावाड़ा*
	आमोद*	महुवा
	अमरेली	मांगरोल (जूनागढ़)
	बांतवा	मांगरोल (सूरत)*
	भरूच*	मेहसाणा
	भावनगर	मोदासा*
	बोटाड	मोरवी
	छोटा उदयपुर*	पालनपुर*
	डेडियापाडा*	पलीताना
	दीसा*	पोरबंदर
	देवगढ़ बेरिया*	पुरांदरो (मोबाइल)
	धांधुका	राजपिपला*
	धारंगाधरा	राजुला
	धारी	रापड़
	धर्मपुर*	सांजेली*
	धोराजी	शामलाजी*

1	2	
	दोहाद*	सोनगढ़*
	गोधरा*	सुरेन्द्र नगर
	इदेर*	थारड़*
	जामजोधपुर	उमरगांव*
	जामनगर	ऊना
	झगडिया*	वलसाड*
	जूनागढ़	विरावल
	केवडिया कालोनी*	गांधीनगर (डीडी न्यूज)
	खम्बत	भावनगर (डीडी न्यूज)
	खंबालिया	जामनगर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएलएस) (3)	
	काकरापर*	सागवाडा*
	नेतरांग*	
हरियाणा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)**	
	करनाल	हिसार (डीडी न्यूज)
	हिसार	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)	
	भिवानी	रोहतक
	चरखी दादरी	सिरसा
	फतेहाबाद	टोहाना
	फिरोजपुर झिरका	अम्बाला (डीडी न्यूज)
	जींद	भिवानी (डीडी न्यूज)
	कैथल	करनाल (डीडी न्यूज)
	महेन्द्रगढ़	कुरुक्षेत्र (डीडी न्यूज)
	महम	मंडी डबवाली (डीडी न्यूज)
	नारनौल	नारनौल (डीडी न्यूज)
	रिवाड़ी	यमुना नगर (डीडी न्यूज)

1	2	
हिमाचल प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)	
	कसौली	शिमला (डीडी न्यूज)
	शिमला	कसौली (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (9)	
	बिलासपुर	रामपुर
	धर्मशाला	सुंदरनगर
	कुल्लू	सुजानपुर
	मनाली	मंडी (डीडी न्यूज)
	मंडी	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)	
	आशु फोर्ट	काजा*
	आशापुरी	कल्पा*
	आवाहदेवी	कारसोग
	बैजनाथ	केलोंग*
	बांदला	खारा पत्थर
	बंजार	कोटखाई
	भरमौर*	नेहरी
	भारती	निचार*
	बिजली महादेव	पालमपुर
	चम्बा*	परवाणु
	चौपाल	पिरभायनू
	चीरीखास*	रोहरू
	चिरगांव	सरकाघाट
	डलहौली*	शिवबदर
	दियार	थानेदार
	हमीरपुर	तीसा*
	होली*	उदयपुर*

1	2	
	जहालमा*	ऊना
	जतिनगिरि (फूलाधार)	वीर
	जोगिन्द्र नगर	
	ट्रांसपोजर (2)	
	राजगढ़	सोलन
झारखंड	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)**	
	डाल्टनगंज*	जमशेदपुर (डीडी न्यूज)*
	रांची*	रांची (डीडी न्यूज)*
	जमशेदपुर*	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (19)	
	बरहरवा*	हजारीबाग
	बोकारो	कोडरमा
	चाईबासा*	लोहारदगा*
	देवघर	मुशाबनी*
	धनबाद	नोआमुंडी*
	दुमका*	सरायकेला*
	घाटशिला*	छतरा
	गिरिडीह	बोकारो (डीडी न्यूज)
	गोड्डा	धनबाद (डीडी न्यूज)
	गुमला*	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)	
	सिमडेगाम	गढ़वा (डीडी न्यूज)*
	रामगढ़ हिल	
जम्मू और कश्मीर	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (19)**	
	जम्मू	जम्मू (डीडी न्यूज)
	कठुआ	नौशैरा (डीडी न्यूज)
	लेह	सांभा (डीडी न्यूज) (अंतरिम)

1	2	
	पुंछ	श्रीनगर (डीडी न्यूज)
	श्रीनगर	गुरेज (डीडी न्यूज)
	कुपवाडा (अंतरिम)	श्रीनगर (कश्मीर चैनल)
	नौशेरा	टिथवाल (कश्मीर चैनल)
	सांभा (अंतरिम)	कुपवाड़ा (कश्मीर चैनल)
	गुरेज	पुंछ (कश्मीर चैनल)
	टिथवाल	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)	
	अनंतनाग (मोबाइल) (आरएलएस)	सोनारवानी (मोबाइल) (आरएलएस)
	बांदीपोर (मोबाइल) (आरएलएस)	पूंछ
	चोकीबाल (मोबाइल) (आरएलएस)	राजौरी
	दरहल (मोबाइल)	रियासी
	कारगिल	बुसन (मोबाइल) (आरएलएस)
	कुलगाम (मोबाइल) (आरएलएस)	उधमपुर
	पट्टन (मोबाइल) (आरएलएस)	बारामूला (मोबाइल) (डीडी न्यूज)
	पाटनीटॉप (मोबाइल)	कठुआ (डीडी न्यूज)
	काजीगुंड (मोबाइल) (आरएलएस)	लेह (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (87)	
	अबरान	माचिल (आरएलएस)
	अर्धकुंवारी	महोर
	अरनास	मंडी
	असमुखक (आरएलएस)	मनीगम (आरएलएस)
	बानी	मंजाकोट
	बनिहाल	मंसूर
	बारामुला (आरएलएस)	मेंढर
	बास्गो	मोहरा (आरएलएस)
	बसोली	मुलबेख
	बटालिक	नगरोटा

1	2	
	बटोट	न्येमा
	भदर्वा	नीमू
	बिलावर	नौगाम (आरएलएस)
	बोध खुरबू	पदम
	बोनियार (आरएलएस)	पहलगाम (आरएलएस)
	बुडहाल	पनामिक
	चकरोई	पणिकर
	चाननी	पोनी
	चुमाथांग	पुलवामा (आरएलएस)
	चुसुल	रामबन
	दाह	रामकोट
	दसकित	रामनगर
	धार	रिगडोम गोम्पा
	डोडा	सक्ति
	डोमचुक	सनासर
	द्रास	सांकु
	फातुला	सोपियन (आरएलएस)
	गुजरों नगरोटा	सियाचिन (बेस कैंप)
	हांले	सोनमर्ग (आरएलएस)
	हीरानगर	सुध महादेव
	ईचर	तंगमार्ग
	जज्झर कोटली	तंग्त्से
	कालाकोट	तातापानी
	कंगन (आरएलएस)	थानामंडी
	खालसी	ठाठरी
	खालतई	टिलेल
	खरयु (आरएलएस)	तिमसोगाम

1	2	
	किश्तवाड़	तराल (आरएलएस)
	कोटरंका	तुरतुक
	कुद	उरी
	लाती	यूसमर्ग (आरएलएस)
	लोलाब वेल्ली (आरएलएस)	जंगला
	लोरान	कारगिल (आरएलएस
	ट्रांसपोजर (1)	
	सुरनकोट	
कर्नाटक	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)**	
	बंगलौर	मैसूर*
	धारवाड	रायचूर
	गुलबर्गा	बंगलौर (डीडी न्यूज)
	शिमोगा	धारवाड़ (डीडी न्यूज)
	हासन	गुलबर्गा (डीडी न्यूज)
	मेंगलूर*	मैसूर (डीडी न्यूज)*
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (49)	
	अरसीकेरे	हुंगोंड
	अथानी	इंडी
	बगलकोट	करवार
	बंतवाल*	कोलार गोल्ड फील्ड
	बसावा कल्याण	कोप्पा*
	बेलगाम	कुमता
	बेल्लारी	मेडीकेरी
	बेलथांमडी*	मुधोल
	भटकल	मुदीगेरे*
	बीदर	मुंडारगी
	बीजापुर	पावगडा

1	2	
	चिकमगलूर*	पुट्टूर*
	चिकोडी	रामदुर्ग
	चित्रदुर्ग	रानीबेन्नूर
	डंडेली	सागर
	दावणगेरे	संदूर
	गडग बेतगारी	सिधनूर
	गंगावटी	सिरसी
	गोकक	तालीकोटा
	हरफनहल्ली	तिपतूर
	हतीहाल	तुम्कूर
	हिरीयुर	उडिपी*
	होलनरसीपुर	बेल्लारी (डीडी न्यूज)
	होसदुर्ग	दावनगेरे (डीडी न्यूज)
	होसपेट	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएलएस) (7)	
	बडामी	सकलेशपुर
	हुबिन हिपारगी	श्रृंगेरी*
	कुडलिगी	सुलया*
	मधुगिरी	
केरल	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)**	
	कालीकट	कालीकट (डीडी न्यूज)
	कोचीन	कोचीन (डीडी न्यूज)
	तिरुवनंतपुरम*	तिरुवनंतपुरम (डीडी न्यूज)*
	कन्नानूर (अंतरिम)*	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)	
	अट्टूर	मंजेरी*
	अट्टापड्डी*	पाला*

1	2	
	चंगनचेरी*	पालघाट*
	चेंगनूर	पत्तनमतिट्टा
	इडुकी*	पुन्नालूर
	कलपेटटा*	शोरनूर*
	कान्हानगढ़	तेल्लीचेरी*
	कासरगोड़	तोडुपुझा*
	कायमकुलम	त्रिचूर
	कोट्टरकारा	कन्नानूर (डीडी न्यूज)*
	मल्लापुरम*	त्रिशूर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएसएल) (4)	
	देवीकोलम*	कांजीरापल्ली*
	इरत्तुपेट्टा*	मुण्डाकायम*
मध्य प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)**	
	भोपाल	सागर
	ग्वालियर	भोपाल (डीडी न्यूज)
	इंदौर	इंदौर (डीडी न्यूज)
	जबलपुर*	जबलपुर (डीडी न्यूज)
	शाहडोल*	ग्वालियर (डीडी न्यूज)
	गुना	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)	
	अगर	कुरवाई
	अलिराजपुर*	लहर
	अशोकनगर	लखनादोन*
	बड़ा मलहेरा	मैहर
	बडवानी*	मलंजखंड*
	बालाघाट*	मांडला*
	बरेली	मंदसौर

1	2	
	बेतुल*	मुलताई*
	भंडेर	मुरवारा*
	भानपुरा	नागदा
	भिंड	नरसिंहपुरा
	विजयपुर*	नीमच
	बुरहानपुर*	पंचमढ़ी*
	चंदेरी	पन्ना
	छतरपुर	पिपरिया*
	छिंदवाडा*	राघोगढ़*
	दमोह	राजगढ़
	दतिया	रतलाम*
	गदरवारा	रीवा
	गरोट	सतना
	हरदा*	शिवनी*
	इटारसी*	शाजापुर
	जाओरा*	शिवपुर*
	झाबुआ*	शिवपुरी
	करैरा*	सीधी*
	केलारस*	सिधवा*
	खंडवा*	सिगरौली*
	खरगोन*	शिरोंज
	खुरई*	सीतामऊ
	कुकदेश्वर*	टीकमगढ़
	कुक्षी*	उज्जैन
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (5)	
	अलोट*	पारसिया*
	बुधनी	सिगरौली*

1	2	
	डायमंड माइनिग परियोजना	
महाराष्ट्र	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)**	
	अम्बाजोगई	रत्नागिरि
	औरंगाबाद	अंबाजोगई (डीडी न्यूज)
	चंद्रपुर*	औरंगाबाद (डीडी न्यूज)
	जलगांव (अंतरिम)	मुंबई (डिजीटल)
	मुंबई	नागपुर (डीडी न्यूज)
	नागपुर	पुणे (डीडी न्यूज)
	पुणे*	मुंबई (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (89)	
	अचलपुर*	मेहेकर
	अकोट	म्हासले
	अहेरी*	मोर्शी*
	अहमदनगर*	नांदेड़*
	अकलकोट	नंदरबार*
	अकलुज	नासिक*
	अकोला	नवापुर*
	अमलनेर*	उस्मानाबाद
	अमरावती*	पंढ़रकावडा*
	अर्वी	पंढ़रपुर
	बदलापुर*	परभनी
	बारशी	पाटन (सतारा)
	भामरागढ़	फाल्टन
	भुसावल*	पुलगांव
	बीड	पुसाद*
	ब्रह्मपुरी*	राजापुर
	बुल्ढ़ाणा	रावेर*

1	2	
	चांदुर*	रिसोड
	चिरचली	संगमनेर*
	चिपलुन	सांगली
	दरियापुर*	सतना*
	देवरुख	सतारा
	धडगांव*	शहाड*
	धर्माबाद*	शिरड़ी*
	धुले*	शिरपुर*
	दिगलुर*	शोलापुर
	गड़चिरोली*	सिरोंचा*
	गोंडिया	तुमसर
	हिगनघाट	उमरेगा*
	हिगोली	उमरखेड*
	इंचलकरांजी	वानी*
	जालना	वर्धा
	कांकोली	वाशिम
	कराड़	यवतमाल*
	करांजा	अकोला (डीडी न्यूज)
	खामगांव	अमरावती (डीडी न्यूज)*
	खानापुर	भंडारा (डीडी न्यूज)
	खोपोली	धुले (डीडी न्यूज)*
	किनवत*	कोल्हापुर (डीडी न्यूज)
	कोल्हापुर	मालेगांव (डीडी न्यूज)*
	माहाड	नांदेड (डीडी न्यूज)*
	मालेगांव*	नासिक (डीडी न्यूज)*
	मंगलवेढ़ा	सांगली (डीडी न्यूज)
	मनगांव	शोलापुर (डीडी न्यूज)

1	2	
	मनमाड*	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएलएस) (20)	
	अम्बेट	कौरगांव
	अर्जुनी	करखेडा*
	अष्टी	मलकापुर
	भोकर*	मलवान
	चिकलधारा*	पिम्पलनेर-साकरी
	चिमुर*	सकोली
	चुन्नार*	सिदेवाही*
	करंजा (वर्धा)	तिवसा*
	करजत	वसंतगढ़
	खेड	वाई
मणिपुर	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)**	
	इम्फाल	इम्फाल (डीडी न्यूज)
	चुड़ाचांदपुर*	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	ऊखरुल*	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)	
	चन्देल*	मोरे*
	कंगपोकपी*	सेनापति*
मेघालय	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)**	
	शिलांग	शिलांग (डीडी न्यूज)
	तुरा	तुरा (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)	
	जोवई	चेरापूंजी
	विलियमनगर	

1	2	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	बाघमारा	**नोंगस्टाइन**
	ट्रांसपोजर (1)	
	शिलांग	
मिजोरम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)**	
	आइजोल	आइजोल (डीडी न्यूज)
	लुंगलेई	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	लांगत्लाई	लुंगलई (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	चम्फाई	सैहा
	ट्रांसपोजर (1)	
	आईजोल	
नागालैण्ड	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)**	
	कोहिमा	कोहिमा (डीडी न्यूज)
	मोकोकचुंग	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)	
	दीमापुर	मोकोकचुंग (डीडी न्यूज)
	तुएंनसांग	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)	
	मोन	शामतोरी
	फेक	वोखा
	सताखा	जुन्हेबोटो
	ट्रांसपोजर (2)	
	कोहिमा	बड़ा बस्ती
उड़ीसा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)**	कटक
	बालेश्वर*	संबलपुर*
	बरहामपुर*	कटक (डीडी न्यूज)

1	2	
	भवानीपटना*	संबलपुर (डीडी न्यूज)*
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (69)	
	आनंदपुर*	मलकानगिरि*
	अंगुल	मोहना*
	अथामलिक	नरसिंहपुर
	बहलदा	नवरंगपुर*
	बालंगीर*	नौवापाड़ा*
	बालीगुड़ा*	पदमपुर*
	बानापुर	पदमपुर*
	बारगढ़*	पडुआ*
	बारीपाड़ा*	पल्लाहारा
	भद्रक*	पारादीप
	भांजनगर*	परलाखेमुंडी*
	भुवन	पाटनगढ़
	बीरमित्रपुर*	फूलबनी
	बोनाई*	पुरी
	बोध*	राजराणापुर*
	ब्रजराजनगर*	रायरंगपुर*
	चिकति*	राजगंगापुर
	दशरथपुर	रायगडा*
	देवगढ़*	रेडाखोल*
	धेनकनाल	राऊरकेला*
	दुर्गापुर	सिमलीगुडा*
	जी उदयगिरी*	सोहेला*
	गोंडिया*	सोनपुर
	जेपोर*	सुन्दरगढ़*
	जोडा*	तल्चेर

1	2	
	कविसूर्यनगर*	तुशारा
	कामाख्या नगर	उमरकोट*
	करंजिया*	बालेश्वर (डीडी न्यूज)*
	क्योंझारगढ़*	बलियापाल (डीडी न्यूज)*
	खांडपाड़ा	भुवनेश्वर (डीडी न्यूज)
	खरियार*	धेनकनाल (डीडी न्यूज)
	कोरापुट*	दुधारकोट रकोट (डीडी न्यूज)
	कोटपाड*	केन्द्रपाड़ा (डीडी न्यूज)
	कुचिदा*	तिरटोल (डीडी न्यूज)
	लुथेरपंक*	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)	
	ऑल (आरएलएस)	नागची (आरएलएस)
	बड़ा बारबिल (आरएलएस)*	नयागढ़ (आरएलएस)
	चित्रकोंडा (आरएलएस)*	पैकमल (आरएलएस)*
	जयापटना (आरएलएस)*	सबडेगा (आरएलएस)*
	कलामपुर (आरएलएस)*	सिमलिपालगढ़ (आरएलएस)*
	काशीपुर (आरएलएस)*	सुकिन्दा (आरएलएस)
	कोकसारा (आरएलएस)*	थाऊमल रामपुर (आरएलएस)*
	लांजीगढ़ (आरएलएस)*	राऊरकेला (डीडी न्यूज)*
	मछकुंड (आरएलएस)*	ललितगिरी (डीडी न्यूज)
	ट्रांसपोजर (1)	
	सुनबेडा*	
पंजाब	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)**	
	अमृतसर	भटिंडा
	भटिंडा	जालंधर (डीडी न्यूज)
	जालंधर	अमृतसर (डीडी न्यूज) (अंतरिम)
	फाजिल्का	

1	2	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (5)	
	अबोहर	पठानकोट
	फिरोजपुर	पटियाला
	गुरदासपुर	
	ट्रांसपोजर (1)	
	तलवाड़ा	
राजस्थान	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)**	
	बाड़केर (अंतरिम)	अजमेर
	बूंदी	बीकानेर
	जयपुर	अजमेर (डीडी न्यूज)
	जैसलमेर	बूंदी (डीडी न्यूज)
	जोधपुर	जयपुर (डीडी न्यूज)
		जोधपुर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति टांसमीटर (69)	
	अलवर	माऊंट आबू*
	अनूपगढ़	
	बाली	नगर
	बांसवाडा*	नागौर
	बारन	नाथद्वारा*
	बड़ी सदरी*	नवलगढ़
	बाडमेर	नोहर
	बसावा	नोखा
	भादरा	पाली
	भरतपुर	फलोदी
	भीलवाड़ा	पिलानी
	भीमल	पिरावा
	चिड़ावा	प्रतापगढ*

1	2	
	चित्तौड़गढ़*	रायसिंह नगर
	चुरू	राजगढ़ (चुरू)
	डीग	रतनगढ़
	डुंगरपुर*	रावतसर
	गंगानगर	सागवाड़ा*
	गंगापुर (एस.एम. पुर)	सालुमबेर*
	हनुमानगढ़	सरदारशहर
	हिंडोन	सवाई माधोपुर
	जैसलमेर	शाहपुरा
	जालौर	सीकर
	झालावाड़	सिरोही*
	झुंझनू	सोजात
	कर्णपुर	श्रीडूंगरगढ़
	कारौली	सुजानगढ़
	केसरियाजी*	सूरतगढ़
	खाजुवाला	तारानगर
	खेतड़ी	टोंक
	किशनगढ़ वास (अलवर)	उदयपुर*
	कोटपुतली	वल्लभनगर*
	कुशालगढ़*	अलवर (डीडी न्यूज)
	मकराना	बांसी (डीडी न्यूज)
		बीकानेर (डीडी न्यूज)
		उदयपुर (डीडी न्यूज)*
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)	
	अमेट*	
	आंधी	लक्ष्मणगढ़
	भीम*	मंडलगढ़

1	2	
	चौमहला	नीम का थाना
	देवगढ़*	राजगढ़ (अलवर)
	फतेहपुर	रावतभाटा
	गंगापुर (भीलवाड़ा)	सिकराई*
	कोटरा*	टिबी
	कुंभलगढ़*	विराटनगर
	टांसपोजर (2)	
	जमुआ रामगढ़	लालसोत
सिक्किम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)**	
	गंगटोक*	गंगटोक (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)	
	ग्यालशिंग*	रंगपो*
	मांगन*	सिंगटाम*
	नामची*	जोरथांग*
तमिलनाडु	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10)**	
	चेन्नई	तिरुन्नवेल्ली
	कोडैकनाल	चेन्नई (डीडी न्यूज)
	रामेश्वरम	कोडैकनाल (डीडी न्यूज)
	कुंभकोणम (अंतरिम)	चेन्नई (डिजिटल)
	धर्मपुरी*	चेन्नई (पोडिगै चैनल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (53)	
	अरनी*	
	अम्बासमुद्रम	पुदुकोट्टै
	अम्बर*	राजपालयम
	आरकोट*	सेलम*
	अत्तूर*	शंकरन कोविल
	चेय्यर*	तंजावुर

1	2	
	चिदम्बरम*	तिरुवयारू
	कोयम्बतूर	तिडिवनम*
	कुन्नूर	तिरुचेंदूर
	कोर्टलाम	तिरुचिरापल्ली*
	कड्डालूर*	तिरुवनामलै
	धेनकनिकोट्टा*	तूतिकोरिन
	इरोड्	उदममंडलम
	गुडियाटम*	उदुमलपेट
	कालाकुरचि*	वंदावासी
	कृष्णागिरी*	वनियमबाडी*
	मारतंडम	वेल्लौर*
	मयूरम	विल्लूपुरम*
	नागपट्टिनम	कोयम्बटूर (डीडी न्यूज)
	नागरकोइल	
	नाट्टम	इरोड (डीडी न्यूज)
	नेवेली*	मदुरै (डीडी न्यूज)
	पलनी	सेलम (डीडी न्यूज)
	पट्टुकोट्टै	तिरुचिरापल्ली (डीडी न्यूज)*
	पेरनामपेट*	तिरुनेलवेली (डीडी न्यूज)
	पोलाची	तिरुपट्टूर (डीडी न्यूज)*
		तूतिकोरिन (डीडी न्यूज)
		वेल्लौर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएलएस) (7)	
	जिजि*	
	कांचीपुरम	वलियुर
	मुट्टुपालयम	वालपरै
	तिरुवनामल्लै	वाजापाडी*

1	2	
	ट्रांसपोजर (1)	
	डिडिगुल	
त्रिपुरा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)**	
	अगरतला*	अगरतला (डीडी न्यूज)*
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)	
	अंबासा*	तेलियामपुरा*
	कैलाशहर*	जोलेइबारी*
	अमरपुर*	कैलाशहर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	धर्मनगर*	
	ट्रांसपोजर (1)	
	बेल्लोनिया*	
उत्तर प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (18)**	
	आगरा	लखीमपुर
	इलाहाबाद	फैजाबाद
	बरेली	आगरा (डीडी न्यूज)
	गोरखपुर	इलाहाबाद (डीडी न्यूज)
	कानपुर	बरेली (डीडी न्यूज)
	लखनऊ	गोरखपुर (डीडी न्यूज)
	मऊ	कानपुर (डीडी न्यूज)
	वाराणसी	लखनऊ (डीडी न्यूज)
	बांदा	वाराणसी (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)	
	अकबरपुर	मऊ रानीपुर
	अलीगढ़	मुरादाबाद
	अमरोहा	मुहम्मदाबाद
	अथडपा	ननपाड़ा

1	2
	औरिया
	बहराइच
	बलिया
	बलरामपुर
	बस्ती
	बिधुना
	छिबरामऊ
	देवरिया
	दुधीनगर
	एटा
	इटावा
	फर्रुखाबाद
	फतेहपुर
	गंज डुंडवारा
	गौरीगंज
	गोंडा
	हरदोई
	जगदीशपुर
	झांसी
	कर्वी
	कासगंज
	कोसी
	लालगंज (रायबरेली)
	ललितपुर
	महोबा
	महरोनी
	मैनपुरी
	नरौरा
	नौगढ़
	ओबरा
	ओरई
	पीलीभीत
	पूरनपुर
	रायबरेली
	रामपुर
	रथ
	रूदौली
	संभल
	शाहजहांपुर
	सिकन्दरपुर
	सुल्तानपुर
	तालबेहात
	थिरवा
	अलीगढ़ (डीडी न्यूज)
	आजमगढ़ (डीडी न्यूज)
	झांसी (डीडी न्यूज)
	लालगंज (प्रतापगढ़) (डीडी न्यूज)
	मऊ (डीडी न्यूज)
	मुरादाबाद (डीडी न्यूज)
	रामपुर (डीडी न्यूज)
	रासरा (डीडी न्यूज)
	शाहजहांपुर (डीडी न्यूज)
	सुल्तानपुर (डीडी न्यूज)

1	2	
	मथुरा	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)	
	खूबिया नांगल	मानकपुर
	माणिकपुर	ठाकुरद्वारा (डीडी न्यूज)
उत्तराखंड	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)**	
	मसूरी	मसूरी (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)	
	बछेर	नैनी डांडा
	चम्पावत	नैनीताल
	डाक पत्थर	नई टिहरी
	हल्द्वानी	पौड़ी
	हरिद्वार	पिथौरागढ़
	कालागढ़	टनकपुर
	काशीपुर	हरिद्वार (डीडी न्यूज)
	खेतीखान	खेतीखान (डीडी न्यूज)
	कोटद्वार	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (33)	
	अल्मोड़ा	जोशीमठ
	अरौली (बनौली)	कलजीखल
	बद्रीनाथ	कर्णप्रयाग
	बागेश्वर	कौसानी
	बसोत	मानेश्वर
	भटियारी	मनीला
	चौखटिया	मुनसियारी
	देवप्रयाग	नंदप्रयाग
	देवाल	नौगांवखल
	धारचूला	ऊखीमठ

1	2	
	डीडीहाट	पोखरी
	दुगड्डा	प्रतापनगर
	फाटा	राजगढ़ी
	गज्जा	रानीखेत
	घंडयाल	रूद्रप्रयाग
	गोपेश्वर	थराली
		उत्तरकाशी
	ट्रांसपोजर (2)	
	मसूरी	श्रीनगर
पश्चिम बंगाल	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)**	
	आसनसोल*	खड़गपुर (अंतरिम)
	कोलकाता	कुर्सियांग (डीडी न्यूज)
	कृष्णानगर	मुर्शिदाबाद (डीडी न्यूज)
	कर्सियांग*	आसनसोल (डीडी न्यूज)
	मुर्शिदाबाद*	कोलकाता (डीडी न्यूज)
	शांतिनिकेतन*	कोलकाता (बंगला न्यूज)
	बालूरघाट*	कोलकाता (डिजिटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)	
	अलीपुरद्वार*	झाडग्राम*
	बाघमंडी*	कालिंपोंग*
	बलरामपुर*	कालना*
	बर्धमान*	मालदा*
	विष्णपुर*	मेदिनीपुर*
	कोंतई*	पुरुलिया*
	कूचबिहार	रानाघाट
	दार्जिलिंग*	रायना*
	फरक्का*	शांतिनिकेतन (डीडी न्यूज)*

1	2	
	गढ़बेटा*	बसंती (डीडी न्यूज)*
	झाल्दा*	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	इगरा*	
अंडमान और निकोबार द्वीप	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)	
समूह	कार निकोबार*	कार निकोबार समूह
	पोर्टब्लयेर	पोर्टब्लेयर समूह (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (11)	
	बारातांग	काचल*
	कैम्पबेल बे*	मायाबंदर
	डिग्लीपुर	नानकौंवरी*
	हैवलॉक	रंगत
	हटबे	स्वराज ग्राम
	कालीघाट	
चंडीगढ़	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	चंडीगढ़	
दादरा एवं नगर हवेली	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	सिलवासा	
दमन एवं दीव	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	दमन*	दीव
दिल्ली	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	दिल्ली	दिल्ली (डिजीटल)
	दिल्ली (डीडी न्यूज)	
लक्षद्वीप	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)	
	कावारत्ती	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (9)	
	मिनीकॉय	कदमत (आरएलएस)

1	2	
	अगात्ति (आरएलएस)	कल्पेनी (आरएलएस)
	अमीनी (आरएलएस)	किल्टन (आरएलएस)
	आड्रोट (आरएलएस)	कावारत्ती (डीडी न्यूज)
	चेतलत (आरएलएस)	
पांडिचेरी	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)**	
	पांडिचेरी	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	कराइकल	पांडिचेरी (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	
	माहे	यनम (आरएलएस)

*जनजातीय उप योजना जिलों में स्थित ट्रांसमीटर

विवरण II

जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में आकाशवाणी के रिले केन्द्रों का ब्यौरा (राज्य-वार)

क्र.सं.	स्टेशन	राज्य	शक्ति/प्रकार	क्या जनजातीय है
1	2	3	4	5
1.	डुबरी	असम	6 किवा एफ एम	जनजातीय
2.	औरंगाबाद	बिहार	100 किवा एफ एम	
3.	सरायपल्ली*	छत्तीसगढ़	1 किवा मी वे	जनजातीय
4.	कसौली	हिमाचल प्रदेश	10 किवा एफ एम	
5.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	6 किवा एफ एम	
6.	कन्नौर	हिमाचल प्रदेश	1 किवा मी वे	
7.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर	10 किवा एफ एम	जनजातीय
8.	खलतसी	जम्मू और कश्मीर	1 किवा मी वे	
9.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा मी वे	
10.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा मी वे	
11.	दिस्कीट	जम्मू और कश्मीर	1 किवा मी वे	
12.	न्योमा	जम्मू और कश्मीर	1 किवा मी वे	

1	2	3	4	5
13.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	1 किवा मी वे	
14.	तिसेरू	जम्मू और कश्मीर	1 किवा मी वे	
15.	एलेप्पी	केरल	200 किवा मी वे	
16.	मंजेरी*	केरल	3 किवा एफ एम	जनजातीय
17.	राजगढ़*	मध्य प्रदेश	3 किवा एफ एम	
18.	मांडला*	मध्य प्रदेश	1 किवा एफ एम	जनजातीय
19.	हिम्मतनगर*	महाराष्ट्र	1 किवा मी वे	
20.	देवगढ़	उड़ीसा	100 वा एफ एम	जनजातीय
21.	अजमेर	राजस्थान	200 किवा मी वे	
22.	येरकॉड	तमिलनाडु	100 किवा एफ एम	जनजातीय
23.	धर्मापुरी*	तमिलनाडु	10 किवा एफ एम	जनजातीय
24.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	6 किवा एफ एम	
25.	मसूरी	उत्तरांखड	10 किवा एफ एम	
26.	उत्तरकाशी	उत्तरांखड	1 किवा मी वे	
27.	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	1 किवा मी वे	
28.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	6 किवा एफ एम	जनजातीय
29.	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	100 वा एफ एम	

नोट: *से चिन्हित स्टेशनों में स्टूडियों हैं लेकिन परिचालन और रखरखाव स्टाफ की संस्वीकृति न होने के कारण इन स्टेशनों को रिले केन्द्र के रूप में चालू किया गया है।

[अनुवाद]

सीमा पर बाड़ और फ्लड लाइटें लगाना

1611. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ और फ्लड लाइटें लगाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर 3406 कि.मी. बाड़ लगाने को मंजूरी प्रदान की है इसमें से, 2529 कि.मी. पर बाड़ खड़ी कर दी गई है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 277 कि.मी. पर फ्लड लाइटिंग लगाने की एक पायलट परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी और इसे पूरा कर लिया गया है।

(ख) सीमावर्ती निर्माण कार्यों पर 2881.58 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है जिसमें 3246 कि.मी. सड़कों और 23051 मीटर पुलों के निर्माण पर हुआ व्यय शामिल है।

(ग) परियोजना के 2008-09 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

असम के उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा

1612. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम राज्य सरकार के सहयोग से हाल ही में असम के कारबी आगंलांग और उग्रवाद प्रभावित अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(घ) इस दिशा में उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य कदम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) असम के कारबी आंगलांग और उग्रवाद प्रभावित अन्य जिलों में हिंसा को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए गए है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्रोह विरोधी अभियानों, गश्त और नाकाबंदी तथा तलाशी अभियानों को तेज करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य सरकार ने कारबी आंगलांग जिलों में छः अतिरिक्त पुलिस थानें और तेरह अतिरिक्त बाह्य चौकियां बनाने का अनुमोदन किया है। हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार की सहायतार्थ अतिरिक्त केन्द्रीय बल तैनात किया गया है। मौजूदा एकीकृत मुख्यालय को सुदृढ किया गया है और मुख्यमंत्री असम इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्य में समग्र सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2000 भूतपूर्व सैनिकों को लगाने के लिए भी राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

सस्ते कृषि उत्पादों का आयात

1613. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों से अधिक राजसहायता प्राप्त सस्ते कृषि उत्पादों के आयात में अचानक तेजी आने को रोकने के लिए कोई प्रभावी निगरानी प्रणाली बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफ.टी.ए.), अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) तथा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) के अंतर्गत कोई ऐसी निगरानी तथा जांच प्रणाली विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सस्ते सामानों के अत्यधिक पाटन के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य होने के कारण भारत डब्ल्यूटीओ करार के प्रावधानों के अंतर्गत आयातों में उछाल से निपटने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। वस्तुओं के पाटन के मामले में भारत पाटनरोध संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। निर्यातक देश द्वारा प्रदान किए गए निर्यात प्रोत्साहनों के माध्यम से वस्तुओं के सब्सिडीकरण के मामले में भारत गैर-कृषि उत्पादों हेतु सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार तथा कृषि उत्पादों हेतु कृषि करार (एओए) के समान उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर सकता है। आयातों में उछाल जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होती हो या क्षति पहुंचने का खतरा हो, के मामले में भारत रक्षोपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत रक्षोपाय भी लागू कर सकता है।

(ग) और (घ) यदि सब्सिडीकृत या पाटित आयात उन देशों से आ रहे हैं जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार करार (एफटीए), क्षेत्रीय व्यापार करार (आरटीए) अथवा अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं तो भारत डब्ल्यूटीओ करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है। यदि आयात में वृद्धि भागीदार देश द्वारा प्रदान किए गए टैरिफ अधिमानों के कारण हो रही है तो विशेष रक्षोपायों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जा सकती है जिसके द्वारा छानबीन के बाद टैरिफ अधिमानों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस लिया जाता है।

(ङ) और (च) पाटनरोधी महानिदेशालय (डीजीएडी) एक ऐसा प्राधिकरण है, जो वस्तुओं के पाटन के विरुद्ध कार्रवाई करता है। वर्ष 2004 से डीजीएडी ने 45 जांचों में कार्रवाई शुरू की हैं। इन जांचों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	शुरू की गई पाटनरोधी जांचों की सं.
2004	10
2005	11
2006	10
2007	14

(छ) डब्लयूटीओ के अंतर्गत उपबंधित रक्षोपाय और मुक्त व्यापार करार घरेलू उद्योग के आयातों में उछाल जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती है अथवा क्षति पहुंचने का खतरा होता है, से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

दिल्ली में आतंकवादियों के ठिकाने

1614. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से दिल्ली में एल ई टी आतंकवादियों के ठिकानों के बारे में जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस जैसी आसूचना एजेंसियों ने दिल्ली में ऐसे ठिकानों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में एल ई टी आतंकवादियों के खतरनाक इरादों का नाकाम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) आसूचना इनपुटों से यह संकेत नहीं मिलता है कि एल ई टी उग्रवादियों के दिल्ली में ठिकाने हैं। सरकार आतंकवाद की चुनौती का प्रतिरोध करने के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है। इस संबंध में राज्य सरकारों के सघन समन्वय से एक बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही हैं जिसमें सीमा पार से घुसपैठ रोकने के उपाय करना, आतंकवादी हिंसा संभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना, संवेदनशील क्षेत्रों में एवं बड़े-बड़े प्रतिष्ठापनों के आसपास सतत चौकसी एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, आसूचना भागीदारी, राज्य पुलिस बलों को सुदृढ करना, और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की योजनाओं, से इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करके उनकी क्षमता का उन्नयन करना शामिल है। परस्पर विधिक सहायता एवं प्रत्यर्पण संधियों, सूचना एवं आसूचना के आदान-प्रदान आदि की व्यवस्था करके आतंकवाद का सामना करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने एवं उनकी कुत्सित योजनाओं को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं जिनमें केन्द्रीय एजेंसियों के साथ आसूचना की भागीदारी करना, विभिन्न क्षेत्रों में होटलों/अतिथि गृहों/टैक्सी स्टैंडों/सिनेमाहॉलों, नए किराएदारों की, दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर टूकों, आतंकवादियों के छुपने के ठिकानों और उनके समर्थकों की नियमित जांच करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाना

1615. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान आज तक तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके कब तक कार्यशील होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं। डी डी मेट्रो चैनल को नवंबर, 2003 में बंद कर दिया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खेलकूद प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ आज्ञापक हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा 2 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1694(अ) जो 3 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्रिकेट के संबंध में राष्ट्रीय महत्व की खेल स्पर्धाओं को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1785(अ) जो 19 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नवम्बर-दिसम्बर, 2007 में खेली जाने वाली भारत-पाक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को राष्ट्रीय महत्व की खेल स्पर्धा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7336/07]

(2) खेलकूद प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ आज्ञापक हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत खेलकूद प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ आज्ञापक हिस्सेदारी) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 687(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7337/07]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, श्री विजय हान्डिक की ओर से मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या उनचास तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7338/07]

2. विवरण संख्या छत्तीस सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7339/07]

3. विवरण संख्या ग्यारह दसवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7340/07]

4. विवरण संख्या अट्ठाइस पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7341/07]

5. विवरण संख्या बाईस सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7342/07]

ग्यारहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या छत्तीस दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7343/07]

7. विवरण संख्या पैंतीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7344/07]

बारहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या इकतालीस दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7345/07]

9. विवरण संख्या पैंतीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7346/07]

10. विवरण संख्या सैंतीस चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7347/07]

तेरहवीं लोक सभा

11. विवरण संख्या अड़तीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7348/07]

12. विवरण संख्या इकतालीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7349/07]

13. विवरण संख्या पैंतीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7350/07]

14. विवरण संख्या तैंतीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7351/07]

15. विवरण संख्या बयालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7352/07]

16. विवरण संख्या इकतालीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7353/07]

17. विवरण संख्या अट्ठाईस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7354/07]

18. विवरण संख्या सत्ताईस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7355/07]

19. विवरण संख्या अट्ठाइस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7356/07]

20. विवरण संख्या बाईस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7357/07]

21. विवरण संख्या बीस बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7358/07]

22. विवरण संख्या सत्रह तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7359/07]

23. विवरण संख्या सोलह चौदहवां सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7360/07]

चौदहवीं लोक सभा

24. विवरण संख्या चौदह दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7361/07]

25. विवरण संख्या बारह तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7362/07]

26. विवरण संख्या बारह चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7363/07]

27. विवरण संख्या नौ पाचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7364/07]

28. विवरण संख्या आठ छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7365/07]

29. विवरण संख्या सात सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7366/07]

30. विवरण संख्या पांच आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7367/07]

31. विवरण संख्या चार नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7368/07]

32. विवरण संख्या तीन दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7369/07]

33. विवरण संख्या एक ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7370/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, ईटानगर के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, ईटानगर के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7371/07]

(3) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, ईटानगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, ईटानगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7372/07]

(5) (एक) उजाला सोसायटी, सर्वशिक्षा अभियान, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, सर्वशिक्षा अभियान, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7373/07]

(7) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्वशिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्वशिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7374/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 20)-दवाओं और चिकित्सा उपस्करों की खरीद की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)-(कार्यनिष्पादक लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7375/07]

(2) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 18)-निर्यात अवसंरचना तथा संबद्ध कार्यकलाप (एएसआईडीई) योजना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग)-(कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7376/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7377/07]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की केन्द्र सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7378/07]

(3) (एक) मैन्युफैक्चरिंग टेक्नॉलाजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नॉलाजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7379/07]

(5) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यो को देय वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 24 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7380/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7381/07]

(3) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7382/07]

(5) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7383/07]

(7) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेसन टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7384/07]

(9) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7385/07]

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7386/07]

(13) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7387/07]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7388/07]

(17) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7389/07]

(19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7390/07]

(21) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7391/07]

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7392/07]

(25) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 की धारा 44 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या पीयू/एसीए-1/अमेंडमेंट्स/2006-07 जो 25 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के परिनियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7393/07]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): महोदय, मैं श्रीमती वी. राधिका सेल्वी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

दमण और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या डीएमएन/वैट-2005/07-08/1 जो 3 अप्रैल, 2007 के दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दमण और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 की पहली, तीसरी और चौथी अनुसूचियों में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या डीएमएन/वैट-2005/07-08/9 जो 11 अप्रैल, 2007 के दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दमण और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 की पहली, तीसरी और चौथी अनुसूचियों में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) अधिसूचना संख्या डीएमएन/वैट-2005/07-08/401 जो 21 जून, 2007 के दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दमण और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 की पहली और तीसरी अनुसूचियों में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 21 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या डीएमएन/वैट-2005/07-08/402 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7394/07]

अपराह्न 12.01½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

[श्री गुरुदास कामत]

(2007-08) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

58वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2006 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 58वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

177 से 183 प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) जड़ी-बूटी औषधियों सहित औषध और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 177वां प्रतिवेदन;

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 178वां प्रतिवेदन;

(3) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 179वां प्रतिवेदन;

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 171वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 180वां प्रतिवेदन;

(5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 181वां प्रतिवेदन;

(6) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 182वां प्रतिवेदन;

(7) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 183वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपकी जानकारी के लिए मैं पिछले सप्ताह के दौरान सदन द्वारा किये गये मुख्य कार्यों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

इस अवधि के दौरान व्यवधान के कारण पहले दो दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका। बाकी के तीन दिन, 60 तारांकित प्रश्नों में से केवल 17 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के साथ 955 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गये।

"नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव" के संबंध में नियम 193 के तहत श्री लालकृष्ण

आडवाणी द्वारा उठाई गई एक अल्पकालीन चर्चा की गई तथा इस पर पांच घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली तथा गृह मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

विधायी कार्य के संबंध में, सदन में विधेयक पारित करने से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2007, पर तीन घंटे 48 मिनट तक चर्चा चली। एक अन्य विधेयक टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिदान) विधेयक, 2007 को पारित करने से पहले उस पर 54 मिनट तक चर्चा की गई। तत्पश्चात् संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 को चर्चा के लिए लिया गया और इस विधेयक के शेष भाग पर चर्चा की गई।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में सभा में श्री रामकृपाल यादव द्वारा "उच्च माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा" के संबंध में 31 अगस्त, 2007 को प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा की गई। संकल्प पर दो घंटे और 17 मिनट तक और चर्चा की गई। तथापि, चर्चा पूरी नहीं हुई।

सप्ताह के दौरान, सदस्यों ने नियम 377 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 40 मामले उठाए।

इस अवधि के दौरान दो ध्यानाकर्षण मामले उठाए गए (1) श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण उत्पन्न स्थिति तथा निजी नर्सिंग होमों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता तथा (2) प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को घटिया किस्म के गेहूं की आपूर्ति के कारण उत्पन्न स्थिति। उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिये तथा स्पष्टीकरणों के उत्तर दिये।

सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा दस वक्तव्य भी दिए गए।

पिछले सप्ताह के दौरान विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 19 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

पिछले सप्ताह हमने 11 घंटे और 38 मिनट व्यवधानों और स्थगन के कारण गंवाए। तथापि, सदन दो घंटे और पांच मिनट के लिए देर तक चला।

मैं पुन: माननीय सदस्यों से कार्यवाही के संचालन में उनके सहयोग के लिए आग्रह करता हूं। मैं अध्यक्षपीठ को दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

'मिड डे मील' योजना के बारे में दिनांक 8.5.2007 के तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं 'मिड-डे-मील योजना' के संबंध में दिनांक 8 मई, 2007 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-2 में निम्नानुसार संशोधन करने हेतु एक वक्तव्य देना चाहता हूं:

प्रश्न का भाग	के स्थान पर	निम्नलिखित पढ़िए
(ख)	पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्नक-2 में दिए गए हैं।	पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्नक-2 (संशोधित) में दिए गए हैं।

विलम्ब के कारण निम्नानुसार हैं:

संशोधन वक्तव्य की आवश्यकता दिनांक 8 मई, 2007 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 466 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण 2 में अनजाने में हुई गलती के कारण हुई है तथा विवरण संलग्न है।

यह गलती दिनांक 13.8.2007 को ध्यान में आई। गलती सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने के कारण इस संबंध में दिया गया 'संशोधन वक्तव्य' मानसून सत्र के दौरान लोक सभा के पटल पर नहीं रखा जा सका। चूंकि शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है और सदन की कार्रवाई 7 दिसम्बर, 2007 तक चलेगी, अत: संशोधित उत्तर को वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के ध्यान में लाया जा सकता है।

इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

विवरण II (संशोधित)

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21644.9	21201.44	36885.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	311.37	401.9	2841.29
3.	असम	8105.15	10885.25	29728.85
4.	बिहार	20909.4	36782.62	47829.87
5.	छत्तीसगढ़	10457.72	9675.89	15533.19
6.	दिल्ली	1369.98	3093.85	943.73
7.	गोवा	60.42	177.02	277.87
8.	गुजरात	8060.07	10526.76	17640.71
9.	हरियाणा	4233.22	4050.12	5926.58
10.	हिमाचल प्रदेश	2074.87	2196.75	4399.52
11.	जम्मू और कश्मीर	247	1542.56	5939.78
12.	झारखंड	3082.42	13162.89	15429.01
13.	कर्नाटक	13317.33	14726.33	24746.02
14.	केरल	6512.68	4476.09	6231.79
15.	मध्य प्रदेश	22087.61	26197.07	49718.43
16.	महाराष्ट्र	26355.29	13563.88	45328.13
17.	मणिपुर	974.34	915.09	1414.75
18.	मेघालय	2480.28	1600.93	2650.65
19.	मिजोरम	317.03	290.97	621.79
20.	नागालैंड	858.21	550.17	1693.06
21.	उड़ीसा	18081.36	7304.95	27980.77
22.	पंजाब	3296.84	1774.16	6224.98
23.	राजस्थान	20275.57	17410.58	27561.57

1	2	3	4	5
24.	सिक्किम	266.45	463.87	788.51
25.	तमिलनाडु	11244.51	13646.96	14484.04
26.	त्रिपुरा	1296.54	1688.4	2762.46
27.	उत्तरांचल	2133.64	2962.43	4947.95
28.	उत्तर प्रदेश	41188.28	51277.82	82664.01
29.	पश्चिम बंगाल	29700.97	45464.52	39644.01
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.32	40.06	46.52
31.	चंडीगढ़	41.47	172.87	100.32
32.	दादरा और नगर हवेली	41.91	89.47	92.01
33.	दमन और दीव	11.26	50.81	24.59
34.	लक्षद्वीप	0	20.3	1.06
35.	पांडिचेरी	1003.7	128.09	201.7
		282054.11	318512.87	523304.76

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7395/07]

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) 24 नवम्बर, 2007 को ऑल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ असम (एएएसएए) द्वारा हिंसा

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय मैं 24 नवम्बर, 2007 को गुवाहाटी में हुई हिंसा के संबंध में इस सम्माननीय सदन को बड़े खेद के साथ सूचित करता हूं। असम सरकार ने सूचित किया है कि:

आल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ असम (एएएसएए) ने असम में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (मैदानी) घोषित किये जाने की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए गुवाहाटी में साउथ बेल्टोला स्कूल मैदान पर दिनांक 24.11.2007 को एक गण समबेश (रैली) आयोजित करने के लिए गुवाहाटी के जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 6.11.2007 को एक आवेदन दिया। यह रैली आयोजित करने की एसोसिएशन को अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, एएएसएए द्वरा लाये गये आदमी 24.11.2007 को सुबह से ही साउथ बेल्टोला हाई स्कूल के मैदान में एकत्र होना शुरू हो गए। प्रात: 11.30 बजे तक सभा स्थल पर 3000 से 3500 लोग एकत्र हो गए थे। अधिकांश आदमी 50/60 बसों में भरकर कोकराझार, कारबी आंगलांग, दरांग, उडालगुड़ी, गोलाघाट जिलों इत्यादि से आए थे। सभा के उपरान्त वे जलूस को दिसपुर राजधानी परिसर में ले जाना चाहते थे।

ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें जलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। परन्तु दोपहर लगभग 12 बजे 1000/1500 व्यक्तियों ने पुलिस पिकेटों को जबरदस्ती तोड़ दिया और बेल्टोला से दिसपुर राजधानी परिसर की ओर जाने वाली बशिष्ट रोड पर आगे बढ़ गए। रास्ते में वे गुंडागर्दी पर उतर आए और उन्होने अपने साथ लाए लाठियों, मुक्कों और तीरों का प्रयोग करके एवं पत्थर फेंक कर

[श्री शिवराज वि. पाटील]

दुकानों और कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इस जलूस में 50 से अधिक वाहन और 30 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। जब प्रदर्शनकारी विधायक होस्टल के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे तब पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर-बितर किया। तितर-बितर होने पर प्रदर्शनकारी विभिन्न दिशाओं में भागने लगे और मुख्य बशिष्ठ रोड के अलावा उस क्षेत्र की विभिन्न बाई-लेनों में प्रवेश कर गए। जब उन्हें तितर-बितर किया जा रहा था तो इन लोगों द्वारा की गई हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों ने प्रतिक्रिया की और उन पर हमला बोल दिया। इसके परिणामस्वरूप अनेक प्रदर्शनकारी/आंदोलनकारी घायल हो गए। स्थिति को 24 नवम्बर, 2007 को दोपहर 1 बजे अतिरिक्त पुलिस बल के वहां पहुंचने पर नियंत्रित किया गया।

घायल हुए सभी व्यक्तियों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और महेन्द्र मोहन चौधरी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर 242 लोग घायल हुए जिनमें से 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। चोटों के कारण एक व्यक्ति ने शाम को अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान अभी की जानी है। दिनांक 25.11.2007 को 57 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें वापस उनके जिलों में भेज दिया गया। नि:शुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं। आशा है कि घायल हुए 10 व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को दिनांक 26.11.2007 को पूर्वाह्न में छुट्टी दे दी जाएगी और उन्हें उनके गृह जिलों में वापस भेज दिया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने 24.11.2007 को अपराह्न 2.25 बजे एहतियाती उपाय के रूप में कर्फ्यू लगा दिया गया था जिसमें 25.11.2007 को पूर्वाह्न 8 बजे 12 घंटे की छूट दी गई थी। 25 नवम्बर, 07 को अपराह्न 8 बजे से कर्फ्यू हटा लिया गया है। 24 नवम्बर, 2007 को घटना के पश्चात लगभग 2000 व्यक्तियों को जो कि बैठक स्थल पर मौजूद थे, को उनके द्वारा लाये गये वाहनों में शाम को पुलिस सहायता के साथ उनके जिलों को सुरक्षित वापस भेज दिया गया है। लगभग 900 लोगों को विभिन्न सड़कों और मार्गों के जरिये सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया तथा उनको बशिष्ठ थाना ले जाया गया और उनको पुलिस सहायता के अंतर्गत 25 नवम्बर की सुबह उनके संबंधित गृह जिलों को भेज दिया गया है।

राज्य सरकार ने मारे गए व्यक्ति के निकटतम आश्रित को 3 लाख रु. की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये तथा मामूली रूप से घायल को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की पहले ही घोषणा कर दी है। श्री पी.पी. वर्मा, अपर मुख्य सचिव द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया।

वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है तथा इस पर निगाह रखी जा रही है। एएएसएए ने 26.11.2007 के पूर्वाह्न 5 बजे से 27.11.2007 अपराह्न 5 बजे तक 36 घंटे के असम बंद का आह्वान किया है।

बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि के चाय और भूतपूर्व चाय बागान के मुंडा, ओरांव, गोंड, संथाल आदि समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिये जाने की मांगें होती रही हैं। आरजीआई कार्यालय ने कई बार इसकी जांच की है। लौकुर समिति ने भी 1965 में इस मुद्दे पर विचार किया था और यह नोट किया था कि वे पिछड़ा वर्ग आयोग की राय से सहमत हैं तथा वे चाय बागान के मजदूरों को अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने की सिफारिश नहीं करते हैं। चाय बागानों में नए उप निवेशकों को नई परिस्थितियों में अपनी जनजातीय पहचान खोनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, आरजीआई के कार्यालय ने यह नोट किया कि चाय आदिवासी समुदायों के कई लोगों को अपने मूल राज्यों में भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल नहीं है अर्थात बेसोर, भट्टर, बसफूर, भगत, तंदोइ आदि अपने मूल राज्यों में अनुसूचित जाति के थे जब कि भामिज, बेहा आदि को उनके अपने-अपने मूल राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इन विचारों और लोकुर समिति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की टिप्पणियों के आधार पर आरजीआई, चाय आदिवासियों को असम में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है। तत्कालीन असम सरकार ने भी शुरू में उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था।

स्थिति पर नजदीकी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं।

मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 7396/07]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं देखता हूं कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। माननीय सदस्यों इस संबंध में मुझे पांच नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। पीठासीन अधिकारी को सहयोग देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस मामले पर मुझे कुछ बोलने की अनुमति दें। जैसी चर्चा हमने कल की थी वैसी ही ढंग की चर्चा मैं आज चाहता हूं। असम मुद्दे पर विशेष उल्लेख के दौरान बोलने के लिए मुझे पांच नोटिस प्राप्त हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मै सभी पांच माननीय सदस्यों को बोलने का समय दे सकता हूं, और वे सभी अलग-अलग दलों से हैं। मै एक या दो माननीय नेता को अनुमति दे सकता हूं और हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप चर्चा तत्काल चाहते हैं या बाद में?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम इस पर तत्काल चर्चा चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, हमें यह चर्चा अभी समाप्त करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इस चर्चा के लिए तैयार हैं और अगर इस संबंध में कोई संक्षिप्त संदर्भ लिया जाता है तो

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मेरी समस्या यह है कि दूसरे सदन में मुझे दूसरे मामले पर बोलना है और मुझे वहां उपस्थित होना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सदन में ऐसा नहीं है, और आप सभी बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं। इस वक्तव्य पर कोई प्रश्न पूछने या चर्चा की अनुमति नहीं है। अत: इस विषय पर चर्चा के लिए मैं आपको पूरा समय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जिस महिला को वहां नग्न किया गया, निर्वस्त्र किया गया, उसको जिस तरह से पीटा, उसके साथ जो घटना हुई, उसका इस स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस बारे में भी बात करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पूरे स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि वहां कितने लोग मारे गये, क्या हुआ और वहां क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने इस पर सहमति दे दी है, लेकिन इस पर उचित समय पर चर्चा की जायेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.17 बजे

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम को लागू करने की स्थिति के बारे में और साथ ही भारत निर्माण के तीन अंगों—रूरल हाउसिंग, रूरल रोड्स और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन—के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये सभी कार्यक्रम प्रगति की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराना आवश्यक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सदन के पटल पर ले कर दीजिए।

[अनुवाद]

मुझे आशा है और पूरा विश्वास है। कि आप सभी माननीय सदस्य इसे पढ़ेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपकी इजाजत से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू करने की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), 2005 जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है, को उसके पहले चरण के कार्यान्वयन में, 27 राज्यों के 200 निर्धारित जिलों में 2 फरवरी, 2006 से अधिसूचित किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एनआरईजीए के दूसरे चरण में, 130 अतिरिक्त जिलों को शामिल किया गया और इस प्रकार जिलों की कुल संख्या 330 हो गयी। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 1.4.2008 से एनआरईजीए के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शेष सभी ग्रामीण जिलों को कवर कर लिया जाए। इस संबंध में 28.9.2007 को एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

2. वित्तीय प्रगति

(क) 2006-07

जिले में रोजगार मांग के आधार पर एनआरईजीए के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं। केन्द्र सरकार प्रारंभिक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान करती है। वर्ष 2006-07 के लिए एनआरईजीए के लिए 11,300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष के दौरान एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए चरण-1 के 200 जिलों के पास 12073.56 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। इस राशि में केन्द्रीय रिलीज के रूप में 8263.66 करोड़ रुपए, राज्य अंश के रूप में 802.92 करोड़ रुपये और 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार 2052.92 करोड़ रुपये का अथशेष शामिल था। इसके अलावा चरण-2 के 113 एनआरईजीए जिलों को प्रारंभिक व्यवस्थाओं तथा खर्च के लिए 377.20 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत 313 जिलों को 8640.86 करोड़ रुपये का कुल केन्द्रीय अंश रिलीज किया गया था।

वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों के पास कुल 12073.56 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी जिसमें से कार्यक्रम के अंतर्गत 8823.36 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। 2006-07 में प्रति जिला निधियों का औसत उपयोग 44.12 करोड़ रुपये था।

(ख) 2007-08 (14 नवम्बर, 2007 तक)

केन्द्र सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 12000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है जिसमें से 14 नवम्बर, 07 तक 8303.82 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है। इसमें से चरण-1 जिलों को 5365.99 करोड़ रु. और चरण-2 जिलों को 2937.92 करोड़ रु. रिलीज किये गये हैं। इसके अतिरिक्त आरंभिक व्यवस्थाओं जैसे आईईसी, मानक दस्तावेजों की छपाई तथा प्रापण, अधिकारियों तथा गैर-अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा संदर्श योजनाओं इत्यादि के लिए चरण-3 जिलों (हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जिलों को छोड़कर) को 159.44 करोड़ रु. रिलीज किये गये हैं। गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश को निधियां, इन राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर रिलीज की जाएंगी। अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा संदर्श योजना तैयार करने हेतु 130 चरण-2 जिलों को 18.85 करोड़ रु. भी रिलीज किये गये हैं।

3. कार्यक्रम के परिणाम

(क) 2006-07

(1) चूंकि कार्यक्रम मांग आधारित है, इसलिए 2.12 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की थी जिनमें से 2.10 करोड़ परिवारों को वर्ष 2006-07 के दौरान रोजगार उपलब्ध कराए गए थे और कार्यक्रम के तहत कुल 90.51 करोड़ रोजगार श्रम दिवस उपलब्ध कराए गए थे। एनआरईजीए के अंतर्गत प्रति जिला औसतन 45.2 लाख रोजगार श्रमदिवस सृजित किये गये थे जबकि

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7397/70।

एसजीआरवाई के अंतर्गत 2005-06 में सृजित औसत श्रम दिवस प्रति जिला 14.02 लाख था।

(2) कुल 90.51 करोड़ श्रम दिवस में अनुसूचित जातियों का अंश 22.95 करोड़ श्रम दिवस (25.36%) और अनुसूचित जनजातियों का 32.99 (36.45%) था जो कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 55.94 करोड़ श्रम दिवस बनता है जो कि लगभग 62 प्रतिशत है।

(3) एनआरईजी अधिनियम के अनुसार महिला श्रम दिवसों का अंश एक तिहाई होना चाहिए और यह 36.79 करोड़ श्रम दिवस था जो एसजीआरवाई के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 24 प्रतिशत की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत है।

(4) 5842.37 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान अकुशल मजदूरी के रूप में किया गया था जो कि उपयोग में लायी गयी कुल 8823.36 करोड़ रुपये का 62.21% था।

(5) कार्यक्रम के तहत कुल 8.34 लाख कार्य शुरू किये गये थे जिनमें से 3.86 लाख कार्य पूरे कर लिये गये थे। श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियां

कार्य के प्रकार	लिया गया कुल कार्य (सं.)	पूरे कर लिये गए कार्य (सं.)	चल रहे कार्य (सं.)	सृजित लाभ
1	2	3	4	5
जल संरक्षण एवं जल संभरण	266365	121921	144444	नए टैंकों/तालाबों, परकोलेशन टैंकों, छोटे रोक बांधों की खुदाई के माध्यम से 737 घन मी. टन पानी का संभरण।
बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा	17113	10206	6907	तटों के निर्माण तथा मरम्मत के माध्यम से पानी से भरे क्षेत्रों में 3 लाख कि.मी. जल निकासी
लघु सिंचाई कार्य	27682	12151	15531	0.13 कि.मी. नहर
अनु. जाति/अनु. जनजाति के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा का प्रावधान	80794	27362	53432	0.16 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान
पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण	59924	25472	34452	टैंकों/तालाबों, पुरानी नहरों, पारंपरिक खुले कुओं के खारेपन को दूर करके 481 घन मी. टन जल संभरण की क्षमता।
भूमि विकास	88557	43370	45187	3.35 लाख हेक्टेयर भूमि को समतल बनाना तथा बांध बनाना।

1	2	3	4	5
सूखा-रोधन	77305	30989	46316	3.45 लाख हेक्टेयर भूमि में वनीकरण तथा वृक्षारोपण।
ग्रामीण संपर्कता	179661	91244	88417	2.37 लाख कि.मी. सड़कें
कोई अन्य गतिविधि	33537	20776	12761	
कुल	830938	383491	447447	

(ख) 2007-08 (सितम्बर, 2007 तक)

(1) वर्ष 2007-08 (सितम्बर, 07 तक) के दौरान 1.97 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की है और 1.88 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 56.14 करोड़ रोजगार श्रमदिवस सृजित किये गये हैं।

(2) कुल 56.14 करोड़ श्रमदिवसों में अनुसूचित जातियों का अंश 14.70 करोड़ श्रमदिवस (26.18%) है और अनुसूचित जनजातियों का अंश 18.44 करोड़ श्रमदिवस (32.84%) है जो कुल मिलाकर 33.14 करोड़ श्रमदिवस बनता है जो कि लगभग 59.03 प्रतिशत है।

(3) महिलाओं का अंश 26.61 करोड़ श्रमदिवस है जो कि 47.40% है।

(4) कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8.92 लाख कार्य शुरू किये गये हैं जिनमें से 2.15 लाख कार्य पूरे कर लिये गये हैं। श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

एनआरईजीए के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियां
(वित्तीय वर्ष 2007-08 से सितम्बर तक)

कार्य का प्रकार	शुरू किये गये कुल कार्य (संख्या में)	पूरे कर लिये गए कार्य (संख्या में)	जारी कार्य (संख्या में)	सृजित लाभ
1	2	3	4	5
जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण (घन मीट्रिक टन)	273548	62366	21182	नये टैंक/तालाब, परकोलेशन टैंक, लघु रोक बांध बनाकर 756.36 लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता
बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण (कि.मी.)	17544	6814	10730	बांध के निर्माण और मरम्मत के जरिये जल भराव वाले क्षेत्रों में 2.67 लाख कि.मी. नाला
लघु सिंचाई कार्य (कि.मी.)	38718	8521	30197	0.20 लाख कि.मी. नहर
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली	104977	27945	77032	0.26 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई

1	2	3	4	5
जमीन में सिंचाई सुविधा का प्रावधान (हेक्टेयर)				
पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण (घन मीट्रिक टन)	72130	18750	53380	टैंकों/तालाब, पुराने नहरों, पारंपरिक खुले कुओं से गाद निकालकर 578.98 लाख घन मीट्रिक टन जल भंडारण क्षमता
भूमि विकास (हेक्टेयर)	119754	25462	94292	4.53 लाख हेक्टेयर जमीन को समतल बनाने एवं उस पर बांध बनाना
सूखा प्रवण (हेक्टेयर)	83445	11020	72425	4.09 लाख हेक्टेयर जमीन में वनीकरण और पौधरोपण
ग्रामीण संपर्कता (कि.मी.)	136565	46573	89992	1.80 लाख कि.मी. लंबाई की सड़कें
कोई अन्य क्रियाकलाप	45175	7541	37634	
कुल	891856	214992	676864	

4. मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों का उपयोग करके कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं।

(क) कड़ी सतर्कता और निगरानी

(1) राज्यों को यह निदेश दिया गया है कि एनआरईजीए के प्रत्येक कार्य की सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य तीन महीने के भीतर पूरे किये जाने चाहिए और मंत्रालय को सामाजिक लेखापरीक्षा के परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के सदस्य सामाजिक लेखापरीक्षा में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक 25900 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जा चुकी हैं।

(2) मस्टर रोलों का सत्यापन अभियान के रूप में किया जाना चाहिए और मंत्रालय को समेकित रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। अब तक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इन राज्यों में कुल 7304106 मस्टर रोलों का सत्यापन कर लिया गया है।

(ख) जन भागीदारी

(1) ग्राम स्तरीय निगरानी-समितियां बनाई गई हैं और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

(2) एनआरईजीए के अंतर्गत क्षमता निर्माण में रुचि रखने वाले गैर सरकारी संगठनों से आवेदन मांगे गये थे। लगभग 2560 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विकास आंदोलन के अंतर्गत जागरूकता सृजन करने के लिए इन्हें कपार्ट को चयन तथा प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है।

(ग) पारदर्शिता

व्यापक वेब आधारित एमआईएस (www.nrega.nic.in) शुरू किया गया है जिसमें सभी आंकड़े सार्वजनिक उपयोग के लिए डाले जाते हैं। ये आंकड़े मजदूरों की पात्रता जैसे पंजीकरण, जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगा तथा दिया गया रोजगार; कार्यों के आंकड़े जैसे कार्यों की स्वीकृति सूची, कार्य आकलन, जारी कार्य, कार्यों की माप; वित्तीय संकेतक जैसे उपलब्ध/खर्च की गई राशि, मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि, सामग्री और प्रशासनिक व्यय से संबंधित होते हैं। रिकार्डों के पुन: सत्यापन तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाटा सॉफ्टवेयर बनाया गया है।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा यह सुनिश्चित करने की लाभार्थियों को मजदूरी सीधे दी जाती है, के लिए राज्यों को बैंकों और डाकघरों के माध्यम से मजदूरी भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में पहल करने वाले कुछ राज्य इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश जहां 18 जिलों में डाकघरों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, कर्नाटक जहां 5 जिलों को बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है तथा झारखंड जहां सभी 22 एनआरईजीए जिलों में बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। डाकघरों के माध्यम से मजदूरी भुगतान को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) जागरूकता पैदा करना

एनआरईजीए के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। इस दिशा में ग्राम सभाएं आयोजित की गई तथा ब्लॉक स्तर पर सभी सरपंचों का एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रयोजन के लिए स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में पर्चे तथा पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला टीमों द्वारा ग्राम शिविर आयोजित किये गये हैं तथा कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में गैर-सरकारी संगठनों और स्वसहायता समूहों का सहयोग लिया जा रहा है।

(ङ) प्रशिक्षण

अब तक 200000 पंचायती राज संस्थाओं, 58016 प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारियों और सतर्कता एवं निगरानी समितियों के 28071 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

अपराह्न 1.218 बजे

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, भारत निर्माण के तीन अंगों—ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति—के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत निर्माण को सरकार द्वारा समयबद्ध, लक्षित कार्य योजना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे 1,74,000 करोड़ रु. के कुल अनुमानित निवेश से चार वर्षों की अवधि (अर्थात 2005-06 से 2008-09 तक) में कार्यान्वित किया जाएगा। भारत निर्माण में कुल छः घटक हैं-सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा दूरभाष संपर्क। इनमें से तीन घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को 85,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन घटकों में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा तदनुसार प्रगति की गहन निगरानी की जाती है। मैं सदन को भारत निर्माण के इन तीनों घटकों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

ग्रामीण सड़कें

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 या इससे अधिक की आबादी वाली तथा पहाड़ी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों और मरूभूमि क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाली सभी बसावटों को 2009 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। 2005-09 की अवधि के दौरान 66,802 बसावटों को जोड़ने वाली 146185 कि.मी. ग्रामीण सड़कें बनाने तथा 194130 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक (सितम्बर, 2007 तक) 2005-07 की अवधि के दौरान 16444 बसावटों को सड़क सम्पर्क मुहैया कराने वाली 48215 कि.मी. की ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 60934 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड किया गया है। अब तक (सितम्बर 2007 तक) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 59482 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है 24711 करोड़ रु. खर्च किये जा चुके हैं।

भारत निर्माण के समयबद्ध लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधियों का प्रावधान करने के हरसंभव प्रयास किये गये हैं। हालांकि, 2000-04 की अवधि (चार वर्ष) के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल खर्च लगभग 6607.83 करोड़ रु. था जो 2004-05 के दौरान बढ़कर 3077.45 करोड़ रु., 2005-06 के दौरान 4091.66 करोड़ रु. तथा 2006-07 के दौरान 7304.27 करोड़ रु. हो गया है। चालू वर्ष के दौरान आवंटन को और बढ़ाकर 11000 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा अक्तूबर,

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7398/7।

2007 तक 6104.07 करोड़ रु. रिलीज किये जा चुके हैं। योजना के संसाधनों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से सहायता ली गई है। विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की सहायता से लगभग 9000 करोड़ रु. उपलब्ध हो जाएंगे। पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत एक विशेष विन्डो बनाई गई है जिससे कि भारत निर्माण की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सके। नाबार्ड की विशेष विन्डो से लगभग 16500 करोड़ रु. जुटाये जाएंगे।

''ग्रामीण सड़कें'' राज्य का विषय होने के कारण कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं निगरानी, वित्तीय प्रबंधन तथा समन्वय के लिए राज्य स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों अर्थात् एसआरआरडीए (राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी) तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। बिहार तथा त्रिपुरा में कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय एजेंसियां भी शामिल की गई हैं।

घोषित समय-सीमा अर्थात् 2009 तक भारत निर्माण (ग्रामीण सड़क घटक) के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों को योजना के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के कार्य में तेजी लाने के लिए अपनी संस्थागत तथा संविदात्मक क्षमता को बढ़ाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता लाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किये हैं। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया गया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत खुली निविदा तथा कार्य के आवंटन को आसान बनाने के लिए मानक बोली दस्तावेज बनाए गए हैं। राज्यों में संविदात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए मानक बोली दस्तावेज में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत समय पर निगरानी करने के लिए वेब आधारित ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली (www.omms.nic.in तथा www.pmgsyonline.nic.in) बनाई गई है। निगरानी प्रणाली में सड़क संपर्क की स्थिति, वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति, लेखा तथा गुणवत्ता निगरानी इत्यादि शामिल है। कार्यक्रम कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समग्र डाटा बेस को नागरिक क्षेत्र में डाला गया है।

लाभान्वित बसावटों में प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड लगाये जाते हैं जिसमें खड़ंजे की प्रत्येक परत में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा का उल्लेख होता है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को कारगर बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को हाल ही में यह सलाह दी गई है कि वे माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायकों तथा पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों का संयुक्त निरीक्षण कराएं। की गई व्यवस्था के अनुसार, अंचल/क्षेत्र के संबंधित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 6 महीने में एक बार अंचल/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद तथा जिला प्रमुख से अनुरोध करेंगे कि वे संयुक्त निरीक्षण के लिए कोई भी पीएमजीएसवाई परियोजना/परियोजनाएं चुन लें। संयुक्त निरीक्षण का समय माननीय सांसद/जिला प्रमुख की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। प्रभाग के प्रभारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 6 महीने में एक बार माननीय विधायक/मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी इच्छा तथा अपनी सुविधा के अनुसार पीएमजीएसवाई परियोजना/परियोजनाओं का संयुक्त निरीक्षण करें। इसी प्रकार, उप प्रभाग का असिस्टेंट इंजीनियर दो महीने में एक बार संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से उसकी सुविधानुसार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी पीएमजीएसवाई परियोजना/परियोजनाओं के चयन का अनुरोध करेगा।

ग्रामीण आवास

भारत निर्माण के अंतर्गत, 2005-06 से 2008-09 तक की चार वर्ष की अवधि में 60 लाख मकानों के निर्माण की योजना है। 2005 से 2008 तक (सितम्बर, 2007 तक) की अवधि के दौरान प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 36.81 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत निर्माण के पहले दो वर्षों के दौरान 29.74 लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 30.50 लाख मकानों का निर्माण किया गया था। तथापि, वर्ष 2007-08 के लिए बढ़े हुए केन्द्रीय आवंटन (4032.70 करोड़ रु.) को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के दौरान 21.27 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष केन्द्रीय अंश के रूप में 1993.84 करोड़ रु. रिलीज किये गये हैं तथा राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सितम्बर, 2007 तक 6.31 लाख मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे बीपीएल जनगणना, 2002 के जरिये निर्धारित बीपीएल परिवारों के अंकों के बढ़ते क्रम में बनाई गई सूची के आधार पर प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करें। राज्यों को ये दिशानिर्देश भी जारी किये गये हैं कि ग्राम पंचायत की दीवार पर स्थायी आईएवाई सूची प्रदर्शित की जाए, इसकी एक मुद्रित प्रति

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

प्रत्येक पंचायत के पास रखी जाए और जिले की वेबसाइट पर भी यह सूची डाली जाए। यह कार्रवाई एक समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गुजरात, पंजाब तथा नागालैंड ने प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया पूरी होने ही वाली है। कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डीआरडी एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की ऑन लाईन रिपोर्टिंग की प्रणाली शुरू की गई है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत निर्माण अवधि के दौरान, कवर न की गई 55,067 बसावटों, निचली श्रेणी में लौट आई लगभग 3.31 लाख बसावटों (पुनर्मूल्यांकित) को कवर किया जाना था और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में गुणवत्ता समस्या को दूर करना था। आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण दूर करने को प्राथमिकता दी गई है। भारत निर्माण के प्रथम दो वर्षों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वर्ष 2005-06 में कवर की जाने वाली 56,270 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में 97,215 बसावटें कवर की गई हैं। उसी तरह वर्ष 2006-07 में कवर की जाने वाली 73,120 बसावटों की तुलना में 1,07,350 बसावटें कवर की गई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 के दौरान जल गुणवत्ता समस्या हल करने के लिए परियोजनाओं के अंतर्गत 31,135 गुणवत्ता समस्या प्रभावित बसावटों की समस्या हल की गई है।

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार, समस्या दूर करने के लिए शेष बसावटों की संख्या इस प्रकार है: कवर न की गई 29,534 बसावटें, निचली श्रेणी में लौट आई 1,74,782 बसावटें और गुणवत्ता प्रभावित 166693 बसावटें हैं। इन शेष बसावटों को भारत निर्माण के अंतिम दो वर्षों के दौरान कवर करने/समस्या दूर करने का प्रस्ताव है। अंतिम दो वर्षों में प्रगति के मद्देनजर वर्ष 2007-08 के दौरान 1.55 लाख बसावटों को कवर करने की योजना है। वर्ष 2007-08 के प्रथम 6 महीनों के दौरान यह जानकारी दी गई है कि कवर न की गई 2982, निचली श्रेणी में लौट आई 23,645 और गुणवत्ता प्रभावित 3283 बसावटों को कवर किया गया है। इसके अलावा, गुणवत्ता प्रभावित 9210 बसावटों में जल गुणवत्ता की समस्या दूर करने के लिए कार्यान्वयन हेतु परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

भारत निर्माण के अंतर्गत, ग्रामीण पेयजल के लिए वित्तीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए औसतन वार्षिक आवंटन 2198 करोड़ रु. था। तथापि, वर्ष 2005-06 में भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल के लिए आवंटन को बढ़ाकर 4060 करोड़ रु. कर दिया गया था जिसे वर्ष 2006-07 में और बढ़ाकर 4560 करोड़ रु. कर दिया गया था। वर्ष 2007-08 में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए आवंटन को और बढ़ाकर 6500 करोड़ रु. कर दिया गया है जिसमें से 2991 करोड़ रु. खर्च किये गये हैं।

ग्रामीण समुदाय को आसानी से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सहज परीक्षण किटों का प्रयोग करके अपने पेयजल स्रोतों की स्वयं जांच कर सकें। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2006-07 में जल गुणवत्ता संबंधी संशोधित उप-मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि इस पर विशेष ध्यान दिया जा सके तथा भारत सरकार इसके लिए परियोजनावार निधियां देती है। निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑन लाइन रिपोर्ट देने की पद्धति शुरू की गई है जिसके द्वारा राज्य सरकारों को मासिक आधार पर वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की ऑन लाइन जानकारी देने और वार्षिक आधार पर बसावटवार आंकड़ों को अद्यतन बनाने को कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के अलावा हम इन क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 21.8% ग्रामीण बसावटों में स्वच्छता सुविधाएं थीं जो कि अब बढ़कर 48.51% हो गई हैं। सरकार ने वर्ष 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई है। विगत 2 वर्षों के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 2.20 लाख विद्यालय शौचालय बनाने के अलावा अलग-अलग परिवारों के लिए 195.39 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। चालू वर्ष अर्थात 2007-08 के दौरान अलग-अलग परिवारों के लिए 51.17 लाख से अधिक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2005 से निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। वर्ष 2005 में 40 पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया था जो वर्ष 2006 में बढ़कर 770 और वर्ष 2007 में लगभग 5000 हो गई। विगत 2 वर्षों में इस कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां देश की इन उपलब्धियों की सराहना कर रही हैं।

अपराह्न 12.18½ बजे

(चार) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) (मांग सं. 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 81वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं अपने सहयोगी, श्री अश्विनी कुमार की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग 2 के द्वारा जारी की गई लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य व्यवहार नियमावली के नियम 389 (नया निदेश 73-क) के उपबंधों के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश पर, वाणिज्य पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 81वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन, शुद्धिपत्र सहित की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

वाणिज्य पर स्थायी समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वर्ष 2007-08 की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी इक्कासीवीं रिपोर्ट 3 मई, 2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत की, तथा यह रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 3 मई, 2007 को ही रखी गई थी। इस रिपोर्ट में पचपन सिफारिशें हैं।

समिति की सभी पचपन सिफारिशों पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में विचार किया गया है। समिति द्वारा जिन कार्यवाहियों की सिफारिश की गई हैं वे या तो पहले ही की जा चुकी हैं या आरंभ कर दी गई हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दी गई हैं।

अपराह्न 12.19 बजे

(पांच) रत्नों और आभूषणों के निर्यात के बारे में पचपनवें प्रतिवेदन में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 73वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

"रत्न एवं आभूषणों के निर्यात" संबंधी 55वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार का उत्तर प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 73वीं रिपोर्ट में और 8 और सिफारिशें/अभ्युक्तियां दी गई हैं। 55वीं रिपोर्ट के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणी 2 मई, 2003 को सभा पटल पर रख दी गई थी। 55वीं रिपोर्ट के संबंध में 3 सिफारिशें/अभ्युक्तियां लंबित हैं जिन पर सरकार का उत्तर प्रस्तुत किया जाना है। इस प्रकार, कुल 11 सिफारिशें/अभ्युक्तियां हैं। 9 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी हैं और शेष 2 सिफारिशों पर कार्रवाई जारी है। उपर्युक्त के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट अनुबंध में दी गई है।

अपराह्न 12.19½ बजे

(छह) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कार्यचालन के बारे में वाणिज्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 67वीं रिपोर्ट में सात सिफारिशें की हैं। पांच, सिफारिशों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है और शेष दो सिफारिशों के बारे में अभी कार्यवाही पूरी की जानी है।

अपराह्न 12.20 बजे

(सात) 'इंडिया एंड द सिक्सथ मिनिस्टीरयल कांफ्रेंस" के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7399/07।

+सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7400/07।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7401/07।

+सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7402/07।

[श्री जयराम रमेश]

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ''भारत एवं छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन'' विषयक अपनी 75वीं रिपोर्ट में 26 टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्य रूप से दिसम्बर, 2005 में हांगकांग में आयोजित डब्ल्यूटीओ के छटे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में थीं। इन अभ्युक्तियों/सिफारिशों से सरकार को दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं में अपनी कार्यनीति को सुदृढ़ करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। ये वार्ताएं अभी भी चल रही हैं और इस समय निर्णायक चरण में हैं। वार्ताओं का परिणाम डब्ल्यूटीओ के समस्त सदस्य देशों द्वारा अंतिम रूप से सहमत बिंदुओं पर निर्भर होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मद सं. 17 अर्थात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आता हूं। योगी आदित्यनाथ।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, असम मुद्दे का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, सभा में कुछ नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन हमें इसके लिए केवल उचित समय निकालना है। आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जब भी समय निर्धारित करेंगे, माननीय गृह मंत्री सभा में उपस्थित होंगे। लेकिन अभी वे अन्य सभा में किसी कार्यवाही में व्यस्त हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय गृह मंत्री को अनुमति दे दी है क्योंकि दूसरी सभा है और उन्हें दूसरी सभा की कार्यवाही पर भी ध्यान देना है। अन्यथा माननीय सदस्यगण वहां उत्तेजित होंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं समझता हूं कि जब आदिवासियों को निर्दयतापूर्वक उत्पीड़ित किया जा रहा था तथा राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जाति के लोगों को पीटा जा रहा था तो देश के जनजाति समुदाय की रक्षा में एक आवाज आनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, इसका बहुत गलत संदेश गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय सदस्य योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, इस प्रवृत्ति पर मुझे कड़ी आपत्ति है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ, क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां शुरू करेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों के अतिरिक्त एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ, यदि आप शुरू नहीं करेंगे तो मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू: वे पूर्वोत्तर को इतना कम महत्व क्यों देते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रिजीजू, यह बहुत गलत है। अब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं पुन: यह दोहरा रहा हूं कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इच्छुक हैं, लेकिन इसके लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री रिजीजू यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो गया है? मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा परन्तु अभी नहीं।

श्री कीरेन रिजीजू: आपको आज ही चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय को दोनों सदनों में जाना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। मैं इस प्रकार की किसी भी बात को सहन नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सरकार चर्चा कराने पर सहमत हो गई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय श्री कीरेन रिजीजू आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.32 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 17 लेगी। योगी आदित्यनाथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 1.32$^{1}/_{2}$ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) देश में मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7403/07।

[योगी आदित्यनाथ]

निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में एनसेफलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, यह एक लंबा वक्तव्य है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

जापानी एन्सेफलाइटिस के कारण होने वाला मस्तिष्क ज्वर एक वायरस से होता है और यह मच्छरों के जरिये संचारित होता है। जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस के मुख्य रिजर्वायर सूअर और जल पक्षी हैं और अपने प्राकृतिक चक्र में इन जानवरों में वायरस होता है। मनुष्य इसका एक आकस्मिक परपोषी (होस्ट) है और यह जापानी एन्सेफलाइटिस संचरण में भूमिका नहीं निभाता है।

जापानी एन्सेफलाइटिस एक चक्रीय रूझान वाला और मौसमी प्रकोप-प्रवण वाइरल संक्रमण है। इससे अधिकांशत: 15 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे ग्रस्त होते हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2006 के दौरान देश के 10 राज्यों से संदिग्ध जापानी एन्सेफलाइटिस के 2842 रोगियों तथा 658 मौतों की सूचना मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस रोग के रोगियों और इस रोग से हुई मौतों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

जबकि इस रोग का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, शुरू में संलाक्षणिक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जापानी एन्सेफलाइटिस और अन्य वायरल एन्सेफलाइटिस के मामले में अत्यधिक बीमार बच्चों का प्रबंधन मौतों के जोखिम और अन्य जटिलताओं को कम से कम करने के लिए निदेशित किया जाता है। तथापि, इस रोग की रोकथाम के लिए विभिन्न जन स्वास्थ्य उपायों जैसे मच्छरों का नियंत्रण, मच्छरदानी का इस्तेमाल करके मच्छरों के काटने से बचाव, बचाव वाले वस्त्र पहनना और जापानी एन्सेफलाइटिस के सूअर-जानवर रिजर्वायर को मानव निवास स्थान से दूर रखने की हिमायत की जाती है।

भारत सरकार द्वारा 2006 के दौरान देश के सभी जे.ई. स्थानिकमारी वाले जिलों में 1 से 15 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से जे.ई. टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। वर्ष 2006 के दौरान चार राज्यों के ग्यारह जिलों में जे.ई. टीकाकरण किया गया था। ये जिले थे-उत्तर प्रदेश के कुसीनगर, देवरिया, महाराजगंज, लखीमपुर खेड़ी और गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर, असम के डिब्रूगढ़ और शिवसागर, कर्नाटक का बेल्लारी और पश्चिम बंगाल का बर्दवान जिला।

जे.ई. अभियान के लिए 2006 में चेंगडु इंस्टीट्यूट आफ बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स, चीन से जे.ई. वैकसीन (एसए 14-14-2) की कुल 13.5 मिलियन खुराकों का आयात किया गया था। 1 से 15 वर्ष के बीच की आयु के कुल 9.3 मिलियन बच्चों (88.39 प्रतिशत कवरेज) का टीकाकरण किया गया था। जिलावार वैक्सीन कवरेज रिपोर्ट अनुबंध-II में दी गई है। अब इस वैक्सीन को नए जन्मे बच्चों को कवर करने के लिए अभियान वाले जिलों में नेमी रोग प्रतिरक्षण में शुरू किया गया है।

वर्ष 2007 में देश के 10 राज्यों के जे.ई. स्थानिकमारी वाले 28 अतिरिक्त जिलों को जापानी एंसेफलाइटिस टीकाकरण के लिए लक्षित किया गया है। ये हैं-असम में जोरहाट तथा गोलाघाट; हरियाणा में करनाल तथा कुरुक्षेत्र; पश्चिम बंगाल में बीरभूम; उत्तर प्रदेश में बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बाँदा, मऊ, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर तथा श्रावस्ती; महाराष्ट्र में अमरावती, नागपुर (ग्रामीण) तथा भंडारा; कर्नाटक में रायचूर तथा कोलार; तमिलनाडु में कुड्डलोर, विल्लुपुरा तथा विरुद्धनगर; आंध्र प्रदेश में वारंगल; केरल में एलेप्पी; तथा बिहार में मुजफ्फरपुर और चंपारण। सक्रिय तनुकृत जे.ई. वैक्सीन एसए 14-14-2 की 21.33 मिलियन खुराकों का चेंगडु इंस्टीट्यूट आफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स, चीन से आयात किया गया है।

अब तक असम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में क्रमश: 93, 88, 75, 97, 80, 57, 87 तथा 98 प्रतिशतता कवरेज के साथ यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जिलावार वैक्सीन कवरेज रिपोर्ट अनुबंध-III में दी गई है।

भारत सरकार राज्यों को आवश्यकता आधारित सहायता तथा प्रकोप की जांच एवं नियंत्रण के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है जैसे कि:

* जापानी एंसेफलाइटिस रोगियों का उपचार करने के लिए अनिवार्य औषधें एवं उपभोज्य सामग्री।
* चिकित्सा उपकरण अर्थात् वेंटिलेटर एवं एलिसा रीडर।

* जे.ई. नैदानिक किटें।
* वैयक्तिक बचाव के लिए मच्छरदानियां।
* मलाथियन (तकनीकी) और हस्तचालित फागिंग मशीन।
* मच्छरदानियां तथा मच्छरदानियों के संसेचन के लिए सिंथेटिक पायरेथ्रायड-इंसेक्टिसाइड लिक्विड।
* मच्छर के पैदा होने को नियंत्रित करने के लिए लार्वानाशक।

अनुबंध 4 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उत्तर प्रदेश को आपूर्तियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2006 के दौरान उत्तर प्रदेश में जापानी एंसेफलाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई:

* जापानी एंसेफलाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नियंत्रक कार्यनीतियों को संशोधित करने हेतु 21-22 मार्च, 2006 को जापानी एंसेफलाइटिस पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई।
* राज्यों को जापानी एंसेफलाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश तथा परामर्श 28 अप्रैल, 2006 को भेजे गये थे।
* रोग उपचार में पेरिफेरल डाक्टरों के कौशल को बेहतर करने तथा जापानी एंसेफलाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के क्लिनिशियनों/चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बी आर डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 12-13 जून, 2006 को आयोजित किया गया।
* विभिन्न जे.ई. स्थानिकमारी वाले जिलों के 34 क्लिनिशियनों को प्रशिक्षित किया गया है।
* बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में वैक्टरजनित रोग निगरानी केन्द्र स्थापित किया गया है।
* भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सात जिलों में एक से पन्द्रह वर्ष के बीच की उम्र के बच्चों के लिए सक्रिय तनुकृत एसए-14-14-2 वैक्सीन के साथ एक जे.ई. टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया।

2007 के दौरान की गई कार्रवाई

1. स्थिति की गहन मानीटरिंग करने तथा जापानी एंसेफलाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, लखनऊ का एक उप कार्यालय स्थापित किया गया है।
2. मार्च 20-21, 2007 को दिल्ली में तीव्र एंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) जापानी इंसेफलाइटिस (जे.ई.) की निगरानी के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई।
3. बंगलौर (कर्नाटक) में 26-27 मार्च, 2007 को एईएस, जे.ई. की निगरानी के संबंध में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
4. पूर्वी उत्तर प्रदेश में जे.ई. के लिए निगरानी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए 3.5.2007 को नई दिल्ली में डा. शिवलाल, अपर महानिदेशक एवं निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई।
5. पूर्वी उत्तर प्रदेश में जे.ई. के लिए निगरानी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए 5.7.2007 को दिल्ली में डा. शिव लाल, अपर महानिदेशक एवं निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की अध्यक्षता में एक अन्य बैठक की गई।
6. तंत्रिका विज्ञानी, जानपदिकरोग विज्ञानी, सूक्ष्मजीवविज्ञानी तथा कीट विज्ञानी की बहुविषयक केन्द्रीय टीम अगस्त, 2007 से जिलों का दौरा करती आ रही है।
7. निगरानी तथा प्रयोगशाला सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता पर चर्चा करने के लिए अगस्त, 2007 में निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की अध्यक्षता में दिल्ली में विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई।
8. अपर महानिदेशक एवं निदेशक, एनआईसीडी सभी संबंधित अधिकारियों/विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित करके उत्तर प्रदेश में जे.ई. की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं।
9. सभी जे.ई. स्थानिकमारी वाले जिलों में त्वरित अनुक्रिया दल गठित किये गये हैं।

अनुबंध I

पिछले तीन वर्षों के दौरान संदिग्ध जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण हुए राज्य-वार रोगी और मौतें

क्र.सं.	प्रभावित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2004		2005		2006		2007 (23.11.2007 को)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7	3	34	0	11	0	1	0
2.	असम	235	64	145	52	392	119	424	133
3.	बिहार	85	28	192	64	21	3	0	0
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	17	0	6	0	1	0	0	0
6.	गोवा	0	0	4	0	0	0	55	0
7.	हरियाणा	37	27	46	39	2	1	12	3
8.	कर्नाटक	181	6	122	10	73	3	7	1
9.	केरल	9	1	1	0	3	3	0	0
10.	महाराष्ट्र	22	0	51	0	1	0	0	0
11.	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	46	0
12.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	तमिलनाडु	88	9	51	11	18	1	23	0
14.	उत्तर प्रदेश	1030	228	6061+	1500+	2320#	528#	2770*	558*
15.	पश्चिम बंगाल	3	1	12	6	0	0	0	0
	कुल	1714	367	6727	1682	2842	658	3345	695

+बिहार से 448 रोगियों और 109 मौतों और नेपाल से 31 रोगियों और 4 मौतों तथा मध्य प्रदेश से 1 रोगी और शून्य मौतों सहित-बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सूचित।

#बिहार से 237 रोगियों और 51 मौतों और नेपाल से 10 रोगियों और 1 मौत सहित-बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सूचित।

*बिहार से 304 रोगियों और 55 मौतों तथा नेपाल से 16 रोगियों और 55 मौतों सहित-बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सूचित।

अनुबंध II

वर्ष 2006 के दौरान 4 राज्यों (एसए 14-14-2 वैक्सीन) में जापानी एंसेफेलाइटिस वैक्सीनेशनल अभियान

क्र.सं.	राज्य/जिलों के नाम	लक्ष्य (1-15 वर्ष)	वैक्सीन लगाये गये बच्चों की कुल संख्या	कवरेज प्रतिशतता
1.	असम			
	डिब्रूगढ़	409611	370653	90.49
	सिवसागर	372356	276487	74.25
	कुल (असम)	781967	647140	82.76
2.	पश्चिम बंगाल			
	बर्दवान	2190690	1229404	56.12
3.	कर्नाटक			
	बेल्लरी	720517	595648	82.67
4.	उत्तर प्रदेश			
	गोरखपुर	1390307	1349047	97.03
	देवरिया	1074219	1072683	99.86
	कुशीनगर	1095877	1085055	99.01
	महाराजगंज	776500	806996	103.93
	खेड़ी	1183481	1218364	102.95
	संत कबीर नगर	542062	511417	94.35
	सिद्धार्थ नगर	775934	792944	102.19
	कुल (उत्तर प्रदेश)	6838380	6836506	99.97

अनुबंध III

भारत: जे.ई. टीकाकरण 2007 (जिलावार आंकड़े)

	राज्य	जिला	समय-सीमा		कवरेज		
			अभियान की तारीख	अभियान की स्थिति	लक्षित जनसंख्या (1-15 वर्ष)	कवर किये गये बच्चों की कुल संख्या	कवरेज %
	1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	27.5.2007	पूरा हो गया	764068	741354	97
2.		बहराइच	27.5.2007	पूरा हो गया	990327	992254	100

1	2	3	4	5	6	7
3.	बलरामपुर	27.5.2007	पूरा हो गया	623020	622963	100
4.	बाराबंकी	27.5.2007	पूरा हो गया	1074154	1063815	99
5.	बस्ती	27.5.2007	पूरा हो गया	774322	750262	97
6.	गोंडा	27.5.2007	पूरा हो गया	1040501	1045957	101
7.	मऊ	27.5.2007	पूरा हो गया	719800	691341	96
8.	रायबरेली	27.5.2007	पूरा हो गया	1058987	1029154	97
9.	सहारनपुर	27.5.2007	पूरा हो गया	1056185	923246	87
10.	सीतापुर	27.5.2007	पूरा हो गया	10385606	1312326	95
11.	श्रावस्ती	27.5.2007	पूरा हो गया	331903	326485	98
			कुल उत्तर प्रदेश	9818873	9499157	97
12. आंध्र प्रदेश	वारंगल	2.7.2007	पूरा हो गया	984176	792061	80
13. महाराष्ट्र	अमरावती	9.7.2007	पूरा हो गया	895167	387784	43
14.	नागपुर ग्रामीण	9.7.2007	पूरा हो गया	736728	506479	69
15.	भंडारा	9.7.2007	पूरा हो गया	381981	259748	68
			कुल महाराष्ट्र	2013876	1154011	57
16. कर्नाटक	कोलार	9.7.2007	पूरा हो गया	798392	696722	87
17.	रायचुर	9.7.2007	पूरा हो गया	595975	516387	87
			कुल कर्नाटक	1394367	1213109	87
18. तमिलनाडु	विलुपुरम	24.7.2007	पूरा हो गया	757839	770833	102
19.	विरुद्धनगर	24.7.2007	पूरा हो गया	465953	412905	89
20.	कुड्डलोर	24.7.2007	पूरा हो गया	599339	595627	99
			कुल तमिलनाडु	1823131	1779365	98
21. केरल	एल्लेपी	जनवरी 2008	नियत	749974	0	0
22. बिहार	मुजफ्फरपुर	26.12.2007	नियत	1235466	0	0
23.	चंपारण पश्चिमी	26.12.2007	नियत	1004204	0	0
	कुल			18535783	16524990	89
	वैक्सीनीकृत					
	अखिल भारत			22022316	16441086	

अनुबंध IV

उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा रही सहायता

क्र.सं.	मद	मात्रा
1	2	3
1.	इंजेक्शन डायाजेपाम 2 मिली.	10,000
2.	इंजेक्शन फेनाट्वाइन सोडियम 50 एमजी/मिले.	10,000
3.	इंजेक्सन फेनोबार्बीटोन 200 एमजी	2,60,000
4.	आईवी फल्यूडस एनएस	1,50,000
5.	आईवी डेक्सट्रोज 10%	2,00,000
6.	आईवी फल्यूड रिंगर लैक्टेट	50,000
7.	आईवी मैनीटाल 100 एमएल	10,000
8.	आईवी मेनीटाल 350 एमएल	1,00,000
9.	इंजेक्शन सेफट्रीआक्सान सोडियम 250 एमजी	10,000
10.	इंजेक्शन केफोटैक्सिन	2,50,000
11.	इंजेक्सन एमेक्सीसीलन 250 एमजी	40,000
12.	इंजेक्शन पारासिटोमोल	40,000
13.	पेडियाट्रिक केनुला	10,000
14.	इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 4 एफएमजी/एमएल	1,05,000
15.	अम्बू बैग्स	54
16.	वेंटिलेटर्स	10
17.	कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स	10
18.	हैंड हेल्ड फोगिंग मशीन	100
19.	एलिसा रीडर विथ वासर	1
20.	सेमी आटोमेटेड क्लिनिकल कैमिकल एनालाइजर	1
21.	जेई डायग्नास्टिक किट्स	10
22.	स्टेरिलाइज्ड सिरिंजेज	10,00,000
23.	जेई वैक्सीन	5,00,000
24.	मैलाथियान टेकनिकल	86 एम.टी.
25.	मैलाथियान 25% डब्ल्यूडीपी	2800 एम.टी.*
26.	टेमोफोस	5000 ली.
27.	सिंथेटिक पाइरेथ्राइड (तरल)	2200 ली.
28.	बेड नेट्स	4,20,000

*जापानी एंसेफेलाइटिस प्रकोप नियंत्रण के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 300 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई। वर्ष 2006-07 के दौरान 2500 मीट्रिक टन के शेष में से 2216 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है और 216 मीट्रिक टन की शेष मात्रा की आपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि किसी भी राष्ट्र के भविष्य का अंदाजा उस राष्ट्र के बचपन से लगाया जा सकता है। जिस देश का बचपन ही रो रहा हो, रोग-शोक से संतप्त हो, उस राष्ट्र के भविष्य के बारे में हम लोग कितने निश्चिंत हो सकते हैं, आज यह संभवत: विभिन्न प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से मरने वाला मासूम देश के इस उच्च सदन से पूछ रहा है। महोदय, मैं जापानी एनसेफलाइटिस के बारे में बात कर रहा हूं। इसे देश के अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा देश के विभिन्न भागों में यह बीमारी आई थी। उससे पहले जापान, कोरिया और थाईलैंड जैसे देशों में यह बीमारी थी। उन लोगों ने इस बीमारी का उपचार ही नहीं बल्कि इसका उन्मूलन भी किया। देश के अंदर तमिलनाडु आदि राज्यों ने भी इस पर लगभग नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन पिछले 30 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे जुड़ा हुआ आस-पास का क्षेत्र, इस जापानी एनसेफलाइटिस से अभिशप्त होकर इस पीड़ा को झेल रहा है।

महोदय, पिछले 30 वर्षों में तीस हजार से अधिक मासूम बच्चे असमय इस बीमारी की चपेट में आ कर कालकवलित हुए हैं। लगभग इतने ही मासूम बच्चे इस बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगता के शिकार हो कर अपनी जवानी में किसी सरीसृप की तरह रेंग रहे हैं। मैं इस सदन को, खास कर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वर्ष 2005 में जब मैंने सदन में इस मुद्दे को सदन में उठाया था, पहली बार इस मुद्दे पर गंभीरता को समझा। माननीय मंत्री जी चूंकि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हैं, इसलिए इसकी गंभीरता को इन्होंने

[योगी आदित्यनाथ]

समझा। वे स्वयं वर्ष 2005 में गोरखपुर गए थे। बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में जापानी इनसेफलाइटिस से तड़प-तड़प कर मरने वाले बच्चों की पीड़ी को मंत्री जी ने स्वयं देखा। इसके बाद पहली बार भारत सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कि जापानी इनसेफलाइटिस से कितनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है।

महोदय, लगभग तीन करोड़ आबादी के बीच में एक मात्र बी.आर.डी. मेडिकल कालेज है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की तराई का बहुत बड़ा भूभाग बी.आर.डी. मेडिकल कालेज पर अपनी चिकित्सा सुविधा के लिए निर्भर करता है। मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इस पीड़ा को समझा था। हमारे द्वारा सदन में बार-बार इस विषय को उठाने पर मंत्री जी ने कुछ व्यवस्था भी की थी। चार लाख मच्छरदानियां उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई थीं। मुफ्त में दवा मेलाथियन आदि छिड़काव की व्यवस्था भी कराई थी। वर्ष 2006 में टीकाकरण की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन कहीं न कहीं प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार में आपसी समन्वय की कमी के कारण इस वर्ष भी बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में 500 से अधिक मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि इस वर्ष के अंदर 2770 बच्चे भर्ती हुए हैं और 558 मौतें अब तक अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। अगर पूरे देश के अंदर देखें तो 3345 बच्चे इस बीमारी के भर्ती हुए और इनमें से .695 बच्चों की मौत हुई है। वर्ष 2005 में बहुत भयावह रूप इस बीमारी का था। अकेले बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में वर्ष 2005 में 1500 बच्चों की मौतें हुई थीं। वर्ष 2006 में 528 बच्चों की मौतें हुई थीं और लगातार यह बीमारी अपना फैलाव करती जा रही है। पहले यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर थी। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और कुछ पश्चिमी बिहार तथा नेपाल की तराई में यह बीमारी थी। बाद में यह बीमारी फैलती गई, बस्ती मंडल इसकी चपेट में आया और देखते-देखते उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 26-27 जनपद इस बीमारी की चपेट में आते हैं। इस समय भी इस बीमारी के मरीज बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में आ रहे हैं, लेकिन कालेज में सीमित संसाधन हैं।

माननीय मंत्री जी गोरखपुर गए थे। आपने वहां पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की थी। आपने वहां वायरोलॉजी सैंटर के लिए व्यवस्था की थी, जो बाद में खुला भी। आपने वहां एपेडमिक वार्ड भी खोला। लेकिन केवल भवन बना कर खड़ा कर देने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि वायरोलॉजी सेंटर गोरखपुर में बन कर तैयार हो चुका है, लेकिन वहां स्टाफ तैनात नहीं हुआ है। एपेडमिक वार्ड वहां बना है, लेकिन वहां भी अब तक स्टाफ नियुक्त नहीं हुआ है। इस बार भी सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि 550 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में हुई हैं, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के भरोसे ऐसी विषाणुजनित बीमारियों से नहीं लड़ा जा सकता है। हमें जापानी इनसेफलाइटिस बीमारी से लड़ना है, तो इसे नेशनल प्रोग्राम में शामिल करें और इस बीमारी की सारी व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले। अन्यथा जिस प्रकार से पिछले तीस वर्षों तक प्रदेश सरकारें सोई हुई थी आज भी उनकी निद्रा में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल आंकड़ों को बदला जाता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोई आंकड़े देता है तो सासन द्वारा उनको वहां पर प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि आप यह तथ्य क्यों दे रहे हैं? एन्सेफलाइटिस से लोग मर रहे हैं। यानि आंकड़ों को गलत बता कर एक भयावह बीमारी को गलत बता कर गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कालेज के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय प्रशासन और शासन द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसे आप देखिए। जब तक भारत सरकार का इसमें पुरजोर हस्तक्षेप नहीं होगा, भारत सरकार जब तक अपने नेसनल प्रोग्राम में इसे नहीं लेगी तब तक इस भयावह बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके पहले जो जे.ई. वायरस होता था, उससे जापानी एन्सेफलाइटिस फैलता था। पिछले 2-3 वर्षों से प्रदूषित जल के प्रयोग से ट्रैंड बदला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी मिलें लगीं। कोई ट्रीटमैंट प्लान न होने के कारण चीनी मिलों का कचरा नदियों, नालों, पोखरों और खेतों में फेंका जाता है। उसका परिणाम है कि एक नया एम्परो नाम का वायरस आया। पिछले 2-3 वर्षों से प्रदूषित जल ने अपना प्रभाव दिखाया। वहां ज्यादा मौतें इस नए वायरस से हुई। आपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब कार्य भार संभाला, उसके बाद भी इस मुद्दे को सदन में उठाया गया था। उस समय भी टीकाकरण की मांग की गई थी। स्वाभाविक रूप में भारत में जो टीका की पद्धति थी, वह माउस कल्चर की थी और बहुत कम टीके लगभग चार लाख टीके ही वर्ष में भारत में उपलब्ध होते थे। आपने बाहर से टीके आयात किये लेकिन जब तक इस टीकाकरण को पल्स पोलियो की तर्ज पर नहीं लगाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। राज्य सरकार की मशीनरी आंकड़े कम करके दिखा रही है। वह आंकड़े दिखा कर बताना चाहती हैं कि बीमारी है ही नहीं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दृश्य बताता है कि बीमारी कितनी भयावह है। इस बीमारी को बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में देखा जा सकता है। बीआरडी मेडिकल कालेज

में वे मरीज आते हैं जिनके पास गांव से चल कर शहर में आने की क्षमता है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जो शहर में नहीं आ सकते। उनको शहर का भय है। शहर में उनके साथ जैसा व्यवहार होता है, उसका भी भय है और शहर में मेडिकल कालेज में उनको भर्ती किया जाएगा या नहीं, इसका भी भय है। इसके लिए कहीं भी राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं हैं। किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, किसी भी जिला चिकित्सालय में इसकी व्यवस्था नहीं है। आखिर जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी के उपचार की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं हो पायी है, अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज कितने मरीजों को वहां एडमिट करेगा, कितने मरीजों का उपचार करेगा इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बीमारी के केवल उपचार के लिए नहीं बल्कि इस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए और उस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए, मैं उसके संबंध में अनुरोध करना चाहता हूं। एक तो पल्स पोलियो की तर्ज पर टीकाकरण की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? मुझे मालूम है कि वर्ष 2006-07 में वहां टीकाकरण हुआ था। टीकाकरण फरवरी-मार्च में होता तो उसके प्रभाव के आने में 3-4 महीने लगते और वह मई-जून तक प्रभाव में आता। जून के बाद जब मानसून आता है, मानसून के बाद बीमारी फैलती है तो वह अपने प्रभाव को रोक पाता लेकिन वहां टीकाकरण जून महीने के बाद हुआ था। स्वाभाविक रूप से वह उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया जितना प्रभावी टीकाकरण की व्यवस्था को होना चाहिए था। दूसरा, वहां टीकाकरण का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ। आंकड़े दिये गये कि वहां 90, 95, 97 और 98 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है। मैं मानता हूं कि यह वही आकड़े हैं जो आंकड़े अधिकतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये जाते हैं कि मरीज ही नहीं हैं, आंकड़ों को ही समाप्त कर दो जिससे दिखायी दे कि मरीज ही नहीं है। पल्स पोलिया का जिस तरह से प्रचार-प्रसार होता है और जगह-जगह बूथ लगाते हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, पल्स पोलियो की तर्ज पर टीकाकरण के लिए भारत सरकार इस संबंध में क्या व्यवस्था करने जा रही है? अगर कहीं पर यह बीमारी फैलती है तो क्यूलेक्स नाम के मच्छर उसके लावा को मारने के लिए है। आपने छिड़काव पर्याप्त मात्रा में करने की बात कही थी, फागिंग मशीनें उपलब्ध कराने की बात कही थी। आपने वहां छिड़काव के लिए क्या व्यवस्था की? क्या भारत सरकार मलेरिया उन्मूलन की तर्ज पर वह मच्छर जो जापानी एन्सेफलाइटिस को फैलाता है, उसे समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था फिर से प्रारम्भ करेगा?

क्या भारत सरकार साफ-सफाई की जागरूकता और प्रशिक्षण अभियान के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कोई योजना प्रारंभ करेगी? इस बार वहां जो एनसेफेलाइटिस के मरीज देखे गये हैं, क्योंकि यह बीमारी अधिकतर अशुद्ध जल के सेवन से हुई है और अशुद्ध जल इसका कारण रहा है। इसलिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में क्या भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ चाहे गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़ कमिश्नरी हो या पूर्वोत्तर बिहार या नेपाल की तराई का भाग हो, बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस बीमारी के उपचार का एकमात्र केन्द्र है। क्या केन्द्र सरकार वहां पर सामान्य स्तर पर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों में इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय करेगी? मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, अगर इस बीमारी का समय से उपचार हो गया, तो ठीक है अगर समय पर उपचार नहीं होता है तो दो ही अंजाम होते हैं या तो वह बच्चा मर जाता है या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास की कोई योजना न तो केन्द्र सरकार के द्वारा और न राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। क्या भारत सरकार इन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने जा रही है? वायरोलोजी सेंटर, जो गोरखपुर में बनकर तैयार है, वहां अब तक स्टाफ नियुक्त नहीं है, आखिर एक भवन खड़ा करने से समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है? माननीय मंत्री जी और केन्द्र सरकार वायरोलोजी सेंटर में स्टाफ की तैनाती के बारे में क्या करने जा रहे हैं? एपिडेमिक वार्ड, गोरखपुर में बनकर तैयार है, उसमें स्टाफ और आवश्यक उपकरण के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

मैं अंतिम प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण केन्द्र है, वहां राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे की तर्ज पर कोई सेंटर खोलने के लिए क्या केन्द्र सरकार अपनी ओर से आवश्यक पहल करेगी?

मैंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? क्या इस बीमारी के उन्मूलन के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हालांकि नियम मुझे अनुमति नहीं देता है कि मैं किसी माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दूं परन्तु चूंकि दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने

[उपाध्यक्ष महोदय]

के लिए मुझसे अनुरोध किया है। अत: विशेष मामले के रूप में मैं उन्हें इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। आप भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रश्न उठाए हैं। यह बात सत्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में एनसेफेलाइटस बीमारी है और इसके बारे में इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसका कोई ठोस उपाय या बीमारी के ठोस कारण पता चलें और यहां से केन्द्रीय दल जाए। इसके साथ यह मांग की गई है कि जिस तरह से पोलियो के उन्मूलन के लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर रहे हैं उसी तरह से एनसेफेलाइटिस से छुटकारा पाने के लिए केन्द्रीय दल भेजकर सर्वे कराकर कोई ऐसी व्यवस्था कराएं क्योंकि जो बीमारी फैल रही है, इसमें दिमागी बुखार आता है और मरीज बिल्कुल विकलांग हो जाता है किसी लायक नहीं रहता है और यह बच्चों और बड़ों में भी हो रहा है। क्या आप इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री मोहन सिंह (देवरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बीमारी के सिलसिले में केन्द्रीय दल तो कई बार जा चुका है। पहली बार 1977 में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार इस बीमारी का पता चला, उस जमाने में कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री थे। तब उत्तर प्रदेश के डॉक्टर इसे ढूंढ़ नहीं पाए थे कि यह कौन सी बीमारी है, तब श्री राजनारायण जी, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय कुछ डॉक्टरों ने कहा कि यह जापानी बुखार हो सकता है, तब जापान के विशेषज्ञों की टीम आई और इस बात को तसदीद किया गया कि यह जापानी बुखार है।

उपाध्यक्ष जी, पिछले 30 सालों से हर साल इस पर चिन्ता तब प्रकट की जाती है जब इस बीमारी से सैकड़ों लोग, खासकर बरसात के दिनों में काल-कलवित हो जाते हैं, शासन और प्रसासन का ध्यान इस ओर जाता है। इस साल मैडिकल कालेज, गोरखपुर में करीब 550 लोग काल-कलवित हुये और डेढ़ हजार लोग विकलांग हुए। यह तो केवल मैडिकल कालेज, गोरखपुर की सूचना है। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग, जो बीमारी की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते या अस्पताल पहुंचने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, ऐसे हजारों लोग मर गये। अधिकतर गरीब आदमी इस बीमारी का शिकार होता है। स्वामी जी ने जितनी सारी बातें कही हैं, हम उनसे अपनी सहमति प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल एक पद्धति चलाई थी कि जो लोग इस बीमारी से काल-कलवित होंगे, उन्हें मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपया और जो विकलांग होंगे, उनकी विकलांगता के आधार पर 25 या 50 हजार रुपया दिया जायेगा। यह स्कीम इस साल खत्म हो गई है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वर्ष 2005 में गोरखपुर का दौरा किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर डाक्टरों की सलाह पर इस बीमारी पर काबू पाने की योजना बनाई गई लेकिन इसका प्रीवेंटिव इलाज नहीं है जिस कारण बड़े सीमित पैमाने पर इस बीमारी को पकड़ पाते हैं और उसमें भी 5-10 प्रतिशत लोग ही बच पाते हैं। जैसा स्वामी जी ने कहा है कि इस बीमारी के प्रीवैंटिव इलाज के लिए खास टीकाकरण की व्यवस्था की जाये। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया था या एड्स की रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारी लेती है, उसी प्रकार एनसेफलाइटिस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने पैसे से यह जिम्मेदारी भारत सरकार ले और इससे गरीब लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठाये?

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष जी, हमें भी मौका दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपने कोई नोटिस दिया है? बहुत से अन्य सदस्य हैं जो कोई नोटिस दिये बगैर बोलना चाहते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए माननीय सदस्य, योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करता हूं। हम स्वीकार करते हैं कि यह न केवल उत्तर प्रदेश अपितु बिहार और असम से भी संबंधित समस्या है। कुछ राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर जापानी एनसेफलाइटिस रोग फैला है। हमने ''नेशनल वेक्टर बोर्न डीजिज कंट्रोल प्रोग्राम'' बनाया है जिसके तहत हमने मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी एनसिफेलटिस, डेंगू, काला आजार को श्रेणीबद्ध किया है और हाल ही में चिकनगुनिया को भी इसी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसलिए इन रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है।

जैसाकि माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह ने कहा है उत्तर प्रदेश की समस्या का कारण निवारक उपायों की कमी है। जापानी एनसिफेलाइटिस का कोई इलाज नहीं है। आप इसका 'पैलिएटिव'

इलाज कर सकते हैं। भोले-भाले और छोटे बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। जब वर्ष 2005 में यह रोग फैला तो मैं वहां पर था। मैंने स्वयं वहां की स्थिति देखी। अधिकांश रोगी बच्चे थे और वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के थे। उनके लिए समस्या यह है कि यह रोग वाडरल (विषाणु) रोग है। इस रोग का वाहक एक मच्छर है जिसे क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं और यह सूअरों और पक्षियों में पाया जाता है। परन्तु, उत्तर प्रदेश में अधिकांशत: यह सूअरों में पाया जाता है। ये रोगी सूअरों के साथ रहते हैं। सूअर बाड़े उनके घर में, उनके घर के आसपास और उनके घर के पिछवाड़े में होते हैं। अत: यह मुख्य समस्या है। जब तक सूअर बाड़े गांव में और उनके बीच रहेंगे तो हम इस रोग का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। मुख्य तौर पर यह स्वच्छता और सफाई की समस्या है। टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो ड्राप्स पिलाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में पोलियो के मामले पाये जाते हैं। यह समस्या भी सफाई की ही है। इस सफाई की समस्या से ही जापानी एनसिफैलाइटिस फैलता है।

हम बहुत से कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में दौरा करने के पश्चात् योगी आदित्यनाथ जान जाएंगे कि सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। मैंने विस्तृत उत्तर दिया है कि चिकित्सकीय उपकरणों की संख्या, केन्द्रों की संख्या तथा विषाणु विज्ञान केन्द्र शुरू करने के बारे में सरकार ने क्या किया है। हम इसके सन्निकिट है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें कुछ प्रशासनिक मामले अंतर्ग्रस्त है। हम आईसीएमआर का क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर अथवा गोरखपुर के आसपास स्थापित करेंगे। यह वचबद्धता है। दस वेंटिलेटरों में से हमने छह गोरखपुर मेडिकल कालेज को दिये हैं और शेष चार हमने विद्यमान अन्य जिला चिकित्सा मुख्यालयों को दिये हैं जहां प्रशिक्षित जनशक्ति है। गोरखपुर केन्द्र में माइक्रोबायोलाजिस्ट भी नहीं है। हमें माइक्रोबायोलाजिस्ट का वेतन देना पड़ता है। जो भी स्टाफ रोग निवारण और निगरानी कार्य में लगा हुआ है हम उसका वेतन देने के इच्छुक हैं। निश्चित रूप से हम जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हैं। हम राज्य सरकारों के साथ ताल-मेल कर रहे हैं। वास्तव में, हम इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों से तालमेल कर रहे है। हम उनके साथ मिलकर प्रसन्न होंगे। हम सहर्ष और आधारभूत संरचना प्रदान करेंगे। हम खुशी खुशी उन्हें सहायता देंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आधारभूत संरचना की स्थिति ठीक नहीं रही है। अत: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हम इन सभी केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला चिकित्सा मुख्यालयों का ग्रेड बढ़ा रहे हैं। हम यह प्रावधान करने का प्रयास करेंगे।

अब मैं टीकाकरण की बात पर आता हूं। जापानी एनसिफेलाइटिस के निवारक उपायों में से एक है मच्छर नियंत्रण, आदि के साथ साथ टीकाकरण। हमने सूचीबद्ध किया है कि हमने कितने बेड नेट प्रदान किये हैं और कितना मैलाथियान आदि जैसे रसायन इसमें शामिल हैं। परन्तु, यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने के समय की तीव्रता को कम नहीं कर पाएगा। देश के अन्य भागों में गैम्बोजिअन मछली पाई जाती है जो कि एकत्रित जल में रहती है परन्तु ये मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि चीनी मिलों से निकलने वाला मल सीवर में जाता है और इस मछली का प्रकोप ऐसे गंदे पानी में नहीं होगा।

महोदय, टीकाकरण मुद्दे के संबंध में पहले केवल सीआरआई, कसौली सीड्रेन टीके का विनिर्माण कर रहा था, परन्तु वह पांच लाख टीकों का प्रतिवर्ष विनिर्माण कर रहा था। परन्तु हमें करोड़ों टीकों की आवश्यकता है। अत:, उनकी इतनी क्षमता नहीं है। हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कि किसके पास हमें ये टीके आपूर्ति करने की क्षमता है। जापान ने उत्पादन बंद कर दिया है, कोरिया में बहुत कम उत्पादन होता है और चीन एकमात्र देश है जो हमें यह टीका प्रदान कर सकता है। हमने यह टीका चीन से प्राप्त किया है। आईसीएमआर ने उन पर एक सर्वेक्षण किया है। हम उनके अनुमोदन के लिए डब्ल्यूएचओ के पास गये। वे पूर्व अर्हक नहीं थे, परन्तु हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस टीके को छोड़कर जापानी एनसिफैलाइटिस के लिए समस्त विश्व में कोई अन्य टीका उपलब्ध नहीं था, इसलिए, हमें यह टीका लेना पड़ा। इस टीके का उपयोग चीन, नेपाल, कोरिया अथवा वियतनाम के भागों में किया जाता है, मैं इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हूं और अब भारत में हमने इसका उपयोग शुरू किया है।

महोदय, विगत वर्ष अर्थात् 2006 में एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 68 लाख बच्चों को टीके लगाये गये थे। उत्तरवर्ती वर्ष में, हालांकि अभी वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक 94 लाख बच्चों को टीके लगाये गये हैं। मेरे पास उन जिलों की संख्या है जिन्हें टीकाकरण हेतु चयनित किया गया है। टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2006 में सात जिलों, अधिक तीव्रता वाले जिलों को लिया गया; और वर्ष 2007 में ग्यारह जिलों को लिया गया है और वर्ष 2008 में नौ और जिलों को लिया जाएगा। कवरेज काफी अधिक रही है। इसकी कवरेज पोलियो टीकाकरण की तुलना में अधिक रही है क्योंकि लोग 1 से 15 वर्ष तक के अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए स्वैच्छिक तौर पर ला रहे थे। हम महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करेंगे परन्तु समस्या पुन: टीकाकरण की है। दूसरे टीके को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो से तीन वर्ष का समय लगेगा। इसका परीक्षण चल रहा है। आईसीएमआर इसको सहायता देने का प्रयास

[डा. अंबुमणि रामदास]

कर रहा है। अधिक चिंता की बात यह है कि बच्चे मर रहे हैं। वास्तव में विगत वर्ष जापानी एनसिफेलाइटस के साथ इंटिरो-वायरस का एक अन्य मामला था।

अपराह्न 2.00 बजे

जापानी एनसिफेलाइटिस के साथ इंटरो-वायरस भी इन निर्दोष बच्चों की मौत का कारण था। यह सब सफाई की व्यवस्था ठीक न होने के कारण हुआ। इस साल भी कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। काफी सारी टीमें भेजी गयी। मैं बार-बार टीमें भेज रहा हूं। वे वहां पर गये। इस मामले पर हमने बहुत परामर्श किया। आप उत्तर से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और आईसीएमआर द्वारा किये गये प्रयासों को देख सकते हैं। आईसीएमआर को विशेष रूप से बारीकियों और समस्याओं को जानने-समझने का कार्य सौंपा गया है। यदि जापानी एनसिफेलाइटिस से अन्य कोई रोग फैलता है तो इसे यह कार्य सौंपा गया है कि यह पता लगाए कि अन्य विषाणु कौन से हैं और उन पर कैसे काबू पाया जाए आदि। आईसीएमआर का सीडीसी, अटलांटा के साथ संबंध है। हमारे बहुत से संगठनों के साथ संबंध है और हम समस्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उस समस्या पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस मामले को लेकर बहुत चिंतित हैं। असम में यह रोग फैला और वहां भी काफी लोगों की मौत हुई है। हम इसके निवारण तथा नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे और हम न केवल गोरखपुर अपितु इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए और आधारभूत संरचना प्रदान करेंगे *...(व्यवधान)*

इस टीके की एक ही खुराक दी जाती है। 'शीप ब्रेन' के मामले में दी जाने वाली तीन खुराकों की तुलना में यह एकल खुराक है। हम यह खुराक एक से पन्द्रह वर्ष के बच्चों को दे रहे हैं। हम जिलों में नियमित टीकाकरण भी कर रहे हैं। डेढ़ वर्ष की आयु में डीपीटी की बूस्टेड खुराक दी जाती है, हम उन्हें यह खुराक दे रहे हैं क्योंकि यह खुराक एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के सामने अपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे थे, उसमें दो चीजें थीं। अभी गोरखपुर में वायरोलॉजी सेंटर स्थापित हो गया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम छः महीने के अंदर वहां कोई व्यवस्था करेंगे। वहां लोग इस समय मर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके उन्मूलन की दिशा में क्यों नहीं बढ़ती है? दूसरे, जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। मैंने कहा कि इसका कुल रेश्यो, बीआरडी मेडिकल कालेज के अंदर जो देखा गया है, इसके जो रिजल्ट आए हैं, वहां 18 से 19 प्रतिशत लोग ही इस बीमारी की चपेट से बचते हैं और जो बचते हैं उनमें भी 50 प्रतिशत से अधिक लोग शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। उन लोगों के पुनर्वास की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है-पहला मेरा यह प्रश्न था? मेरा दूसरा प्रश्न बीआरडी मेडिकल कॉलेज के संबंध में था कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में उस प्रकार का कोई केन्द्र स्थापित करने के बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें, क्योंकि यह बहुत खतरनाक बीमारी है। *...(व्यवधान)* असमय यह इस देश के बच्चों को निगल रही है। तीसरे, आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस बार वहां जो नया वायरस आया है, वह प्रदूषित जल की वजह से हुआ है। *...(व्यवधान)* उस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? कृपया इन तीनों के बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इस रोग का उन्मूलन करके हमें खुशी होगी। इस रोग का कारण सफाई का न होना है। उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में न केवल जापानी एनसिफेलाइटिस अपितु अन्य रोग जैसे कि पोलियो भी फैल रहा है। यहां पर स्वच्छ पेयजल और सफाई की समस्या है। वास्तव में, भारत सरकार सफाई के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए राजीव गांधी पेयजल मिशन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पोषण, पेयजल, स्वास्थ्य और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई सीमित है, हम इन समितियों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दे रहे हैं और इन समितियों की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। वे अपने गांवों में सफाई के लिए इस 10,000 रुपये का प्रयोग कर सकते हैं।

क्षेत्रीय केन्द्रों पर विषाणु विज्ञान पर एक कार्यक्रम है। मैंने आज सदन में एक वायदा किया है कि यह यूनिट गोरखपुर अथवा

इससे संबंधित क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी। हम इस बारे में निश्चित तौर पर बहुत अधिक चिंतित हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनके पुनर्वास के बारे में सरकार क्या कदम उठाएगी?

महोदय, जापानी एंसेफलाइटिस की बीमारी के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं और उसके कारण जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, उन लोगों के पुनर्वास के बारे में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उनके पुनर्वास के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताए कि वह इस बारे में क्या कदम उठाएगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मुख्य तौर पर यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सफाई, स्वास्थ्य और इन सभी मुद्दों के लिए राज्य से आशा की जाती है कि वह इस बारे में कार्रवाई करे। यदि राज्य के पास कुछ मामले हैं तो हम राज्य सरकार के प्रयासों में मदद कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पहले केन्द्र सरकार डेढ़ लाख रुपये देती थी, लेकिन इस सरकार ने बन्द कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने कहा है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मसला है।

अपराह्न 2.06 बजे

(दो) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कर उनसे निवेदन करूंगा कि वह निम्नलिखित विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत करें।

"बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता।"

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, अगर आप अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, बाल श्रम का मुद्दा सरकार के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में अधिक लोक जागरूकता तथा नीति निर्माताओं द्वारा इस पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। सरकार ने पिछले वर्ष ढरेलू नौकरों और ढाबों, सड़क किनारे के जलपान-गृहों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाते हुए बाल श्रम उन्मूलन की ओर एक बड़ा कदम उठाया था क्योंकि देश में बड़ी संख्या में बच्चे इन दो व्यवसायों में कार्यरत पाये गये थे।

यद्यपि गरीबी और निरक्षरता बाल श्रम के प्रचलन के प्रमुख कारण हैं तथापि, इस समस्या को बढ़ावा देने वाले विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक कारक भी हैं। बाल श्रम के पुनर्वास के मुद्दे सहित इस समस्या के बहुआयामी स्वरूप को महसूस करते हुए सरकार ने जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से शुरूआत करते हुए देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार देश के 250 जिलों में कार्य से हटाए गए ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम लागू कर रही है। सरकार की बहुआयामी कार्यनीति है। इसमें बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम का कड़ाई से प्रवर्तन शामिल है जिसके अंतर्गत सरकार के गरीबी उन्मूलन और आय सृजन कार्यक्रमों को संबद्ध करते हुए माता-पिता और बच्चे दोनों के पुनर्वास का साथ-साथ प्रयास किया जाता है।

यह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत बाल श्रमिकों के परिवारों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है जिससे उनके माता-पिता को अपनी आर्थिक उन्नति करने में मदद मिल सके और उन्हें बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश न होना पड़े। केन्द्रीय श्रम सचिव की अध्यक्षता में अन्य संबंधित मंत्रालयों को शामिल करते हुए समनुरूपता हेतु एक कोर समूह का गठन भी किया गया है ताकि ऐसे परिवार उन मंत्रालयों की गरीबी-रोधक एवं विकास योजनाओं के लाभ भी प्राप्त कर सकें।

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

श्रम हेतु बच्चों के प्रवास तथा उन्हें काम पर लगाने से संबद्ध मुद्दों के समाधान हेतु अनेक निवारक कदम भी उठाए जा रहे हैं जिससे देश के कम विकसित क्षेत्रों से बड़े शहरों की ओर आने वाले बच्चों की बड़ी संख्या को रोका जा सके। मंत्रालय ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को कार्य पर ले जाने से रोकने, छुड़ाने, घर वापस भेजने और पुनर्वास हेतु एक विस्तृत प्रोटोकाल तैयार करने की प्रक्रिया में है। प्रवासी और कार्य पर लगाए गए बच्चों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सचिव, श्रम और रोजगार के अधीन एक समिति का भी गठन किया गया है।

मंत्रालय इस मुद्दे पर नियमित रूप से जागरूकता सृजन अभियान भी आयोजित कर रहा है। हाल ही में, 14 नवम्बर, 2007 से बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन में गति लाने के लिए एक पखवाड़े का राष्ट्रव्यापी अभियान भी आरम्भ किया गया है। राज्यों से भी प्रवर्तन संबंधी कार्यकलापों को गति देने और बाल श्रम की बुराई के खिलाफ आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

यद्यपि सरकार अनेक उपाय कर रही है तथापि, इस समस्या के आकार और जटिलता पर विचार करते हुए इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने और देश से बाल श्रम समाप्त करने के लिए हम माननीय संसद सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों और समर्थन की अपेक्षा करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि बाल श्रम की समस्या राष्ट्र के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। वास्तव में यह सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे।

बाल श्रम समाज का अत्यधिक शोषित वर्ग है। आज बाल श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर बाल श्रमिक तो खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे हैं जहां पर बाल श्रम प्रतिबंधित है। हमारे देश में करीब 40 मिलियन बाल श्रमिक हैं। आज यह संख्या देश में बाल श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या है।

विगत में, 1979 में श्री गुरुपदस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इस समिति ने खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और अन्य उद्योगों में विनियमित करने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों के आधार पर एक कानून अधिनियमित किया गया था और खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया था।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि अगर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो कम से कम तीन महीने की सजा दी जा सकती है जो बढ़ाकर एक वर्ष तक की जा सकती है या कम से कम 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जो बढ़ाकर 20,000/- रुपये तक किया जा सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। 1997 में बाल श्रम पर भारत सरकार ने एक नीति बनायी थी।

विधान के अधिनियमित के 20 वर्षों के दौरान केवल पिछले वर्ष से ही सरकार बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्न पूछें या स्पष्टीकरण।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछें। मेरे पास बहुत ही कम समय है।

श्री बसुदेव आचार्य: इन 20 वर्षों के दौरान सरकार ने कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये हैं? बाल श्रम की समस्या पर राष्ट्रीय बालश्रम आयोग ने फिर से 2002 में विचार किया। इस आयोग ने कुछ सिफारिशें भी की थीं। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। श्रम मंत्री ने अपने वक्तव्य में सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में हमें बताया है। उन्होंने सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की है। इस संबंध में एक पखवाड़े का राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया गया है। तत्पश्चात् वार्ता के कोर ग्रुप का भी गठन किया गया। 220 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भी लागू की गई है। लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने कुछ क्षेत्रों, कुछ उद्योगों तथा कुछ जगहों की पहचान की है जहां बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर बाल श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। ये उद्योग हैं मिर्जापुर में कालीन उद्योग, शिवाकाशी में माचिस और पटाखा उद्योग, सूरत में हीरा काटने का उद्योग, फिरोजाबाद में ग्लास उद्योग, खुर्जा में होटल उद्योग और मुरादाबाद में पीतल के बर्तनों का उद्योग इत्यादि।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

आप क्या जानना चाहता हैं, वह पूछिये मेरे पास आज लिस्ट में दो बिल हैं, वे भी मुझे पास कराने हैं और सप्लीमेंटरी डिमांड्स भी आज पास करानी है।

[अनुवाद]

इसलिए प्रश्न या स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन, महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैं अभी प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यह प्रश्न समाज में हो रहे शोषण के बारे में है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन पुट करें। आप क्या जानना चाहते हैं, वह पुट करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: इस विषय पर मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात् बोलूंगा। अगर मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा करने के लिए नोटिस भी दूंगा। महोदय, भारत सरकार ने देश के 200 जिलों में राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना लागू की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के शुरू किए जाने के बाद कितने बाल श्रमिक तथा उनके परिवार लाभान्वित हुए हैं। वास्तव में यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है, तथा यह गरीबी से भी जुड़ी हुई है। हालही में डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें कहा गया है कि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय केवल 22/- रुपये है।

महोदय, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए उनके पुनर्वास की आवश्यकता है। पूरे देश में हजारों स्कूल स्थापित किए गए हैं और इन स्कूलों में दाखिला प्राप्त छात्रों को 100 रुपये दिये जा रहे हैं। लेकिन जब तक इन छात्रों को व्यावसायिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिनको उद्योगों से लाकर इन स्कूलों में भर्ती कराया गया है, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे क्या करेंगे?

यह विभिन्न उद्योगों में कार्य कर रहे बाल श्रमिकों से संबंधित एक समस्या है।

एक अन्य समस्या गरीबी से संबंधित है। गरीबी दूर करने के लिए तथा पूरे परिवार के पुनर्वास के लिए सरकार का क्या विचार है? केवल कुछ समितियों का गठन हुआ है, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। आज बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले 20 वर्षों के दौरान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, कितनों पर मुकदमा चलाया गया, कितनों को बंदी बना कर जेल में डाला गया तथा कितने लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर 10000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन यह राशि बहुत कम है। अत: इस अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप जब चाहें, इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। आपको क्या प्राब्लम है?

श्री बसुदेव आचार्य: हम तो करा सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप सरकार नहीं हैं? सरकार भी तो आपकी है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य महोदय, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

इसके बाद उन 250 जिलों में रिहायशी स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता है। जिनकी राष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए पहचान की गई है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या देश के उन 250 पहचान किए गए जिलों में से प्रत्येक जिले में रिहायशी स्कूल शुरू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जा सके और वे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर सकें।

खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य उद्योगों में बाल श्रम विनियमित करने के लिए सरकार कौन-कौन से प्रभावी उपायों पर विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, हमारे नोटिस का ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, हमारी बात भी सुनी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी को भी अनुमति नहीं दी जायेगी। अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के शुरू होने से पहले नेताओं की बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी दलों के नेताओं को स्पष्ट कर दिया था कि कार्यसूची में शामिल सदस्यों के नामों के सिवाय किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ हुई बैठक में सभी दलों के नेताओं ने इस पर सहमति जतायी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ऐसा नहीं होता है। जो नोटिस कालिंग अटेंशन नोटिस के रूप में आएगा, उसे नोटिस में लिया जाएगा। हाउस के अंदर आकर अगर आप नोटिस देंगे, तो वह नहीं लिया जाएगा। ...*(व्यवधान)* इसका मतलब ही नहीं होता। ...*(व्यवधान)* आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मैं सरकार की तरफ से स्पीकर महोदय के आदेश को सूचित करना चाहता हूं। सभी लीडर्स की मौजूदगी में स्पीकर साहब ने सदन के पहले दिन ही सूचित किया था कि जिनके नाम टेबल में प्रिंट होंगे, उनके अलावा कोई दूसरा नाम कालिंग अटैंशन में नहीं लिया जायेगा। यह स्पीकर साहब और सभी लीडर्स की राय थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास आज बहुत बिजनेस है, इसलिए आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

अब कृपया माननीय मंत्री जी आप बोलें।

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: उपाध्यक्ष महोदय 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 1.26 करोड़ बच्चे आर्थिक रूप से कार्यरत हैं जिनमें से करीब 12.6 लाख बच्चे खतरनाक व्यवसायों में काम कर रहे हैं।

इस समय 8,887 एनसीएलपी विद्यालय, देश भर में चलाए जा रहे हैं जिनमें 3.4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 4.5 लाख बच्चों को एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत पहले ही नियमित शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जा चुका है।

महोदय, यह हमारी इच्छा भी है और हमने योजना आयोग को प्रस्ताव भी किया है कि देश के सभी 600 जिलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह मामला विचाराधीन है।

महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमने क्या कार्यवाही की है। मैं माननीय सदस्य को यह कहने के लिए धन्यवाद करता हूं कि इस बारे में नियम-कानून लाने के लिए पिछले एक वर्ष से हम गम्भीर हुए हैं और सक्रिय कार्यवाही कर रहे हैं। 1997-98 से 2005-06 के बीच करीब 26.3 लाख निरीक्षण किए गए जिनमें करीब 1.61 लाख उल्लंघन पाए गए जिनमें से 67,691 पर मुकदमा चलाया गया और और 22,588 को सजा हुई। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कार्यवाही नहीं की, जैसा कि बताया गया कि सजा सुनाई गई।

देश में बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है और हमारी सरकार ने ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी है। इससे बच्चों के माता-पिता 6000 से 10,000 रुपये प्रति वर्ष अर्जित कर सकेंगे और अपने बच्चों को विद्यालय भेज पायेंगे।

इतना ही नहीं, परिवारों के पुनर्वास का भी प्रश्न है। हम संपूर्ण गरीबी उपशमन कार्यक्रम को बाल श्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम काम कर रहे बच्चों और छुड़ाये गए बच्चे के परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबों के लिए सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उसके लाभ उस परिवार को देने की कोशिश कर रहे हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा छुड़ाये गए प्रत्येक बच्चे को हम तकनीकी शिक्षा देना चाहेंगे और उन्हें विशेष स्कूल

में दाखिल करेंगे ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह काम करने योग्य हो सकें, अच्छा कमा सकेंगे और अपने परिवार की सहायता कर सकेंगे। महोदय हम बाल श्रम कार्यक्रम में भी तेजी लायेंगे।

हमने संपूर्ण देश में इस कार्यक्रम को 14 नवंबर को शुरू कर दिया था और 13 दिसंबर को हमने देश के श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में, हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह केवल उन बच्चों की बात नहीं है जो दिल्ली, मुम्बई में कमाने के लिए आ रहे हैं बल्कि हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा आदि के बच्चों को भी देखना है।

मैंने माननीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि इंटिलिजेंस नेटवर्क उन एजेंटों की पहचान करने में हमारी मदद करे जो इन बच्चों को ला रहे हैं ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही हम इसे रोक सकें और देश में बाल श्रम को रोका जा सके।

यह विभिन्न उपाय हैं जो हमने किए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: 250 निर्दिष्ट जिलों में 250 आवासीय विद्यालय हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: बिल्कुल महोदय, मैंने कहा है कि हमने योजना आयोग को एक प्रस्ताव दिया है कि हम इसे देश के अन्य भागों में विस्तार देना चाहेंगे। हमारे यहां विशेष विद्यालय हैं। हम उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम आवासीय विद्यालयों के इस मामले की भी जांच करेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी 7404/07]

अपराह्न 2.31 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों, जो इस दिन के लिए सूचीबद्ध थे, को सभा पटल पर रखा हुआ माना गया।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नियमित कालेज लेक्चररों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): मैं बार-बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में कालेज व्याख्याताओं की नियुक्ति के मुद्दे को उठा रहा हूं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्यार्थियों के लिए नियमित कालेज व्याख्याताओं की कमी है तथा वर्तमान में उन्हें अतिथि व्याख्याता/अल्पकालीन व्याख्यता पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्यार्थी वैध नियमित अध्ययन से वंचित हैं तथा इसके परिणामस्वरूप, उनका भविष्य खराब हो सकता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उपलब्ध शिक्षित युवाओं में से उचित जांच-परख के पश्चात नियमित कालेज व्याख्याता नियुक्त करें। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में पात्र/शिक्षित युवा मौजूद हैं तो अंडमान और निकोबार प्रशासन मुख्य भूमि के स्रोतों पर क्यों निर्भर है। पांडिचेरी, तमिलनाडु में यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार की नियुक्तियों में वहां स्थानीय युवाओं को वरीयता प्रदान की जाती है।

(दो) तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेलथन (पलानी): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी डिंडीगुल जिले के अंतर्गत आता है। 'डिंडीगुल' तमिलनाडु में महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में से एक है। यह वस्त्र, चर्मशोधन तथा तालों के लिए प्रसिद्ध है। कोडईकनाल तथा सिरूमलाई पहाड़ियों समेत कई पर्यटन स्थल डिंडीगुल के बहुत नजदीक हैं। प्रसिद्ध पलानी पहाड़ी मंदिर भी इसी डिंडीगुल जिले में है।

पलानी पहाड़ी मंदिर भगवान कार्तिक का घर है। अक्सर देश तथा कई दूसरे देशों से भारी संख्या में श्रद्धालुगण पलानी आते हैं। वे मदुरई अथवा कोयम्बटूर के रास्ते पलानी पहुंचते हैं। दोनों शहर पलानी से बहुत दूर हैं।

डिंडीगुल में तथा इसके आसपास, 136 स्पिनिंग मिले हैं। सभी प्रमुख इकाई हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खरीददार डिंडीगुल केवल विमान द्वारा पहुंचते हैं। उन्हें डिंडीगुल पहुंचने के लिए मदुरई अथवा तिरूचि उतरना पड़ता है। सभी शहर डिंडीगुल से बहुत दूर हैं।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

डिंडीगुल कोडईकनाल जो कि देश का प्रसिद्ध पहाड़ी रिजार्ट है, तथा सबरीमाला, अयप्पन मंदिर का प्रवेश द्वार है। पर्यटक तथा श्रद्धालुगण उपरोक्त स्थानों पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि डिंडीगुल में कोई हवाई संपर्क नहीं है।

ओडनचत्रम एक अन्य महत्वपूर्ण शहर है जो डिंडीगुल के नजदीक है। यह मक्खन, घी और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से भारी मात्रा में सब्जियों का निर्यात किया जाता है। संपूर्ण देश से सब्जी विक्रेता बड़ी मात्रा में सभी प्रकार की सब्जियों को खरीदने के लिए ओडनचत्रम आते हैं। इसीलिए, डिंडीगुल के लिए हवाई संपर्क बहुत आवश्यक है। इसीलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से सविनय आग्रह है कि डिंडीगुल के लिए एक हवाई अड्डे की स्वीकृति प्रदान करें।

(तीन) बिहार में औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंतर्गत अंडरपास और पैदलयात्री ऊपरिपुल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो कि प्रधानमंत्री के स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का एक भाग है और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद, बिहार से गुजरता है, एक तीव्र-गति राजमार्ग है जिस पर काफी यात्री तथा मालढुलाई यातायात होता है। यह भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरता है और इस प्रकार इससे गंभीर दुर्घटना की स्थितियां पैदा होती हैं। कुछ क्षेत्र विशेष रूप से दुर्घटना वाले क्षेत्र हैं जैसे कि मदनपुर शहर तथा द दियोटर्निंग नामक टी जंक्शन, जहां लोगों को अपनी दैनिक जीवन में अपने निजी व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए अथवा अपने खेतों में हल अथवा ट्रैक्टर ले जाने के लिए आवश्यक रूप से पार करना पड़ता है। इससे गंभीर यातायात दुर्घटना हो सकती है जिससे जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पहले ही लगभग तीन सप्ताह पहले दो गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें आठ लोग मारे गए तथा अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। यह जनता के हित में होगा कि इस गलती को सुधारा जाए और इस तीव्र गति राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उपाय किए जाएं।

एनएचएआई को यह सुझाव दिया गया था कि मदनपुर में एक अंडरपास बनाया जाए तथा डीयो टी जंक्शन पर पैदल यात्रियों के लिए एक उपरिपुल इस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बनाया जाए। यह समझा गया है कि अंडरपास बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम पांच के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का किए जाने के दौरान लगभग 2011-12 में उसका निर्माण किया जाएगा। हालांकि यह निर्णय प्रशंसनीय है लेकिन इसके कार्यान्वयन में समय लगेगा और तब तक बढ़ते हुए यातायात से दुर्घटना स्थितियां और बदतर होंगी और रोजमर्रा की सड़क सुरक्षा का खतरा बना रहेगा। इसे पूरी तरह रोका जा सकता है विशेषकर जब अंडरपास, जो कि सड़क सुरक्षा का एक मानक उपाय है, को एनएच-2 के छह लेन के कार्य का भाग बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अत: यह सूझाव दिया जाता है कि इसे छह लेन वाले कार्य से न जोड़ा जाए तथा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए तथा इसके पूरा होते ही इसका निर्माण कार्य तत्काल ही आरंभ कर दिया जाए।

देव टी-जंक्शन औरंगाबाद और मदनपुर के बीच स्थित है जहां उपरोक्त गम्भीर दुर्घटना हुई है और जो गम्भीर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। अगर यहां पैदल यात्री उपरि पुल का निर्माण अविलम्ब किया जाता है, तो यह सड़क सुरक्षा का एक अच्छा उपाय होगा।

यह सड़क अभिन्त्रिकी विशेषता अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा व्यवहार के मानकों के अनुरूप होगी और यह लोकहित में होगा। शीघ्र कार्यवाही करना अत्यंत लाभकारी होगा।

(चार) देश में दूसरी हरित क्रांति लाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): कृषि उत्पादकता और खाद्य उत्पादकता में गिरावट के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। प्रधान मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि उत्पादन बढ़ाया जाये तथा उसके बाद मूल्य क्रम (वैल्यू चैन) में भी सुधार किया जाये।

कृषि के धीमी विकास के मुख्य कारण हैं अल्प सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता में मंदी, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना, फसलेत्तर बर्बादी, कम मूल्य वर्धन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का कम उपयोग तथा कृषकों की लागत पर बाजार बिचौलियों द्वारा मूल्य का आकलन।

इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए विशेषकर समितियों ने केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर अपनी सिफारिशें दी हैं।

दूसरी हरित क्रान्ति लाने के लिए हमें उन सब तरीकों पर पुन: विचार करना होगा, जिन प्रक्रियाओं से पहली हरित क्रान्ति सम्भव हुई थी।

जनसंख्या निर्भरता (650 मिलियन लोग खेतों पर निर्भर है) के आधार पर भारत में कृषि पहले या दूसरे स्थान पर है। इसकी कृषि योग्य भूमि और स्थायी कृषि के अंतर्गत भूमि 169 मिलियन

हैक्टेयर है। जबकि चीन में 135 मिलियन हैक्टेयर भूमि इसके अंतर्गत आती है। यहां ऐसी कृषि प्रणाली के विकास के लिए कोई डेवलपमेंट माडल नहीं है।

यहां उच्च स्तर की तकनीकी के हस्तांतरण की आवश्यकता है, जिसमें जैव विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान आदि का भी उपयोग किया गया हो। इस्राइल जैसे देश के अनुभव पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसने जल संरक्षण और यर्थातता (प्रीसिजन) कृषि, जैव प्रौद्योगिकी आदि कृषकों को देकर तथा बाजार से जोड़कर तरक्की की है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि देश की कृषि के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करे।

(पांच) भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूमि उर्वरता के रखरखाव हेतु मृदा ट्रीटमेंट परियोजना को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच का कुछ हिस्सा समुद्र तटों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मेरे क्षेत्र के हाषोठ, वागरा, जम्बोसर एवं अंकलेश्वर के बहुत से गांव हैं जहां पर समुद्र का नमकीन पानी का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण इन इलाकों के गांवों की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इसके कारण यहां के गरीब किसानों को अपने परिवार के लालन पालन करने में काफी दिक्कत हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वे भी हुआ है और भारत सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सोयल ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट की शुरूआत 2002 में की थी और हाषोठ इलाके में काम भी हुआ, परन्तु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद के कारण उक्त काम अधूरा रह गया है जिसके कारण जो काम किया गया था वह भी बेकार हो रहा है और उपजाऊ भूमि दोबारा बंजर बनने लगी है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रोजेक्ट के अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चालू करके बंजर हो रही भूमि को शीघ्र रोका जाये।

(छह) झांसी डिवीजन में ग्वालियर-शिवपुर रेल लाईन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत ग्वालियर, श्योपुरकला रेल लाइन के गेज परिवर्तन की आवश्यकता है। उक्त रेल लाइन 100 वर्ष पूर्व डाली गई थी। उक्त ट्रैक पर कई बार इंजन/बोगियां पटरी से नीचे उतर जाती हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उक्त रेल लाईन के गेज परिवर्तन का सर्वेक्षण हो चुका है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि शीघ्र ग्वालियर श्योपुरकला रेल लाईन आमान परिवर्तन के कार्य को स्वीकृति प्रदान की जाये।

(सात) कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़, उत्तर): कन्नड़ को पुरातन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग कर्नाटक के करोड़ों लोगों की भावनात्मक मांग है। पिछले कई वर्षों से यह मांग कन्नड़ संगठनों, संघों तथा राज्य के साहित्यिक संकाय द्वारा लगातार उठाई जा रही है। 2004 से इसमें ज्यादा तेजी आयी है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के 1.11.2004 को भाषा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया और इस भाषा को पुरातन भाषा का दर्जा दिये जाने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए। इस समिति द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मानदण्डों को कन्नड भाषा निश्चित रूप से पूरा करती है। तभी से कर्नाटक सरकार भारत सरकार से इस बारे में घोषणा किए जाने के लिए अपील कर रही है। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में अनेक प्रतिनिधि-मण्डल प्रधान मंत्री से मिले और उन्होंने अपनी मांग को दोहराते हुए आवश्यक प्रत्यय-पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय को बहुत सी याचिकाएं भेजी गयी। लेकिन आज तक सरकार शांत रही है और करोड़ों कन्नड़ लोगों के धैर्य का इम्तहान ले रही है। मैं इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार के रवैये से कर्नाटक के लोगों में इस संवेदनशील विषय को लेकर आक्रोश है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बहुत पहले से की जा रही मांग को गम्भीरता से लें और संसार की पुरातन भाषाओं में से एक कन्नड़ भाषा को पुरातन भाषा का दर्ज दें।

(आठ) भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने में अत्यधिक देरी हुई है। अगले 20 वर्षों में बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए हवाई अड्डे के और विस्तार के लिए स्वीडेन की सहायता से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस प्रकार भुवनेश्वर हवाई अड्डा देश के मॉडल हवाई अड्डों में से एक बन गया है।

[श्री जुएल ओराम]

जैसे ही अगर हवाई अड्डा का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में हो जाता है तो पर्यटकों की संख्या विशेषकर विदेशी पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा तथा उड़ीसा राज्य में व्यापार और उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी। इससे सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देश के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

अत: मैं मांग करता हूं कि बीजू पटनायक हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार तथा उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मेरी मांग है कि भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अविलम्ब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

(नौ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ''सैनिक स्कूल'' खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू राजस्थान में सैनिक स्कूल खोलने की मांग वर्षों से की जा रही है, इस क्षेत्र में काफी सैनिक सेना में कार्यरत हैं, यह वीरों की भूमि है, यहां के लोगों ने देश की आन एवं मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं। कारगिल व उसके बाद भी इस क्षेत्र के काफी नौजवान शहीद हुए हैं। मेरी गृह तहसील राजगढ़ जिला चुरू के राजस्थान में सबसे अधिक नौजवान शहीद हुए हैं। पूर्व की केन्द्र सरकार के समय तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में चुरू जिले में एक सैनिक स्कूल खोलने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन काफी समय गुजरने के पश्चात भी आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मेरी सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए चुरू में एक सैनिक स्कूल खोलने के आदेश जारी करें।

(दस) केरल में थालासेरी-माहे बाईपास के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): थालासेरी-माहे बाईपास का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के विचाराधीन है जिसकी लम्बाई 18.031 कि.मी. है और जो मुजाप्पीलागद से अजीभूर तक है। इसके लिए 9-424 कि.मी. (सीएच 0/00 से 9/742 मी.) भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। बाकी भूमि का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है, जिसका अनुमान मंत्रालय के अंतर्गत लम्बित है। चूंकि तेलीचेरी से माहे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बहुत ही संकरी है और यातायात बहुत ज्यादा है इसलिए पूरा क्षेत्र परेशानी का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में अत्यधिक यातायात की समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि यहां शीघ्रतिशीघ्र एक बाई पास का निर्माण करवाया जाए।

अत: मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है कम से कम वहां इस बाई पास का निर्माण कार्य तत्काल शुरू किए जाने के लिए कदम उठाए जाएं और बाकी भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के ''कोल'' समुदाय के लोगों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदय, देश के कुछ भागों में द्रविड़ लोगों की तरह कोल जाति भी उत्तर तथा पूर्व क्षेत्र में फैली हुई है। समय के साथ इनकी हालत बद से बदतर हुई है। इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों की तरह इनका उत्थान आवश्यक है। इन्हें अपने विकास के समुचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। देश के कई भागों, जैसे झारखंड, बिहार, मेघालय, राजस्थान आदि में कोल जाति के लोगों को पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस कारण से अन्य पिछड़ी जातियों की तरह इन्हें भी सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह जाति इन सुविधाओं से वंचित है जबकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा पास प्रस्ताव तथा वहां के मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी केन्द्र सरकार को है। उत्तर प्रदेश के लिए भी इस जाति को पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दें, ताकि इन्हें अपने विकास के लिए उचित सुविधाएं मिल सकें।

इस जाति के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि इसे जनजाति के रूप में मान्यता दी जाये।

(बारह) बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त पालिटेक्नीक खोले जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा 9 पालिटेक्निक संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जो सराहनीय एवं स्वागतयोग्य कदम है। इससे प्रदेश के नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में मदद

मिलेगी। मेरा संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर बिहार का एक अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहां लोगों को कृषि के सिवाय कोई दूसरा साधान नहीं है। यहां के नवयुवकों को तकनीकी संस्थान के अभाव में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से महरूम होना पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एवं बेकारी की समस्या से युवाओं को जूझना पड़ रहा है।

अत: मैं केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा खुलने वाले 9 पालिटेक्निक संस्थानों में से एक संस्थान निश्चित रूप से समस्तीपुर में खोलने की मंजूरी प्रदान करने का कष्ट करें।

(तेरह) कोंकण क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): कोंकण क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की लगातार मांग होती रही है। कोंकण क्षेत्र विदर्भ और मारठवाड़ा क्षेत्रों जितना ही पिछड़ा है।

अन्य विकास बोर्डों की तुलना में कोंकण सांविधिक विकास बोर्ड (कोंकण स्टेटुटरी डेवलपमेंट बोर्ड) को असमान दर्जा देने पर कोंकण के लोगों को यह स्वीकार्य नहीं होगा।

कोंकण क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन करने की अत्यंत आवश्यकता है।

(चौदह) उड़ीसा में समुद्र तटों के कटाव को रोकने के लिए एक योजना बनाने और उसे लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हाल ही में पुरी में स्टर्लिंग रिसोर्ट के नजदीक 60 मीटर चौड़ा स्पष्ट समुद्री तट पूरी तरह कट गया है। इससे पुरी और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास भारी खतरे की स्थिति पैदा हो गई है।

ये अप्राकृतिक घटनाएं हैं और इनके वैज्ञानिक कारण हैं। प्रेस्टीन तट को पूर्वोत्तर तट के आस-पास लाने हेतु भी कदम उठाए जाने चाहिए। यह सुनामी के बाद तेजी से घटित हो रहा है। ऐसी आशंका है कि समुद्र के बहाव की दिशा बदल रही है और इसी कारण उड़ीसा के समुद्री तट कट रहे हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड पेटीन एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट आफ चेन्नई और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों से परामर्श मांगी है।

साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को तट को डूबने से बचाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए।

इस समय उड़ीसा तट के आस-पास समुद्रीय तरंगें काफी खतरनाक है। इसकी पुष्टि मंत्रालय द्वारा की गई है। मानसून के दौरान समुद्री तरंगें काफी प्रबल हो रही हैं और रेत को तटों से बहाकर ले जाती हैं और इसे एक से दो किलोमीटर दूर फेंक देती हैं। तथापि समुद्रीय तट का निर्माण हो जाता है और मानसून के समतल होने के बाद स्थिति पहले जैसी हो जाती है। लेकिन विचित्र बात यह है कि गत दो तीन वर्षों के दौरान ऐसा नहीं हुआ है।

अत: समुद्री तटों की रक्षा हेतु वैज्ञानिक रूप रेखा बनाने की आवश्यकता है। केन्द्र को समुद्री तट के कटाव को कम करने हेतु समुद्री तट के आस-पास 2-3 मी. ऊंची समुद्री दीवार का बोल्डर डालने हेतु धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

(पन्द्रह) झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत झारखंड में कुछ जिलों को राशि आबंटित की गयी है। उसमें भी एन.टी.पी.सी. एवं डी.वी.सी. के द्वारा कार्य शुरू नहीं किया है। हजारीबाग एवं रामगढ़ सहित कई जिलों को राशि आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि हजारीबाग राजीव गांधी विद्युतीकरण दामोदर घाटी निगम को दिया गया है। राशि उपलब्ध कराने के लिए मैंने कई बार माननीय विद्युत मंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया। मैं ऊर्जा परामर्शदात्री समिति की चार बैठकों में इस मुद्दे को उठाता रहा हूं। माननीय मंत्री जी बराबर आश्वस्त करते रहे कि दूसरी किस्त में हजारीबाग सहित अन्य जिलों को राशि उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी तक राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इससे हजारीबाग जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहां के लोगों में काफी आक्रोश भी है।

अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यथाशीघ्र एक समय सीमा के अंदर हजारीबाग एवं रामगढ़ जिला सहित अन्य जिलों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए राशि आबंटित की जाये ताकि कार्य में वहां तेजी लाई जा सके।

(सोलह) बिहार के छपरा और सिवान जिलों में जलजमाव और वहां से बहने वाली नदियों में गाद भरने को रोकने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, परंतु लगातार होने वाले बाढ़ और सूखा की विभीषिका ने देश के किसानों की कमर तोड़ दी है। एक सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी को भोजन जुटाने वाले किसानों की हालत सरकार की उपेक्षा के कारण खुद ही भूखा और फटेहाल है।

प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से देश के अन्य भागों की तुलना में उत्तर बिहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण है जल जमाव की समस्या। उत्तर बिहार का छपरा-सिवान जिला सरयू एवं नारायणी नदी से घिरा हुआ है, साथ ही छोटी-छोटी नदियां भी सिवान-छपरा से होकर गुजरती हैं। छपरा सिवान जिला का महत्वपूर्ण हिस्सा जितना बाढ़ से प्रभावित होता है, उससे कहीं ज्यादा जल-जमाव से प्रभावित होता है। किसानों की हजारों एकड़ भूमि की फसल प्रतिवर्ष जल निकासी नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है। अगर जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाये तो प्रतिवर्ष बर्बाद हो रहे किसानों की फसल को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जिन जिन भूभाग में जल जमाव की समस्या है, उन भूभाग से पक्का पईन बनाकर, उस पईन को नदी से जोड़ दिया जाये ताकि अत्यधिक पानी पईन के माध्यम से नदी में गिरता रहे और जल जमाव न हो। जैसे छपरा जिला के माझी प्रखंड में धुरदेह चवर एवं बनियापुर प्रखंड में बहियरा चवर की जल निकासी, जलालपुर प्रखंड में तेल नदी की निकासी के साथ ही छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी भर जाने के कारण पानी नदी से बाहर हो जाता है एवं बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर बिहार के छपरा एवं सिवान जिले में जल जमाव की समस्या एवं छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी सफाई से निजात दिलाने हेतु बिहार सरकार से प्रोजेक्ट मंगवाकर उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आबंटित किया जाये।

(सत्रह) घरेलू उड़ानों में शराब परोसे जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. आर. सेन्थिल (धर्मपुरी): शराब भारत में बड़े पैमाने पर सेवन किया जाने वाला एक नशीला पेय है। यह आम धारणा है कि कम मात्रा में शराब के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, तथ्यपूर्ण नहीं है। कम मात्रा में शराब पीने से भी यकृत में कतिपय एंजाइम पैदा हो सकते हैं और यकृत को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देते हैं। शरीर के विभिन्न तंत्रों को सीधे तौर पर क्षति पहुंचाने के अलावा शराब का सेवन आपराधिक कृत्य करने में प्रेरक होता है। घातक सड़क दुर्घटनाओं का एक सबसे मुख्य कारण शराब का सेवन है।

इसी कारणवश घरेलू उड़ानों से शराब परोसने के बारे में हाल की चर्चा का विरोध किया जाना चाहिए।

हमें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी शराब परोसने को रोकने पर जोर देना चाहिए। इसके बजाय हम घरेलू उड़ानों में शराब परोसने के बारे में बात कर रहे हैं। इन उड़ानों में शराब के सेवन का प्रचार-प्रसार सही दिशा में कदम नहीं है। घरेलू उड़ानों में पेय पदार्थों का आमंत्रण यात्रियों में व्यसन पैदा कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। व्यवहार संबंधी समस्याएं और दुर्घटनाएं भी होगी।

अत: सरकार को घरेलू उड़ानों में शराब का सेवन शुरू करने के विचार को त्याग देना चाहिए।

(अठारह) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनता को प्रभावित करने वाली बीमारी के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का उघनम क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित है। इसके फलस्वरूप अनेक लोग गुर्दे के रोग से प्रभावित हैं। बीमारी का लक्षण पूरे शरीर में सूजन, जी मिचलाना, सांस लेने में समस्याएं, रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप, अपर्याप्त अथवा कम पेशाब आना है। चिकित्सकों ने मात्र कुछ एहतियाती उपायों की सलाह दी है लेकिन कोई भी बीमारी का कारण पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। 1200 से अधिक गरीब लोगों के गुर्दे खराब हो जाने के कारण मृत्यु हो गई है। ऐसा अत्यधिक वायु और जल प्रदूषण के कारण हुआ है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति की गंभीरता समझे और क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में गरीब लोगों की जान बचाने हेतु कुशल डाक्टरों का एक विशेष चिकित्सा दल भेजें।

(उन्नीस) अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन द्वारा भारतीय सीमा का कथित उल्लंघन रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, यह एक दुखद घटना है कि 3 नवम्बर, 2007 को हमारे पड़ोसी देश चीन की सेना ने अपनी सीमा से सटे भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसकर उसके एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया है तथा इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा को भी ध्वस्त किया है। यह भी अत्यधिक खेद का विषय है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्रीय सरकार इस मामले को चीन के साथ गंभीरता से नहीं उठा रही है।

यह विश्व विख्यात है कि भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं और हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है तथा भगवान बुद्ध के शांति प्रतीक के रूप में हमारे देश की एक अति उत्तम उज्जवल छवि है। लेकिन एक पड़ोसी देश द्वारा हमारे देश की सीमा पर कब्जा करना और विश्व भर में शांति के लिए विख्यात भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनादर करके उसको ध्वस्त करना एक गंभीर मामला है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर देश की भूमि से चीन का कब्जा हटाये जाने और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को यथावत स्थापित किए जाने हेतु देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के शांतिप्रिय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचाये जाने हेतु आवश्यक कदम तत्काल उठाए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, तस्लीमा नसरीन के बारे में कई दिन से पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है, वह कहां हैं, रात को दस बजे आईबी वाले उनको यहां से लेकर चले गए। आखिर एक महिला को इस तरह जगह-जगह से खदेड़ा जा रहा है।

[अनुवाद]

सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं। उन्हें सभा को अवगत कराना चाहिए कि क्या घट रहा है।

[हिन्दी]

एक महिला जिसको वीजा दिया गया है, वह हिंदुस्तान के संरक्षण में है और हिंदुस्तान की पूरी सरकार मिलकर उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। कभी उन्हें यहां से राजस्थान भेज दिया जाता है और कभी राजस्थान से दिल्ली आती हैं और फिर दिल्ली से एकदम उन्हें कहां ले गए, यह किसी को पता नहीं है। सदन को इसके बारे में बताया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सदन के नेता को इस बात से सभा को अवगत कराना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सदन के नेता, माननीय विदेश मंत्री जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): माननीय नेता और सदस्यों की कोई भी मामला उठाने का अधिकार है और सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन जब हर हमेशा कोई व्यक्ति मामला कार्य-सूची के पहले उठाता है तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय अध्यक्ष को सूचना दे दी गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: 'शून्य काल' में नोटिस पर निश्चित रूप से चर्चा की जा सकती है। आज यह निर्णय किया गया था कि असम के बारे में वक्तव्य दिया जाएगा और जब असम की स्थिति के बारे में उत्तर देने हेतु गृह मंत्री उपलब्ध हैं तब अध्यक्ष महोदय समय निर्धारित करेंगे। उस समय कार्यसूची 'ध्यानाकर्षण' से शुरू हुई थी और अब हम विधायी कार्य पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसे पुन: कल क्यों नहीं ला सकते? मैं आपका समर्थन करूंगा और संबंधित मंत्री से उत्तर देने के लिए कहूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपकी सो-कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस बारे में क्या किया जा रहा है?

[अनुवाद]

आप सभा को बता सकते हैं कि वे इस समय कहां हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरी मल्होत्रा जी से अपील है कि मैं आपके मुद्दे को उठाने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप मंत्री जी से कहूंगा कि वह कल उत्तर देने के लिए उपलब्ध हों ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सदन के माननीय नेता भी यहां उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय जयपाल जी से संबंधित जो आइटम नं. 20 एवं 21 हैं, उनमें से एक डिसएप्रूवल ऑफ आर्डिनेंस है, जिसके बारे में मेंबर्स को बोलने का अधिकार है। लेकिन जहां तक दूसरे विषय का संबंध है, चूंकि इस पर सभी लोग सहमत हैं, यह दिल्ली का मसला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे अगर बिना बहस पारित किया जाए तो हम महत्वपूर्ण बोनस के मामले को ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप चर्चा के लिए थोड़ा समय लें।

[हिन्दी]

बिना बहस कैसे पारित हो सकता है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने यह नहीं कहा कि आपको बहस नहीं करनी है, अवश्य कीजिए लेकिन यह मामला दिल्ली का है, दो बार वापस गया है, तीन बार प्रस्तुत होकर आया है। इस पर सभी लोगों की सहमति है, केवल समय की बचत के लिए मैंने यह कहा है, लेकिन अगर आप बहस करना चाहते हैं तो कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता भी उपस्थित हैं। वह जल्दी ही बांग्लादेश जा रहे हैं। वह बांग्लादेश जाने वाले हैं। क्या वह तस्लीमा मुद्दे को भी बांग्लादेश सरकार के सामने उठाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: सरकार कल इसका उत्तर देगी।

अपराह्न 2.39 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 15 सितम्बर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव किया गया:

"कि यह सभा 15 सितम्बर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन: उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य परिस्थिति में मैं इस सांविधिक संकल्प को प्रस्तुत नहीं करता परंतु कतिपय बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने पर विवश हूं।

यह सभा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मध्य स्थित है। इस सभा के बाहर जो घटनाएं घट रही हैं हम सभी उनसे परिचित

हैं। मकानों को तोड़-फोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया, स्थगन आदेश जारी किया तथा तत्पश्चात स्थगन आदेश समाप्त किया। यह सब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहा था। हमने 2006 में दिल्ली विशेष उपबंध अधिनियम को अधिनियमित किया था। उस अधिनियम में नगर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार को एक वर्ष का समय दिया गया था। किंतु सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। मामला काफी लंबे समय से चल रहा है।

अब चूंकि इस संविधि में दी गयी एक वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है अतः सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। पहला अध्यादेश 2007 में प्रख्यापित किया गया जिसमें समय वृद्धि की मांग की गयी और उस अध्यादेश को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस अध्यादेश को एक अधिनियम में परिवर्तित करना था। अब अधिनियम सभा के समक्ष था और बाहर शहर में तोड़फोड़ की कार्यवाही चल रही थी। सरकार परिस्थिति से भलीभांति परिचित है। मंत्रीगण भी स्थिति की तात्कालिकता को समझ सकते थे तथा वे अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक ला सकते थे। वे देखते रहे और उचित समय पर विधेयक को लेकर नहीं आए। वे मौन रहे। अन्य शब्दों में, सरकार लंबे समय तक सोती रही, इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय में मामले चल रहे थे, तोड़-फोड़ का कार्य जारी था तथा लोग सड़कों पर धरना दे रहे थे। इस सभा के बाहर काफी घटनाएं हो रही थीं लेकिन सरकार को यह विवेकपूर्ण नहीं लगा कि वह अध्यादेश को हटाकर एक विधेयक प्रस्तुत करे। वे देखते रहे। तत्पश्चात, उन्होंने समझा कि अध्यादेश पर्याप्त नहीं है और इसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि इसे दबाए रखने में ही भलाई है। वह अध्यादेश व्यपगत हो गया था. पुनः दूसरा अध्यादेश जारी किया गया। सरकार इस तथ्य से भली भांति परिचित है। एक बार अध्यादेश जारी होने की बात मैं समझ सकता हूं। यह मामला हमारी आंखों के सामने लंबित पड़ा है। राजधानी में तोड़फोड़ हो रही थी लेकिन सरकार के पास अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक लाने का समय नहीं था। इस विधान को लाने में सरकार ने कोई प्राथमिकता नहीं दिखाई। सरकार यह क्या कर रही है?

यदि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? क्या यह हमारी गलती है? क्या यह इस सदन की गलती है? सरकार उचित समय पर अध्यादेश ला सकती थी। हमारी अपनी आंखों के सामने घटनाएं घट रही हैं। हम सबने देखा कि लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम सब राजधानी में विरोध स्वरूप हुई बैठकों के साक्षी रहे। इसके बावजूद सरकार ने अध्यादेश के

प्रतिस्थापन के बारे में उचित रूप से नहीं सोचा। वे मौन धारण किये रहे। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया। वे एक के बाद एक आदेश जारी करते रहे। इस पर भी सरकार ने कार्यवाही नहीं की। अब जाकर उन्होंने सोचा कि दूसरा अध्यादेश लाना बेहतर होगा। अब सदन के सामने यह दूसरा अध्यादेश है। वे पहले अध्यादेश से ही मामले को निपटा सकते थे। लेकिन अब वे दूसरा अध्यादेश ला रहे हैं।

संविधान में अध्यादेश लाने के लिए क्या प्रावधान है? केवल आपातकालीन स्थिति में ही इसे लाने का प्रावधान है। यह आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है क्योंकि सरकार जानती थी कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। संविधान कहता है कि इस आपातकालीन प्रावधान का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में करना है जिनके बारे में पहले से कुछ पता न हो अर्थात सामान्य परिस्थिति में कोई सोच नहीं सकता है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, अप्रत्याशित परिस्थिति का उत्पन्न होना आवश्यक है। लेकिन यहां कहां अप्रत्याशित परिस्थिति है? यह बिल्कुल भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिनके बारे में पहले से कोई आशंका न रही हो।

अपराह्न 2.42 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन* हुए]

ये घटनाएं अप्रत्याशित नहीं थीं। घटनाएं उनके अपनी आंखों के सामने घट रही थीं। सरकार सो रही थी। उन्होंने सत्र के दौरान अध्यादेश के प्रतिस्थापन के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। मानसून सत्र बीत गया। मानसून सत्र के दौरान, बहुत सारे अदालती आदेशों के बावजूद, सरकार सो रही थी। सर्दी के मौसम में सरकार के सोने को तो मैं समझ सकता हूं लेकिन सरकार मानसून सत्र में कैसे सो सकती है? ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): कृपया यह नहीं कहें कि ...*(व्यवधान)* महोदय, वह कह रहे हैं कि सरकार सो रही थी। इन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत में से हटाया जाए।

सभापति महोदय: रशीद जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, हम सब जानते हैं कि तोड़फोड़ कार्यवाही के बारे में दिल्ली में क्या हो रहा है। बल्कि जब मिड-डे अखबार का नाम आया तो एक मुकदमा शुरू हुआ और उसके पत्रकार को मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए दोषी ठहराया गया। मिड-डे मामला भी इसी मुद्दे से संबंधित है, लेकिन तब भी सरकार सो रही थी। अखबारों में यह आया था कि मुख्य

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

न्यायाधीश, श्री सब्बरवाल ने इसके लिए पत्रकार को दोषी पाया। तब भी सरकार ने कार्यवाही नहीं की। सरकार सो रही थी।

इसीलिए, मैं दुबारा कहूंगा कि यह शक्तियों के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। सरकार को उचित समय पर विधान लाना चाहिए था तथा विधायी मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। लेकिन इन सबको नजरअंदाज किया गया। अब, वे संविधान के उपबंधों की शरण ले रहे हैं, जो दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है।

महोदय, अध्यादेश लाने के लिए तीन तरह की परिस्थितियां अनिवार्य हैं-पहली, संसद का सत्र न चल रहा हो; दूसरी, यह एक अप्रत्याशित और अनपेक्षित स्थिति हो; और तीसरी, अचानक उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो। इस मामले में यह तीन बातें होनी चाहिए थीं। यहां आपातकाल लंबे समय से है। अचानक नहीं उत्पन्न हुआ है। जब सरकार इस तथ्य को भलीभांति जानती थी कि घटनाएं उनकी अपनी आंखों के सामने तथा पहले से ही घट रही हैं, वह आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकती है? केवल एक तरह की परिस्थिति है, और वह यह है कि 'संसद का सत्र नहीं चल रहा था।'

महोदय, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं थी और वह चाहती थी कि सदन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया जाए ताकि वह सदन की ओर से अपनी सहूलियत के हिसाब से दुबारा अध्यादेश जारी कर सके।

सभापति महोदय: अब आपसे सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसलिए, कृपया इसे दोहराए नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं दोहरा नहीं रहा हूं। मैं आपकी सलाह मान रहा हूं।

अब, यह मामला है। ऐसा न करें। इसे दोहरायें नहीं। मैं यह समझ सकता हूं कि अध्यादेश किसी विशेष परिस्थिति में एक बार जारी किये जाते रहे हैं लेकिन सरकार की आंखों के सामने विकास के मुद्दे पर ऐसा दो बार हुआ है। इसलिए, मैं अध्यादेश का निरनुमोद्रन करते हुए अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं दोहराई जानी चाहिए। कृपया मेरे संकल्प को स्वीकार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, एक बार फिर मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय, क्या आप इस पर अपना उत्तर दे रहे हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं स्पष्ट रूप से साधारण कारण से सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं कि अध्यादेश की उस समय आवश्यकता थी, ऐसी परिस्थितियां थीं जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था और हो रही नई घटनाओं के समाधान को शामिल करने के लिए दुबारा अध्यादेश लाना जरूरी था।

सभापति महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, प्रक्रिया के अनुसार, सबसे पहले निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प को निपटाया जाना चाहिए और तब यह शुरू होगा, इसलिए, आपको सभा का अनुमोदन प्राप्त करना है।

सभापति महोदय: ऐसा अंतिम पाठन के समय होगा अर्थात् माननीय मंत्री के उत्तर के बाद, तब, मैं माननीय मंत्री से इसे वापस लेने के लिए कहूंगा, कि वे इसे वापस ले रहे हैं या नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय मंत्री इसे वापस नहीं लेंगे।

सभापति महोदय: मुझे खेद है, मेरा मतलब माननीय सदस्य से है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा अपना भाषण देने से पहले, क्या आप मुझे विधेयक की पृष्ठभूमि संबंधी विवरण को सभा पटल पर रखने की अनुमति देंगे? यह बहुत लंबा विवरण है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उसे तो आपने पहले ही वितरित कर दिया है।

सभापति महोदय: नहीं, मुझे लगता है, इसे पहले वितरित कर दिया गया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैं इस आर्डिनेंस को, जिसे बिल की फॉर्म दी जा रही है, इसका समर्थन करता हूं। हालांकि मैं हमेशा आर्डिनेंस लाने के विरोध में रहा हूं। मंत्री महोदय, ने कहा है कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि हम फोरसी नहीं कर पा रहे थे, मैं इसे गलत समझता हूं। मंत्री महोदय को, जब पहला आर्डिनेंस निकाला था, हाउस जानता है कि पहले आर्डिनेंस में केवल तीन बातें लिखी गई थीं। झुग्गी-झोपड़ी, स्लम बस्तियां, रेहड़ी-पटरी और फार्म हाउसिस, फार्म हाउसिस पर बहुत मेहरबान

थे कि इनमें अनधिकृत निर्माण को न गिराया जाए। परंतु उस समय भी मंत्री जी को या उनके विभाग को समझ आना चाहिए था कि इसमें से बहुत सी चीजें छूट रही हैं। बाद में जब इस तरफ ध्यान दिलाया गया, इस बात की मुझे खुशी है कि उस आर्डिनेंस को रद्द करके दूसरा आर्डिनेंस लाए। इस आर्डिनेंस में अनधिकृत बस्तियां और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गांव की आबादी का एरिया है, इनको भी साथ में जोड़ा गया।

सभापति महोदय, इसमें केवल दो-तीन बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बात-यह जो आर्डिनेंस है, यह भी पूरा कम्पलीट नहीं है। इसमें भी बहुत सी बातें छूट रही हैं। इसलिए जब शुरू-शुरू में हमने कहा था कि आप एक एमेनिस्टी स्कीम ले आएं, जिससे कम से कम दिल्ली में खास जगह पर जितना निर्माण हो चुका है, जो रेग्यूलराइज नहीं हो सकती हैं, उन्हें छोड़ कर, इस बारे में कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज, कभी तीसरी चीज, उसे लाने के कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अभी भी 20 हजार से ज्यादा दुकानें हैं, जो सील हो गई हैं और उनकी सील खुल नहीं रही है, तकरीबन 50 हजार से एक लाख दुकानें और हैं, जिन्हें सील करने का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि वे उन सड़कों पर हैं, जो नोटिफाई नहीं हैं। ए कैटेगिरी और बी कैटेगिरी की सड़कों पर वे दुकानें हैं। दुकानों को सील करने का काम लगातार जारी है। इस बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आर्डर किया कि चौथी मंजिल और पांचवीं मंजिल को तुरंत गिरा दिया जाए। चौथी और पांचवीं मंजिल मास्टर प्लान में नहीं है, लेकिन चौथी और पांचवीं मंजिल रिफ्यूजी कालोनीज में तीस-चालीस साल पहले जो शरणार्थी आए थे।

उन सबको रोजाना डैमोलिश करने के ऑर्डर चले आ रहे हैं। जो 1500 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लगातार कम से कम चार बार यह घोषणा की गई कि यह रेगुलराइज हो गई, इन्हें रेगुलराइज कर दिया। जब कारपोरेशन के चुनाव आए तो घोषणा की गई कि सब रेगुलराइज हैं। उसके बाद एक भी जगह नक्शा पास नहीं हो रहा है। ऐसे में कैसे रेगुलराइज हुई? करीब दो महीने पहले सभी रेजिडैंट्स वैलफेयर एसोसिएशन्स से कहा कि अपने नक्शे दो। एक कॉलोनी का नक्शा बनाने में और सभी चीजें देने में 10-15 लाख रुपये लगते हैं। इनके लिए आर्किटैक्ट्स को पैसे देने पड़ते हैं जिससे वे बैठ कर नक्शा बनाते हैं। इनमें कठिनाई भी पैदा होती है कि कहां प्राइमरी स्कूल रखा जाए, कहां दुकान रखी जाए, कहां डेसू का दफ्तर रखा जाए, कहां पोस्ट ऑफिस रखा जाए। इसको लेकर आपस में झगड़े भी होते हैं। नक्शे सब ने जमा भी करा दिए। वे कब से जमा होकर आपके पास आ भी गए और दिल्ली सरकार के पास पहुंच भी गए। 3-4 दिन पहले पूरे पेज का एक विज्ञापन आया और उनसे कहा कि सभी लोग दोबारा इसे बना कर दें। उसमें 50 कंडिशन्स लगायी। रैजिडैंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स उसे कहां से भेजे? उनके पास पैसा कहां से आया? आपका विभाग, आपकी सरकार क्यों नहीं इसे बनाती है? सरकार इसके नक्शे बनाए। पहले ऐसे ही हुआ था। हमेशा सरकार नक्शे बनाती थी और उनके सामने रखती थी। नक्शे बना कर लोगों से ऑब्जैक्शन्स मांगे जाते थे, बाद में उन्हें पास कर दिया जाता था और यह काम पूरा हो जाता था। जैसा काम आप कर रहे हैं, उनसे ये कॉलोनियां दस साल तक रैगुलराइज नहीं हो सकती। इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की योजना दस साल से चल रही है और कहा जाता है कि इन्हे रैगुलराइज कर दिया। ये रेगुलराइज नहीं हो रही हैं। बिल्डिंग बाई-लॉज का जब तक ज्यादा उदारीकरण नहीं करेंगे तब तक ये पास नहीं होंगी।

आपने पिछले तीन साल पहले यह जिक्र किया था कि एक साल में एक लाख झुग्गी-झोपड़ी वालों को फ्लैट दिये जाएंगे। तीन साल बीत गए। उन्हें एक भी फ्लैट नहीं दिया गया। मैं इसे चैलेंज कर सकता हूं। सरकार को आए पौने चार साल हो गए हैं। एक भी फ्लैट नहीं दिया। कुल मिला कर चार-पांच लाख झुग्गी-झोपड़ी वाले हैं। एक साल में एक लाख भी बनाएंगे तो पांच साल लगते हैं। चार साल में एक नहीं दिया, एक जगह पर भी नहीं दिया। इसी तरह से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए हॉकिंग जोन नहीं बनाया। आपने कहा कि एक साल के लिए इनको मत गिराओ, एक साल के बाद चाहे गिरा देना और उस बीच में हम योजना बना लेंगे। उस एक साल में क्या पांच लाख फ्लैट बन जाएंगे, हॉकिंग जोन्स बन जाएंगे, सारे रेहड़ी-पटरी वाले वहां बसा दिए जाएंगे? इनके बारे में ऐसी कोई योजना नहीं है। यहां केवल कागजी योजनाएं रखी जा रही हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि ये योजनाएं बनायी गई हैं और क्या मैं योजनाएं रख दूं? आपकी योजना बनाने का क्या लाभ है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमीश्नर, चीफ सैक्रेटरी को समन करती हैं और कहती हैं कि आप पेश हो तथा यह-यह काम आपने क्यों नहीं किया? वह कारपोरेशन के कमिश्नर को भी समन करती हैं। उनसे नीचे के बहुत से लोग हैं। मॉनिटरिंग कमेटी जिस तरह से काम कर रही है, उनके रास्ते में कई कठिनाइयां आ रही हैं? आपके मास्टर प्लान के मुताबिक जहां सीलिंग खोलने का मामला आ जाए, वहां सीलिंग नहीं खुलती है। वह मामला पहले मॉनिटरिंग कमेटी के पास जाएगा और वह पहले उसे देखेगी तथा सीलिंग खोलने का ऑर्डर करेगी। उसमें महीनों लग जाएंगे। वहां से कारपोरेशन में मामला जाएगा और वहां देर लगेगी। जिनकी दुकानें सील पड़ी हैं, आगे सील की जा रही हैं, गलती से भी

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

सील हो रही हैं, उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा? मंत्री महोदय ने कहा कि इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे अपोज करने का सवाल नहीं है। इससे कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है। ये योजनाएं केवल कागजों में धरी न रह जाएं, इसके बाद दोबारा फिर न आएं कि ऑर्डिनैन्स करने की जरूरत पड़े। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप प्रेस्टिज में मत रहिए, लाखों आदमियों पर तलवार लटक रही है, एमनैस्टी स्कीम फिर से लाने की कोशिश कीजिए ताकि एक बार जो दिल्ली में बन चुका है, वह सब का सब रैगुलराइज हो जाये, उसके बाद नया बनने मत दीजिए। लेकिन नये धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, लोग बनाते जा रहे हैं, जो लोग धन और बाहुबल का प्रयोग कर सकते हैं, वे धड़ाधड़ बना रहे हैं, नई एन्क्रोचमेंट्स भी हो रही हैं, बड़े-बड़े दलाल नई रेहड़ी पटरियां लगा रहे हैं। इस बीच में दिल्ली में जमीन की कीमत कहां जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि किसी मिडल क्लास व्यक्ति का एलआईजी या एमआईजी मकान बना है? यहां पर लोअर इनकम और मिडल इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके मकान नहीं बने हैं। कहीं दो सौ गज के मकान की नीलामी पांच करोड़ में होती है, कहीं छोटे सा होटल सैकड़ों करोड़ों रुपये में नीलाम हो रहा है, जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस तरह से कोई गरीब मिडल क्लास का आदमी दिल्ली में मकान बना सकता है? नई दिल्ली में एक प्लॉट तीन सौ करोड़ रुपये में बिकता है, इसे छोड़ दीजिए यहां तक कि गांव के इलाके में या दूरदराज बस्तियों को देखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटियां बंद कर दी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जमीन नहीं दी जा रही है, अगर मकान बनेंगे नहीं, सरकार मकान बनाकर देगी नहीं तो लोग ऑप्शन में मकान खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। गरीब और मिडल क्लास आदमी कहां जाएगा? उसका अपने मकान का सपना कैसे पूरा होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें ताकि फिर न कहें कि फोर सीन सर्कम्स्टांसिस नहीं थे, इसलिए हमें यह ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आप एक ही बार में इस समस्या को हल करें।

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): मैं जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जिन परिस्थितियों में अध्यादेश लाया गया, उसे दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और खास तौर से मल्होत्रा जी भी समझते हैं। मैं जानता हूं जिस वक्त अनधिकृत कालोनियों में छोटी-छोटी दुकानों को सील करने का आदेश पास हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में और बड़ी आबादी जो गांवों में थी, उनमें भी व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने का सवाल आया तब दिल्ली के लोग कितने चिंतित थे, यह मैं समझ सकता हूं। दिल्ली जिन परिस्थितियों से कुछ साल पहले निकली थी, वे सारी परिस्थितियां फिर एक बार दिल्ली के लोगों के समक्ष थीं। मैं सरकार का और खास तौर से जयपाल रेड्डी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों की चिंता को समझा और समझते हुए जिस ऑर्डिनेंस की आवश्यकता थी, वह आया और इससे लोगों को रिलीफ मिला और आज वह बिल हमारे समक्ष है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी कुछ सवाल उठा रहे थे, मैं कुछ बातें सदन के समक्ष लाना चाहता हूं, 2021 का मास्टर प्लान जिसे पिछली एनडीए सरकार को लाना था लेकिन वह ला न सकी। हमारी सरकार 2021 का मास्टर प्लान लेकर आई, 2021 के मास्टर प्लान में दिल्ली के लाखों लोग, चाहे वे झुग्गी-झोपड़ी, अनधिकृत कालोनी, गांव या गांव के बाहर बढ़ी हुई आबादी में, स्लम में रहते हैं या पटरी वाले हैं, उन सब की ओर ध्यान देते हुए ऐसी व्यवस्था की है जिससे उनके सिर पर से तलवार हट सके। विजय कुमार जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दिल्ली की 1500 अनधिकृत कालोनियों को पास करने की चिंता प्रकट की है, पिछली एनडीए सरकार ने उन कॉलोनियों की पास करने का प्रस्ताव किया था और कहा गया था कि हम इन कॉलोनियों को पास करेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन उनसे 3200 रुपये गज के हिसाब से विकास शुल्क लिया जाएगा। यह भी कहा गया था कि सौ गज वालों से 3 लाख 20 हजार रुपये, 200 गज वालों से 6 लाख 40 हजार रुपये लेंगे। लेकिन उस वक्त हमने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हमारी सरकार के आने के बाद जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हमने 612 कालोनियों को पास किया था, उसी आधार पर हम इन कालोनियों को पास करेंगे। माननीय जयपाल रेड्डी जी, आपने सिर्फ इन कालोनियों को पास नहीं किया, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अनपी श्रद्धांजलि देते हुए उसी नीतिगत फैसले के अनुसार इन 1500 कालोनियों को पास करने का फैसला किया है। जिसमें किसी प्राइवेट लैंड पर बैठे हुए लोगों से एक पैसा विकास शुल्क के नाम पर नहीं लिया जायेगा। यह फैसला हमारी यू.पी.ए. की सरकार का है। इसके लिए मैं यू.पी.ए. की सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कालोनियां पास करने का फैसला हो गया है। माननीय विजय कुमार जी आज उन कालोनियों में जाकर देखें, दिल्ली सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके वहां सड़कें बना रही है, नालियां बना रही है। हमने वहां बिजली दी है, पीने का पानी और सीवर की लाइनें डालने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ अड़चने हैं, जिनकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मास्टर प्लान के बारे में लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट में अभी मामला पैंडिंग

है। मुझे उम्मीद है जैसे ही यह वहां से निकलेगा तो नोटिफिकेशन होगा और इन कालोनियों को हम पास करेंगे, जो हमारा दिल्ली के लोगों से वायदा है।

आपने यहां झुग्गी-झोपड़ी के बारे में जिक्र किया। हमने आठ लाख झुग्गी-झोंपड़ी वालों को दिल्ली के अंदर बसाया है। उन्हें 25-25 गज के प्लाट्स देकर हमने 48 पुनर्वासित कालोनियां बसाई हैं। आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमने कहा है कि हम मकान बनाकर देंगे। 2021 के नये मास्टर प्लान में इस बात का जिक्र किया गया है। मैं आपको और सदन को बताना चाहता हूं कि आज से ठीक तीन महीने पहले हमारी यू.पी.ए. की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बवाना में जाकर खुद उन मकानों का फाउंडेशन स्टोन लगाया है और जल्दी से हम उन तमाम झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए दिल्ली में मकान बनाने का काम शुरू कर रहे हैं और शीघ्र ही इसे पूरा भी करेंगे। उससे पहले भी हमने मकान बनाने का एक काम शुरू किया है। ओखला में प्राइवेट सैक्टरों में जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर तीस प्रतिशत झुग्गी-झोपड़ी वालों को मकान देने का तय किया गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां एक लाख रुपये गज की जमीन है, जिस पर मकान बनेंगे और झुग्गी-झोपड़ी वालों को दिए जाएंगे। नये मास्टर प्लान के अंदर एक और बड़ा काम हुआ है। पहले किसानों की जमीन एक रुपये गज ली जाती थी, सौ रुपये गज ली जाती थी। जिसका जिक्र माननीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने किया है और वह जमीन करोड़ों रुपये में बेची जाती थी। डी.डी.ए. दिल्ली में किसानों का शोषण कर रहा था। ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों को बेच रहा था। एक-एक प्लाट एक-एक हजार, दो-दो हजार करोड़ रुपये के बेच रहा था। लेकिन जो किसान उस पर खेती करता है, उससे वह जमीन कौड़ियों के भाव पर ली जा रही थी। पहली दफा 2021 के नये मास्टर प्लान के अंदर, प्राइवेट सैक्टर और प्राइवेट पार्टनरशिप में आज हमने मकान बनाने की इजाजत दी है। इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस जमीन को डी.डीए. कौड़ियों के भाव पर खरीदता था, आज किसान अपनी उस जमीन को मुंहमांगी कीमत पर बेच रहा है। माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी डाबरी के अंदर नजफगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में जहां 15 से 20 लाख रुपये एकड़ के भाव पर जमीन बिका करती थी, एक साल के अंदर तीन करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन बिक रही है। यू.पी.ए. की सरकार ने यह काम किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह काम किया है। आज हम इससे भी आगे बढ़े हैं। हमने अनधिकृत कालोनियों को पास करने की बात भी कही है। उसके साथ-साथ गांवों के साथ बढ़ी हुई आबादी, जिसकी हदबंदी की गई थी। 1908 में जो लाल डोरा निर्धारित किया गया था कि इससे आगे मकान नहीं बनेंगे। 1908 के बाद आबादी बढ़ी, मकान बने, बेटा हुआ, पोता हुआ, उन लोगों पर हमेशा तलवार लटकी

रहा करती थी। आज हमने उन्हें भी रिलीफ देते हुए यह कहा है कि जितनी गांव की बढ़ी हुई आबादी है, उन्हें रेगुलराइज किया जायेगा। यह हमने नये मास्टर प्लान में किया है। नये मास्टर प्लान के अंदर सिर्फ प्राइवेट सैक्टर में जमीन बेचने का काम नहीं किया है, सिर्फ मकान बनाकर देने का काम नहीं किया है, बल्कि यह व्यवस्था भी की है कि जो प्राइवेट सैक्टर में मकान बनेंगे, जिनके लिए आप चिंता प्रकट कर रहे हैं कि एल.आई.सी. के लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग कहां जायेंगे।

उसमें से 40 प्रतिशत मकान शहर के लोगों और मिडिल क्लास के लोगों को देने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए डी.डी.ए. कीमत निर्धारित करेगा, यह इस विधेयक में कहा गया है। प्रो. मल्होत्रा इस बात पर चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि पटरी-रेहड़ी वालों को हटाया जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह सब कौन और क्यों कर रहा है? क्या 6 महीने पहले नगर निगम के चुनावों के समय इन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया था कि हमें वोट दो, हम जीतकर आयेंगे, किसी पटरी-रेहड़ी वाले को नहीं हटने देंगे, किसी की दुकान सील नहीं होने देंगे. किसी का मकान नहीं टूटने देंगे लेकिन आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहे हैं और किस कारण से हो रहा है? आज नगर निगम वाले आते हैं और पटरी रेहड़ी वालों का सामान उठाकर ले जाते हैं। मैं इनकी चिन्ता समझ सकता हूं। वह हजारों गरीब लोगों के बारे में जरूर सोचते हैं लेकिन वह जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी ने कभी गरीबों की बात नहीं की। उसने तो बड़े बड़े व्यापारियों के बारे में सोचा है। अगर ये लोग पटरी-रेहड़ी वाले के पास खड़े होते या जब मकान तोड़ते समय वहां रहते तो मकान तोड़ने वालों के खिलाफ बोलते लेकिन दिल्ली नगर निगम की तरफ से उन्हें हटाया जा रहा है, उनकी दुकानें सील की जा रही हैं उन्हें रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? इस काम को रोकने के लिए आगे बढ़कर क्यों जाते? सच बात तो यह है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमारी चिन्ता है और हमने तय किया है कि पटरी वालों को तहबाजारी देंगे, उन्हें स्टाल लगाकर देंगे, यह नये मास्टर प्लान में दिया गया है। जो नया मास्टर प्लान आया है, वह दिल्ली की तकदीर संवारेगा, दिल्ली को बनायेगा, उसे आगे बढ़ायेगा। इन सब कार्यों के लिए माननीय जयपाल रेड्डी जी ने एक साल का समय मांगा है।

सभापति जी, इस संबंध में कुछ सवाल गम्भीर हैं। गांवों के अंदर क्या हालत होने वाली थी। जिन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था, उससे तो 1000 बच्चे सड़कों पर आ जाते। वे बच्चे कहां और किस स्कूल में पढ़ने जाते लेकिन हमारी सरकार ने इस बात की चिन्ता की है और इस समस्या को समझा भी है। इसलिए, चाहे स्कूल हों या अस्पताल हों, चाहे गोदाम हों- जहां खाद्य सामग्री रखी जाती है, दिल्ली की सप्लाईलाईन है, जहां

[श्री सज्जन कुमार]

से अनाज, चीनी, खाद्यान्न सामान आता है-सब को सील करने की बात आ गई थी। अगर ये सब सील कर दिये जाते तो दिल्ली दिल्ली न रहती। इसलिए यह आर्डिनेंस लाया गया और माननीय मंत्री जी, जो बिल लेकर आये हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, श्री मल्होत्रा जी ने अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, मेरी भी इसमें चिन्ता है जिसके लिए दिल्ली सरकार ने सरल शर्तें मांगी हैं। हमारे दोस्त श्री जगदीश टाईलर ने भी चिन्ता की है। हमारा कहना है कि ऐसी सरल नीति बननी चाहिए जिससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों को मुसीबत का सामना न करना पड़े, उन्हें जेब से पैसा न खर्च करना पड़े। मैं उससे आगे यह कहना चाहूंगा जो श्री मल्होत्रा जी ने भी कही है, कि सिर्फ इसमें पैसे का सवाल नहीं है बल्कि इन कालोनियों में स्कूल कहां होगा, पार्क कहां होगा? कॉलोनाइजर्स तो जमीन बेचकर चले गये, इसलिए न स्कूल, न पार्क, न अस्पताल और न पुलिस स्टेशन के लिए जगह है और न डिस्पैंसरी के लिए जगह है। कहां पर 40 से 60 फीट चौड़ी सड़क बनेगी? इसलिए स्व. इंदिरा गांधी ने 612 कॉलोनियां पास करते समय कहा था कि वे जहां हैं, उसी आधार पर उनकी कॉलोनी पास की जायेगी तो कॉलोनी के लोगों को फायदा होगा वरना हम कहां हजारों मकान तोड़ेंगे, कहां मकान तोड़कर हम स्कूल बनायेंगे या पार्क बनायेंगे या पुलिस स्टेशन बनायेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब नीतियों पर ध्यान दें। दिल्ली सरकार को अपने पास बुलायें और बैठकर इन बातों पर चिन्ता करें, कुछ कार्यवाही करके उनकी समस्या को दूर करें।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने चौथी मंजिल के बारे में कहा था। वह भी चिन्ता की बात है। यह सही बात है कि सिर्फ रिफ्यूजीस ने नहीं, हमारे यहां गांव के लोगों ने भी चौथी, पांचवीं और छठी मंजिल बना रखी हैं। इनके यहां भी हैं, मल्होत्रा साहब के यहां भी गांव हैं, वहां भी उन्होंने बना रखे हैं। अब यदि उन्हें तोड़ेंगे और बाकी लोगों को रिलीफ देंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको उन्हें भी इसमें जोड़ना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देता हूं और इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): महोदय, अपने दल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की तरफ से, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जबकि मैं इसका समर्थन करता हूं, फिर भी मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा जो हमारी राय में इस अधिनियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक किया जाए।

विधेयक की प्रस्तावना के पहले पैरे का पाठ है, "जबकि प्रवास और अतिक्रमण अथवा अनधिकृत विकास के अन्य कारकों के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी में अत्यधिक वृद्धि हुई है ....." यदि भविष्य में भी प्रवास जारी रहता है, तो क्या इस विधान को अधिनियमित किये जाने के बाद भी दिल्ली और अन्य महानगरों में समस्याएं जारी नहीं रहेंगी? इसलिए, हमें प्रवास रोकने हेतु कदम उठाने चाहिए। मेरी यह सविनय राय है कि राजग और संप्रग दोनों ही महानगरों में किसानों के प्रवास के पक्षधर हैं।

जबकि माननीय शहरी विकास मंत्री प्रवास और अनधिकृत विकास आदि के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रालय विशेष आर्थिक जोनों के सृजन जैसी परियोजनाएं तैयार कर रही हैं जिससे हजारों किसान अपनी भूमि से बेदखल होते जा रहे हैं। यदि हजारों-लाखों किसान अपनी भूमि से बेदखल हो रहे हैं, जिन पर वे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो वे कहां जाएंगे? वे महानगरों में आएंगे और भीख मांगने लगेंगे। समय बीतने के साथ यह समस्या फिर अपना सर उठाएगी। महानगरों की समस्या का समाधान तभी होगा, जब सरकार भूमि सुधार पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ताकि लोग अपने गांवों में रह सकेंगे, अपना जीविकोपार्जन करेंगे और वे अपनी जमीन पर बहुत खुशी एवं सम्मान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे; उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ही अनधिकृत कालोनियों, अतिक्रमण आदि की समस्या का समाधान हो सकता है, जो देश के विभिन्न महानगरों में उत्पन्न हो रही हैं।

पृष्ठ 3 पर, 1994 के अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में अनधिकृत विकास का तात्पर्य, स्वीकृत योजना का उल्लंघन करके अथवा बिना स्वीकृत योजना के अथवा भूमि मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान के अंतर्गत प्राप्त अनुमति के अनुसार भूमि उपयोग का उल्लंघन कर निर्माण आदि के लिए भूमि का उपयोग अथवा भवन का उपयोग करने से है। एक मास्टर प्लान था-दिल्ली 2001 का मास्टर प्लान, ये सारी अनधिकृत कालोनियां इस मास्टर प्लान की मौजूदगी के बावजूद विकसित हुई हैं। क्या निर्माण योजना की स्वीकृति कार्य से संबंधित अधिकारी इसमें शामिल हैं अथवा क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाए।

मैं एक शहर में रहने वाला हूं। मेरी राय है कि किसी महानगर में तब तक कोई अनधिकृत भवन का निर्माण नहीं कर

सकता जब तक शहर के अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो, चाहे जिस रूप में हो। इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है? सरकार भवनों को तोड़ रही है। वह व्यक्ति जिसने फ्लैट खरीदा, जाने-अनजाने वह भुगत रहा है। आप क्षेत्र में कम से कम हजार लोगों में से किसी एक को दंड दे सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन अधिकारियों को क्या दंड दिया जो अनधिकृत निर्माण के इस घोटाले में शामिल हैं और भू राजस्व विभाग के अधिकारी जो आंख बंद कर देख रहे थे? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वे नहीं देख रहे थे क्योंकि मेरी राय में, वे उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं, जब भूमि उपयोग संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है वे आंख मूंदकर देख रहे हैं।

यदि किसी प्रणाली को इस तरह से चलाया जाएगा जिसमें सरकार की योजना का ही अनुपालन नहीं किया जायेगा अथवा इसका उल्लंघन किया जाएगा और यदि उन भद्र लोगों को बिना दंड दिये छोड़ दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं-2021 तक, निश्चित रूप से उस समय तक मैं नहीं रहूंगा-सरकार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकसित हो रही सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए पुनः इसी तरह का अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ेगी।

यह मेरा बहुत ही विनम्र वक्तव्य है। लेकिन मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं, दिल्ली के लोगों को ऐसे अधिनियम की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, चूंकि यह परिपाटी है कि विधेयक, जब अध्यादेश की शक्ल में आता है, तो उसे अस्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव के साथ ही उस पर चर्चा होती है। इस पद्धति को जानते हुए मैंने इसके डिसएप्रूवल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। चूंकि मंत्री जी ने इसे विधेयक की शक्ल में रखा है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं केवल समर्थन ही नहीं करता हूं, बल्कि विधेयक पर जो नियोजन की सारी व्यवस्था है, उसका अधिकार सरकार ने 31 दिसम्बर, 2008 तक अपने हाथ में लिया है, मैं ऐसा समझता हूं कि वर्ष 2008 के बाद फिर इन्हें एक नया अध्यादेश लाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होता कि इसकी अवधि पहले ही सरकार चार-पांच साल तक की बना लेती। इससे आपको भी सुविधा होती और हम लोगों को बार-बार डिसएप्रूवल का प्रस्ताव इस सदन में नहीं लाना पड़ता।

मैं इस विधेयक का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करता हूं। इस समस्या को भारत सरकार ने गम्भीरता से लिया है। दिल्ली, भारत का राजधानी क्षेत्र होने के नाते, देश के हर कोने का आदमी, दिल्ली में ही आकर बसे रहना चाहता है। जो एक बार संसद के भीतर प्रवेश कर जाता है, वह निरन्तर इस बात के प्रयास में रहता है कि दिल्ली शहर में हमें भी एक फ्लैट मिल जाए। पहले पद्धति थी कि संसद सदस्यों की सहकारी समितियां बनाकर जमीन मिलती थी या जो डी.डी.ए फ्लैट्स बनाती थी, उसमें उनका कुछ आरक्षण होता था, मंत्री लोग देते थे। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी हैदराबाद चले जाएंगे, इसलिए माननीय संसद सदस्यों की इस परेशानी से वे निश्चिन्त हैं। अतः वे इस बारे में कुछ नहीं सोचते हैं।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि डी.डी.ए. ने अपनी तरफ से फ्लैट बनाकर बंधी हुई आमदनी के लोगों को आरक्षण करने की जो पद्धति थी, उसे बहुत कम कर दिया है, बहुत सीमित कर दिया है और अब उसकी ओर से जो विकसित प्लाट हैं, वे बहुत महंगी कीमत पर बाजार में नीलाम किये जा रहे हैं। इस नीलामी की पद्धति को कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको रोकना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक निर्णय किया था कि दिल्ली शहर के रिहाइशी इलाकों से कल-कारखानों को हटा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कुछ कारखानेदारों की मिलीभगत थी, क्योंकि आज से 70-80 साल पहले इस देश के बड़े महानगरों में दो लाख, पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कारखानेदारों को जमीन सरकार ने किसानों को उजाड़कर दी थी, ताकि इस देश में औद्योगिकीकरण तेजी से हो। लेकिन जब इससे शहरीकरण तेजी से हुआ और बाहर के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और शहरों में रिहाइशी की जरूरत पड़ी तो उन कारखानों को बंद कराना पड़ा। उन्होंने उनको खुद बीमार किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बहाना किया और कभी सरकार की ओर से ही आदेश करवाया, जिससे उनके कारखाने बंद हो गए। बंद होने के बाद राजनीतिक लोगों, मुझे यह कहते हुए चिन्ता हो रही है कि राजनीति में लगे हुए लोगों ने 1200 करोड़ रुपये में बम्बई के पुराने बंद पड़े कपड़े के कारखानों की जमीनों को खरीदा और दिल्ली शहर में, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि पुराने कपड़े के कारखानों की जमीन को 12500 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा पुराने मिल मालिक ने किसी बिल्डर के साथ किया। हमारे लुटियन्स जोन, जिसको दुनिया का नायाब इलाका कहा जाता है और जिसे श्रेष्ठ इंजीनियर ने बनाया है, यहां एक छोटे बंगले को, अखबार में मैंने पढ़ा कि 350 करोड़ रुपये में उसका सौदा हुआ और उसको बेचा गया।

[श्री मोहन सिंह]

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम यहां लिया गया। मैं उनका दिल से आदर करता हूं क्योंकि मैं इस बात को मन से स्वीकार करता हूं, उनका विरोध करने के बावजूद स्वीकार करता हूं, रेड्डी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने इंदिरा जी का भरपूर विरोध किया, लेकिन इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि उनके मन में गरीबों के प्रति जो संवेदना थी, वह आज के गांधीवादी लोगों में नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरह का गरीबों के प्रति संवेदना का भाव इस सरकार में आज की तारीख में आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है झुग्गी-झोपड़ी वालों को मकान देकर बसाना।

महोदय, महानगर में बंधी हुई आमदनी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, पेंशन पर अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं, पहली तारीख को तनख्वाह पाकर अपनी जीविका बसर करने वाले जो लोग हैं, वे अपनी नौकरी के समय तो आवास पा जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा? क्या आप उनको मजबूर करेंगे कि वे इस नगर को छोड़कर जाएं, जबकि उनके बच्चों का पालन और संस्कार इसी दिल्ली शहर में रहने और बसने का हो गया है। उनके लिए दो और तीन कमरे का फ्लैट बनाकर देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सरकार की आवास नीति में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं।

महोदय, अभी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने सरकार और म्युनिसिपल कार्पोरेशन को निर्देश दिया है कि तीन मंजिल से ज्यादा, चार और पांच मंजिल भवनों को टॉस्क फोर्स लगाकर 15 दिन के अंदर गिरा दिया जाए। इस दिल्ली महानगर में सैकड़ों गांव हैं, जो शहर में आ गए हैं। हमारे मित्र जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यहां कह रहे थे कि उन लोगों के परिवार बढ़ते गए और उन्होंने अपने ग्रामीण भवन के ऊपर पहले एक मंजिल, फिर दो मंजिल, फिर तीन मंजिल, चार मंजिल और पांच मंजिल बना लिए। वहां बुलडोजर जा ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट शीर्षासन कर दे, हाईकोर्ट शीर्षासन कर दे और आपकी पूरी सरकार लग जाए, तब भी उन बस्तियों को उजाड़ने के लिए आपका बुलडोजर वहां नहीं जा सकता। आप सड़कों को उजाड़ते हैं। हम इसलिए विनती करना चाहते हैं कि ये जो पुराने भवन बने हुए हैं, जिनको आज की तारीख में गिराना अव्यावाहारिक है और आइवरी टावर में बैठकर उनको गिरा देने का निर्देश देना, एक सबसे आसान काम है, इन दोनों के बीच सरकार को संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने केस को ठीक से लड़ना चाहिए और वहीं उसको रेग्युलराइज्ड करने के लिए अगर आप पार्लियामेंट के भीतर आते हैं, तो हम आपका पुरजोर समर्थन करते हैं, इस बात का हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि इस महानगर के इर्द-गिर्द जो किनारे के छोटे विकसित होते हुए शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव हैं, उनमें गुड़गांव की कीमत तो बहुत बढ़ गयी है और ग्रेटर नोयडा की भी बढ़ने वाली है। उन राज्य सरकारों से आप बात करिए कि आपका प्रमुख काम यही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा, नोयडा और गुड़गांव इन सभी ने डीडीए की पद्धति को स्वीकार कर लिया है और अब कोई प्लाट का एलाटमेंट नहीं करता है, कोई फ्लैट का एलाटमेंट नहीं करता है और कोई अपनी तरप से फ्लैट नहीं बनाता है, बल्कि बड़े बिल्डर्स को तीन-चार सौ करोड़ रुपये में बड़े-बड़े प्लाटों का आवंटन करके डेढ़-दो या ढाई-तीन करोड़ रुपये में चार कमरे के फ्लैट बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। इस देश में एक वर्ग ऐसा हो गया है, जिसकी आबादी अमेरिका की आबादी के बराबर इस देश में है और उसके पास पैसा भी औसतन आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया है, वह डेढ़ करोड़ रुपये का भी तीन-चार कमरे का प्लैट खरीद सकता है, लेकिन सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए फ्लैट्स की कीमत, इस महानगरी के इर्द-गिर्द बसने वाले, जिसको आप यूनियन टेरिटरी का हिस्सा कहते हैं, सिटी कैपिटल का हिस्सा कहते हैं, उसके भी भाव समान रूप से रहें, इसकी एक कोशिश भारत सरकार को करनी चाहिए।

महोदय, इन थोड़े से सुझावों के साथ मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं ऐसा समझता हूं कि इनकी जो पुरानी वफादारी इस देश के गरीबों, साधारण और कमजोर लोगों के साथ है, कांग्रेस में जाने के बाद भी वह कभी-कभी संवेदित होता है और पारदर्शी ढंग से सामने आता है, आज उन्होंने उसको दिखाया है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए, मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सभापति जी, हम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने दूसरे विधेयक में कुछ संशोधन किये हैं। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि यह एक संशोधित विधेयक है।

महोदय, हम इस विशेष विषय पर इस सभा में गत दो वर्षों के दौरान चौथी बार चर्चा कर रहे हैं। चूंकि सरकार पहले प्रयास में इस समस्या को सुलझाने में सक्षम नहीं है इसलिए हम इस मामले पर इस सभा में सरकार की कार्यवाही को चौथी बार

अनुमति और स्वीकृति प्रदान करके चर्चा कर रहे हैं। नि:संदेह यह एक संवेदनशील मामला है क्योंकि यह प्रश्न लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। यदि अनधिकृत कालोनियों में हर चीज, रोजगार, आवास की गणना की जाए तो मैं समझता हूं कि यह लगभग एक करोड़ लोगों की समस्या है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह 1.5 करोड़ लोगों की समस्या है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम दिल्ली के लगभग एक करोड़ लोगों की समस्या की अनदेखी नहीं कर सकते और न ही हमें ऐसा करना चाहिए। हम जानते हैं कि दिल्ली के लोग किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। नि:संदेह हमने इस मामले पर चर्चा की है। जो मामले अभी बहस के केन्द्र में हैं उन बातों पर विचार करते हुए मास्टर प्लान में बहुत पहले ही संशोधन किया जाना चाहिए था। सरकार मास्टर प्लान में संशोधन करने में अधिक समय ले रही है। यह सरकार अभी भी मात्र 15 वर्ष के भविष्य की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार 20, 50 या 100 वर्षों के लिए क्यों नहीं सोच रही है। सरकार बिना किसी उद्देश्य के सभा की स्वीकृति ले रही है। मास्टर प्लान मात्र पांच, दस अथवा पन्द्रह वर्षों के लिए खंडवार तैयार किया जा रहा है। हम जानते हैं कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और अगले 10, 15, 20 या 100 वर्षों में क्या होगा।

हम जानते हैं कि विश्व किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों में वे अपने बड़े शहरों के मास्टर प्लान को बदलने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास 100 वर्षों का अपना मास्टर प्लान है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके पास 100 वर्षों की एक संदर्शी योजना भी होनी चाहिए थी ताकि इन सभी अनावश्यक चीजों के लिए कोई जगह ही न बचे जिनका आज हर व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है।

हर व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली एक अति आधुनिक और एक आदर्श शहर बने। नि:संदेह यह हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली को अति आधुनिक और आदर्श शहर बनाया जाए। इस प्रयोजनार्थ एक नई मास्टर योजना की आवश्यकता है जिसे सही ढंग से अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता है। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2021 के दृष्टिगत एक अभिकल्पना की गई थी। अब इस दूसरे अध्यादेश की आवश्यकता है क्योंकि सरकार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मास्टर प्लान 2021 के अनुपालन में क्षेत्रीय विकास योजना को अभी तैयार किया जाना शेष है। इस दूसरे अध्यादेश का यही मुख्य कारण है। सरकार को इसे बहुत पहले तैयार कर लेना चाहिए था। जब मास्टर प्लान तैयार किया गया था, उसी समय क्षेत्रीय विकास योजना को उसी के अनुरूप अपना मास्टर प्लान तैयार करने का परामर्श देना चाहिए था ताकि इसे दूसरे अध्यादेश अथवा विधेयक में दुबारा लाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब क्या हो रहा है। कार्य में यह विलंब होने के कारण न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है। अब वे बहुत गंभीर है। पहले भी इस सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन न्यायालय के आदेश को खारिज करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह विधायिका का दायित्व नहीं होना चाहिए। न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के लिए ही आपको कुछ विधान नहीं लाना चाहिए। हमें सरकार को बचाने के लिए एक विधान नहीं लाना चाहिए था। मैं इस संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद गत तीन वर्षों से इस बात को देख रहा हूं कि न्यायालय के आदेश को अस्वीकार करने के लिए ही कुछ विधान लाने की प्रवृत्ति रही है। आप अपने आप को इस तरह क्यों नहीं तैयार करते ताकि आपको इस परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यायालय या तो अधिनियम को खारिज कर रहा है या फिर वह कतिपय टिप्पणी कर रहे हैं जिसके कारण हर व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है। मुझे आशंका है कि यह इस अधिनियम के साथ भी होगा क्योंकि इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी गई है और न्यायालय ने नोटिस जारी किया है तथा केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इससे खराब परिदृश्य पैदा होने की संभावना है। यह मेरी आशंका है। मैं माननीय मंत्री की चिंता समझ सकता हूं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से विधान सभा का चुनाव हर पांच वर्ष में होता है। इसलिए इस चिंता के कारण उनकी पार्टी बहुत जोर डाल रही है। मैं जानता हूं कि उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है लेकिन उन्होंने इस विधान के लिए दुबारा बहुत दबाव डाला है। लेकिन कुछ विधान के माध्यम से न्यायालय के आदेश को खारिज करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति लोकतंत्र की खराब प्रवृत्ति है। मैं माननीय मंत्री, उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को जानता हूं। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वे लोकतंत्र के प्रवर्तक हैं लेकिन न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के कारण उन्हें स्वयं न्यायालय से प्रतिक्रिया प्राप्त करनी पड़ी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से सदैव यह अनुरोध करता रहा हूं कि उन्हें मास्टर प्लान पहले तैयार कर लेनी चाहिए था। उन्हें अपने अधिकारियों को इसे पहले तैयार करने के लिए कहना चाहिए। महें इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता है? हमने इसे तैयार करने के लिए दो वर्षों या तीन वर्षों का समय क्यों नहीं लिया। सरकार को इसका अनुमान लगाना चाहिए था। विधेयक को इस सभा द्वारा पारित किया गया। उस समय हमें दो वर्ष या तीन वर्ष लेना चाहिए था। यदि हम ऐसा करते तो ऐसी

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

स्थिति पैदा न होती। लेकिन हम सभी समय पर निर्णय नहीं ले सके और आप यह दूसरा अध्यादेश लाए हैं।

इस प्रकार भारत सरकार सभी मुसीबतों और असुविधाओं के लिए जिम्मेदार हैं जिसे लोगों ने कहा है। यही मैं कहना चाहता हूं। नए मास्टर प्लान की समय पर समीक्षा और संशोधन भारत सरकार द्वारा किया जा सकता था। मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। ये सभी चीजें बहुत पहले की जानी चाहिए थीं लेकिन केन्द्र सरकार सही समय पर ऐसा करने में असफल रही।

महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं इसलिए मैं देश के अन्य शहरी क्षेत्रों में लोगों के समक्ष आ रही दिक्कतों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमें यहां इस शहर के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है लेकन देश के अन्य शहरी क्षेत्रों के लोग भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कार्पोरेट युग के इस दौर में अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उनकी कृषि योग्य भूमि छीनी जा रही है। उनके पास सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसी सुविधा के अभाव में वे अपने जीवन यापन के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की क्या संदर्शी योजना है। यह समस्या गंभीर और चौंकाने वाली प्रतीत होती है। अधिक जल, अधिक विद्यालय, अधिक चिकित्सा सुविधाएं और अधिक खाने पीने की चीजों की आवश्यकता होगी। शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों हेतु इस तरह की बड़े पैमाने पर सुविधाएं भविष्य में मुहैया कराना संभव नहीं होगा।

मुझे चीन का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां शहरी क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। वहां हर व्यक्ति को शहरी क्षेत्रों में आने की इजाजत नहीं दी जाती है। उन्होंने कार्ड जारी किया है। मात्र कार्डधारक शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और अन्य लोगों को वापस गांव भेज दिया जाता है और उन्हें वहां रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं? हमारी सरकार को इस प्रकार की योजना भी लानी चाहिए। नि:संदेह हमारा देश लोकतांत्रिक देश हैं और हम इस तरह का नियंत्रण नहीं .लगा सकते लेकिन हम यह देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएं शहरी क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जा सकती हैं। शहरी क्षेत्र में लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं और उनके पास अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवनयापन की कोई सुविधाएं और संसाधन नहीं हैं। स्थिति चौंकाने वाली बनती जा रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे देश के सभी नगरीय क्षेत्रों हेतु एक संदर्शी योजना लाएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007 इस सदन में लेकर आये हैं। इस बिल के माध्यम से, वैसे काफी लोग राहत ले रहे हैं क्योंकि अध्यादेश पहले लागू हो गया था, लेकिन आज इस बिल के पास होने पर यह कानून का स्वरूप ले लेगा। जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली वासियों के लिए परेशानियों का सबब रहा, वह हम सब जानते हैं। माननीय न्यायालय ने जब सीलिंग का आदेश दिया, तो बड़े पैमाने पर दुकानों, मकानों की तोड़-फोड़ हुई। इस कारण न जाने कितनी दुकानें बंद हो गयी, न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गये और हर तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम हो गया। इससे राज्य और केन्द्र सरकार के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जब कानून बन जाएगा तो इन समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। देश के हर राज्य और हर तबके से लोग यहां आते हैं। खासतौर पर पूर्वांचल, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल आदि का जो इलाका है, से बड़े पैमाने पर लोग यहां आकर रहते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं। वहां गरीबी, फटेहाली है। गांवों में गरीबी और बेरोजगारी होने के कारण वे लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए यहां आते हैं। वे यहां मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविकोपार्जन करते हुए अपनी जिन्दगी काट रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूर्वांचल के लगभग 40 लाख लोग यहां रहते हैं। स्वाभाविक है कि वे यहां आएंगे, लेकिन उनके लिए यहां कोई व्यवस्था या सुविधा नहीं हैं, कहीं फ्लैट बने नहीं हैं। आज भी सरकार के द्वारा जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है जिसे वे एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि केवल बड़े और समर्थ लोग ही इन फ्लैट्स को ले सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब यहां रोजी-रोटी के लिए लोग आए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपना अस्थायी आवास बनाकर, झुग्गी-झोपड़ी डालकर रहते हैं और यह भी सही है कि उनमें से बहुत से लोग नारकीय स्थिति में जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से इतने वर्षों से लोगों ने धीरे-धीरे बसते-बसते एक आशियाना बना लिया है, कुछ लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं। वैसे यह अवैध कालोनियों को नियमित करने का मामला बहुत पुराना है और मैं

समझता हूं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं, उस समय से अनियमित कालोनियों को नियमित बनाने का मामला चला आ रहा है। उस समय के दो सांसद-श्री सज्जन कुमार और श्री टाइटलर जी-यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में भी उन्होंने इस अनियमित कालोनियों के प्रति अपनी आवाज उठायी थी कि उनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1976-77 में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय हुआ कि अनियमित कालोनियों को नियमित किया जाए। मैं समझता हूं कि इन प्रयासों की वजह से यहां 540 अनियमित कालोनियां नियमित हो गयी हैं। इसके लिए मैं दिल्ली के इन सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद की। आज स्थिति यह है कि पूरे देश के लोग यहां आकर जब बसते हैं तो उनके लिए चूंकि यहां कोई ठौर-ठिकाना नहीं रहता है तो स्वाभाविक है कि अनियमित कालोनियां बनेंगी। मैंने देखा है कि पटना बिहार की कैपिटल है, वहां भी प्रदेश के अन्य भागों से लोग जीविकोपार्जन के लिए आते हैं और रहते हैं। पटना हो, दिल्ली हो या देश के अन्य शहर, चूंकि गांवों में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण यह स्वाभाविक है कि लोग वहां जीविकोपार्जन के लिए आएंगे और इस तरह से वहां अवैध कालोनियां बनेंगी। सरकार को इस बारे में एक व्यापक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मैं इस बिल के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक व्यापक पॉलिसी बनाइए ताकि जो लोग बाहर से यहां आकर अपना जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं, उनका कुछ हित हो। आप डीडीए के माध्यम से फ्लैट्स बना रहे हैं लेकिन क्या आपने इन गरीबों के लिए कुछ सोचा है? मैं जानता हूं कि आप गरीब-परस्त लोग हैं, उनके लिए आपके दिल में दर्द है, इसलिए उनके हित में कोई व्यापक योजना बनाइए ताकि उनको इन परेशानियों का सामना न करना पड़े अन्यथा कभी भी कोर्ट का आदेश हो जाएगा, कहीं बुलडोजर चल जाएगा और लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पर्यावरण के नाम पर न्यायालय ने कल-कारखाने बंद करने का आदेश दिया, उस पर कार्यवाही शुरू हो गयी, जिससे पूर्वांचल के लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए और उनको मजबूर होकर अपने गांव जाना पड़ा। बिहार के लाखों लोग बेरोजगार होकर वापस चले गए। इसी तरह जब अनियमित कालोनियों के नाम पर कार्यवाही शुरू हुई तो रेजीडेंशियल इलाके में दुकान वगैरह चलाकर जो लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उनमें दुकानदार तो परेशान हुए ही, उनमें काम करने वाले जो लाखों लोग थे, उन पर भी वज्रपात हो गया। उसमें काम करने वाले लाखों लोगों पर वज्रपात हो गया। कई लोग तो जान तक देने को तैयार थे। उसी बीच उन्हें राहत देने के लिए केन्द्र सरकार

ने संसद में विधेयक पास कराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना। सरकार ने उन लोगों को राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी राजनीति शुरू हो गई। मैं समझता हूं हम सभी को साफ दिल से इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है।

राजधानी दिल्ली में इस वक्त करीब 1500 अवैध कालोनीज हैं, जिन्हें नियमित करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक ठोस कानून बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। आप गरीबों की तरफ भी देखें, केवल बड़े लोगों की तरफ ही न देखें। हमारा कल्याणकारी राज्य है और यूपीए सरकार तो गरीबों की ही मदद से सत्ता में आई है। इसलिए उनके लिए मकान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उनके लिए पीने के साफ पानी की भी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। वे लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों की चपेट में वे आ जाते हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में इस कारण कई तरह की महामारियां भी फैलती हैं और काफी लोग उस जह से मौत की नींद सो जाते हैं। इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना होगा और उनके लिए व्यवस्था करनी होगी।

इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें रहने के लिए मकान हो। अगर उन्होने किसी तरह जगह ले ली है, उन्हें वहां से आप हटा देंगे तो वे कहां जाएंगे। दिल्ली में लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियों में आश्रय ले रहे हैं। यह स्थिति केवल दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि हर बड़े शहर में ऐसी हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस वर्ग की तरफ विशेष ध्यान दें और उनके लिए ठोस उपाय करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह भी सही बात है कि ये गरीब तबके के लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग रोजी-रोटी के लिए यहां आएंगे ही। हमारा संविधान भी कहता है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर बस सकता है और अपने लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकता है। आप उसे रोक नहीं सकते। इसलिए उनके माकूल व्यवस्था करें। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, गरीबी, फटेहाली और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार और रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जब तक सरकार उन्हें वहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी, लोगों का शहरों की तरफ पलायन जारी रहेगा। अगर आप उनके लिए वहीं रोजगार की व्यवस्था कर दें तो शहरों में वे नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना घर, परिवार और गांव छोड़कर परेशान होने के लिए शहर में नहीं आता। वे लोग मजबूरी में, जीविकोपार्जन के लिए अपने घर और गांव को छोड़कर शहर की तरफ रुख करते हैं।

दिल्ली में आज जो चमक दिखायी देती है, उसके पीछे इन 40 लाख पूर्वांचल के लोगों की चमक है, जिन्होंने अपनी मेहनत

[श्री राम कृपाल यादव]

और पसीने से दिल्ली को चमकाया है। अजीब विडम्बना है कि जो मकान बनाता है, उसके लिए घर नहीं है, जो काम करता है उसके लिए खाना नहीं है, जो जूता बनाता है, उसके पहनने के लिए जूता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में इतना दोष आ गया है कि गरीब और अमीर के बीच खाई काफी चौड़ी हो गई है। इसीलिए आज गरीब वर्ग में आक्रोष व्याप्त है, क्योंकि उसे रहने के लिए मकान, परिवार को पालने के लिए रोजी-रोटी नहीं मिल रही है। आज दिल्ली में ऐसे अनेक घर हैं, जहां कमाने के बाद भी खाना नहीं है। ठेले वाले, खोमचे वाले, रिक्शे वाले आदि ऐसे लोग हैं, जिन्हें कमाने के बावजूद पर्याप्त खाने को नहीं मिल रहा है। देश की आजादी के 60 वर्ष बाद भी यह हालत है। संविधान में भी कहा गया है कि जो पैदा हुआ है, उसको जीने का हक है। सरकार का दायित्व है कि उसके लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था करे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। दिल्ली कैपिटल टाउन है, लेकिन यहां गरीबों के लिए शौच तक की उचित व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर हैं, उनकी हालत आप देखें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।

कुछ समय पूर्व जब दिल्ली में सीलिंग अभियान चला था, तो छोटे-छोटे दुकानदारों पर वज्रपात हो गया था। कोर्ट में यह मामला जब गया, अगर उसके पहले ही इसका समाधान कर लिया जाता और समस्या का निदान कर लेते, तो इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। कई दुकानदारों की दुकानें टूट गई थीं, वे लोग परेशानी की हालत में आज भी आंसू बहा रहे हैं।

मैं सीधा चार्ज करता हूं कि ये जो एनडीए के लोग बैठे हैं, समय-समय पर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया और आज कांग्रेस पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं। आपकी सरकार लगातार रही है, आपने ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जिससे गरीब लोगों की परेशानी दूर होती।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सभापति जी, 55 साल से सत्ता में यही लोग रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: लगातार आपकी सरकार रही है। सरकार आपकी थी, मेयर आपके थे, आपने क्यों नहीं अंकुश लगाया। केवल यही कहते रहे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन जब मौका आया तो दोषारोपण करके, अपनी राजनीति कर रहे हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, दोनों पक्ष के लोगों के लिए जनता है और खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आप काम कीजिए। शाहनवाज साहब, आप वहीं से आते हैं जहां के लोग यहां अपना खून-पसीना बहाकर, झुग्गी-झोपड़ियों में रह करके, दिल्ली को चमकाने का, सड़क बनाने का काम कर रहे है। आप भी केन्द्रीय मंत्री थे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन आपने कुछ करने का काम नहीं किया। आप तो हवाई-जहाज के मंत्री थे। हवाई-जहाज में जरूर चलिये, लेकिन जमीन पर चलने वाले लोगों को भी देखिए, जिनके नाम पर आप हवाई जहाज में चलने का काम करते हैं। अगर उनकी परेशानियों को देखने का काम नहीं करियेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम कृपाल जी, आप बिल पर बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव: बिल पर ही बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं। मैं बहुत दु:खी हूं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। महोदय, मुझे कृपया रोकने का काम मत कीजिए और दिल खोल कर बोलने दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: राम कृपाल जी बहुत बढ़िया सांसद हैं, मगर इनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये मंत्री बनेंगे, तभी दिल्ली की समस्याएं दूर होंगी। इनको शहरी विकास मंत्री बनना चाहिए था। राम कृपाल जी, हम सब लोग आपके साथ हैं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी इस बिल पर जवाब देंगे, तब वर्तमान समस्या पर तो अपना जवाब देंगे ही, लेकिन इसका भविष्य में व्यापक रूप क्या होगा और क्या ऐसी समस्याएं आती रहेंगी व कितनी कालोनियों को आप नियमित करने जा रहे हैं तथा इस समस्या के निदान के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी आप जवाब दें। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी क्या करने वाले हैं जिससे दिल्ली की समस्याओं का निदान हो सके। यहां की जिंदगी रोज व्यस्त से व्यस्तम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की इच्छा है कि हम दिल्ली आकर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी रोजी-रोटी का इंतजाम करें। उसके लिए इनके मन में क्या आवास नीति है? जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करें। अनियमित कॉलोनियों को कब तक नियमित करने का काम आप करेंगे जिससे गरीबों को आगे परेशानी न हो। क्या डीडीए केवल अमीरों की ही सेवा करेगी, गरीबों की समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं करेगी? इन तमाम बातों का माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब दें। दिल्ली का आवाम जो परेशानियों के बीच से गुजर रहा है, जिनके रोजगार बंद हो गये, जिनके घर उजाड़ दिये गये हैं, माननीय मंत्री जी कब उनको बचाने का काम करेंगे?

इन्हीं शब्दों के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हुए, इस विश्वास के साथ कि आप ही ऐसे मंत्री हैं जिनके दिल में

गरीबों के लिए दर्द है और यूपीए का यह कमिटमेंट भी है। मैं मानता हूं कि गरीबों और मजदूरों की शिक्षा के लिए, हर वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए, अगर कोई सरकार है तो वह यूपीए की सरकार है और यूपीए की सरकार ही गरीबों की समस्याओं को देखने का काम कर सकती है। चाहे गरीब गांव में हो या शहर में हो, हर वर्ग के लोगों का काम आप ही कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जब आप जवाब देंगे तो आप स्थायी समाधान निकालने का काम करेंगे। ऐसा करेंगे तो 40 लाख लोग जिनमें पूर्वांचल, बिहार, यूपी, बंगाल और उड़ीसा के लोग शामिल हैं, जो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, वे आपको धन्यवाद देंगे। दुकानदार लोग, जिनकी दुकान में ताला लग गया, जिनके पेट में ताला लग गया, उनके पेट का ताला खुल जाए और आगे कोर्ट का चाबुक उन पर न पड़े, ऐसा काम आप करेंगे। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने तेज तर्रार वक्ता श्री राम कृपाल यादव के बाद मुझे बोलने का मौका दिया है। दादा इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो रही थी, श्री मोहन सिंह बोले। उन्होंने राजनीति नहीं की। सज्जन कुमार जी बोले, उन्होंने भी कोई राजनीति नहीं की। अन्य कई माननीय सदस्य बोले, उन्होंने भी कोई राजनीति नहीं की। लेकिन श्री राम कृपाल यादव ने इस विषय में राजनीति का समावेश कर दिया है। उन्हें पता होना चाहिए कि श्री जयपाल जी क्या देंगे, क्योंकि आप तो रूलिंग पार्टी में हैं। हम लोग आपके लिए मांग कर रहे हैं, फिर भी आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। हम कह रहे थे कि इनकी पार्टी हरियाणा से ले जाकर मंत्री बना देती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप विषय से संबंधित बात कहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं भूमिका बना रहा हूं। यह पाटलीपुत्र के सांसद हैं। अगर यह शहर के सांसद हैं, हम गांव के इलाके के सांसद हैं, रामकृपाल जी के यहां भी कुछ गांव हैं, लेकिन ये शहर के सांसद हैं इसलिए वहां का दर्द जानते हैं। शहरी विकास मंत्री अगर इनका नाम जोड़ते, तो हम बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा होता। फिर भी माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब तो हम जरूर देंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आप बिल पर बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, मुझे मालूम नहीं है, दूसरे माननीय सदस्य बोलते-बोलते कहां से कहां चले गए। उन्हें किसी ने नहीं टोका। मैं तो सिर्फ तारीफ करने जा रहा हूं, उसी में टोका-टाकी शुरू हो गई है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अब कोई टोका-टाकी नहीं करेगा। आप तारीफ करते जाएं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हमारे नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। हम इस बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक राय है। दिल्ली के अंदर बुल्डोजर चलाए गए, सीलिंग हुई, लोगों के आंसू बहे हैं और लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मेरे घर के पास ही शहरी विकास राज्य मंत्री रहते हैं। मैं बराबर देखता हूं कि लोग आकर उन्हें बधाई देते रहते हैं। पटाखे वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को समस्या से निजात नहीं मिली हैं। इस बिल के आने के बाद मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। अभी बहुत से आरोप लगाये गये हैं। हम सम्मान करते हैं, इंदिरा जी के जमाने में कालोनियों को रेग्यूलराइज करने की कोशिश हुई थी। जब हमारी भी सरकार 1967 में थी, विजय कुमार मल्होत्रा जी जब दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, तो सबसे पहले दिल्ली में कालोनियों को नियमित करने का काम हमने किया। हम इन्हें अवैध कालोनी नहीं कहेंगे, बल्कि अनआथोराइज कालोनी कहेंगे। रामकृपाल जी ने इन्हें अवैध कालोनी कहा, यह शब्द ठीक नहीं है। ये अनआथोराइज कालोनियां हैं, जो लोग दुख-दर्द के साथ पूरे देश से आते हैं, वे इन कालोनियों में रहते हैं। वर्ष 1977 में भी जब हम लोगों की सरकार थी, तब हमने कालोनियों को रेग्यूलराइज किया था। उसके बाद से यह संख्या बढ़ती गई। अगर कांग्रेस के लोग इतने हमदर्द हैं, तो यह संख्या 1500 तक कैसे पहुंच गई। बीच में हम सिर्फ पांच साल के लिए आए थे, क्या दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं, उनके लिए हम जिम्मेदार हैं? 60 सालों में 55 साल आपने राज किया या आपकी सपोर्ट से सरकार बनी है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लोगों से उनकी जमीन ले ली जा रही है। आज दिल्ली में किसानों की जमीन खरीदी जा रही है। श्री सज्जन कुमार का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्हीं के क्षेत्र में मैं रहता था, इसलिए उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया। मेरी पत्नी उन्हीं के इलाके उत्तम नगर की रहने वाली हैं। मैं बराबर उनके क्षेत्र में जाता रहता हूं। मेरी शिक्षा-दीक्षा भी दिल्ली में हुई है, इसलिए दिल्ली की समस्याओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दिल्ली में किसानों की जमीन द्वारका प्रोजेक्ट के अंदर एक्वायर की गई है, वह कोड़ी के दाम पर ली गई और आज उसी प्लाट को अगर सरकार बेचने जाती है, तो वह करोड़ों रुपये कमा रही है। यह सरकार है या पैसा कमाने वाली कोई एजेंसी है। सरकार का काम कमाना नहीं है। गरीब किसान से दो लाख रुपये एकड़ जमीन ले लेते हैं और बाद में उसी जमीन को आप दो लाख से पांच लाख रुपये गज बेच रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

आपने जिस मकसद के लिए जमीन ली क्या इस सरकार को अधिकार है कि किसानों की पूरी जमीन को एक्वायर कर ले? आपने कहा कि यहां कॉलोनी बसेगी, स्कूल, कॉलेज होगा। आप स्कूल के लिए सस्ते दाम पर प्लॉट देते हैं और कहते हैं कि वे गरीबों को शिक्षा देंगे। क्या सरकार ने पता किया कि सस्ते दाम पर प्लॉट लेने के बाद उसने कितने गरीबों को एडमिशन दिया, बीपीएल के नीचे जो लोग हैं क्या उनके बच्चे उन पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं? वहां चेयरमैन, प्रिंसिपल का घर बन जाता है। जो 10 लाख रुपए की जमीन है, आप उसे कौड़ी के भाव देते हैं। आज एक बहुत बड़ा इशू है। नंदीग्राम तथा दूसरे कई स्थानों पर इसे लेकर विवाद हो रहा है। अगर कोई घटना होती है तो उसकी आवाज सुनायी देती है। आपने जमीन खरीद ली, किसान की जमीन एक्वायर कर ली, आपने उसे कौड़ी के भाव ले लिया, अगर उस प्लाट को फिर से बाजार में बेचा जाता है तो उससे सरकार को फायदा होता है। अगर सरकार जमीन लेती है, उसकी कीमत बढ़ जाए और बोली लगा कर उसे बेचा जा रहा है तो उसका कुछ शेयर किसान को भी मिलना चाहिए। अगर उसकी जमीन दो हजार रुपये गज में ले ली, वह दो लाख या दो करोड़ की जमीन हो गई तो क्या सरकार उनको वह पैसा इनसैंटिव के तौर पर वापस नहीं दे सकती? क्या सरकार यह नहीं कह सकती कि आपकी यह जमीन थी, हमने कौड़ी के भाव ली और आज उस जमीन की कीमत बढ़ गई है, इसलिए आपको दो परसेंट, चार परसेंट, पांच परसेंट देते हैं। हम यह नहीं कहते कि उन्हें 50 परसेंट दीजिए। अगर आपने जमीन ली और उसकी कीमत करोड़ों में चली गई तो सरकार किसानों को 2-3 परसेंट का इनसैंटिव देने की योजना बनाए?

यहां सज्जन कुमार जी ने कहा कि नजफगढ़ की तरफ 3 करोड़ रुपये में जमीन बिक रही है। मैं उधर के गांव में बचपन से घूमा हूं। वहां लोग जमीन खरीद रहे हैं। उस जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई। किसान को जो पैसा मुआवजे के रूप में देते हैं वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको मुआवजा मिला, उन्होंने बस खरीद दी, उनके पैसे औने-पौने खर्च हो गए। आपने जिसे जमीन दी, उसी जगह किसान का बेटा नौकरी कर रहा है। वह दर-दर भटक रहा है। उनसे जमीन ले ली। पहले जमींदारी छीनी गई थी। संसद ने कानून बनाया कि किसानों के पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगी। इस पर सीलिंग लगा दी। क्या अब नए जमींदार पैदा किये जा रहे हैं? बड़े-बड़े औद्योगिक घराने सौ एकड़ जमीन ले लेते हैं। ये कैसे पैदा हो गए? आपने ओखला में प्लाट दिये। मंत्री जी जानते होंगे कि उनकी तुरंत लैंड वैल्यू चेंज हो रही है। आपने छोटे-छोटे कारखाने चलाने वालों को लैंड दी थी। मजदूरों को नौकरी मिले, इसलिए सस्ते में जमीन दी थी। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, उनकी लैंड वैल्यू चेंज करवा कर कोई शो रूम खोल रहा है, बड़ी-बड़ी एजेंसी खोल रहा है और कोई मकान बना रहा है। सरकार इस बात की पाबंदी लगाए कि अगर लैंड वैल्यू चेंज कराएंगे और जिस किसान की जमीन ली है, अगर जमीन लेने वाले को फायदा होगा तो जो उसका असली जमीन का मालिक है, उसे भी फायदा होगा। आज हम धरती की बात करते हैं। यह हमारी सरजमीं है। क्या सरजमीं किताबों में लिखने के लिए होगी? क्या आप लोगों की जमीन छीन लेंगे? कल को वह आदमी जमीन एलॉट करा लेगा और एलॉट कराने के बाद लैंड वैल्यू चेंज करा लेगा। यह केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है। जब सरकार बनती है तो पूरे हिन्दुस्तान में कुछ दलाल घूमते हैं और कहते हैं कि लैंड वैल्यू चेंज करा देता हूं, इससे इतना फायदा हो जाएगा। इसके जरिये कई लोग करोड़ों की आमदनी कर रहे हैं। मंत्री जी को यह विषय गम्भीरता से लेना चाहिए।

आपने यह भी कहा कि जो प्लॉट सौ मीटर की बड़ी सड़क पर है, वहां चार मंजिल बनाई जा सकती है। उसे तीन-चार मंजिल बनाने की इजाजत दे दी। जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा था और जिनको एलॉट हुई थी, उनकी किस्मत का क्या कसूर है कि वह छोटी रोड पर हो गया। जिसने बड़े रोड पर प्लॉट खरीदा उसने भी उतना पैसा दिया, आपने कहा कि बड़े रोड पर चार मंजिल बना सकते हैं जबकि बगल के रोड में जिसकी जमीन है उसे चार मंजिल बनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और बाद में कोर्ट में जाकर स्टे हो गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बराबरी की नीति पर चलें, यह नहीं होना चाहिए कि किसी की किस्मत की लॉटरी खुल जाए, अगर वह बड़े रोड पर है तो चार मंजिल बनाएगा और उसके बगल के रोड वाले को डिप्रेशन हो जाए।

आज यहां बात हुई कि दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग बस रहे हैं। राम कृपाल जी चले गए, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से बस रहे हैं? दिल्ली में साऊथ से आदमी कम क्यों आ रहे हैं क्योंकि बंगलौर, आंध्र प्रदेश और केरल में रोजगार हैं। जहां रोजगार की कमी है वहां से लोग आ रहे हैं और यह अधिकार है। भारत के संविधान में यह अधिकार मिला है कि कोई कहीं भी बस सकता है। बिहार में 15 साल से जो सरकार थी, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार की 15 साल की सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि वहां से लोग आंए, उन्होंने जमीन खरीद ली और अब अमीर हो रहे हैं क्योंकि यहां जमीन की कीमत बढ़ गई। लेकिन आजकल बिहार से जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री यूपी

और बिहार के खिलाफ बयान देती हैं। राम कृपाल जी अगर ये कहते कि दिल्ली को बनाने और संवारने में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का भी उतना हाथ है जितना दिल्ली के लोगों का है। ...*(व्यवधान)* शीला जी के बारे में नहीं कहा है, वे सिर्फ तारीफ में चले गए लेकिन जब वे बिहार जाएंगे तो बिहार के लोग पूछेंगे कि शीला जी के बयान पर मौन क्यों रहे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भी लोग बिहार या यूपी से आए हैं उनका ये अधिकार है और वे लोग यहां रहते हैं। दिल्ली में तो दो ही तरह के लोग हैं-बाहरी हैं या बिहारी हैं। दिल्ली में बहुत लोग क्लेम करने लगते हैं कि ये दिल्ली हमारी है। मेरा कहना है कि जो लोग पहले गरीब हुए वे पहले दिल्ली आ गए और हम बिहार के लोग बाद में गरीब हुए, 15-20 साल से ज्यादा गरीब हो गए इसलिए हम थोड़ी देर से आए हैं। दिल्ली सिर्फ सज्जन कुमार जी का गांव था, दिल्ली कुछ और लोगों का गांव था। दिल्ली गांव का इलाका है, गांव के आसपास लालडोरा का प्लॉट होता था, वहां कॉलोनी होती थी लेकिन दिल्ली पर कई लोग ऐसे अधिकार जताते हैं कि जैसे दिल्ली उनकी हो गई। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली पर अधिकार है तो सिर्फ गांव के लोगों का है, अगर अधिकार है तो सब लोगों का है। इस देश का बंटवारा हुआ तो बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से यहां आए, अपने देश में आना उनका अधिकार था, उनकी कॉलोनी बनी। मल्होत्रा जी ने जो विषय उठाया, हमारे यहां ऊपर से छः इंच छोटा करने की कहावत है लेकिन आप तो मकान ही छोटा कर रहे हैं यह तो किसी की गर्दन काटने के बराबर है। अगर गांव के लोगों की ऊपर से दो मंजिल तोड़ देंगे तो आप तो उसकी जिंदगी ही खत्म कर देंगे। उनके परिवार में झगड़ा होगा। अगर उनके चार बेटे हैं तो चार मंजिल बना ली और आप कहेंगे कि दो मंजिल तोड़ देंगे इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होने वाली है।

सज्जन कुमार जी ने कहा कि नजफगढ़ की तरफ रेट बढ़ा है, वहां कौन लोग जमीन खरीद रहे हैं? वे लोग जमीन खरीद रहे हैं जो फार्म हाउस बना रहे हैं और फार्म हाउस में स्वीमिंग पुल बन रहा है। वे किसान की जमीन लेकर स्वीमिंग पुल में तैरकर गरीबों की चिंता नहीं करने वाले हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब किसान की जमीन ली जाए तो उन्हें एक प्लॉट दिया जाए। अगर आप पांच हजार गज ले रहे हैं तो एक हजार गज का नहीं तो पांच सौ गज का प्लॉट दीजिए जिसे वह डेवलप कर सके, आप इसका अधिकार किसान को दीजिए, नहीं तो किसान अपनी जमीन को देखेगा और सोचेगा कि ये हमारी जमीन थी, हम कभी इस पर बसते थे, हमारा परिवार रहता था लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है। दिल्ली में किसानों को अधिकार मिलना चाहिए।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात मोहन सिंह जी ने उठाई लेकिन बाद में उस बात पर पूरी तरह से जोर नहीं दे पाए और अब मैं उनकी बात को लेकर अपनी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, हमारी 132 एमपी की पार्टी है, लेकिन हम उस हिसाब से कम समय ही ले रहे हैं। हम लोगों की स्ट्रैंथ है, जितना आरजेडी के लोग बोले हैं हमारी आबादी उनसे थोड़ी ज्यादा है इसलिए आपको हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी।

सभापति महोदयः आप तो बोल चुके हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः अभी हमारा समय बाकी है। यहां एक बात कही गई थी कि सांसद आते हैं, यहां बहुत बुजुर्ग सांसद भी आते हैं, जिनके बच्चे सैटल हैं, कालेज में पढ़ते हैं, वहीं हम जैसे यंगर सांसद भी आते हैं, जिनके छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऊपर-नीचे होता रहता है। मैं 13वीं लोक सभा में था, लेकिन चुनाव में गड़बड़ हो गई और बाद में 14वीं लोक सभा में दो साल अज्ञातवास में रहने के बाद मैं फिर से यहां आ गया। उन दो सालों में मैंने बहुत दर्द देखा है। एक बार सांसद को आप लुटियन जोन में रहने की आदत डाल देते हैं। पहले यह व्यवस्था होती थी कि जो सांसद हैं, उन्हें डी.डी.ए. का एक फ्लैट मिल जाता था। इसलिए यदि उसके लिए बड़ी कोठी नहीं है तो आसपास में उसे एक मकान मिल जाता था। लेकिन अब वह व्यवस्था भी आपने समाप्त कर दी। यह सरकार अब आम लोगों का तो नुकसान कर ही रही है, लेकिन जो सांसद दिल्ली में आते हैं, पहले आप उन्हें डी.डी.ए. फ्लैट देते थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने जवाब में बतायेगी, अभी मंत्री जी चले गये हैं।

सभापति महोदयः नहीं, वह अभी आयेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः आ रहे हैं तो ठीक है, कोई नोट कर रहा होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री राजा जी सभी बिंदुओं को नोट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः प्रभारी मंत्री राजा जी नोट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह इसे बढ़िया तरीके से नोट करें, मिस

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

न कर जाएं। क्या मोहन सिंह जी ने जो बात उठाई कि डी.डी.ए. के जो फ्लैट्स बनाये जायेंगे, क्या वह उनमें सांसदों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे?

दूसरा विषय मैं उठाना चाहता हूं कि जो चार-चार एकड़ के बड़े-बड़े फार्म हाउसेज बने हैं, जिनमें कई बार हमें जाने का मौका मिलता है, लोग पार्टी वगैरह में हमें बुलाते हैं। हम देखते हैं कि वे लोग इनमें इतनी शान से रहते हैं कि मंत्री जी भी उतनी शान से नहीं रहते हैं। लोगों ने पांच-पांच एकड़ जमीन पर बहुत बड़ी-बड़ी कोठियां बना ली हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप अनअथाराइज्ड कालोनी पास करने के चक्कर में उन्हें फायदा पहुंचा दें? सौ गज के, दो सौ गज के, तीन सौ गज के और पांच सौ गज के प्लाट्स पास करेंगे तो चलेगा। लेकिन इस आड़ में आप कहीं उन लोगों को फायदा तो नहीं दे रहे हैं, जो मजा मार रहे हैं। उन्होने दिल्ली के एरिया में हजार एकड़ की, पांच एकड़ की जमीन बना ली है और उनमें बड़े स्विमिंग पूल्स बना लिये हैं। जब आपने पालिसी बना रखी है कि फार्म हाउस के लिए दिल्ली से दूर जगह मिलेगी तो दिल्ली शहर के बड़े-बड़े इलाकों के नाम मैं लेना नहीं चाहता, उधर के लोग विरोधी हो जायेंगे। अभी दिल्ली में चुनाव होगा तो लोग कहेंगे कि आप हमारे खिलाफ बोले थे।

सभापति महोदय: आप मत बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: लेकिन मैं इशारों में कहना चाहता हूं कि आप जो 1500 कालोनियां पास करने जा रहे हैं, क्या आपने उसमें कोई क्राइटीरिया रखा है? पांच सौ गज, तीन सौ गज, दो सौ गज और सौ गज की बात तो समझ में आती है कि अनअथाराइज्ड कालोनियां हैं, वहां गरीब बस गये हैं, मिडिल क्लास के लोग बस गये, बिलो पावर्टी लाइन के लोग बस गये हैं। लेकिन क्या मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे कि वह इन 1500 कालोनियों में हजार गज और दो हजार गज के प्लाट्स तो पास नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े प्लाट वाले लोग हैं, उनसे मार्केट रेट से कम से कम आधा ले लीजिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि सौ गज के प्लाट्स के चक्कर में आप उन्हें भी मजा दिला दें। अगर यह चीज होगी तो यह बहुत अन्यायपूर्ण होगा।

श्री मोहन सिंह: यह बात बिल में है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इन्होंने इस बिल में डाला है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार गरीबों के लिए बनती है। यहां पर यदि उन बड़े लोगों को फायदा होगा तो इसका बहुत नुकसान होने वाला है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी पालिसी लेकर आयेगी, जिससे गरीबों का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, बिलो पावर्टी लाइन के लोगों का फायदा हो, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों का फायदा हो न कि बड़े-बड़े फार्म हाउस वालों का फायदा हो। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री जगदीश टाइटलर।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर): महोदय, मैं तब बोलना चाह रहा था जब मंत्री महोदय जी वहां हों।

सभापति महोदय: वे आ रहे हैं। यदि आप नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेंगे।

श्री जगदीश टाइटलर: क्या मेरे बाद भी किसी ने बोलना है? क्या मैं अंतिम वक्ता नहीं हूं?

सभापति महोदय: नहीं।

[हिन्दी]

दो तीन मैम्बर्स अभी और भी हैं। अभी श्रीमती कृष्णा तीरथ भी हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मंत्री जी का होना जरूरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे संभवत: अभी अभी प्रसाधन के लिए बाहर गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: राजा जी यहां हैं, वह किंग हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, वह आ रहे हैं।

सभापति महोदय: जगदीश जी, आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री जगदीश टाइटलर: सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन किसी न किसी वजह से

[हिन्दी]

हमारे दिल में एक ऐसी बात घर कर गई है कि शायद इस बिल के लाने से दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं। वे खुश तो हैं कि आगे से उन्हें और तकलीफ नहीं होगी। दो साल से दिल्ली के लोगों को जो तकलीफें हुई हैं, उन्हें लोग भूले नहीं हैं। उनके घर बंद पड़े हैं, उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। बहुत से लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया, चूंकि वे रोटी नहीं कमा सकते। अगर आप उनसे पूछें तो पता चलेगा कि इस बिल का महत्व क्या है? मैं मंत्री जी को फिर से बताना चाहता हूं कि आप दो आर्डिनेंस लाये हैं। मेरी पिछली बात पर गौर किया गया है। मुझे खुशी है कि उनमें से आप कई चीजें बिल में लेकर आये हैं। हालांकि इस बिल के आने से दिल्ली वालों के दिल में खुशी है परन्तु कुछ दुख भी है। पिछले दो साल से हमने बहुत दुख देखा है। शायद हमने अपनी बात को जजों के सामने ठीक से नहीं रखा। कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो बाद में निकली हैं। पता नहीं इस पार्लियामेंट में बोलना अच्छा है या नहीं लेकिन जिसके कारण कुछ वकीलों को सजा भी हुई है कि किस तरीके से दिल्ली को सील करने की बहुत बड़ी साजिश थी, किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया? मैं आज फिर बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत दुखी बैठे हुए हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, जिनके घर सील हुए पड़े हैं, जिन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है या जो लोग बैंकों का पैसा वापस नहीं दे सके हैं, जिन्होंने कर्ज ले रखा है। आज भी हजारों की तादाद में दुकानें बंद हैं, उन्हें कौन देख रहा है? इस बिल में उनका कहीं जिक्र नहीं है। क्या आप उनकी दुकानों को डीसील करेंगे या उनके घरों की सील तोड़कर उन्हें दुबारा वापस करेंगे?

अपराह्न 4.18 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, जब सज्जन जी बोल रहे थे तो एक एम.पी. की हैसियत से नहीं बल्कि उन गरीबों के लिए बोल रहे थे जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले हैं, अपना खून-पसीना बहाकर उन्होंने उन लोगों की मदद की है। यहां श्रीमती तीरथ बैठी हुई हैं, उन्होंने भी गरीबों की मदद की है और ऐसे ही नहीं यहां पार्लियामेंट में आई हैं। हमने खुद ने देखा है और झुग्गी-झोंपड़ी में बैठकर नालियों की सफाई की है, स्कूल बनाये हैं। स्व. संजय गांधी और स्व. इंदिरा गांधी के साथ मिलकर लोगों को बसाया है। सज्जन जी आज भी झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए लड़ रहे हैं। स्व. एच.के.एल. भगत आज नहीं हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके लिए लगाया। कांग्रेस ने अपना खून-पसीना बहाकर उनकी मदद की है। पूर्वांचल से आये हुए लोग, चाहे यू.पी. से ये हों या बिहार से आये हों, सभी हमारे भाई हैं। इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे बाहर के लोग हैं। हमने अपने खून-पसीना देकर उन्हें प्लाट दिलाया है।

सभापति जी, जो दो आर्डिनेंस आये हैं, लोगों को लगता था कि उन्हें राहत मिलेगी लेकिन नहीं मिली। सरकार ने मौनिटरिंग कमेटी की एक बीमारी पाली हुई है। यह क्या है? केवल दो आदमी बैठकर ऑर्डर करते हैं कि दुकान बंद कर दो और अगर उनसे मंत्री जी की बात की जाये तो वे किसी मंत्री को नहीं जानते। एम.सी.डी. कमिश्नर को बुलाया जाता है, डी.डी.ए. के वाइस चेयरमैन और यहां तक कि वे लैफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं मानते। आपके ऐसे ऑर्डिनैंस का क्या फायदा? 8 महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा हुआ, 4-4 मंजिल घर बने-मैंने एम.पी. के तौर पर मौनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन को खत लिखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या नहीं होता है, अफीम, चरस सब कुछ बिकता है लेकिन मौनिटरिंग कमेटी ने ध्यान नहीं दिया। जहां 3-4 साल से आदमी रह रहे हैं, अगर बात सुनी गई तो कहते हैं कि इसको सील कर दीजिए। जब कहा गया कि कानून के हिसाब से यह आबादी है, कानून के हिसाब से रह सकते हैं तो वे कहते हैं कि हम नहीं मानते कि ऐसा किस कानून के अंदर है? ये लोग कहां से आये हैं जो सरकारी कानून को नहीं मानते। पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनैंस पास हुआ है, इसको भी वे लोग नहीं मानते हैं। ये कौन है, कहां से आये हैं और कौन बड़े बड़े आफिसर इनको पैसा दे रहे हैं? कौन इनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियों का पैसा दे रहा है? आप इन्हें कभी जाकर देखिये कि ये किस ऐश के साथ दफ्तर के अंदर बैठते हैं और ऐसे रौब मारते हैं जैसेकि ...*(व्यवधान)** ये आदमी कौन हैं, इन्हें किसने बनाया है? आपके बिल को कौन मानेगा, मैं जानना चाहता हूं? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कि आपके आर्डीनेंस के बावजूद भी कानूनी चीज को उन्होंने नहीं माना और कहा कि सील करो, इसलिए उन्हें सील करना पड़ रहा है। आफिसर घबराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि हम करें तो क्या करें।

महोदय, मैं आपको एमसीडी की क्या बताना चाहता हूं! आपके इस बिल के अन्दर एक लाईन है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जगदीश टाइटलर]

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार को निदेश देने की शक्ति देने के बारे में यहां कहा गया है और मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं:

> "केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह ठीक समझे और स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करें।"

यह स्थानीय प्राधिकारण क्या है? 'स्थानीय प्राधिकरण अर्थात दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित नई दिल्ली नगर परिषद् अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण, की अपने न्याय क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में नियंत्रण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

ये वे प्राधिकरण है जिनके अधिकारियों का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए क्योंकि संसद के एक अधिनियम द्वारा इन्हें बनाया गया है। लेकिन यह निगरानी समिति कहती है-'हम इन अधिकारियों को नहीं जानते, हम इन प्राधिकरणों को नहीं जानते, हम इस उप राज्यपाल को नहीं जानते, हम इस एमसीडी आयुक्त को नहीं जानते, हम डीडीए के उपाध्यक्ष को नहीं जानते। तो, आप किसे जानते है? हम यहां क्यों बैठे हैं और यह विधेयक पारित कर रहे हैं? इसका क्या उपयोग है? आप यह आश्वासन दे कि इस निगरानी प्राधिकरण का इस विधेयक पर कोई प्राधिकार नहीं होगा। क्या आप हमें यह आश्वासन देंगे?

आपको हमें यह देना चाहिए क्योंकि इसका संबंध दिल्ली के लोगों से है। हम दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। यह मेरा पांचवां कार्यकाल है। मैं यहां पहली बार नहीं आया हूं। हम दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते रहे है। हम दिल्ली का अभिन्न अंग हैं। हम किसी दूसरे राज्य से नहीं आए हैं। हम इस राज्य का ही अभिन्न अंग हैं।

ये कौन लोग हैं जो इसे नियंत्रित कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को अपने कार्यालयों में बुला रहे हैं? वे दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को अपने कार्यालय में बुला रहे हैं। वे विभिन्न विभागों के सचिवों को अपने कार्यालयों में बुला रहे हैं और निदेश जारी कर रहे हैं। वे आदेशों को दर किनार कर रहे हैं, वे इन प्राधिकरणों को, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, दर किनार कर रहे हैं।

हम क्या कर रहे हैं? हम यहां किसलिए बैठे हैं? हम ये विधेयक क्यों बना रहे हैं? निगरानी प्राधिकरण के ये दो लोग कौन हैं? हम यह जानना चाहते हैं। इनको यह शक्तियां किसने प्रदान की हैं? यदि वे निगरानी कर रहे हैं? तो उन्हें निगरानी करने दो। क्या कोई उनसे पूछेगा कि वे निगरानी क्यों कर रहे है? पिछले दो वर्षों या छह महीनों या एक साल से निगरानी की जा रही है। आप क्या निगरानी करते रहे हैं? इसका विवरण दे कि आप क्या निगरानी करते रहे हैं? अवैध निर्माण अभी भी जारी हैं। जिन दोनों अधिकारियों ने यह बनाया है वे अभी भी वहां हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वे क्या करते रहे हैं। ऐसे कैसे है कि उनकी जानकारी में ये अवैध निर्माण अभी भी जारी है? वे जिन्हें रोकना चाहते हैं उन्हें रोकते हैं और जिन्हें वे नहीं रोकना चाहते हैं उन्हें वे नहीं रोकते हैं। विधेयक इस तरह से पारित नहीं होता और इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है।

मैं आपको केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। पहला जो प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और मेरे भाई श्री सज्जन कुमार ने भी कहा है कि आपको उन लोगों को क्षमा प्रदान करनी चाहिए जिन्होंने अवैध निर्माण किए हैं-तीसरी मंजिल अथवा चौथी मंजिल। आप आधी दिल्ली को नहीं तोड़ सकते हैं। यह संभव नहीं है। समूची दिल्ली के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं वह राजनीति नहीं है। चुनाव अभी दो साल के बाद है। इसलिए आपको उन्हें यह राहत देनी होगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह निवेदन है जो मैंने पिछली बार भी किया था कि कृपया विद्यालयों, कॉलेजों और अस्पतालों के लिए प्लॉटों की नीलामी न करें। आप होटलों, मॉल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए प्लॉट नीलाम करें। आपको जितना धन चाहिए मिलेगा। स्कूल आवश्यक हैं, कॉलेज आवश्यक हैं, अस्पताल आवश्यक हैं। आप उनकी नीलामी न करें। अन्यथा वहां केवल धनी लोग ही जा पाएंगे और कोई नहीं। आप उनके लिए जितनी कठिनाईयां हो सके उत्पन्न करते हैं ताकि वे गरीब लोगों की मदद करें। आप ऐसा न करें। अन्यथा, यह नहीं होगा। कृपया इन तीन संस्थानों के प्लॉटों की नीलामी न करें। आप जितना चाहे उतने नियम और विनियम लगाए।

आप यह शर्त रख सकते हैं कि इन स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जाने वाले 25 प्रतिशत लोग गरीब होंगे। आप जितनी चाहे शर्तें लगा सकते हैं।

तीसरी बात, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निजी आग्रह कहना चाहता हूं कि कृपया इस निगरानी समिति से छुटकारा पाना चाहिए जो हमारे लोगों को समाप्त कर रही है। वास्तव में वे दिल्ली का विनाश कर रहे हैं। वे बहुत दयालु है कि वे एक के बाद एक विधेयक ला रहे हैं और दिल्ली के लोगों की मदद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निजी तौर पर, हम यह महसूस करते हैं कि लोग उनसे खुश हैं क्योंकि वे सहमत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वे दिल से बहुत दुखी हैं।

[हिन्दी]

ऊपर से लोग बड़ी खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, वे अंदर से बहुत दुखी हैं। इस कारण वे बैंकों से लिया ऋण नहीं लौटा पाए। हमें मालूम है, जिनकी बेटियों की शादी रुक गई है, क्योंकि उनके पास बेटी की शादी हेतु पैसा नहीं है। हमें मालूम है, जिन्होंने स्कूलों से अपने बच्चे निकाल लिए। हमें मालूम है जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिला पाए, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। दुकानें बंद हो गई हैं। किराए मिलने बंद हो चुके हैं। वे पैसा दे नहीं सकते।

[अनुवाद]

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनकी मदद करें। यह मेरा उनसे निवेदन है।

मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: टाइटलर साहब, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक केवल एक काम चलाऊ व्यवस्था है। यह एक व्यापक विधेयक नहीं है। आपने एक वर्ष का समय दिया है। क्या आप सदन को विश्वास दिला सकते हैं कि एक वर्ष में इस विधेयक के व्यपगत हो जाने के बाद आप एक नया व्यापक विधेयक लाएंगे और यह कि तब तक दिल्ली की मास्टर प्लान तैयार हो जाएगी? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए सरकार ने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की परंतु यह लोगों की गलती नहीं है। उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा है।

1947 से आज तक दिल्ली के जनांकिकीय स्वरूप में बदलाव आया है। 1857 में सत्ता का केन्द्र कलकत्ता से बदल कर नई दिल्ली हो गया था और देश का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से बदल कर साम्राज्ञी के हाथों में चला गया था। उस समय से ही दिल्ली का धीरे-धीरे विस्तार होना शुरू हो गया था और दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि दिल्ली का जनांकिकीय स्वरूप बदलता रहा। यह परिस्थिति दिल्ली की ही नहीं अपितु देश के सभी महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों की भी है। परंतु दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रही है। आज भारत की 45 प्रतिशत जनसंख्या देश के शहरी क्षेत्रों में रह रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में जनसंख्या की भरमार है। मैं यह महसूस करता हूं कि एकमात्र समाधान यह है कि जिन लोगों की दुकान तोड़ दी गयी है, जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनकी देखभाल किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 1947 से आजतक दिल्ली का विस्तार हुआ है और बहुत सारी गतिविधियां बदल गई हैं। निम्न मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग बन गया, मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग बन गया और उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति धनी व्यक्ति बन गये। इस प्रकार, दिल्ली की जनसंख्या कालोनियों से निकल कर सस्ती कालोनियों और महंगी कालोनियों में चली गई। तत्पश्चात्, दिल्ली की जनसंख्या धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्र और गाजियाबाद तथा अन्य स्थानों पर जानी शुरू हो गई। अत: यह उचित समय है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात्, इसका संघ राज्य क्षेत्र और दिल्ली राज्य के रूप में पुनर्गठन करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए अन्य राज्यों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से अनुरोध किया जाए ताकि दिल्ली के शहरीकरण के विकास में सुधार लाया जा सके और बाहरी दिल्ली के लिए एक समुचित मास्टर प्लान तैयार किया जा सके और इसे यथाशीघ्र किया जाए क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए शहरी क्षेत्र में आ जाता है तो उसके लिए वापस जाना एक कठिनाई हो जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उसे वैसा शहरी जीवन नहीं मिलता है। इस लिए भारत के राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने विजन, 2020 का आह्वान किया अर्थात् 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना होगा। उन्होंने 'पूरा'-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान नामक एक योजना की पहल की थी जिसे अभी तक सरकार पर्याप्त प्रमाथमिकता नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि इस योजना को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

[श्री विक्रम केशरी देव]

अत:, यह क्षणिक राहत मात्र है। उदाहरण के लिए यह उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए कोरामिन इंजेक्शन की बड़ी डोज देने के समान है जब दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो रही है। यह विधेयक तनिक राहत देने के लिए और यह एक व्यापक विधेयक नहीं है।

अत:, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार उचित मास्टर प्लान के साथ एक व्यापक विधेयक कब लाएगी ताकि दिल्ली के लोग उचित प्रकार से रह सकें और जिन लोगों के साथ सीलिंग अभियान के दौरान अमाननीय व्यवहार किया गया है उन्हें हुई हानि की समुचित क्षतिपूर्ति की जाए। मैं यह महसूस करता हूं कि एक उचित पुनर्वास नीति अपनाई जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भू-सम्पदा कारोबार एक स्टेक होल्डर बन गया है और यह देश का सबसे बड़ा कारोबार बन गया है और इस क्षेत्र में बहुत सारे विदेशी प्रतिस्पर्द्धी भी आ रहे हैं। अत: उन किसानों का समुचित पुनर्वास किया जाए, जिन्होंने अपनी कृषि भूमि को शहरी भूमि अथवा वाणिज्यिक भूमि में बदलने के कारण अपनी जमीन गवां दी है, ताकि वे भावी योजना के साथ अपना जीवन जी सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): सभापति महोदय, बहुत अच्छा बिल श्री जयपाल रेड्डी जी लेकर आए हैं, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। रेड्डी साहब के पास इस संबंध में बहुत सारे सुझाव आए हैं और मुझे मालूम है कि वे उन्हें जरूर इनकार्पोरेट करेंगे।

महोदय, सज्जन जी ने जो यह बातें कही हैं, मैं अपनी बातों को उनसे संबद्ध करती हूं और कुछ सुझाव देना चाहती हूं। यहां पर कहा गया कि डीडीए ने बहुत ऊंचे दामों पर ऑक्शन करना शुरू कर दिया है। डीडीए को बनाने का मकसद था कि लोगों को दिल्ली में कम दामों पर रिहाइशी मकान और छोटी कमर्शियल दुकानें उपलब्ध हों सकें। लेकिन आज दिल्ली का रूप और स्वरूप बदल गया है। दिल्ली में पहले जहां एक-डेढ़ लाख लोग रहते थे, आज एक करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और सबको यहां आने का अधिकार है। सभी यहां आना चाहते हैं और बसना चाहते हैं। यहां सीलिंग की समस्या खड़ी हुई। इसके लिए दो आर्डिनेन्स लाए गए। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पहले 15 मीटर तक के मकानों को पास कर दिया गया, तो चौथी और पांचवीं मंजिल को तोड़ने की बात क्यों कही गई है। इस संबंध में सरकार को लोगों के हित में काम करना चाहिए।

महोदय, जगदीश टाइटलर जी ने बहुत अच्छी बात कही, जिसका मैं समर्थन करती हूं कि दिल्ली में जो बड़े-बड़े मॉल्स को बनाने के लिए जगह दी जा रही है, उसे देना बंद किया जाना चाहिए और दिल्ली में सवा करोड़ की आबादी के लिए छोटे मकान बनाए जाएं, उनको कम दामों पर दिए जाएं और मल्टी स्टोरीड बनाकर दिए जाएं। उसी तरह से झुग्गी-झोंपड़ी वाले हैं, जिन्हें संजय जी और इंदिरा जी के टाइम में बसाया गया था। उन्हें सेंट्रल दिल्ली से उठाकर सुल्तान पुरी और मंगोलपुरी में बसाया गया था। उस समय लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन आज वे लोग खुश हैं और वे समझते हैं कि हम किसी जगह के मालिक हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जहां झुग्गी-झोंपड़ी वाले बसे हैं, उन्हें वहीं पर मल्टी स्टोरी मकान बनाकर दिए जाएं तो उन लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। बड़े-बड़े माल्स की बजाय सरकार दिल्ली वासियों को अस्पताल बनाकर दें जिस से गरीब लोग उनमें अपना इलाज करवा सकें।

महोदय, सज्जन जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, मैं अपने आपको उनकी बात से संबद्ध करना चाहती हूं कि जो शर्तें दिल्ली सरकार ने रखी हैं, वह हमारे गरीब लोग पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 50-60 वर्षों से बसे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि कौन उसका मालिक है। हमारा लॉ भी कहता है कि जो 12 साल एक जगह पर रह लेता है, वह उस जगह का मालिक होता है। हमारा मानना है कि उन्हें वहीं पर अच्छे, पक्के, मल्टी स्टोरीड, हवादार मकान बनाकर दें और जो जगह खाली बचे, उस पर स्कूल, पार्क, हॉस्पीटल या डिस्पेन्सरी, खेलने का मैदान, सड़कें और कम्युनिटी सेंटर इत्यादि बनाकर दिए जाएं।

जो महिलाएं हैं, उनके लिए सिलाई केन्द्र, कताई केन्द्र, उनके लिए फ्री-एजुकेशन आदि हो। आंगनवाड़ी के लिए कोई अपना घर देने को तैयार नहीं है। गरीब लोग दिल्ली में आकर बस रहे हैं. उनके लिए आंगनवाड़ी की आवश्यकता है, लेकिन उनको कोई अपना घर देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आंगनबाड़ी के लिए जो किराया है वह सौ या सवा सौ रुपए है और इतने रुपयों में कोई अपना कमरा देने को तैयार नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो कालोनीज बसें, जहां गरीब लोगों को हम बसायें, उसमें हर तरह की सुविधायें उनको मिले और उसके साथ आंगनबाड़ी के लिए कमरा दिया जाय, इसके लिए भी वहां प्रावधान किया जाए। ऐसी अनेकानेक चीजे हैं।

डीडीए खाली जमीन ले और जैसा कि मैंने कहा कि डीडीए को आक्शन नहीं करना चाहिए, अभी भी जो लैंड पूरी दिल्ली में खाली पड़ी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। डीडीए की लैंड है तो

डीडीए ले, अगर एमसीडी की या किसी लोकल बाडी की, एनडीएमसी की है, तो यह उसे ले और उसे पूरी तरह से प्लान करे। इस प्लानिंग में यह तय करे कि उस जमीन का हमें क्या करना है? क्योंकि होता यह है कि जब सरकार की प्लानिंग नहीं होती, तो फिर वह जमीन घिरनी शुरू हो जाती है। लोग उसे घेरकर बैठ जाते हैं और फिर जब उसको तोड़ने की बात करते हैं, जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यह देखते हैं कि गरीब लोग आकर बस गए, उनके बसने के लिए जगह नहीं है, दिल्ली सब के लिए खुली है, उसको वहां रहने की जगह हो, सुविधायें हों, पीने का पानी हो, बिजली हो, उसके लिए रोजगार हो, ये तमाम चीजें हैं।

महोदय, इस बारे में एक सुझाव और देना चाहती हूं। बड़े-बड़े कोलोनाइजर हैं, जो कालोनीज को बनाते हैं, वे कालोनीज खरीद लेते हैं। उसमें छोटे-छोटे प्लाट होते हैं, जिसमें कोई पचास, साठ या सौ गज का प्लाट लेता है। उसे कम दाम में मिला उसे उसने लेकर डाल दिया। पांच-दस साल वह वहां नहीं गया, क्योंकि वह सरकारी नौकरी करता है, तो किसी सरकारी मकान में रहता है या जहां वह काम कर रहा है, अपने काम वाली जगह के नजदीक किराये पर रहता है और सोचता है कि जब मेरे पास पैसा होगा, तो उस जगह को बना लेंगे, तो होता यह है कि वहां वे कोलोनाइजर उस जगह को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को बेच जाते हैं। इसके ऊपर सरकार की और से चेक लगाना चाहिए, क्योंकि वह मिलीभगत होती है, चाहे वह पुलिस के साथ मिलकर करे या दूसरे लोगों के साथ मिलकर करे। वह व्यक्ति बहुत गरीब है जो पचास, साठ या सौ गज लेने वाला है, उसकी जगह को बार-बार बेचा जाता है, ऐस जगहों को डीडीए को खुद एक्वायर करना चाहिए और खुद गरीब लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और डी.डी.ए. को वह जमीन गरीब व्यक्तियों को प्लाट के रूप में देनी चाहिए। कौन इतने कम दामों में, जिस मकसद से डीडीए बनी थी, कम दामों पर, लिमिटेड रेट पर उन्हें जगह दें और जिससे वे वहां अपना घर बना सकें। डीडीए मल्टी स्टोरीड जब बनाये, तो वहां पर उनके लिए छोटी दुकान, छोटा कम्युनिटी सेंटर, पार्क और जो चीजें मैंने कहीं हैं, वे बनाकर दे जिससे वहां रहने वाले लोगों को वे तमाम सुविधायें मिलें।

महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं कि डीडीए जो जगह दें, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रखे, उसके साथ महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशंस हों, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वे बहुत गरीब परिवार से हैं या वह विडो हैं, जो इसे ले नहीं सकती हैं, किराये पर रह नहीं सकती हैं, तो ऐसे में वे क्या करेंगी? वह कहीं फुटपाथ पर बैठेगी, जहां वह सेफ नहीं है। आज की जिंदगी को देखते हुए, इन तमाम चीजों को ये जोड़े और देखें कि महिलाओं के लिए भी उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए।

जहां तक मास्टर प्लान की बात है, तो जो जोनल मास्टर प्लान आ रहा है, उसमें भी देखें कि हम किस तरीके से जो लोग जहां बसे हैं, वहीं बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी कुछ जगह ऐसी हैं, मेरे क्षेत्र में भी कुछ जगह ऐसी हैं, जहां बहुत घने रूप में लोग बसे हैं, वहां जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर डीडीए ऐसा प्लान कर सके कि उनकी कुछ जगह लेकर कुछ समय के लिए उन्हें शिफ्ट करे और एक प्लान उस जगह का बनाये कि उतनी जगह पर उसके लिए अच्छे मकान बनाकर, उनमें उनको बसाया जाए, जिससे उनकी गलियां और रास्ते भी चौड़े हो जाएं, उसमें सीवर लाइन प्रापर हो, बिजली दिये जाने का रास्ता हो, क्योंकि जब लोगों ने मकान बनाये उससे उनके मकानों के छज्जे बढ़ गए, ऊपर से सारा बंद हो गया, बिजली के पोल अब लग नहीं सकते या जो तारें, हैं वह लोगों के घरों के अंदर हो गयी हैं, उस चीज को ठीक करने के लिए काम हो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने जो सुझाव दे रहा है, सरकार उसे ले, सरकार उसे अपने तरीके से बनाये और फिर से उन्हें बसाये, जो दिल्लीवासियों को उसमें सुविधा भी मिलेगी और जहां वह बैठा है, वह वहीं बैठा रहेगा। इस तरह की चीजें अगर हम करें, तो लोगों को राहतें मिलेगी। मोहन सिंह जी ने भी कहा था कि बिल्डर वर्ग बड़ा माफिया है। वह बहुत बड़ी-बड़ी जमीनें खरीद लेता है और फिर बिल्डिंग बनाकर करोड़ों रुपए में बेचता है। मैं उनकी बात का भी समर्थन करती हूं। मैंने पहले कहा कि बिल्डर्स की बजाए गवर्नमेंट की एजेंसी उस जगह को ले और फिर आम लोगों को, जो दिल्ली में बसे हुए हैं, उन्हें मकान बना के दें, क्योंकि यदि सरकार बनाएगी तो वह समय तय करती है कि यदि कोई प्लॉट है तो उसे इतने समय में बना लिया जाए या वह बनाकर दे जिससे जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें जगह मिल सके और वे उसमें रह सकें। वहां उन्हें पूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। वहां उन्हें स्कूल मिलें, कॉलेज मिलें, अस्पताल हों, डिस्पेंसरीज हों, पार्क आदि हों।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि मंत्री जी मेरी बातों का जवाब जरूर देंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति महोदय, मैं मुम्बई में रहता हूं, इसलिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दिल्ली की आज की समस्या, जिसके कारण 1500 कालोनियों को रेगुलराइज करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

यहां जो आर्डीनेंस लाया गया था, उसे कानून के रूप में बदलने के लिए विधेयक लाया गया है। दिल्ली की समस्या के जड़ में जाने की आवश्यकता है कि यह समस्याएं किस कारण पैदा हुई। देश की आजादी के बाद कई वर्षों तक दिल्ली यूनियन टेरीटरी रही। बाद में दिल्ली राज्य का निर्माण किया गया। पुरानी दिल्ली के लिए दिल्ली नगर निगम लोक अथॉरिटी है, जो यहां एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, नई दिल्ली के लिए नई दिल्ली नगर पालिका दूसरी अथॉरिटी का गठन किया गया। यह पुरानी यूनियन टेरीटरी होने के कारण डीडीए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। डीडीए ने जितनी जमीन एक्वायर की है, वह सारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आती है।

यहां बसने वाले आम नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी सारी जिम्मेदारी इन तीन एजेंसियों पर थी–दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और डीडीए। डीडीए अपनी जमीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। कई वर्षों से इनक्रोचमैंट होता रहा, मकान बनते रहे, लोग बसते गए। लोगों के बसने के कारण उनकी जरूरतों के लिए, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा है, तो उसके लिए स्कूल भवन बन गए। जब एक बस्ती बन गई, एक नगर बस गया, तो लोगों को हैल्थ सुविधाओं की आवश्यकता हुई। उसके लिए प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम्स बन गए। इस प्रकार एक-एक करके व्यक्ति की सारी आवश्यक सुविधाएं उन नगरों में आ गई। आज वहां जो लोग बसे हुए हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि आपने मकान बनाया।

सबसे बड़ी बात यह है कि मकान अनऑथराइज्ड है या उसका यूजर चेंज हुआ है। अधिकतम शिकायतें चेंज ऑफ यूजर की हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने रहने के लिए अपना मकान बनाया जो रैजीडैंशियल जोन में है, लेकिन वह कई वर्षों से उस मकान को कमर्शियल के तौर पर यूज कर रहा है, जैसे कोई अपना बिजनेस कर रहा है, किसी ने वहां ऑफिस खोल दिया, किसी ने गोदाम खोल दिया, किसी ने अपने ही मकान में शो रूम खोल दिया, कोई वहां रिटेल का कार्य करने लग गया, किसी ने गैरेज बना दिया। जो चेंज ऑफ यूजर हो गया, यह सबसे बड़ी शिकायत थी। यहां नई दिल्ली का सवाल नहीं है, दिल्ली नगर निगम और डीडीए का सवाल है। सवाल उठता है कि ये दो अथॉरिटी यहां क्या कर रही थीं। उन अथॉरिटीज ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, पूरा नहीं किया। दुर्भाग्यवश जब 20, 25, 30-40 साल बाद सारा मामला कोर्ट में गया तब कोर्ट में इन सभी को अनअथोराइज्ड करार दिया गया। इस तरह सीलिंग का मामला शुरू हुआ।

मेरा एक सुझाव है कि जिन अथॉरिटीज को वास्तविकता में जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, यदि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो वह उन अथॉरिटीज के खिलाफ होनी चाहिए थी कि आप इतने साल तक खामोश क्यों रहे? यह मकान किस तरह यहां पर आये, लोग किस तरह बसें, स्कूल भवनों का किस तरह निर्माण हुआ, अस्पताल किस तरह खुलें, गैराजेज कैसे आयें, आफिसेज कैसे आयें? लेकिन उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गयी और न ही कोई दोष दिया गया। जिन लोगों ने मजबूरन, दिल्ली तो कैपीटल सिटी है, वैसे दिल्ली आज भी गांव की ही तरह ही है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। दिल्ली में पानी, हवा सब बाहर से आती है। दिल्ली में जो लोग बसे हैं उनमें अधिकतम बाहरी हैं। दिल्ली के लिए कोई एक कानून भी नहीं है। खासतौर के मकान बनाने के लिए जो एक कानून होना, वह कानून भी हमारे पास नहीं है ताकि हम एक कानून के तहत दिल्ली में सभी लोगों को एक समान ट्रीट करें। ऐसा कानून दिल्ली के पास नहीं है।

इसलिए मैं अधिक सुझाव नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि हम इन सारी कालोनीज को अथोराइज्ड करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए जो कुछ क्राइटीरिया तय किया गया है जिसकी वजह से आर्डिनेंस निकलने के बाद कार्रवाईयां चल रही हैं, मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस विधेयक में यह प्रावधान करने की आवश्यकता है। यदि हमें इन सारी अनअथोराइज्ड कालोनियों को रेगुलराइज करना है, तो आज वे कालोनियां जिस कंडीशन्स में हैं, जिस स्थिति में हैं उनको उसी स्थिति में रेगुलराइज करना चाहिए। यदि कोई ग्राउंड स्टोरी स्ट्रक्चर है, तो उसको एज इट इज रेगुलराइज करो। यदि फोर स्टोरी स्ट्रक्चर है, तो उसको एज इट इज रेगुलराइज करो क्योंकि वहां भी बसने वाले लोग हैं, जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर बस रहे हैं। आप दो मंजिलें बचायेंगे और दो मंजिलों को कहेंगे कि हम इन्हें तोड़ देंगे, तो वह ठीक नहीं है।

अपराह्न 4.47 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष जी, यदि उन कालोनियों को रेगुलराइज करना है, हम उस प्रकार का विधेयक यहां पर लाये हैं, हम आर्डिनेंस को यहां पर बिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कानून में बदल रहे हैं, तो इस प्रकार का कानून होना चाहिए। आज जिस डेट से आप इनको रेगुलराइज करना चाहते हैं, उस डेट में जिस स्थिति में वे हैं, उसी स्थिति में उनको रेगुलराइज करना चाहिए। यदि वह निर्णय हम कर पाते हैं, तो अधिकतम शिकायतें कम हो जायेंगी। कोई शिकायत इसमें नहीं आयेगी। यदि हम उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो जैसे मुम्बई में कई वर्षों से जो अलग-अलग झुग्गी-झोंपड़ी हैं, वहां

राज्य सरकार है यानी राज्य सरकार का अधिकार है। वहां भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई रोल नहीं है। लेकिन राज्य सरकार हर बार, पहले एक कानून बनाया गया कि वर्ष 1976 तक के जो मकान हैं, उनको स्लम डिक्लेयर किये गये। उनको स्लम का स्टेट्स दिया गया और उनको टालरेट किया गया। उसके बाद वर्ष 1980, 1985, 1990 और 1995 के मकान रेगुलराइज हो गये। अब महाराष्ट्र में वर्ष 2000 तक के मकान को रेगुलराइज करने की बात चल रही है। यदि आप उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो मिनिमम आप उनको टालरेटेड स्ट्रक्चर कहिये। उनको आप मत तोड़िये, मत हटाइये। उनको आप टालरेटेड में रखिये। यदि आपको डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक परपस के लिए कोई लैंड चाहिए जैसे बागान बनाना है, सड़क बनानी है, अस्पताल खोलना है या पब्लिक परपस के लिए यूज करना है, तो उन टालरेटेड स्ट्रक्चर को भी आल्टरनेटिव एकमोडेशन दिया जाता है कि भई, यह टालरेटेड स्ट्रक्चर हैं। यदि आप उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको टालरेट तो कीजिए। वे जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहें। यदि हम यह नहीं कर पाते हैं, तो इस विधेयक से आज जो नाराजगी, चिंता, दुख और गुस्सा कम नहीं होगा। इस कारण दिल्ली के लोगों का आज करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। जो जोग झुग्गी-झोंपड़ियों में या अनअथोराइज्ड मकानों में रह रहे हैं, वे सारे एसेसमेंट दे रहे हैं। यदि अक्ट्रॉय है, तो दे रहे हैं। सारे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हैं, तो वे दे रहे हैं। अलग-अलग अथॉरिटीज के जितने भी टैक्सेशन हैं, वे सारे टैक्सेस दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपये भारत सरकार, राज्य सरकार और म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने भी उनसे लिये हैं। इतने सारे टैक्सेस देने के बावजूद भी यदि हम उनको अनअथोराइज्ड करार देकर सीधे सड़क पर फेंक देते हैं, तो वह ठीक नहीं है। अगर आप उन्हें रेगुलराइज नहीं करते हैं तो कम से कम उनको टॉलरेटेड स्ट्रक्चर मानिए। मुझे इतना ही कहना है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं उन 12 माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और इस विधेयक का समर्थन किया।

हमारी संसद में ऐसे कम ही अवसर होते हैं और यह उनमें से एक है जब हमारे अलग-अलग राजनैतिक दल अपने मतभेद भुला कर एकजुट हुए हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी बातें की हैं। मेरे लिए यह सम्भव नहीं कि मैं प्रत्येक सदस्य को जवाब दूं। मैं शुरू में इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो भी बातें उठाई हैं उन सभी पर बारी-बारी से गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने इस अध्यादेश का विरोध किया जैसा कि उनकी आदत है। अध्यादेश के विरोध के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और मैं उनके कानूनी विचार से सहमत हूं। मैं कहना चाहूंगा कि हमने अध्यादेश का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि हम मजबूर थे और उन्हें यह बात समझनी चाहिए। अध्यादेश को जब पुनः लगाया गया तब भी उन्होंने आपत्ति की थी। स्वः मधुलिमये, जो एक अनुभवी सांसद थे, पुनःअध्यादेश जारी करने के विरुद्ध थे और सख्त आपत्ति व्यक्त करते थे। इस विषय पर तो वे सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सही प्रक्रिया नहीं है और इस बात से हम भी सहमत है।

लेकिन अगर मानसून सत्र सामान्य तरीके से नही चलता तो इसके लिए क्या सरकार दोषी है? क्या मैं ऐसे अध्यादेश को पारित करवा दूं जिसे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त न हो? मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर मैं ऐसा चाहता तो आसानी से कर सकता था। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैं आपके विचार सुनना चाहता था और उनसे लाभान्वित होकर समाधान निकालना चाहता हूं।

यह सही है कि इस विषय पर सभा में पिछले दो वर्षों से हंगामा हो रहा है और दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। अगर मैं कहूं कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली कठिन परिस्थितियों से गुजरी है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। यहां सीलिंग, तोड़-फोड़, बंद, लोगों पर लाठियां चलना, आगजनी की घटनाएं होती रही हैं।

लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद यहां संसद में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असाधारण एकता देखने को मिली है। जब भी मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं, मुझे संसद का समर्थन मिलता है। इस अवसर मैं सभी राजनैतिक दलों का मैं आभार प्रकट करता हूं और इस महान संस्था, भारतीय संसद को धन्यवाद देता हूं।

हालांकि सदस्य बोलते वक्त कुछ विवादास्पद बातें भी कह जाते है, लेकिन उनके भाषण सहमति-जन्य और रचनात्मक होते हैं और मैं उनके द्वारा उठाई गई विशिष्ट बातों को ही लेता हूं। भारत के सभी शहरों की तरह दिल्ली ने भी अनियोजित शहरी वृद्धि देखी है। जिसे मैं सहज वृद्धि कहूंगा। अन्य शहरों की भांति दिल्ली की अपनी अलग ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो पायेंगे कि ब्रिटिश काल से दिल्ली की भूमि पर सरकार का सख्त नियंत्रण रहा है। कोई भी किसान यहां अपनी भूमि गैर-कृषि के उद्देश्य के लिए नहीं बेच सकता था। ऐसा कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर या कहीं और नहीं हुआ है।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

दूसरे हमारे पहले दिव्य द्रष्टा जवाहरलाल नेहरू के काल में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। यही दो विशेषताएं दिल्ली को अन्य शहरों से भिन्नता प्रदान करती है। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा कि ये परस्पर जुड़ी हैं बल्कि इसलिए कि इनका वर्तमान समस्या से संबंध है।

मेरे मित्र प्रो. मल्होत्रा ने क्षमा की बात की है। जैसी आलोचना यह करते हैं आज वह कुछ हल्की है, मुझे लगता है कि इनको मेरा दृष्टिकोण पसंद आया। मैं इसको अनुग्रहपूर्वक लेता हूं। यह नए निर्माण की बात कर रहे हैं। सज्जन कुमार जी ने सही कहा कि नगर निगम अब भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। वर्तमान संकट के शुरू होने से पहले जो दो वर्ष पहले शुरू हुआ था, तब हमने कहा था कि किसी भी नए निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी। पहले जो हुआ उस सबमें विचार किया जा सकता है और नम्र रवैया अपनाया जा सकता है। नगर निगम क्यों असफल हुआ? इसका अंतर भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को देना चाहिए।

महोदय, हम खाली नहीं बैठे बल्कि हम 2006 में अधिनियम लेकर गए थे और रणनीति तैयार करने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया। सभी सदस्य जानते है कि दिल्ली मास्टर प्लान 07 फरवरी, 2007 को अधिसूचित हुआ। अगले ही दिन अर्थात् 08 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह सही है ऐसी लगभग 1500 अनधिकृत कालोनियां है जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने किसानों से जमीन खरीदी, उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। मैं आप लोगों की सहानुभूति को उन अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। इन अनधिकृत कालोनियों को बनाने वाले लोग ही अधिकृत कालोनियों को बनाते है। हम उनकी तकलीफों की अनदेखी नहीं कर सकते।

इसलिए, साथियों, मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद हमने अनधिकृत कालोनियों से संबंधित मार्ग निर्देश तैयार किये मार्ग निर्देशों को अंतिम रूप दिया और डी.डी.ए. को उसे भेज दिया जो विनियमन बनाने की प्रक्रिया में है।

अपराह्न 5.00 बजे

एक बार जब विनियम बना दिए जाते हैं तो संबंधित प्राधिकारी उच्च न्यायालय जाकर विनियमन को समुचित रूप से स्वीकृत करा लेंगे।

जहां तक किसानों की बात है, मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि किसानों को अपनी जमीन बेचने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। मास्टर प्लान, दिल्ली 2021 के मामले में हम पुरानी प्रक्रिया और परम्परा से हट गए हैं। हमने किसानों को निर्माण के लिए अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी है बशर्ते इस कृषि भूमि पर निर्माण करने वाले व्यक्ति कुछ निश्चित सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हों। वे दायित्व क्या हैं? उस जमीन पर निर्माण करने वालों चाहे वे किसान हो अन्यथा बिल्डर हों को सरकारी एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को वितरण हेतु 35 प्रतिशत अपार्टमेंट प्रदान करना होगा। मैं नहीं समझता कि 2007 में इस कार्य को डी.डी.ए. द्वारा अकेले किया जा सकता है। हमें राज्य के किसी संगठन पर बहुत सारा कार्य बोझ नहीं थोपना चाहिए। हमें इस कार्य में शामिल होने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देनी चाहिए और जो उसके कार्य बोझ को बांट सके। आज, सौभाग्यवश, निजी क्षेत्र काफी परिपक्व और भरोसेमंद हो गया है और हमें उसे अपनी भूमिका निभाने की अनुमति देनी चाहिए।

अपराह्न 5.02 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

पुरानी दिल्ली के संबंध में, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के सभी प्राचीन भाग धरोहर क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, मास्टर प्लान की एक विशिष्टता पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने की है। लोग पुनर्विकास योजनाएं ला सकते हैं और जो पुनर्विकास योजनाएं लाएंगे उनको बढ़े हुए एफ.ए.आर. से पुरस्कृत किया जाएगा कुछ राज्यों में इसे एफ.एस.आई. कहा जाता है। स्लम बस्तियों में लाखों लोग रह रहे हैं। हमने स्पष्ट निर्देश जारी किये है कि अनधिकृत कालोनियों, स्लम बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे किसी व्यक्ति को तब तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा-मैं श्री अनंत गीते के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं-जब तक कि वह भूमि जिस पर वे रह रहे हैं, प्राथमिकता वाली सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नितांत आवश्यक न हो। वह एक अपवाद है और वह नियम नहीं है। हमें मुम्बई के अनुभव से सीखना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में, जितनी कीमत शहरी जमीन की बढ़ी है, उतनी किसी चीज की नहीं बढ़ी। जिस जमीन पर स्लम बस्ती है, वह सोने से भी अधिक कीमती है। हर तरह से बेहतर स्थिति के लिए इसका उपयोग संसाधन के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, हम स्व-स्थाने विकास शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं जहां लोगों को उनकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। हम निजी क्षेत्र से बहुत पूंजी मंगाएंगे। वे केवल रिहायशी बहुमंजिली इमारतों का ही निर्माण नहीं करेंगे बल्कि अन्य कई सुविधाएं जैसे अस्पताल, विद्यालय और

अन्य सभी चीजों का भी निर्माण करेंगे। ये सभी मास्टर प्लान में अभिकल्पित हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि मास्टर प्लान, दिल्ली जिसे हमने 7 फरवरी को 2021 तक के लिए अधिसूचित किया है, उसकी सब तरफ प्रशंसा हुई है।

कुछ साथियों ने उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय का उल्लेख किया है। श्री सज्जन कुमार जी, श्री टाइटलर जी, श्रीमती कृष्णा तीरथ जी और श्री मल्होत्रा जी, नई दिल्ली के सभी संसद सदस्य इस बारे में चिंतित हैं। श्री संदीप दीक्षित मेरे पास आए और मुझसे मिले हम अभी भी निर्णय का अध्ययन कर रहे हैं, जो एक सप्ताह पहले ही किया गया था।

जबकि आवासीय क्षेत्रों में हमने मानदंडों को काफी उदार बनाया है, प्रत्येक संभावित आपात स्थिति के लिए हम समाधान नहीं प्रदान कर सके है। दिल्ली की स्थिति बहुत जटिल और बहुविध है। इसके कई पहलू हैं, इसलिए, जो उन्होंने कहा, हमें ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जटिलताओं पर यथा समय प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। अभी मामला गंभीर रूप से मेरे मंत्रालय के विचाराधीन है। मैं कोई वायदा करने की स्थिति में नही हूं।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती ने गांवों से होने वाले शहरी प्रवास का उल्लेख किया है। आज के दिन और युग में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास अपरिहार्य है। चीन के पास कुछ प्राधिकारीय नियंत्रण हैं जो हमारे पास नहीं है इस शहरी प्रवास के संबंध में उन्हें उससे पीछे हटना पड़ेगा और नियंत्रण को ढीला करना पड़ेगा। प्रवास अपरिहार्य है। हम शहरी युग में रह रहे हैं। गांवों से लोग कई कारणों से शहरी प्रवास करते हैं। कैन्यूट राजा की तरह आप और मैं ज्वार को रूकने के लिए नहीं कह सकते। ऐसा नहीं होगा। इसलिए, मैं शहरों में आने वाली भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे कुछ शहर अत्यधिक भीड़ के दबाव में न आ जाए। करीब 20 वर्षों पहले, स्व. श्री राजीव गांधी ने 'राष्ट्रीय राजधानी शहरी नियोजन बोर्ड' गठित किया था। पिछले 20 वर्षों में इसके परिणाम उत्साहवर्द्धक और सकारात्मक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप यह नोट करके प्रसन्न होंगे कि यहां आने वाले कुल लोगों की संख्या वर्ष 1981 के 44.20 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर वर्ष 1991 में 40 प्रतिशत और वर्ष 2001 में 39 प्रतिशत हो गयी तथापि जैसा कि राम कृपाल यादव जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों का आना जारी है।

इस भीड़ को हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत खपाया गया है तथा इससे निपटने के लिए हम गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों के विकास और दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे अनेक शहरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

यह सब तो ठीक है लेकिन हमें इस भीड़ से निपटने में अपनी क्षमता को लेकर किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यदि वे दिल्ली नहीं जाते हैं तो गुड़गांव अथवा नोएडा जाएंगे। दिल्ली के अथवा कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद जैसे शहर हैं और उन सभी ने अपने शहरी प्राधिकरणों का विस्तार किया है। शहरों में आने वाली इस भीड़ के अपार सैलाब को देखते हुए मैं पहली बार नतमस्तक होकर किन्तु गर्वपूर्वक कहूंगा कि सामान्यत: मैं संसद में किसी भेदभाव की भावना के साथ कोई बात नहीं कहता हूं-संप्रग सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन नामक एक नए मिशन की शुरूआत की है जैसाकि आप सभी जानते हैं कि शहरी भूमि, शहरी विकास, शहरी स्थानीय निकाय शहरी परिवहन सभी राज्य के विषय है भारत सरकार कह सकती है कि "देखिए इससे हमें कोई लेना देना नहीं हैं।" कहना है जो कुछ हो रहा है हम उसे देखकर चुपचाप नहीं रह सकते।

अत: हमने मिशन की शुरूआत की है। आप सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में इस विस्फोट से निपटने की दृष्टि से हम भारत सरकार से 1,10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने की आशा रखते हैं हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि शहरों में गरीब हाशिए पर न रहे। हम शहरों से क्या पाते है? शहरों में अमीर लोगों की चलती है और गरीबों को यदि दबाया-कुचला नहीं जाता है तो हाशिए पर जरूर रखा जाता है।

अत: हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरों में सड़कों पर साइकिल से चलने वालों और पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह अवश्य छोड़ी जानी चाहिए। हम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि व्यक्तिगत वाहनों से सड़कों पर ज्यादा भीड़ न हो तथा वातावरण को और प्रदूषित न करें। यह सभी एक प्रक्रिया है। विकास कोई घटना नहीं होती है बल्कि एक प्रक्रिया होती है।

कुछेक मित्रों ने सही पूछा कि जब दिल्ली में इस तरह का अनियोजित विकास और अनधिकृत निर्माण-कार्य चल रहा था तो अधिकारी क्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि "क्या उन्होंने इसकी अनदेखी नहीं की"। मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने इसकी अनदेखी की। मैं समझता हूं कि उनमें से कुछेक लोगों ने तो रिश्वत भी ली है। बिना कुछ मिले उन्होंने अनदेखी नहीं की होगी।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

इसलिए हमने कुछ गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 17 कार्यपालक अभियंताओं को संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत बिना कारण बताए सेवा से हटा दिया गया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जांच एजेंसियां उनकी संपत्तियों की भी जांच कर रही है। लेकिन गरीब लोगों, जिन्होंने विवशतावश घर बनाए, को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यही कारण है कि हम अध्यादेशों का प्रख्यापन कर रहे है और यह विधेयक कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह ने कहा कि सांसदों पूर्व-सांसदों आदि को थोड़ी-बहुत आवासीय सुविधाएं मिलनी ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: पूर्व अध्यक्षों को भी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मुझे भी सहानुभूति है। मैं इस मामले में असहाय हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी चाहते थे कि जोनल विकास योजनाएं जोनल डेवलपमेंट प्लान पर ध्यान दिया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि जोनल विकास योजनाएं जोनल डेवलपमेंट प्लान को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे एक या दो वर्ष लगेगा हम प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली में मास्टर प्लान तैयार किए गए लेकिन जोनल विकास योजनाओं, जोनल डेवलपमेंट प्लान की अनदेखी की गई। अब हमने विगत की गलतियों से सीखा है। हम जोनल विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के साथ-साथ ही आगे बढ़े रहे हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जोनल विकास योजनाएं मास्टर प्लान का अनुसरण करती है, वे मास्टर प्लान की पूर्ववर्ती नहीं होती हैं।

इस बात का सुझाव दिया गया था कि स्थानीय वास्तविकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से आश्वास्त हूं कि जो लोग जोनल विकास योजनाएं बना रहे हैं, वे स्थानीय वास्तविकताओं पर ध्यान देंगे।

श्री जगदीश टाइटलर ने निगरानी समिति गठन किए जाने के विरुद्ध संयत नाराजगी व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में आपको मुझे मेरा मार्ग-निर्देश करना होगा कि क्या मैं मंत्री होने के नाते इस विषय पर बोलू या नहीं। निगरानी समिति का गठन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य मित्र निगरानी समिति के बारे में हमेशा ही बात करते रहे हैं। लेकिन कभी भी इस समस्या के कानूनी समाधान के लिए तैयार नहीं हुए। इस समय जब तक निगरानी समितियां न्यायालय के निर्देशों के अधीन कार्य कर रही है, मेरे पास निगरानी समितियों के निदेशों के अनुपालन के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास बहुत से उदाहरण है जिनमें हम निगरानी समितियों के संबंध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए गए। ऐसा नहीं है कि हम कम विरोध की नीति अपना रहे हैं। लेकिन जैसा कि आज आप लोग इस मुद्दे पर एकजुट हुए हैं, हम भी मिल कर संवैधानिक उपाय द्वारा इस समस्या का कानूनी उपाय ढूंढ़ निकालेगे। मैं नहीं समझाता कि केवल यूपीए और वाम मोर्चा अकेले ऐसा कर सकते हैं। इस समस्या के कानूनी और संवैधानिक रूप से वैध हल के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी राजनैतिक दलों को एक साथ मिल बैठ कर सोचना होगा। आपका मत उधर होना चाहिए जो आपकी बात उठा सके। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि पहल कौन करेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, पहल करने के लिए मैं तैयार हूं और मैंने यह किया भी।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है यह मेरे विचार है, सम्भवत: आपने मेरे क्षेत्र के अतिक्रमण की अनुमति दी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: श्री विक्रम केशरी देव ने नई दिल्ली की सीमाओं के विस्तार की बात की है। वह सभा में उपस्थित हैं। यह कार्य संविधान में संशोधन करके ही नहीं बल्कि सर्वसम्मति से भी किया जा सकता है। परंतु मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि यह समाधान हो सकता है। शहरीकरण दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। यह दिल्ली से काफी आगे तक फैल रहा है। अत: हमें उचित और सुनियोजित शहरीकरण करना होगा।

महोदय, सभी सदस्यों ने सही टिप्पणी की है कि यह एक मध्यवर्ती उपाय है, यह अंतिम समाधान नहीं है। हम विभिन्न वर्गों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे है जैसे झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, खोमचे वाले, अनधिकृत कालोनियां, ग्रामीण आबादी के क्षेत्र और उसके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊस विद्यालय औषधालय धार्मिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान तथा भंडारण, भांडागार और गोदाम में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कृषि भूमि पर निर्मित हैं। लेकिन यह संरक्षण केवल एक वर्ष के लिए है। इस एक वर्ष में पूरी कोशिश करूंगा कि इन सबके लिए अंतिम समाधान निकाला जाए। अत: मुझे अस्थायी समाधान पर पूरा भरोसा है।

हमारे कुछ मित्रों में अनियमित तरीके से किए जा रहे निर्माणों के बारे में चर्चा की है। अत: हम एक विनियामक प्राधिकरण के

गठन पर विचार कर रहे हैं। ताकि ऐसे मामलों को कानूनी तरीके से सुलझाया जा सके।

श्री अनंत गीते ने संक्षिप्त रूप से हस्तक्षेप किया वह संक्षिप्त हस्तक्षेप से कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने समग्र रूप से नियमित करने की बात की है। पहला, तो यह जरूरी नहीं है। दूसरा यह कानूनी रूप से वैध नहीं होगा। मुझे न्यायालयों के समक्ष साबित करना है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले सरकार ने प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखा है। अत: अविवेकपूर्ण माफी देना और नियमित करना कानूनी दृष्टि से थोड़ा कठिन होगा।

तथापि, हमारा भरसक प्रयास होगा कि सभी पात्र व्यक्तियों को राहत मिले और उनका पुनर्वास हो और आने वाले समय में दिल्ली विश्व स्तर का शहर बन जाए। हम सभी जानते है कि 21% में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होना है और हम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में व्यस्त हैं। ऐसा नहीं है कि यह बुनियादी ढांचा केवल राष्ट्रमंडल खेलों के लिए है तैयार किया जा रहा है बल्कि यह विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें सहायक होगा हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं सदस्यों के प्रत्युत्तर से प्रोत्साहित हुआ हूं। इसे समर्थन देने के लिए मैं प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आने से पहले मैंने यह विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया था और मैं समझता हूं कि जो वक्तव्य मैंने प्रस्तुत करना था वह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा बनेगा ताकि विधेयक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मूलाधार को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन क्या आप सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह सभा चाहती है कि श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प वापस लिया जाए।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 "दूसरा" शब्द का लोप। (1)

(श्री एस. जयपाल रेड्डी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.24 बजे

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 22 और 23 को चर्चा हेतु लेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

"कि यह सभा 27 अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में कुछेक संस्थानों में नियोजित कर्मचारियों को लाभ अथ्वा उत्पादन अथवा उत्पादकता के आधार पर बोनस प्रदान करने तथा इससे जुड़े मामलों का उपबंध है।

यह अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत कुछ श्रेणी के कर्मचारियों (अर्थात् जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों सीमैन, डॉक वर्कर, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, निर्माण कार्यों में ठेके पर लगाये गए कर्मचारियों) को छोड़कर 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली 'फैक्ट्रियों' और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को बोनस देने की व्यवस्था करता है।

वर्ष 1995 में पात्रता सीमा और संगणना सीमा को क्रमश: 2500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह और 1600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था और इसे 1 अप्रैल, 1993 को पहले अध्यादेश और फिर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से प्रभावी किया गया। वर्तमान में, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32 के खंड (6) के अनुसार ठेके के माध्यम से निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने वर्ष 2002 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पात्रता और संगणना सीमा को बढ़ाकर क्रमश: 7500 रुपए और 3500 रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की थी। मजदूर यूनियनें काफी लंबे समय से पात्रता सीमा और संगणना सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। 27-28 अप्रैल, 2007 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 41वें सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। मैं कर्मचारियों, नियोजकों और अन्य स्टेकधारकों को वर्तमान पात्रता सीमा क्रमश: 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह और संगणना सीमा 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह करने पर एकमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों में ठेके पर लगाये गए कर्मचारियों को भी बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार, केबिनेट का अनुमोदन लेने के पश्चात्, 27 अक्टूबर, 2007 को बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 8) प्रख्यापित किया गया क्योंकि उस समय संसद की दोनों सभाओं का सत्र नहीं चल रहा था और त्योहार का समय था। अध्यादेश में निम्नलिखित संशोधन अंतर्विष्ट थे:

(एक) बोनस की अदायगी के लिए पात्रता सीमा 3500 रुपए प्रतिमाह वेतन अथवा मजदूरी को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करने हेतु बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खंड (13) का संशोधन करना;

(दो) संगणना हेतु अधिकतम सीमा 2500 रुपए प्रतिमाह से वेतन अथवा मजदूरी को बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह करने हेतु बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 12 का संशोधन करना;

(तीन) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32 के खंड (छह) का विलोपन ताकि ठेके के माध्यम से निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि त्योहारों के इस मौसम में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ बोनस प्राप्त हो, अध्यादेश के जरिए किया गया संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी बनाया गया क्योंकि बोनस का भुगतान वर्ष 2006-07 के लिए किया गया था।

इसलिए, मैं माननीय सदस्यों प्रो. रासा सिंह रावत, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री गिरधारी लाल भार्गव तथा श्री मोहन सिंह, से आग्रह करता हूं कि वे बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करने वाले संकल्प को वापस ले।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 27 अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधित संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 का प्रश्न है, मैं इसका समर्थन करता हूं परंतु जिस रीति से पहले ऑर्डिनेंस लाया गया और बाद में सदन के अंदर बिल के रूप में प्रस्तुत करके पास कराने की यू.पी.ए. सरकार की इस प्रवृत्ति की मैं निन्दा करता हूं और इसका निरनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया का सब से बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्रीय देश के अंदर लोकतंत्रीय प्रवृत्ति सरकार की होनी चाहिए। यह सदन सर्वोच्च है और सदन के अंदर बिल लाकर विस्तार से विचार विमर्श होने के बाद सारा निर्णय लिया जाता है तो उसमें एक शान रहती है, लेकिन पहले सरकार आर्डिनेन्स लाई। उसके लिए पहले सरकार के पास बहुत समय था। अगर सरकार की भलमनसाहत होती तो इसको पहले लाती। 1965 में बोनस संदाय विधेयक बना और उसके 42 वर्षों के बाद सरकार संशोधन लाई। जैसा कि मंत्री जी ने बताया 1995 में, 2002 में थोड़ा बहुत इधर-उधर किया, लेकिन जो संशोधन वाली बात है उसको लाने में 42 वर्ष लग गए। इसमें भी अभी जैसा कहा गया, भारतीय श्रम सम्मेलन के 41वें सत्र की सिफारिश पर सरकार ने ध्यान दिया। वह सिफारिश भी 27 और 28 अप्रैल, 2007 को हुई थी जब बजट सत्र चल रहा था। उसके बाद मानसून सत्र हुआ। वह सितम्बर में खत्म हुआ। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिवस पर कैबिनेट ने निर्णय लिया और 28 तारीख को ये अध्यादेश लाए। इससे सरकार की मनोवृत्ति का पता चलता है कि श्रमिकों और कर्मचारियों के नाम पर यह केवल मगर के आंसू बहाती है। वास्तव में इनके दिल में कुछ नहीं है। यह तो हमारे मित्रों का शायद दबाव रहा है और सारे मजदूर संगठनों का भी दबाव रहा-चाहे सीटू हो, बीएमएस हो, एचएमएस हो, हिन्द मजदूर पंचायत हो या जितने भी मजदूर संगठन या इनडिविजुअल रिप्रजैन्टेशन जो लगातार होते रहे, तो सरकार दबाव में आई। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जो कह रही है कि मजदूरों के हित में बोनस वगैरह मिला, दीवाली का त्योहार था। मान्यवर, दीवाली और दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले इतना समय मिला, दशहरा और ईद से पहले इतना समय मिला, लेकिन ये पहले नहीं लाए। ये जानते थे कि हर वर्ष बोनस दिया जाता है कर्मचारियों को और त्योहारों से पहले दिया जाता है तो पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके मित्र, वरकला राधाकृष्णन, भार्गव जी, मोहन सिंह जी कोई नहीं हैं। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि अध्यादेश की शक्ति विधान में है लेकिन उसका प्रयोग तब किया जाए जब इमरजेन्सी की स्थिति हो, आपातकाल हो, संकटकाल हो या अपरिहार्य परिस्थिति पैदा हो गई हो। उस समय यदि सत्र बहुत दूर हो और कोई बड़ा भारी संकट उपस्थित हो रहा हो, ऐसे समय में सरकार अध्यादेश ला सकती थी। लेकिन सरकार की आदत पड़ गई है। हर बार कहते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब से यूपीए सरकार आई है, लगातार अध्यादेश पर अध्यादेश लाते हैं। इसलिए मैं इस मनोवृत्ति की निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बिल का समर्थन करते हैं?

प्रो. रासा सिंह रावत: जी हां, बिल का तो समर्थन करता हूं। क्योंकि बोनस तो कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बड़ा भारी आकर्षण है। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन पूरा दिखाई देता है और क्रमश: जैसे-जैसे महीना बीतता है, चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं और अमावस्या के दिन जेब ही खाली हो जाती है। लेकिन जब त्योहार या ऐसे अवसर आते हैं और बोनस के रूप में बड़ी राशि मिल जाती है तो कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी का मौका होता है और त्योहार पर रौनक भी आ जाती है। बाजारों में भी रौनक, चेहरों पर भी रौनक, कर्मचारियों के परिवारों में भी रौनक आ जाती है। इसलिए बोनस का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि बोनस की जो सीमा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे और बढ़ाना चाहिए?

प्रो. रासा सिंह रावत: मानयवर, जैसा अभी कहा गया, इसमें जो मूल अधिनियम था, धारा 2 के खंड 13 के अंदर 3500 रुपए के स्थान पर 10000 रुपए की सीमा इन्होंने कर दी है। धारा 12 के अंदर पहले 2500 से जो गिनती होती थी, उसको 3500 कर दिया है और धारा 32 के खंड 6 का लोप कर दिया है जिसके कारण कानट्रैक्चुअल सर्विस में ठेकेदारों के अंतर्गत जो कर्मचारी निर्माण कार्यों या भवन निर्माण कार्यों में लगे हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कुल हिन्दुस्तान की जो वर्कफोर्स है, उसका 7.5% ही इससे लाभान्वित हो रहा है। अगर आप इतने उदार हैं तो थोड़ी और उदारता दिखाते। हालांकि मूल अधिनियम में इंप्लाइज शब्द के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें ऐसा लिखा है-कोई ऐसा

[प्रो. रासा सिंह रावत]

व्यक्ति अभिप्रेत है जो भाड़े या ईनाम के लिए किसी उद्योग में कुशल या अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षीय, प्रबंधकीय, प्रशासकीय, तकनीकी या लिपीकीय कार्य करने के लिए 3500 रुपए प्रतिमाह से अनधिक वेतन या मजदूरी पर नियोजित है। हालांकि यह परिभाषा कह रही है कि 3500 रुपए से बढ़ा करके संशोधित पात्रता सीमा और गणना की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है और 3500 रुपए से दस हजार तक प्रतिमाह तथा गणना की अधिकतम सीमा 2500 रुपए से 3300 रुपए प्रतिमाह करनी तय की है। इसके साथ-साथ यह खुशी की बात है कि कांट्रिक्टर सर्विस में काम करने वाले या भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले कंस्ट्रेक्शन वर्कर्स को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। आप खेतिहर मजदूरों के लिए पहले कुछ सोच रहे थे कि इनके लिए भी बिल लाएंगे। उन्हें और अन्यान्य क्षेत्र में या असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए भी अगर कोई बात होती तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता। इतने वर्षों के बाद यह संशोधन लाए हैं, 42 वर्षों के बाद पैसे की कीमत क्या रही? हम खुश हो रहे हैं कि दस हजार रुपए और 3500 रुपए कर दिया। मैं समझता हूं कि इस सीमा को थोड़ा और अधिक बढ़ाया जाता, इससे अधिक लोगों को लाभ मिल सकता था और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते थे। अब आपने जो कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप भविष्य में ध्यान रखें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि बोनस के बारे में सबसे पहले 1964 में बोनस देने का निर्णय हुआ था और उस समय में बोनस कमीशन 1964 में बना था। उस समय एम.आर. मेहर साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी और गोविंदा रेड्डी जी, गांगुली साहब, वसावदा जी, माननीय डांगे जी, जो पहले सांसद थे, डांडेकर जी एवं शांडियल साहब एम्प्लायर्स के प्रतिनिधि थे, एम्प्लायर्स के भी दो प्रतिनिधि और दो सरकार की तरफ से कमीशन के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने सोचा था। सरप्लस ऑफ प्रोफिट की तरफ मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्पादकता और जो बड़े-बड़े यूनिट्स एवं पब्लिक एवं पब्लिक अंडटैकिंग्स हैं या दूसरे कई संस्थान हैं, उसमें सरप्लस ऑफ प्रोफिट या प्रोफिट शेयरिंग जैसे होता है, उस प्रकार से बोनस का मामला और प्रेजंट वेजेस, लिविंग वेजेस अगर बोनस देंगे तो टोटल गैप कम हो जाएगा, इस दृष्टि से उन्होंने सोचा था। कम्पयुटेशन ऑफ सच बोनस मेथड्स ऑफ पेमेंट्स, उसके बारे में उस जमाने में 1964 में उन्होंने सिफारिशें की थीं। 1965 में यह बिल सरकार लाई और उसके बाद 2007 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हमारे श्रमिकों एवं कर्मचारियों के कल्याण के लिए यह बहुत बड़ी शक्ति है। देश में किसानों के बाद या दूसरी बड़ी शक्ति है। मैं समझता हूं कि श्रमिकों के कल्याण के लिए चाहे लेजिटिमेट पॉलिसी हो, नेशनल वेज एक्ट में संशोधन की बात हो, लेजिटिमेट राइट्स ऑफ इम्पलाइज के प्रोटेक्शन की बात हो या ऐसा फ्रेमवर्क या इन्सेन्टिव हो, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े। ऐसा कोई कार्य करने की बात हो, उनके ऐसे हित की बात सरकार सोचे और उन्हें आगे लाने का प्रयास करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अब तो त्योहार भी निकल गया और बोनस भी मिल गया, अब बोनस के बारे में यह बिल लाए हैं, हम इसका स्वागत और समर्थन करते हैं।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करते हैं कि केवल दिखावे के नाम पर ऑर्डिनेंस की प्रवृति को छोड़ें और समय पर कार्य किया जाए तो उसकी शान अलग होती है और समय चूकने के बाद जब काम होता है तो उसकी शान नहीं रहती है, इसका ध्यान रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेलधन (पलानी): अध्यक्ष महोदय, बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 के समर्थन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 अधिनियम के उपबंधों के तहत कर्मचारियों को बोनस देने के लिए है। एक कर्मचारी कौन है? इसे धारा 2(13) में परिभाषित किया गया है। कर्मचारी अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी उद्योग में कार्यरत है और प्रतिमाह जिसका वेतन 3500 रुपए के अधिक नहीं है। बोनस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का वेतन 2,500 रुपए से अधिक है तो बोनस के प्रयोजन के लिए उसका वेतन 2,500 रुपए माना जाएगा।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जून, 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि पात्रता को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए तथा गणना सीमा को 2,500 प्रति माह से बढ़ाकर 3,500 प्रति माह कर देना चाहिए।

दिनांक 27 तथा 28 अप्रैल, 2007 को आयोजित इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस के इकतालीसवें सत्र के दौरान, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया ताकि पात्रता सीमा को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह तथा गणना सीमा को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रु. प्रतिमाह किया जा सके। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 32 के खंड (छह) को हटाने का भी प्रस्ताव किया गया ताकि ठेके के माध्यम से निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारी भी बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की सीमा में आ जाए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय यह सब पहले ही कह चुके हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मुझे और भी कई महत्वपूर्ण बिन्दु उठाने हैं।

पात्रता तथा गणना सीमा को विगत में दो बार संशोधित किया गया है।

जब बोनस अधिनियम वर्ष 1965 में लागू किया गया था, उस समय पात्रता सीमा 1600 रुपये प्रतिमाह थी और गणना सीमा 750 रुपये प्रति माह थी। तदोपरांत वर्ष 1985 में पात्रता और गणना सीमा को बढ़ाकर क्रमश: 2500 रुपया और 1600 रुपया प्रतिमाह कर दिया। दूसरी बार, 1993 में पात्रता सीमा को बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह और गणना सीमा को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया।

इस विधेयक के माध्यम से पात्रता और गणना सीमा को क्रमश: 3500 और 2500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपये तथा 3500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव किया गया है। 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात् पात्रता सीमा 3500 रु. से बढ़ाकर 10,000 रु. करने का प्रस्ताव हमारे माननीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा उठाया गया एक स्वागतयोग्य कदम है।

अधिनियम की धारा 32 के खंड छह को हटा ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मचारियों को बोनस हेतु पात्र बनाने का कार्य भी स्वागतयोग्य है जिससे ये श्रमिक सीधे निर्माण कंपनियों द्वारा नियोजित किए गए श्रमिकों तथा अन्य उद्योगों में ठेकेदारों द्वारा रोजगार प्रदत्त श्रमिकों के समकक्ष आ सकेंगे।

महोदय, बोनस साल में केवल एक बार दिया जाता है। निजी तथा कॉरपोरेट क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी अपना बोनस प्रतिशत के संदर्भ में अथवा कुछेक महीनों के मूल वेतन के आधार पर पाते हैं, जो हजारों रुपए होता है। इसी तर्ज पर, मेरा अनुरोध है कि सरकारी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी ग्रेड के हों, कम से कम एक महीने का मूल वेतन बोनस के तौर पर मिले।

इसके अलावा, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान देश के शमशान गृहों में कार्यरत श्रमिकों की बदतर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हाल ही में तमिलनाडु की हमारी सरकार विशेषकर स्थानीय प्रशासन मंत्री, श्री एम.के. स्टालिन ने शमशान गृहों में कार्यरत 177 ऐसे श्रमिकों की पहचान की जो अस्थायी श्रमिक के तौर पर कार्य कर रहे थे। और उन्हें सरकारी कर्मचारी के तौर पर 5,000 रु. प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्ति प्रदान की। उन्हें वर्ष में दो बार वर्दी देने के आदेश जारी किए गए। इसी प्रकार, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभी राज्य सरकारों को शमशान गृहों में काम करने वाले श्रमिकों की पहचान करके उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दें। शमशान गृहों में कार्यरत सभी लोगों को बोनस प्रदान किया जाना चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, धारा 2 तथा धारा 12 के खंड 13 में अंतर्विष्ट संशोधन तथा धारा 32 के खंड (छह) का हटाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री सांताश्री चटर्जी। कृपया आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे थोड़ा और समय दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप स्टार्ट तो करिए, देखा जाएगा कि क्या बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, यद्यपि यह काफी दिनों से लंबित है, यह विधेयक अपनी सीमा के भीतर निस्संदेह स्वागतयोग्य कदम हे। मैं इस सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने भाषण में स्पष्ट बातें कहूंगा, ऐसा नहीं है कि संप्रग सरकार की इस विधान को लाने की गंभीर राजनीतिक इच्छा शक्ति है लेकिन यह कामगार-वर्ग के संयुक्त संघर्षों का चिर लंबित परिणाम है। पिछले तीन वर्षों से हम लगातार सरकार के समक्ष इस मामले को उठाते रहे हैं वाम दलों के संसद सदस्यों ने कई बार माननीय प्रधान मंत्री और माननीय श्रम मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। पिछले सत्र में व्यवधान के कारण, इस विधेयक को पुर:स्थापित नहीं किया जा सका था। स्वाभाविक रूप से अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा।

मुझे याद है, जब समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि मंत्रिमंडल ने बोनस भुगतान अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय लिया

[श्री सांताश्री चटर्जी]

है तो मैंने माननीय श्रम मंत्री के कार्यालय में बार-बार फोन किया। हर समय, मुझे बताया गया कि इसे तैयार किया जा रहा है। दुर्गा पूजा समाप्त हो गई। दिवाली खत्म हो गई। तब, अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। तथापि, मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस चर्चा के प्रति आकर्षित करता हूं जो कांग्रेस कमेटी में हुई थी और जैसा कि उन्होंने मजदूर संघों के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि वास्तविक मजदूरी और मिलने वाली मजदूरी के बीच अंतर बढ़ रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि न्यूनतम बोनस 10 प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया जाए न कि 8.33 प्रतिशत की दर पर।

दूसरी बात, अधिनियम की धारा 2(13) में संशोधन कर ठेका श्रमिकों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। यह अच्छी बात है और इस बार विधेयक की प्रमुख विशेषता यह है कि अधिनियम की धारा 32(6) को संशोधित कर निर्माण श्रमिकों को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। उन्होंने जो सुझाव दिया है उसे मैं दुहराता हूं। सभी केन्द्रीय मजदूर संघों ने इसका सुझाव दिया है। न्यूनतम बोनस 100 रु. निर्धारित किया गया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे न्यूनतम 1000 रु. किया जाना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को, यदि स्थिति ऐसी है, तो अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार दिया जाए।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भविष्य में इस पर विचार करेंगे कि बाजार की वर्तमान स्थिति में 3,500 रु. की सीमा बहुत कम है। पहले माननीय मंत्री को इसकी समीक्षा करने दें। वह श्रमिकों के हितैषी है। वह बहुत ही अच्छे मंत्री हैं। आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सभी केन्द्रीय मजदूर संघों ने अपनी दलगत स्थिति से उपर उठकर आपको यह सुझाव दिया है।

इसके अतिरिक्त, 10,000 रु. की सीमा, यदि कोई नियोक्ता जो भारी लाभ अर्जन करता है, जैसा कि अधिनियम में अभिकल्पित है, उसकी क्षमता 20 प्रतिशत से अधिक भुगतान करने की है तो उसके लिए 10,000 की सीमा क्यों होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि बोनस संदाय अधिनियम की धारा 31 में उत्पादकता से जुड़े बोनस का प्रावधान है। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। पुन: आप नियोक्ता की भुगतान क्षमता पर विचार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि रुग्ण उद्योग को 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन उन नियोक्ताओं के मामले में कार्पोरेट प्रबंधन जो भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं, वे श्रमिकों को ज्यादा राशि का भुगतान क्यों नहीं कर सकते? यह केवल 10,000 रु. तक ही सीमित क्यों होना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय: अब, आपको पांच मिनट से कम समय मिलेगा।

अपराह्न 5.48 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, कृपया मुझे समाप्त करने की अनुमति दें। कई अच्छे बिन्दु हैं। इसलिए मैं, समझता हूं कि माननीय मंत्री इसकी समीक्षा करें। यह सही है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। लेकिन व्यवहार में यह है कि जब बोनस अधिनियम को अधिसूचना के माध्यम से अथवा संसद में विधेयक के माध्यम से संशोधित किया गया है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को हमेशा सीलिंग पर विचार करना चाहिए, अधिनियम पर विचार करना चाहिए और कर्मचारियों को भुगतान करना चाहिए।

अभी-अभी मुझे अपने नेता श्री बसुदेब आचार्य के माध्यम से केन्द्रीय सरकार कर्मचारी और श्रमिक संघ के महासचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा है, कि बोनस अधिनियम केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, अधिनियम में विनिर्धारित पूर्व सीमा ही रेलवे कामगारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता से जुड़े बोनस और तदर्थ बोनस की गणना का आधार है। हमने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया है लेकिन वित्त मंत्री पहले की गई मांग पर विचार करने पर सहमत नहीं हुए। जब और जैसे ही सीलिंग की सीमा बढ़ाई गई, इसी बात से यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न थोपा जाए। दूसरी बात, आज कल ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्यादेश प्रख्यापित होने के बाद भी कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोनस भुगतान करने से इंकार किया गया। मैं पश्चिम बंगाल के पटसन महारथियों का उल्लेख करता हूं। काफी लंबे समय से लाखों पटसन कामगारों को बोनस से वंचित रखा गया क्योंकि अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया था। अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने पटसन महारथियों, एसोसिएशनों से अनुरोध किया कि वे यथा प्रख्यापित अध्यादेश का आदर करें क्योंकि अधिनियम आने वाला है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब कृपया समाप्त करें।

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, माननीय अध्यक्ष ने मुझे बोलने की अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: करीब 12 वक्ता और हैं। मैं प्रत्येक वक्ता को केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दे सकता हूं और समय बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रत्येक दिन ऐसा ही किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, कृपया मेरे प्रति थोड़ी नरमी रखें।

पटसन महारथी बोनस का भुगतान करने से इंकार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हस्तक्षेप करें। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। नहीं तो पटसन कामगारों को अपनी न्यायोचित और वैध मांगों की पूर्ति हेतु पुन: हड़ताल पर जाना पड़ेगा जैसा कि आप जाते हैं, कामगार वर्ग का कठिन परिश्रम से अर्जित अधिकार, जो बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधिनियम से हासिल हुआ है, प्रभावित होगा इसका इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। आप जानते है कि जब कांग्रेस वर्ष 1975-76 में आपातकाल के दिनों के दौरान देश में पूर्ण रूप से सत्ता पर अर्जित थी तो श्रमिकों को बोनस से वंचित कर दिया गया था। अब आप वामदलों और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर हैं। मुझे खेद है तब आपकी सरकार थी आपने ऐसा किया, मैं नहीं जानता कि आपने कुछ आत्मनिरीक्षण किया है कि नहीं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री सांताश्री चटर्जी: वर्ष 1975-76 की आपात स्थिति के दौरान, कठिन परिश्रम से अर्जित कामगार वर्ग के इस अधिकार को उनसे छीन लिया गया और कामगारों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कामगारों को अपनी मांगें मनवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। इस बोनस अधिनियम का उतार-चढ़ाव भरा इतिहास वर्ष 1961 से शुरू हुआ था जब 6 दिसंबर, 1961 को भारत सरकार की अधिसूचना के बाद बोनस आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री यू.आर. मेहर, थे और श्री गोविन्दा रेड्डी, श्री बी.एन. गांगुली इसके सदस्य थे और कामगारों के प्रतिनिधि श्री एस.आर. वासवाड़ा और श्री एस.ए. डांगे, संसद सदस्य एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री एन. डांडेकर एवं श्री डी. शांडिल्य थे। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सात विचारार्थ विषयों में से, जैसा कि बोनस के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के संविधान में ब्यौरा दिया गया है, एक यह था कि बोनस से संबंधित मामलों को आयोग के समक्ष रखा जाए और नियोक्ता तथा कर्मचारियों की सहमति के आधार पर बोनस आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

अविभाजित ऐटक (ए आई टी यू सी) द्वारा भिन्न विचार रखे गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उस समय प्रमुख मजदूर संगठन था और इसके प्रतिनिधि बोनस आयोग की कुछ सिफारिशों से सहमत नहीं थे क्योंकि यह कामगार वर्ग के हितों के विरुद्ध था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें, आपके दल के दो और वक्ता हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री सांताश्री चटर्जी: जी हां, महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय श्री इंद्रजीत गुप्त जो कि एक वरिष्ठ सांसद और देश के अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता थे, द्वारा दिए गए बहुत अच्छे भाषण का उल्लेख करते हुए गर्व महसूस करता हूं। उन्होंने 1965 में यह भाषण दिया था जब इस महान सदन में बोनस अधिनियम पर चर्चा की जा रही थी। स्वर्गीय श्री इंद्रजीत गुप्त ने जो कहा मैं उसका उल्लेख करता हूं:

> "कि सरकार ने संशोधन के नाम पर बोनस आयोग की अधिकांश सिफारिशों को नहीं माना है और इस आधार पर वितरण योग्य अतिरिक्त धनराशि को जानबूझ कर कम करने का प्रयास जो कि कामगारों को बोनस के रूप में प्राप्त हो सकता है, समस्त देश के संगठित क्षेत्र के मजदूर इस विधेयक, जिस रूप में इसे सदन में प्रस्तुत किया गया है, का विरोध कर रहे हैं और मेरे मित्र श्री पांडेय की यह आशंका है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप ज्यादा शांति नहीं होगी अपितु अधिक रोष होगा क्योंकि आशंकाएं इस घटक पर आधारित हैं।"

उन्होंने यह भी बताया:

> "मैं यह समझता हूं कि अंत में इस विधेयक को पूरा नाम बोनस संदाय से बदल कर 'बोनस संदाय न करना' उचित होगा क्योंकि यह वास्तविक उद्देश्य प्रतीत होता है।"

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है। तत्पश्चात् उन्होंने यह कहा:

> "विधान के प्रारूपण और इसकी रूपरेखा के बारे में काफी भिन्नता और भ्रम हैं। बशर्ते कि कंपनी ने नियमित कंपनी के

[श्री सांताश्री चटर्जी]

रूप में कार्य करना आरंभ करने के पश्चात् छह वर्ष का समय बीत गया हो-इस बात का कोई महत्व नहीं कि कंपनी को घटा हुआ हो-इसे न्यूनतम बोनस अदा करना होगा। यदि विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों को कम किया जा रहा है तो कुछ भी क्यों न हो जाए, इस अधिनियम से औद्योगिक शांति नहीं आ सकती है अपितु इससे अधिक असंतोष और रोष तथा विरोध होगा, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं चाहते चूंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो।''

मैं इस तथ्य की ओर माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने हेतु स्वर्गीय श्री इंद्रजीत गुप्त के भाषण का उल्लेख कर रहा हूं कि समस्याएं अभी भी बरकरार है और बढ़ रही है तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा अन्य स्टेकधारकों के परामर्श से भविष्य में एक व्यापक संशोधन करते का समय आ गया है ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जा सके और हम हमारे देश के कामगार वर्ग के हितों, विशेषाधिकारों और अधिकारों का वास्तव में समर्थन कर सकें।

संप्रग सरकार कामगारों को उचित सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। यदि आप अपनी बात के पक्के हैं तो कृपया संसद के अगले सत्र अथवा बाद में बोनस संदाय अधिनियम में व्यापक संशोधन करने हेतु एक विधेयक लाएं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों यदि आप कृपया सहयोग करेंगे तो हम इस विधेयक पर चर्चा को आज ही पूरा कर सकते हैं। लगभग 12 बजता है और मुद्दा बहुत साधारण है-'बोनस बढ़ाया जाना' परंतु बोनस अधिनियम पर एक अलग फोरम में चर्चा की जा सकती है। इसलिए, इस मुद्दे पर अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। साधारण मुद्दा यह है कि बोनस की राशि बढ़ायी जाए और इसकी अदायगी त्योहार के दौरान की जाए-यह विगत लेखांकन वर्ष के लिए चालू वर्ष का एकमात्र मुद्दा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, आपने बोलने से पहले पाबंदी लगा दी है, इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। प्रोफेसर रासा सिंह रावत जी के संकल्प के साथ, माननीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज जी जो बोनस संदाय संशोधन विधेयक, 2007 इस सदन में लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह सत्य है कि पूरे हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियंस ने इस संबंध में बहुत संघर्ष किया, बहुत से धरने-प्रदर्शन हुए। आज इस सदन में विधेयक लाकर बहुत पुनीत कार्य किया गया है। इसे बहुत पहले आना चाहिए था, चूंकि बयालीस वर्ष के बाद यह संशोधन वृहद् रूप में आया है, हालांकि छोटे-छोटे संशोधन आए, लेकिन अपने आप में इसमें जो समग्रता होनी चाहिए, वह अभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है।

महोदय, यह स्वागतयोग्य है और मैं इसका समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जब संशोधन विधेयक आयें, तो उसे अध्यादेश के जरिए नहीं लाना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट सरकार को विधेयक लाना चाहिए।. खासकर जो हमारे मजदूर हैं, चाहे वे कहीं भी उद्योग धंधों में काम कर रहे हों, वे भारतवर्ष के विकास की रीढ़ हैं, इनके लिए तो आपको प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। इनके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने घंटे आदमी काम करता है, उसके बाद भी उससे ओवर टाइम लिया जाता है, तो समय-समय पर कम से कम कोई कमीशन/आयोग बनाकर इनके बारे में मूल्यांकन होना चाहिए और पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से कम से कम बोनस या वेतन हो और मैं छठवां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश कर रहा हूं। यह जल्दी आने वाला है। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि जो कामगार मजदूर हैं, उनको लाभ समय से मिल सके। जिस धनराशि का आपने प्रावधान किया, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, उसमें नयूनतम बोनस की धनराशि इस महंगाई को देखते हुए कम से कम दो हजार रुपए करनी चाहिए, जो छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार है। इस वर्ष के तमाम त्योहार निकल गए, अब हम वर्ष के आखिरी पड़ाव में हैं।

सायं 6.00 बजे

यदि यह पहले आ गया होता तो मेरे ख्याल से कामगारों के लिए तोहफा होता और यूपीए सरकार की बहुत बड़ी देन होती। हम देर से आए, लेकिन हमने इसे सही और दुरूस्त तरीके से पेश किया है, यह स्वागत योग्य है।

रासा सिंह रावत जी और अन्य माननीय सदस्यों ने इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है। हमने इसमें खेतीहर कामगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। देश में आज भी 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश के विकास की कड़ी कृषि है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज कामगारों के पास खेत नहीं रहे। छोटे-छोटे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही और न ही उन्हें सही मायने में सिंचाई उपलब्ध

हो पा रही है। इसलिए वे गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस विधेयक में खेतीहर कामगारों के लिए भी प्रावधान करने की जरूरत थी। भविष्य में हमें इस बारे में विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगली बार कम से कम खेतीहर कामगारों के लिए अलग से विधेयक लाकर उन्हें बोनस इत्यादि देने की व्यवस्था की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइये। अब सायं के छह बजे हैं। यदि सदन सहमत है तो हम सदन की कार्यवाही को इस विधेयक को पारित करने तक बढ़ा देंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): क्या हम इससे पहले 'शून्य काल' नहीं ले सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, यह कब तक चलेगा? ...*(व्यवधान)* यदि यह चर्चा उस समय तक चलती है तो क्या हम रात्रि 9 बजे तक बैठेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, सामान्यत: हम सायं 6 बजे 'शून्य काल' को लेते हैं और तत्पश्चात् चर्चा को जारी रखते है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि सभी माननीय सदस्य केवल पांच-पांच मिनट तक अपने विचार व्यक्त करने में सहयोग दें तो हम इस चर्चा को सायं 7 बजे तक आसानी से पूरा कर सकते हैं। परंतु कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करने के लिए तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, इस विधेयक पर चर्चा अधिकतम एक घंटे में समाप्त की जाए। इसमें इससे अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

महोदय, आप अब सदन की कार्यवाही को एक घंटे तक बढ़ा सकते हैं। तदुपरांत यदि जरूरत पड़े तो आप सदन की कार्यवाही को और बढ़ा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब हम सायं सात बजे तक बैठेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, यह विधेयक विगत कुछ दिनों से लंबित पड़ा है। अत: यह बेहतर होगा यदि हम इस पर चर्चा को आज ही समाप्त कर लें।

श्री खारवेल स्वाईं: हम भी यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा को शीघ्र समाप्त किया जाए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: इसी दौरान आप 'शून्य काल' को ले सकते है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि माननीय सदस्य सहयोग करे और समय सीमा का पालन करते हुए अपने विचार व्यक्त करें तो हम इस चर्चा को निर्धारित समय सीमा में ही समाप्त कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है, महोदय।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, यह केवल बोनस बढ़ाने से संबंधित मामला है और इसमें सिद्धांत से जुड़ा कोई प्रश्न नहीं है। यह केवल बोनस बढ़ाने के संबंध में है और इसकी अदायगी त्योहार के दौरान की जाए। विधेयक का यही उद्देश्य है। अत:, इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में अस्थगित मजदूरी अथवा बोनस का प्रश्न नहीं शामिल है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है आप अपना भाषण संक्षेप में दें और मुझे समय-सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा करने दें। मुझे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए।

श्री सुशील खां (दुर्गापुर): पहले 'शून्य काल' पर चर्चा करते हैं। तदुपरांत, इस विधेयक पर चर्चा को पूरा किया जा सकता है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, 'शून्य काल' हमारे लिए 'बोनस' है।

सभापति महोदय: सदन की कार्यवाही सायं 7 बजे तक के लिए बढ़ायी जा रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, आप सदन में देर तक बैठते हैं अत:, आपको भी बोनस मिलना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, क्या आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है?

श्री शैलेन्द्र कुमार: नहीं महोदय। मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

सभापति महोदय: सदन की कार्यवाही सायं 7 बजे के लिए बढ़ा दी गई है।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप अपना भाषण कुछ मिनटों में समाप्त कर सकते हैं। तदुपरांत, मैं बोलने के सूची में से अगले वक्ता को इस मुद्दे पर बोलने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: बोनस के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आपने हाउस का समय बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

मैं खेतीहर कामगारों के बारे में बात कर रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद जो सत्र आएगा, उसमें माननीय मंत्री जी खेतीहर कामगारों के लिए बोनस की व्यवस्था अवश्य करें। बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 लाया गया है, जब दो-तीन महीने बाद होली का त्योहार आएगा, उसके लिए आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं ओर मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 जो प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं मंत्री जी और यूपीए सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह अमेंडमेंट बिल वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। इसे आज तक लोक सभा में पारित नहीं किया गया, लोक सभा के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। आप भली भांति अवगत है कि मूल अधिनियम 1965 की मात्र दो धाराओं में संशोधन करने के लिए यह बिल लाया गया है। खासतौर से पहले जो बोनस संदाय बिल बने हुए थे, उसकी राशि को बढ़ाने से संबंधित यह बिल है। इस संबंध में कई बार श्रम आयोग और स्थायी समितियों की सिफारिशें पूर्व की सरकार को आई थी लेकिन उन्होंने उसे लागू करना आवश्यक नहीं समझा।

अभी माननीय सदस्य रासा सिंह रावत जी यहां बोल रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी पांच साल 13 महीनों तक रही, लेकिन आपने इस बिल को पारित करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि यह बिल विशुद्ध श्रमिकों, कामगारों, उद्योग धंधों में लगे हुए मजदूरों, ठेका मजदूरों से संबंधित था। आप कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप आज खुद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इससे पहले का जो अधिनियम था, उसका 1995 में संशोधन हुआ था। अब 1995 से कितना समय हो गया है? इन बारह वर्षों में यह बिल प्रतीक्षा करते-करते आज लाया गया है। इस बिल का जो मूल सैक्शन 2 बी, उसकी उपधारा 13 में संशोधन किया गया है। इसमें पहले साढ़े तीन हजार रुपए का प्रावधान था लेकिन मजदूरों की आवश्यकता को देखते हुए, उनकी अन्य कठिनाइयों को देखते हुए इसे दस हजार रुपए किया गया। उसी प्रकार मूल धारा 32 के खंड 4 ए 16 को संशोधित किया गया है जिसमें गणना की ढाई हजार रुपये की राशि को साढ़े तीन हजार रुपये करने का प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह बिल काफी प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इन्होंने संकल्प के माध्यम से अध्यादेश का विरोध किया था, लेकिन जिस वक्त अध्यादेश लाया गया, आप गौर करेंगे, उस समय अध्यादेश की नितांत आवश्यकता थी क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा था। उस समय गरीबों और श्रमिकों की आवश्यकता को देखते हुए, पर्व और त्योहारों को देखते हुए यह अध्यादेश जारी किया गया। इसके लिए ये बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इसका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं। लेकिन इतना करने से ही काम नहीं चलेगा। इससे हमारे श्रमिकों की कठिनाइयां दूर नहीं होगी। इससे उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। जो ठेके में, भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर हैं, वे इससे लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, उससे सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग धंधों, ठेकों और भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर लाभान्वित होंगे चाहे वे कुशल हों या अकुशल हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

मैं 27 अक्टूबर, 2007 को बोनस संदाय अध्यादेश प्रख्यापित करवाने हेतु माननीय श्रम मंत्री को बधाई देता हूं जब कामगार पूजा की छुट्टियों और दीपावली के त्योहार के दौरान बोनस की संशोधित दरों का इंतजार कर रहे थे। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम के दायरे में लाने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। भवन निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों का कार्य श्रमसाध्य है। उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. कलाइगनार करुणानिधि ने उनके लिए कई कल्याण योजनाएं चलाई हैं।

इस प्रकार, हमारा राज्य तमिलनाडु लाभ, चाहे वे संगठित क्षेत्र अथवा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संबंध में हैं, प्रदान करने में अग्रणी है।

तथापि, एक मुद्दा है जिसे मैं माननीय श्रम मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम मांग करते रहे हैं कि रेलवे कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों की तरह दूसरे कर्मचारियों की भी बोनस पात्रता की सीमा बढ़ाई जाए और उनके मामले में बोनस की गणना सीमा भी बढ़ाई जाए। इस संबंध में मैंने श्रमिकों की बोनस पात्रता को 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और रेलवे कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय कर्मचारियों की बोनस गणना सीमा को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपये करने हेतु नियम 377 के तहत यह महत्वपूर्ण मामला 19 नवम्बर, 2007 को सदन में उठाया था, क्योंकि इस संशोधन से उन्हें कोई लाभ नहीं होने जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस अधिकतम 2500 रुपये निर्धारित किया जाता रहा है और विभिन्न यूनियनों द्वारा मांग करने के बावजूद इसमें वृद्धि नहीं की गई है। अन्य कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिस्पर्द्धी माहौल में कार्य कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था तथा प्रगति में अत्यधिक योगदान दे रहे हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इस विधेयक में संलग्न वित्तीय ज्ञापन में माननीय मंत्री जी ने प्रावधान किया है:

यदि भारत सरकार गणना की अधिकतम सीमा अपनाती है तो केन्द्रीय कर्मचारियों और रेलवे तथा डाक विभाग के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस अतिरिक्त क्रमश: व्यय लगभग 125 करोड़ रुपए और 490 करोड़ होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय को उन कर्मचारियों हेतु भी किए गए प्रावधानों के लिए धन्यवाद देता हूं और सरकार तथा श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भी बोनस पात्रता सीमा और गणना सीमा को तत्काल बढ़ाने की योजना को अधिसूचित किया जाए ताकि अन्य कर्मचारियों की तरह रेलवे और डाक विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी भी अन्य श्रमिकों की तरह लाभान्वित हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): माननीय मंत्री जी ने बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यादेश द्वारा यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से पहले ही लागू किया जा चुका है। मंत्री महोदय का उद्देश्य स्पष्ट है और यह कर्मचारियों के पक्ष में है क्योंकि वह चाहते है कि दिवाली, दशहरा और ओनम त्योहारों के लिए कर्मचारियों को बोनस मिले। मैं माननीय मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा।

धारा 32 के खण्ड 6 को हटा दिया गया है ताकि निर्माण उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों को बोनस अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सके। बोनस अधिनियम 1965 की धारा 12 और धारा 2 के खण्ड 13 में संशोधन का उद्देश्य पात्रता सीमा को संशोधित करने का उद्देश्य 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और गणना की अधिकतम सीमा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये करना है जिससे देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।

पिछले साढ़े तीन वर्षों में ऐसा श्रम मंत्री नहीं देखा। पिछले छह महीनों में मैंने देखा है कि माननीय श्रम मंत्री जिन्होंने कार्य प्रभार लिया है, श्रम आंदोलन के लिए कुछ कर रहे है। अत: मेरा उनसे अनुरोध है कि कई चीजें ऐसी है जिनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि बहु राज्य अधिनियम, जिससे संशोधन किया जाना है।

दूसरे, मजदूर संघ अधिनियम में कर्मचारी की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए क्योंकि 'कर्मचारी' की कई परिभाषाएं है। 'कर्मचारी' शब्द की स्पष्ट परिभाषा है से श्रमिकों को मुकदमों में उलझने तथा अदालतों के चक्कर काटने से बचा सकती है। यही मेरा अनुरोध है। मेरे विचार से मंत्री महोदय काफी सक्षम हैं और कर्मचारियों के पक्ष में हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सभापति महोदय, हम बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा कर रहे है। संशोधन के लिए यह 10 वर्षों से भी अधिक के बाद यहां आया है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य बोनस अधिनियम में संशोधन के लिए सभा की स्वीकृति प्राप्त करना है जिससे 10,000 प्रति माह वेतन पाने वाले श्रमिक बोनस प्राप्त करने के पात्र होंगे। उससे देश के श्रमिक बल का ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत केवल 7 प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। भुगतान का प्रस्ताव मोटे तौर पर भारतीय श्रमिक सम्मेलन के 41वें सत्र की सिफारिशों के अनुरूप बताया जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श किए बिना सरकार द्वारा एक तरफा निर्णय लिया जाना कामगारों को अथक रास नहीं आया है। बोनस की घोषणा से वे संतुष्ट नहीं है।

संसद की श्रम संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में यह सब कहा गया है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: क्या मैं थोड़ा हस्तक्षेप कर सकता हूं? यह नेशनल लेबर कान्फ्रेंस का परिणाम है जिसमें कामगारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और यह उसी की सिफारिश थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: बिलकुल ऐसी सिफारिश नहीं थी बहरहाल यह उसी के संदर्भ में है और मैंने भी उसी का संदर्भ लिया है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मैं इसको और स्पष्ट करते हुए कहूंगा कि दूसरे श्रम आयोग ने केवल 7,500 रुपये की सिफारिश की थी। श्रमिक सम्मेलन की सिफारिश को देखते हुए तथा हम और भी आगे बढ़े हैं इसे बढ़ा कर 10,000 कर दिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: 10,000 रुपए की अधिकतम सीमा रखने की सिफारिश श्रमिक सम्मेलन की नहीं थी। केन्द्रीय मजदूर संघ की मांग तो इससे कहीं अधिक थी। अभी कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों का वेतन 10,000 रुपए से भी अधिक है अत: वे खुश और संतुष्ट नहीं है। लेकिन हम खुश है क्योंकि 10 वर्षों के बाद तो कम से कम कुछ किया जा रहा है। मंत्री महोदय, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे है, लेकिन आपको मजदूर संघों से परामर्श करना चाहिए था ताकि अधिकतम सीमा को और बढ़ाया जा सकता।

दस वर्षों पहले इसमें संशोधन किया गया था। अभी कई औद्योगिक श्रमिकों को बोनस के अपने वैधानिक अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है। यह असंगठित क्षेत्र के 370 मिलियन कामगारों पर भी लागू नहीं होगा। जो भी किया जा रहा है हम उसे अनुमोदित कर रहे हैं, लेकिन अभी यह श्रमिक वर्ग के केवल सात प्रतिशत पर ही लागू होता है।

आप अधिनियम की धारा 32 का संशोधन कर रहे हैं और निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों को सुविधाएं दे रहे हैं। यह अच्छी बात है और हम इसकी सराहना करते है। लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे खेतीहर मजदूरों, जंगलों में काम करने वाले श्रमिकों बीड़ी मजदूरों, तेदूं-पत्ता मजदूर जिनसे सरकार तथा व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, साथ ही प्रेस और मीडिया के कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिन्हें बोनस नहीं मिलता है। प्रेस और मीडिया में कार्यरत लोग अच्छा-खासा पैसा कमा रहे हैं अत: उसी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को बोनस के रूप में क्यों नहीं कुछ मिलना चाहिए? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की भी मांग है कि बोनस संदाय अधिनियम को सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस अधिनियम की परिधि में सरकारी कर्मचारियों को भी लाने के बारे में विचार कर रही है?

मैं संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन का संदर्भ दे रहा था। इसमें केन्द्र द्वारा श्रमिकों से संबंधित मामलों तथा बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा के संबंध में लापरवाही बरतने और कठोर रवैये की आलोचना की गई है।

सायं 6.20 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बोनस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले कामगारों हेतु सिफारिश की थी कि उनके लिए पारिश्रमिक के तौर पर 25,000 रुपये प्रति माह की सीमा निर्धारित की जाए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार करे। बोनस को लाभ से नहीं जोड़ा जाए। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि यह आस्थागित वेतन है और इसे कंपनी के लाभ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसे आस्थागित वेतन माना जाना चाहिए। वास्तव में यह कर्मचारियों का हक है जो पूरे वर्ष उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए वेतन की इस कमी को पूरा करने हेतु उन्हें बोनस एक बार दिया जाता है, जिसके हकदार वे पिछले वर्ष न्यायालय की भी यही व्याख्या है। इस आस्थागित वेतन माना जाए और लाभ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए। मंत्री महोदय ने जो कुछ भी किया, उसको लाए मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इससे काफी संख्या में कामगारों को लाभ होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम 2007 का सामान्यत: सभी के द्वारा स्वागत हुआ है। परंतु यह काफी नहीं है। मेरा सुझाव है कि इसमें पात्रता और गणना की अधिकतम सीमा हटा देनी चाहिए। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में बोनस एक आस्थागित वेतन है। ऐसी स्थिति में बोनस की पात्रता हेतु अधिकतम सीमा निश्चित करना निरर्थक है। अत: मेरा ठोस मत है कि सीलिंग हटनी चाहिए।

पिछले दो दशकों से एन.एल.सी. तमिलनाडु में कार्य कर रहे लगभग 13,000 ठेका मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया है। ये श्रमिक बोनस संदाय अधिनियम की परिधि में आते हैं और बोनस हेतु वैध रूप से पात्र भी हैं। क्या इस संशोधन के द्वारा एन.एल.सी. के ठेका मजदूरों को भी बोनस मिलेगा? आपने उत्तर के दौरान, माननीय मंत्री जी कृपया इस बारे में बताएं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति जी, बोनस संदय (संशोधन) विधेयक का स्वागत करते हुए, मैं दो सजेशन्स देना चाहता हूं। साधारणत: 12 महीने में जो पेमेंट मिलती है, उसमें एक पेमेंट दिवाली या किसी और त्योहार के समय कामगारों को और मिले, इस उद्देश्य से यह बोनस एक्ट आया था।

उसकी समय-सीमा तय कर दी गयी थी। जो पहले 3500 रुपये थी, जिसे आप 10,000 रुपये बढ़ा रहे हैं। हम कलकुलेशन करें तो इसमें 10 प्रतिशत इम्प्लाइज भी कवर नहीं होते हैं। एवरेज 7.5 प्रतिशत है और यह सीमा भी कम से कम 15,000 रुपये करनी चाहिए थी। चौथे वेतन आयोग के बाद पांचवां वेतन आयोग भी आ गया और आगे छठा पे-कमीशन आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लाइ इसका हकदार होगा। ऐसी स्थिति में अगर साढ़े सात प्रतिशत एम्प्लाइज और कामगारों को इसका फायदा हुआ है तो बोनस एक्ट तो होने के बावजूद न होने के बराबर है। मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि अभी इसमें जो सीमा तय कर दी गयी है, उसमें आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं बोनस संदाय विधेयक, 2007 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका उद्देश्य कुशल और अकुशल कामगारों को बोनस का भुगतान करने और भुगतान की राशि को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए करने हेतु बोनस संदाय विधेयक, 1965 में संशोधन करना है मैं 27 अक्टूबर, 2008 को प्रख्यापित वर्ष 2007 की अध्यादेश सं. 8 का भी समर्थन करता हूं।

इस विधेयक से देश के कुशल और अकुशल कामगारों को फायदा होगा मैं विशेषकर धारा 32, खंड 6 में संशोधन का स्वागत करता हूं जो भवन निर्माण में संलग्न कामगारों को बोनस के भुगतान के दायरे में शामिल करता है।

मैं दो विषयों पर संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं कि पात्रता सीमा और धनराशि की अधिकतम सीमा में 14 वर्षों के बाद यह संशोधन किया गया है मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 14 वर्षों की इस अवधि के दौरान अधिकतर समय मुद्रा स्फीति लगभग 10 प्रतिशत रही है और गत दो-तीन वर्षों के दौरान भी मुद्रा स्फीति लगभग पांच प्रतिशत रही है और यदि हम इसे 3500 रुपए की धनराशि ले तो इन 17 वर्षों में इस धनराशि के मूल्य में गिरावट आई है। अत: इस देश में कार्यरत लोगों की दशा के बारे में कुछ विचार करने की आवश्यकता है और पांच प्रतिशत से कम परिलब्धि वाला बोनस जो उनके हाथ में अंतत: मिलेगा उस धनराशि का मूल्य मुद्रास्फीति की दर के हिसाब से बहुत कम होगा।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछला संशोधन लगभग आठ वर्षों के बाद किया गया था। मौजूदा संशोधन 14 वर्षों के बाद किया गया है। सरकार को विचार करने में कुछ तर्कसंगत रहने की आवश्यकता है कि बोनस पर कब तक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

मैं यह उल्लेख करते हुए चर्चा समाप्त करूंगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों को चुनौतियों का सामना करने के लिए नई निपुणता पैदा करने की आवश्यकता है। सरकार को भविष्य में आने वाले निपुण उद्योगों की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह इस देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों और कामगारों की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप है। यद्यपि बोनस झगड़े का मुद्दा है और इसे तीन महत्वपूर्ण चरणों में सुलझाए जाने की मांग की गई है जिसे इस संशोधन विधेयक में अंतर्विष्ट किया जा रहा है। अत: मैं इस विधेयक द्वारा लाए गए तीन बदलावों का स्वागत करता हूं।

इस विधेयक की प्रशंसा करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं जो कुछ संदर्भगत मुद्दों को शामिल करते हुए यह विधेयक लाए हैं। बोनस एक अपरिवर्तनीय अवधारणा नहीं है। बोनस हमेशा बदलते रहने वाला मामला है और यह कामगारों की आवश्यकताओं और देश में मूल्यवृद्धि की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता है और इसलिए दो या तीन वर्षों में कम से कम एक बार इसे बोनस की धनराशि और अधिकतम धनराशि के बारे में निर्णय लेना है। यदि मैं सही हूं तो पिछली बार परिवर्तन वर्ष 1995 में किया गया था। 8.33 प्रतिशत का पहला बदलाव वर्ष 1972 में किया गया था। अत: 10 वर्षों में एक बार या 15 वर्षों में एक बार इसमें बदलाव लाना संभव नहीं होगा और इससे कामगारों को न्याय नहीं मिलेगा।

इसलिए दो वर्षों में एक बार बोनस की धनराशि और धनराशि की अधिकतम सीमा सीलिंग में परिवर्तन करना होगा। प्रत्येक वर्ष में माननीय मंत्री संशोधन विधेयक नहीं ला सकते। इसलिए मुझे लगता है कि इसे एक प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से लाया जाना चाहिए जिससे एक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा

[प्रो. एम. रामदास]

सकती है और जब कभी परिस्थितियां ऐसी लगती है तो यह अधिसूचना संसद के समक्ष रखी जा सकती है। यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि बोनस के भुगतान के समय सरकार द्वारा स्पष्ट शर्तों के साथ निर्धारित किया जाता है क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने टिप्पणी में कहा है कि बोनस का भुगतान वर्ष में एक बार यानी जब कोई उत्सव हो, दिया जाता है लेकिन अनेक प्रतिष्ठानों में इस समय अवधि का पालन नहीं किया जाता है। कल ही मेरे संसदीय क्षेत्र में 11 बजे रात्रि में बोनस के भुगतान का समझौता हुआ लेकिन बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कामगारों के इस तरह से भटकने से रोका जाना चाहिए।

तीसरी बात जिसे मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों को बोनस का भुगतान करने की बात की है लेकिन इसी तरह के दूसरे क्षेत्रों में अन्य कामगारों को छोड़ दिया गया है उन्हें भी विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए। बेहतर तरीका यह है कि सभी प्रतिष्ठानों जिन्हें पास 20 से कम कर्मचारी है को बोनस भुगतान की परिधि में लाया जाए। यह एक ऐसा मामला है जिसे राज्य मंत्रियों द्वारा वर्ष 1970 में उठाया गया था जब भारत सरकार ने एक बोनस समीक्षा समिति का गठन किया था और उस दिन बोनस समीक्षा समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि अनेक कर्मचारियों को बोनस के भुगतान में इंकार नहीं किया जाना चाहिए। अत: इन्हें भी शामिल किया जाए।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: आप मुझे दो मिनट और बोलने की अनुमति दें। आप सामाजिक न्याय से जुड़े व्यक्ति हैं। आपको मेरे साथ भी संसदीय न्याय करना चाहिए। मुझे दो मिनट भी नहीं मिला है। यह अंतिम वक्ता या अंतिम से पहले एक मात्र वक्ता होने का नुकसान है।

महोदय, अगला सुझाव यह है और मैं यह कहना चाहता हूं कि 8.33 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस में शीघ्र संशोधन करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है कि वर्ष 1965 में सरकार ने न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। तत्पश्चात् वर्ष 1972 में इसे संशोधित कर 8.33 प्रतिशत किया गया था। अब अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और गत 35 से 40 वर्षों से कामगारों की आकांक्षाओं में आए बदलावों को भी देखें। निजीकरण भूमंडलीकरण और उदारीकरण के मौजूदा संदर्भ में जहां उद्योग-धंधे 12 से 13 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं, यह 8.33 प्रतिशत का दर को बनाए रखना होगा। 8.33 प्रतिशत की दर को बनाए रखना अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है। मैं इस बात का सुझाव दूंगा कि भारत सरकार को न्यूनतम 12 प्रतिशत और अधिकतम 25 प्रतिशत की इस सीमा को बढ़ाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बिक्री की प्रतिशतता के रूप में सकल लाभ, कुल नियोजित पूंजी की प्रतिशतता के रूप में सकल लाभ, निवल पूंजी की प्रतिशतता के रूप में कर के बाद लाभ, निवल पूंजी को प्रतिशतता के रूप में लाभांश भुगतान की गई साधारण पूंजी की प्रतिशतता के रूप में साधारण लाभांश, भुगतान की गई कुल पूंजी की प्रतिशतता के रूप में कुल लाभांश के संदर्भ में विभिन्न उद्योगों के कार्यकरण पर ध्यान दें। यदि कोई इन सभी मानदंडों को देखें तो ऐसा लगेगा कि गत 30 वर्षों में वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये सभी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई पूंजीपति वर्ग दिन-दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है तो उद्योग-धंधे की समृद्धि में योगदान देने वाले श्रमिक 8.33 प्रतिशत की स्थिर दर से क्यों प्रभावित हो। अत: सरकार को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, मुझे लगता है कि यह खंडवार विधान या संशोधन नुकसान नहीं करेगा और कामगारों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। सरकार को बोनस संदाय अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करना चाहिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कर्मचारियों और नियोजकों समेत विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करें और समिति से पूरे अधिनियम को एक व्यापक अधिनियम बनाने के लिए संशोधन करने के लिए कहे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक महत्वपूर्ण कारणवश इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह संप्रग सरकार का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि यह श्रमिक समर्थक सरकार है और यह कर्मचारियों के साथ है तथा जहां तक देश के श्रमिक का प्रश्न है तो यह जो कहती है वही करती है। देश के श्रमिकों के कल्याण के मामले में संपग्र सरकार ने कोई आडंबर नहीं दिखाया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। हम कार्य मंत्रणा समिति में तथा अन्य सभी बैठकों में इस बात पर सहमत हुए थे कि यदि आवश्यक हो तो हम सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए देर शाम तक बैठक करेंगे। महोदय, मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह सभी सदस्यों के लिए है।

हम कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमत हुए थे कि यदि आवश्यक होगा तो हम सरकारी कामकाज निपटाने के लिए देर तक भी बैठेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से भी बात की थी। अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को न केवल इस सभा से बल्कि राज्य सभा से भी पारित किया जाता है। इसके पश्चात हमें अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) को भी लेना है। हमारे पास सीमित समय है। कल की माननीय अध्यक्ष तथा कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष इस पर सहमति हुई थी कि यदि आवश्यक हुआ तो सभा देर शाम तक बैठेगी क्योंकि कल हम किसी विधान पर चर्चा नहीं कर पाएंगे चूंकि कल हम परमाणु समझौते पर चर्चा करेंगे। इसलिए, 28 नवंबर, 2007 की हम किसी विधान पर चर्चा नहीं कर सकते। 29 नवंबर, 2007 को मंत्री महोदय अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) का उत्तर देंगे तथा तत्पश्चात् हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा आरंभ करेंगे।

तदुपरांत मुझे दूसरी सभा में जाना है। तीन तारीख को राज्य सभा में परमाणु समझौते पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस सभा से दूसरे सभा में सभी विधानों को ले जाने के लिए मेरे पास केवल तीन दिन हैं।

मैं विरोधी पक्ष का आभारी हूं क्योंकि वह कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालने के लिए सहमत हो गए हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस विधेयक का निपटान कर ले और तत्पश्चात् अनुदानों की अनुपूरक मांगें। (सामान्य) पर चर्चा आरंभ करेंगे। निश्चित ही माननीय मंत्री जी आज उत्तर नहीं देंगे। अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा आरंभ करें। सभी सदस्यों को बोलने दें। उत्तर 29 नवंबर, 2007 को दिया जाएगा। यही मेरा आपसे आग्रह है।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): सभापति महोदय, मुझे यह मौका प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं जिसे इस वर्ष के 27 अक्टूबर को प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु लाया गया है।

हम सब यह जानते हैं कि बोनस नियोक्ता अथवा सरकार की दया पर नहीं दिया जाता है। यह देश के मजदूर-वर्ग के कठिन श्रम का पुरस्कार है। धारा 2, 12 तथा 32 में प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करते हुए मैं इस तथ्य को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उक्त अधिनियम को राज्य स्तर पर लागू नहीं किया जाता है। राज्य श्रम आयुक्तों का इसके कार्यान्वयन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अंतर्गत सारे मजदूर नहीं आते हैं। कामकाजी वर्ग के कुछ भाग ही इसमें शामिल हैं। इसलिए, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसकी परिधि को अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि आज का मजदूर वर्ग कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें निर्माण मजदूरों, निर्माण संबंधी गतिविधियों में भाग लेने वाले ठेकेदारी व्यवस्था के आधार पर काम करने वाले गरीब मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आज निर्माण संबंधी गतिविधि एकल गतिविधि नहीं है। यह बहुत बृहद गतिविधि है। इसमें बहुत से विभाग शामिल रहते हैं। इन निर्माण कार्यों को विशिष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है और इनको शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसमें बीड़ी कामगारों, हमालियों और घरों में काम करने वाले श्रमिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑटो मजदूर इसमें शामिल नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि इन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

इस अध्यादेश को मेरे राज्य, आंध्र प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। जब हमने आयुक्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी वेबसाइट में नहीं है, हमें यह नहीं मिल रहा है, आदि। लेकिन जब हमने यह अध्यादेश दिखाया तो कुछ विभागों ने इसे लागू किया। निजी मालिक इस अध्यादेश की बिलकुल ही परवाह नहीं कर रहे हैं।

इसलिए, मेरा मंत्रालय से आग्रह है कि उसे इस विधेयक के कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): महोदय, मैं इस बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं साथ ही इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। दो वर्ष पहले हम प्रधानमंत्री तथा माननीय श्रम मंत्री दोनों से हमारे महासचिव जाइको के साथ मिले थे तथा यह प्रयत्न किया था कि एक संशोधन लाकर बोनस संदाय की सीमा में परिवर्तन किया जाए। मुझे नहीं लगता की हमारे अनुरोध पर पूरी तरह गौर किया गया है। आपने बोनस की पात्रता हेतु सीमा दस हजार रुपए तक बढ़ा दी है इसका हम स्वागत करते हैं। बदले हुए आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस सीलिंग सीमा को हटा देना चाहिए। गणना सीमा को 3500 रुपए पर तय कर दिया गया है लेकिन इसमें भी सुधार की आवश्यकता है तथा श्रमिक वर्ग के संपूर्ण वेतन को ध्यान में रखना होगा। इस बोनस अधिनियम के दायरे में निर्णय मजदूरों को लाना एक अच्छा कदम है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगार, जो लगभग 93% हैं, उन्हें भी

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

इस अधिनियम का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भविष्य में एक संशोधन पर विचार किया जा सकता है। अब न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इस मुक्त परिदृश्य में उद्योगों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ की कोई सीमा नहीं है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा कमाए जाने वाले लाभों से दिए जाने वाले लाभांशों की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार के प्रतिष्ठानों के कार्यपालकों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हाल ही में उठाया था। जब नई विश्व स्तरीय एवं मुक्त अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने की कोई सीमा नहीं है तो बोनस के भुगतान की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह न्यायोचित नहीं है कि बोनस की तथा श्रमिक वर्ग के वेतन और पारिश्रमिक की कोई सीलिंग और सीमा तय कर ही जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे काबिल मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और निकट भविष्य में इस संबंध में उचित संशोधन करेंगे। इसके साथ ही इस विधेयक को समर्थन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को संशोधित करने का समर्थन करता हूं। इससे देश के कामगारों और कर्मचारियों जो केन्द्र सरकार की नौकरी डाक विभाग, रेल विभाग तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में है, उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होती है। इसमें विभिन्न राज्य सरकारों, स्थानीय स्व-शासनों तथा राज्य सरकार के उपक्रमों को कर्मचारी भी शामिल हैं। उन सभी ने बोनस की सीमा, पात्रता तथा योग्यता की सीमा को बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। पूरे देश के कामगार बोनस पात्रता की सीमा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक श्रमिकों का संबंध है, बोनस पारिश्रमिक का ही एक हिस्सा है। यह वार्षिक तौर पर त्योहारों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

महोदय, आजादी से पहले भी, श्रमिक पारिश्रमिक मानदेय के तौर पर इस बोनस का लाभ उठाते थे।

महोदय, बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 से संबंधित अध्यादेश दिनांक 27.10.2007 को जारी किया गया था। इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी माना जाएगा और इसके अनुसार 2006-07 के बोनस की ऊपरी सीमा को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी लगातार बोनस की सीमा को बढ़ाने की मांग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पर इंकार किया गया कि बोनस अधिनियम इसकी अनुमति नहीं देता है। तथापि, इसे केन्द्र, डाक तथा रेलवे कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं किया गया है। उन्हें पूर्व संशोधित दर से ही बोनस का भुगतान किया गया है। सरकार के इस भेदभाव पूर्ण बर्ताव से कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि सरकार द्वारा तत्काल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दर से बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपने विद्वान साथियों से सहमत हूं जिन्होंने माननीय मंत्री महोदय से बोनस संदाय अधिनियम को संशोधित करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान लाने का आग्रह किया है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं। मैं सभी संशोधनों अर्थात बोनस की अधिकतम सीमा तथा सीलिंग सीमा को बढ़ाने तथा साथ ही साथ खंड 32(4)(ख), अर्थात निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारियों के लिए इसके विस्तार का स्वागत करता हूं।

महोदय, देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूर खासी संस्था में हैं। यहां तक कि ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी भी असंगठित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहां माननीय मंत्री जी ने उन्हें शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। असंगठित श्रेणी के अन्य श्रमिकों के बारे में क्या सोचा है? मुझे पता है कि असंगठित श्रेणी के श्रमिकों के कल्याण के लिए संसद में एक विधेयक लंबित है। मुझे लगता है कि हम इस विधेयक को वर्तमान सत्र के दौरान पारित करेंगे। यदि हम इस विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र के दौरान पारित करेंगे तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस श्रेणी के तहत नहीं आ पाएंगे।

इसलिए, मैं इस संशोधन का सुझाव दूंगा कि निर्माण कार्य में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों के बारे में संशोधन करते समय, माननीय मंत्री महोदय को बोनस संदाय अधिनियम की परिधि में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को भी शामिल करना चाहिए।

महोदय, इस शब्दों के साथ ही, मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। 15 सदस्य इस विधेयक पर बोल चुके हैं और लगभग सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, और कहा है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। हम इस सभा में बहुत सीमित प्रयोजन के साथ आए हैं कि बोनस अधिनियम के अंतर्गत बोनस की सीमा बढ़ाई जाए।

जैसाकि आप जानते हैं, कोई परिवर्तन लाना आसान काम नहीं है। हमारे पूरी प्रणाली में, हमारे पास एक त्रिपक्षीय तंत्र है जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। मैं सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा कि यद्यपि द्वितीय श्रम आयोग ने नियोक्ताओं के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच वार्ता के 7500 रुपए की सीमा की सिफारिश की फिर भी, हमने उसे 10,000 रु. तक बढ़ाया है। श्रम आयोग ने 7500 रुपए की सिफारिश की थी जबकि श्रमिकों ने अपनी मांग की आवाज उठाई। यदि प्रबंधन ने कहा होता: ''हम श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार चलेंगे'', पाते। लेकिन इस 10,000 रुपए के आंकड़े तक पहुंचने का श्रेय कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को ही जाता है। ऐसा बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम यहां तक बिना किसी फार्मुला के पहुंचे हैं। यह उस समय पर आधारित है जिसे हमने सिफारिश की तिथि से निर्णय लेने तक गंवाया।

मैं सदस्यों से सहमत हूं कि वर्तमान परिदृश्य और वातावरण को देखते हुए, हम इस पर एक व्यापक चर्चा कर सकते हैं और एक दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि बोनस कितना होना चाहिए, उसे किस तरह दिया जाना चाहिए तथा किन-किन लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अधिकांश सदस्यों ने कहा कि पूरा लाभ केवल संगठित क्षेत्र के मजदूरों को ही दिया गया है। प्रश्न है कि: हम इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं? हमने इसे निर्माण मजदूरों तक पहुंचाया है। लेकिन एक समस्या है। कृषि के क्षेत्र में, एक मजदूर किसी किसान के पास लगभग एक महीना काम करता है। किसान और मजदूर के बीच का संबंध लगभग एक महीने का होता है। फिर एक अंतर आ जाता है। इसी प्रकार, अन्य उद्योगों में, आप मजदूर और नियोक्ता की पहचान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह अस्थायी रूप से कार्य करते है। निश्चित रूप से, यदि बोनस प्रदान करने के लिए किसी निश्चित अवधि में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच संबंध का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई साधन होता, तो जिन मामलों में मजदूर इसके पात्र हो, हमें उन्हें इस बोनस अधिनियम के अंतर्गत लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा, हम अधिनियम को पारित कर देंगे और पैसा मजदूरों पास नहीं जा पाएगा जैसा कि सदस्यों ने आशंका जताई है। यद्यपि हम इसे पारित कर देंगे, राज्यों में यह लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक अधिनियम पारित करते है, इसे अधिनियमित करते हैं और लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता। किसी को अपनी जेब में पैसा रखकर यह नहीं कहना चाहिए कि ''हां बोनस दे दिया गया है।'' इस लेखा शीर्ष के तहत, वह कहेंगे कि श्रमिकों को इतना पैसा दिया जाना है, वह इसे अपनी जेब में रख लेंगे और श्रमिकों को यह नहीं मिलेगा ...*(व्यवधान)* इस पर चर्चा करते हैं।

सभापति महोदय: उनके उत्तर के पश्चात, आप इसे उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): इकतीसवें श्रम सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया है कि ठेका श्रमिकों को इसमें शामिल किया जाए जिनकी संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। आज, आप इस मामले पर विचार कर सकते हैं और इन्हें अधिनियम के दायरे में ला सकते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हम श्रम सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। आपके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक चर्चा की जाएगी। हम देखेंगे कि हम इसे किस प्रकार लागू कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। लेकिन हमें एक तंत्र विकसित करना होगा जिसके द्वारा हमारे लोगों को लाभ मिल सके। यही हमारे लिए एकमात्र मुश्किल बात है।

महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है। प्रो. रासा सिंह रावत तथा अन्य ने आपत्ति जगाई कि हमें इसके लिए अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। संसदीय भावना में, हमें कभी कभार ही अध्यादेश लाना चाहिए। कुछ ने कहा कि इसे लाने के लिए सरकार पर दबाव था। हां, संपूर्ण देश के श्रमिक लंबे समय से इसकी अपेक्षा कर रहे थे। पिछले पांच वर्षों से हम इसे नहीं ला सके। शायद हमें इसे मानसून सत्र में लाना चाहिए था, लेकिन यह संभव नहीं था। एक विचार था कि इसे दुर्गा पूजा अथवा दीपावली के दौरान लाना चाहिए था। हम तो इसे दुर्गा पूजा के समय लाना चाहते थे लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हम इसे

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

दीवाली पर ही ला पाए। दीपावली के आसपास इसे पाना श्रमिकों का अधिकार था और हम ऐसा कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रो. रासा सिंह रावत तथा अन्य माननीय सदस्य अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लेंगे जिसमें हमारे देश के श्रमिकों के हित में लाए गए इस अध्यादेश का विरोध किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: हम विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आपने विधेयक का विरोध किया है। आपने केवल अध्यादेश पर प्रश्न उठाया है।

महोदय, चूंकि यहां सदस्य विधेयक के दायरे से बाहर जाकर हमारे देश में श्रमिकों की स्थिति का उल्लेख किया, मैं भी श्रमिकों के बारे में अपनी भावना व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे देश के किसानों के खून-पसीने के कारण हम इंदिरा जी के समय में हरित क्रांति ला पाए थे। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व किया और उनके बलिदान तथा अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण, हमें 1947 में स्वतंत्रता मिल पाई। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम देश में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। देश उन्नति कर रहा है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था: "जय जवान, जय किसान" और अब हम सब मिलकर एक साथ कह सकते है कि न केवल "जय जवान, जय किसान" बल्कि इस नारे को पूरा करने के लिए इसमें यह भी जोड़े "जय कामगार", ताकि हम उन लोगों को सलाम कर सकें जिन्होंने इस देश को बनाया।

सायं 6.53 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नोट कर लिया है। मैं उन सभी मुद्दों को देखूंगा जो उन्होंने उठाए हैं और हम समस्याओं का समाधान पाने का प्रयत्न करेंगे जिसका हमारे देश के श्रमिक सामना करते हैं। इन शब्दों के साथ ही, मैं सभा से आग्रह करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत, क्या आप सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति जी, मेरा इतना ही उद्देश्य था कि अच्छे उद्देश्य के लिए साधन भी अच्छे हो सदन की भावनाओं का आदर करते हुए, मैं अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा चाहती है कि प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प वापस ले लिया जाए?

सभा की अनुमति से सांविधिक संकल्प वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है।

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.55 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-08* और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-2006*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 24 और 25 को एक साथ लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री कृपया अपने विचार व्यक्त करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) तथा वर्ष 2005-06 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) संसद में प्रस्तुत कर दी गई हैं।

जहां तक अनुपूरक अनुदानों के पहले सेट अर्थात् 2007-08 के लिए दूसरे बैच का संबंध है तो मांगों के अंतर्गत हम 33,290.87 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग कर रहे हैं जिसमें प्राधिकरण भी शामिल है तथा जिसके अंतर्गत 11,867.60 करोड़ रुपये का नकदी परिव्यय, 21,420.82 करोड़ रुपये तकनीकी अनुपूरकों जिसमें बचत अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियां वसूलियों का परिव्यय तथा 0.45 करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान शामिल है।

नकदी परिव्यय में 9900 करोड़ रुपए शामिल है अर्थात् तीन मुख्य मदों पर नकदी परिव्यय का 83 प्रतिशत, 'बाजार स्टेबिलाइजेशन स्कीम' के तहत स्टेरिलाइजेशन आपरेशन हेतु 4500 करोड़ रुपए ब्याज देयताओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 4500 करोड़ रुपए का अंतरण बाहरी समर्थित परियोजनाओं तथा निर्यात से संबंधित राज सहायता हेतु अनुदान तथा ऋण के अतिरिक्त 900 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

अन्य मदों में नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को 158.86 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु 200 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में 100 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरसों के लिए मूल्य समर्थन आपरेशनों के तहत नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैफेड) को हुई हानि की भरपाई के लिए 200 करोड़ रुपए, कृषि के लिए राज्य योजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में निधियां उपलब्ध कराने हेतु 565 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए अतिरिक्त निधियों हेतु 198.75 करोड़ रुपए शामिल हैं।

महोदय, नकदी परिव्यय अधिक राजस्व प्राप्तियों द्वारा अन्य अनुदानों, विनियोगों में बचत द्वारा भरपाई किए जाने की संभावना है। अत:, वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमानों में दर्शाये गए घाटे के लक्ष्य का पालन किये जाने की संभावना है।

तकनीकी अनुपूरक अनुदानों की मांगों में शामिल मुख्य मद हैं पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित अल्प वसूली से तेल विपणन कंपनियों को विशेष प्रतिभूति जारी करके 11,256.92 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति हेतु; बारहवें वित्त आयोग पंचायत के तहत ऋण माफी योजना के अधीन राज्य सरकारों के ऋण माफ करने हेतु 4,763.28 करोड़ रुपये, आम आदमी बीमा योजना, के कार्यान्वयन हेतु एक कोर्पस निधि के सृजन हेतु 1500 करोड़ रुपए, जिसके दो भाग है (क) ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए (1000 करोड़ रुपए) और (ख) आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति हेतु (500 करोड़ रुपए)। यह वर्ष 2007-08 के लिए की गई बजट घोषणा की अनुसार है। इसके अतिरिक्त, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पुनर्गठन योजना के भाग के रूप में ब्याज माफी के लिए 1,454 करोड़ रुपए; प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 2.5 करोड़ रुपए तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने हेतु 750 करोड़ शामिल हैं। इस वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार यह 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए है। इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड की पुनर्गठन योजना के लिए 562.94 करोड़ रुपए और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के गारंटी शुल्क को माफ करने हेतु 548.01 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग सं. 1 से 3, 5 9 से 12, 14, 17 से 19, 31 से 33, 35, 46, 51, 52, 56 से 59, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 78, 80, 86, 87, 90, 91, 93, 99, 100 और 102 के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेख तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी वर्ष 2007-2008 के अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच (सामान्य) की सूची

संख्या	मांग का शीर्षक	सभा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	10,67,95,00,000	
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1,00,000	96,00,00,000
3.	पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	3,00,000	
5.	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	2,00,000
9.	नागर विमानन मंत्रालय	548,01,00,000	
10.	कोयला मंत्रालय	127,19,00,000	
11.	वाणिज्य विभाग	900,01,00,000	29,78,00,000
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग		5,00,00,000
14.	दूरसंचार विभाग		1,00,000
17.	उपभोक्ता कार्य विभाग	2,00,000	...
18.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	278,86,00,000	...
19.	संस्कृति मंत्रालय	34,96,00,000	
31.	विदेश मंत्रालय	100,01,00,000	
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	
33.	वित्तीय संस्थानों को भुगतान		1500,00,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	7763,28,00,000	...
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	280,51,00,000	2,30,00,000
51.	मंत्रिमंडल	74,00,00,000	
52.	पुलिस	1,00,000	
56.	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	2,00,000	

1	2	3	
57.	उच्च शिक्षा विभाग	1,00,000	
58.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,92,00,000	1,00,000
59.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	4,00,000	750,00,00,000
61.	विधि और न्याय मंत्रालय	2,00,000	
63.	खान मंत्रालय	585,34,00,000	1,00,000
64.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1,00,000	
66.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	1,00,000	
67.	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	...
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	11256,93,00,000	...
78.	ग्रामीण विकास विभाग	1,00,000	
80.	पेय जल आपूर्ति विभाग	1,00,000	
86.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय)	4,05,00,000	
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	200,01,00,000	...
90.	इस्पात मंत्रालय	4,27,00,000	...
91.	कपड़ा मंत्रालय	1454,03,00,000	1,00,000
93.	जनजाति कार्य मंत्रालय	1,00,000	
99.	शहरी विकास विभाग		142,02,00,000
100.	लोक निर्माण कार्य	...	45,00,00,000
102.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	...
	जोड़	24684,58,00,000	2570,16,00,000

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गई मांग संख्या 8, 14, 25, 61, 96 और 99 के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गई राशियों में अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी वर्ष 2005-2006 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे को छोड़कर) की सूची

मांग की संख्या एवं शीर्षक		सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
8.	उर्वरक विभाग	167,44,04,796	
14.	डाक विभाग	97,64,56,000	
25.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	42,75,63,997	
61.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	17,26,98,810	...
96.	चंडीगढ़	...	28,34,562
99.	लक्षद्वीप	3,58,58,028	...
	जोड़	328,69,81,631	28,34,562

सभापति महोदय: अब हम चर्चा करेंगे। श्री खारबेल स्वाईं।

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: महोदय कृपया पहले 'शून्य काल' को लें। आप 'शून्य काल' के पश्चात् चर्चा कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): कृपया सरकारी कार्य के समय को कम न करें; सरकारी कार्य को जारी रहने दें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी अपनी सीट पर आएं और उसके पश्चात् अपने विचार व्यक्त करें। यह हमेशा ही अच्छा होता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब सायं के 7 बजे हैं। यदि आप सहमत हों तो हम कुछ और अधिक समय के लिए बैठ जायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, मैंने विनम्र अपील की थी। मैं पुन: यह दोहराना चाहता हूं कि कल हम किसी विधायी कार्य पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। कल हम परमाणु संधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनन्य रूप से यह निर्णय लिया है। नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य नेताओं ने यह कहा कि हम जितना संभव है उतना सरकारी कार्य निबटाने के लिए सायं को देर तक बैठने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री आज उत्तर नहीं दे पायेंगे परंतु हम कुछ कार्य करेंगे, हम 45 मिनट चर्चा करें ताकि कुछ सदस्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोल सकें और शेष सदस्य 29 नवम्बर को बोल सकें। मैं यह कहना चाहता हूं। क्योंकि कल हम किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते है *...(व्यवधान)* कृपया सरकारी कार्य के समय को कम न करे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): आप इसे पास कराइए। बाद में जीरो ऑवर होगा। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम इसे जबर्दस्ती पास क्यों कराएंगे? *...(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सर, ऐसा है कि हम शनिवार को भी बैठ रहे हैं और आप जानते हैं कि *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप जानते हैं कि शनिवार को आप लोगों ने किस विषय पर बहस करने के लिए तय किया है? *...(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: हमने दोनों लैजिस्लेटिव बिजनैस पूरे कर दिए हैं। केवल दो ही बिजनैस रह गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स महत्वपूर्ण नहीं है? ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: अब 7.00 बज रहे हैं और यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आपका क्या अनुरोध है?

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: हमारा आग्रह यह है कि इसे अभी शुरू करिए और शुक्रवार तथा शनिवार में से जिस दिन आप चाहें, उस दिन इस बहस को पूरा कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे। आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को पास करना स्टेटयूटरी ऑब्लीगेशन है। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: हम इस बात से कब मना कर रहे हैं। हम तो यह कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, जब उपलब्ध हों, तब इसे सैट कर लीजिएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, मेरा अनुरोध यह है कि आप अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रखने के लिए कम से कम आधे घंटे की अनुमति दें। तत्पश्चात्, 'शून्य काल' होगा। ...*(व्यवधान)* मैं यहां पर सरकार का कार्य करने के लिए हूं। सरकार की ड्यूटी का इस तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: आपकी यह बात ठीक है। हम आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं। आज हमने आपके दो ऑर्डीनेंस पास करा दिए हैं। ...*(व्यवधान)* कल के बाद मंत्री जी, जिस दिन कहें, हम इसे पास कराने को तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके दल के सहयोग के बिना हम हाउस नहीं चला सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: मैं इस बात से कब मना कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हाउस चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं या आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब 7.00 बज चुके हैं। मैं चाहता हूं कि 7.30 बजे तक यह बिजनेस चले और 7.30 बजे के बाद जीरो आवर ले लिया जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं। ज्यादा तो नहीं चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): क्या आप यह चाहते हैं कि जब सदन में कोई नहीं है तो मुख्य विपक्षी दल को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना शुरू कर देना चाहिए?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। श्री खारबेल स्वाईं जी, आपके भाषण को हमेशा महत्व दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदन की क्या राय है? क्या हम सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री स्वाईं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सामान्यत: अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध नहीं किया जाता। मैं जानता हूं कि बजट को तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करते समय बहुत सारे अकल्पित तथा अनदेखे व्यय होते हैं। अत: यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक वित्त मंत्री संसद के प्रत्येक सत्र में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लेकर आते हैं। तदनुसार, माननीय वित्त मंत्री जी भी अनुदानों की अनुपूरक मांगें लेकर आए हैं।

हमेशा की तरह, उन्होंने कहा कि अतिरिक्त व्यय 33,290.87 करोड़ रुपए होगा, जारी की जाने वाली कुल नगद राशि 11,869.60 करोड़ रुपए होगी और मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्राप्तियों और वसूलियों में वृद्धि करके इसी के बराबर बचत होगी जिसका कुल योग 21,420.80 करोड़ रुपए होगा। मैं इससे सहमत हूं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास

[श्री खारबेल स्वाईं]

हो रहा है। राजस्व एकत्रित किए जाने में भी तेजी आई है, इसमें प्रति वर्ष लगभग 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने सही कहा है कि बचतों में कुछ बराबरी होगी और मैं उससे सहमत हूं। अत: बचतों में अनुरूपता और राजस्व एकत्रित करने में बढ़ोतरी कैसे होगी, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

मूलत:, विपक्ष के सदस्यों को यह अवसर मिला है कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था के संबंध में वे अपने विचार रखें। अत: उस विषय पर बोलने से पहले मैं, कहना चाहूंगा कि आर्थिक सुधार, जिसे रा.ज.ग. सरकार के शासन काल के दौरान किया गया था उसे इस सरकार ने पूरी तरह से ठप्प कर दिया गया।

महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उदाहरण लीजिए, मैं केवल विनिवेश की प्रक्रिया की ओर इशारा नहीं कर रहा, बल्कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को व्यापक रूप में ले रहा हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की क्या नीति है? रा.ज.ग. सरकार के समय में हमारा विचार था कि यह सरकार का कार्य नहीं कि वह व्यापार करे। क्या इस सरकार का भी यह विचार है? क्या यह सरकार मुर्गी पालन, मछली पालन, ईंट बनाना और ऐसे ही चीजों सभी प्रकार के व्यवसायों में प्रवेश करने जा रही है जैसा पहले होता था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में क्या नीति है। इस संबंध में स्पष्टीकरण दें।

अब, बार-बार माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से प्रेस और समाचार पत्रों से यह सुनने को मिलता है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का पांच से दस प्रतिशत विनिवेश करने जा रहे हैं। भगवान ही जानता है बाद में क्या होगा। उसके बाद वामपंथी दल इसका विरोध शुरू कर देंगे और कहेंगे कि ''ऐसा नहीं हो सकता'' अंत में विनिवेश के संबंध में किए गए प्रस्ताव को सरकार वापस ले लेगी।

रा.ज.ग. सरकार की नीति थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से सरकारी इक्विटी को कम करके उस राशि से सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के निर्माण कार्य में राशि को लगाया जाए। यह सरकार सिर्फ कह रही है कि उन्होंने प्रत्येक योजना में काफी धनराशि लगायी है और यह सब आम आदमी के लिए किया जा रहा है। इन स्कीमों को एनडीए सरकार ने शुरू किया था। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजल धारा, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य योजना का ही उदाहरण ले लें। इनकी शुरूआत हमने की थी। चूंकि सरकार धन अर्जित कर रही है और इन स्कीमों के लिए और अधिक धन जारी कर रही है और कहते हैं कि यह सरकार आम आदमी के लिए है।

भारतीय टायर निगम विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान मैंने यही प्रश्न भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदया से भी पूछा था और माननीय वित्त मंत्री भी वहां मौजूद थे। मैंने पूछा, था कि ''विनिवेश के संबंध में आपकी नीति क्या है?'' उन्होंने बताया कि, ''सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूद्धार हुआ है, ऐसे बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जो पहले रुग्ण थे, लेकिन वे अब लाभ अर्जित कर रहे हैं। और मैं इससे सहमत हूं। वह लाभ इसलिए अर्जित कर रहे हैं क्योंकि पिछले तीन-चार वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था में आठ से नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। अत: यह स्वभाविक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ और कार्यनिष्पादन में बढ़ावा होगा। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है।

महोदय, आर्थिक सुधारों की बात करने के साथ ही मैं पेंशन निधि सुधारों पर चर्चा करूंगा। रा.ज.ग. के शासन काल के दौरान यह नीति बनी थी कि जो भी सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2004 के बाद केन्द्रीय सरकार की सेवा में शामिल हुआ है उसे पेंशन निधि के रूप में अपने वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा तथा सरकार भी उस राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा उस निधि में जमा कराएगी। साथ ही कर्मचारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह जहां भी चाहे अपने धन को जमा कर सकता है। चाहे वह ऋण संबंधी निधि इक्विटी संबंधी निधि हो या फिर सरकार की विशेष जमा योजनाएं हों। हम ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन इस सरकार को क्या हो गया है? इस सरकार की पेंशन निधि के बारे में क्या नीति है? उन्होंने इस पेंशन निधि को कहां रोक रखा है?

महोदय, इस सरकार ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति से अपील की थी कि इसे स्वीकृति दी जाये क्योंकि ये इसे तत्काल पारित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वह जल्दी में हैं, और इसे संसद से पारित कराना चाहते है और ऐसा हमने किया भी। हम वित्त संबंधी स्थायी समिति पर दिन रात लगे रहे। चूंकि हम विपक्ष में हैं और हम ही इस विधेयक को लाए थे, अत: हम चाहते थे कि यह विधेयक पारित हो। अगर माननीय वित्त मंत्री कार्यवाही वृत्तांत को देखे तो पायेंगे कि उनके दल ने इसे पारित करने में रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन हम चाहते थे कि यह पारित हो। लेकिन तीन वर्ष बीत जाने पर भी यह संसद में पारित नहीं हो पाया। डर की वजह से वाम मोर्चा इसे नहीं ला रहे और वित्त संबंधी स्थायी समिति में केवल दो ही व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था अन्यथा सभी इस विधेयक के समर्थन में थे। लेकिन फिर भी सरकार इस विधेयक को नहीं ला पाई है।

महोदय, कल आपने यहां भी देखा था। हालांकि वित्त संबंधी स्थायी समिति ने कोई सिफारिश नहीं की थी लेकिन एक नया संशोधन लाया गया क्योंकि उन्हें वाम मोर्चा द्वारा धमकी दी गयी थी। सरकार के साथ ऐसा हो रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया 'धमकी देना' शब्द का प्रयोग मत कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, ठीक है, मैं 'धमकी देना' शब्द को वापस ले रहा हूं। वह डरे नहीं थे, क्योंकि वह साहसी व्यक्ति हैं, उन्हें सामान्य तौर पर कहा गया था। ठीक है, मैं सहमत हूं कि उन्हें कहा गया था। ...*(व्यवधान)*

अत: मैं समझता हूं कि पेंशन निधि प्राधिकरण विधेयक के संबंध में उन्हें आप पर जोर डालना चाहिए। ऐसा क्या हो गया मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि वे आपको इस बात के लिए राजी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज शेयर बाजार तेजी पर है, इडेंक्स 20,000 प्वाइंटस पर पहुंच गया है। अत: अगर इस धन को शेयर बाजार में लगा देते हैं तो स्वाभाविक है कि कर्मचारियों को काफी लाभ हो सकता है। लेकिन वामपंथी दलों के विरोध के कारण जो कि हमेशा से अपने आपको दलितों, श्रमिकों और गरीबों का मसीहा मानते रहे है वे उन गरीब सरकारी कर्मचारियों को अधिक धन कमाने से रोक रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम कैसे कह सकते हैं कि वे गरीबों के वे मसीहा हैं, मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सरकारी कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व करते है? अब इस पेंशन निधि का कोई प्राधिकरण नहीं है और सरकार भी पूरी तरह मजबूर है।

अब, मैं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा। जहां तक पेट्रोलियम की कीमत का संबंध है तो सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा कर सरेआम यह कहती फिर रही है कि हमने पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और खाना बनाने की रसोई गैस की कीमतों आदि में कोई वृद्धि नहीं की है। यहां तक कि इस संबंध में जब माननीय पेट्रोलियम मंत्री से तीन या चार दिन पहले पूछा गया तो उन्होंने इसका श्रेय मैडम सोनिया गांधी यूपीए के चेयरमैन को दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था और हमने वृद्धि नहीं की। ठीक है आपने वृद्धि नहीं की।

लेकिन अभी-अभी इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कितने आयल बांड्स जारी किए है? यह आयल बांड्स क्या है? ये ऑयल बाण्ड भावी पीढ़ी पर बोझ है। कर्ज लेंगे। अब वे इसे तेल विपणन कंपनियों हेतु ऑयल बांड जारी करके कर्ज ले रहे है और धनराशि का भुगतान भावी पीढ़ी द्वारा आने वाली सरकार द्वारा किया जाएगा।

अब, मैं एक दूसरी बात कहूंगा। वर्ष 1997 में, यही संयुक्त मार्चे की सरकार थी। माननीय वित्त मंत्री उस समय भी वित्त मंत्री थे और उन्होंने उस समय एक आकर्षक बजट लाया था। हर व्यक्ति ने कहा कि यह एक अच्छा बजट है-वर्ष 1996 में, उन्होंने पेट्रोलियम मूल्य के संबंध में एक रूप रेखा तैयार की थी। उस समय संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता में काफी कमी हो जाएगी। उस समय यह निर्णय लिया गया कि धीरे-धीरे राजसहायता चरणबद्ध रूप से सभापटल की जाएगी और एक निश्चित अवधि के अंदर यह पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। यह नीति थी।

हमने इस नीति का पालन किया। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है। हमने प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त कर दिया हमने यह देखा कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुरूप होना चाहिए। हमने ऐसा किया। तीन तरह की राजसहायता है-एक दूर-दराज क्षेत्र के लिए, दूसरा डीजल और मिट्टी के तेल के लिए और तीसरा रसोई गैस सिलिण्डर के लिए। हमने इसे वापस लेने का प्रयास किया लेकिन अब संप्रग सरकार ने निर्णय बदल दिया है सरकार ने निर्णय बदल दिया और माननीय प्रधान मंत्री विलाप कर रहे है कि पेट्रोलियम पर राजसहायता एक मिलियन रुपए अर्थात 1,00,000 करोड़ तक पहुंचने जा रही है। प्रधानमंत्री इस प्रकार विलाप कर रहे हैं।

लेकिन गुजरात चुनाव के कारण वे इसे रोके रखना चाहते है। उन्होंने इसे किस प्रकार रोके रखा। मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने ऑयल बाण्ड जारी करके इसे कायम रखा है। क्या यह आम आदमी के साथ धोखा नहीं है? यह आम आदमी के साथ धोखा है क्योंकि आज नहीं तो कल आम आदमी को इसे ब्याज के साथ भुगतान करना होगा सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने तेल क्षेत्र में तो बाण्ड जारी किया है, उन्होंने उर्वरक क्षेत्र के लिए भी जारी किया है। इसलिए जनता के लिए हजारों करोड़ों रुपए का ऋण भावी पीढ़ी, आने वाली सरकार के लिए यह छोड़ रही है और वे इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि हमारी अध्यक्ष सोनिया ने इसे नहीं बढ़ाने के लिए कहा है। इसलिए सभी श्रेय उनको जाता है।

फिर मैं इस मुद्दे पर आता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ाने का कोई श्रेय लेने का अधिकार है? अभी भी आप बाण्ड जारी करते हैं इसलिए भावी पीढ़ी पर बोझ डालकर आप गरीबों के मसीहा नहीं बन सकते।

[श्री खारबेल स्वाईं]

महोदय, मैं मात्र एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है ये ऑयल बाण्ड वित्तीय घाटा बढ़ा रहे है? आप कृपया आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पढ़े जिसकी गठन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया है और जिसके चेयरमैन डा. सी. रंगराजन हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सरकार आंकड़ों के शब्दजाल से यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि कोई वित्तीय घाटा नहीं है और वित्तीय घाटा नहीं बढ़ रहा है तथा एफ आर बी एस अधिनियम के अनुसार इस वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। एफ आर बी एस अधिनियम के अनुसार, अब इसमें हर वर्ष 0.5 प्रतिशत घटाते जाना है। इसे वर्ष 2009 तक तीन प्रतिशत के स्तर तक लाना है। सरकार ऐसा कह रही है लेकिन देश पर पड़ने वाले इस प्रच्छन्न बोझ का क्या होगा? भविष्य में पड़ने वाले इस बोझ को सरकार के चयन पत्र में नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए, मैं कहता हूं कि यह आंकड़ों का शब्दजाल है, इसे प्रदर्शित न करे, इसे आने वाली पीढ़ी पर छोड़ दें।

अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं कि अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। मैं एक दूसरे मुद्दे पर इस सरकार को दोषारोपित करता हूं। यह सरकार अभावों की अर्थव्यवस्था चला रही है। राजग सरकार का उदाहरण ले राजग सरकार के शासन में कोई अभाव नहीं था बल्कि आर्थिक प्रचुरता विद्यमान थी। गैस सिलिण्डर हमारे समय में उपलब्ध थे और माननीय संसद सदस्यों को दिये जाने वाले कोटे को खत्म कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति बाजार जाकर किसी भी वस्तु की तरह वह गैस सिलिण्डर खरीद सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? संयुक्त मोर्चा सरकार के पुराने दिन वापस आ गए है। संसद सदस्यों ने पुनः सभा कोटा प्रणाली की मांग शुरू कर दी है कि आप पुनः कोटा प्रणाली वापस लाएं और हमें पर्ची दें। निःसंदेह, माननीय अध्यक्ष ने शायद उस दिन कहा कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मेरी अनुमति लेनी होगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। लेकिन माननीय सदस्यों के दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि हम पुराने दिनों की ओर वापस लौटे और कोटा प्रणाली को पुनः अपनाए।

क्या यह सरकार की सफलता है? हर चीज, यहां तक कि खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं है। माननीय कृषि और खाद्यान्न तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री भी सभा में यह कह रहे हैं कि चूंकि गेहूं की कमी है, इसलिए हम इसे बाहर से अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं। बफर स्टॉक में काफी कमी हो गई है। राजग सरकार सत्ता में थी, तो बफर स्टॉक इतना अधिक था कि राज्य सरकारें भी खाद्यान्न उठाने से मना कर रही थी जबकि उन्हें निःशुल्क दिया जा रहा था। उन्होंने खाद्यान्नों को उठाने से मना कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि जब आम आदमी की सरकार सत्ता में आई है, तो हर चीज की कमी हो गई है। सी एन जी गैस की कमी है, गेहूं का अभाव है। खाद्यान्नों की कमी है। हर चीज की कमी है। अब यह सरकार प्रचुरता की स्थिति में नहीं है लेकिन अब यह अभावों के दौर से गुजर रही है।

एक दूसरी समस्या भी है सिर्फ इतना ही नहीं कि वे अभावों के दौर से गुजर रहे है, बल्कि वे प्रचुरता की समस्या का प्रबंधन करने भी सक्षम नहीं है। यदि कोई चीज कहीं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वे उसका प्रबंधन करना भी नहीं जानते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का ही उदाहरण लें। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग हर सप्ताह बढ़ रहा है।

लेकिन, इस स्थिति से हमें कैसे निपटना चाहिए। वे क्या कर रहे हैं? वे सदैव इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि इस भारी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किस प्रकार किया जाए। कोई कह रहा है कि आप इस धनराशि का बुनियादी ढांचों का विकास करने, सड़कों का निर्माण करने, ऊर्जा क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने और अन्य क्षेत्रों में करें, लेकिन सरकार पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है। अब, वे नहीं जानते कि इन विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कैसे करें और चूंकि वे नहीं जानते कि विदेशी मुद्रा भंडार का कैसे उपयोग करें, रुपया मजबूत हुआ है और जब रुपया मजबूत हुआ है तो निर्यात करना अब मुश्किल हो गया है। अब निर्यातक संकट की स्थिति में हैं हर समय सरकार यही कह रही है कि वे कुछ राजसहायता दे देंगे। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे अपने उत्तर के दौरान यह बताए कि वे रुपए के मजबूत होने की समस्या से किस प्रकार निपटने जा रहे हैं वे इस सभा में यह बताए वे इससे कैसे निपटेंगे।

महोदय, अब माननीय वित्त मंत्री कहते है कि काफी निवेश हो रहा है और यह निवेश हर तरफ से हो रहा है। वित्तीय संस्थान, पार्टिसिपेटरी नोट और सब एकाउंटस के साथ शेयर बाजार में काफी धनराशि निवेश कर रहे हैं। मैं सेबी के इस निर्णय से सहमत हूं कि 18 महीने के अंदर पार्टिसिपेटरी नोट को समाप्त किया जाना चाहिए और हर वित्तीय संस्थान और हर व्यक्ति को इसके पास पंजीकरण कराना चाहिए। मैं इस बारे में भी, यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बारे में क्या करने जा रही है आप समाचार पत्रों की खबरों को पढ़ें कि किसी दिन यह 700 अंक ऊपर रहा है, यह तो दूसरे दिन 500 अंक नीचे जा रहा है कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। सेबी की क्या भूमिका है? सेबी का कार्य यह है कि वह शेयर बाजार वे इतना अधिक उतार-चढ़ाव को रोके सेबी को इस

बात पर ध्यान देना चाहिए कि बाजार स्थिर रहे। सेबी को यह देखना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव न हो। शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छा नहीं है इसमें स्थिरता होनी चाहिए।

यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था, फेडरल रेट कट है जिसने इसे इस संकट में डाला है और अमेरिका में सब-प्राइम लेंडिंग पूरे विश्व को हम कह सकते है कि निराशा और संकट की स्थिति में डाल दिया है यही कारण है कि कुछ स्थानों पर लोग शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं और कुछ स्थानों में यह धनराशि निवेश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात का अनुमान लगाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी बाजार का क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आवास क्षेत्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है और वहां भी सब प्राइस लेंडिंग ने अनेक समस्वाएं पैदा की है। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि वे इस समस्या को लेकर क्या करने जा रहे हैं।

मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा कि उन्होंने रोजगार सृजन के लिए क्या किया है मुझे याद आता है कि राजग सरकार के दौरान जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हमने उनकी हंसी उड़ाई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): आपने रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करवाए हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: मैं इस बिन्दु पर आ रहा हूं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): एनडीए शासन के दौरान आपने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है? ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: मैं इस बिन्दु पर भी आ रहा हूं। कृपया धैर्य रखें और मेरी बात सुनें। उस समय, श्रीमती सोनिया गांधी विपक्ष की नेता थी और उन्होंने कहा था कि:

"यह मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने हैं।"

इस सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद् तथा प्रधानमंत्री का कहना है कि वर्ष 2000 से 2005 के बीच छह करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन किया गया था। जो कुछ मैं कह रहा हूं आप इस की पुष्टि कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा यह कहा गया है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि आपने $3^1/_2$ वर्ष के अपने शासन के दौरान कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है?

मेरे दो सुझाव है। बैंक के रिकवरी एजेंटों द्वारा बकाया की वसूली ने इस देश में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न की हैं। एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली क्योंकि रिकवरी एजेंट उसे हर वक्त परेशान करते रहते थे। मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि सदन में बैंक का नाम लेना उचित नहीं होगा। आज भी मैंने पाया कि किन्हीं चार अन्य एजेंटों ने किसी को परेशान किया और पंजाब में उनके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या रिकवरी एजेंट वाकई में रिकवरी एजेंट ही हैं अथवा गुंडे हैं

लोगों को परेशान करने के लिए बैंक इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वे अपना बकाया वसूलने में असक्षम हैं। क्या कोई सभ्य देश यह स्वीकार कर सकता है कि गुंडे आपके घर आए और घर की महिलाओं को पेरशान करें अथवा रात के 12.00 बजे अथवा 1.00 बजे आपको टेलीफोन करके धमकी दे कि आप इस तारीख तक भुगतान कर दें नहीं तो वे आपको देख लेंगे? मैं जानता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उनसे कहा है और शायद वित्त मंत्री ने भी ऐसा करने के लिए उनकी कटु आलोचना की है और कहा है कि वे ऐसा न करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी ऐसा करें और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि भारत जैसे एक सभ्य प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो और बैंकों को इस प्रकार के लोगों को नहीं रखना चाहिए।

अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व अनुपात (सी आर आर) बढ़ा दिया है क्योंकि वे चाहते हैं कि बाजार में अत्यधिक पैसा संचारित न हो, ताकि मुद्रास्फीति का दौर न आ जाए। इसलिए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन क्या हम सहकारी बैंकों को इस सी आर आर वृद्धि की नीति से बाहर नहीं रख सकते हैं? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर सहकारी बैंक यही कहते हैं कि इससे उन्हें खासी परेशानी होगी। इसलिए, मैं, माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें।

सभापति महोदय: श्री के.एस. राव, आप अगली बार बोल सकते हैं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): ऐसा क्यों, महोदय?

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी बात दो-तीन पंक्तियों में कह सकते हैं।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया, जो बहुत से देशों को आकर्षित कर रही है। प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी और प्रत्येक देश भारत में आने और निवेश करने के बारे में सोच रहा है। यह वाकई हम सबके लिए एक गर्व की बात है।

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अगली बार इस मुद्दे पर अपना भाषण जारी रखूंगा।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मैं पूर्व में भी यह मामला सदन में उठा चुका हूं और पुन: उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, सांसद निधि और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो भी परियोजनाएं हैं, उन पर बंदरबांट हो रहा है। यही नहीं, जिले में जब डीआरडीए की बैठक होती है, तब मनमाने ढंग से वहां जन प्रतिनिधि इंदिरा आवास का बंदरबांट करते हैं। इसी तरह से हैंडपम्प्स का भी बंदरबांट होता है। क्षेत्र के सांसद को पूछा नहीं जाता और न उनसे कोई योजना ली जा रही है। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांवों का ही विकास हो रहा है, अन्य गांवों को छोड़ा जा रहा है। अगर हम इसकी शिकायत जिला अधिकारी या सीडीओ से करते हैं, तो पहले तो वे हमारी बात सुनते ही नहीं और जब सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें पहले अम्बेडकर गांवों को देखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सांसद निधि की बात है, इसे या तो बढ़ाया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इतनी कम राशि में क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सांसदों पर इसका कुप्रचार करके साजिश होती है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सांसद निधि और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो निगरानी समितियां मंत्री जी ने गठित की हैं, उनमें अध्यक्ष को सुना नहीं जाता। जब हम डीआरडीए में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां भी बंदरबांट हो रही है। इसलिए भारत सरकार इस पर ध्यान देकर समुचित कार्यवाही करे और एम.पीज., एम.एल.एज. और एम.एल.सीज. सबकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करे।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्याप्त भंयकर सूखे एवं गम्भीर पेयजल की समस्या के बारे में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

प्रदेश के अंदर सतना, रीवा, कटनी, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ तथा ग्वालियर संभाग के कई जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है। खरीफ की फसल पूरी सूख गई तथा रबी की फसल को बोया जाना जल स्रोत के सूख जाने के कारण संभव नहीं हो सका। नदी, तालाब, कुएं, बांध, ट्यूबवैल सभी सूख गए हैं। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश सरकार ने पूरे जिलों का सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है तथा पेयजल परिवहन की तैयारी भी कर ली है। साथ ही राहत कार्य भी खोले जा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगातार तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदा ने किसानों की कमर तोड़ दी है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि केन्द्रीय अध्ययन दल वहां भेजा जाए एवं किसानों को आर्थिक पैकेज दिया जाए।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): सभापति महोदय, मैं अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहती हूं कि झारखंड राज्य स्थित नेशनल हाइवे नम्बर 33 के जमशेदपुर से रांची तक सड़क लगभग टूट चुकी है। इस क्षेत्र के लोगों को सड़क से गुजरने में काफी असुविधा होती है और आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

जनहित में मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र एन.एच. 33 जमशेदपुर से रांची तक को यथाशीघ्र पुन: बनवाया जाए ताकि लाखों लोग लाभान्वित हो सकें।

[अनुवाद]

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): दक्षिणी राज्यों में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गत दस वर्षों में धान की खेती की लागत बढ़कर लगभग 6000 रुपए प्रति एकड़ हो गई है। सूखा और उर्वरकों की मूल्य वृद्धि का धान के किसानों पर प्रभाव पड़ा है धान के किसान इसकी खेती और नहीं कर पा रहे है और तमिल नाडु में अनेक स्थानों पर वे आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी कम मिल रहा है हाल की खेती में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता रहेगी। तमिलनाडु में हमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मात्र 750 रुपए मिल रहा है जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों क्षेत्रों की हिस्सेदारी शामिल है। धान के किसानों के समक्ष गंभीर समस्याओं पर विचार करते हुए तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर हजार रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए दक्षिणी राज्यों में धान के किसानों के लाभ हेतु और धान खरीद केन्द्र खोलने के लिए भी कदम उठाया जाना चाहिए।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

महोदय, यह मुद्दा लोक महत्व का एक अविलंबनीय है। संगुर चीनी मिल वराडा नदी के किनारे कर्नाटक राज्य में हावेरी जिले में स्थित है। इसका संचालन एक सहकारी चीन मिल द्वारा किया जाता है इस समय इस चीनी मिल का संचालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अनेक किसानों ने इस वर्ष गन्ने का उत्पादन किया है 100 कि.मी. से अधिक के दायरे में कोई अन्य चीनी मिल नहीं है।

एक रेणुका चीनी मिल ने, जो कर्नाटक राज्य के बेलगम जिले में स्थित है, एक समझौता किया है लेकिन रेणुका चीनी मिल असफल हो गई है और इसने संविदा के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसलिए इस क्षेत्र में उपजाए गए संपूर्ण गन्ने की पेराई उत्पादन प्रक्रिया के विलम्ब से शुरू होने के कारण नहीं हो पाई। विडंबना यह है कि हनागुल तालुका के बलामबीड़ गांव के एक किसान खुद को जलाने से पहले अपनी भूमि पर उपजाए गए संपूर्ण गन्ने को जला दिया। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसलिए हुई क्योंकि मेसर्स रेणुका चीनी मिल ने उसके गन्ने को नहीं खरीदा।

मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि श्री दुर्गप्पा तलवार जिन्होंने इस मिल में 18 वर्षों तक काम किया, 20 नवम्बर, 2007 को आत्महत्या कर ली। इस संबंध में, मैं समझता हूं कि पूरे देश में संगुर चीनी मिल जैसा कोई अन्य चीनी मिल नहीं है लगभग 647 कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। मिल में संचालन की क्षमता है लेकिन कुप्रबंधन है जिसके फलस्वरूप इस मिल में काम करना कर्मचारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आपके ध्यान में एक मामला लाना चाहता हूं, मेरे पास कुछ कागजात है कि कर्मचारियों के बच्चों ने उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना दिया था केवल यही नहीं महिलाओं, कर्मचारियों की पत्नियों ने उपायुक्त कार्यालय में अपनी रात गुजारी है। वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोको अभियान में शामिल हुए। *...(व्यवधान)*

उस क्षेत्र में अनेक सदस्य भी संगुर चीनी मिल के कामगारों के लिए संघर्ष हेतु सामने आए है और उन्होंने जरूरत की इस घड़ी में कर्मचारियों को उपहार भी दिए हैं।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है। अत:, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि संगुर चीनी मिल जैसी मिलों को भविष्य में पट्टे पर देने के स्थान पर किसानों के व्यापक हित में प्राइवेट पार्टियों को ऐसी मिल बेचने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। अंत: मैं संप्रग सरकार से मांग करता हूं कि कृषि मंत्रालय इस मिल हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करे।

[हिन्दी]

श्री भवंर सिंह डांगावास (नागौर): सभापति महोदय, अभी हाल में आयातित गेहूं पर चर्चा हुई थी। यह सरकार की बहुत बड़ी गलती थी कि गेहूं का उत्पाद रोक करके, बाहर से खाद्यान्न मंगाया गया, यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार ने, जोकि माननीय शरद पवार जी की सरकार है, उसने भी गेहूं, जो आयात हुआ था, को विदड्रा कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा गेहूं देने से लोग बीमार हो गये, वहां किसानों की स्थिति बहुत खराब है और वे सुसाइड करने के कगार पर हैं। कृषि आज घाटे का धंधा हो गया है। खरीफ फसल के समय बरसात समय पर नहीं होती है और कभी कम तो कभी ज्यादा होती है। यहां तक कि बीज, खाद और मेहनत किसान की बेकार चली जाती है। रबी फसल के समय, जब से विद्युत वितरण कंपनियों व निगमों के पास चला गया है, विद्युत की कीमत अत्यधिक हो गयी है। बिजली के मीटर-ट्रांसफोर्मर ऐसे लगाये गये हैं जिनसे मीटर रीडिंग अधिक आती है। खाद की कीमतें बढ़ गयी हैं और डीएपी खाद का मिलना मुश्किल हो गया है जिससे उत्पादन कम हो रहा है, तथा चोर बाजार से डीएपी खाद खरीदनी पड़ती है। कृषि फसलों पर प्राकृतिक प्रकोप फसलों को चौपट कर देता है। कृषि मजदूरी बहुत महंगी हो गयी है। कृषि बीमा का मूल्यांकन गांव के आधार पर नहीं होने के कारण यह योजना पूरी तरह विफल हो गयी है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य का निर्धारण सही ढंग से नहीं होता है।

सभापति महोदय, कृषि उत्पादन के खर्च से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य निर्धारित होना चाहिए या मूल्य सूचकांक के आधार पर ऐसा न होने की वजह से किसानों ने कृषि छोड़ कर मजदूरी करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कस्बों में जा कर चाय आदि की दुकानों पर काम करके अपना पेट भरने की चेष्टा करते

हैं। इन कार्यों से किसी परिवार का पालन नहीं होता है और वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कृषि प्रधान देश में किसानों की ऐसी हालत है, इससे दुखद बात कोई और नहीं हो सकती है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृषि को लाभप्रद बनाए ताकि इतना उत्पादन हो कि कहीं से भी कृषि को आयात न करना पड़े।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम यह सब कहने के लिए यहां लंबे समय तक रहना पड़ेगा। यदि आप इतना लंबा वक्तव्य दे रहे हैं तो हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं?

चूंकि आप सभी इसमें इच्छुक है तो मैं यहीं बैठता हूं और यदि आप इतना लंबा वक्तव्य देंगे तब यह कब समाप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले (भंडारा): महोदय, मैं आपके द्वारा भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में लाखों-करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। डा. बाबा साहब अम्बेडकर खुद कानून मंत्री रहे। उनका बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान में स्वीकार करने के बाद उनके बौद्ध बंधु जो बौद्धिक पद्धति से शादियां करते हैं, उन शादियों को अभी तक लोक सभा ने कानूनी मान्यता नहीं दी है। सारे हिन्दुस्तान में बौद्ध बंधु बौद्धिक पद्धति से ही शादियां करते हैं। तीन मामलों में मुम्बई हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया शंकुतला विरुद्ध नीलकंठ, बेबी जगताप विरुद्ध जयंत महादेव जगताप और रेखा विरुद्ध अशोक, इन तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें बौद्ध पद्धति से की गई शादियों को गैर कानूनी माना और इस तरह की शादियां करने वाली पत्नियों को रखैल मानकर उनके द्वारा पैदा हुई संतानों को उन्होंने अनौरस माना है। इस कारण बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा धक्का लगा। डा. बाबा साहब अम्बेडकर का यह बहुत बड़ा अपमान है, कि हमारे हिंन्दुस्तान में संविधान के शिल्पकार होने के बाद भी, उनके धर्म के बौद्ध विवाह को अभी तक लोक सभा ने मान्यता प्रदान नहीं की है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक विधेयक लोक सभा में ला कर इस बौद्ध विवाह पद्धति को मान्यता प्रदान की जाए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में किसान बहुत परेशान है। किसानों को खाद बिलकुल नहीं मिल रही है। न डी.ए.पी. खाद मिल रही है और न एमओपी की खाद मिल रही है। अभी तक किसानों ने जो फसल बोई है, वह बिना खाद के बोई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोसायटियों को भंग कर दिया है। सोसायटियों के पास बिलकुल खाद नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के किसान बाजार से जो खाद खरीद रहे है, वह सात सौ रुपए या आठ सौ रुपए प्रति बोरी खरीद रहे हैं। वह खाद भी सही है या खराब है, इसका पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को डीएपी खाद, एनपीके खाद और यूरिया खाद तुरंत उपलब्ध कराई जाए। खास कर मैं अपने लोक सभा क्षेत्र इटावा के लिए मांग करता हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद होने के नाते इसे विरोधी भावना से देखने का काम किया जा रहा है। वहां के किसानों को ज्यादा परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र इटावा के लिए विशेष खाद की व्यवस्था करने की भारत सरकार से मांग करता हूं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, यह पूरे देश की समस्या है। हम अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध करना चाहते हैं और इसका समाधान केन्द्र सरकार से चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ठीक है, आप उनके द्वारा उठाए मामले से संबद्ध कर सकते है।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं प्रख्यात बांग्लादेशी साहित्यकार, तसलीमा नसरीन के साथ हुए उत्पीड़न के मामले को उठाना चाहता हूं। भारत सरकार को इस मामले में सुविचारित और निरंतर खामोश है। यह एक अत्यधिक आश्चर्यजनक बात है।

सभापति महोदय: अभी वे कहां हैं।

श्री संतोष गंगवार: आज उनका एनडीटीवी में साक्षात्कार था।

श्री खारबेल स्वाईं: वे पश्चिम बंगाल जैसे भारत के सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष राज्य में थी। क्या आप चाहते हैं कि भारत जैसे किसी देश में रूढ़िवादी मुस्लिम कट्टरपंथियों की सनक को तुष्त करने के लिए उस स्थान से उन्हें हटाया जाना चाहिए। यह किस प्रकार की धर्म निरपेक्षता है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाई जा रही है हम कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है। यह कैसी आजादी है। आप पश्चिमी देशों का उदाहरण ले जहां विश्व के विभिन्न देशों के हर तरह के राजनीतिक शरणार्थी शरण लेते हैं। यह किस प्रकार का लोकतंत्र और आजादी है।

इसलिए मेरा कहना है कि तसलीमा नसरीन को भारत में राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दिया जाना चाहिए भारत सरकार को उसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हर चीज को वोट बैंक की राजनीति में नहीं बदला जाना चाहिए चाहे वे भारत सरकार हो या पश्चिम बंगाल सरकार ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डा. अरुण कुमार शर्मा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यावाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, इस विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। असम एक आतंकवाद से प्रभावित राज्य है। वर्ष में औसतन हर सप्ताह एक बम विस्फोट होता है जिसमें हजारों लोगों की जाने चली जाती है और लोग घायल होते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, असम में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि असम में पूरी अराजकता फैल गई है। एक विशेष घटना घटित हुई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो मैं इसे रोक दूंगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः पहले ही आठ बज चुके हैं। आप केवल मुद्दे का उल्लेख करें।

डा. अरुण कुमार शर्माः संभवतः आपको ज्ञात होगा कि असम में स्थिति एकदम खराब है। एक शर्मनाक घटना घटी जिसमें महिलाओं को नंगे भागने के लिए बाध्य किया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। स्थिति इतनी खराब थी कि इस सभा में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता।

24 नवम्बर की अखिल असम आदिवासी छात्र संघ गुवाहाटी शहर के बेलटोला में एकत्र हुआ था। उन्होंने तीर-धनुष के साथ प्रदर्शन शुरू किया जिसकी असम सरकार को पूरी जानकारी थी। रास्ते में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने सभी राहगीरों को पीटा, गाड़ियों और दुकानों में तोड़-फोड़ की। उन्होंने कई प्रकार की असामाजिक गतिविधियां की। उन्हें राज्य की राजधानी तक जाने की अनुमति दी गई। पुलिस बल एकदम अंतिम क्षणों में आया और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया।

इसके बाद, लौट रहे प्रदर्शनकारियों की स्थानीय निवासियों के साथ झड़प हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए। महिलाओं को परेशान किया गया। उनके द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को परेशान किया गया। जैसा कि छात्र संगठन का दावा है, इसमें कम से कम 20 लोगों की जानें चली गई। लेकिन असम सरकार का दावा है कि केवल एक आदमी की मौत हुई है।

सभापति महोदयः इस विषय पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

डा. अरुण कुमार शर्माः रहस्यमयी स्थिति यह है कि असम सरकार यह दावा कर रही है कि केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 60 लोग अभी भी लापता है जिसमें से 11 लड़कियां है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत ही निंदनीय, अपमानजनक और शर्मनाक बात है। मैं निर्दोष लोगों के साथ किए गए अत्याचार तथा महिलाओं की आबरू पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. अरुण कुमार शर्माः महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आप से कुछ और समय देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्यथा मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बात का उल्लेख कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह कोई चर्चा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री चालिहा, आप अपने को केवल संबद्ध कर सकते हैं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, मैं स्वयं को संबद्ध नहीं कर रहा हूं। जो बातें कही गई है उनमें से कुछ बातों का मैं समर्थन नहीं करता।

सभापति महोदयः मैं आपको एक मिनट का समय दूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, असम सरकार, जिसे सब कुछ पता था, ने पूरे तीन घंटे तक इन घटनाओं को होने दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं लगाए गए। मजिस्ट्रेट स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहे। इसलिए इस प्रकार की घटना के लिए राज्य सरकार ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

सभापति महोदय: श्री चालिहा, अब आप बोल सकते हैं। अब उनकी बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किरिप चालिहा: महोदय, मेरे मित्र, डा. शर्मा के बयान में जिन बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, मैं उसके बारे में केवल स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। समाचार पत्रों में तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वहां घटित घटनाओं को दिखाया जाता रहा है। जैसा कि आप जानते है, यहां तक कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी आज ही इस विषय पर एक बयान दिया है और संभवत: कल इस पर चर्चा हो। इसके पहले, किसी पर दोषारोपण करना बहुत ही गलत होगा और यह भी सत्य नहीं है कि किसी के साथ बलत्कार हुआ है। यह बहुत ही गलत आरोप है और मैं, गुवाहाटी से सांसद के रूप में, अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार के किसी दोषारोपण की अनुमति नहीं दे सकता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री सारदीना बोलेंगे और अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (मरमुगावो): सभापति महोदय, यह घटना हमारे राज्यपाल श्री एस.सी. जमीर पर घात लगाकर हमला करने से संबंधित है जब वे नागालैण्ड से दिल्ली लौट रहे थे। वास्तव में यह एक दैव योग ही था कि वे बच गए। यह एक ऐतिहासिक और राजनीतिक सत्य है कि जब तक नागालैण्ड राज्य नहीं बना था, तब तक नागा कह रहे थे वे भारतीय नहीं है और वे नागालैण्ड के है। श्री एस.सी. जमीर जैसे कुछ नेताओं के हस्तक्षेप से ही नागा लोग भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने श्री जमीर की हत्या करने की कोशिश की है। इसके पहले भी तीन-चार बार उन्होंने उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे जीवित हैं। उन्होंने उन्हें 1990, 1991 और 1999 में मारने की कोशिश की थी। पिछली बार 25 सितम्बर, 2000 को जब वे नागालैण्ड गए तो एन.एस.सी.एन.आई.एन. समूह इस हद तक गया कि उसने नागालैण्ड में श्री जमीर को तथा उनके सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था।

रात्रि 8.00 बजे

यह पहली बार नहीं हुआ है कि एक उग्रवादी दल द्वारा श्री जमीर को नागालैण्ड राज्य में प्रवेश करने से रोका गया है। इस मामले में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की चुप्पी से कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ होंगे। श्री जमीर एक संवैधानिक प्रमुख है। वे भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। क्या माननीय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि या देश के किसी भी वास्तविक नागरिक को देश के किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से उग्रवादी दल द्वारा, वह भी एक उग्रवादी दल द्वारा रोका जा सकता है?

24 नवम्बर, को माननीय राज्यपाल के वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया। जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी तभी उससे कुछ फूट की दूर ही बम विस्फोट हुआ। इसके बाद सड़क के ऊपरी हिस्से से उन पर बंदूकों से फायर किये गए। उनके वाहन के पास दो इंच वाले मोर्टार भी फेंके गए जो उनकी कार के बहुत नजदीक गिरे थे लेकिन चमत्कारिक रूप से वे दोनों फटे नहीं। इस मामले में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की चुप्पी से देश के राष्ट्रवादी लोगों के मन में भी भय व्याप्त हो गया है। यह श्री एस.सी. जमीर पर हमला नहीं है, बल्कि यह उनके धारित संवैधानिक पद पर भी हमला है। इसलिए, यह भारत के संविधान पर हमला है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश के श्री जमीर के जीवन को कोई खतरा न हो।

सभापति महोदय: सभा की सहमति से मैं समय 10 मिनट और बढ़ा रहा हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड़): महोदय, मैं केरल और अन्य राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपना बलिदान कर दिया। यह स्वतंत्रता का 61वां साल है। इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी है, सभी राज्यों ने समितियां गठित की है तथा राज्यों ने उनको पेंशन देना शुरू किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक बहुत से मुद्दों पर फैसला नहीं लिया है। केन्द्र सरकार ने पहले ही पहचान कर ली है कि केरल तथा कुछ अन्य राज्यों में कौन-कौन स्वतंत्रता सेनानी है। यह गोवा के बारे में भी सत्य है। इन सभी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने भी निर्णय लिए है और कई मामलों के उच्च न्यायालयों ने दिशा निर्देश जारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किए है। लेकिन जब आवेदन केन्द्र के पास आते है तो नौकरशाह किसी न किसी बहाने इन आवेदनों को अस्वीकार कर रहे हैं। 1935 और 1990 के समय के प्रमाण पत्र दाखिल करना संभव नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए रिपोर्ट को ध्यान में रखना होगा। उस पीढ़ी के बहुत कम लोग बचे हैं जो अभी जीवित हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कम से कम इस मामले में यथा शीघ्र कोई निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों के विषय में बोलना चाहूंगा। हमारे देश की अर्थनीति कृषि पर आधारित है, लेकिन किसानों की हालत दिनों-दिन जर्जर होती जा रही है। ओले पड़ते हैं, पाला पड़ता है, सूखा पड़ता है और अतिवृष्टि होती है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इस कारण से किसान आये दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान आज कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। देश में गेहूं का भंडारण कम होने के कारण गेहूं की कीमत एक हजार रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई हैं। किंतु धान का भंडारण अधिक होने के कारण उसका समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। उद्योगों में उत्पादन का मूल्य उद्योगपति स्वत: निर्धारित करते हैं, किन्तु किसान के उत्पादन की कीमत केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य के द्वारा निर्धारित करती है। यह एक चिंतनीय विषय है। इन परिस्थितियों के कारण किसान कमजोर होते चले जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। वे कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि ऐसे किसानों के कर्ज माफ किये जाएं और उनके मोटे धान की कीमत एक हजार रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित की जाए तथा पतले धान की कीमत 1500 रुपए की जाए। जिससे देश के किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे और किसान सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): महोदय, मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत केन्द्र है। यह स्वदेशी संयंत्र है। इस संयंत्र में 18 वर्ष पूर्व 161 कर्मचारी ठेके पर भर्ती किए गए थे। उन्होंने कलपक्कम विद्युत केन्द्र ठेका श्रमिक संघ नामक संघ की स्थापना की थी। वे काफी लंबे समय से कार्य कर रहे है। विभाग की नीति के अनुसार कुछ श्रमिकों को नियमित कर दिया गया है। परंतु, शेष 81 कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, वे निरंतर ठेका श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

यह मामला माननीय प्रधान मंत्री के कार्यक्षेत्र में आता है। अत: मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि 81 कर्मचारियों की सेवा शीघ्रताशीघ्र नियमित करने की कृपा करें।

मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि अब कार्य को आउटसोर्स किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाहर से कार्य कराते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। परमाणु विद्युत संयंत्र में देश भर से भर्ती की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा न करके ठेका श्रमिकों के रूप में स्थानीय लोगों को ही लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पेट्रोलियम मंत्रालय के लापरवाहीपूर्ण रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। कारगिल युद्ध के बाद एन.डी.ए. सरकार ने सेना में शहीद हुए लोगों के लिए पेट्रोल पम्प और गैस एजैंसीज आवंटित करने का निर्णय लिया था। उस निर्णय के अंतर्गत मेरे जनपद के लैफ्टिनैंट पंकज कुमार अरोड़ा, जो 25 वर्ष की आयु में शहीद हो गये थे, को 2004 में रिटेल आउटलैट आवंटित किया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि तीन वर्ष निरंतर लिखने के बावजूद यह रिटेल आउटलेट नहीं दिया गय है क्योंकि यह मंत्रालय द्वारा खरीदकर उसे व्यवस्थित किया जाता है। मैंने इस संदर्भ में कई बार मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। हर बार यही कहा जाता है कि निदेशक, विपणन द्वारा जांच कराई जा रही है। पिछले तीन वर्षों से पीड़ित परिवार के लोग इस काम के लिए घूम रहे हैं लेकिन उन लोगों को बार-बार वहीं उत्तर दिया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का अंत कब होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तीन साल होने के बाद भी उसके वृद्ध माता-पिता को अभी तक रिटेल आउटलैट आवंटित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार की एक और घटना है। बरेली जनपद के लैफ्टिनैंट कर्नल जी.एस. बिष्ट लड़ाई में शहीद हो गये जिन्हें शौर्य चक्र दिया गया। इस संबंध में मंत्रालय को बार-बार लिखा जा रहा है परंतु वह इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मंत्रालय जिन कामों में लगा हुआ है, मैं उनका यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन दोनों मामलों में रूचि लेकर उपयुक्त निर्णय और कार्यवाही करने का निदेश दें।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान ग्रामीण और कृषि विकास हेतु दी जा रही राशि में और विशेषकर महाराष्ट्र के चन्दरपुर और गढ़चिरौली जिलों में

प्रशासन, जिला परिषद् द्वारा भारी अनियमितितायें की जा रही हैं, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार द्वारा कृषि, जनजाति मंत्रालय योजना आयोग, पंचायती राज और स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से जो राशि दी जाती है, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। दाम बढ़ाकर दिये जा रहे हैं। महाराष्ट्र के महामंडलों द्वारा सामग्री खरीद की जाती है, वे टैंडर नहीं करते हैं। वे अधिसूचित रेट कांट्रेक्ट के माध्यम से खरीद करते हैं जिसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। गरीब किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, उसका लाभ इनको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार होने की शिकायतें मिल रही हैं। जब हम जिला परिषद् की मौनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन पद से जानकारी लेते हैं तो सारे मामले सामने आये हैं। किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। इस कार्य के लिये 31 जिलों का चयन किया गया है, उसमें विदर्भ कुछ जिलों में ऐसी राशि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सामग्री खरीदने के लिये मिली है जिसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान संगठनों ने सरकार ने बार-बार शिकायतें की हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सामग्री खरीद की जाती है, उसको बंद करने के निर्देश दिये जाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): महोदय, देश भर में गाद अब एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बना गई है। इस संबंध में मुझे याद है कि जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों ने दामोदर नदी पर बने दुर्गापुर बैराज के अध्ययन दौरे के दौरान दामोदर की सतह पर गाद की गंभीर समस्या पर 12 फरवरी, 2007 को अपनी चिंता व्यक्त की थी। समिति ने दौरे के दौरान गाद की गंभीर स्थिति को देखने के बाद पश्चिम बंगाल राज्य सिंचाई तथा जलमार्ग विभाग, केन्द्रीय जल आयोग और दामोदर घाटी निगम के इंजीनियरों के साथ इस समस्या पर चर्चा की थी।

मेरा यह मानना है कि बैराज के इंजीनियर गाद निकाले जाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि यह कार्य बहुत खर्चीला है। परंतु, यह चिंता का विषय है कि गाद की समस्या से एक ओर दुर्गापुर में जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होगी वहीं दूसरी ओर निकट भविष्य में आपलावन की भी समस्या होगी। समिति ने संबंधी इंजीनियरों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर केन्द्रीय जल संसाधन विभाग को भेजने के लिए कहा परंतु कुछ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी भी तैयार की जानी है।

महोदय, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग को तत्काल गाद हटानी चाहिए जिससे कि बांध की पूर्ण क्षमता का लाभ प्रद उपयोग हो सके तथा बाढ़ की स्थिति से भी बचा जा सके।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं उनके साथ सम्बद्ध होना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है।

सभापति महोदय: ठीक है, आप उनके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, सांप्रदायिक सौहार्द्रता के लिए विख्यात अजमेर शहर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य मजार अहाता-ए-नूर के निकट बृहस्पतिवार दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 के सायं 6 बजकर 16 मिनट पर रमजान के पाक महीने में रोजा इफ्तार कर रहे लोगों को बम से निशाना बनाया गया। संभवत: मोबाइल फोनसैट के जरिये कराये गये इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और 28 आदमी घायल हो गए। यह बम विस्फोट का कुकृत्य बेशुमार लोगों की आस्था पर चोट तथा ईद, नवरात्र और दीपावली की आती खुशियों में जहर घोलने हेतु आतंकवादियों द्वारा अमन चैन समाप्त करने, सामुदायिक अशांति उत्पन्न करने के लिए सोची समझी योजना के अनुसार किया गया था। यह तो ईश्वर की कृपा रही, अन्यथा बड़ा भारी हादसा हो सकता था।

महोदय, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार आज तक इस बम विस्फोट के पीछे के षडयंत्रकारियों का पता नही लगा पाई है। दरगाह एक्ट, 1955 के अंतर्गत भारत सरकार दरगाह की आंतरिक सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। देश जानना चाहता है कि इस हादसे के पीछे कौन से आतंकवादी संगठन का हाथ था और कैसे ये तत्व दरगाह में प्रवेश कर गए? भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या इंतजाम किये गये हैं? लोगों की आस्था के केन्द्र दरगाह शरीफ तथा पुष्कर की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके? दरगाह शरीफ के प्रांगण में सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाया जाए तथा दरगाह शरीफ तथा आसपास के क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। दोषी लोगों तथा संगठन का पता लगाकर दोषियों को कठोर सजा दी जाए।

मेरा भारत सरकार के गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अविलंब वक्तव्य दें और दोषी आतंकवादी संगठनों के लिए पोटा जैसे कड़े कानून को लागू करते हुए उन षडयंत्रकारियों को गिरफ्तार किया जाए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को भी लिया गया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा तय किया गया था कि सीड, फर्टिलाइजर, टैक्नोलॉजी और जो भी दूसरी सुविधाएं हैं, वे सरकार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में रबी की बुवाई चल रही है। जैसा अभी कई वक्ताओं द्वारा बताया गया है कि रासायनिक खादों का बड़ा अभाव हो गया है। इसमें डीएपी, एनपीके और यूरिया शामिल है। मेरा अपना संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी भी खेती का बहुत बड़ा केन्द्र है जहां खाद न मिल पाने के कारण किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपके माध्यम से हमें सरकार से अनुरोध करना है कि वहां तीन रैक ट्रेन रासायनिक खाद की उपलब्धता तत्काल कराई जाए जिससे किसान अपनी बुवाई पूरी कर सकें और खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदय, मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण शिकायतें उठा रहा हूं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी ग्रामीण लोगों की बैंकिंग आवश्यकता को पूरा करते हैं। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आज जंतर मंतर पर धरना दिया था। उनकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने भी वेतन ढांचे में समांतर लागू करने का निर्देश दिया है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित शिकायत का शीघ्र समाधान होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सभी लाभों, भत्तों तथा सेवा शर्तों को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जारी रहनी चाहिए। सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु एक समान क्षमाशक्ति आयोजन, भर्ती और पदोन्नति नीति लागू करनी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री आलोक कुमार मेहता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जब मैंने आपको बुलाया तो आप अपने स्थान पर नहीं थे। इसलिए संक्षेप में बोले। आप को बोलने का अवसर इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरे विचार से आप शीघ्र अपनी बात समाप्त कर देंगे।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहूंगा।

सभापति महोदय: कृपया आरंभ करें।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: सभापति महोदय, बिहार के 17 जिलों में इस बार बहुत भयानक बाढ़ आई और इस बाढ़ में 17 जिलों के 65 प्रतिशत लोगों के घर और उनकी फसलें पानी में बुरी तरह से डूब गईं। 70 प्रतिशत फसलों की बर्बादी हुई और एक माह से ज्यादा दिनों तक पानी बहुत सारे इलाकों में, करीब-करीब 15 प्रतिशत इलाकों में पानी भरा रहा तथा 22 जगहों पर विभिन्न नदियों के बांध टूट गए। बाढ़ ने 28 वर्षों का रिकार्ड तोड़ा और वर्षा ने 40 वर्षों का रिकार्ड तोड़ा।

सभापति महोदय, बिहार की सरकार ने बहुत जद्दोजहद के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए आंशिक रूप से सहायता प्रदान की और कर रहे हैं, लेकिन वर्षा में जो लोग तबाह हुए उनके प्रति बिहार सरकार का कहना है कि उनके लिए हमारे पास कोई नियम-कायदा राहत देने का नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि वर्षा से प्रभावित 15 प्रतिशत इलाके हैं। मेरा जिला समस्तीपुर है, वहां छः स्थानों पर बांध टूटे और 20 से 25 प्रतिशत इलाका जल पलावित है। वहां 65 प्रतिशत में 25 प्रतिशत इलाका सिर्फ पानी से प्रभावित है, जिसमें मकान ध्वस्त हो गए और फसलें बर्बाद हो गईं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा से प्रभावित 17 जिलों में जो भी लोग हैं, उसमें मेरा जिला समस्तीपुर भी है। जिन लोगों के घर बिलकुल ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत इंदिरा आवास प्रदान किया जाए तथा उनके फसलों की जो क्षति हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: तीन सदस्य विलंब से आए हैं। अब श्री सुनील खां बोलेंगे।

श्री सुनील खां: महोदय, मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों में व्यापक विसंगतियों के बारे में माननीय वित्त मंत्री तथा सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेंशन तथा अन्य लाभ जो वाणिज्यिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मिलते हैं वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। सात शीर्ष स्तर के संघ अधिकारियों सहित ग्रामीण बैंक संघों के संयुक्त मंच के कर्मचारियों ने अपनी मांगों अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 1993 और 1994 में बैंकिंग पेंशन समाधान को लागू,

किए जाने; अन्य सभी भत्तों और लाभों के भुगतान के संबंध में प्रयोजक बैंकों के साथ समानता, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा शर्तें, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का जारी रखा जाना तथा समुचित और एक समान्य श्रमशक्ति आयोजन, भर्ती और प्रोन्नति नीति संबंधी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर के सामने धरना दिया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय 31 जनवरी, 2001 और 7 मार्च, 2002 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में भारत सरकार को निदेश दिया था कि जब भी बैंकिंग उद्योग में वेतन संबंधी संशोधन हो तो आर.आर.बी. में समान वेतन ढांचा लागू किया जाए। भारत सरकार ने अब तक सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी समानता को लागू नहीं किया है। यह उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी ई.पी.एफ. अधिनियम में आते हैं तथा उन्हें नाममात्र की पेंशन, जिसकी अधिकतम सीमा 6500 रुपये है, मिलती है तथा उन्हें महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन दयनीय हो जाता है। यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यह लागू नहीं होता है तो वे 10 और 11 जनवरी, 2008 को हड़ताल करेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बारे में सकारात्मक नीति अपनाएं।

श्री अबु अयीश मंडल: मैं इस मामले से सम्बद्ध होना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महबूब नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जहां वर्षों से लेबर बहुतायत में रहती है, जिसे पालमुरी लेबर कहते हैं। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वहां 2 फरवरी, 2007 को जांच की थी। इसलिए कि वहां लेबर बहुत अधिक मात्रा में है। वहां की लेबर अपने पेमेंट के लिए महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर से मिलने गई थी। वे लाग चार दिन से भूखे थे। उनके पेट में अन्न का दाना भी नहीं था। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को कहा कि हमारा दो महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है।

महोदय, उन्हें पेमेंट नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ गाली-गलौज की गई। वे ट्राइबल लेबरर्स थे। ये लम्बारा और बंजारा ट्राइबल थे। यह बहुत सीरियस मामला है। वहां जो हादसा हुआ है, इसे ट्राइबल लेबरर्स पर एट्रोसिटीज मानकर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहां मानव अधिकार आयोग के अधिकारीगण आए थे। उन लेबरर्स को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट देने की बजाय, जो महबूब नगर की डी.एम. है, जिनके हस्बैंड हैदराबाद में डी.सी.पी. हैं, वे उन लेबर के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्हें पेमेंट मिलने की बजाय पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

महोदय, जहां लेबर की अधिकता के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्घाटन हुआ हो, वहां ऐसी बात हो, यह ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस घटना की ओर ध्यान दें। वहां के सी.ओ. को यहां से आदेश जाने चाहिए और ऐसे डी.एम. को नौकरी से हटाना चाहिए। वहां गरीबों के ऊपर और ट्राइबल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देश में आज भी अत्याचार होता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से डायरेक्शन जानी चाहिए और ऐसे लोगों, को ऐसे ऑफसर्स को सर्विस में नहीं रखना चाहिए। उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। लम्बारा और बंजारा ट्राइबल लेबर के ऊपर अन्याय हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ए.बी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री उन लोगों के हार्दिक आभार और बधाई के पात्र हैं जिन लोगों को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से कतिपय जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता दी गई है। हालांकि सहायता प्राप्त करने वाले बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इस संबंध में हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। परंतु जीवन रक्षक उपचार हेतु अधिकांश व्यक्तियों की ओर से सहायता के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है जिस पर उन्हें निराश होती है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी-किसी महीनों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या एक या दो होती है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है मेरे, द्वारा प्रति माह घोर जरूरतमंद 30 से 40 आवेदन पत्रों की सिफारिश की जाती है। ऐसा इसलिए कि रोगियों को आर.सी.सी. और तिरुवनन्तपुरम के पास श्री चित्रा थिरूनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आसानी से अच्छा उपचार हो जाता है। मामले वास्तविक होते है तथा ऐसे में सहायता देनी भी चाहिए। अस्पताल के अधिकारी भी गरीब रोगियों को सहायता की सिफारिश करते हैं। महीने में एक या दो रोगियों को वित्तीय सहायता देने से अन्य गरीब रोगियों को यह संदेश जाता

है कि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जीवन रक्षक उपचार से वंचित किया जा रहा है।

महोदय, यह उल्लेख करते हुए दु:ख हो रहा है कि सुनामी प्रभावित तटीय गरीबों के लगभग 40 आवेदन पत्र पी.एम.एन.आर.एफ. से सहायता का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि लगभग 70 व्यक्ति, जिन्हें सुनामी में लापता घोषित किया गया था, उन्हें विशेष मामले के तौर पर विधिक प्रावधानों में ढील देकर मृत्यु घोषित किया जाए तथा उनके विधिक उत्तराधिकारी को एक लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जाए जैसा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है।

सभापति महोदय: डा. मनोज आप अपने घर गए थे और टेलीविजन देख कर वापस आए हैं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदय, मुझे खेद है कि जब आप ने मेरा नाम पुकारा तब मैं यहां नहीं था। मुझे माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, मंत्री से 7.30 बजे मिलना था, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा।

सभापति महोदय: विशेष मामले के तौर पर मैं आपको दो मिनट दूंगा।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में देश के छात्रों ने आज का दिन छात्रों के शिक्षा अधिकारों के संरक्षण के रूप में मनाया है। उनकी मांग है कि देश में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए।

उनकी मांग है कि सभी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को आरक्षण का आश्वसन दिया जाए। यू.पी.ए. सरकार शिक्षा में निवेश में वृद्धि पर सहमत हो गई है। यद्यपि यू.पी.ए. सरकार ने घोषणा की है परंतु अब तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए छात्रों की मांग है कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत या बजट राशि का 10 प्रतिशत का व्यय शिक्षा पर किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में स्व:वित्त पोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों को नियंत्रित करने हेतु कोई विनियम नहीं है। स्व:वित्त पोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के कार्यकरण और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित किया जाना चाहिए तथा केवल मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए और शिक्षण संस्थाओं में शीघ्रताशीघ्र आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है कि स्टुडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अन्य मांगों पर गंभीरता से विचार करके उन्हें पूरी किया जाए।

सभापति महोदय: अब सभा कल 28 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.26 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 28 नवम्बर, 2007/7 अग्रहायण, 1929 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. अप्पादुरई	161
2.	श्री के. एस. राव	162
3.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री संतोष गंगवार	163
4.	श्री के. सुब्बारायण	164
5.	डा. आर. सेनथिल	165
6.	श्री महावीर भगोरा	166
7.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर	167
8.	श्री एस. अजय कुमार श्रीमती सी.एस. सुजाता	168
9.	श्री पी. राजेन्द्रन	169
10.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	170
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री मदन लाल शर्मा	171
12.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी डा. एम. जगन्नाथ	172
13.	श्री सुभाष महरिया श्री असादूद्दीन ओवेसी	173
14.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री निखिल कुमार	174
15.	श्री मो. ताहिर श्री कैलाशनाथ सिंह यादव	175
16.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	176
17.	श्री प्रभुनाथ सिंह	177
18.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	178
19.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	179
20.	श्री अधीर चौधरी	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1422, 1497, 1505
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1439, 1467, 1492, 1508, 1602
3.	आदित्यनाथ, योगी	1425, 1499
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1515
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1449, 1520, 1568, 1586, 1603
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	1484, 1537
7.	अर्गल, श्री अशोक	1412
8.	आठवले, श्री रामदास	1460, 1498, 1526, 1610
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1513, 1593
10.	बर्मन, श्री हितेन	1420
11.	बर्मन, श्री रनेन	1392, 1540
12.	बखला, श्री जोवाकिम	1551
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1427
14.	भगोरा, श्री महावीर	1489, 1539, 1569
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	1429, 1500, 1501, 1551
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1421
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1403
18.	बोस, श्री सुब्रत	1397
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1419
20.	चौरे, श्री बापू हरी	1438, 1446, 1511, 1555

1	2	3
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1568
22.	चिन्ता मोहन, डा.	1544
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1436, 1599
24.	चौधरी, श्री पंकज	1537
25.	चौधरी, श्री अधीर	1487, 1547, 1575, 1614
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	1393, 1540
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1443, 1516, 1557, 1610, 1615
28.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1451
29.	धोत्रे, श्री संजय	1438, 1446, 1511, 1555
30.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1594
31.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	1568
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1427, 1433, 1505
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1471, 1531, 1564
34.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1438, 1446, 1511, 1555
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	1502
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1592
37.	झा, श्री रघुनाथ	1452, 1555, 1573
38.	जिन्दल, श्री नवीन	1480, 1561, 1603
39.	जोगी, श्री अजीत	1461, 1527, 1605
40.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	1456, 1574
41.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1401, 1479, 1535, 1566, 1585
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1390, 1472, 1532, 1565, 1589
43.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1414, 1506, 1553
44.	कृष्ण, श्री विजय	1469, 1530
45.	कुन्नूर, श्री मंजूनाथ	1394, 1473
46.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	1493, 1544
47.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	1468, 1568
48.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1495
49.	महरिया, श्री सुभाष	1485, 1543, 1572, 1588
50.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1444
51.	महतो, श्री टेक लाल	1445, 1517
52.	माझी, श्री परसुराम	1426
53.	मंडल, श्री सनत कुमार	1411, 1439, 1504, 1552, 1608
54.	माने, श्रीमती निवेदिता	1471, 1531, 1564
55.	मसूद, श्री रशीद	1442
56.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1435
57.	मैन्या, डा. टोकचोम	1495
58.	मिश्रा, डा. राजेश	1422, 1433, 1505, 1606
59.	मंडल, श्री अबु अयीश	1415, 1522
60.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1434, 1508, 1554, 1609

1	2	3
61.	नायक, श्री अनन्त	1407, 1512, 1556
62.	निखिल कुमार, श्री	1487, 1547
63.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1476, 1495, 1549, 1577
64.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1406, 1432, 1558
65.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1463, 1528
66.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1399, 1478, 1536
67.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1400
68.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1416
69.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1482, 1541, 1571, 1587
70.	पाठक, श्री ब्रजेश	1409, 1483
71.	पाठक, श्री हरिन	1579
72.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1464
73.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	1465, 1529
74.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1568, 1603
75.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1441, 1489, 1510, 1515, 1555
76.	राजगोपाल, श्री एल.	1453, 1596
77.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1481
78.	रामदास, प्रो. एम.	1455, 1544, 1601
79.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1413, 1524, 1562, 1582
80.	राणा, श्री काशीराम	1457
81.	राव, श्री के.एस.	1488, 1538, 1567
82.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1459, 1523
83.	राव, श्री डी. विट्टल	1423
84.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1466, 1600
85.	रावले, श्री मोहन	1405
86.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1475, 1533, 1574, 1613
87.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1424, 1459, 1498
88.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1492, 1586
89.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	1555
90.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1437
91.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1437, 1510, 1555
92.	रिजीजू, श्री किरेन	1568, 1603
93.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1477, 1534, 1570, 1586
94.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1454, 1595
95.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1430
96.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1462
97.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1495, 1546
98.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1417, 1525, 1563, 1568, 1607
99.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1447, 1515, 1518, 1583
100.	शर्मा, श्री मदन लाल	1507
101.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1439, 1467, 1492, 1508, 1513

1	2	3
102.	शिवन्ना, श्री एम.	1454, 1521
103.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1455, 1544, 1601
104.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1398, 1495, 1496, 1548, 1576
105.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1431, 1568
106.	सिंह, श्री लक्ष्मण	1432
107.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1439, 1450, 1493
108.	सिंह, श्री गणेश	1404, 1492, 1598
109.	सिंह, श्री मोहन	1430, 1458
110.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1452, 1494, 1545, 1573
111.	सिंह, श्री राकेश	1530
112.	सिंह, श्री रेवती रमन	1495, 1555, 1565, 1568, 1586
113.	सिंह, श्री सुग्रीव	1408, 1503, 1525, 1541, 1571
114.	सिंह, श्री उदय	1525, 1614
115.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1391, 1474, 1612
116.	सुब्बारायण, श्री के.	1490, 1539, 1568
117.	सुमन, श्री रामजीलाल	1493
118.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1410, 1597
119.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1402
120.	थामस, श्री पी.सी.	1418, 1509
121.	तुम्मर, श्री वी.के.	1416, 1441, 1457
122.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1399, 1478, 1536
123.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1491, 1542, 1584, 1591
124.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1440, 1514, 1603, 1604, 1611
125.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1431
126.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1470
127.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1396, 1486, 1508, 1560, 1581
128.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1439, 1448, 1519, 1559, 1580
129.	यादव, श्री बालेश्वर	1395
130.	यादव, श्री राम कृपाल	1435
131.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1428, 1500, 1550, 1578, 1590

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	163, 168, 176, 177, 180
गृह	:	162, 164, 169, 172
मानव संसाधन विकास	:	165, 166, 170, 173, 174, 178, 179
सूचना और प्रसारण	:	161, 175
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	167, 171
खान	:	
संसदीय कार्य	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1391, 1407, 1408, 1414, 1416, 1419, 1432, 1445, 1450, 1456, 1464, 1465, 1472, 1475, 1476, 1483, 1490, 1495, 1498, 1509, 1523, 1524, 1529, 1535, 1544, 1547, 1564, 1578, 1582, 1584, 1587, 1591, 1593, 1596, 1598, 1603, 1613
गृह	:	1390, 1393, 1395, 1396, 1402, 1403, 1405, 1406, 1412, 1415, 1417, 1418, 1421, 1425, 1426, 1431, 1438, 1440, 1442, 1444, 1451, 1452, 1454, 1460, 1461, 1462, 1466, 1467, 1474, 1478, 1482, 1484, 1487, 1499, 1500, 1501, 1503, 1510, 1514, 1520, 1526, 1531, 1534, 1536, 1549, 1550, 1552, 1554, 1555, 1558, 1561, 1562, 1565, 1566, 1568, 1573, 1575, 1579, 1583, 1585, 1590, 1597, 1599, 1609, 1611, 1612, 1614
मानव संसाधन विकास	:	1394, 1397, 1400, 1401, 1409, 1410, 1420, 1423, 1424, 1428, 1434, 1435, 1436, 1437, 1441, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 1453, 1459, 1463, 1468, 1469, 1471, 1473, 1477, 1485, 1488, 1492, 1494, 1502, 1508, 1511, 1513, 1515, 1516, 1518, 1519, 1521, 1522, 1525, 1527, 1528, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1546, 1548, 1551, 1556, 1557, 1559, 1560, 1569, 1572, 1574, 1576, 1577, 1580, 1586, 1589, 1602, 1604, 1605, 1608
सूचना और प्रसारण	:	1398, 1399, 1411, 1422, 1430, 1458, 1470, 1496, 1504, 1541, 1545, 1570, 1571, 1588, 1592, 1600, 1606, 1607, 1610, 1615
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1392, 1429, 1455, 1457, 1479, 1480, 1481, 1486, 1489, 1491, 1493, 1507, 1512, 1533, 1567, 1581, 1595, 1601
खान	:	1404, 1413, 1427, 1433, 1439, 1497, 1505, 1506, 1517, 1542, 1543, 1553, 1563, 1594
संसदीय कार्य	:	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/30/8/2007/1929

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।